

अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटेरियल-1

(जनवरी, 2024 से मार्च, 2024)

 www.visionias.in

 **8468022022, 9019066066**


 enquiry@visionias.in

 [/c/VisionIASdelhi](https://www.youtube.com/c/VisionIASdelhi)

 [/visionias.upsc](https://www.facebook.com/visionias.upsc)

 [/vision_ias](https://www.instagram.com/vision_ias)

 [VisionIAS_UPSC](https://www.telegram.com/VisionIAS_UPSC)



अहमदाबाद

बेंगलुरु

भोपाल

चंडीगढ़

दिल्ली

गुवाहाटी

हैदराबाद

जयपुर

जोधपुर

लखनऊ

प्रयागराज

पुणे

रांची

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2025

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
- सीसैट कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसैट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

नोट: ऑनलाइन छात्र हमारे पाठ्यक्रम की लाइव वीडियो कक्षाएं अपने घर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। छात्र लाइव चैट विकल्प के माध्यम से कक्षा के दौरान अपने संदेह और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। वे अपने संदेह और प्रश्न नोट भी कर सकते हैं और दिल्ली केंद्र में हमारे कक्षा सलाहकार को बता सकते हैं और हम फोन/मेल के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देंगे।

DELHI: 14 मई, 9 AM

LUCKNOW: 5 जून

BHOPAL: 11 जून

JAIPUR: 21 मई

JODHPUR: 20 मई



Scan the QR CODE to
download VISION IAS app



Vision IAS की ओर से पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज

(UPSC प्रीलिम्स के लिए स्मार्ट रिवीजन, प्रैक्टिस और समग्र तैयारी हेतु
ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत एक पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज)

- » UPSC द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के साथ-साथ VisionIAS द्वारा तैयार किए गए 15,000 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले प्रश्नों का विशाल संग्रह
- » अपनी जरूरत के अनुसार विषयों और टॉपिक्स का चयन करके पर्सनलाइज्ड टेस्ट तैयार करने की सुविधा
- » परफॉर्मंस इंप्रूवमेंट टेस्ट (PIT)
- » टेस्ट में अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर, सुधार की गुंजाइश वाले क्षेत्रों पर फीडबैक

प्रारंभ: 5 मई



अधिक जानकारी
के लिए दिए गए
QR कोड को
स्कैन कीजिए



PT 365: अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटीरियल-1

विषय-सूची

1. राजव्यवस्था (Polity) _____	7	2.1.5. सुर्खियों में रहे अन्य महत्वपूर्ण संगठन _____	34
1.1. संविधान से संबंधित मुद्दे _____	7	2.1.5.1. यूनाइटेड फॉर कन्सेन्सस (UFC) मॉडल _____	34
1.1.1. समान नागरिक संहिता _____	7	2.1.5.2. सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन _____	34
1.1.2. छठी अनुसूची _____	8	2.1.5.3. शंघाई सहयोग संगठन (SCO) स्टार्ट-अप फोरम _____	35
1.1.3. अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान _____	9	2.1.5.4. पश्चिमी अफ्रीकी देशों का आर्थिक समुदाय _____	35
1.2. संसद, राज्य विधान-मंडल/ स्थानीय सरकार की कार्य-प्रणाली _____	10	2.1.5.5. अफ्रीका क्लब _____	35
1.3. न्यायपालिका _____	11	2.2. सुर्खियों में रहे स्थल _____	36
1.3.1. भारत के सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष _____	11	2.2.1. भारत और उसके पड़ोसी देश _____	36
1.3.2. भारत में अधिकरण प्रणाली _____	12	2.2.2. दक्षिण पूर्व एशिया _____	36
1.3.3. मानहानि _____	13	2.2.3. पश्चिम एशिया _____	38
1.3.4. परिहार _____	14	2.2.4. उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप (Americas) _____	39
1.3.5. अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां _____	15	2.2.5. हिंद-प्रशांत क्षेत्र _____	42
1.4. चुनाव _____	15	2.2.6. यूरोप _____	44
1.4.1. चुनावी बॉण्ड योजना _____	15	2.2.7. अफ्रीका _____	48
1.4.2. नगरपालिका चुनाव _____	17	2.3. द्विपक्षीय संबंध _____	50
1.4.3. आदर्श आचार संहिता _____	18	2.3.1. अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा और कच्चा तेल का मुद्दा _____	50
1.4.4. अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां _____	19	2.3.2. भारत-भूटान संबंध _____	51
1.5. महत्वपूर्ण कानून/ विधेयक _____	20	2.3.3. भारत-रूस संबंध _____	53
1.5.1. नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 _____	20	2.4. अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां _____	54
1.5.2. महामारी रोग अधिनियम (EDA), 1897 _____	22	2.4.1. गुटनिरपेक्ष आंदोलन _____	54
1.5.3. भारत में मंदिरों का विनियमन _____	23	2.4.2. जेनोसाइड कन्वेंशन _____	54
1.5.4. सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 _____	24	2.4.3. हाल ही के अन्य घटनाक्रम _____	56
1.5.5. अन्य संबंधित तथ्य _____	25	2.4.3.1. समिट फॉर डेमोक्रेसी _____	56
1.6. गवर्नेंस के महत्वपूर्ण पहलू _____	25	2.4.3.2. मिशन एस्पाइड्स _____	56
1.6.1. प्रशासनिक सुधारों के लिए पुनर्गठन योजना _____	25	2.4.3.3. वाइमर ट्रायंगल _____	56
1.6.2. अन्य महत्वपूर्ण तथ्य _____	27	2.4.3.4. अफगानिस्तान के मुद्दे पर क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता _____	56
1.7. शुद्धिपत्र _____	29	2.4.3.5. ऑपरेशन इन्द्रावती _____	57
2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) _____	31	2.4.3.6. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स _____	57
2.1. बहुपक्षीय संगठन _____	31	2.5. सुरक्षा से संबंधित मुद्दे _____	57
2.1.1. क्लाइड _____	31	2.5.1. मुक्त आवाजाही व्यवस्था _____	57
2.1.2. राष्ट्रमंडल _____	32	2.5.2. ग्रे-जोन युद्ध _____	58
2.1.3. दक्षिण एशिया उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग _____	33	2.5.3. एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नॉलजीस विद iDEX (ADITI) योजना _____	59
2.1.4. विश्व आर्थिक मंच _____	33		



2.5.4. साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटनाक्रम	60	3.5. बाह्य क्षेत्रक	86
2.5.5. अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम	61	3.5.1. विश्व व्यापार संगठन	86
2.5.5.1. ट्रेड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2023	61	3.5.1.1. कृषि एवं खाद्य सुरक्षा	87
2.5.5.2. DIANA (डिफेंस इनोवेशनएक्सेलेरेटर फॉर द नॉर्थ अटलांटिक) पहल	61	3.5.1.2. मात्स्यिकी सब्सिडी समझौता	88
2.5.5.3. INS जटायु	62	3.5.2. आर्थिक सहयोग और विकास संगठन	89
2.5.5.4. INS संधायक	62	3.6. कृषि	89
2.5.5.5. सिग्नल्स टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन एंड एडेप्टेशन ग्रुप {STEAG}	62	3.6.1. पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की नीति	89
2.5.5.7. ऑपरेशन संकल्प	63	3.6.2. प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स)	90
2.6. सुर्खियों में रहे में सैन्य अभ्यास	63	3.6.3. भारत की अनाज भंडारण प्रणाली	91
2.6.1. सुर्खियों में रहे अन्य सैन्य अभ्यास	64	3.6.4. कृषि विज्ञान केंद्र	92
2.7. शुद्धिपत्र	65	3.6.5. कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड कलिनरी हर्ब्स	93
3. अर्थव्यवस्था (Economy)	66	3.7. सेवा क्षेत्रक	94
3.1. संवृद्धि और विकास	66	3.7.1. भारत में फिनटेक	94
3.1.1. मानव विकास रिपोर्ट (HDR) 2023-2024	66	3.7.2. यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेज 2024	96
3.1.2. घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) 2022-23	68	3.8. उद्योग एवं अवसंरचना	97
3.1.3. SDG प्रगति रिपोर्ट 2024	70	3.8.1. उद्योग एवं अवसंरचना से संबंधित प्रमुख विकासक्रम	97
3.2. सरकारी वित्त	71	3.9. ऊर्जा	98
3.2.1. सरकारी प्रतिभूतियां	71	3.9.1. पेट्रोलियम अन्वेषण एवं उत्पादन	98
3.2.2. राज्य सरकार की गारंटी	72	3.9.2. खनिज तेल का आयात	99
3.3. बैंकिंग	73	3.9.3. विद्युत (संशोधन) नियम, 2024 अधिसूचित	100
3.3.1. गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां	73	3.10. नवाचार और उद्यमशीलता	101
3.3.2. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस	75	3.10.1. पेटेंट	101
3.3.3. भारत में कार्ड नेटवर्क	75	3.10.2. डिजिटल एकाधिकार और डिजिटल इकोसिस्टम का विनियमन	103
3.3.4. भारत में बीमा परिदृश्य	77	3.10.3. स्टार्ट-अप इकोसिस्टम से संबंधित प्रमुख विकासक्रम	105
3.3.5. रिजर्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना	78	3.11. शुद्धिपत्र	105
3.3.6. शहरी सहकारी बैंकों के लिए अम्ब्रेला संगठन (UCBS)	79	4. पर्यावरण (Environment)	107
3.3.7. राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त-पोषण और विकास बैंक	80	4.1. जलवायु परिवर्तन	107
3.3.8. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण	81	4.1.1. ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम	107
3.3.9. बैंकिंग क्षेत्रक से संबंधित अन्य विकासक्रम	82	4.1.2. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा- छठा सत्र	108
3.4. भुगतान प्रणाली और वित्तीय बाजार	82	4.1.3. जलवायु और स्वच्छ वायु सम्मेलन 2024	109
3.4.1. भारत बिल पेमेंट सिस्टम	82	4.1.4. ग्रीनवाशिंग	110
3.4.2. विनिवेश	83	4.1.5. ग्रीन क्लाइमेट फंड	112
3.4.3. SEBI से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम	84	4.1.6. जलवायु से संबंधित अन्य सुर्खियां	112
		4.1.7. रिपोर्ट्स और सूचकांक	113



4.2. प्रदूषण _____	113	4.6. भूगोल _____	155
4.2.1. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम _____	113	4.6.1. ट्रिपल डिप ला-नीना _____	155
4.2.2. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 _____	114	4.6.2. क्षेपण मंडल _____	155
4.2.3. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन _____	115	4.6.3. अन्य संबंधित सुर्खियां _____	157
4.2.4. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024 _____	116	4.6.4. सुर्खियों में रहे स्थल _____	159
4.2.5. बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024 _____	118	4.6.4.1. भौगोलिक विशेषताएं (भारत) _____	159
4.2.6. रिपोर्ट्स और सूचकांक _____	119	4.6.4.2. भौगोलिक विशेषताएं (अंतर्राष्ट्रीय) _____	160
4.3. जैवविविधता _____	120	4.6.4.3. सुर्खियों में रहे देश _____	161
4.3.1. प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन (CMS) की COP 14 _____	120	4.7. शुद्धिपत्र _____	162
4.3.2. रामसर कन्वेंशन _____	122	5. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) _____	163
4.3.3. यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप _____	123	5.1. भारत में कुल प्रजनन दर में गिरावट _____	163
4.3.4. वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम (WPA), 2022 के तहत नए नियम अधिसूचित _____	123	5.2. भारत में महिलाओं का आंतरिक प्रवासन _____	164
4.3.5. वन की परिभाषा _____	125	5.3. भारत में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल में सुधार _____	164
4.3.6. जैव विविधता विरासत स्थल _____	126	5.4. स्ट्रीट वेंडर्स (जीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग विनियमन) अधिनियम, 2014 _____	165
4.3.7. भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति _____	128	5.5. क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा देना _____	166
4.3.8. भारत में तेंदुओं की स्थिति _____	130	5.6. शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट _____	166
4.3.9. राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र _____	131	5.7. समग्र प्रगति कार्ड _____	168
4.3.10. सुर्खियों में रहे संरक्षित क्षेत्र _____	133	5.8. इच्छामृत्यु _____	169
4.3.11. सुर्खियों में रही प्रजातियां _____	137	5.9. मिताक्षरा कानून _____	169
4.3.12. अन्य संबंधित सुर्खियां _____	141	5.10. सर्पिंड विवाह _____	171
4.4. संधारणीय विकास _____	144	5.11. एलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्विटी _____	171
4.4.1. सोलर रूफटॉप पावर _____	144	5.11.1. लैंगिक असमानता सूचकांक (GII) 2022 _____	172
4.4.2. सुर्खियों में रहे वैकल्पिक ऊर्जा के अन्य स्रोत _____	145	5.12. स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 _____	173
4.4.3. इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना _____	146	5.13. अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां _____	174
4.4.4. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS), 2024 _____	147	6. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology) _____	179
4.4.5. यूरिया गोल्ड _____	148	6.1. जैव प्रौद्योगिकी _____	179
4.4.6. पृथ्वी विज्ञान योजना _____	148	6.1.1. जीन थेरेपी _____	179
4.4.7. अन्य संबंधित सुर्खियां _____	149	6.1.2. जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट _____	181
4.5. आपदा प्रबंधन _____	152	6.2. आई.टी. और कंप्यूटर _____	182
4.5.1. भारत मौसम विज्ञान विभाग _____	152	6.2.1. इंडिया AI मिशन _____	182
4.5.2. भारतीय भूस्खलन संवेदनशील मानचित्र _____	153	6.2.2. चौथी औद्योगिक क्रांति _____	184
4.5.3. अन्य संबंधित सुर्खियां _____	154	6.2.3. एंड-टू-एंड क्वांटम कम्युनिकेशन लिंक _____	185
		6.2.4. उपग्रह आधारित टोल संग्रहण प्रणाली _____	186
		6.2.5. नियर-फील्ड कम्युनिकेशन (NFC) तकनीक _____	187
		6.2.6. सबमरीन केबल सिस्टम _____	188



6.2.7. इलेक्ट्रॉनिक स्याही (ई-इंक) _____	189	6.4.5.6. ANAGRANINF परियोजना _____	204
6.2.8. संगम: डिजिटल ट्विन पहल _____	190	6.5. रक्षा _____	205
6.3. अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी _____	190	6.5.1. मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल (MIRV) तकनीक _____	205
6.3.1. एक्स-रे पोलेरीमीटर सैटेलाइट _____	190	6.5.2. ठोस-ईंधन प्रौद्योगिकी _____	206
6.3.2. अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन _____	192	6.5.3. भू-स्थानिक आसूचना या खुफिया जानकारी _____	207
6.3.3. स्कायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट _____	193	6.5.4. ड्रोन और सुरक्षा _____	208
6.3.4. पुष्पक नामक रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल (RLV) LEX 02 _____	194	6.5.5. अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां _____	209
6.3.5. जीसैट 20 _____	194	6.5.5.1. भारत की पांचवीं पीढ़ी का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट _____	209
6.3.6. मौसम पूर्वानुमान उपग्रह INSAT-3DS _____	195	6.5.5.2. ब्रह्मोस मिसाइल _____	210
6.3.7. सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन _____	196	6.5.5.3. हाई पावर्ड माइक्रोवेव हथियार _____	210
6.3.7.1. कार्टोसैट-2 _____	196	6.5.5.4. आकाश-NG (न्यू जनरेशन) मिसाइल _____	211
6.3.7.2. प्रोबा-3 मिशन _____	197	6.6. विविध _____	211
6.3.7.3. इंजीन्यूटी (मार्स हेलीकॉप्टर) _____	197	6.6.1. फास्ट ब्रीडर रिएक्टर _____	211
6.3.7.4. वायजर-1 _____	197	6.6.2. लिथियम _____	213
6.3.7.5. इंट्यूटिव मशीन्स (IM) मिशन _____	197	6.6.3. इंडक्शन चार्जिंग _____	215
6.3.7.6. अनकवर कार्यक्रम _____	198	6.6.4. एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम _____	216
6.3.8. अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां _____	198	6.6.5. क्रिटिकल टेक क्षेत्रक _____	217
6.3.8.1. हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट _____	198	6.6.6. सत्येंद्र नाथ बोस _____	219
6.3.8.2. डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर _____	198	6.6.7. प्रोटॉन इंप्रूवमेंट प्लान (PIP-II) परियोजना _____	220
6.3.8.3. कुलशेखरपट्टिनम स्पेसपोर्ट _____	199	6.6.8. पॉजिट्रोनियम _____	221
6.3.8.4. स्टेटियो शिव शक्ति _____	199	6.6.9. स्टील स्लैंग रोड टेक्नोलॉजी _____	221
6.3.8.5. शिव और शक्ति: मिल्की-वे आकाशगंगा के निर्माण खंड _____	199	6.6.10. अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां _____	222
6.4. स्वास्थ्य _____	199	6.6.10.1. C-बॉट _____	222
6.4.1. भारत में खाद्य विनियमों को सुव्यवस्थित करना _____	199	6.6.10.2. कार्बन नैनोट्यूब्स _____	222
6.4.2. हैविशोर _____	200	6.6.10.3. निकट अवरक्त किरणें _____	223
6.4.3. सर्वाइकल कैंसर _____	201	6.6.10.4. मैग्लेव (मैग्नेटिक लेविटेशन) _____	223
6.4.4. कुछ रोग _____	202	6.6.10.5. शुष्क बर्फ _____	223
6.4.5. अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां _____	203	6.6.10.6. पार्थेनोजेनेसिस _____	224
6.4.5.1. पेनिसिलिन-G _____	203	7. संस्कृति (Culture) _____	225
6.4.5.2. रोडामाइन-B _____	203	7.1. मूर्तिकला एवं स्थापत्य कला _____	225
6.4.5.3. मॉसक्रिक्स _____	204	7.1.1. मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स _____	225
6.4.5.4. कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रेपरेडनेस इन्वेंशंस _____	204	7.1.1.1. मध्य प्रदेश के छह सांस्कृतिक धरोहर स्थल यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किए गए _____	226
6.4.5.5. वैक्सीन सेफ्टी नेट _____	204	7.1.2. माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर _____	227



7.1.3. अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां _____	229	7.5.3. अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार _____	240
7.1.3.1. श्री वीरभद्र मंदिर (लेपाक्षी मंदिर) _____	229	7.5.3.1. कुदावोलाई प्रणाली _____	240
7.1.3.2. गुरुवायूर मंदिर _____	229	7.5.3.2. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार _____	241
7.1.3.3. श्री कालाराम मंदिर _____	229	7.5.3.3. ज्ञानपीठ पुरस्कार _____	241
7.1.3.4. श्रीरंगनाथस्वामी मंदिर _____	229	7.5.3.4. संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार _____	241
7.1.3.5. शंकराचार्य मंदिर _____	230	7.5.3.5. राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, 2023 _____	241
7.1.3.6. स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस _____	230	7.6. विविध _____	242
7.2. सुर्खियों में रहे कला के रूप _____	230	7.6.1. सुर्खियों में रही जनजातियां _____	242
7.2.1. ग्रंथम अभिलेख _____	230	7.6.1.1. वारली जनजाति _____	242
7.2.2. ढोकरा शिल्प कला _____	230	7.6.1.2. ब्रू जनजाति _____	242
7.3. सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण स्थल _____	231	7.6.1.3. मधिका भाषा _____	242
7.3.1. जियो-हेरिटेज साइट्स _____	231	7.6.1.4. कुटिया कोंध जनजाति _____	242
7.3.2. सुर्खियों में रहे अन्य महत्वपूर्ण स्थल _____	233	7.6.1.5. परुवेता उत्सवम _____	243
7.3.2.1. वडनगर _____	233	7.6.1.6. पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल _____	243
7.3.2.2. कोचरब आश्रम _____	233	7.6.1.7. चंदुबी महोत्सव _____	243
7.4. व्यक्तित्व _____	233	7.6.2. कई उत्पादों को मिला GI टैग _____	244
7.4.1. लचित्त बोरफुकन _____	233	7.6.3. अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां _____	244
7.4.2. रानी चेन्नम्मा _____	235	7.6.3.1. कदंब राजवंश _____	244
7.4.3. नाना जगन्नाथ शंकरसेठ _____	236	7.6.3.2. पश्चिम बंगाल ने राज्य दिवस और राज्य गीत अधिसूचित किए _____	245
7.4.4. अय्या वैकुंड स्वामीकल _____	237	7.6.3.3. देश में फसल कटाई से संबंधित उत्सवों का आयोजन _____	245
7.4.5. सुर्खियों में रहे अन्य व्यक्तित्व _____	238	7.6.3.4. होरी हब्बा _____	245
7.4.5.1. संभुधन फोंगलो _____	238	7.6.3.5. विक्रमादित्य वैदिक घड़ी _____	246
7.5. सुर्खियों में रहे पुरस्कार _____	238		
7.5.1. भारत रत्न _____	238		
7.5.2. पद्म पुरस्कार _____	240		

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

प्रिय अभ्यर्थी,

PT 365 (हिंदी) डॉक्यूमेंट के अंतर्गत, व्यापक तौर पर विगत 1 वर्ष (365) की महत्वपूर्ण समसामयिकी को समेकित रूप से कवर किया गया है, ताकि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में अभ्यर्थियों को सहायता मिल सके।

अभ्यर्थियों के हित में PT 365 डॉक्यूमेंट को और बेहतर बनाने के लिए इसमें निम्नलिखित नवीन विशेषताओं को शामिल किया गया है:



संक्षेप में मानचित्र: सुर्खियों में रहे स्थलों से संबंधित भौगोलिक एवं प्रासंगिक जानकारी के लिए इन्हें शामिल किया गया है, जैसे-

- सुर्खियों में रहे प्रत्येक देश या स्थान के लिए अलग-अलग मानचित्र
- त्वरित संदर्भ के लिए महाद्वीप के अनुरूप व्यापक मानचित्र
- बहुपक्षीय समूहों को दर्शाने वाले मानचित्र
- द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासों को दर्शाने वाले मानचित्र



संक्षेप में इन्फोग्राफिक्स: इन्फोग्राफिक्स को सारांश के रूप में प्रस्तुत कर उन्हें इंटरैक्टिव इन्फोग्राफिक्स के रूप में शामिल किया गया है, ताकि उन्हें समझने में आसानी हो, सीखने का सहज अनुभव मिल सके और कंटेंट को बेहतर तरीके से याद रखना सुनिश्चित किया जा सके।



सुर्खियों में रहे संस्थान/संगठन: बार-बार सुर्खियों में रहने वाले प्रमुख संस्थानों और संगठनों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है।



क्विज़: अभ्यर्थी ने विषय को कितना बेहतर समझा है, इसके परीक्षण के लिए QR आधारित स्मार्ट क्विज़ को शामिल किया गया है।




ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ एवं मेंटरिंग प्रोग्राम

कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, अभ्यास और मेंटरिंग के साथ बेहतर प्रदर्शन के लिए एक इनोवेटिव मूल्यांकन प्रणाली

30 टेस्ट
5 फंडामेंटल टेस्ट | 15 एप्लाइड टेस्ट
10 फुल लेंथ टेस्ट

ENGLISH MEDIUM 2024: 5 MAY
हिन्दी माध्यम 2024: 5 मई

ENGLISH MEDIUM 2025: 5 MAY
हिन्दी माध्यम 2025: 5 मई



UPSC प्रीलिम्स की तैयारी की स्मार्ट और प्रभावी रणनीति

UPSC प्रीलिम्स सिविल सेवा परीक्षा का पहला और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चरण है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के दो पेपर (सामान्य अध्ययन और CSAT) शामिल होते हैं, जो अभ्यर्थी के ज्ञान, उसकी समझ और योग्यता का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। यह चरण अभ्यर्थियों को व्यापक पाठ्यक्रम में महारत हासिल करने और बदलते पैटर्न के अनुरूप ढलने की चुनौती देता है। साथ ही, यह चरण टाइम मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन को याद रखने और प्रीलिम्स की अप्रत्याशितता को समझने में भी महारत हासिल करने की चुनौती देता है। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने हेतु कड़ी मेहनत के साथ-साथ तैयारी के लिए एक समग्र और निरंतर बदलते दृष्टिकोण की भी आवश्यकता होती है।



तत्काल व्यक्तिगत मेंटoring
के लिए QR कोड को
स्कैन कीजिए

प्रीलिम्स की तैयारी के लिए मुख्य रणनीतियां



तैयारी की रणनीतिक योजना: पढ़ाई के दौरान सभी विषयों को बुद्धिमानी से समय दीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि आपके पास रिवीजन और मॉक प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त समय हो। अपने कमजोर विषयों पर ध्यान दीजिए।

अनुकूल रिसोर्सिंग का उपयोग: ऐसी अध्ययन सामग्री चुनिए जो संपूर्ण और टू द पॉइंट हो। अभिभूत होने से बचने के लिए बहुत अधिक कंटेंट की जगह गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए।

PYQ और मॉक टेस्ट का रणनीतिक उपयोग: परीक्षा के पैटर्न, महत्वपूर्ण विषयों और प्रश्नों के ट्रेंड्स को समझने के लिए विगत वर्ष के प्रश्न-पत्रों का उपयोग कीजिए। मॉक टेस्ट के साथ नियमित प्रैक्टिस और प्रगति का आकलन करने से तैयारी तथा टाइम मैनेजमेंट में सुधार होता है।

करेंट अफेयर्स की व्यवस्थित तरीके से तैयारी: न्यूज़पेपर और मैगजीन के जरिए करेंट अफेयर्स से अवगत रहिए। समझने और याद रखने में आसानी के लिए इस ज्ञान को स्टेटिक विषयों के साथ एकीकृत कीजिए।

स्मार्ट लर्निंग: रटने के बजाय अवधारणाओं को समझने पर ध्यान दीजिए, बेहतर तरीके से याद रखने के लिए निमोनिक्स, इन्फोग्राफिक्स और अन्य प्रभावी तरीकों का उपयोग कीजिए।

व्यक्तिगत मेंटoring: व्यक्तिगत रणनीतियों, कमजोर विषयों और मोटिवेशन के लिए मेंटर्स की मदद लीजिए। मेंटरशिप स्ट्रैस मैनेजमेंट में भी मददगार होता है, ताकि आप मेंटल हेल्थ को बनाए रखते हुए परीक्षा पर ठीक से ध्यान केंद्रित कर सकें।



UPSC प्रीलिम्स की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, Vision IAS ने अपना बहुप्रतीक्षित "ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटoring प्रोग्राम" शुरू किया है। इस प्रोग्राम में नवीनतम ट्रेंड्स के अनुरूप संपूर्ण UPSC सिलेबस को शामिल किया गया है।

इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:



- UPSC सिलेबस का व्यापक कवरेज
- टेस्ट सीरीज का फ्लेक्सिबल शेड्यूल
- टेस्ट का लाइव ऑनलाइन/ ऑफलाइन डिस्कशन और पोस्ट-टेस्ट एनालिसिस
- प्रत्येक टेस्ट पेपर के लिए आंसर-की और व्यापक व्याख्या

- अभ्यर्थी के अनुरूप व्यक्तिगत मेंटoring
- ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ इन्ोवेटिव अस्सेसमेंट सिस्टम और परफॉरमेंस एनालिसिस
- विवक रिविजन मॉड्यूल (QRM)

अंत में, एक स्मार्ट स्टडी प्लान, प्रैक्टिस, सही रिसोर्स और व्यक्तिगत मार्गदर्शन को मिलाकर बनाई गई रणनीतिक तथा व्यापक तैयारी ही UPSC प्रीलिम्स में सफलता की कुंजी है।

"ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटoring प्रोग्राम" के लिए रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने हेतु QR कोड को स्कैन कीजिए



1. राजव्यवस्था (Polity)

1.1. संविधान से संबंधित मुद्दे (Issues Related to Constitution)

1.1.1. समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code: UCC)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, उत्तराखंड राज्य विधान सभा ने समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड, 2024 विधेयक पारित किया। विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब यह कानून बन चुका है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस विधेयक के पारित होने से उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) पर कानून पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
 - इसके अलावा, असम और गुजरात भी UCC को लागू करने पर काम कर रहे हैं।
 - गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां पहले से ही सामान्य नागरिक संहिता लागू है। यह UCC से अलग है और पुर्तगाली नागरिक संहिता, 1867 के रूप में मौजूद है।

UCC के बारे में

- UCC का आशय पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करने से है। यह समान कानून सभी धार्मिक समुदायों के विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने, उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान रूप से लागू होगा।
- संविधान के भाग IV के तहत अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा।

भारत में UCC की वर्तमान स्थिति

- भारत में विविध धार्मिक समुदाय वर्तमान में व्यक्तिगत कानूनों के एक तंत्र द्वारा शासित होते हैं। इन विधानों को वर्षों से अलग-अलग अधिनियमों के माध्यम से संहिताबद्ध किया जाता रहा है।
 - उदाहरण के लिए: हिंदू व्यक्तिगत कानून (Personal law) को 4 कानूनों के माध्यम से संहिताबद्ध किया गया है:
 - हिंदू विवाह अधिनियम (1955),
 - हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (1956),
 - हिंदू माइनॉरिटी और गार्जियनशिप अधिनियम (1956), और
 - हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम (1956)
- इन कानूनों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए 'हिंदू' शब्द में सिख, जैन और बौद्ध को भी शामिल किया गया है।
 - मुस्लिम पर्सनल लॉ के कुछ पहलुओं को भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत)¹, 1937 और मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम², 1939 जैसे कानूनों में स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त है।
- भारत में कुछ पंथनिरपेक्ष कानून भी हैं, उदाहरण के लिए-
 - विशेष विवाह अधिनियम³, 1954, जिसके तहत अंतर-धार्मिक विवाह को कानूनी मान्यता दी गई है।
 - इसके अतिरिक्त, संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम⁴, 1890 अभिभावकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को निर्धारित करता है।

UCC की सिफारिश करने वाले महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय और समितियां

- शाहबानो केस (1985): सुप्रीम कोर्ट ने विशेषकर गुजारा-भत्ता संबंधी मामलों में UCC की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
- सरला मुद्गल केस (1995): सुप्रीम कोर्ट ने UCC के माध्यम से सभी धर्मों में लैंगिक समानता स्थापित करने के लिए संसद से कानून पारित करने की सिफारिश की।
- पाउलो कोटिन्हो बनाम मारिया लुइज़ा वेलेंटीना परेरा (2019): सुप्रीम कोर्ट ने समान व्यवस्था रखने के लिए समान कानूनों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

¹ The Muslim Personal Law (Shariat) Application Act}

² Dissolution of Muslim Marriages Act

³ Special Marriage Act

1.1.2. छठी अनुसूची (Sixth Schedule)

सुर्खियों में क्यों?

लद्दाख को भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्र के रूप में मान्यता देने के लिए वहां के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

छठी अनुसूची के बारे में

- छठी अनुसूची यानी संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान किए गए हैं।

छठी अनुसूची के प्रावधान

- ये प्रावधान इन चार राज्यों के राज्यपालों को अपने-अपने राज्य में स्वायत्त जिला परिषदें (ADCs)⁵ और स्वायत्त प्रादेशिक परिषदें (ARCs)⁶ गठित करने का अधिकार देते हैं।
 - ADC की संरचना: ADCs में अधिकतम 30 सदस्य होते हैं। इनमें से चार राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं, जबकि शेष चुने जाते हैं।
 - हालांकि, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद एक अपवाद है। इसमें अधिकतम 46 सदस्य हो सकते हैं।
 - ARC: यदि किसी स्वायत्त जिले में अलग-अलग अनुसूचित जनजातियां हैं, तो राज्यपाल उनके द्वारा बसाए गए क्षेत्र या क्षेत्रों को स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित कर सकता है।
- छठी अनुसूची ने ADCs और ARCs को निम्नलिखित "विधायी, कार्यकारी एवं न्यायिक" शक्तियां प्रदान की है:

शक्ति	विषय
विधायी शक्ति	नियम बनाना: <ul style="list-style-type: none"> • भूमि, वन प्रबंधन (आरक्षित वन के अलावा), झूम खेती और प्रमुख या मुखिया की नियुक्ति के संबंध में। • संपत्ति का उत्तराधिकार, विवाह व तलाक और सामाजिक प्रथा के संबंध में। • संबंधित अनुसूचित जिले में अनुसूचित जनजाति के निवासियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा साहूकारी का कार्य या व्यापार के विनियम और नियंत्रण के संबंध में।
कार्यकारी शक्ति	<ul style="list-style-type: none"> • जिलों में प्राथमिक विद्यालयों, औषधालयों, बाजारों, पशु तालाबों, मत्स्य पालन, सड़कों, सड़क परिवहन और जलमार्गों की स्थापना या प्रबंधन करने की शक्ति प्राप्त है। • परिषदों को प्राथमिक विद्यालयों में भाषा और शिक्षा के तरीके को निर्धारित करने के लिए भी अधिकृत किया गया है।
न्यायिक शक्ति	<ul style="list-style-type: none"> • इन्हें ग्राम और जिला परिषद न्यायालयों के गठन का अधिकार प्राप्त है। • परिषद न्यायालयों के मुकदमों या मामलों पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर किसी अन्य अदालत का अधिकार क्षेत्र नहीं होता है। • हालांकि, इन परिषद न्यायालयों को मृत्युदंड या पांच या अधिक वर्षों के कारावास से दंडनीय अपराधों वाले मामलों पर निर्णय लेने की शक्ति नहीं दी गई है।
वित्तीय शक्तियां	<ul style="list-style-type: none"> • अपनी-अपनी परिषद के लिए बजट तैयार करने का अधिकार। • भू-राजस्व का आकलन करने व एकत्र करने और व्यवसायों, व्यापारों आदि पर कर लगाने का अधिकार दिया गया है। • उन्हें अपने अधिकार-क्षेत्र में खनिजों के निष्कर्षण के लिए लाइसेंस या पट्टा देने की शक्ति दी गई है।

⁴ Guardians and Wards Act

⁵ Autonomous District Councils

⁶ Autonomous Regional Councils

पांचवी और छठी अनुसूची

विशेषताएं	पांचवी अनुसूची	छठी अनुसूची
<p>कहां लागू</p>	यह भारत के किसी भी राज्य के कुछ जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है (वर्तमान में 10 राज्यों में)	यह भारत के चार पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है
<p>प्रशासन</p>	जनजातीय सलाहकार परिषद (Tribal Advisory Council: TAC)	जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद
<p>प्रशासनिक शक्ति</p>	राज्यों की विधान सभा का गठन होने के कारण TAC के पास सीमित शक्तियां हैं, जो अधिकतर कार्यकारी हैं	परिषद को कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियों सहित व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। ये सभी शक्तियां संविधान से प्राप्त हुई हैं
<p>मुख्य कार्य</p>	जनजातीय अधिकारों की सुरक्षा पर बल देना	स्वशासन पर अधिक बल
<p>पेसा (PESA) अधिनियम, 1996</p>	लागू है	लागू नहीं है

1.1.3. अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान (Minority Educational Institutions: MEIs)

सुर्खियों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे से संबंधित मामले से पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों (MEI) के बारे में

- संविधान का अनुच्छेद 30(1) भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित है। इस अनुच्छेद में इन्हें अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है।
- अनुच्छेद 30(1) में दिए गए अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग अधिनियम (NCMEIA), 2004 बनाया गया है।
 - राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग, एक अर्ध-न्यायिक निकाय है। इसे सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त हैं। यह किसी भी संस्थान के अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में दर्जे से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय लेता है।
- केंद्र सरकार ने छह समुदायों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया हुआ है। ये समुदाय हैं: मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन।
 - हालांकि, भारतीय संविधान में 'अल्पसंख्यक समुदाय' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है।

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों (MEIs) को प्राप्त विशिष्ट विशेषाधिकार:

- अनुच्छेद 30(1A) के तहत किसी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित और प्रशासित शैक्षणिक संस्थान की किसी भी परिसंपत्ति के अधिग्रहण के बदले उचित मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है।
- MEIs को केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 की धारा 3 के तहत आरक्षण नीति लागू करने की आवश्यकता नहीं है। इस अधिनियम को 2012 में संशोधित किया गया था।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले और सहायता नहीं प्राप्त करने वाले MEIs पर लागू नहीं होता है।

1.2. संसद, राज्य विधान-मंडल/ स्थानीय सरकार की कार्य-प्रणाली (Functioning of Parliament, State Legislature/ Local Government)

<p>राज्य सभा में उप-सभापतियों का पैनल</p>	<ul style="list-style-type: none"> उप-राष्ट्रपति और राज्य सभा सभापति ने उप-सभापतियों के पैनल का पुनर्गठन किया। सभापति राज्यों की परिषद (राज्य सभा) में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 8 के तहत उप-सभापतियों के एक पैनल का गठन करता है। <ul style="list-style-type: none"> इन नियमों के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत प्रावधान किए गए हैं। सभापति और उप-सभापति की अनुपस्थिति में पैनल का कोई भी सदस्य राज्य सभा की कार्यवाही की अध्यक्षता कर सकता है। नए पैनल के नामांकित होने तक वे इस हेतु प्राधिकृत रहते हैं। जब सभापति/ उप-सभापति या उप-सभापतियों के पैनल में से कोई भी सदस्य उपस्थित नहीं होता है तब सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन राज्य सभा का कोई अन्य सदस्य करता है।
<p>धन्यवाद प्रस्ताव (Motion of Thanks)</p>	<ul style="list-style-type: none"> प्रधान मंत्री ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 'धन्यवाद प्रस्ताव' पर चर्चा का जवाब दिया। धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में <ul style="list-style-type: none"> यह सदन में पेश किया जाने वाला एक औपचारिक प्रस्ताव है। इसमें संविधान के अनुच्छेद 87(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अभिभाषण के लिए उनका आभार व्यक्त किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 87 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करने और इसके आरंभ में संसद को इसके आह्वान के कारणों के बारे में सूचित करने की आवश्यकता है:- <ul style="list-style-type: none"> लोक सभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेगा। इसे संसद के दोनों सदनों में अपनाया जाना जरूरी होता है। इस प्रस्ताव को संशोधनों के साथ अपनाया जा सकता है।
<p>बिना पोर्टफोलियो वाले मंत्री (Minister without Portfolio)</p>	<ul style="list-style-type: none"> मद्रास हाई कोर्ट ने एक आरोपी व्यक्ति को बिना किसी पोर्टफोलियो के मंत्री पद पर बनाए रखने के चलते तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा है। बिना पोर्टफोलियो वाले मंत्री के बारे में: <ul style="list-style-type: none"> भारत सरकार (कार्य आबंधन) नियम, 1961 के तहत भारत का राष्ट्रपति प्रधान मंत्री की सलाह पर बिना पोर्टफोलियो के किसी केंद्रीय मंत्री को विशेष कार्य की जिम्मेदारियां सौंप सकता है। ऐसे मंत्रियों के पास कोई विभाग/ कार्यालय नहीं होता है, लेकिन वे मंत्रियों को मिले सभी सुविधाओं और विशेषाधिकारों के हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्ति को एक मंत्री के तौर पर कोई वेतन और भत्ता नहीं दिया जाता है। वह विधान-मंडल के सदस्य के रूप में वेतन और भत्ता पाता है।
<p>छावनियों का डी-नोटिफिकेशन (Denotification of Cantonments)</p>	<ul style="list-style-type: none"> रक्षा मंत्रालय ने 10 छावनियों के सिविल (असैन्य) क्षेत्रों को संबंधित राज्य स्थानीय निकायों में विलय के लिए डी-नोटिफाई किया। इससे पहले, 2023 में रक्षा मंत्रालय ने छावनियों के संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना के तहत राज्यों को कुछ छावनियों के सिविल क्षेत्रों को उनसे अलग करने तथा उन्हें उनकी निकटतम स्थानीय नगर पालिकाओं के अधीन लाने पर विचार करने के लिए कहा गया था। <ul style="list-style-type: none"> इस प्रकार, अब छावनियों के सैन्य क्षेत्रों को मिलिट्री स्टेशंस नाम दिया जाएगा। ये स्टेशंस सेना के पूर्ण नियंत्रण में होंगे। छावनियों के बारे में <ul style="list-style-type: none"> ये ऐसे क्षेत्र होते हैं, जहां सैन्य टुकड़ियों के लिए किलेबंदी की जाती है। यहां मुख्य रूप से सैनिकों के आवास होते हैं। हालांकि, यहां असैन्य नागरिक भी मौजूद रहते हैं। उत्पत्ति: इन्हें 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। <ul style="list-style-type: none"> ऐसी पहली छावनी बैरकपुर (कोलकाता) में 1765 में स्थापित की गई थी। वर्तमान में भारत में 62 छावनियां हैं। प्रशासन: "छावनियों का स्थानीय स्वशासन" संघ सूची का विषय है। यह संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ सूची की प्रविष्टि 3 में उल्लिखित है।

1.3. न्यायपालिका (Judiciary)

1.3.1. भारत के सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष (75 Years of the Supreme Court of India)

सुर्खियों में क्यों?

प्रधान मंत्री ने 28 जनवरी को दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के सभागार में सुप्रीम कोर्ट की डायमंड जुबली समारोह का उद्घाटन किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस अवसर पर, प्रधान मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रौद्योगिकी से संबंधित निम्नलिखित पहलों की शुरुआत की।
 - डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स:** यह पहल सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को देश के आम नागरिकों तक निःशुल्क और इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध कराएगा।
 - डिजिटल कोर्ट्स 2.0:** यह एप्लीकेशन ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई एक नई पहल है। इसके तहत जिला न्यायालयों के जजों को कोर्ट के रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध कराए जाएंगे।
 - ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट को 2013 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारत की अदालती प्रणाली को डिजिटल बनाकर और न्याय तक पहुंच में सुधार करके इस प्रणाली को आधुनिक बनाना है।

भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में

- संविधान के अनुच्छेद 124(1) के अनुसार, भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, जिसमें भारत का एक मुख्य न्यायाधीश (CJI) होगा। अन्य न्यायाधीशों की संख्या सात से कम नहीं होनी चाहिए, जब तक कि संसद कानून के माध्यम से इससे अधिक संख्या निर्धारित न करे।
 - वर्तमान में, सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश (कुल 34 न्यायाधीश) हैं।
- संवैधानिक प्रावधान:** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 में सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है।

भारत के सुप्रीम कोर्ट की मुख्य विशेषताएं



अनुच्छेद 131 के तहत संघीय विवादों पर निर्णय करने का आरंभिक और अनन्य अधिकारिता



अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए आरंभिक अधिकारिता



अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने विवेकानुसार भारत के राज्यक्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित आदेश की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकता है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का भारत में सभी न्यायालयों या अधिकरणों पर व्यापक अपीलीय अधिकारिता है।



अनुच्छेद 143 के तहत सलाहकारी अधिकारिता



अनुच्छेद 137 के तहत स्वयं के किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति

संबंधित तथ्य

सुप्रीम कोर्ट (SC) की क्षेत्रीय पीठें

- कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसद की स्थायी समिति ने संसद को सूचित किया है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठें स्थापित करने संबंधी उसकी सिफारिश को स्वीकार कर लिया है।
- सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 130 का उपयोग कर अपनी क्षेत्रीय पीठों की स्थापना कर सकता है।
 - संविधान के अनुच्छेद 130 में प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में स्थापित होगा, जिसे या जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की अनुमति से समय-समय पर निर्धारित करे।



1.3.2. भारत में अधिकरण प्रणाली (Tribunal System in India)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि अधिकरण सरकार को नीति निर्माण के लिए निर्देश नहीं दे सकते।

अन्य संबंधित तथ्य

- सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में सशस्त्र बल अधिकरण (AFT)⁷ के उस निर्देश को रद्द कर दिया, जिसमें सरकार को जज एडवोकेट जनरल के पद को भरने के लिए नीति बनाने को कहा गया था।
 - AFT की स्थापना 2007 के AFT अधिनियम के अधीन की गई थी।
 - AFT अधिनियम थल सेना अधिनियम, 1950; नौसेना अधिनियम, 1957; और वायु सेना अधिनियम, 1950 के अधीन आने वाले कार्मिकों से संबंधित विवादों के न्याय निर्णयन के लिए AFT का प्रावधान करता है। इन विवादों में सर्विस कमीशन, नियुक्ति, नामांकन और सेवा शर्तों से संबंधित विवाद शामिल हैं।
 - इसके अलावा, यह उपर्युक्त अधिनियमों के तहत सेना न्यायालय के आदेशों, निष्कर्षों या दण्डादेशों के खिलाफ अपील तथा उनसे संबंधित अन्य विषयों का भी उपबंध करता है।
 - AFT के पास सिविल कोर्ट की शक्तियां होती हैं।
- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकरण संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अधीन होते हैं। इस कारण किसी भी अधिकरण को सरकार को नीति तैयार करने का निर्देश देने की कानूनी अनुमति नहीं दी जा सकती है।
 - इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नीति निर्माण करना न्यायपालिका के कार्य-क्षेत्र में नहीं आता है।

अधिकरण प्रणाली के बारे में

- प्रकृति: अधिकरण अर्ध-न्यायिक (Quasi-judicial) निकाय होते हैं। इनका उद्देश्य न्यायपालिका पर मुकदमों के भार को कम करना है। इसके अलावा, अधिकरणों में तकनीकी विषयों से जुड़े मामलों के निपटान के लिए विषय विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं, जिससे फैसला सुनाना आसान हो जाता है।
- संवैधानिक मान्यता: 1976 में, 42वें संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 323A और 323B को भारत के संविधान में जोड़ा गया था।
 - अनुच्छेद 323A: यह संसद को लोक सेवकों की भर्ती और उनकी सेवा शर्तों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए प्रशासनिक अधिकरण गठित करने का अधिकार देता है। संसद केंद्र और राज्य, दोनों स्तरों पर अधिकरणों का गठन कर सकती है।
 - अनुच्छेद 323B: इसके तहत अन्य विषयों (जैसे- कराधान, भूमि सुधार आदि) के लिए अधिकरणों की स्थापना से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इन विषयों के लिए संसद या राज्य विधान-मंडल कानून बनाकर अधिकरणों का गठन कर सकते हैं।
 - 2010 में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अनुच्छेद 323B के तहत निर्धारित विषयों पर केवल संसद का ही अनन्य अधिकार नहीं है। राज्य विधान-मंडल संविधान की सातवीं अनुसूची में उल्लिखित उनके अधिकार-क्षेत्र के अधीन आने वाले किसी भी विषय पर अधिकरण का गठन कर सकते हैं।
- अधिकरणों की संरचना: पारंपरिक अदालतों के विपरीत, अधिकरणों में न्यायिक सदस्यों के साथ-साथ विशेषज्ञ सदस्य (यानी तकनीकी सदस्य) भी नियुक्त किए जाते हैं।
- क्षेत्राधिकार: प्रत्येक अधिकरण को उनकी विशेषज्ञता के घोषित क्षेत्र के भीतर मामलों की सुनवाई करने और निर्णय लेने के लिए विशिष्ट क्षेत्राधिकार दिया गया है।
 - कुछ अधिकरणों के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है। इसका अर्थ है कि वे अधिकरण अपने से नीचे के प्राधिकरणों या प्राधिकारियों या सरकारी निकायों द्वारा दिए गए निर्णयों के खिलाफ अपील सुन सकते हैं।
- अपील: सामान्यतः अधिकरणों के फैसलों के खिलाफ अपील संबंधित हाई कोर्ट में की जाती है। हालांकि, कुछ ऐसे कानून भी हैं जिनके अंतर्गत अपीलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाएगी।
 - एल. चंद्र कुमार वाद (1997) में, सुप्रीम कोर्ट ने अधिकरणों के फैसलों के खिलाफ संबंधित हाई कोर्ट की खंडपीठ में अपील करने की अनुमति प्रदान की थी।

⁷ Armed Forces Tribunal

भारतीय अधिकरण प्रणाली का विकास क्रम



1941	<ul style="list-style-type: none"> ➤ आयकर अपीलिय अधिकरण की स्थापना की गई। यह भारत का पहला अधिकरण था।
1976	<ul style="list-style-type: none"> ➤ स्वर्ण सिंह समिति (1976) ने माना कि उच्च न्यायालयों में लोक सेवकों की सेवा शर्तों से संबंधित बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। इसके बाद 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 323A और 323B शामिल किए गए। इनमें अधिकरण की स्थापना से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
1980 के दशक से	<ul style="list-style-type: none"> ➤ अलग-अलग अधिनियमों के तहत कई अधिकरणों की स्थापना की गई। ➤ इनमें प्रशासनिक मामलों के लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के निर्णयों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए प्रतिभूति अपीलिय अधिकरण आदि शामिल हैं।
2017	<ul style="list-style-type: none"> ➤ वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा अधिकरण प्रणाली को पुनर्गठित किया गया। इसके माध्यम से एक जैसे कार्य करने वाले अधिकरणों का विलय कर दिया गया। अधिकरणों की संख्या 26 से घटाकर 19 कर दी गई। ➤ इस अधिनियम ने केंद्र सरकार को इन अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए पात्रता, नियुक्ति, पद से हटाने और सेवा-शर्तों के लिए नियम बनाने की शक्तियां सौंप दी।
2021	<ul style="list-style-type: none"> ➤ अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 बनाया गया। ➤ इस अधिनियम ने कुछ अधिकरणों (जैसे- फिल्म प्रमाणन अपीलिय अधिकरण, बौद्धिक संपदा अपीलिय बोर्ड आदि) को भंग कर दिया और उनके कार्यों को मौजूदा न्यायिक संस्थाओं (मुख्य रूप से उच्च न्यायालयों) को सौंप दिया। ➤ इस अधिनियम ने कुछ अधिकरणों में अनेक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव भी किए।

1.3.3. मानहानि (Defamation)

सुर्खियों में क्यों?

विधि आयोग की **285वीं** रिपोर्ट में **आपराधिक मानहानि** को नए आपराधिक कानून में बनाए रखने की सिफारिश की गई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस रिपोर्ट में इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि **“जीवन की गरिमा”** संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। इसमें यह **“प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण”** के मूल अधिकार का एक पहलू है। ऐसे में, लोगों को उनके खिलाफ अपमानजनक भाषाओं के इस्तेमाल और बेबुनियाद आरोपों से पर्याप्त संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है।
 - संविधान के अनुच्छेद 19(2) में अनुच्छेद 19(1)(A) के तहत प्रदत्त वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए गए हैं। मानहानि के आधार पर वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं।
- मानहानि का अर्थ किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से प्रकाशित या अभिव्यक्त कोई असत्य और अपमानजनक टिप्पणी करना है।
 - भारत में मानहानि आपराधिक तथा सिविल, दोनों प्रकार का अपराध हो सकती है।
 - **आपराधिक मानहानि** के तहत दोषी व्यक्ति को जेल की सजा हो सकती है अथवा जुर्माना लगाया जा सकता है।
 - **सिविल मानहानि** के तहत कोई “पीड़ित” व्यक्ति मानहानि वाले कथनों से अपनी प्रतिष्ठा को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति की मांग हेतु अदालत में याचिका दायर कर सकता है।

मानहानि पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय

- **सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ (2016)** वाद: सुप्रीम कोर्ट ने **IPC की धारा 499** को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया था।
- **चमन लाल बनाम पंजाब राज्य (1970)** वाद: सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि के मामलों में **नेक इरादा और प्रमाणिकता साबित करने के लिए मानदंड स्थापित** किए थे।

संविधान तथा कानूनों में आपराधिक मानहानि से संबंधित प्रावधान

- **भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860** की धारा **499-502** के तहत आपराधिक मानहानि से संबंधित व्यापक प्रावधान किए गए हैं।
 - धारा 499: मानहानि की व्यापक परिभाषा दी गई है।
 - धारा 500: दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की कैद या फिर जुर्माना या दोनों तरह की सजा का प्रावधान किया गया है।
 - **भारतीय न्याय संहिता, 2023** में दोषी व्यक्ति को **“सामुदायिक सेवा करने”** की सजा देने का नया प्रावधान किया गया है।

1.3.4. परिहार (Remission)

सुर्खियों में क्यों?

बिलकिस बानो मामले के 11 दोषियों को गुजरात सरकार द्वारा समय से पहले रिहाई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है।

परिहार के बारे में

- जब किसी दोषी को दिए गए दंड (यानी सजा) की प्रकृति को बदले बिना सजा की अवधि को कम कर दिया जाता है तो उसे दंड का परिहार (Remission) कहा जाता है।
- राज्य अपनी परिहार-नीति (Remission Policy) के तहत दोषियों को समय से पहले रिहा कर सकता है।

परिहार (Remission) से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 72 भारत के राष्ट्रपति को किसी भी अपराध हेतु दोषी ठहराए गए व्यक्ति को दिए गए दंड को माफ करने (Pardon), निलंबित करने (Suspend), परिहार करने (Remission) या लघुकरण करने (Commutation) का अधिकार देता है। राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है:
 - यदि दंड सेना न्यायालय (कोर्ट मार्शल) ने दिया है;
 - यदि दंड संघ की कार्यपालिका शक्ति (Executive power) के तहत आने वाले कानून के दायरे में दिया गया है; और
 - यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दी गई है।
- इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत, राज्यपाल की शक्तियां भी राष्ट्रपति के ही समान हैं। हालांकि, राज्यपाल की ये शक्तियां केवल राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अधीन ही होती हैं।
 - राज्यपाल मृत्युदंड को निलंबित कर सकता है, परिहार कर सकता है या उसका लघुकरण कर सकता है। हालांकि, मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है।

परिहार (Remission) से संबंधित कानूनी आधार

- आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 की "धारा 432" सरकार को किसी व्यक्ति को दी गई सजा को 'निलंबित' करने या 'परिहार' की शक्ति प्रदान करती है।
- CrPC की धारा 433A में 14 साल की सजा काट चुके लोगों के लिए 'परिहार' का प्रावधान है।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 473, 475, 476 और 477 में परिहार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।

परिहार (Remission) को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला



लक्ष्मण नस्कर बनाम भारत संघ वाद (2000): सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दंड के परिहार के लिए निम्नलिखित पांच आधारों पर विचार किया जाना चाहिए:

- क्या घटित अपराध से समाज बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ है;
- क्या अपराध को फिर से दोहराए जाने की संभावना है;
- क्या दोषी द्वारा भविष्य में अपराध करने की संभावना है;
- क्या दोषी को जेल में अनावश्यक रखकर कोई अन्य उद्देश्य पूरा किया जा रहा है; और
- दोषी के परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति।



हरियाणा राज्य बनाम राजकुमार वाद (2021): इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि CrPC की धारा 433A किसी भी तरह से संविधान के अनुच्छेद 72 या 161 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को मिली संवैधानिक शक्ति को प्रभावित नहीं कर सकती है।

1.3.5. अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां (Other Important News)

<p>एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AoR)</p>	<ul style="list-style-type: none"> भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक समिति ने 56 वकीलों और AoR को “वरिष्ठ अधिवक्ता” के रूप में नामित किया है। इनमें 11 महिलाएं भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट नियमावली, 2013 में एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AoR) का दर्जा पाने के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। <ul style="list-style-type: none"> AoR से आशय ऐसे वकीलों से है, जो उपर्युक्त नियमावली के तहत कार्य करने के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट में किसी पक्षकार का पक्ष रखने के लिए अधिकृत होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केवल AoR ही किसी मामले में किसी पक्ष की ओर से उपस्थित हो सकता है, पक्ष प्रस्तुत कर सकता है या बहस कर सकता है। <ul style="list-style-type: none"> हालांकि, AoR या सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से किसी अन्य वकील को भी किसी पक्षकार की ओर से उपस्थित होने की मंजूरी दी जा सकती है।
<p>जमानत (Bail)</p>	<ul style="list-style-type: none"> CJI ने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि मामलों की सुनवाई कर रहे न्यायाधीशों में जमानत देने से मना करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत “प्राण या दैहिक स्वतंत्रता” के अधिकार का उल्लंघन है। किसी अपराध के आरोपी या अभियुक्त व्यक्ति को कानूनी हिरासत से अस्थायी तौर पर फ्री करना जमानत (बेल) कहलाता है। हालांकि, यह बेल उस अभियुक्त द्वारा एक बॉण्ड या जमानत बॉण्ड जमा करवाने के बाद अधिकृत प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन होती है। अंतरिम जमानत सीमित समय के लिए दी जाती है। यह नियमित जमानत या अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई से पहले दी जाती है। नियमित जमानत (Regular Bail): इसकी मांग ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है, जिसे गिरफ्तार किया गया है या जो पुलिस हिरासत में है। अग्रिम जमानत (Anticipatory bail): इसकी मांग उन लोगों द्वारा की जाती है, जिन्हें गैर-जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार होने की आशंका है। डिफॉल्ट बेल: डिफॉल्ट बेल को बाध्यकारी या वैधानिक जमानत के रूप में भी जाना जाता है। यह दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 167(2) के तहत प्रदान की जाती है। <ul style="list-style-type: none"> यह कानून द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर जांच पूरी करने और आरोप-पत्र दाखिल करने में होने वाली अत्यधिक देरी के कारण आरोपी को हिरासत में रखने से सुरक्षा प्रदान करती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत किए गए बदलाव: <ul style="list-style-type: none"> यदि पहली बार अपराध करने वाले किसी व्यक्ति ने उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास अवधि की एक-तिहाई अवधि को हिरासत में बिता लिया है, तो उसे जमानत दे दी जाएगी। नए कानून में किसी विचाराधीन कैदी को जमानत देने से इनकार करने से संबंधित एक सख्त प्रावधान जोड़ा गया है। इसके तहत यदि किसी विचाराधीन कैदी के खिलाफ एक से अधिक या कई आपराधिक मामलों में जांच, पूछताछ या कोई मुकदमा लंबित है, तो उस विचाराधीन कैदी को जमानत देने से इनकार किया जा सकता है। नए कानून में यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी विचाराधीन कैदी ने जेल में किसी अपराध के लिए निर्धारित सजा की एक-तिहाई या आधी सजा पूरी कर ली है, तो जेल अधीक्षक को उस विचाराधीन कैदी को जमानत पर रिहा करने के लिए अदालत में लिखित रूप में एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इस आधार पर जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी अपराधी को पहले पंद्रह दिनों से अधिक दिनों तक पुलिस हिरासत में रखने की आवश्यकता है।

1.4. चुनाव (Elections)

1.4.1. चुनावी बॉण्ड योजना (Electoral Bond Scheme)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य वाद में निर्णय देते हुए चुनावी बॉण्ड योजना को रद्द कर इसे असंवैधानिक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने “चुनावी बॉण्ड योजना” को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह योजना सूचना के अधिकार {अनुच्छेद 19(1)(a)} का उल्लंघन करती है।

चुनावी बॉण्ड योजना के बारे में

- चुनावी बॉण्ड्स प्रॉमिसरी नोट के जैसे जारी होते हैं। चुनावी बॉण्ड्स वस्तुतः धारक को मिलने वाले ब्याज रहित या ब्याज-मुक्त लिखत⁸ होते हैं। साथ ही, ये बियरर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, यानी इसमें खरीदार या प्राप्तकर्ता का नाम नहीं होता है।
- चुनावी बॉण्ड की विशेषताएं:
 - इन्हें नॉन-रिफंडेबल के आधार पर खरीदार को जारी किया जाता है।
 - इन्हें भारत का कोई नागरिक या भारत में निगमित या स्थापित कंपनियां/ संस्थाएं खरीद सकते/ सकती हैं। इस बॉण्ड को केवल भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की अधिकृत शाखाओं से ही खरीदा जा सकता है।
 - इसका उपयोग केवल उन पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता है, जिन्होंने पिछले लोक सभा या विधान सभा चुनाव में कम-से-कम 1% वोट हासिल किए हों।
- ये राजनीतिक दलों के लिए उन औपचारिक बैंकिंग चैनलों के माध्यम से दान/ चंदा प्राप्त करना सुनिश्चित करते हैं, जिनका सरकारी अधिकारियों द्वारा ऑडिट किया जा सके। इस प्रकार ये पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं।
- प्रत्येक चुनावी बॉण्ड में एक विशिष्ट अल्फान्यूमेरिक संख्या होती है, जिसे पराबैंगनी किरणों के माध्यम से देखा जा सकता है।

वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा भारत में राजनीतिक दलों के वित्त-पोषण में बदलाव

विषय (वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा संशोधित कानून)	वित्त अधिनियम, 2017 से पहले	वित्त अधिनियम, 2017 के बाद
कॉर्पोरेट योगदान (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 182)	<ul style="list-style-type: none"> • एक वित्त वर्ष में किसी कंपनी द्वारा दिया जाने वाला राजनीतिक चंदा कंपनी के पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान अर्जित औसत शुद्ध लाभ के 7.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। • कंपनियों को अपने 'लाभ और हानि के खाते' में उस कंपनी के द्वारा किसी भी राजनीतिक दल को योगदान के रूप में दी गई राशि का खुलासा करना आवश्यक है। साथ ही, योगदान की गई कुल राशि और उस दल के नाम का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा। 	<ul style="list-style-type: none"> • राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाली कॉर्पोरेट फंडिंग की सीमा को हटा दिया गया। • भारत में निगमित या स्थापित किसी भी कंपनी को चुनावी बॉण्ड के माध्यम से योगदान करने की अनुमति प्रदान की गई। • कंपनियों को केवल राजनीतिक दलों को दी गई चंदा की कुल राशि का खुलासा करना आवश्यक है, न कि प्रत्येक राजनीतिक दल को दी गई राशि का विवरण बताना होता है।
काले धन पर रोक (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 1961 की धारा 13A)	<ul style="list-style-type: none"> • राजनीतिक दल को चंदा देने वालों के नाम और पते के साथ 20,000 रुपये से अधिक के स्वैच्छिक योगदान का रिकॉर्ड रखना होगा। • व्यक्तियों के लिए राजनीतिक चंदा 'नकद' में देने की अनुमति दी गई। 	<ul style="list-style-type: none"> • राजनीतिक दलों को चुनावी बॉण्ड के माध्यम से मिलने वाले चंदा का रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं है। • 2,000 रुपये से अधिक का दान केवल चेक, बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या चुनावी बॉण्ड के माध्यम से ही प्राप्त किया जाना चाहिए।
पारदर्शिता (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29C)	<ul style="list-style-type: none"> • राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये से अधिक के चंदा की जानकारी ECI को देनी होगी। 	<ul style="list-style-type: none"> • राजनीतिक दलों को चुनावी बॉण्ड से प्राप्त चंदा की जानकारी ECI को देना आवश्यक नहीं है।

⁸ Interest-free bearer bonds or money instruments

संबंधित तथ्य

राजनीतिक दल और आयकर

- हाल ही में, आयकर विभाग ने एक राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल से आयकर रिटर्न दाखिल करने में विसंगति और देरी के लिए 210 करोड़ रुपये के जुमाने की मांग की है।
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13A लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत राजनीतिक दलों को आयकर का भुगतान करने से छूट प्रदान करती है।
 - छूट के लिए संबंधित दलों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होता है:
 - वही खातों और अन्य दस्तावेजों का रख-रखाव,
 - राजनीतिक दलों के खाते कानून के अनुसार ऑडिट किए गए हों आदि।
 - हालांकि, आयकर अधिनियम की धारा 139(4B) के तहत, राजनीतिक दलों को अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है यदि:
 - उनकी कुल आय (धारा 13A के तहत प्राप्त छूट से पहले) कर छूट सीमा से अधिक है।

1.4.2. नगरपालिका चुनाव (Municipal Elections)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने "पूर्ण न्याय (Complete justice)" सुनिश्चित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर चुनाव के परिणामों को अमान्य और रद्द घोषित कर दिया।

नगरपालिका चुनाव के बारे में

- नगर निगमों के चुनाव, संबंधित राज्य सरकार के विधान-मंडल द्वारा बनाए गए नगर निगम अधिनियम के अनुसार होते हैं। हालांकि, नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों के चुनाव संबंधित नगरपालिका अधिनियम के अनुसार होते हैं।


नगरपालिकाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- नगरपालिकाओं की संरचना (अनुच्छेद 243R): नगरपालिकाओं की सभी सीटें प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नगरपालिका क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से चयनित व्यक्तियों द्वारा भरी जाएंगी।
 - इस उद्देश्य के लिए, प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा, जिन्हें वार्ड के नाम से जाना जाएगा।
- सीटों का आरक्षण (अनुच्छेद 243T): इसमें संबंधित नगरपालिका अधिनियमों के अनुसार पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और अन्य समूहों के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी।
 - आरक्षित सीटों की कुल संख्या का कम-से-कम 1/3 हिस्सा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।
- नगरपालिकाओं का कार्यकाल (अनुच्छेद 243U): प्रत्येक नगरपालिका अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी।
 - नई नगरपालिका के गठन के लिए अगले चुनाव का आयोजन नगरपालिका की अवधि समाप्त होने से पहले किया जाना अनिवार्य है।

अनुच्छेद 142 के बारे में

- यह अनुच्छेद शीर्ष न्यायालय को उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में 'पूर्ण न्याय' करने के लिए डिक्ली या आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करता है।
- यह सुप्रीम कोर्ट को विशेष स्थिति में कार्यकारी और विधायी कार्यों को पूरा करने में सक्षम बनाता है। इसमें सरकारी निकायों या अन्य अधिकारियों को दिशा-निर्देश, अन्य निर्देश या आदेश जारी करना शामिल है।
- यह सुप्रीम कोर्ट को लोक हित, मानवाधिकारों, संवैधानिक मूल्यों या मौलिक अधिकारों से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है। साथ ही, इनके किसी भी प्रकार के उल्लंघन या अतिक्रमण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।
- यह अनुच्छेद संविधान के संरक्षक और कानून के अंतिम व्याख्याकार के रूप में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को बढ़ाता है। साथ ही, यह न्यायिक सक्रियता के रूप में भी कार्य करता है।

शहरी स्थानीय सरकार की तीन श्रेणियां



- यदि नगरपालिका को 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले भंग कर दिया जाता है, तो नई नगरपालिका के गठन के लिए चुनाव का आयोजन उसे भंग किए जाने की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर करवाना अनिवार्य है।
- यदि किसी नगरपालिका का उसकी अवधि पूर्ण होने से पहले विघटन कर दिया जाता है, तो विघटन के बाद गठित नगरपालिका केवल शेष अवधि के लिए बनी रहेगी।
- यदि विघटित नगरपालिका का कार्यकाल 6 माह से कम है, तो उस अवधि के दौरान चुनाव करवाना आवश्यक नहीं होगा।
- राज्य निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 243ZA): यह नगरपालिकाओं के लिए मतदाता सूची तैयार करता है। साथ ही, नगरपालिकाओं के सभी चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करता है।

शहरी स्थानीय निकाय (ULBs)⁹ और नगर निगम

- किसी नगर निगम में तीन प्राधिकरण होते हैं: परिषद, स्थायी समिति और आयुक्त।
 - परिषद: इसमें पार्षद शामिल होते हैं। यह निगम की विचार-विमर्श करने वाली और विधायी शाखा है। इसका नेतृत्व मेयर करता है। उसकी सहायता के लिए एक डिप्टी मेयर होता है।
 - हालांकि, मेयर नाममात्र का प्रमुख होता है। उसे शहर के प्रथम नागरिक के रूप में मान्यता प्राप्त है।
 - स्थायी समितियां: ये समितियां परिषद के काम-काज को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाई जाती हैं, जो संख्या में बहुत अधिक होती हैं।
 - नगर आयुक्त: यह परिषद और उसकी स्थायी समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है।
- भारतीय शहरों में मुख्य रूप से आयुक्त मॉडल यानी 'मुख्य कार्यकारी के रूप में आयुक्त (CACE)¹⁰ मॉडल का पालन किया जाता है। यह मॉडल मेयर मॉडल यानी 'प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कार्यकारी मेयर (DEEM)¹¹ मॉडल के विपरीत है।
 - DEEM मॉडल: इस मॉडल में मेयर अग्रणी होता है और उसके पास व्यापक कार्यकारी शक्तियां होती हैं।
 - CACE मॉडल: इस मॉडल में आयुक्त (Commissioner) अग्रणी होता है और कार्यकारी शक्तियां उसी के पास होती हैं।
- देश के प्रत्येक राज्य ने अपने यहां नगरपालिकाओं के गठन के लिए कानून बनाया है। यह कानून नगरपालिकाओं के कार्यों, संरचना, संसाधनों और नागरिक प्रशासन में उनकी भूमिका तय करता है।

1.4.3. आदर्श आचार संहिता {Model Code of Conduct (MCC)}

सुर्खियों में क्यों?

निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान तिथियों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता (MCC)¹² लागू हो गई है। देश में 19 अप्रैल से 1 जून तक सात चरणों में लोक सभा चुनाव होंगे और परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे।

आदर्श आचार संहिता (MCC) के बारे में

- यह चुनाव प्रक्रिया की अवधि में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण को नियंत्रित करने हेतु ECI द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का एक सेट है। इसका उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है।
- यह संहिता संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुरूप है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को संसद और राज्य विधान-मंडलों के चुनावों की निगरानी करने की शक्ति देता है।
- यह चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने की तिथि से लेकर परिणाम घोषित होने की तिथि तक लागू रहती है।

आदर्श चुनाव आचार संहिता (MCC) का विकासक्रम और ECI की भूमिका

- पहली बार 1960 में केरल राज्य के विधान सभा चुनावों में MCC लागू की गई थी।
- 1974 में ECI ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक "जिला स्तरीय स्थायी समिति" गठित करने का निर्देश दिया था। इसके तहत जिला कलेक्टर को MCC के उल्लंघन की निगरानी करनी थी।
- 1979 में ECI ने सत्तारूढ़ दल की गतिविधियों को विनियमित करने और अनुचित लाभ प्राप्त करने से रोकने के लिए एक नया उपबंध शामिल किया था।
- 2013 में एस.सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ECI से चुनावी घोषणा-पत्र से जुड़े दिशा-निर्देश जारी करने का आदेश दिया था। इस निर्णय के बाद आयोग ने इसे MCC में शामिल किया था।

⁹ Urban Local Bodies

¹⁰ Commissioner As Chief Executive

¹¹ Directly Elected Executive Mayor

¹² Model Code of Conduct

- इसे किसी कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। हालांकि, इसके कुछ प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 जैसे कानूनों के माध्यम से लागू किए जा सकते हैं।

MCC लागू होने के बाद प्रतिबंधित गतिविधियां

- उम्मीदवार वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं कर सकते। इसके अलावा, सरकार नई परियोजनाएं शुरू नहीं कर सकती।
- अवसंरचना विकास (जैसे-सड़क) से जुड़े प्राधिकरणों की ओर से कोई वादा नहीं किया जा सकता।
- सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमों में किसी भी प्रकार की अस्थाई नियुक्ति पर रोक लगा दी जाती है।
- मंत्री या उम्मीदवार विवेकाधीन निधि से अनुदान या भुगतान की मंजूरी नहीं दे सकते।
- चुनाव प्रचार के लिए सरकारी परिवहन साधनों, सरकारी मशीनरी जैसे संसाधनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है।

1.4.4. अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां (Other Important News)

<p>पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (Registered Unrecognised Political Parties: RUPPs)</p>	<ul style="list-style-type: none"> भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPPs) को चुनाव चिन्ह आवंटित करने के लिए नए नियम लागू किए हैं। <ul style="list-style-type: none"> नए नियमों के तहत RUPPs को चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन के साथ-साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे: <ul style="list-style-type: none"> पिछले तीन वित्तीय वर्षों के ऑडिटेड एकाउंट्स के विवरण; पिछले दो चुनावों में किए गए व्यय का ब्यौरा; RUPPs ऐसे राजनीतिक दल होते हैं, जिन्हें विधान सभा या लोक सभा के आम चुनावों में इतने मत (प्रतिशत में) प्राप्त नहीं होते हैं कि उन्हें राज्य स्तरीय दल (State party) का दर्जा दिया जा सके। <ul style="list-style-type: none"> RUPPs में नए पंजीकृत दल या ऐसे दल भी शामिल होते हैं जिन्होंने पंजीकृत होने के बाद से कभी भी चुनाव नहीं लड़ा है। ECI चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के तहत राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है।
<p>आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति (Internally Displaced Persons: IDP)</p>	<ul style="list-style-type: none"> भारतीय निर्वाचन आयोग ने आगामी चुनावों में 'राहत शिविरों में बोट डालने के लिए मणिपुर के आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (IDPs) के लिए एक योजना' अधिसूचित की है। <ul style="list-style-type: none"> इस कदम से अपने मूल निवास स्थानों से विस्थापित हुए लोगों को मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा मिलेगी। IDPs: संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के अनुसार IDPs ऐसे लोग हैं जो सशस्त्र संघर्ष, हिंसा, मानवाधिकारों के उल्लंघन या आपदाओं के कारण अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हालांकि, वे अपने देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बाहर नहीं जाते हैं।
<p>अमिट स्याही (मतदाता स्याही) {Indelible Ink (Voter's Ink)}</p>	<ul style="list-style-type: none"> भारतीय निर्वाचन आयोग ने अमिट स्याही के एकमात्र निर्माता मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड (MPVL) को 26.55 लाख शीशियां बनाने का ऑर्डर दिया है। यह अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 49K में प्रावधान किया गया है कि पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी प्रत्येक मतदाता की बायीं तर्जनी अंगुली का निरीक्षण कर सकता है और उस पर एक अमिट स्याही का निशान लगा सकता है। इसे अमिट स्याही इसलिए कहा जाता है, क्योंकि एक बार लगाने के बाद इसे कई महीनों तक किसी रसायन, डिटर्जेंट, साबुन या तेल से नहीं हटाया जा सकता। इसका रंग पर्पल होता है। इसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है, जो नाखून के साथ अभिक्रिया करने और प्रकाश के संपर्क में आने पर गहरा हो जाता है।
<p>नामांकन प्रक्रिया (Nomination process)</p>	<ul style="list-style-type: none"> उम्मीदवार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33 के तहत नामांकन दाखिल करते हैं। <ul style="list-style-type: none"> नामांकन दाखिल करने की तिथि भारत का निर्वाचन आयोग तय करता है। उम्मीदवार या उसके किसी प्रस्तावक द्वारा नामांकन-पत्र रिटर्निंग ऑफिसर (RO) या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपना होता है।

	<ul style="list-style-type: none"> जिस निर्वाचन क्षेत्र में कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ता है, केवल उसी निर्वाचन क्षेत्र का एक निर्वाचक ही प्रस्तावक हो सकता है। किसी मान्यता प्राप्त दल का कोई उम्मीदवार जिस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ता है, प्रस्तावक के रूप में उस निर्वाचन क्षेत्र के केवल एक मतदाता की आवश्यकता होती है। वहीं, निर्दलीय या पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के मामले में 10 प्रस्तावकों की आवश्यकता होती है। <ul style="list-style-type: none"> कोई उम्मीदवार एक निर्वाचन क्षेत्र से अधिकतम 4 नामांकन दाखिल कर सकता है। अवकाश के दिन नामांकन-पत्र दाखिल नहीं किए जा सकते हैं।
डाक मतपत्र (Postal Ballot)	<ul style="list-style-type: none"> भारतीय निर्वाचन आयोग ने आवश्यक सेवा कर्मियों के लिए डाक मतपत्र अधिसूचित किए हैं। डाक मतपत्र डाक के माध्यम से मत डालने का एक तरीका है। यह सुविधा उन लोगों को प्रदान की जाती है, जो शारीरिक रूप से उपस्थित होने में असमर्थ होने के कारण अपना मत नहीं दे पाते हैं। डाक मतपत्र के लिए पात्र मतदाता निम्नलिखित हैं: <ul style="list-style-type: none"> आवश्यक सेवाओं में नियोजित मतदाता: सशस्त्र बलों के सदस्य; राज्य के सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य सरकारी कर्मचारी आदि। अनुपस्थित (Absentee) मतदाता: वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन आदि। चुनाव के दौरान ड्यूटी पर लगाए गए मतदाता या प्रिवेंटिव डिटेन्शन के तहत मतदाता। उल्लेखनीय है कि डाक मतपत्र के लिए उपयोग किया जाने वाला मतपत्र EVM हेतु उपयोग किए जाने वाले मतपत्र से अलग होता है।

1.5. महत्वपूर्ण कानून/ विधेयक (Important Legislations/Bills)

1.5.1. नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 {Citizenship (Amendment) Rules, 2024}

सुर्खियों में क्यों?

गृह मंत्रालय ने नागरिकता नियम, 2009 में संशोधन किया है और नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया है। ऐसा नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA)¹³, 2019 को लागू करने के उद्देश्य से किया गया है।

पृष्ठभूमि

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार, संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। संसद ने इसी अनुच्छेद के तहत प्राप्त शक्ति का उपयोग करते हुए CAA, 2019 को पारित किया है। दिसंबर, 2019 में इसे राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई थी।
 - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह नागरिकता देने एवं उसे समाप्त करने तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों के लिए कोई भी प्रावधान कर सकती है।
- CAA का उद्देश्य प्रवासियों के एक विशेष समूह को नागरिकता प्रदान करना है, भले ही उनके पास 1955 के नागरिकता अधिनियम के अनुसार यात्रा के वैध दस्तावेज नहीं हैं।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 के बारे में

- इस संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि जो अवैध प्रवासी निम्नलिखित चार शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें अधिनियम के तहत अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा:
 - वे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई धर्म से हों;

OCIs को रद्द करने के पांच आधार

	धोखाधड़ी के जटिल पंजीकरण करवाना,
	संविधान के प्रति निष्ठा न रखना,
	युद्ध के दौरान शत्रु के साथ संपर्क रखना,
	यदि भारत की संप्रभुता, राष्ट्र की सुरक्षा या लोकहित को बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो, या
	यदि पंजीकरण के पांच साल के भीतर, प्रवासी भारतीय नागरिक को दो साल या उससे अधिक के कारावास की सजा सुनाई गई हो।

¹³ Citizenship Amendment Act

- वे अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए हों;
- उन्होंने 31, दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया हो; तथा
- वे संविधान की छठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ आदिवासी क्षेत्रों या 'इनर लाइन' परमिट (अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड) के तहत आने वाले क्षेत्रों में नहीं आते हों।
- केंद्र सरकार ने ऐसे प्रवासियों को पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम¹⁴, 1920 तथा फॉरिनर्स एक्ट, 1946 और इनके तहत बनाए गए नियमों या आदेशों के खिलाफ दंडित करने से छूट दी है।
- उपर्युक्त प्रवासियों के लिए देशीकरण (Naturalisation) के जरिए नागरिकता लेने की अवधि 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है।
- ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) पंजीकरण रद्द करने के पांच आधार: अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार कुछ दशाओं में ऐसे प्रवासियों का OCI पंजीकरण रद्द कर सकती है (इन्फोग्राफिक देखें)।

नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

पात्रता	<ul style="list-style-type: none"> ● पंजीकरण/ देशीकरण के तहत भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है: <ul style="list-style-type: none"> ○ भारतीय मूल का व्यक्ति, ○ किसी भारतीय नागरिक से शादी करने वाली महिला या पुरुष, ○ भारतीय नागरिक की नाबालिग संतान, ○ वह व्यक्ति जिसके माता-पिता भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं, ○ वह व्यक्ति जिसके माता या पिता में से कोई एक स्वतंत्र भारत की/ का नागरिक रही/ रहा है, ○ 'ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डधारक' के रूप में पंजीकृत व्यक्ति।
देशीकरण द्वारा नागरिकता के लिए अन्य पात्रताएं	<ul style="list-style-type: none"> ● नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को आवेदन में दिए गए विवरण की सत्यता को प्रमाणित करने वाला एक शपथ-पत्र दाखिल करना होगा। साथ ही, उस आवेदक के चरित्र की गवाही देने के लिए किसी भारतीय नागरिक द्वारा एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। ● आवेदक को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं में से किसी एक भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए।
राष्ट्रीयता का प्रमाण	<ul style="list-style-type: none"> ● नियमों में मूल देश को साबित करने के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता में छूट दी गई है। आवेदक अब भारत में प्रवेश के प्रमाण के रूप में 20 अलग-अलग दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। इन दस्तावेजों में वीजा, आवासीय परमिट, जनगणना पर्ची, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आदि शामिल हैं।
दूसरे देश की नागरिकता का त्याग करना	<ul style="list-style-type: none"> ● आवेदक को एक घोषणा-पत्र भी सौंपना होगा। इसमें इस बात का उल्लेख होगा कि यदि आवेदक का भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मंजूर हो जाता है, तो उसके अपने देश की नागरिकता समाप्त मानी जाएगी।
प्राधिकारी जिसके पास नागरिकता के लिए आवेदन करना है	<ul style="list-style-type: none"> ● नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6B के तहत, नागरिकता के लिए आवेदन जिला स्तरीय समिति के माध्यम से अधिकार प्राप्त समिति (Empowered Committee) को इलेक्ट्रॉनिक रूप में करना होगा। जिला स्तरीय समिति के बारे में केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करेगी।

- OCI कार्डधारकों के लिए लाभ
 - OCI कार्डधारकों को आजीवन वीजा की सुविधा उपलब्ध है। वे भारत में कई बार आ-जा सकते हैं। वास्तव में यह बहुउद्देशीय कार्ड है।
 - उन्हें भारत में किसी भी अवधि तक रहने के लिए स्थानीय पुलिस के पास पंजीकरण कराने से छूट दी जाती है।
 - आर्थिक, वित्तीय और शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों में उन्हें अनिवासी भारतीयों (NRIs) के समान सुविधाएं दी जाती हैं।
 - हालांकि, OCI कार्डधारकों को भारत में कृषि-भूमि या बागान जैसी परिसंपत्तियों की खरीद की अनुमति नहीं है।

¹⁴ Passport (Entry into India) Act

- निम्नलिखित विदेशी नागरिक OCI के लिए आवेदन करने हेतु पात्र हैं:
 - जो व्यक्ति 26 जनवरी, 1950 को भारत का नागरिक बनने के लिए पात्र था;
 - जो व्यक्ति 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद किसी भी समय भारत का नागरिक रह चुका हो;
 - 15 अगस्त, 1947 के बाद भारत का हिस्सा बनने वाले किसी क्षेत्र से संबंधित हो; तथा
 - उपर्युक्त पात्रताओं के तहत आने वाले लोगों की संतान या पोते-पोती या परपोते-परपोती।

1.5.2. महामारी रोग अधिनियम (EDA), 1897 {Epidemic Diseases Act (EDA), 1897}

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के 22वें विधि आयोग ने “महामारी रोग अधिनियम (EDA), 1897 की व्यापक समीक्षा¹⁶” शीर्षक से अपनी 286वीं रिपोर्ट जारी की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- विधि आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए EDA, 1897 और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन (IHR), 2005 की जांच की है।
- विधि आयोग द्वारा रेखांकित EDA, 1897 की मुख्य कमियां
 - कानून में सरकार को अत्यधिक शक्तियां दी गई हैं, जिनका दुरुपयोग किया जा सकता है।
 - इसके अंतर्गत ‘महामारी (Epidemic)’ या ‘संक्रामक रोग’ को परिभाषित नहीं किया गया है। साथ ही, इसमें ‘प्रकोप (Outbreak)’, ‘एपिडेमिक’ और ‘पैन्डेमिक’ के बीच अंतर भी नहीं किया गया है।
 - अधिनियम में महामारी/ रोग की प्रभावी निगरानी, क्वारंटाइन प्रक्रिया, दवाओं और वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा संक्रामक अपशिष्ट एवं शवों के निपटान हेतु विशिष्ट दिशा-निर्देशों की कमी है।
 - इस अधिनियम में स्थानीय शासन को महामारी संबंधी रोगों को नियंत्रित करने के लिए वैधानिक शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं।
- आयोग ने कानून की मौजूदा कमियों को दूर करने के लिए कानून में संशोधन करने या फिर एक नया व्यापक कानून बनाने की सिफारिश की है।

अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन (IHRs)¹⁵ के बारे में

- इसे विश्व स्वास्थ्य सभा ने 1969 में अपनाया था तथा 2005 में संशोधित किया था।
- ये विनियमन उन लोक स्वास्थ्य संबंधी घटनाओं और आपात स्थितियों के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा है, जो कई देशों में फ़ैल सकती हैं।
- ये 194 WHO सदस्य देशों सहित 196 देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं।
- ये देशों के लिए लोक स्वास्थ्य संबंधी घटनाओं की रिपोर्ट करना आवश्यक बनाते हैं। साथ ही, उनके लिए अधिकार और दायित्व भी निर्धारित करते हैं।
- ये विनियमन यह निर्धारित करने के लिए मानदंड तय करते हैं कि कोई विशेष घटना “अंतर्राष्ट्रीय चिंता का लोक स्वास्थ्य आपात” है या नहीं।

EDA, 1897 के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- औपनिवेशिक शासन {लॉर्ड एल्लिन-द्वितीय (1894-1899)} ने 1896 में तत्कालीन बॉम्बे प्रेसीडेंसी में फैली बुबोनिक प्लेग महामारी से निपटने के लिए EDA लागू किया था।
- सरकार की शक्तियां:
 - एपिडेमिक/ पैन्डेमिक का राज्यों के बीच प्रसार: केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार/ जिला अधिकारियों को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे इन रोगों की रोकथाम एवं प्रबंधन हेतु उपयुक्त कार्रवाई करें।
 - इसके तहत केंद्र सरकार को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत बंदरगाहों से प्रस्थान करने वाले या वहां पहुंचने वाले जहाजों व पोतों का निरीक्षण करने की अनुमति है।
- 2020 में किए गए संशोधन:
 - महामारी रोग (संशोधन) अधिनियम, 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के साथ किए जाने वाले हिंसात्मक रवैये को रोकने के लिए पारित किया गया था।
 - 2020 के संशोधन के तहत, स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के साथ हिंसा करने या किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर 3 से 5 साल की कैद और 50 हजार रुपये से 2 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा।

¹⁵ International Health Regulations

¹⁶ A Comprehensive Review of the Epidemic Diseases Act, 1897

1.5.3. भारत में मंदिरों का विनियमन (Temple Regulation in India)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, कर्नाटक विधान सभा ने राज्य के मंदिरों को विनियमित करने के उद्देश्य से कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती (संशोधन) (HRI&CEA)¹⁷ विधेयक, 2024 पारित किया है।

मंदिरों को विनियमित करने के लिए संवैधानिक और संस्थागत ढांचा

- **अनुच्छेद 25(1)** सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म को निर्बाध रूप से मानने, आचरण करने व प्रचार करने का समान रूप से अधिकार प्राप्त है। हालांकि, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को ध्यान में रख इसपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
- **अनुच्छेद 25(2)** राज्य धार्मिक आचरण से जुड़ी किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक गतिविधि को विनियमित या प्रतिबंधित करने के लिए कानून बना सकता है।
 - राज्य सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार के हिंदू धार्मिक संस्थानों को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने हेतु भी कानून बना सकता है।
- **अनुच्छेद 26:** यह अनुच्छेद धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। हालांकि, ये धार्मिक कार्य लोक व्यवस्था, नैतिकता और लोक स्वास्थ्य के अधीन ही संपन्न किए जा सकते हैं।
- **अनुसूची VII के तहत सूची III (समवर्ती सूची) की प्रविष्टि 28:** यह प्रविष्टि संघ और राज्य विधान-मंडल, दोनों को "धर्मार्थ कार्यों और धर्मार्थ संस्थाओं, धर्मार्थ एवं धार्मिक बंदोबस्ती¹⁸ तथा धार्मिक संस्थाओं" पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान करती है।
- **हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (HR&CE)¹⁹:** देश में अलग-अलग राज्यों ने संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के माध्यम से धार्मिक संस्थाओं को विनियमित करने के लिए विधायी एवं विनियामकीय फ्रेमवर्क लागू किए हैं।
- **हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती आयोग (1960):** इस आयोग ने यह मत प्रकट किया था कि मंदिरों में कुप्रशासन को रोकने के लिए सरकार का मंदिरों पर नियंत्रण होना आवश्यक है।

औपनिवेशिक काल में मंदिरों का विनियमन

- **धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम, 1863:** इस अधिनियम को मंदिरों की देखरेख हेतु स्थानीय समितियों की स्थापना के लिए पारित किया गया था।
- **मद्रास हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम, 1925:** इस अधिनियम में बोर्ड आयुक्तों को मंदिरों के प्रबंधन की निगरानी करने हेतु अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं।

ENGLISH MEDIUM
हिन्दी माध्यम

Admission
Open

📖 संदेह समाधान सत्र एवं मार्गदर्शन

📖 अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, लाइवमिंट, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, योजना, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, इंडिया ईयर बुक, RSTV आदि का समग्र कवरेज।

📖 प्रारंभिक परीक्षा हेतु विशिष्ट लक्ष्योन्मुखी सामग्री।

📖 लाइव और ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाएं जो दूरस्थ अभ्यर्थियों के लिए सहायक होंगी जो क्लास टाइमिंग में लचीलापन चाहते हैं।

¹⁷ Hindu Religious Institutions and Charitable Endowments (Amendment) Bill

¹⁸ Charitable and religious endowments

¹⁹ Hindu Religious & Charitable Endowments

1.5.4. सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 {The Cinematograph (Certification) Rules, 2024}

सुर्खियों में क्यों?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2023 के तहत सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 अधिसूचित किए हैं। नए नियम सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 1983 की जगह पर लाए गए हैं।

सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:

- पदावधि:** केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC)²⁰ के सदस्यों का कार्यकाल केंद्र सरकार निर्धारित करेगी।
- महिलाओं का प्रतिनिधित्व:** CBFC में महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया है। अब बोर्ड में एक-तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी। यह प्रयास किया जाएगा कि बोर्ड के आधे सदस्य महिलाएं हों।
- सलाहकार पैनल का गठन:** केंद्र सरकार बोर्ड के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में एक सलाहकार पैनल का गठन करेगी।
- बेहतर दक्षता:** प्रमाणन की दक्षता में निम्नलिखित प्रकार से सुधार किया जा सकता है:
 - फिल्म प्रमाणन की प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करके, और
 - पूर्ण डिजिटल प्रक्रियाओं को अपनाकर सभी लेन-देन में लगने वाले समय को खत्म करके।
 - यह फिल्म प्रमाणन की प्रक्रिया को डिजिटल युग के लिए सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाएगा।
- UA के वर्गीकरण को आगे बढ़ाना:** मौजूदा UA²¹ श्रेणी को तीन और आयु-आधारित श्रेणियों में उप-वर्गीकृत करना (इन्फोग्राफिक देखें)।
 - इस उप-वर्गीकरण से यह सुनिश्चित होगा कि युवा दर्शकों को उनकी आयु के अनुरूप कंटेंट से अवगत करवाया जाए। यह कदम स्वैच्छिक होगा।
- प्रायोरिटी के आधार पर स्क्रीनिंग का प्रावधान:** कई बार फिल्म निर्माताओं फिल्म के रिलीज होने की घोषणा CBFC की मंजूरी से पहले ही कर देते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए प्रायोरिटी के आधार पर CBFC ओर ओर से स्क्रीनिंग का प्रावधान किया जा रहा है।
- टेलीविजन के लिए फिल्म की श्रेणी में बदलाव:** किसी फिल्म को टेलीविजन पर प्रसारित करने के लिए उसे एडिट करना होगा और एडिटेड फिल्म के लिए फिर से प्रमाणन लेना होगा। ऐसा इसलिए, क्योंकि केवल "गैर-निषिद्ध सार्वजनिक प्रदर्शन श्रेणी²²" की फिल्में ही टेलीविजन पर दिखाई जा सकती हैं।
- प्रमाण-पत्रों की स्थायी वैधता:** पहले फिल्म प्रमाणन 10 वर्षों के लिए वैध होता था। अब इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। इसका अर्थ है कि फिल्म प्रमाणन की वैधता अनिश्चित काल के लिए होगी।

फ़िल्म प्रमाणन की श्रेणियां	
श्रेणी	प्रमाणित दर्शक
U	सबके लिए और बिना किसी प्रतिबंध के
आयु-आधारित तीन श्रेणियों में UA श्रेणी:	बिना किसी प्रतिबंध के, लेकिन माता-पिता या अभिभावकों के मार्गदर्शन में देख सकते हैं
<ul style="list-style-type: none"> सात वर्ष (UA 7+) तेरह वर्ष (UA 13+) बाटह वर्ष की बजाय, सोलह वर्ष (UA 16+) 	
A	केवल वयस्क (18 या अधिक आयु) के लिए
S	केवल किसी पेशेवर या किसी वर्ग के सदस्यों के लिए

अन्य संबंधित तथ्य

- हाल ही में, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने श्रवण और दृष्टि बाधित दिव्यांगजनों के लिए सिनेमाघरों में फीचर फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन के दौरान सुलभता संबंधी मानकों से जुड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
- यह पहल दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप है। यह अधिनियम दिव्यांगजनों की फिल्मों तक पहुंच सहित सूचना और संचार में उनकी सार्वभौमिक पहुंच एवं समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी कार्रवाई को अनिवार्य बनाता है।

नोट: सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) अधिनियम के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, कृपया PT 365 राजव्यवस्था 2024 का आर्टिकल 6.3 {सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2023} देखें।

²⁰ Central Board of Film Certification

²¹ Unrestricted with Caution/ सावधानी के साथ गैर-निषिद्ध

²² Unrestricted Public Exhibition category

1.5.5. अन्य संबंधित तथ्य (Other Important News)

<p>‘सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम’ रिपोर्ट (Prevention of Damage to Public Property)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 22वें विधि आयोग ने ‘सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम’ शीर्षक से 284वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की। सार्वजनिक (लोक) संपत्ति की सुरक्षा के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रावधान: <ul style="list-style-type: none"> संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त मूल अधिकार में ‘विरोध-प्रदर्शन करने का अधिकार’ (Right to protest) भी शामिल है। <ul style="list-style-type: none"> अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार; और अनुच्छेद 19(1)(b) के अंतर्गत शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार शामिल है। हालांकि, उपद्रव और अशांति उत्पन्न करने वाले विरोध प्रदर्शन को इस अनुच्छेद के तहत सुरक्षा प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 51A के तहत नागरिकों के लिए उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों में से एक कर्तव्य है- सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। PDPPP, अधिनियम 1984 में उन अपकृत्यों से निपटने का प्रावधान किया गया है, जिनके परिणामस्वरूप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता है। भारतीय दंड संहिता (IPC) की 425-440 तक की धाराएं ऐसे ही अपकृत्यों को अपराध ठहराने से संबंधित हैं।
<p>लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 (Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 2024)</p>	<ul style="list-style-type: none"> हाल ही में, संसद ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 अधिनियमित किया। इस विधेयक की मुख्य विशेषताएं: <ul style="list-style-type: none"> शामिल परीक्षाएं- इसके दायरे के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) आदि द्वारा आयोजित परीक्षाओं को लाया गया है। अपराध की प्रकृति: अपराधों को संज्ञेय, गैर-जमानती और अशमनीय (Non-compoundable) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। <ul style="list-style-type: none"> अशमनीय अपराधों के मामले में शामिल पक्षकार समझौता नहीं कर सकते। सजा के प्रावधान- <ul style="list-style-type: none"> न्यूनतम 3 से 5 वर्ष का कारावास। संगठित आपराधिक समूह को 5 से 10 साल की कैद और न्यूनतम 1 करोड़ रुपये का जुर्माना होगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने लोक परीक्षाओं पर एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय तकनीकी समिति के गठन का निर्णय भी लिया है।

1.6. गवर्नेंस के महत्वपूर्ण पहलू (Important Aspects of Governance)

1.6.1. प्रशासनिक सुधारों के लिए पुनर्गठन योजना (Revamped Scheme For Administrative Reforms)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG)²³ की “प्रशासनिक सुधारों के लिए पुनर्गठन योजना” हेतु फंड्स को स्वीकृति प्रदान की है।

प्रशासनिक सुधारों के लिए पुनर्गठन (Revamped) योजना के बारे में

- मंत्रालय: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय।
- अवधि: यह योजना 15वें वित्त आयोग की सिफारिश अवधि के अंतिम दो वित्त वर्षों (2024-25 और 2025-26) में लागू की जाएगी।

²³ Department of Administrative Reforms and Public Grievances

- इस योजना के दो वर्टिकल्स/ घटक हैं: लोक शिकायतों के निवारण हेतु व्यापक प्रणाली²⁴ तथा प्रशासनिक सुधार²⁵ के लिए योजना।
 - “लोक शिकायतों के निवारण के लिए व्यापक प्रणाली” हेतु योजना:
 - शिकायत निवारण की गुणवत्ता: शिकायत निवारण की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से (CPGRAMS)²⁶ के 10-चरणीय सुधारों (टेबल देखें) को आगे बढ़ाना।
 - आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से शिकायत निवारण: जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए AI आधारित लोक शिकायत निवारण प्रणाली (CPGRAMS) विकसित करना। इस प्रकार, शिकायत निवारण में लगने वाले समय को कम करना।
 - एकीकृत शिकायत निवारण: यह योजना शिकायत निवारण वाले अन्य सभी पोर्टल्स को एकीकृत करेगी। इससे CPGRAMS लोक शिकायतों के लिए सबसे बड़ा इंटरफ़ेस बन जाएगा।
 - क्षमता निर्माण: पुनर्निर्माण योजना का उद्देश्य शिकायत निवारण में तकनीक के बड़े पैमाने पर उपयोग को बढ़ावा देना, शिकायत निवारण अधिकारियों का क्षमता निर्माण करना और CPGRAMS के वर्ज़न 7.0 को अपग्रेड करना है।
 - “प्रशासनिक सुधार” के लिए योजना:
 - रणनीतिक आवंटन: यह प्रशासनिक सुधार योजना निम्नलिखित योजनाओं में संसाधनों का उपयोग करेगी:
 - ✓ अंतर्राष्ट्रीय विनिमय और सहयोग गतिविधियां;
 - ✓ 2024-25 और 2025-26 के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार योजना; आदि।
- शिकायत निवारण तंत्र (GRM)
 - लोक शिकायतों को प्रबंधित करने वाली 2 नोडल एजेंसियां हैं-
 - DARPG: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
 - लोक शिकायत निदेशालय: मंत्रिमंडल सचिवालय के अंतर्गत

केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (Centralised Public Grievance Redress and Monitoring System: CPGRAMS) के बारे में

- DARPG ने 2007 में CPGRAMS का गठन किया था।
 - यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो नागरिकों के लिए 24x7 उपलब्ध है। इसके माध्यम से सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर लोक प्राधिकारियों के समक्ष नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- यह एकल पोर्टल है, जो केंद्र सरकार और राज्यों के सभी मंत्रालयों/ विभागों से जुड़ा हुआ है।
- जिन मुद्दों का निवारण इसमें शामिल नहीं है:-
 - RTI मामले,
 - अदालत में विचाराधीन मामले,
 - धार्मिक मामले आदि।
- DARPG ने ‘सेवोत्तम’ नामक एक फ्रेमवर्क विकसित किया है। इसका अर्थ ‘सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्टता लाना है।’
 - सेवोत्तम फ्रेमवर्क के निम्नलिखित तीन घटक हैं:
 - नागरिक चार्टर;
 - शिकायत निवारण तंत्र; तथा
 - सेवा वितरण क्षमता
- 2022 में, सरकार ने CPGRAMS के 10-चरणीय सुधारों को लागू किया था।

²⁴ Comprehensive System for Redressal of Public Grievances

²⁵ Administrative Reforms

²⁶ केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली/ Centralised Public Grievance Redress and Monitoring System

CPGRAMS सुधारों के 10 कदम

- CPGRAMS 7.0 का सार्वभौमीकरण:** स्वचालित रूप से अंतिम छोर से शिकायतें दर्ज करने की सुविधा।
- तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/ मशीन लर्निंग का लाभ उठाते हुए अत्यावश्यक शिकायतों को स्वचालित फ्लैगिंग।
- भाषा अनुवाद:** पोर्टल पर आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के साथ अंग्रेजी को भी शामिल किया गया है।
- शिकायत निवारण सूचकांक:** प्रदर्शन के आधार पर मंत्रालयों/ विभागों की रैंकिंग करना।
- फीडबैक कॉल सेंटर:** नागरिकों से सीधे फीडबैक लेने के लिए 50 सीटों वाला कॉल सेंटर।
- एक राष्ट्र-एक पोर्टल:** CPGRAMS पोर्टल के साथ राज्य और भारत सरकार के अन्य पोर्टल्स का एकीकरण किया गया है।
- समावेशिता और आउटरीच:** शिकायतें दर्ज करवाने में दूर-दराज के क्षेत्रों के नागरिकों को सशक्त बनाया जा रहा है।
- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:** प्रभावी शिकायत समाधान को सक्षम करने के लिए ISTM और सेवोत्तम योजना का संचालन किया जा रहा है।
- निगरानी प्रक्रिया:** केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों और राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों, दोनों के लिए मासिक रिपोर्ट तैयार करना।
- डेटा स्ट्रेटेजी यूनिट:** व्यावहारिक डेटा विश्लेषण के लिए इसे DARPG में स्थापित किया जाएगा।

1.6.2. अन्य महत्वपूर्ण तथ्य (Other Important News)

<p>सोशल ऑडिट सलाहकार निकाय (Social Audit Advisory Body): SAAB</p>	<ul style="list-style-type: none"> • सोशल ऑडिट सलाहकार निकाय (SAAB) की पहली बैठक आयोजित की गई। • SAAB भारत में अपनी तरह का पहला सलाहकारी निकाय है। <ul style="list-style-type: none"> ○ इसका गठन राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (NISD) में किया गया है। <ul style="list-style-type: none"> ▪ NISD सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (DoSJE) के अधीन कार्य करता है। • सोशल ऑडिट के बारे में: यह सरकार के/ की किसी कार्यक्रम/ योजना की परीक्षण और मूल्यांकन की एक प्रक्रिया है। योजना की सोशल ऑडिट लोगों की सक्रिय भागीदारी से की जाती है। इसके तहत योजना के कार्यान्वयन पर सरकारी रिकॉर्ड और वास्तविक जमीनी हकीकतों की तुलना की जाती है। • सोशल ऑडिट को लागू करना: <ul style="list-style-type: none"> ○ केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जैसे कई मुख्य कार्यक्रमों के लिए सोशल ऑडिट का प्रावधान किया है। ○ DoSJE ने नेशनल रिसोर्स सेल फॉर सोशल ऑडिट (NRCSA) की स्थापना की है। इसका उद्देश्य राज्य स्तर पर समर्पित सोशल ऑडिट इकाइयों के माध्यम से सोशल ऑडिट सुनिश्चित करना है। ○ मेघालय सोशल ऑडिट कानून को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है।
<p>'आधुनिक मीडिया लैंडस्केप' के लिए पोर्टल (Portals For A 'Modernized Media Landscape')</p>	<ul style="list-style-type: none"> • सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया से संबंधित चार नए पोर्टल्स लॉन्च किए हैं। मंत्रालय के इस कदम का उद्देश्य अपनी देखरेख में मीडिया से संबंधित सेवाओं को व्यवस्थित करना है। • चार नए पोर्टल्स हैं <ul style="list-style-type: none"> ○ प्रेस सेवा पोर्टल: यह समाचार-पत्र पंजीकरण की प्रक्रिया के ऑटोमेशन के लिए बनाया गया है। ○ नेविगेट (NaViGate) भारत पोर्टल: यह सरकारी वीडियो के लिए इंटरैक्टिव यूजर इंटरफेस वाला सिंगल प्लेटफॉर्म है।

	<ul style="list-style-type: none"> स्थानीय केबल ऑपरेटर्स के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर: इसका कार्य भविष्य में केबल टेलीविजन क्षेत्र में विनियामक प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करना है। केंद्रीय संचार ब्यूरो के लिए पारदर्शी पैनलबद्ध मीडिया योजना और ई-बिलिंग प्रणाली: इसे मीडिया संबंधी योजना निर्माण प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है।
<p>करप्शन परसेप्शन इंडेक्स (CPI), 2023 {Corruption Perceptions Index (CPI), 2023}</p>	<ul style="list-style-type: none"> करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, 2023 में भारत 8 स्थान फिसलकर 180 देशों के बीच 93वें स्थान पर आ गया है। <ul style="list-style-type: none"> 2022 के CPI इंडेक्स में भारत 85वें स्थान पर था। CPI के बारे में: <ul style="list-style-type: none"> इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के मौजूदा स्तर के आधार पर देशों की रैंकिंग की जाती है। इसके लिए देशों को 0 से 100 के पैमाने पर रैंक दिया जाता है। <ul style="list-style-type: none"> करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में "0" अत्यधिक भ्रष्ट और "100" बहुत ईमानदार का सूचक है। CPI 2023 में, डेनमार्क पहले स्थान पर रहा, उसके बाद फिनलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे का स्थान है।
<p>पंडारम भूमि (Pandaram Lands)</p>	<ul style="list-style-type: none"> लक्षद्वीप प्रशासन ने पंडारम भूमि पर पेड़ों की गिनती का कार्य जारी रखा है। लक्कादीव, मिनिकाय और अमिनी द्वीप समूह भूमि राजस्व और काश्तकारी विनियमन, 1965 में पंडारम भूमि को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार, पंडारम वह भूमि है: <ul style="list-style-type: none"> जिस पर इस कानून के बनने से ठीक पहले सरकार के पास मालिकाना अधिकार था, और जिस पर सरकार इस कानून या किसी अन्य कानून के तहत मालिकाना अधिकार प्राप्त कर सकती है। पंडारम भूमि के अलावा अन्य भूमि जिस पर लक्षद्वीप आइलैंड के प्रथागत कानून के तहत किसी व्यक्ति का मालिकाना अधिकार है, उसे 1965 के विनियमन के तहत "जेनमम भूमि (Jenmam land)" कहा जाता है।
<p>'नीति (NITI) फॉर स्टेट्स' प्लेटफॉर्म ('NITI For States' Platform)</p>	<ul style="list-style-type: none"> सरकार ने 'नीति फॉर स्टेट्स' प्लेटफॉर्म शुरू किया है। <ul style="list-style-type: none"> यह एक व्यापक डिजिटल पहल है। इसे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उनके राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। प्लेटफॉर्म की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र: <ul style="list-style-type: none"> यह बहुमूल्य संसाधनों के लिए केंद्रीकृत रिपॉजिटरी की सुविधा प्रदान करेगा। इन संसाधनों में सर्वोत्तम पद्धतियां, नीतिगत दस्तावेज, डेटासेट और नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट्स/स्टडी पेपर्स शामिल हैं। बहुभाषा में उपलब्ध: यह 22 मुख्य भारतीय भाषाओं और 7 विदेशी भाषाओं में उपलब्ध होगा। क्षमता निर्माण: इस पर अलग-अलग प्रशासनिक स्तरों (ब्लॉक, जिला और राज्य) पर अधिकारियों के लिए तैयार डिजिटल प्रशिक्षण मॉड्यूल होगा। विशेषज्ञ सहायता: अग्रणी संस्थानों के साथ साझेदारी के माध्यम से विशेष मार्गदर्शन उपलब्ध होंगे। इससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने में मदद मिलेगी।
<p>PIB फैक्ट चेक यूनिट (PIB Fact Check Unit)</p>	<ul style="list-style-type: none"> इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) के प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के तहत फैक्ट चेक यूनिट (FCU) को केंद्र सरकार की फैक्ट चेक यूनिट के रूप में अधिसूचित किया है। <ul style="list-style-type: none"> MeitY ने PIB के तहत फैक्ट चेक यूनिट (FCU) को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आई.टी. नियम, 2021) के तहत अधिसूचित किया है।

	<ul style="list-style-type: none"> ○ उल्लेखनीय है कि MIB और MeitY विशेष रूप से सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों की चुनौती से निपटने के लिए इस विषय पर मिलकर काम कर रहे हैं। ● PIB के तहत फैक्ट चेक यूनिट की स्थापना नवंबर, 2019 में की गई थी। इसे फर्जी खबरों और गलत सूचना बनाने एवं उन्हें फैलाने वालों को रोकने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। ○ यह लोगों को भारत सरकार से संबंधित संदिग्ध और संदेहास्पद जानकारी की रिपोर्ट करने का एक आसान माध्यम भी प्रदान करता है। ● PIB सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, पहलों और उपलब्धियों पर जानकारी प्रसारित करने के लिए सरकार की नोडल एजेंसी है।
<p>प्रसार भारती- शेयर्ड ऑडियो विजुअल्स फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन (PB-SHABD/ पीबी-शब्द) (Prasar Bharati - Shared Audio Visuals for Broadcast and Dissemination (PB-SHABD))</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने PB-SHABD और DD न्यूज़ व आकाशवाणी न्यूज़ की वेबसाइट्स तथा अपडेटेड 'न्यूज़ ऑन एयर' मोबाइल ऐप लॉन्च किए। ● PB-SHABD के बारे में <ul style="list-style-type: none"> ○ यह प्रसार भारती की न्यूज़-शेयरिंग सर्विस है। ○ इस प्लेटफॉर्म को मीडिया क्षेत्र के सब्सक्राइबर्स को वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, फोटो और अन्य फॉर्मेट में दैनिक समाचार फीड्स उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया गया है। ○ यह सेवा पहले एक वर्ष के लिए निःशुल्क उपलब्ध होगी। यहां 50 अलग-अलग श्रेणियों में सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में समाचार उपलब्ध होंगे।

1.7. शुद्धिपत्र (Errata)

PT 365 राजव्यवस्था (अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023)

- **आर्टिकल 1.4.** (प्रिवेंटिव डिटेंशन) में 'प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान' वाले इन्फोग्राफिक के अंतर्गत अनुच्छेद 22(1), अनुच्छेद 22(2), अनुच्छेद 22(3), अनुच्छेद 22(4) और अनुच्छेद 22(7) को प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित बताया गया है।
 - **स्पष्टीकरण:**
 - अनुच्छेद 22(1) और अनुच्छेद 22(2) मुख्य रूप से मनमानी गिरफ्तारी से संबंधित हैं, जबकि अनुच्छेद 22(3), अनुच्छेद 22(4) और अनुच्छेद 22(7) प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित हैं।
- **आर्टिकल 2.2.** में विशेषाधिकार के तहत कानून निर्माताओं के संसदीय विशेषाधिकार के दूसरे स्रोत का गलत उल्लेख कर दिया गया था।
 - इसमें संसद द्वारा बनाए गए कानून का उल्लेख किया गया है, और निम्नलिखित जानकारी दी गई है:
 - **गिरफ्तारी पर रोक:** सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी कानून निर्माता को सदन के सत्र से 40 दिन पहले, सत्र के दौरान और सत्र के स्थगन से 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
- हालांकि, यह विशेषाधिकार दीवानी मामलों तक ही सीमित है। किसी संसद सदस्य को सत्र के दौरान या अन्यथा, किसी आपराधिक मामले में कार्रवाई से कोई छूट प्राप्त नहीं है।
 - **सही जानकारी:** 'संसद द्वारा बनाए गए कानून' की बजाय उपशीर्षक 'वैधानिक प्रावधान' होगा। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में संसद द्वारा संसदीय विशेषाधिकार पर कोई कानून नहीं बनाया गया है।
- **आर्टिकल 2.4.** (राष्ट्रपति और राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति) में "अध्यादेश से संबंधित न्यायिक घोषणा" वाले इन्फोग्राफिक के अंतर्गत यह उल्लेख किया गया था कि-
 - **आर. सी. कूपर बनाम भारत संघ (1970) वाद:** शीर्ष अदालत ने माना कि राष्ट्रपति के फैसले को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि अभी तत्काल कार्रवाई की कोई आवश्यकता नहीं है और अध्यादेश मुख्य रूप से विधायिका में बहस और चर्चा से बचने के लिए पारित किया गया था।
 - **सही जानकारी है-**
 - **आर.सी. कूपर बनाम भारत संघ (1970) वाद:** सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के समाधान से संबंधित शर्त पूरी हुई है या नहीं, इसकी जांच करने के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की सीमा पर कोई राय व्यक्त नहीं की थी।

- आर्टिकल 4.4. (मॉडल जेल अधिनियम, 2023) में यह उल्लेख किया गया था कि-
 - 1836 में लॉर्ड मैकाले द्वारा “जेल अनुशासन समिति (Prison Discipline Committee)” का गठन किया था। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही इस कानून को पारित किया गया था।
 - सही जानकारी है-
 - 1835 में, लॉर्ड मैकाले ने सिफारिश की थी कि जेलों के अनुशासन में सुधार लाने के लिए एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए।
 - परिणामस्वरूप, 2 जनवरी, 1836 को लॉर्ड विलियम बैंटिक द्वारा एच. शेक्सपियर की अध्यक्षता में एक जेल अनुशासन समिति का गठन किया गया था।
 - ✓ लॉर्ड मैकाले इस समिति के सदस्यों में से एक था।
 - समिति ने 1838 में लॉर्ड ऑकलैंड को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।

“You are as strong as your Foundation”

FOUNDATION COURSE

GENERAL STUDIES

PRELIMS CUM MAINS

2025, 2026 & 2027

Approach is to build fundamental concepts and analytical ability in students to enable them to answer questions of Preliminary as well as Mains Exam

- ▶ Includes comprehensive coverage of all the topics for all the four papers of GS Mains, GS Prelims & Essay
- ▶ Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal student platform Includes All India GS Mains, GS Prelims, CSAT & Essay Test Series
- ▶ Our Comprehensive Current Affairs classes of PT 365 and Mains 365 of year 2025, 2026 & 2027

ONLINE Students
NOTE - Students can watch LIVE video classes of our COURSE on their ONLINE PLATFORM at their homes. The students can ask their doubts and subject queries during the class through LIVE Chat Option. They can also note down their doubts & questions and convey to our classroom mentor at Delhi center and we will respond to the queries through phone/mail.

DELHI: 9 MAY, 9 AM | 17 MAY, 1 PM


GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 21 MAY, 5:30 PM

AHMEDABAD: 20 JUNE | BENGALURU: 15 MAY | BHOPAL: 21 MAY | CHANDIGARH: 5 APR

HYDERABAD: 10 MAY | JAIPUR: 21 MAY | JODHPUR: 20 MAY | LUCKNOW: 17 MAY | PUNE: 5 MAY

Live - online / Offline Classes

Scan the QR CODE to download VISION IAS app



CSAT में महारत: UPSC प्रीलिम्स के लिए एक रणनीतिक रोडमैप

UPSC प्रीलिम्स सिविल सेवा परीक्षा का पहला एवं अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चरण है। प्रीलिम्स एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रकार के दो पेपर होते हैं: सामान्य अध्ययन (GS) और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट (CSAT)। ये दोनों पेपर अभ्यर्थियों के ज्ञान, समझ और योग्यता का आकलन करते हैं।

पिछले कुछ सालों में CSAT पेपर के कठिन हो जाने से इसमें 33% का क्वालीफाइंग स्कोर प्राप्त करना भी कई अभ्यर्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। अतः इस पेपर को क्वालीफाइ करने के लिए अभ्यर्थियों को टाइम मैनेजमेंट के साथ-साथ CSAT में कठिनाई के बढ़ते स्तर के साथ सामंजस्य बिठाना और GS पेपर के साथ संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। साथ ही, इसमें गुणवत्तापूर्ण प्रैक्टिस मटेरियल से भी काफी मदद मिलती है। ये सारी बातें एक सुनियोजित रणनीति के महत्त्व को रेखांकित करती हैं।



इंस्टैंट परसनलाइज्ड मॉडरिंग
के लिए
QR कोड को स्कैन करें

CSAT की तैयारी के लिए रणनीतिक रोडमैप



शुरुआत में स्व-मूल्यांकन: सर्वप्रथम पिछले वर्ष के CSAT के पेपर को हल करके हमें अपना मूल्यांकन करना चाहिए। इससे हमें अपने मजबूत एवं कमजोर पक्षों की पहचान हो सकेगी और हम उसी के अनुरूप अपनी तैयारी में सुधार कर सकेंगे।



स्टडी प्लान: अधिकतम अंक प्राप्त कर सकने वाले टॉपिक पर फोकस करते हुए एवं विश्वसनीय अध्ययन स्रोतों का चयन कर, एक व्यवस्थित स्टडी प्लान तैयार करें।



रेगुलर प्रैक्टिस एवं पोस्ट-टेस्ट एनालिसिस: पिछले वर्ष के पेपर एवं मॉक टेस्ट को हल करके तथा उनका विश्लेषण करके हम एग्जाम के पैटर्न एवं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इससे परिचित हो सकते हैं। इस अप्रोच से CSAT के व्यापक सिलेबस को प्रभावी ढंग से कवर करने के लिए एक बेहतर रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी।



व्यक्तिगत मेंटरशिप प्राप्त करें: CSAT की बेहतर तैयारी के लिए अपने अनुरूप रणनीति विकसित करने हेतु मेंटर से जुड़ें। इससे आप अपने स्ट्रेस को दूर कर सकेंगे और साथ ही फोकस एवं संतुलित तैयारी कर पाएंगे।



रीजनिंग: क्लॉक, कैलेंडर, सीरीज एंड प्रोग्रेशन, डायरेक्शन, ब्लड-रिलेशन, कोडिंग-डिकोडिंग एवं सिलोगिज्म जैसे विभिन्न प्रकार टॉपिक के प्रश्नों का अभ्यास करके अपने तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमताओं को बेहतर बनाएं।

एग्जाम के पैटर्न को समझने एवं प्रश्नों को हल करने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप अप्रोच को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करें।



गणित एवं बेसिक न्यूमेरेसी: बेसिक कॉन्सेप्ट के रिवीजन एवं रेगुलर प्रैक्टिस के जरिए मूलभूत गणितीय अवधारणाओं पर अपनी पकड़ को मजबूत करें।

तेजी से कैल्कुलेशन करने के लिए शॉर्टकट और मेंटल मैथ टेक्निक का उपयोग करें।



रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन: नियमित रूप से अखबार पढ़कर अपनी पढ़ने की गति और समझ में सुधार करें। समझ बढ़ाने के लिए पैराग्राफ को संक्षेप में लिखने का अभ्यास करें और उसमें निहित मुख्य विचारों का पता लगाएं।



VisionIAS के CSAT क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़कर अपनी CSAT की तैयारी को मजबूत बनाएं। इस कोर्स को अभ्यर्थियों में बेसिक कॉन्सेप्ट विकसित करने और उनकी प्रॉब्लम-सॉल्विंग क्षमताओं एवं क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस कोर्स की मुख्य विशेषताएं हैं— ऑफ़लाइन/ ऑनलाइन और रिकॉर्ड की गई कक्षाएं, वन-टू-वन मेंटरिंग सपोर्ट और ट्यूटोरियल्स के जरिए नियमित प्रैक्टिस। यह आपको CSAT में महारत हासिल करने की राह पर ले जाएगा।



रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए QR कोड को स्कैन करें



हमारे ऑल इंडिया CSAT टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम के साथ अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं, जिसमें शामिल हैं:

- UPSC CSAT के सिलेबस का विस्तार से कवरेज
- वन-टू-वन मेंटरिंग
- फ्लेक्सिबल टेस्ट शेड्यूल और इन्वेंटिव असेसमेंट सिस्टम
- प्रत्येक टेस्ट पेपर की विस्तार से व्याख्या
- लाइव ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन टेस्ट डिस्कशन एवं पोस्ट टेस्ट एनालिसिस

VisionIAS से जुड़कर सिविल सेवाओं में शामिल होने की अपनी यात्रा शुरू करें, जहां हमारी विशेषज्ञता और सपोर्ट सिस्टम से आपके सपने पूरे हो सकते हैं।

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. बहुपक्षीय संगठन (Multilateral Organizations)

2.1.1. क्वाड (Quad)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने "स्ट्रेंथ यू.एस.-ऑस्ट्रेलिया-इंडिया-जापान कोऑपरेशन²⁷" या "स्ट्रेंथेनिंग द क्वाड एक्ट²⁸" को पारित किया।

अधिनियम के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

इस अधिनियम का उद्देश्य क्वाड (QUAD) के चारों सदस्यों के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करना है, ताकि एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी, लचीले एवं सुव्यवस्थित हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके। इस अधिनियम के तहत निम्नलिखित हेतु प्रावधान किए गए हैं:

- **क्वाड अंतर-संसदीय कार्य समूह²⁹:** इसे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के बीच घनिष्ठ सहयोग को आसान बनाने के लिए स्थापित किया जाएगा।
- अमेरिकी विदेश मंत्री को यह कार्य सौंपा गया है कि वह क्वाड की गतिविधियों और आपसी सहयोग को मजबूत करने की रणनीति पर अपडेट प्रस्तुत करे।

क्वाड इलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग (QUAD/ क्वाड) के बारे में

- क्वाड समान विचारधारा वाले चार देशों का एक अनौपचारिक मंच है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं।
- उद्देश्य: यह सदस्य देशों को वैश्विक कल्याण के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करने पर जोर देता है। यह एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) का समर्थन करता है, जो समृद्ध और मजबूत हो।
- कार्य: क्वाड के व्यावहारिक कार्य को निम्नलिखित 6 कार्य-क्षेत्रों पर "सिक्स लीडर्स लेवल वर्किंग ग्रुप्स" के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है।

क्वाड द्वारा आरंभ की गई प्रमुख पहलें



जलवायु, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियां, साइबर, स्वास्थ्य सुरक्षा साझेदारी, आधारभूत अवसंरचना और अंतरिक्ष के लिए सिक्स लीडर्स लेवल वर्किंग ग्रुप्स की स्थापना की गई है।



2023 में विज्ञान स्टेटमेंट जारी किया गया, जो 'एंड्यूरिंग पार्टनर्स फॉर द इंडो-पैसिफिक' विषय पर केंद्रित है।



असंधारणीय ऋण वित्त-पोषण के मुद्दे से निपटने के लिए क्वाड डेट मैनेजमेंट रिसोर्स पोर्टल विकसित किया गया है।



रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले क्वाड इन्वेस्टर्स नेटवर्क (QUIN) शुरू किया गया है।



जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने हेतु क्वाड क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन पैकेज (Q-CHAMP) नामक पहल शुरू की गई है।

²⁷ Strengthen US-Australia-India-Japan Cooperation

²⁸ Strengthening the Quad Act

²⁹ Quad Intra-Parliamentary Working Group

2.1.2. राष्ट्रमंडल (The Commonwealth)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, लंदन घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। ज्ञातव्य है कि 26 अप्रैल, 1949 को लंदन घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसी के साथ आधुनिक राष्ट्रमंडल की स्थापना हुई थी।

राष्ट्रमंडल के बारे में

- **राष्ट्रमंडल क्या है:** यह अधिकांशतः ब्रिटिश उपनिवेश के अधीन रहे राष्ट्रों का एक स्वैच्छिक संघ है। ये देश लोकतंत्र, व्यापार, जलवायु परिवर्तन आदि मुद्दों पर आपस में सहयोग करते हैं।
- **उत्पत्ति:**
 - **ब्रिटिश राष्ट्रमंडल देश: 1926 के इम्पीरियल कॉन्फ्रेंस** में, ब्रिटेन और डोमिनियन स्टेट्स वाले देश (अर्ध-स्वतंत्र देश) ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर एक समुदाय के समान सदस्यों के रूप में जुड़ने हेतु सहमत हुए थे। डोमिनियन स्टेट्स वाले देश ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा रखते थे, लेकिन ब्रिटेन का उन देशों पर शासन नहीं था।
 - **भारत की स्वतंत्रता (1947):** स्वतंत्रता के बाद भारत एक गणतंत्रिक राष्ट्र बन गया, लेकिन वह राष्ट्रमंडल का सदस्य भी बने रहना चाहता था।
 - **लंदन घोषणा-पत्र (1949) को अपनाया गया:** इसके तहत घोषणा की गई कि गणतंत्र एवं अन्य देश, राष्ट्रमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। इसके बाद, आधुनिक राष्ट्रमंडल की स्थापना की गई।
 - शुरुआत में, इसमें भारत सहित आठ सदस्य शामिल थे।



- **वर्तमान सदस्य:** इसमें भारत सहित 56 सदस्य शामिल हैं।
 - **नाउरू (Nauru),** राष्ट्रमंडल का सबसे छोटा सदस्य देश है, जबकि भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला सदस्य देश है।
 - राष्ट्रमंडल में शामिल होने वाले नवीनतम चार देश **मोजाम्बिक, रवांडा, गैबॉन और टोगो** कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश नहीं रहे थे।
- **कार्य:** राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों की बैठक (CHOGM)³⁰ प्रत्येक दो वर्ष में एक बार होती है। इस बैठक में प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है और अंत में शिखर सम्मेलन मुख्य आउटकम के रूप में एक आधिकारिक विज्ञप्ति या डॉक्यूमेंट जारी किया जाता है। इसकी हालिया बैठक 2022 में रवांडा में हुई थी।

संगठनात्मक संरचना:

संगठन	उद्देश्य	मुख्यालय
राष्ट्रमंडल सचिवालय (CS) ³¹	संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सदस्य देशों को सहायता प्रदान करना	लंदन
कॉमनवेल्थ फाउंडेशन (CF)	लोकतंत्र और विकास में जनता की भागीदारी को बढ़ावा देना	लंदन
कॉमनवेल्थ लर्निंग (COL)	ओपन लर्निंग और डिस्टेंस एजुकेशन का समर्थन करना	बर्नार्बी, कनाडा

- **अन्य महत्वपूर्ण जानकारी:**
 - राष्ट्रमंडल का अपना कोई चार्टर, संधि या संविधान नहीं है।
 - सभी सदस्यों को समान दर्जा मिला है और निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं।
 - सदस्य देश राष्ट्रमंडल के प्रमुख/अध्यक्ष का चयन करते हैं।
 - मानवाधिकारों के उल्लंघन करने वाले सदस्य देशों का निलंबन हो सकता है। जैसा कि- फिजी, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया और मालदीव के मामलों में देखा गया है।

³⁰ Commonwealth Heads of Government Meeting

³¹ The Commonwealth Secretariat

- **राष्ट्रमंडल खेल (Commonwealth Games)** एक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है। इसका आयोजन प्रत्येक चार वर्ष में किया जाता है। इस प्रतियोगिता में राष्ट्रमंडल देशों के एथलीट भाग लेते हैं।
- **नए सदस्य:** टोगो और गैबॉन जैसे नए सदस्यों (दोनों ब्रिटिश उपनिवेश नहीं थे) के जुड़ने से यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रमंडल सहयोग और संवाद का एक बेहतर मंच है।

राष्ट्रमंडल के साथ भारत के संबंध

- भारत **राष्ट्रमंडल का सबसे बड़ा सदस्य देश** है। राष्ट्रमंडल की कुल आबादी में से लगभग 60 प्रतिशत आबादी भारत में निवास करती है।
- भारत राष्ट्रमंडल में **चौथा सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश** है। इसके अलावा, भारत CFTC, कॉमनवेल्थ फाउंडेशन, कॉमनवेल्थ यूथ प्रोग्राम और COL में भी योगदान करता है।
- भारत ने **नई दिल्ली में 1983 में राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन** और **2010 में राष्ट्रमंडल खेलों** की मेजबानी की थी।
- 2018 में **इंडिया-यू.एन. डेवलपमेंट फंड** के अधीन **कॉमनवेल्थ सब-विंडो** (5 वर्षों में 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की स्थापना की गई थी। यह सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने और जलवायु कार्रवाई से संबंधित परियोजनाओं के लिए राष्ट्रमंडल सदस्यों को अनुदान-सहायता प्रदान करने के लिए है।

2.1.3. दक्षिण एशिया उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (South Asia Sub Regional Economic Cooperation: SASEC)

सुर्खियों में क्यों?

प्रधान मंत्री ने **SASEC कॉरिडोर कनेक्टिविटी** के हिस्से के रूप में असम में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी।

SASEC के बारे में

- **स्थापना:** बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल द्वारा एशियाई विकास बैंक (ADB) से अनुरोध के बाद **2001 में स्थापित**।
 - **ADB** इसके सचिवालय के रूप में कार्य करता है।
- **उद्देश्य:** परियोजना-आधारित साझेदारी करना, ताकि क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके, आर्थिक अवसरों में सुधार हो सके और जीवन स्तर की गुणवत्ता को बेहतर किया जा सके।
- **विज़न:**
 - दक्षिण एशिया में **अंतर्क्षेत्रीय व्यापार और सहयोग को बढ़ावा देना**।
 - म्यांमार के जरिए **दक्षिण-पूर्व एशिया, चीन और वैश्विक बाजार तक कनेक्टिविटी व व्यापार विकसित करना**।
- **सदस्य:** बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका।

SASEC के तहत फोकस वाले क्षेत्र

- SASEC परिवहन क्षेत्रक रणनीति**
- SASEC व्यापार सुविधा:** इसका उद्देश्य **SASEC व्यापार सुविधा रणनीतिक ढांचे (2014–18)** को लागू करना है
- SASEC ऊर्जा क्षेत्रक रणनीति:** सीमा-पार विद्युत पारेषण कनेक्टिविटी में सुधार के लिए
- आर्थिक गलियारा विकास रणनीति:** 2016 में देशों ने **SASEC परिचालन योजना 2016–2025** को मंजूरी दे दी थी

2.1.4. विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum: WEF)

सुर्खियों में क्यों?

विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा कई रिपोर्ट्स जारी की गई हैं।

विश्व आर्थिक मंच के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसका गठन **1971 में एक गैर-लाभकारी संगठन** के रूप में किया गया था।
- **उद्देश्य:** गवर्नेंस के उच्च मानकों को बनाए रखते हुए वैश्विक स्तर पर जनहित में उद्यमशीलता का प्रदर्शन करना।
- **मुख्यालय:** कोलोनी (जिनेवा) स्विट्जरलैंड
- **वार्षिक बैठक:** यह स्विट्जरलैंड के **दावोस** में आयोजित किया होता है।

WEF के प्रकाशन

प्रकाशित की जाने वाली प्रमुख रिपोर्ट्स

- ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट
- ग्लोबल इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट
- जेंडर गैप रिपोर्ट
- ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट
- ग्लोबल कोऑपरेशन बैरोमीटर 2024

प्रमुख सूचकांक

- इन्क्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स
- एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स



- **संस्थागत फ्रेमवर्क:** आर्थिक क्षेत्र में प्रणालीगत चुनौतियों से निपटने के लिए WEF के काम-काज को इसके 10 केंद्रों जैसे कि सेंटर फॉर साइबर सिक्यूरिटी, सेंटर फॉर नेचर एंड क्लाइमेट आदि के जरिए पूरा किया जाता है।

महत्वपूर्ण पहलें

- **रिस्किलिंग रेवोल्यूशन** का लक्ष्य 2030 तक 1 अरब लोगों को बेहतर शिक्षा और कौशल प्रदान करना है।
- **EDISON एलायंस:** यह आवश्यक डिजिटल अवसंरचना और सर्विस नेटवर्क एलायंस है। इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल समावेशन में तेजी लाने के लिए सरकारों और उद्योगों के साथ मिलकर काम करना है।
- **फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन-** यह कंपनियों का एक वैश्विक पहल है। यह उन सात औद्योगिक क्षेत्रों का विकार्षनीकरण करने के लिए कंपनियों की क्रय शक्ति का उपयोग करती है, जिनका उत्सर्जन कम करने में कठिनाई आती है। इनमें एल्यूमीनियम, विमानन, रसायन, कंक्रीट, शिपिंग, स्टील और ट्रक क्षेत्र शामिल हैं।
- **नेट-जीरो इंडस्ट्री ट्रेकर-** यह हार्ड-टू-एवेट सेक्टर्स के डिकार्बोनाइजेशन पर प्रगति की निगरानी करने के लिए बनाया गया दुनिया का पहला मानकीकृत क्रॉस-सेक्टरल फ्रेमवर्क है।
- **व्यापार सुविधा के लिए वैश्विक गठबंधन³²:** यह व्यापार-आधारित संवृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी का एक प्रकार है। यह गठबंधन विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सुविधा समझौते को लागू करने हेतु विकासशील और अल्प विकसित देशों की मदद करता है।

2.1.5. सुर्खियों में रहे अन्य महत्वपूर्ण संगठन (Other Important Organisations in News)

2.1.5.1. यूनाइटेड फॉर कन्सेन्सस (UFC) मॉडल {Uniting for Consensus (UfC) Model}

- भारत ने संयुक्त राष्ट्र में UFC मॉडल की आलोचना की है। यह मॉडल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों का विरोध करता है।
- **यूनाइटेड फॉर कन्सेन्सस (UFC) के बारे में:**
 - यह समूह 1990 के दशक में बनाया गया था। इसे **कॉफी क्लब** के नाम से भी जाना जाता है।
 - **UFC के उद्देश्य:**
 - सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीटों का विस्तार करके सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने के लिए समर्थन जुटाना।
 - सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य संख्या बढ़ाने का विरोध करना और वीटो शक्ति को सीमित करने का समर्थन करना।
 - सदस्य: इसमें 12 सदस्य देश और 2 पर्यवेक्षक शामिल हैं। सदस्यों में P5 देश (सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश), इटली, तुर्की, पाकिस्तान आदि शामिल हैं।

2.1.5.2. सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन (Collective Security Treaty Organisation: CSTO)

- **आर्मेनिया ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक CSTO से अपनी भागीदारी वापस ले ली है।**
- **CSTO के बारे में:**
 - इसका मुख्यालय **मॉस्को** में है।
 - इसकी उत्पत्ति 1992 में ताशकंद (उज़्बेकिस्तान) में हस्ताक्षरित एक संधि से हुई थी।
 - इसके बाद अजरबैजान, जॉर्जिया और बेलारूस इसमें शामिल हुए थे। यह संधि 1994 में लागू हुई थी।
 - वर्तमान में इसके छह सदस्य हैं: आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और बेलारूस।
 - 2023 में बेलारूस ने CSTO की अध्यक्षता की थी।
 - यह रूस और अन्य पूर्व सोवियत गणराज्यों के बीच एक अंतर-सरकारी सैन्य गठबंधन है।
 - **CSTO के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:**
 - राष्ट्रीय और सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करना,
 - गहन राजनीतिक-सैन्य सहयोग करना,
 - अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर विदेश नीति संबंधी समन्वय करना,
 - बहुपक्षीय सहयोग तंत्र की स्थापना करना आदि।

³² Global Alliance for Trade Facilitation

2.1.5.3. शंघाई सहयोग संगठन (SCO) स्टार्ट-अप फोरम {Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Startup Forum}

- SCO स्टार्ट-अप फोरम का चौथा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
- यह पहल निम्नलिखित पर बल देती है-
 - SCO सदस्य देशों के बीच स्टार्ट-अप इंटरैक्शन;
 - नवाचार के लिए अनुकूल परिवेश को बढ़ावा देना,
 - रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना और
 - युवा प्रतिभाओं को नवोन्मेषी समाधान विकसित करने के लिए प्रेरित करना।
- सितंबर, 2022 में समरकंद (उज़्बेकिस्तान) में आयोजित SCO राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में स्पेशल वर्किंग ग्रुप फॉर स्टार्ट-अप्स एंड इनोवेशन (SWG) का गठन किया गया था।
- इस मंच का गठन SCO स्टार्ट-अप फोरम के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था।
 - SWG की अध्यक्षता स्थायी रूप से भारत द्वारा की जाती है।
 - इसका गठन SCO सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए किया गया है।

2.1.5.4. पश्चिमी अफ्रीकी देशों का आर्थिक समुदाय (Economic Community of West African States: ECOWAS)

- बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने पश्चिमी अफ्रीकी देशों के समूह ECOWAS से बाहर निकलने की घोषणा की है।
- ECOWAS के बारे में: इसका मुख्यालय अबुजा (नाइजीरिया) में है।
 - यह 15 सदस्यों का क्षेत्रीय समूह है। 15 सदस्यों में बुर्किना फासो, माली व नाइजर भी शामिल हैं। इसकी स्थापना 1975 में लागोस की संधि से हुई थी।
 - अन्य सदस्य हैं: बेनिन, काबो वर्डे, कोटे डी आइवर, गैम्बिया, घाना, गिनी, गिनी बिसाऊ, लाइबेरिया, नाइजीरिया, सिएरा लियोन, सेनेगल और टोगो।
- इस संगठन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
 - सदस्यों के बीच सहयोग और एकीकरण को बढ़ावा देकर पश्चिम अफ्रीका में आर्थिक संघ की स्थापना करना। यह संघ:
 - लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाएगा,
 - आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देगा,
 - सदस्य देशों के बीच संबंधों को मजबूत करेगा, और
 - अफ्रीका महाद्वीप की प्रगति व विकास में योगदान देगा।

2.1.5.5. अफ्रीका क्लब (Africa Club)


- अफ्रीकी संघ ने अपने 37वें शिखर सम्मेलन में अफ्रीका क्लब की स्थापना की है। अफ्रीका क्लब को अलायन्स ऑफ अफ्रीकन मल्टीलेटरल फाइनेंसियल इंस्टीट्यूशन्स (AAMFIs) भी कहा गया है।
- अफ्रीका क्लब के बारे में:
 - यह अफ्रीकी बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों (AMFIs) का गठबंधन स्थापित करेगा। इसका उद्देश्य वैश्विक और महाद्वीपीय वित्तीय संस्थानों की मौजूदा संरचना में कमियों को दूर करना है।
 - इसका एक अन्य उद्देश्य नवीन वित्तीय साधन प्रस्तुत करना तथा ऋण के प्रबंधन पर चर्चाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना है।
 - मुख्य सदस्य: अफ्रीकन एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक, ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीका फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अफ्रीकन री-इन्वैस्टमेंट्स कॉर्पोरेशन आदि।
 - इसकी सदस्यता अफ्रीका के सभी बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों के लिए खुली है।

2.2. सुर्खियों में रहे स्थल (Places in News)


2.2.1. भारत और उसके पड़ोसी देश (India and its Neighborhood)

1. कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट (KMTT)

- संदर्भ: म्यांमार के विद्रोहियों ने पलेतवा शहर पर कब्जा कर लिया है। इसका KMTT परियोजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- KMTT परियोजना के बारे में:
 - इसका उद्देश्य भारत और म्यांमार के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इसके तहत भारत के पूर्वी बंदरगाह (कोलकाता) से म्यांमार के सितवे बंदरगाह तक और आगे पूर्वोत्तर भारत तक कनेक्टिविटी स्थापित की जाएगी।
 - परियोजना के निम्नलिखित चार चरण हैं-
 - बंगाल की खाड़ी से होते हुए कोलकाता से सितवे बंदरगाह तक।
 - सितवे से पलेतवा अंतर्देशीय (कलादान नदी)।
 - पलेतवा से मिजोरम में भारत-म्यांमार सीमा चौकी तक।
 - मिजोरम में लॉन्गलाई की सीमा (NH 54) तक।




2.2.2. दक्षिण पूर्व एशिया (South East Asia)



<p>1. मेकांग नदी</p> <ul style="list-style-type: none"> संदर्भ: <ul style="list-style-type: none"> मेकांग डेल्टा क्षेत्र में लवणीय जल के रिसाव के कारण वियतनाम को फसलों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। गौरतलब है कि मेकांग डेल्टा क्षेत्र को "वियतनाम का चावल का कटोरा" कहा जाता है। लाओस का लुआंग प्रबांग शहर मेकांग नदी पर एक बांध परियोजना के चलते खतरे का सामना कर रहा है। <ul style="list-style-type: none"> लुआंग प्रबांग शहर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है। मेकांग नदी के बारे में अन्य तथ्य: <ul style="list-style-type: none"> यह दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों से से होकर बहने वाली एक नदी है। इसका उद्गम स्थल तिब्बत का पठार है। यह दक्षिण चीन सागर में जाकर विलीन हो जाती है। यह चीन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम से होकर बहती है। 	
<p>2. इंडोनेशिया (राजधानी: जकार्ता)</p> <ul style="list-style-type: none"> संदर्भ: हाल ही में, भारत और इंडोनेशिया ने अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई है। स्थलीय सीमाएं: इसकी सीमाएं मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी और पूर्वी तिमोर से लगती हैं। जलीय निकाय: यह देश कई द्वीपों से मिलकर बना है। यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर क्षेत्र में दक्षिण-पूर्व एशिया की मुख्य भूमि से दूर स्थित है। <ul style="list-style-type: none"> समुद्री पड़ोसी देश: सिंगापुर, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और भारत। अन्य तथ्य: <ul style="list-style-type: none"> पांच मुख्य द्वीप: सुमात्रा, जावा, कालीमंतन (बोर्नियो द्वीप का दो-तिहाई), सुलावेसी और पापुआ। तीन प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटों के सीमा क्षेत्र में अवस्थित: भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई, यूरेशियाई और प्रशांत प्लेट्स। जावा गर्त हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। सबसे ऊंची चोटी: पूंजक जया 	
<p>3. टोंकिन की खाड़ी</p> <ul style="list-style-type: none"> संदर्भ: चीन ने टोंकिन की खाड़ी में बेस लाइन रेखांकित की है। चीनी भाषा में टोंकिन की खाड़ी को 'बेइबू खाड़ी' कहा जाता है। <ul style="list-style-type: none"> संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (UNCLOS), 1982 के तहत बेस लाइन का उपयोग प्रादेशिक जल और अनन्य आर्थिक क्षेत्रों (EEZs) की सीमा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। स्थलीय सीमाएं: टोंकिन की खाड़ी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी चीन के पास अवस्थित है। <ul style="list-style-type: none"> चीन और वियतनाम, दोनों ही दक्षिण चीन सागर पर अपना-अपना दावा करते रहे हैं, इसके बावजूद भी वे इस खाड़ी में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे हुए हैं। जलीय निकाय: रेड नदी इसी खाड़ी में मिल जाती है। यह नदी चीन और वियतनाम से होकर बहती है। 	

2.2.3. पश्चिम एशिया (West Asia)



1. ईरान (राजधानी: तेहरान)
- **संदर्भ:** ईरान के करमान शहर में बम विस्फोटों पर भारत ने दुख जताया है।
 - **सीमावर्ती राष्ट्र:** अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की और इराक।
 - **सीमावर्ती जल निकाय:** कैस्पियन सागर, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी।
 - **अन्य भौगोलिक विशेषताएं:**
 - प्रमुख पर्वत श्रेणियां: जाग्रोस, एल्ब्रुज व काकेशस
 - उच्चतम बिंदु: माउंट दमावंद (एक प्रकार का सुस स्ट्रेटोवॉल्केनो)




2. जॉर्डन (राजधानी: अम्मान)
- **संदर्भ:** हाल ही में, पूर्वोत्तर जॉर्डन में सीरियाई सीमा के पास अमेरिकी सैनिकों पर ड्रोन से हमला किया गया।
 - **स्थलीय सीमाएं:** इसकी सीमाएं उत्तर में सीरिया, पूर्व में इराक, दक्षिण-पूर्व व दक्षिण में सऊदी अरब और पश्चिम में इजरायल से लगती हैं।
 - **भौगोलिक विशेषताएं:**
 - प्रमुख नदियां: जॉर्डन, यरमौक, जारका आदि।
 - जॉर्डन का एकमात्र बंदरगाह अल-अकाबा है। यह अकाबा की खाड़ी (लाल सागर) में जॉर्डन को एक छोटी तट रेखा प्रदान करता है। यह जॉर्डन के दक्षिण-पश्चिमी भाग में स्थित है।




PT 365 - अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटीरियल

3. ब्लू लाइन
- **संदर्भ:** लेबनान में अमेरिकी दूत ने इस बात पर जोर दिया है कि शांति और सुरक्षा की गारंटी के लिए ब्लू लाइन पर यथा-स्थिति को बदलना होगा।
 - **ब्लू लाइन के बारे में:**
 - इजरायल और लेबनान को अलग करने वाली कोई आधिकारिक सीमा नहीं है। यह ब्लू लाइन से तय होती है।
 - इसे 2000 में संयुक्त राष्ट्र ने निर्धारित किया था। यह नीले बैरल्ल से निर्मित है और भूमध्य सागर से पूर्व में गोलान हाइट्स तक विस्तारित है।
 - इसका उद्देश्य लेबनान के दक्षिण से इजरायली सेना की वापसी की पुष्टि करना था।
 - **नोट:** ब्लू लाइन यू.एन. सिस्टम स्टाफ कॉलेज द्वारा बनाया गया एक लर्निंग इकोसिस्टम भी है।



2.2.4. उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप (Americas)



<p>1. निकारागुआ (राजधानी: मानागुआ)</p> <ul style="list-style-type: none"> • संदर्भ: हाल ही में, भारतीयों को लेकर निकारागुआ जाने वाले एक विमान को 'मानव तस्करी' के संदेह के कारण फ्रांस में रोक दिया गया था। • स्थलीय सीमाएं: इसकी भूमि सीमाएं उत्तर में होंडुरास और दक्षिण में कोस्टा रिका से लगती हैं। • जलीय निकाय: इसकी समुद्री सीमाएं पूर्व में कैरेबियन सागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर से लगती हैं। • अन्य तथ्य: <ul style="list-style-type: none"> ○ यह मध्य अमेरिकी गणराज्यों में सबसे बड़ा देश है। 	
<p>2. चिली (सैंटियागो)</p> <ul style="list-style-type: none"> • संदर्भ: हाल ही में, चिली में इस सदी की सबसे भयंकर बनावि की घटना घटित हुई है। • स्थलीय सीमाएं: इसके उत्तर में पेरू व बोलीविया, पूर्व में अर्जेंटीना अवस्थित हैं। • जलीय निकाय: पश्चिम में प्रशांत महासागर अवस्थित हैं। • भौगोलिक विशेषताएं: <ul style="list-style-type: none"> ○ प्रमुख पर्वत श्रृंखला: एंडीज ○ सर्वोच्च शिखर: ओजोस डेल सालाडो 	
<p>3. हैती (राजधानी: पोर्ट-ऑ-प्रिंस)</p> <ul style="list-style-type: none"> • संदर्भ: हैती में सामूहिक हिंसा बढ़ रही है, क्योंकि कुछ गुट वहां के प्रधान मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। • स्थलीय सीमा: इसके पूर्व में डोमिनिकन रिपब्लिक स्थित है। • समुद्री सीमा: इसके दक्षिण और पश्चिम में कैरेबियन सागर तथा उत्तर में अटलांटिक महासागर अवस्थित है। <ul style="list-style-type: none"> ○ गोनावे की खाड़ी हैती के पश्चिमी तट पर स्थित है। • भौगोलिक विशेषताएं: <ul style="list-style-type: none"> ○ हैती हिस्पैनियोला द्वीप के पश्चिमी भाग पर एक कैरेबियन द्वीप है। ○ 4 पर्वत श्रृंखलाएं: कॉर्डिलेरा सेप्टेंट्रियनल, नॉर्दर्न मैसिफ, मैथ्यूक्स माउंटेन्स और मैसिफ डे ला सेले 	

4. ग्रीनलैंड (राजधानी: नूक)
- संदर्भ: एक शोध के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण ग्रीनलैंड की हिम चादर में पहले की तुलना में 20% की कमी आई है।
 - पड़ोसी: कनाडा और आइसलैंड
 - डेनमार्क जलडमरूमध्य ग्रीनलैंड को आइसलैंड से अलग करता है।
 - अन्य भौगोलिक विशेषताएं:
 - यह डेनमार्क का एक हिस्सा है। हालांकि, ग्रीनलैंड की होम-रूल सरकार अधिकांश गृह मामलों के लिए उत्तरदायी है।
 - ग्रीनलैंड का दो-तिहाई हिस्सा उत्तरी अटलांटिक महासागर में आर्कटिक वृत्त के भीतर स्थित है।
 - यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके भू-भाग पर विशाल टुंड्रा बायोम मौजूद है।
 - इसकी प्रमुख भौतिक विशेषता इसकी विशाल हिम चादर है। अंटार्कटिका के बाद विश्व में सर्वाधिक हिम चादर ग्रीनलैंड में है।



5. डेरियन गैप
- डेरियन गैप अवैध आप्रवासन के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे तेजी से सीमा-पार करने वाले मार्ग के रूप में उभरा है।
 - दक्षिण अमेरिका से उत्तरी अमेरिका में गैर-कानूनी रूप से प्रवेश करने के लिए इस मार्ग का उपयोग किया जाता है।
 - डेरियन गैप के बारे में:
 - यह गैप उत्तरी कोलंबिया और दक्षिणी पनामा को जोड़ता है।
 - यह पनामा स्थल-संधि (Isthmus) का हिस्सा है।
 - स्थल-संधि वास्तव में भूमि का एक संकरा भाग होता है। इसके दोनों ओर जल होता है तथा यह भाग दो बड़े भूखंडों को जोड़ता है।
 - यह एक उष्ण और आर्द्र क्षेत्र है। यहां उष्णकटिबंधीय वर्षावन, मैंग्रोव दलदल और क्लाउड फॉरेस्ट वनस्पति के साथ कम ऊंचाई वाली पर्वत श्रेणियां (उष्णकटिबंधीय पर्वतीय क्षेत्र) मौजूद हैं।



CSAT

CLASSROOM PROGRAM 2024


ENGLISH MEDIUM
Admission Open

हिन्दी माध्यम
प्रवेश प्रारंभ




OFFLINE ONLINE

2.2.5. हिंद-प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific Region)



1. रिपब्लिक ऑफ नौरु (राजधानी: यारेन)
 - **संदर्भ:** नाउरू ने “एक-चीन सिद्धांत” के तहत पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता दी है। साथ ही, ताइवान के साथ सभी तरह के राजनयिक संबंध समाप्त कर दिए हैं।
 - “एक-चीन सिद्धांत” के अनुसार, ताइवान चीन का एक अविभाज्य हिस्सा है, और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार ताइवान के लिए एकमात्र वैध सरकार है।
 - **जलीय निकाय:** यह दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर-पूर्व में अवस्थित है।
 - **अन्य भौगोलिक विशेषताएं:**
 - यह एक प्रवाल द्वीप है। इसमें एक केंद्रीय पठार है। यह पठार बड़े पैमाने पर रॉक फॉस्फेट से बना है।
 - यह रॉक फॉस्फेट समुद्री पक्षियों, चमगादड़ों आदि के मल संग्रह से बना है।
 - यह माइक्रोनेशिया का भाग है। माइक्रोनेशिया द्वीपों का एक समूह है।
 - यह भूमध्य रेखा के दक्षिण में अवस्थित है।



2. कुरील द्वीप समूह

- संदर्भ: हाल ही में, कुरील द्वीप समूह में रिक्टर पैमाने पर 6.3 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है।
- कुरील द्वीप-समूह रूस के कामचटका प्रायद्वीप से जापान के होक्काइडो द्वीप तक फैला हुआ है।
- यह द्वीप-समूह ओखोटस्क सागर को प्रशांत महासागर से अलग करता है।
- अन्य भौगोलिक विशेषताएं:
 - इसके कई द्वीप भूगर्भिक दृष्टि से सक्रिय हैं।
 - रूस और जापान इसके चार द्वीपों पर अपनी-अपनी संप्रभुता का दावा करते रहे हैं।
 - इन्हें जापान में नॉदर्न टेरिटरी और रूस में साउथ कुरील कहा जाता है।



3. जापान (राजधानी: टोक्यो)

- संदर्भ: जापान ने अलग-अलग देशों की चिंताओं को दरकिनार करते हुए फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र से परमाणु-संदूषित जल समुद्र में छोड़ने का चौथा चरण आरंभ कर दिया है।
- जलीय निकाय: इसका विस्तार ओखोटस्क सागर (उत्तर) से पूर्वी चीन सागर (दक्षिण) तक है।
- समुद्री सीमाएं: चीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, रूस, उत्तरी मैरियाना द्वीप (संयुक्त राज्य अमेरिका) और रिपब्लिक ऑफ चीन (ताइवान) से लगती हैं।
- अन्य भौगोलिक विशेषताएं:
 - यह सर्कम-पैसिफिक "रिंग ऑफ फायर" में स्थित है।
 - सबसे ऊँचा पर्वत: माउंट फूजी
 - सबसे लंबी नदी: शिनानो नदी



4. किनमेन द्वीप समूह (क्यूमोय द्वीप समूह)

- ताइवान ने चीन से आग्रह किया है कि वह किनमेन द्वीप समूह के निकट जल क्षेत्र में यथास्थिति में कोई बदलाव न करे।
- किनमेन द्वीप समूह में 12 द्वीप हैं। इनमें किनमेन प्रमुख द्वीप है।
 - यह ताइवान के अधिकार क्षेत्र में है। यह चीनी मुख्य भूमि के मुहाने पर ताइवान जलसंधि में स्थित है।
 - यह पहाड़ी द्वीप है। इसमें पठारी और चट्टानी दोनों क्षेत्र हैं। यहां मानसूनी उपोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है।
 - जब 1949 में नेशनलिस्ट पार्टी चीन की मुख्य भूमि से हट गई थी तब यह कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट पार्टियों के बीच संघर्ष का स्थल रहा था।



2.2.6. यूरोप (Europe)



1. डेनमार्क (राजधानी: कोपेनहेगन)
- संदर्भ: डेनमार्क की महारानी मार्ग्रेथ द्वितीय ने 52 वर्ष तक सिंहासन पर आसीन रहने के बाद अपने सिंहासन त्याग की घोषणा की है।
 - महारानी मार्ग्रेथ यूरोप की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली साम्राज्ञी हैं।
 - सीमावर्ती राष्ट्र: जर्मनी, स्वीडन और नॉर्वे।
 - सीमावर्ती जल निकाय: उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर।
 - अन्य भौगोलिक विशेषताएं: यह उत्तरी यूरोप का देश है। यह जटलैंड प्रायद्वीप और उत्तरी सागर (North Sea) के 400 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना है।



<p>2. स्विट्जरलैंड (राजधानी: बर्न)</p> <ul style="list-style-type: none"> संदर्भ: स्विट्जरलैंड और भारत 16 वर्षों तक चली वार्ता के बाद मुक्त व्यापार समझौते पर आम सहमति पर पहुंच गए हैं। स्थलीय सीमाएं: इसकी सीमाएं पश्चिम में फ्रांस; उत्तर में जर्मनी; पूर्व में ऑस्ट्रिया और लिक्टेंस्टाइन तथा दक्षिण में इटली से लगती हैं। भौगोलिक विशेषताएं: <ul style="list-style-type: none"> यह मध्य यूरोप का भू आबद्ध (Landlocked) देश है। प्रमुख नदियां: राइन, रोम आदि प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं: आल्प्स, जुरा आदि 	
<p>3. ग्रीस (राजधानी: एथेंस)</p> <ul style="list-style-type: none"> भारत और ग्रीस विविध क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। स्थलीय सीमाएं: इसकी स्थलीय सीमाएं अल्बानिया, बुल्गारिया, तुर्की (पूर्व) और मैसेडोनिया गणराज्य से लगती हैं। प्रमुख जल निकाय: इसके पूर्व में एजियन सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और पश्चिम में आयोनियन सागर अवस्थित हैं। भौगोलिक विशेषताएं: यह बाल्कन प्रायद्वीप का सबसे दक्षिणी देश है। 	
<p>4. आइसलैंड (राजधानी: रिकिाविक)</p> <ul style="list-style-type: none"> संदर्भ: हाल ही में, आइसलैंड में एक ज्वालामुखी में उद्धार हुआ है। जलीय निकाय: यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित द्वीपीय देश है। समुद्री सीमावर्ती देश: इसकी तटरेखाएं उत्तर में ग्रीनलैंड सागर, पूर्व में नॉर्वेजियन सागर, दक्षिण एवं पश्चिम में अटलांटिक महासागर तथा उत्तर-पश्चिम में डेनमार्क जलडमरूमध्य से मिलती हैं। अन्य भौगोलिक विशेषताएं: <ul style="list-style-type: none"> यह एक नॉर्डिक देश है। <ul style="list-style-type: none"> अन्य नॉर्डिक देश हैं- डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। आइसलैंड का अधिकांश भाग आग्नेय बेसाल्ट चट्टान से बना है। यह मध्य-अटलांटिक कटक पर स्थित है। 	

5. कैटेलोनिया (राजधानी: बार्सिलोना)

- संदर्भ: कैटेलोनिया ने अपने इतिहास के अब तक के भीषण सूखे के चलते आपातकाल की घोषणा की है।
- स्थलीय सीमाएं: इसकी सीमा उत्तर में फ्रांस और अंडोरा के साथ लगती है।
- जलीय निकाय: पूर्व की तरफ से भूमध्य सागर के साथ लगती है।
- अन्य भौगोलिक विशेषताएं:
 - यह स्पेन का एक स्वायत्त क्षेत्र है।
 - यह आइबेरियन प्रायद्वीप के उत्तर-पूर्व में अवस्थित है।
 - पिरेनीज पर्वत श्रृंखला कैटेलोनिया को फ्रांस से अलग करती है।
 - प्रमुख नदी: एब्रो नदी



6. बाल्टिक सागर

- संदर्भ: रूस ने यूक्रेन पर बाल्टिक सागर में स्थित उस्त-लुगा बंदरगाह के गैस टर्मिनल पर हमला करने का आरोप लगाया है।
- स्थलीय सीमाएं: बाल्टिक सागर स्वीडन, फिनलैंड और मध्य यूरोपीय मुख्य भूमि के बीच स्थित है।
- जलीय निकाय: इसमें विस्तुला और ओडर नदियां आकर गिरती है।
- अन्य भौगोलिक विशेषताएं:
 - यह पृथ्वी पर सबसे नवीन सागर है। यह लगभग चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। यहां पर आर्कटिक जैसी जलवायु स्थितियों का अनुभव किया जा सकता है। बाल्टिक सागर दुनिया में लवणीय जल के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है।
 - इसकी जैव विविधता के समक्ष खतरों में निम्नलिखित शामिल हैं:
 - सुपोषण (Eutrophication),
 - असंधारणीय तरीके से मछली पकड़ना,
 - आक्रामक प्रजातियां इत्यादि।



7. हंगरी (राजधानी: बुडापेस्ट)

- संदर्भ: हंगरी की संसद ने स्वीडन के नाटो (NATO) में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
- स्थलीय सीमाएं: यह स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया और ऑस्ट्रिया के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है।
- अन्य भौगोलिक विशेषताएं:
 - यह मध्य यूरोप का स्थलरुद्ध (Landlocked) देश है।
 - इसकी स्थलाकृति में उत्तर-पश्चिम में लिटिल अल्फोल्ड (लिटिल हंगेरियन प्लेन) और दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व तक ग्रेट अल्फोल्ड सहित बड़े तराई क्षेत्रों का विस्तार है।



PT 365 - अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटीरियल


<p>8. स्वीडन (राजधानी: स्टॉकहोम)</p> <ul style="list-style-type: none"> संदर्भ: स्वीडन शीघ्र ही "उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो/ NATO)" में शामिल हो जाएगा। स्थलीय सीमाएं: इसकी भूमि सीमाएं फिनलैंड और नॉर्वे से लगती हैं। समुद्री सीमाएं: इसकी समुद्री सीमाएं डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, रूस, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया से लगती हैं। जलीय निकाय: स्वीडन बाल्टिक सागर, गल्फ ऑफ बोथनिया, कैटेगाट, श्कागेरक तथा औरिसुंड जलडमरूमध्य से घिरा हुआ है। अन्य भौगोलिक विशेषताएं: <ul style="list-style-type: none"> यह उत्तरी यूरोप में स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप पर अवस्थित है। प्राकृतिक संसाधन: लौह अयस्क, तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, टंगस्टन, यूरेनियम आदि। 	
<p>9. बेलारूस (राजधानी: मिन्स्क)</p> <ul style="list-style-type: none"> संदर्भ: बेलारूस के विदेश मंत्री ने भारत की आधिकारिक यात्रा की। सीमावर्ती देश: इसके उत्तर-पश्चिम में लिथुआनिया और लाटविया, उत्तर एवं पूर्व में रूस, दक्षिण में यूक्रेन तथा पश्चिम में पोलैंड अवस्थित है। जलीय निकाय: प्रिपेट, नीपर, और नेमन। अन्य भौगोलिक विशेषताएं: <ul style="list-style-type: none"> यह पूर्वी यूरोप का एक भू-आबद्ध देश है। देश के अधिकांश भाग में समतल तराई क्षेत्र मौजूद हैं। इन क्षेत्रों को बहुत कम ऊंचाई वाली छोटी-छोटी पहाड़ियां और ऊँचे धरातल अलग करते हैं। उच्चतम बिंदु: ज्यारझिंस्काया हिल। 	
<p>10. बुल्गारिया (राजधानी: सोफिया)</p> <ul style="list-style-type: none"> संदर्भ: हाल ही में, भारतीय नौसेना ने हाईजैक किए गए बुल्गेरियाई जहाज "रुएन" और बंधक बनाए गए उसके चालक दल को सोमालियाई समुद्री डाकूओं से बचाया है। सीमावर्ती देश: इसके दक्षिण में तुर्की और ग्रीस; पश्चिम में नार्थ मैसिडोनिया व सर्बिया तथा उत्तर में रोमानिया स्थित है। सीमावर्ती जल निकाय: काला सागर। अन्य भौगोलिक विशेषताएं: <ul style="list-style-type: none"> यह दक्षिण-पूर्वी यूरोप के बाल्कन प्रायद्वीप में अवस्थित है। यह यूरोपीय संघ का सदस्य राष्ट्र है। प्रमुख नदियां: डेन्यूब, मैरित्सा, स्ट्रुमा, इस्कर आदि पर्वत श्रृंखलाएं: बाल्कन पर्वत, रीला, पिरिन, रोडोप्स आदि 	

11. अल्बानिया (राजधानी: तिराना)
- **संदर्भ:** अल्बानिया ने भारत में दूतावास खोलने की घोषणा की है।
 - **स्थलीय सीमाएं:** इसकी भूमि-सीमाएं उत्तर-पश्चिम में **मोंटेनेग्रो**; उत्तर-पूर्व में **कोसोवो**; पूर्व में **नार्थ मैसिडोनिया**; तथा दक्षिण व दक्षिण-पूर्व में **ग्रीस** के साथ लगती हैं।
 - **जल निकाय:** इसके पश्चिम में **एड्रियाटिक सागर** और दक्षिण-पश्चिम में **आयोनियन सागर** अवस्थित हैं।
 - **अन्य भौगोलिक विशेषताएं:**
 - यह **बाल्कन प्रायद्वीप** में दक्षिण-पूर्वी यूरोप में स्थित है।



2.2.7. अफ्रीका (Africa)

अफ्रीका महाद्वीप



1. **काबो वर्डे (राजधानी: परैया)**

- संदर्भ: WHO ने काबो वर्डे को मलेरिया-मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है। मॉरीशस और अल्जीरिया के बाद यह दर्जा हासिल करने वाला काबो वर्डे तीसरा अफ्रीकी देश है।
- जलीय निकाय: यह द्वीपसमूह अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह अफ्रीका के पश्चिमी तट से लगभग 500 कि.मी. दूर स्थित है।
- अन्य भौगोलिक विशेषताएं:
 - यह द्वीप समूह कभी पुर्तगाली उपनिवेश था। इसमें 10 द्वीप और पांच लघु द्वीप (Islets) शामिल हैं।
 - यह द्वीप समूह मूल रूप से ज्वालामुखी उद्गार से बना है।



2. **विक्टोरिया झील**

- संदर्भ: तंजानिया के सहयोग से सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट विक्टोरिया झील के कायाकल्प हेतु काम कर रहा है।
- विक्टोरिया झील के बारे में:
 - यह अफ्रीका में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। साथ ही, यह क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर झील के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील भी है।
 - नील नदी विक्टोरिया झील से ही निकलती है। इस झील के बेसिन केन्या, युगांडा, तंजानिया, रवांडा और बुरुंडी साझा करते हैं।
 - इसे लगभग 80% जल वर्षा से प्राप्त होता है।



3. **सोमालिया (राजधानी: मोगादिशु)**

- संदर्भ: भारतीय नौसेना ने सोमालिया के समुद्री लुटेरों द्वारा हाईजैक किए हुए जहाज एमवी रुएन का उपयोग करके अन्य जहाज को हाईजैक करने के प्रयास को विफल किया।
- स्थलीय सीमाएं: इसकी सीमाएं पश्चिम में केन्या और इथियोपिया; तथा उत्तर-पश्चिम में जिबूती से लगती हैं।
- जलीय सीमाएं: उत्तर में अदन की खाड़ी से और पूर्व में हिंद महासागर से लगती हैं।
- अन्य भौगोलिक विशेषताएं:
 - यह अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य भूमि के सबसे पूर्व में स्थित देश है। यह देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका प्रायद्वीप का हिस्सा है।
 - सबसे ऊंची चोटी: माउंट शिम्बरिस (माउंट सुरुद कैड)।
 - प्रमुख नदियां: जुबा और शबेले।




4. मॉरिटानिया (राजधानी: नुवाकोट)
- संदर्भ: भारत और मॉरिटानिया ने नुवाकोट में अपना पहला 'फॉरिन ऑफिस कंसल्टेशन्स (FOC)' आयोजित किया।
 - सीमावर्ती देश/ क्षेत्र: पश्चिमी सहारा क्षेत्र (इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्से पर मोरक्को का कब्जा है), अल्जीरिया, माली और सेनेगल।
 - सीमावर्ती जल निकाय: अटलांटिक महासागर, सेनेगल नदी (यह सेनेगल के साथ इसकी सीमा निर्धारित करती है)।
 - अन्य भौगोलिक विशेषताएं:
 - मॉरिटानिया का अधिकांश भाग सहारा रेगिस्तान का हिस्सा है।
 - यहाँ की स्थलाकृति में मुख्य रूप से इनसेलबर्ग शामिल हैं, जिनमें से सबसे ऊंची चोटी माउंट इजिल है। इनसेलबर्ग मैदानी या समतल क्षेत्र में तीव्र ढलान वाली पहाड़ियां या छोटे पहाड़ होते हैं।



2.3. द्विपक्षीय संबंध (Bilateral Relations)

2.3.1. अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा और कच्चातिवू का मुद्दा (International Maritime Boundary Line And Kachchatheevu Issue)

सुर्खियों में क्यों?
 श्रीलंका के मछुआरों ने श्रीलंका के जल क्षेत्र में अवैध तरीके से मछली पकड़ने को लेकर भारतीय मछुआरों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। श्रीलंकाई मछुआरों के अनुसार भारतीय मछुआरों ने श्रीलंका के लिए निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL)³³ का उल्लंघन किया है।



³³ International Maritime Boundary Line


PT 365 - अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटीरियल

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) के बारे में

- भारत-श्रीलंका ने 1974 के समुद्री सीमा समझौते द्वारा IMBL को पाक जलडमरूमध्य में सीमांकित किया था।
- इसे समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS)³⁴ के सिद्धांतों के आधार पर सीमांकित किया गया था।
- UNCLOS के अनुसार, समुद्री सीमाओं को अक्सर समान दूरी के सिद्धांत के आधार पर परिभाषित किया जाता है। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि किसी देश की समुद्री सीमा को उसके पड़ोसी देश के तटीय क्षेत्रों से समान दूरी पर एक मध्य रेखा का पालन करना चाहिए।
 - यह सीमा प्रत्येक देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ)³⁵, प्रादेशिक सागर³⁶ और अन्य समुद्री क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए स्थापित की गई है। इससे समुद्री क्षेत्राधिकार संबंधी विवादों एवं संघर्षों को रोकने में मदद मिलती है।

कच्चातिवू द्वीप का मुद्दा

- कच्चातिवू और वेज बैंक (Wadge Bank) के बारे में:
 - कच्चातिवू श्रीलंका की समुद्री सीमा रेखा के भीतर समुद्र में 285 एकड़ का एक क्षेत्र है।
 - यह रामेश्वरम के उत्तर-पूर्व और श्रीलंका के डेलफ्ट द्वीप के दक्षिण-पश्चिम में अवस्थित है।
 - इसका निर्माण 14वीं सदी के ज्वालामुखी उद्गार से हुआ था। इसकी लंबाई 1.6 कि.मी. है और इसकी चौड़ाई केवल 300 मीटर है।
 - वेज बैंक विश्व में मछली पकड़ने के सबसे समृद्ध जलीय क्षेत्रों में से एक है। यह कच्चातिवू द्वीप की तुलना में समुद्र में कहीं अधिक सामरिक अवस्थिति में है।
- UNCLOS के अनुच्छेद 15 में दो देशों के मध्य समुद्री सीमाओं को निर्धारित करने के लिए मध्य रेखा (Median line) का उपयोग करने से छूट प्रदान की गई है। यह संबंधित देशों को आपसी सहमति से समुद्री सीमा तय करने की अनुमति देता है।
- 1974 में भारत और श्रीलंका के बीच हुए समझौते ने इस छूट के तहत एक आपस में सहमत समुद्री सीमा स्थापित की। परिणामस्वरूप, कच्चातिवू द्वीप श्रीलंका के समुद्री सीमा क्षेत्र में आ गया।
 - भारतीय मछुआरों को केवल आराम करने, जाल सुखाने और वार्षिक सेंट एंथनी चर्च उत्सव के लिए कच्चातिवू पर जाने की अनुमति दी गई थी।
- बाद में, दोनों देशों के बीच 1976 में हुए समझौते के तहत कन्याकुमारी के पास अवस्थित वेज बैंक पर भारत को संप्रभु अधिकार देकर समुद्री सीमा तय की गई।
- विशिष्ट परिस्थितियों में सीमित संख्या को छोड़कर, श्रीलंकाई मत्स्यन जहाजों को वेज बैंक में मछली पकड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया था।



2.3.2. भारत-भूटान संबंध (India-Bhutan Relation)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री ने भूटान की राजकीय यात्रा की। इस यात्रा के दौरान भारत के प्रधान मंत्री को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, 'ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो'³⁷ से सम्मानित किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- "ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो" सम्मान भारत-भूटान के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत बनाने में भारत के प्रधान मंत्री के योगदान को मान्यता प्रदान करता है। इसके अलावा, इस सम्मान से भारतीय प्रधान मंत्री के जन-केंद्रित नेतृत्व को भी पहचान मिली है।
- यह भारत के वैश्विक शक्ति के रूप में उदय को भी मान्यता प्रदान करता है।

³⁴ United Nations Convention on the Law of the Sea

³⁵ Exclusive Economic Zone

³⁶ Territorial waters

³⁷ Order of the Druk Gyalpo

- भारतीय प्रधान मंत्री यह प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी प्रधान मंत्री हैं।
- यात्रा के दौरान किए गए अन्य प्रमुख विकासत्मक समझौते/ कार्य:
 - ऊर्जा, अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत अगले पांच वर्षों में भूटान को वित्तीय सहायता के रूप में 10,000 करोड़ रुपये प्रदान करेगा।
 - दोनों देशों ने कनेक्टिविटी में सुधार के लिए कोकराझार-गेलेफू और बनारहाट-समत्से नामक दो रेल लिंक स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर सहमति प्रकट की है।
 - दोनों पक्षों को उम्मीद है कि 2024 में 1020 मेगावाट की पुनात्सांगझू-II जलविद्युत परियोजना चालू हो जाएगी।

भारत और भूटान के बीच सहयोग के क्षेत्र

- **कूटनीति:** भारत और भूटान के बीच संबंधों का मूल आधार 1949 में हस्ताक्षरित "मित्रता और सहयोग की संधि" है। इस संधि को 2007 में फिर से नवीकृत किया गया था।
- **व्यापार:**
 - भारत, आयात स्रोत और एक निर्यात गंतव्य के रूप में भूटान का शीर्ष व्यापारिक भागीदार है। व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है।
 - भारत, भूटान में निवेश करने वाला अग्रणी देश है। भूटान में होने वाले कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का 50 प्रतिशत भारत निवेश करता है।
 - व्यापार, वाणिज्य और पारगमन समझौता, 2016: इसके तहत दोनों देशों के बीच एक मुक्त व्यापार व्यवस्था की शुरुआत की गई है।
- **विकास संबंधी भागीदारी:**
 - 2023-24 के बजट के अनुसार भूटान, भारत से प्राप्त बाह्य सहायता का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है।
 - भूटान ने 2034 तक 'उच्च आय' वाला राष्ट्र बनने का निर्णय लिया है। भारत 'ब्रांड भूटान' और 'भूटान बिलीव' की अवधारणा को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
- **कनेक्टिविटी:** भूटान, एक अंतर्राष्ट्रीय शहर (गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी) बनाने की योजना बना रहा है। यह शहर भूटान की सीमा को असम से जोड़ेगा।
- **जलविद्युत परियोजना:** भारत ने भूटान में चार प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया है। ये परियोजनाएं हैं- कुरिछू, ताला, चुखा और मांगदेछू। ये चारों परियोजनाएं भारत को विद्युत की आपूर्ति कर रही हैं।
- **सुरक्षा:**
 - भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल (MTRAT)³⁹ स्थायी रूप से पश्चिमी भूटान में स्थित है। यह रॉयल भूटान आर्मी को सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करता है।
 - भारत के सीमा सड़क संगठन (BRO) ने 'दंतक (DANTAK)' परियोजना के तहत भूटान में अधिकांश सड़कों का निर्माण किया है।
- **सहयोग के लिए शुरू की गई नई पहलें:**
 - भूटान में RuPay और BHIM ऐप की शुरुआत की गई है। ये पहले डिजिटल डुकुल जैसी कई प्रौद्योगिकी संबंधी पहलों पर सहयोग करने के लिए आरंभ की गई हैं।
 - इसरो और भूटान की अंतरिक्ष एजेंसी ने संयुक्त रूप से 'भारत-भूटान SAT' उपग्रह को विकसित किया है।

भूटान के बारे में: (राजधानी- थिम्पू)

- **राजनितिक विशेषताएं:**
 - यह पूर्वी हिमालय में अवस्थित भारत और चीन के बीच एक भू-आबद्ध देश है।
 - यह भारत के चार राज्यों के साथ 699 किलोमीटर लंबी खुली सीमा साझा करता है। ये चार राज्य हैं- असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम।
- **भौगोलिक विशेषताएं:** भूटान में बहने वाली सभी नदियां दक्षिण की ओर बहती हैं और ये नदियां आकर भारत में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं।
- **अन्य प्रमुख तथ्य:**
 - भूटान विश्व का पहला कार्बन नेगेटिव देश है।
 - भूटान सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की बजाय सकल राष्ट्रीय खुशहाली (GNH)³⁸ को प्रोत्साहित करने के अपने दर्शन के लिए जाना जाता है।

³⁸ Gross National Happiness

³⁹ Military Training Team

भारत-भूटान-चीन ट्रायंगल

भूटान में चीन का बढ़ता प्रभाव

- **क्षेत्रीय मजबूती:** चीन, उत्तरी भूटान में जकारलुंग और पासमलुंग तथा पश्चिमी भूटान में डोकलाम पठार के क्षेत्रों पर अपना दावा करता है। यह बाह्य दबाव के प्रति भूटान की कमजोर स्थिति को दर्शाता है।
 - चीन ने डोकलाम के पास पांगडा नाम से एक नया गांव बसाया है।
 - 2020 से चीन द्वारा भूटान के त्राशीगंग नामक पूर्वी जिले में स्थित **सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य** के 650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर दावा कर रहा है।

2.3.3. भारत-रूस संबंध (India-Russia Relations)

सुर्खियों में क्यों?

दिसंबर, 2023 में भारत के विदेश मंत्री ने रूस की आधिकारिक यात्रा की थी। इस दौरान भारत और रूस ने तीन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। "प्रोटोकॉल ऑन कंसल्टेशंस" नामक दस्तावेज इनमें से एक है।

भारत-रूस सहयोग के प्रमुख क्षेत्र एवं इसका महत्त्व

- **राजनीतिक संबंध:** दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को 2010 में "विशिष्ट और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी⁴⁰" के स्तर तक बढ़ाया गया था।
 - दोनों देशों के बीच पहली "2+2 वार्ता" दिसंबर, 2021 में आयोजित की गई थी। इस वार्ता में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों और विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया था।
- रूस भारतीय सशस्त्र बलों के लिए रक्षा उपकरणों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। द्विपक्षीय परियोजनाओं में S-400 की आपूर्ति, T-90 टैंकों और Su-30 MKI का लाइसेंस प्राप्त उत्पादन, भारत में Ak-203 राइफलों का उत्पादन और ब्रह्मोस मिसाइलों का उत्पादन शामिल है।
- दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को "2021-2031 के लिए सैन्य तकनीकी सहयोग कार्यक्रम पर समझौते" से मार्गदर्शन प्राप्त होता है।
- **इंद्र (INDRA)** नामक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास में दोनों देशों की तीनों सेनाएं भाग लेती हैं।
- **अंतरिक्ष सहयोग:** रूस ने शुरुआती दिनों से ही भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का समर्थन किया है। उदाहरण के लिए- वर्तमान में भी रूस द्वारा भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन 'गगनयान' का समर्थन किया जा रहा है।
- **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:** इस क्षेत्रक में भारत एवं रूस के संबंध आधारभूत विज्ञान के साथ-साथ विश्वविद्यालयों के रूसी-भारतीय नेटवर्क (RIN), आर्कटिक व अंटार्कटिक अनुसंधान आदि क्षेत्रों तक विस्तारित है।
- भारत और रूस ने **कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (KNPP)** के लिए पाँवर यूनिट्स के निर्माण हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए।

देश के बारे में: रूस (राजधानी: माँस्को)



- **राजनीतिक सीमाएं:**
 - **समुद्री सीमा:** रूस उत्तर और पूर्व में आर्कटिक और प्रशांत महासागर से घिरा है।
 - रूस के उत्तर-पश्चिम में बाल्टिक सागर की ओर लघु भूखंड या तटीय क्षेत्र हैं। इनमें से एक सेंट पीटर्सबर्ग शहर में है और दूसरा कालिनिनग्राद नामक ओब्लास्ट (क्षेत्र) है जो रूसी मुख्य भूमि से कटा हुआ है। कालिनिनग्राद की सीमाएं पोलैंड और लिथुआनिया से लगी हुई हैं।
 - **पड़ोसी:** दक्षिण में रूस की सीमा उत्तर कोरिया, चीन, मंगोलिया और कजाकिस्तान, अजरबैजान और जॉर्जिया से लगती है।
 - दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम में इसकी सीमा यूक्रेन, बेलारूस, लातविया और एस्टोनिया के साथ-साथ फिनलैंड और नॉर्वे से लगती है।
- **अन्य मुख्य तथ्य:**
 - पूर्व से पश्चिम तक फैलाव के मामले में रूस सबसे बड़ा देश है।
 - दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल रूस में है।
 - **उच्चतम बिंदु:** माउंट एल्ब्रस

⁴⁰ Special and Privileged Strategic Partnership

न्यूज़ टुडे

“न्यूज़ टुडे” डेली करेंट अफेयर्स की एक संक्षिप्त प्रस्तुति है। इस डॉक्यूमेंट की मदद से न्यूज़-पेपर को पढ़ना काफी आसान हो जाता है और इससे अभ्यर्थी दैनिक घटनाक्रमों के बारे में अपडेट भी रहते हैं। इससे अभ्यर्थियों को कई अन्य तरह के लाभ भी मिलते हैं, जैसे:



किसी भी न्यूज़ से जुड़े घटनाक्रमों के बारे में बेहतर समझ विकसित करने के लिए



न्यूज़ पढ़ने का एक ऐसा नजरिया विकसित करने के लिए, जिससे अभ्यर्थी आसानी से समझ सकें हैं कि न्यूज़ पेपर्स में से कौन-सी न्यूज़ पढ़नी है



टेक्निकल टर्म्स और न्यूज़ से जुड़े जटिल कॉन्सेप्ट्स के बारे में सरल समझ विकसित करने के लिए



न्यूज़ टुडे डॉक्यूमेंट की मुख्य विशेषताएं

- ① स्रोत: इसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, न्यूज़ ऑन ए.आई.आर., इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, द मिंट जैसे कई स्रोतों से न्यूज़ को कवर किया जाता है।
- ② भाग: इसके तहत 4 पेज में दिन-भर की प्रमुख सुर्खियों, अन्य सुर्खियों और सुर्खियों में रहे स्थल एवं व्यक्तित्व को कवर किया जाता है।
- ③ प्रमुख सुर्खियां: इसके तहत लगभग 200 शब्दों में पूरे दिन की प्रमुख सुर्खियों को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें हालिया घटनाक्रम को विस्तार से कवर किया जाता है।
- ④ अन्य सुर्खियां और सुर्खियों में रहे स्थल/ व्यक्तित्व: इस भाग के तहत सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण टर्म, संरक्षित क्षेत्र और प्रजातियों आदि को लगभग 90 शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है।



न्यूज़ टुडे वीडियो की मुख्य विशेषताएं

- ① प्रमुख सुर्खियां: इसमें दिन की छह सबसे महत्वपूर्ण सुर्खियों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। इससे आप एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण न्यूज़ को खोजने में आपना कीमती समय बर्बाद किए बिना मुख्य घटनाक्रमों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।
- ② सुर्खियों में रहे स्थल/ व्यक्तित्व: इसमें सुर्खियों में रहे एक महत्वपूर्ण स्थल या मशहूर व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता है।
- ③ स्मरणीय तथ्य: इस भाग में चर्चित विषयों को संक्षेप में कवर किया जाता है, जिससे आपको दुनिया भर के मौजूदा घटनाक्रमों की जानकारी मिलती रहती है।
- ④ प्रश्नोत्तरी: प्रत्येक न्यूज़ टुडे वीडियो बुलेटिन के अंत में MCQs भी दिए जाते हैं। इसके जरिए हम न्यूज़ पर आपकी पकड़ का परीक्षण करते हैं। यह इंटरैक्टिव चरण आपकी लर्निंग को जानवर्धक के साथ-साथ मज़ेदार भी बनाता है। इससे आप घटनाक्रमों से जुड़े तथ्यों आदि को बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं।
- ⑤ रिसोर्सेज: वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में “न्यूज़ टुडे” के PDF का लिंक दिया जाता है। न्यूज़ टुडे का PDF डॉक्यूमेंट, न्यूज़ टुडे वीडियो के आपके अनुभव को और बेहतर बनाता है। साथ ही, MCQs आधारित प्रश्नोत्तरी आपकी लर्निंग को और मजबूत बनाती है।



रोजाना 9 PM पर न्यूज़ टुडे वीडियो बुलेटिन देखिए



न्यूज़ टुडे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए



न्यूज़ टुडे क्विज़ के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

2.4. अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां (Other Important News)

2.4.1. गुटनिरपेक्ष आंदोलन (Non-Aligned Movement: NAM)

सुर्खियों में क्यों?


हाल ही में, गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) का 19वां शिखर सम्मेलन युगांडा के कंपाला में आयोजित किया गया।

19वें शिखर सम्मेलन की कुछ मुख्य विशेषताएं:

- इस वर्ष का NAM शिखर सम्मेलन “साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग में वृद्धि⁴¹” विषय (थीम) पर केंद्रित था।
- इस शिखर सम्मेलन में कंपाला घोषणा-पत्र को अपनाया गया।
- साउथ सूडान NAM का नया सदस्य (121वां) बन गया है।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) के बारे में

- उत्पत्ति: इसकी उत्पत्ति 1955 में बांडुंग (इंडोनेशिया) में आयोजित एशिया-अफ्रीका सम्मेलन से मानी जाती है।
- NAM के बारे में: NAM का गठन शीत युद्ध के चरम दौर के समय अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और दुनिया के अन्य क्षेत्रों के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किया गया था।
- जवाहरलाल नेहरू (भारत), सुकर्णो (इंडोनेशिया), जोसिप ब्रोझ टीटो (यूगोस्लाविया), गमाल अब्देल नासिर (मिस्र) और क्वामे नक्रूमा (घाना) जैसे नेताओं ने NAM के गठन की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाई थी। आगे चलकर ये सभी नेतागण NAM के संस्थापक सदस्य बने।
- सिद्धांत: बांडुंग सम्मेलन के दौरान घोषित “बांडुंग के दस सिद्धांतों” को बाद में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मुख्य लक्ष्यों/ सिद्धांतों के रूप में अपनाया गया था (इन्फोग्राफिक देखें)।
- 1961 में NAM का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में आयोजित किया गया था।
- सदस्यता: वर्तमान में इसमें भारत सहित 121 सदस्य हैं। इनमें अफ्रीका के 54, एशिया के 39, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के 26 तथा यूरोप के 2 देश शामिल हैं।
 - 18 देश और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन NAM के पर्यवेक्षक हैं।
- अन्य महत्वपूर्ण जानकारी:
 - NAM की नीति पंचशील के 5 सिद्धांतों पर आधारित है। ये सिद्धांत 1954 में भारत और चीन के बीच हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के सिद्धांत हैं।
 - गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पास कोई औपचारिक संस्थापक चार्टर या संधि नहीं है। साथ ही, इसका कोई स्थायी सचिवालय भी नहीं है।



2.4.2. जेनोसाइड कन्वेंशन (Genocide Convention)

सुर्खियों में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ)⁴² ने इजरायल के खिलाफ दायर नरसंहार के केस में अंतरिम फैसला सुनाया है। ध्यातव्य है कि दक्षिण अफ्रीका ने ICJ में इजरायल पर जेनोसाइड कन्वेंशन का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था।

⁴¹ Deepening Cooperation for Shared Global Affluence

अन्य संबंधित तथ्य

- ICJ में दक्षिण अफ्रीका बनाम इजरायल मामला: दक्षिण अफ्रीका ने तर्क दिया था कि जिस तरह से इजरायल गाजा में अपने सैन्य अभियान चला रहा है, उससे जेनोसाइड कन्वेंशन का उल्लंघन हुआ है।
- ICJ द्वारा किया गया अस्थायी उपाय: ICJ ने फैसला सुनाया है कि इजरायल को गाजा (फिलिस्तीन) में नरसंहार कृत्यों को रोकने के लिए सभी उपाय करने होंगे। हालांकि, इसने युद्ध-विराम का आदेश नहीं दिया है और न ही इजरायल को अभी तक दोषी बताया है।

जेनोसाइड कन्वेंशन के बारे में

- इसे आधिकारिक तौर पर "नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर कन्वेंशन, 1948" के नाम से जाना जाता है।
 - इसमें पहली बार नरसंहार के अपराध को संहिताबद्ध किया गया था।
 - यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई पहली मानवाधिकार संधि भी है।
- नरसंहार की परिभाषा: नरसंहार के अपराध को जेनोसाइड कन्वेंशन के अनुच्छेद II में परिभाषित किया गया है।
 - इस अनुच्छेद में नरसंहार (Genocide) को किसी राष्ट्रीय, नृजातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूर्ण या आंशिक रूप से समाप्त करने के इरादे से किए गए कृत्यों के रूप में परिभाषित किया गया है।
 - कन्वेंशन के अनुसार नरसंहार एक अपराध है, जो युद्ध के समय और शांति के समय दोनों में हो सकता है।
- सदस्यता: जेनोसाइड कन्वेंशन को 153 राष्ट्रों द्वारा अनुमोदित किया गया है। भारत ने 1949 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे और 1959 में इसका अनुमोदन किया था।
 - हालांकि, भारत ने इस विषय पर कोई कानून नहीं बनाया है।
- क्षेत्राधिकार: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) कन्वेंशन की व्याख्या एवं इसके प्रवर्तन से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के बारे में

- उत्पत्ति: इसका गठन 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा किया गया था। इस संगठन ने 1946 से अपना कार्य आरंभ कर दिया था।
- मुख्यालय: द पीस पैलेस, द हेग (नीदरलैंड्स)
 - यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। यह संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र ऐसा प्रमुख अंग है, जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है।
- भूमिका: यह निकाय अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार कानूनी विवादों का निपटारा करता है और सलाह प्रदान करता है।
 - इसके निर्णय वाद से जुड़े पक्षकारों पर बाध्यकारी होते हैं। इसके निर्णयों के खिलाफ अपील का कोई प्रावधान नहीं है।
- संरचना: इसमें 15 न्यायाधीश शामिल होते हैं। इन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा नौ वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। वर्तमान में भारत से भी एक न्यायाधीश कार्यरत है।
- आधिकारिक भाषाएं: अंग्रेजी और फ्रेंच
- क्षेत्राधिकार: विवादास्पद मामलों के संबंध में केवल राष्ट्र ही न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के पात्र हैं। व्यक्तियों, गैर-सरकारी संगठनों, निगमों या निजी संस्थाओं के आवेदनों पर इसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC)⁴³ के बारे में

- उत्पत्ति: 1998 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय रोम संविधि द्वारा स्थापित।
- मुख्यालय: हेग (नीदरलैंड)।
- इसके बारे में: यहां आपराधिक मामलों पर मुकदमा चलाया जाता है। ऐसे अपराधों में नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध तथा आक्रामकता के अपराध शामिल हैं। यहां व्यक्तियों पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाता है।
- सदस्य: विश्व के 123 देश रोम संविधि के पक्षकार हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है।
- क्षेत्राधिकार:
 - इसका अधिकार क्षेत्र केवल रोम संविधि लागू होने (1 जुलाई, 2002) के बाद किए गए अपराधों पर है।
- अन्य महत्वपूर्ण जानकारी:
 - इसके निर्णय अंतिम और संबंधित पक्षकारों पर बाध्यकारी होते हैं।
 - ICC के पास अपनी स्वयं की कोई पुलिस फोर्स नहीं है और वह संदिग्धों की गिरफ्तारी एवं आत्मसमर्पण के लिए राष्ट्रों के सहयोग पर निर्भर है।

⁴² International Court of Justice

⁴³ International Criminal Court

- ICC के साथ तुलना: ICJ, अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के मामलों पर राष्ट्रों के बीच विवादों की सुनवाई करता है। इसके विपरीत, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) व्यक्तियों पर आपराधिक मुकदमा चलाता है। ऐसे अपराधों में नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध शामिल हैं।

2.4.3. हाल ही के अन्य घटनाक्रम (Other Recent Developments)

2.4.3.1. समिट फॉर डेमोक्रेसी (Summit For Democracy)

- प्रधान मंत्री ने समिट फॉर डेमोक्रेसी के तीसरे संस्करण को संबोधित किया।
- समिट फॉर डेमोक्रेसी के बारे में:
 - उत्पत्ति: 'समिट फॉर डेमोक्रेसी', अमेरिकी राष्ट्रपति की एक पहल है। इस पहल की शुरुआत दिसंबर, 2021 में की गई थी। यह लोकतंत्र से जुड़े अनुभव साझा करने और एक-दूसरे के उदाहरणों से सीख लेने के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है।
 - उद्देश्य: इसके उद्देश्य लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना, मानवाधिकारों की रक्षा करना और वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में तेजी लाना है।
 - प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर डेमोक्रेटिक रिन्यूअल: इसे पहले "समिट फॉर डेमोक्रेसी" आयोजन के दौरान शुरू किया गया था। यह पहल लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने; स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने; स्वतंत्र मीडिया आदि का समर्थन करती है।
 - संयुक्त राज्य अमेरिका भी इस पहल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

2.4.3.2. मिशन एस्पाइड्स (Mission Aspides)

- यूरोपीय संघ ने 'मिशन एस्पाइड्स' की शुरुआत की है। इस मिशन का लक्ष्य लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों की हूती विद्रोहियों के हमलों से रक्षा करना है। यूरोपीय संघ के अनुसार ईरान हूती विद्रोहियों का समर्थन कर रहा है।
 - इस मिशन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
 - नौवहन की स्वतंत्रता का संरक्षण करना,
 - हर समय आस-पास की समुद्री गतिविधियों के बारे में सूचनाएं प्रदान करना,
 - जहाजों को सुरक्षा देना, और
 - समुद्र में संभावित विविध हमलों से जहाजों की रक्षा करना।
 - इस मिशन का संचालन निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाएगा:
 - बाब अल मंडेब और होर्मुज जलडमरूमध्य;
 - लाल सागर, अदन की खाड़ी, अरब सागर, ओमान की खाड़ी और अरब की खाड़ी के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों में।

2.4.3.3. वाइमर ट्रायंगल (The Weimar Triangle)

- हाल ही में जर्मनी, पोलैंड और फ्रांस के विदेश मंत्रियों ने वाइमर ट्रायंगल को फिर से सक्रिय करने के लिए आपस में भेंट की है।
- वाइमर ट्रायंगल एक क्षेत्रीय समूह है। इसका गठन 1991 में किया गया था। इसका उद्देश्य यूरोप के लिए एक साझा विज्ञान विकसित करना है। साथ ही, समूह में शामिल तीनों देशों के समाजों के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करना है।
 - शुरुआत में यह समूह, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मन-पोलिश सुलह का समर्थन करने वाला एक प्रमुख मंच था।
 - इस समूह का नाम जर्मनी के वाइमर शहर से लिया गया है, जहां इसकी शुरुआती बैठक आयोजित हुई थी।

2.4.3.4. अफगानिस्तान के मुद्दे पर क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता (Regional Security Dialogue on Afghanistan)

- अफगानिस्तान के मुद्दे पर क्षेत्रीय सुरक्षा परिषदों के अधिकारियों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की छठी क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन बिश्केक (किर्गिस्तान) में किया गया।
 - इसमें भाग लेने वाले मुख्य देश थे- भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान।
- 2021 में तालिबान द्वारा काबुल पर कब्जा करने के बाद अफगानिस्तान में स्थिति का आकलन करने के लिए सुरक्षा अधिकारियों की क्षेत्रीय वार्ता एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में उभरी है।
- भारत ने नवंबर 2021 में नई दिल्ली में तीसरी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता की मेजबानी की थी।

2.4.3.5. ऑपरेशन इन्द्रावती (Operation Indravati)

- भारत ने ऑपरेशन इन्द्रावती की शुरुआत की है। इसके तहत भारत हैती से अपने नागरिकों को निकालकर डोमिनिकन रिपब्लिक पहुंचा रहा है।
- इस ऑपरेशन के तहत 12 भारतीय लोगों को सुरक्षित निकाला गया है।
- गौरतलब है कि हैती में आपातकाल लागू है। आपातकाल की घोषणा इस माह की शुरुआत में कुछ सशस्त्र समूहों द्वारा पोर्ट-ऑ-प्रिंस में देश की सबसे बड़ी जेल पर हमला करने के बाद की गई थी।

2.4.3.6. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स (Henley Passport Index: HPI)

- लंदन स्थित हेनले एंड पार्टनर्स ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया है। हेनले एंड पार्टनर्स वस्तुतः नागरिकता और निवास संबंधी मामलों की विश्व स्तरीय सलाहकार फर्म है।
- HPI के तहत किसी देश के पासपोर्ट को इस आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है कि पासपोर्ट धारक बिना किसी पूर्व-वीजा (Prior visa) के कितने देशों की यात्रा कर सकता है।
 - इस सूचकांक में 227 गंतव्य और 199 पासपोर्ट्स शामिल हैं।
 - यह रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित है।
- मुख्य निष्कर्ष:
 - इस सूचकांक में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में भारत 80वें स्थान पर है। भारत के पासपोर्ट से 62 देशों में बिना वीजा लिए यात्रा की जा सकती है।
 - 2024 के इंडेक्स में फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, और स्पेन पहले नंबर पर हैं।

2.5. सुरक्षा से संबंधित मुद्दे (Issues Related to Security)

2.5.1. मुक्त आवाजाही व्यवस्था (Free Movement Regime)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था (FMR) को समाप्त करने और भारत-म्यांमार सीमा पर फेंसिंग करने का फैसला किया है।

भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था


- इस व्यवस्था के तहत सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोगों को बिना वीजा के एक-दूसरे देश के अंदर 16 कि.मी. तक आने-जाने की अनुमति है।
- इस व्यवस्था को 2018 में भारत की एकट ईस्ट पॉलिसी के हिस्से के रूप में औपचारिक रूप दिया गया था।
- मुक्त आवाजाही व्यवस्था (FMR) को निम्नलिखित कारणों से अपनाया गया था:
 - सीमा-पार मजबूत नृजातीय और पारिवारिक संबंध।
 - स्थानीय व्यापार और व्यवसाय को बनाए रखना।

मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त करने के लिए उत्तरदायी कारण

- म्यांमार से चिन लोगों के अनियंत्रित अवैध-आप्रवासन।
- मैतेई समुदाय ने पिछले साल के तनाव के लिए कुकी-चिन जनजातीय समुदायों के कथित अवैध प्रवासन को जिम्मेदार बताया था।
- मिजोरम में शरण की तलाश में जुंटा (सैन्य शासन) सैनिकों का भारत में पलायन हो रहा है। इसका भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों की सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ने की संभावना है।

म्यांमार (राजधानी: नाय प्यी ताव)

- स्थलीय सीमाएं: चीन (उत्तर और उत्तर-पूर्व), लाओस (पूर्व), थाईलैंड (दक्षिण-पूर्व), बांग्लादेश (पश्चिम), और भारत (उत्तर-पश्चिम)।
- समुद्री सीमाएं: दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम में अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी
- जल निकाय: इरावदी (पूरी तरह से म्यांमार में) और साल्विन (चीन में उद्भव)



- संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय (UNODC)⁴⁴ की एक रिपोर्ट ने, जुंटा सरकार के तहत म्यांमार की राजनीतिक उथल-पुथल को आसपास के क्षेत्रों में नशीले पदार्थों की तस्करी में वृद्धि से संबंधित बताया था।
- इस कदम का उद्देश्य देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना और म्यांमार की सीमा से लगे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की जनसांख्यिकीय संरचना को बनाए रखना है।

भारत-म्यांमार संबंधों के अन्य पहलू

- दोनों देशों ने 2008 में द्विपक्षीय निवेश संवर्धन समझौते (BIPA)⁴⁵ और दोहरा कराधान बचाव समझौते (DTAA)⁴⁶ पर हस्ताक्षर किए थे।
- दोनों देश कलादान मल्टी-मॉडल प्रोजेक्ट, भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना आदि के तहत सहयोग कर रहे हैं।
- दोनों देश बिस्मटेक और मेकांग-गंगा सहयोग के सदस्य हैं। 2008 में म्यांमार को सार्क में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था।
- दोनों देशों के बीच भारत-म्यांमार द्विपक्षीय सेना अभ्यास (IMBAX)⁴⁷ नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है।

2.5.2. ग्रे-जोन युद्ध (Grey-zone Warfare)

सुर्खियों में क्यों?

भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण में अनौपचारिक युद्धों पर चर्चा के दौरान ग्रे-जोन युद्ध के मुद्दे पर प्रकाश डाला।

अन्य संबंधित तथ्य

- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि इसका इस्तेमाल दक्षिण चीन सागर और भारत की उत्तरी सीमाओं पर किया जा रहा है।
- कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, चीन ताइवान के खिलाफ भी ग्रे-जोन युद्ध रणनीति का उपयोग कर रहा है।
- अमेरिका और यूरोपीय विशेषज्ञों ने हाल ही में कुछ रूसी और चीनी कार्रवाइयों को ग्रे-जोन युद्ध के उदाहरण के रूप में पहचाना है।

ग्रे-जोन युद्ध के बारे में

- ग्रे-जोन युद्ध में युद्ध के पारंपरिक तरीकों से अलग गैर-परंपरागत युद्ध-नीति और रणनीतियों का उपयोग किया जाता है। इसलिए, इसे पारंपरिक युद्ध की सीमा से नीचे रखा गया है।
 - इसका उद्देश्य किसी प्रतिद्वंद्वी को खतरा महसूस कराए बिना या उस पर हमला किए जाने का एहसास कराए बिना उसे नुकसान पहुंचाना है।
 - इसका सबसे अच्छा उदाहरण चीन की सलामी स्लाइसिंग (Salami slicing) रणनीति है। यह एक ऐसी रणनीति है जिसमें बहुत ही क्रमिक रूप से सीमा क्षेत्र पर कब्जा किया जाता है और इससे प्रतिद्वंद्वी की अधिकतम सहन सीमा का परीक्षण भी हो जाता है।
 - इसका इस्तेमाल कथित तौर पर चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय विस्तार के लिए किया गया है।

अन्य तरीकों की तुलना में ग्रे-जोन युद्ध को प्राथमिकता क्यों दी जाती है?

- परमाणु युग में पारंपरिक संघर्ष की लागत बहुत अधिक बढ़ गई है और इसके परिणाम का जोखिम भी बहुत अधिक है। इसलिए कुछ देश ग्रे-जोन युद्ध के माध्यम से अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए इसका उपयोग करते हैं।
- जिन राष्ट्रों के पास बड़े पैमाने पर संसाधनों या शक्ति तक पहुंच नहीं है, वे इस प्रकार के युद्ध को अधिक पसंद करते हैं।

रायसीना डायलॉग के बारे में

- यह भू-राजनीति (Geopolitics) और भू-अर्थशास्त्र (Geo-economics) के संबंध में भारत द्वारा आयोजित एक प्रमुख सम्मेलन (डायलॉग) है। रायसीना डायलॉग वैश्विक समुदाय द्वारा सामना किये जाने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों का हल निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
- इसकी मेजबानी विदेश मंत्रालय की साझेदारी में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा की जाती है।
- 2024 के संस्करण की थीम "चतुरंगा: संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, सृजन⁴⁸" है।

⁴⁴ UN Office on Drugs and Crime

⁴⁵ Bilateral Investment Promotion Agreement

⁴⁶ Double Taxation Avoidance Agreement

⁴⁷ India-Myanmar Bilateral Army Exercise

⁴⁸ Chaturanga: Conflict, Contest, Cooperate, Create

- ग्रे जोन युद्ध की गतिविधियों पर आम तौर पर कम नोटिस किया जाता है और ये कपटपूर्ण भी होती हैं।
 - इसका कोई नियम नहीं होता है और युद्ध की फ्रंटलाइन हर जगह होती है। सरल भाषा में, यह युद्ध कई जगहों या स्तरों पर लड़ा जाता है।
- ग्रे-जोन युद्ध में जो कार्रवाईयां की जाती हैं, उनका लाभ/ प्रभाव काफी लंबे समय के बाद देखने को मिलता है।
- ग्रे-जोन युद्ध के जरिए कई आयामों को अपने दायरे में लाया जा सकता है। इससे स्थिति न चाहते हुए भी कई बार गंभीर रूप ले लेती है।

2.5.3. एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नॉलजीस विद iDEX (ADITI) योजना {Acing Development of Innovative Technologies with iDEX (ADITI) scheme}

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, iDEX फ्रेमवर्क के तहत "एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नॉलजीस विद iDEX (ADITI)" योजना शुरू की गई।

- योजना के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:
 - लागू करने वाला मंत्रालय: रक्षा मंत्रालय
 - उद्देश्य: प्रस्तावित समय सीमा में लगभग 30 डीप-टेक आधारित महत्वपूर्ण और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों का विकास करना।
 - वित्तीय सहायता: 25 करोड़ रुपये की ऊपरी सीमा के साथ उत्पाद विकास बजट का 50% तक अनुदान दिया जाएगा।
 - शामिल प्रौद्योगिकियां: इसमें ऐसी प्रौद्योगिकियां शामिल हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, लेकिन भारत में इनके उत्पादन के लिए पहले से विनिर्माण संबंधी क्षमताएं नहीं हैं।
 - ऐसी तकनीकें कोर रक्षा क्षेत्रक में उपयोग वाली होंगी और उन्हें निर्यात भी किया जा सकेगा।
 - पात्रता:
 - ऐसे स्टार्ट-अप्स जो उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) की परिभाषा के दायरे में आते हैं और मान्यता प्राप्त हैं।
 - कंपनी अधिनियम 1956/ 2013 के तहत पंजीकृत या निगमित कोई भी भारतीय कंपनी। इनमें मुख्य रूप से MSME अधिनियम, 2006 के तहत MSME के रूप में परिभाषित कंपनियां शामिल होंगी।
 - स्टार्ट-अप्स/ MSME के रूप में पंजीकृत व्यक्तिगत इनोवेटर्स। अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान भी इस श्रेणी के तहत आवेदन कर सकते हैं।
 - टेक्नोलॉजी बॉच टूल: इसे आधुनिक सशस्त्र बलों की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं तथा रक्षा नवाचार इकोसिस्टम की क्षमताओं के बीच अंतर को समाप्त करने के लिए विकसित किया जाएगा।
 - योजनावधि: 2023-24 से 2025-26 तक

रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (iDEX)⁴⁹ के बारे में

- iDEX डिफेंस इनोवेशन ऑर्गनाइजेशन (DIO) का कामकाजी फ्रेमवर्क है। गौरतलब है कि DIO कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत निगमित एक कंपनी है।
 - DIO का गठन हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है।
- iDEX-DIO, डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज (DISC) के विजेता (स्टार्ट-अप्स/ व्यक्तियों) को 1.5 करोड़ रुपये तक की फंडिंग प्रदान करता है। यह अनुदान राशि परियोजना की लागत और स्टार्ट-अप्स द्वारा समान योगदान राशि के आधार पर दी जाती है।
- युवा इनोवेटर्स को प्रेरित करने के लिए iDEX को iDEX प्राइम के रूप में विस्तारित किया गया है। इसमें सहायता अनुदान को 1.5 करोड़ रुपये से बढ़कर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

⁴⁹ Innovations for Defence Excellence

संबंधित तथ्य:

रक्षा औद्योगिक गलियारे (DICs)⁵⁰

- गोला-बारूद और मिसाइलों के विनिर्माण के लिए निजी क्षेत्रक का पहला प्रतिष्ठान कानपुर (उत्तर प्रदेश) में शुरू हुआ।
- इसे उत्तर प्रदेश के रक्षा औद्योगिक गलियारे (DICs) में खोला गया है।
 - दूसरा गलियारा तमिलनाडु में है।
- 2001 में रक्षा उद्योग क्षेत्र में भारतीय निजी क्षेत्रक की 100% भागीदारी की अनुमति दी गई थी।
- स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहलें:
 - रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP)-2020 के तहत घरेलू कंपनियों से पूंजीगत वस्तुओं की खरीद को प्राथमिकता दी जा रही है।
 - प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति का उदारीकरण किया गया है। इसके तहत रक्षा उत्पादन में स्वचालित मार्ग के तहत 74% FDI की अनुमति दी गई है।
 - रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (IDEX) योजना का शुभारंभ किया गया है।
 - रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण में MSMEs सहित भारतीय उद्योग को सुविधा प्रदान करने के लिए सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया है।

2.5.4. साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटनाक्रम (Important Developments in Cyber Security)

<p>सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम (CFCFRMS)</p>	<p>सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम (CFCFRMS) ने 2023 में वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के लगभग 1.1 मिलियन मामले दर्ज किए।</p> <ul style="list-style-type: none"> • CFCFRMS की स्थापना भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के तहत की गई है। इसका उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग करना और धोखेबाजों द्वारा की जाने वाली धन की हेरा-फेरी को रोकना है। <ul style="list-style-type: none"> ○ I4C की स्थापना केंद्रीय गृह मंत्रालय ने की है। इसे साइबर अपराध से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एक इकोसिस्टम प्रदान करने और एक नोडल पॉइंट के रूप में कार्य करने हेतु स्थापित किया गया है। • वित्तीय साइबर धोखाधड़ी⁵¹ वास्तव में डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके छल से किसी के खाते से धन निकालने/ खरीदारी करने की गैर-कानूनी गतिविधि है। <ul style="list-style-type: none"> ○ इसमें डेबिट/ क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, इंटरनेट बैंकिंग और UPI से संबंधित धोखाधड़ी, रैसमवेयर हमले आदि शामिल हैं।
<p>'डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम' (CCMS) प्लेटफॉर्म</p>	<p>गृह मंत्रालय (MHA) ने एक विशिष्ट 'डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम' (CCMS) प्लेटफॉर्म शुरू किया है।</p> <ul style="list-style-type: none"> • नव विकसित डिजिटल CCMS को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने डिजाइन किया है। <ul style="list-style-type: none"> ○ यह एक यूजर-फ्रेंडली; उपयोग में लाने में आसान और अनुकूलन योग्य ब्राउज़र-आधारित सॉफ्टवेयर है। इसे राज्य पुलिस बलों की उनके द्वारा जांच और अभियोजन में मदद करने के लिए विकसित किया गया है। • इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय ने 'संकलन/ SANKALAN' ऐप भी शुरू किया है। यह राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा नए आपराधिक कानूनों का एक संग्रह है। <ul style="list-style-type: none"> ○ इसे पुराने और नए आपराधिक कानूनों के बीच एक सेतु के रूप में डिजाइन किया गया है। इसके माध्यम से नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। ○ यह प्रणाली ऑफलाइन मोड में भी काम करेगी और दूर-दराज के क्षेत्रों में अपनी उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

⁵⁰ Defence Industrial Corridors

⁵¹ Financial Cyber Frauds

<p>जूस जैकिंग</p>	<ul style="list-style-type: none"> • भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने जूस जैकिंग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए यूजर्स को पब्लिक पोर्ट्स का उपयोग करके मोबाइल फोन चार्ज करने के प्रति सचेत किया है। • जूस जैकिंग के बारे में: <ul style="list-style-type: none"> ○ यह एक प्रकार का साइबर हमला है। इसमें हैकर्स दुर्भावनापूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज के डेटा चुराने के लिए पब्लिक यूएसबी चार्जिंग स्टेशन में मैलवेयर लोड कर देते हैं। ○ यह किसी डिवाइस को लॉक कर सकता है तथा साइबर अपराधियों को व्यक्तिगत डेटा एवं पासवर्ड तक पहुंच प्रदान कर सकता है। <ul style="list-style-type: none"> ▪ इस प्रकार के साइबर हमले की शिकायतें मुख्य रूप से हवाई अड्डों, होटलों और शॉपिंग सेंटर्स जैसे सार्वजनिक स्थलों से दर्ज की गई हैं।
--------------------------	--

2.5.5. अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम (Other Important Developments)

2.5.5.1. ट्रेन्ड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2023 (Trends in International Arms Transfers, 2023)

- यह रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) ने जारी की है। SIPRI एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है।
- रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:
 - निर्यात:
 - संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक है। कुल वैश्विक हथियार निर्यात में इसकी हिस्सेदारी बढ़कर **42%** हो गई है।
 - फ्रांस, दुनिया में हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। इससे पहले दूसरा स्थान रूस का था।
 - आयात:
 - भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश है।
 - 2014-18 और 2019-23 के बीच भारत में हथियारों के आयात में **4.7% की वृद्धि** दर्ज की गई है।
 - रूस भारत का मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। भारत अपने कुल हथियार आयात का **36 प्रतिशत रूस से आयात** करता है।
 - 2019-23 की अवधि में यूक्रेन सबसे बड़े यूरोपीय हथियार आयातक देश के रूप में उभरा है।

2.5.5.2. DIANA (डिफेंस इनोवेशन एक्सेलेरेटर फॉर द नॉर्थ अटलांटिक) पहल (DIANA Initiative)

- DIANA पहल बोर्ड ने फिनलैंड में एक एक्सेलेरेटर और दो परीक्षण केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
- DIANA पहल के बारे में:
 - इस पहल को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य पूरे NATO गठबंधन में दोहरे उपयोग वाली नवाचार क्षमता का पता लगाना और उसमें तेजी लाना है।
 - यह कंपनियों को डीप टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए संसाधन, नेटवर्क और मार्गदर्शन प्रदान करेगी।
 - इसका उद्देश्य निषिद्ध व अत्यधिक निगरानी वाले क्षेत्रों (Denied environments) में परिचालन से लेकर गठबंधन की सामूहिक क्षमता के समक्ष मौजूद खतरों से निपटने तक महत्वपूर्ण रक्षा और प्रतिरक्षा संबंधी चुनौतियों का समाधान करना है।
 - सभी NATO राष्ट्र DIANA के सदस्य हैं।

2.5.5.3. INS जटायु (INS Jatayu)

- नौसेना डिटेचमेंट मिनिकाँय को भारतीय नौसेना में **INS जटायु** के रूप में शामिल किया गया है।
 - मिनिकाँय, लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है।
- **INS जटायु के बारे में:**
 - यह लक्षद्वीप में भारत का दूसरा नौसैनिक अड्डा है। यहां पहला नौसैनिक अड्डा **INS द्वीपरक्षक** है, जो कवरत्ती में स्थित है।
 - महत्त्व: यहां से पश्चिमी अरब सागर में समुद्री-डकैती और ड्रग्स तस्करी के खिलाफ अभियान चलाने में भारतीय नौसेना को आसानी होगी।
 - यह हिंद महासागर क्षेत्र में किसी संकट की स्थिति में प्रथम मददगार के रूप में भारतीय नौसेना की क्षमता को भी बढ़ाएगा। साथ ही, यहां से भारत की मुख्य-भूमि के साथ कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी।

2.5.5.4. INS संधायक (INS Sandhayak)

- **INS संधायक** को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह सर्वे वेसल लार्ज (SVL) श्रेणी का पहला पोत है।
- **INS संधायक के बारे में:**
 - यह प्रस्तावित चार SVL जहाजों की श्रृंखला में पहला है।
 - यह अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफिक उपकरणों से लैस है। इनमें गहरे और उथले जल के मल्टी-बीम इको-साउंडर्स, ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल आदि शामिल हैं।
 - यह सीमित रक्षा क्षमताएं भी प्रदान कर सकता है। साथ ही, युद्धकाल या आपात स्थिति के दौरान हॉस्पिटल पोत के रूप में भी काम कर सकता है।
 - इसमें लागत की दृष्टि से 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है।

2.5.5.5. सिग्नल्स टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन एंड एडेप्टेशन ग्रुप {STEAG (Signals Technology Evaluation and Adaptation Group)}


- थल सेना ने भविष्य के युद्ध के लिए विशेष प्रौद्योगिकी यूनिट 'STEAG' की स्थापना की।
- **STEAG के बारे में:**
 - STEAG से तात्पर्य 'सिग्नल्स टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन एंड एडेप्टेशन ग्रुप' से है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, 6G नेटवर्क जैसी भविष्य की संचार प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और मूल्यांकन करने वाली अपनी तरह की पहली इकाई है।
 - यह थल सेना की "ऑन पाथ टू ट्रांसफॉर्मेशन" पहल का हिस्सा है। साथ ही, यह 2024 को थल सेना के लिए तकनीक-अंगीकरण का वर्ष बनाने के अनुरूप भी है।
- उद्देश्य: थल सेना की संचार संबंधी अवसंरचना को बेहतर करने तथा वायर्ड और वायरलेस सिस्टम में प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए सबसे उपयुक्त प्रौद्योगिकियों की पहचान करना व उनका उपयोग करना।
- **STEAG की आवश्यकता:** युद्ध की बदलती प्रकृति
 - सटीकता (Precision) और स्वचालन (Automation): लक्षित हमलों के लिए ड्रोन, लेजर हथियार आदि का उपयोग किया जाने लगा है।
 - बेहतर इंटेलिजेंस एकत्र करना: युद्धक्षेत्र की वास्तविक परिस्थितियों में जागरूकता और संभावित खतरों की पहचान के लिए सेंसर, उपग्रह व AI-संचालित डेटा टूल के नेटवर्क का उपयोग किया जाने लगा है।

2.5.5.7. ऑपरेशन संकल्प (Operation SANKALP)

- ऑपरेशन संकल्प के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इसे भारतीय नौसेना ने दिसंबर, 2023 में शुरू किया था।
- इसका संचालन तीन प्रमुख क्षेत्रों में किया जा रहा है:
 - अदन की खाड़ी और आस-पास का क्षेत्र;
 - अरब सागर; तथा
 - सोमालिया का पूर्वी तट।
- इसके उद्देश्यों पर एक नज़र:
 - भारत के समुद्री हितों की रक्षा करना,
 - समुद्री खतरों का मुकाबला करना,
 - पायरेसी को फिर से उभरने से रोकना, और
 - हिंद महासागर क्षेत्र में नशीले पदार्थों के व्यापार पर रोक लगाना।

2.6. सुर्खियों में रहे में सैन्य अभ्यास (Exercises in News)

द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास



2.6.1. सुर्खियों में रहे अन्य सैन्य अभ्यास (Other Military Exercises in News)

घरेलू सैन्य अभ्यास	
ऑपरेशन सर्वशक्ति	<ul style="list-style-type: none"> थल सेना ने 'ऑपरेशन सर्वशक्ति' शुरू किया है। इसका उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के पाकिस्तान के मंसूबों का जवाब देना है। <ul style="list-style-type: none"> इससे पहले 2003 में, थल सेना ने सीमा-पार से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों से निपटने के लिए ऑपरेशन 'सर्पविनाश' चलाया था।
भारत शक्ति	<ul style="list-style-type: none"> "भारत शक्ति" नाम से तीनों सेनाओं का फायरिंग और युद्ध अभ्यास राजस्थान के पोखरण में आयोजित किया जा रहा है। <ul style="list-style-type: none"> इसके तहत भारतीय सशस्त्र बलों की एकीकृत परिचालन क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाले वास्तविक, समन्वित व मल्टी-डोमेन संचालन का अनुकरण किया जाएगा। इसका उद्देश्य स्थल, वायु, समुद्र, साइबर और अंतरिक्ष डोमेन में खतरों का सामना करने की तैयारी करनी है।
त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास	
अभ्यास डेजर्ट नाइट	<ul style="list-style-type: none"> हाल में, भारतीय वायु सेना ने "डेजर्ट नाइट अभ्यास" का आयोजन किया था। इस अभ्यास में भारतीय वायु सेना के अलावा, फ्रांसीसी वायु सेना और अंतरिक्ष बल तथा संयुक्त अरब अमीरात की वायु सेना ने भी हिस्सा लिया था।
आईएमटी ट्राइलेट (IMT TRILAT)- 2024	<ul style="list-style-type: none"> भारत, मोजाम्बिक व तंजानिया (IMT)-ट्राई लेटरल (TRILAT) एक संयुक्त समुद्री सैन्य-अभ्यास है। आईएमटी ट्राइलेट सैन्य-अभ्यास का पहला संस्करण अक्टूबर 2022 में आयोजित किया गया था।
अभ्यास 'दोस्ती-16'	<ul style="list-style-type: none"> भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच 16वां द्विবার्षिक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास 'दोस्ती-16' शुरू हुआ। <ul style="list-style-type: none"> इसमें बांग्लादेश पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा ले रहा है।
बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास	
सी ड्रैगन अभ्यास	<ul style="list-style-type: none"> यह एक बहुराष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन भारतीय नौसेना और अन्य भागीदार देशों की नौसेनाओं के बीच आपसी ताल-मेल बढ़ाने के लिए किया जाता है। सी ड्रैगन अभ्यास में भारत के साथ-साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया एवं जापान की नौ सेनाएं भाग लेती हैं।
मिलन 24 अभ्यास (MILAN 24 Exercise)	<ul style="list-style-type: none"> यह बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। इसका आयोजन हर दो साल में एक बार होता है। इसे पहली बार भारतीय नौसेना द्वारा 1995 में अंडमान और निकोबार कमान में आयोजित किया गया था। उस समय इस सैन्य अभ्यास में चार देशों (इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड) ने भागीदारी की थी।
अभ्यास कटलैस एक्सप्रेस	<ul style="list-style-type: none"> यह एक बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। इस वर्ष इसका आयोजन सेशेल्स में अमेरिकी नौसैनिक बल के नेतृत्व में किया गया है। भारतीय नौसेना ने भी इसमें भाग लिया था। <ul style="list-style-type: none"> यह अभ्यास पूर्वी अफ्रीकी तट और पश्चिमी हिंद महासागर के सामरिक जलक्षेत्रों में समुद्री सुरक्षा व सहयोग का मुख्य आधार है।
"स्टीडफास्ट डिफेंडर 24" अभ्यास	<ul style="list-style-type: none"> नाटो (NATO) ने शीत युद्ध के बाद अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास "स्टीडफास्ट डिफेंडर 2024" शुरू किया।

2.7. शुद्धिपत्र (Errata)

- PT 365 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध डॉक्यूमेंट में, आर्टिकल 4.5. "जिनेवा कन्वेंशन और रूस-यूक्रेन युद्ध" से संबंधित न्यूज़ में काला सागर का एक मानचित्र दिया गया है, जो काला सागर से स्टे देशों को दर्शाता है। मानचित्र में ग्रीस को गलत तरीके से एक ऐसे देश के रूप में दर्शाया गया है जो काला सागर के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। चिन्हित क्षेत्र तुर्किये का हिस्सा है।



Vision IAS की ओर से पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज

(UPSC प्रीलिम्स के लिए स्मार्ट रिवीजन, प्रैक्टिस और समग्र तैयारी हेतु
ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत एक पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज)

- » UPSC द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के साथ-साथ VisionIAS द्वारा तैयार किए गए 15,000 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले प्रश्नों का विशाल संग्रह
- » अपनी जरूरत के अनुसार विषयों और टॉपिक्स का चयन करके पर्सनलाइज्ड टेस्ट तैयार करने की सुविधा
- » परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट टेस्ट (PIT)
- » टेस्ट में अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर, सुधार की गुंजाइश वाले क्षेत्रों पर फीडबैक

प्रारंभ: 5 मई



अधिक जानकारी
के लिए दिए गए
QR कोड को
स्कैन कीजिए

VISION IAS के PT 365 के साथ UPSC प्रीलिम्स में करेंट अफेयर्स की चुनौतियों में महारत हासिल कीजिए



करेंट अफेयर्स की
तैयारी कैसे करें

करेंट अफेयर्स सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की आधारशिला है, जो प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू तीनों चरणों में जरूरी होता है। करेंट अफेयर्स से अपडेट रहना अभ्यर्थी को सिविल सेवा परीक्षा के नए ट्रेंड को समझने में सक्षम बनाता है। सही रिसोर्सिंग और एक रणनीतिक दृष्टिकोण के जरिए अभ्यर्थी इस विशाल सेक्शन को अपना सकारात्मक पक्ष बना सकते हैं।

PT 365 क्या है?

PT 365 (हिंदी) डायग्राम के अंतर्गत, व्यापक तौर पर विगत 1 वर्ष (365 दिन) के महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं को ठोस तरीके से कवर किया जाता है ताकि प्रीलिम्स की तैयारी में अभ्यर्थियों को सहायता मिल सके। इसे करेंट अफेयर्स के रिविजन हेतु एक डायग्राम के रूप में तैयार किया गया है।



व्यापक कवरेज

- पूरे साल के करेंट अफेयर्स की कवरेज।
- UPSC हेतु प्रासंगिक विषय, जैसे— राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आदि।
- आगामी प्रारंभिक परीक्षा में आने वाले संभावित विषयों पर जोर।



स्पष्ट एवं संक्षिप्त जानकारी

- प्रमुख मुद्दों के लिए स्पष्ट एवं संक्षिप्त प्रस्तुति
- विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी
- तेजी से रिविजन के लिए परिशिष्ट



QR आधारित स्मार्ट क्विज

- अभ्यर्थियों की समझ और पढ़े गए आर्टिकल्स के परीक्षण के लिए QR आधारित स्मार्ट क्विज को शामिल किया गया है।



इन्फोग्राफिक्स

- आर्टिकल्स एवं तथ्यों को समझने और याद रखने में सहायता मिलती है।
- आर्टिकल्स को समझने के लिए अलग-अलग तकनीक, विधियों और प्रक्रियाओं का इस्तेमाल।
- लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए मानचित्रों का रणनीतिक उपयोग किया गया है।



सरकारी योजनाएं और नीतियां

- प्रमुख सरकारी योजनाओं, नीतियों और पहलों की गहन कवरेज।



नया क्या है?

- पिछले वर्ष के प्रश्नों के पैटर्न के अनुरूप तैयार किया गया है।

PT 365 का महत्व



रिविजन में आसानी: कंटेंट को विषयों या टॉपिक्स के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिससे अभ्यर्थी आसानी से टॉपिक खोज सकते हैं और रिविजन आसान हो जाता है।



वैल्यू एडिशन: इसमें ऐसे इन्फोग्राफिक्स, संबंधित घटनाक्रम या सुर्खियां शामिल हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारी की व्यापक कवरेज सुनिश्चित करते हैं।



क्रिस्प मटेरियल: आर्टिकल्स में क्रिस्प पॉइंट्स का प्रयोग किया गया है। इससे अभ्यर्थियों को सीमित समय में आसानी से कई बार रिविजन करने में सुविधा मिलती है।



इंटीग्रेटेड एप्रोच: UPSC में पूछे गए प्रश्नों के पिछले ट्रेंड के अनुरूप ही करेंट अफेयर्स की सभी बुनियादी अवधारणाओं और सूचनाओं को स्पष्ट तरीके से शामिल किया गया है। इससे स्टेटिक पार्ट और महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को एकीकृत करने में भी मदद मिलती है।



और अधिक जानकारी
के लिए दिए गए QR
कोड को स्कैन कीजिए

PT 365 एक भरोसेमंद रिसोर्स है जिसने पिछले कुछ वर्षों में लाखों अभ्यर्थियों को समग्र तरीके से करेंट अफेयर्स को कवर करने में मदद की है। इसकी प्रभावशाली विशेषताओं की वजह से UPSC सिविल सेवा परीक्षा में करेंट अफेयर्स को समझने और सफल होने में अभ्यर्थियों को मदद मिलती है।

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. संवृद्धि और विकास (Growth and Development)


3.1.1. मानव विकास रिपोर्ट (HDR) 2023-2024 {Human Development Report (HDR) 2023-2024}

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)⁵² ने मानव विकास रिपोर्ट (HDR) 2023-2024 जारी की है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है: "ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक: रीइमेजिनिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड⁵³"।

मानव विकास सूचकांक (HDI) के बारे में

- मानव विकास सूचकांक (HDI)⁵⁴: यह 1990 से लगातार प्रकाशित हो रहा है। यह सूचकांक मानव विकास रिपोर्ट का प्रमुख आधार है।
- मानव विकास सूचकांक (HDI) के बारे में: यह मानव विकास के लिए एक सांख्यिकीय माप विधि है। इसका उपयोग मानव विकास के 3 मूलभूत आयामों (Basic dimensions) में किसी देश की उपलब्धि को मापने के लिए किया जाता है। ये मूलभूत आयाम हैं:
 - दीर्घायु और स्वस्थ जीवन (Long and healthy life),
 - ज्ञान (Knowledge), तथा
 - सम्मानजनक जीवन स्तर (Decent standard of living)।
- HDI मान की गणना कैसे की जाती है?
 - HDI मान चार संकेतकों में देश के स्कोर को एकत्रित करके ज्ञात किया जाता है। इन संकेतकों को आयाम सूचकांकों के आधार पर 0 और 1.0 के बीच की एकल संख्या में संकलित किया जाता है (इन्फोग्राफिक देखें)।
- HDI का विकास किसने किया: पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल-हक।



- महत्त्व:** इसका उपयोग देश की सरकारें अपनी अलग-अलग नीतियों को प्राथमिकता देने में कर सकती हैं।

⁵² United Nations Development Programme

⁵³ Breaking the Gridlock: Reimagining cooperation in a polarised world

⁵⁴ Human Development Index

- उदाहरण के लिए- यदि दो देशों की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI)⁵⁵ लगभग समान है, तो HDI यह बताने में मदद कर सकता है कि किन वजहों से मानव विकास के मानकों पर उनके प्रदर्शन अलग-अलग हैं।
- HDI की कमियाँ: HDI मानव विकास के केवल कुछ पहलुओं के बारे में ही बताता है। यह असमानता, गरीबी, मानव सुरक्षा, सशक्तीकरण जैसे विषयों को शामिल नहीं करता है।

HDR 2023-2024 में भारत की स्थिति

- HDI: भारत की HDI रैंकिंग में सुधार हुआ है। 2021 में भारत 135वें स्थान पर था, जो सुधरकर 2022 में 134वां हो गया। वहीं 2018 में भारत 130वें स्थान पर था।
- HDI स्कोर: भारत का स्कोर 2021 के 0.633 से बढ़कर 2022 में 0.644 हो गया।
 - जन्म के समय जीवन प्रत्याशा: 2021 के 67.2 वर्ष से बढ़कर 2022 में 67.7 वर्ष हो गई।
 - स्कूली शिक्षा के प्रत्याशित वर्ष: 2021 के 11.9 वर्ष से बढ़कर 2022 में 12.6 वर्ष हो गए।
 - स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष: यह 2022 में बढ़कर 6.57 वर्ष हो गए।
 - प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय: 2021 की तुलना में 2022 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी हुई है, जो 6,542 डॉलर से बढ़कर 6,951 डॉलर हो गई।
- श्रेणी: भारत को मानव विकास की मध्यम श्रेणी में रखा गया है।
- पड़ोसी देशों के साथ तुलना: भारत की रैंकिंग चीन (75), श्रीलंका (78), मालदीव (87), भूटान (125) और बांग्लादेश (129) से भी नीचे है।

HDR 2023-2024 में वैश्विक स्थिति

- मानव विकास सूचकांक (HDI): वर्ष 2022 में कुल 193 देशों की रैंकिंग की गई। इनमें स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः नॉर्वे एवं आइसलैंड हैं।
- मानव विकास में बढ़ती असमानता: अमीर और गरीब देशों के बीच असमानताओं को लगातार कम करने में हुई प्रगति रुक गई है और यह असमानता बढ़ने लगी है।
- लोकतांत्रिक विरोधाभास की प्रवृत्ति में वृद्धि: इस विरोधाभास के साथ-साथ शक्तिहीनता की भावना और सरकारी निर्णयों में भागीदारी की कमी से राजनीतिक ध्रुवीकरण व अंतर्मुखी नीतियों को बढ़ावा मिला है।
 - लोकतांत्रिक विरोधाभास (Democracy Paradox) का अर्थ है कि देश की आबादी लोकतंत्र के बारे में सकारात्मक विचार रखती है लेकिन लोकतंत्र को कमजोर करने वाले नेताओं का समर्थन करती है।

मानव विकास का मापन करने वाले अन्य प्रमुख सूचकांक

सूचकांक	मापन	भारत का प्रदर्शन
लैंगिक असमानता सूचकांक (Gender Inequality Index: GII)	GII 3 प्रमुख आयामों के आधार पर लैंगिक असमानताओं का मापन करता है। ये आयाम हैं- जनन स्वास्थ्य, सशक्तीकरण और श्रम बाजार।	2022 में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। भारत 2022 में 108वें स्थान पर पहुंच गया, जबकि 2021 में 122वें स्थान पर था।
बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Multidimensional Poverty Index: MPI)	MPI विकासशील देशों में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में लोगों के विविध अभावों (Deprivations) को मापता है।	2021 में भारत में 230 मिलियन से अधिक लोग बहुआयामी गरीबी से जूझ रहे थे।
लैंगिक विकास सूचकांक (Gender Development Index: GDI)	GDI लैंगिक आधार पर HDI में असमानताओं को मापता है।	भारत में महिलाओं और पुरुषों के बीच HDI संबंधी उपलब्धियों में समानता का स्तर कम है। HDI उपलब्धियों के मामले पुरुष, महिलाओं से 10 प्रतिशत बेहतर स्थिति में हैं।

⁵⁵ Gross National Income

असमानता-समायोजित मानव विकास सूचकांक (Inequality-adjusted Human Development Index: IHDI)	IHDI में असमानता से संबंधित दो मापन शामिल हैं- IHDI और असमानता के कारण HDI में समग्र हानि।	IDHI में भारत की रैंकिंग 140वीं है। रैंकिंग में 6 स्थानों की गिरावट दर्ज की गई है।
ग्रहीय दबाव-समायोजित मानव विकास सूचकांक (Planetary pressures- adjusted Human Development Index: PHDI)	यह एंथ्रोपोसीन युग (मानवजनित गतिविधियों) में पृथ्वी पर दबाव को HDI के साथ समायोजित करता है। ऐसा दो पीढ़ियों के बीच असमानता से जुड़ी चिंताओं को शामिल करने के लिए किया जाता है।	भारत 127वें स्थान पर है। भारत के PHDI और HDI स्कोर में 3 प्रतिशत का अंतर है।



संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम

(United Nations Development Programme: UNDP)



UNDP के बारे में: यह अंतरराष्ट्रीय विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख एजेंसी है। UNDP 170 देशों और क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन तथा असमानता को कम करने के लिए काम करता है।

- 2030 एजेंडा के अनुरूप, UNDP विकास के लिए छह क्रॉस-कटिंग दृष्टिकोण लागू कर रहा है, जिसे **सिग्नेचर मॉल्युशंस** के नाम से जाना जाता है।
- UNDP संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह (UNSDG) का भी सदस्य है। गौरतलब है कि UNSDG संयुक्त राष्ट्र के लगभग 40 फंड्स, कार्यक्रमों, विशेष एजेंसियों और '2030 एजेंडा' को आगे बढ़ाने के लिए काम करने वाले अन्य निकायों का एक नेटवर्क है।

उत्पत्ति: इसकी स्थापना 1966 में **यूनाइटेड नेशंस एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ़ टेक्निकल असिस्टेंस** और **यूनाइटेड नेशंस स्पेशल फंड** के विलय से हुई थी।

सौंपे गए कार्य:

- UNDP का मुख्य कार्य **गरीबी समाप्त करना व लोकतांत्रिक शासन, विधि का शासन और समावेशी संस्थानों का निर्माण करना** है।
- यह **सकारात्मक बदलाव का समर्थन करता है** तथा लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए देशों को ज्ञान, अनुभव एवं संसाधनों से लैस करता है।
- इसका कार्य निम्नलिखित तीन प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है:
 - सतत विकास,
 - लोकतांत्रिक शासन और शांति निर्माण, तथा
 - जलवायु एवं आपदा लचीलापन

रिपोर्ट/ प्रकाशन: मानव विकास रिपोर्ट (HDR), वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, आदि।

फंडिंग: UNDP पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों, बहुपक्षीय संगठनों, निजी क्षेत्र और अन्य स्रोतों से प्राप्त स्वैच्छिक फंडिंग पर निर्भर है।

PT 365 - अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटीरियल

3.1.2. घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) 2022-23 {Household Consumption Expenditure Survey (HCES) 2022-23}

सुर्खियों में क्यों?

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO)⁵⁶ ने 10 वर्षों के अंतराल के बाद **HCES 2022-23** जारी किया है। इससे पहले, उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2011-12 में जारी किया गया था।

⁵⁶ National Sample Survey Office

घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) के बारे में

- **उद्देश्य:** इस सर्वेक्षण का आयोजन परिवारों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए किया जाता है।
- **संचालन करने वाली संस्था:** यह सर्वेक्षण NSSO द्वारा नियमित अंतराल पर किया जाता है। NSSO, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत स्थापित एक संस्था है।
 - शुरुआत में, 1950-51 से प्रत्येक वर्ष NSSO द्वारा HCES का आयोजन किया जाता था। हालांकि, 26वें राउंड के बाद से, यह सर्वेक्षण लगभग **5 वर्षों में 1 बार आयोजित** किया जाने लगा। गौरतलब है कि 2017-18 के सर्वेक्षण को सरकार ने 'डेटा गुणवत्ता' में कमी का हवाला देते हुए खारिज कर दिया था।
- **HCES की उपयोगिता:** सर्वेक्षण से प्राप्त डेटा परिवारों के उपभोग और व्यय पैटर्न, जीवन स्तर और रहन-सहन को समझने में मदद करते हैं।
 - ये डेटा सकल घरेलू उत्पाद (GDP), गरीबी स्तर और उपभोक्ता मूल्य आधारित मुद्रास्फीति जैसे कई महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतकों की समीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।



राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (National Sample Survey Office: NSSO)



NSSO के बारे में: NSSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) का हिस्सा है और यह MoSPI के नियंत्रण में एक अधीनस्थ कार्यालय है।

- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) में केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) और NSSO, दोनों शामिल हैं।



उद्देश्य: इसका उद्देश्य अखिल भारतीय स्तर पर विविध क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सैंपल सर्वे करना है।



प्रमुख: डायरेक्टर जनरल



कार्य एवं जिम्मेदारियां:

- यह **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS), वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण और अर्बन फ्रेम सर्वे** आदि आयोजित करता है।
- NSSO **ग्रामीण और शहरी स्तर** की कीमतों का सर्वे करके डेटा एकत्र करता है। साथ ही, यह फसल सांख्यिकी के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- यह शहरी क्षेत्रों में **सैंपल सर्वे में उपयोग के लिए शहरी क्षेत्र इकाइयों का एक ढांचा भी बनाए रखता है।**



NSSO के निम्नलिखित चार प्रभाग (डिवीजन) हैं:

- सर्वे डिजाइन एंड रिसर्च डिवीजन
- फील्ड ऑपरेशन्स डिवीजन
- डेटा प्रोसेसिंग डिवीजन
- सर्वे कोऑर्डिनेशन डिवीजन

HCES 2022-23 के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **समग्र रुझान (Trend):** औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (MPCE)⁵⁷ में 1999-2000 से बढ़ोतरी जारी है। पिछले सर्वेक्षण के बाद से ग्रामीण क्षेत्रों में यह लगभग 2.6 गुना और शहरी क्षेत्रों में 2.5 गुना बढ़ गया है।
 - **ग्रामीण-शहरी विभाजन:** औसत MPCE ग्रामीण भारत में 3,773 रुपये और शहरी भारत में 6,459 रुपये है।
 - **अमीर-गरीब विभाजन:** ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 5% सबसे अमीर व्यक्ति, सबसे गरीब 5% व्यक्ति की तुलना में क्रमशः लगभग 8 गुना (ग्रामीण) और 10 गुना (शहरी) अधिक खर्च करते हैं।
- **राज्यवार अंतर:** राज्यों में, MPCE सिक्किम में सबसे अधिक और छत्तीसगढ़ में सबसे कम है। नौ राज्यों में MPCE राष्ट्रीय औसत से कम है।
- **कृषक परिवारों का MPCE:** कृषक परिवारों का उपभोग व्यय 3,702 रुपये है। ऐसा पहली बार है जब कृषक परिवारों का उपभोग व्यय, ग्रामीण औसत (3,773 रुपये) से कम हुआ है।

⁵⁷ Monthly Per Capita Consumption Expenditure

- वंचित वर्गों के बीच उपभोग व्यय: ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों (STs) का MPCE सबसे कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में दूसरा सबसे कम MPCE अनुसूचित जातियों (SCs) का है। इन दोनों वंचित समुदायों का MPCE ग्रामीण औसत से कम है।

गौरतलब है कि HCES 2022-23 सर्वेक्षण में अलग-अलग सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के तहत परिवारों को मुफ्त में प्राप्त और खपत वाली वस्तुओं की मात्रा के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए एक अलग प्रावधान भी शामिल किया गया था।

3.1.3. SDG प्रगति रिपोर्ट 2024 (SDG Progress Report 2024)

सुर्खियों में क्यों?

एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (UNESCAP)⁵⁸ ने 'एशिया और प्रशांत में SDG प्रगति रिपोर्ट 2024' शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है।

SDG प्रगति रिपोर्ट के बारे में

- इसे UN-ESCAP ने जारी किया है। इसमें 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) और एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए इसमें शामिल 169 टारगेट्स की दिशा में वर्तमान प्रगति का अवलोकन प्रस्तुत किया गया है।
- इसमें एशिया-प्रशांत क्षेत्र में मिली सफलता और वर्तमान ट्रेंड्स तथा इस क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में सामना की जाने वाली अनूठी चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है।

UNESCAP के बारे में

- यह संयुक्त राष्ट्र के पांच क्षेत्रीय आयोगों में से एक है। इसका मुख्यालय बैंकॉक (थाईलैंड) में है।
- इसे 1947 में "एशिया और सुदूर-पूर्व के लिए आर्थिक आयोग (ECAFE)" के रूप में स्थापित किया गया था। यह 1974 में ESCAP बन गया था।
- सदस्य: भारत सहित 53 सदस्य देश और 9 एसोसिएट सदस्य।
- यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र में समावेशी, अनुकूलनशील और सतत विकास सुनिश्चित करने में मदद करता है।

फोकस वाले क्षेत्र

 <p>मैक्रो-इकोनॉमिक नीतियां, गरीबी में कमी और विकास के लिए वित्त-पोषण</p>	 <p>व्यापार, निवेश और नवाचार</p>	 <p>परिवहन</p>	 <p>पर्यावरण और विकास</p>
 <p>सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और आपदा जोखिम में कमी</p>	 <p>सामाजिक विकास</p>	 <p>सांख्यिकी</p>	 <p>ऊर्जा</p>

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- प्रगति की धीमी गति: प्रगति की मौजूदा गति से, एशिया-प्रशांत क्षेत्र 2062 (32 साल की देरी से) से पहले सभी 17 SDGs को प्राप्त नहीं कर पाएगा। कोविड-19 महामारी के प्रभाव ने 2015 से अब तक की गई प्रगति को काफी सीमा तक क्षीण कर दिया है।
- शहरीकरण, शिक्षा, आयु और आय सहित अलग-अलग आयामों में असमान व अपर्याप्त प्रगति के कारण देशों में लैंगिक असमानता और शहरी-ग्रामीण विकास संबंधी अंतर बना हुआ है।
- डेटा की कमी: 231 SDG संकेतकों में से केवल 133 संकेतकों में प्रगति का आकलन करने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध हैं।
- एशिया-प्रशांत क्षेत्र में मौजूद अन्य समस्याएं: जैसे- अवैध, असूचित और गैर-विनियमित मात्स्यिकी (Illegal, unreported, and unregulated fishing); ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि होना; जल की कमी; प्रदूषण; अभाव, और अपर्याप्त स्वच्छता सेवाएं आदि।

⁵⁸ UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

3.2. सरकारी वित्त (Government Finance)

3.2.1. सरकारी प्रतिभूतियां (G-Securities)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने "RBI (सरकारी प्रतिभूति ऋण) दिशा-निर्देश⁵⁹, 2023" जारी किए। इसके जरिए सरकारी प्रतिभूतियों (G-Sec) को उधार देने और उधार लेने की अनुमति दी गई है।

सरकारी प्रतिभूति ऋण (GSL) के बारे में

- GSL लेन-देन के तहत, केंद्र सरकार द्वारा जारी सरकारी प्रतिभूतियों को उधार लिया या दिया जा सकता है। हालांकि, इनमें ट्रेजरी बिल्ल्स (T-Bills) शामिल नहीं हैं।
 - GSL लेन-देन के तहत ट्रेजरी बिल्ल्स सहित केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों और राज्य सरकार के बॉण्ड्स को जमानत के रूप में रखा जा सकता है।
- **GSL के लाभ:**
 - यह सरकारी प्रतिभूति बाजार के स्थायित्व और तरलता में वृद्धि करेगा और इससे कुशल मूल्य निर्धारण में सहायता मिलेगी।
 - यह निवेशकों को निष्क्रिय प्रतिभूतियों का उपयोग करने और पोर्टफोलियो रिटर्न बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा। इससे प्रतिभूति ऋण बाजार में व्यापक भागीदारी की सुविधा प्रदान की जा सकेगी।
 - यह बीमा कंपनियों के जरिए सरकारी बॉण्ड्स की मांग बढ़ाने में मदद करेगा।

सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) के बारे में

- **परिभाषा:** G-Secs केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा जारी एक व्यापार योग्य इंस्ट्रूमेंट या उत्पाद है। यह एक प्रकार से सरकार पर ऋण चुकाने का दायित्व जैसा है क्योंकि सरकार प्रतिभूति जारी करके बाजार से उधार के रूप में फंड जुटाती है। इसे उसे वापस चुकाना भी होता है।
 - सरकारी प्रतिभूतियों में व्यावहारिक रूप से डिफॉल्ट होने का कोई जोखिम नहीं होता है। इसलिए, इन्हें रिस्क-फ्री गिल्ट-एज इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है।
- **ट्रेजरी बिल (T-Bills):** इन्हें अल्प अवधि वाली G-Secs कहा जाता है। इन्हें आमतौर पर एक वर्ष से कम (91 दिन, 182 दिन या 364 दिन) की परिपक्वता अवधि में भुनाया जा सकता है।
 - ट्रेजरी-बिल शून्य कूपन प्रतिभूतियां होती हैं, अर्थात् इन पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। दरअसल इन्हें अंकित मूल्य पर कुछ छूट (Discount) देकर जारी किया जाता है। परिपक्वता अवधि पूरी होने पर अंकित मूल्य का भुगतान कर दिया जाता है।
- **दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों (Dated G-Secs):** इन्हें सरकारी बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां (Dated securities) कहा जाता है। इनकी परिपक्वता अवधि एक वर्ष या अधिक (5 वर्ष से 40 वर्ष के बीच) होती है।
- **जारीकर्ता:** भारत में, केंद्र सरकार ट्रेजरी बिल और बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां, दोनों जारी करती है। वहीं, राज्य सरकारें केवल बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करती हैं, जिन्हें राज्य विकास ऋण (SDLs)⁶⁰ कहा जाता है।

सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) के लाभ



ऐसी प्रतिभूतियों को कम जोखिम वाला निवेश माना जाता है, क्योंकि इनके पीछे सरकार का समर्थन रहता है।



ब्याज दर निश्चित होने के कारण ये आय के सतत स्रोत होते हैं।



राज्य विकास ऋण (SDLs) और विशेष प्रतिभूतियां (ऑयल बॉण्ड, उदय बॉण्ड आदि) जैसी प्रतिभूतियां आकर्षक रिटर्न प्रदान करती हैं।



अलग-अलग प्रकार के निवेश पोर्टफोलियो में सरकारी प्रतिभूतियों को शामिल करने से समग्र जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है।



बाजार में इनका व्यापार करना आसान होता है। इससे निवेशक इन्हें तुरंत खरीद और बेच सकते हैं।



इन्हें रेपो मार्केट में धन उधार लेने के लिए जमानत के रूप में रखा जा सकता है।

⁵⁹RBI (Government Securities Lending) Directions

⁶⁰ State Development Loans

- सरकारी प्रतिभूतियां RBI द्वारा आयोजित नीलामी के जरिए जारी की जाती हैं। नीलामी "ई-कुबेर" नामक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर आयोजित की जाती है। ई-कुबेर, RBI का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (CBS) प्लेटफॉर्म है।

सरकारी प्रतिभूतियां (G-Secs) के लिए की गई पहलें

- G-Secs खरीद कार्यक्रम (G-SAP)⁶¹:** इसके तहत, RBI बाजार से G-Secs खरीदने के लिए खुले बाजार की गतिविधियों का संचालन करता है।
 - यह कार्यक्रम सरकारी प्रतिभूति बाजार में भागीदारों को बाजार के अत्यधिक उतार-चढ़ाव से बचाने में मदद करता है।
- RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम:** इससे रिटेल निवेशक RBI के G-Secs प्लेटफॉर्म की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, अर्थात् सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद सकते हैं।
- सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली की सुविधा के लिए योजना:** यह योजना सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋण (SDLs) के लिए प्राथमिक बाजार में रिटेल निवेशकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए RBI द्वारा शुरू की गई है।

3.2.2. राज्य सरकार की गारंटी (State Government Guarantees: SGGs)

सुर्खियों में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऋण के बदले राज्य सरकार की गारंटी (SGG) पर गठित कार्य समूह की रिपोर्ट जारी की है।

सरकारी गारंटी का महत्व



सरकारी संस्थाओं द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं या गतिविधियों की व्यवहार्यता में सुधार होता है, जिससे सामाजिक और आर्थिक लाभ भी मिलता है।



सार्वजनिक क्षेत्रक की कंपनियां कम ब्याज दर पर या अधिक अनुकूल शर्तों पर फंड्स जुटाने में सक्षम हो जाती हैं।



द्विपक्षीय/ बहुपक्षीय एजेंसियों से रियायती ऋण लेते समय ऐसे मामलों में सहायता मिलती है, जहां संप्रभु (देश की केंद्र सरकार द्वारा) गारंटी एक पूर्व शर्त होती है।

राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली गारंटी क्या होती है?

- उपर्युक्त संदर्भ में "गारंटी" वस्तुतः ऋण वापस करने के लिए राज्य के ऊपर एक तरह का कानूनी दायित्व होता है। यह राज्य को ऋण भुगतान करने के लिए बाध्य करता है और ऋणी के डिफॉल्ट होने की स्थिति में किसी निवेशक/ ऋणदाता को जोखिम से बचाता है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 292 के तहत, केंद्र सरकार अपने द्वारा लिए गए उधार के लिए यह गारंटी दे सकती है कि उसे भारत की संचित निधि से चुकाया जाएगा। हालांकि, यह सब संसद द्वारा निर्धारित सीमाओं के दायरे में होता है।
 - इसी प्रकार अनुच्छेद 293 के अंतर्गत, राज्य सरकार राज्य की संचित निधि की गारंटी पर अपने विधान-मंडल द्वारा निर्धारित सीमाओं के दायरे में उधार ले सकती है और उसकी गारंटी भी दे सकती है।
- राज्य में अक्सर विकासात्मक योजनाओं/ परियोजनाओं की फंडिंग के लिए राज्य के सार्वजनिक उपक्रम/ सहकारी संस्थान/ शहरी स्थानीय निकाय विभिन्न बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते हैं। कई बार इन्हीं ऋणों के एवज में राज्य सरकारें अपनी ओर से यह गारंटी देती हैं कि अगर ऋणी संस्थाएं अपना ऋण नहीं चुकाएंगी तो राज्य सरकार अपनी संचित निधि से उसे वापस लौटाएंगी।

⁶¹ G-sec Acquisition Programme

राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की वर्तमान स्थिति

- **दायरा या विस्तार:** 2018-21 की अवधि के लिए राज्य-वार गारंटी डेटा से पता चलता है कि अधिकांश राज्यों के मामले में गारंटी की बकाया राशि उनके GSDP⁶² के 10% से कम है।
 - हालांकि, अधिकतर राज्यों के मामले में यह पिछले कुछ वर्षों से बढ़ रही है।
- गारंटी की सबसे अधिक बकाया राशि वाले राज्यों में सिक्किम (12.0%), तेलंगाना (12.0%), आंध्र प्रदेश (10.4%) और उत्तर प्रदेश (8.8%) शामिल हैं।
 - कई राज्यों ने सबसे अधिक गारंटी अपने डिस्कॉम्स (बिजली क्षेत्रक) के ऋण के लिए दी है।

राज्यों द्वारा दी जाने वाली गारंटियों से संबंधित मुद्दे

- **नैतिक खतरे:** गारंटी कभी-कभी समस्याएं भी पैदा कर सकती है। अधिकतर मामलों में देखा गया है कि गारंटी प्राप्त पक्ष अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए बेहतर प्रयास नहीं करता है, क्योंकि वह जानता है कि उसे राज्य से गारंटी मिली हुई है।
- **राजकोषीय जोखिम:** राजकोष से अचानक अधिक नकदी का भुगतान होने और ऋणों में बढ़ोतरी की वजह से राज्य के वित्त पर बोझ बढ़ सकता है।
- **निजी निवेश में कमी आना:** गारंटियों का अत्यधिक उपयोग करने से निजी ऋणदाता सीधे परियोजनाओं का वित्त-पोषण करने से हतोत्साहित हो सकते हैं। इससे सरकार और राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं के लिए उधार लेने की लागत बढ़ सकती है।

3.3. बैंकिंग (Banking)

3.3.1. गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (Non-Performing Assets: NPAs)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए "ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया" शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) का GNPA⁶³ अनुपात 2022-2023 में कम होकर 3.9 प्रतिशत रह गया है।

"ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2022-23" रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की संयुक्त बैलेंस शीट 2022-23 में 12.2% बढ़ी है। यह विगत नौ वर्षों में सबसे अधिक वृद्धि है।
- 2022-23 के दौरान, बैंकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की कुल राशि छह साल के निचले स्तर पर आ गई। वहीं धोखाधड़ी में शामिल औसत राशि एक दशक में सबसे कम रही।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का CRAR⁶⁴ सितंबर, 2023 के अंत में 16.8% तक पहुंच गया।

गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) के बारे में

- किसी ऋण पर देय ब्याज और/ या मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया होने पर वह NPA में बदल जाता है।
 - GNPA उन सभी ऋण परिसंपत्तियों का जोड़ है, जिन्हें NPA के रूप में वर्गीकृत किया गया है

⁶²Gross State Domestic Product

⁶³ Gross Non-Performing Assets/ सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां

⁶⁴ Capital-to-risk-weighted assets ratio/ जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात

शब्दावली को जानें

- **जोखिम-भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी:** इसे पूंजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio: CAR) के रूप में भी जाना जाता है। यह जोखिम-भारित परिसंपत्तियों और वर्तमान देनदारियों के संबंध में बैंक की पूंजी का अनुपात होता है।
 - वाणिज्यिक बैंकों को अतिरिक्त ऋण देने और इसके चलते दिवालिया होने से बचाने के लिए केंद्रीय बैंकों एवं बैंक विनियामकों द्वारा CAR के बारे में निर्णय लिया जाता है।

NPAs का वर्गीकरण:

- **सब-स्टैंडर्ड एसेट्स:** ऐसे एसेट्स, जो 12 महीने या इससे कम अवधि के लिए NPA बने रहते हैं।
- **डाउटफुल (संदिग्ध) एसेट्स:** ऐसे एसेट्स, जो 12 महीने से अधिक समय तक सब-स्टैंडर्ड श्रेणी में बने रहते हैं।
- **लॉस एसेट्स:** ऐसी परिसंपत्ति जिसे बैंक पूरी तरह से राईट ऑफ़ (बट्टे खाते) नहीं करते हैं, लेकिन हानि (Loss) के रूप में अपने खाते में दर्ज करते हैं, उन्हें लॉस एसेट्स कहा जाता है। सामान्यतः बैंक द्वारा या आंतरिक या बाह्य लेखा परीक्षकों द्वारा या RBI द्वारा ऐसे एसेट्स को लॉस या हानि मान लिया जाता है।

NPA के कारण

- **ऋण देने की दोषपूर्ण प्रक्रिया:** किसी व्यक्ति या संस्था के ऋण वापस चुकाने की क्षमता या उसके पुराने क्रेडिट विवरण (लोन चुकाने) को अच्छी तरह से जांच किए बिना ऋण दिया जाता रहा है। इस वजह से PSBs में NPA की समस्या पैदा होती है।
- **विलफुल डिफॉल्टर:** ऐसे ऋणियों की संख्या बढ़ती जा रही है जिनके पास अपने साधन से ऋण चुकाने के लिए धन तो है लेकिन फिर भी वे ऋण नहीं चुकना चाहते हैं तथा ऋण के पुनर्भुगतान में डिफॉल्ट करते हैं।
- **औद्योगिक रुग्णता (Industrial sickness):** कंपनी का प्रबंधन सही से नहीं करना, पर्याप्त संसाधनों की कमी और तकनीकी प्रगति की कमी तथा बदलती सरकारी नीतियां औद्योगिक रुग्णता का कारण बनती हैं। ऐसे उद्योगों को ऋण देने वाले बैंक कम ऋण की ही वसूली कर पाते हैं। इसका असर बैंकों के लाभ और नकदी (लिक्विडिटी) पर पड़ता है।
- **विनियामकीय मुद्दे:** RBI के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने और PSBs द्वारा बैंकिंग संचालन में विनियामकीय दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने से धोखाधड़ी बढ़ती है तथा NPA में भी वृद्धि होती है।

गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों से संबंधित प्रभाव

NPA में वृद्धि की वजह से बैंक अन्य उत्पादक (विकास संबंधी) गतिविधियों के लिए ऋण नहीं दे पाते हैं। इससे आर्थिक गतिविधियां धीमी हो जाती हैं	इससे रोजगार के अवसरों में कमी आती है और मुद्रास्फीति जैसी समस्या उत्पन्न होती है।	NPA में वृद्धि होने से बैंकों के घाटे को कम करने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि की जाती है। इससे व्यक्तियों और कंपनियों के लिए उधार लेना महंगा हो सकता है।	NPA में वृद्धि के कारण बैंकों की प्रतिष्ठा, संचालन और व्यवसाय प्रभावित होता है।	इस वजह से अदालतों में ऐसे लंबित मामलों की संख्या काफी बढ़ गई है। साथ ही ऋण वसूली के मामलों की अधिक संख्या का निपटान करने के लिए पर्याप्त कार्यबल उपलब्ध नहीं है।
--	---	--	---	--

NPA को कम करने के लिए उठाए गए कदम

- **वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम (SARFAESI Act)⁶⁵, 2002:** यह सिक्योरिटी ऋणदाताओं को मूलधन और/ या ब्याज के पुनर्भुगतान में डिफॉल्ट होने पर ऋणी द्वारा जमानत (कोलेटरल) के रूप में रखी गई परिसंपत्ति को कब्जे में लेने का अधिकार देता है।
- **ऋण वसूली अधिकरण:** इसे ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम⁶⁶, 1993 के तहत स्थापित किया गया था। इस कानून के तहत शीघ्र न्याय करने और ऋणों की वसूली के लिए अधिकरणों (ट्रिब्यूनल) की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
- **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC)⁶⁷, 2016:** इसके तहत कॉर्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के ऋण पुनर्गठन तथा दिवाला समाधान को समयबद्ध तरीके से यानी 180 दिनों के भीतर समाधान करने का प्रावधान किया गया है। इस अवधि को और 90 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है।
- **नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (NARCL):** इसका लक्ष्य बैंकों के NPA को कम करना तथा वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और दक्षता में सुधार करना है।
- **इंद्रधनुष योजना** शुरू की गई है। इसका उद्देश्य PSBs में सुधार करना तथा उनका पुनर्पूजीकरण करना है।

⁶⁵ Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest

⁶⁶ Recovery of Debts and Bankruptcy Act

⁶⁷ Insolvency and Bankruptcy Code

3.3.2. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (Unified Payments Interface: UPI)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने UPI पेमेंट का दायरा बढ़ाने के लिए नए नियमों और विनियमों की घोषणा की है।

नए नियमों के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **UPI से लेन-देन की सीमा में वृद्धि:** UPI से अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को किए जाने वाले भुगतान संबंधी प्रत्येक लेन-देन की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर **5 लाख रुपये** कर दिया गया है।
 - सामान्य लेन-देन के मामले में 24 घंटे में UPI पेमेंट के लिए अधिकतम लिमिट **1 लाख रुपये** ही है। हालांकि, **पूँजी बाजार** (ब्रोकिंग, म्यूचुअल फंड, आदि), **कलेक्शन** (क्रेडिट कार्ड भुगतान, ऋण पुनर्भुगतान, EMI), **बीमा** आदि जैसी श्रेणियां इसका अपवाद हैं, जहां लेन-देन की सीमा **2 लाख रुपये** है।
- **आवर्ती (रेकरिंग) ऑनलाइन लेन-देन के लिए ई-मैंडेट्स में वृद्धि (Increased e-Mandates for Recurring Online Transactions):** क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान, म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन और बीमा प्रीमियम भुगतान के लिए **एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन (AFA)** के बिना ई-मैंडेट्स से भुगतान की सीमा **15,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये** कर दी गई है।
- **फिनटेक रिपॉजिटरी की स्थापना:** इस रिपॉजिटरी का संचालन **रिजर्व बैंक इनोवेशन हब** द्वारा अप्रैल, 2024 में या उससे पहले शुरू कर दिया जाएगा।

UPI के बारे में

- UPI एक ऐसी प्रणाली है जो **कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लिकेशन** (भागीदार बैंकों के) से जोड़ती है। ऐसे में एक एप्लिकेशन से ही फंड ट्रांसफर जैसी **कई बैंकिंग सुविधाएं** उपलब्ध कराई जाती हैं।
- इसे 2016 में **भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)** द्वारा विकसित किया गया था। इसे तत्काल **भुगतान सेवा (IMPS)⁶⁸** प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है।
- **विदेशी बाजारों में भारत का UPI:** ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, नेपाल, भूटान जैसे देशों में कुछ क्षेत्रों में भुगतान के लिए UPI सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है।
- **UPI 123PAY:** यह **फीचर फोन यूजर्स** के लिए एक त्वरित भुगतान प्रणाली है। ऐसे यूजर्स सुरक्षित तरीके से UPI भुगतान सेवा का उपयोग कर सकते हैं।

UPI द्वारा शुरू की गई नई सुविधाएं

- **क्रेडिट लाइन ऑन UPI:** यह UPI के माध्यम से बैंकों में पूर्व-स्वीकृत ऋण सुविधा का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है।
- **UPI लाइट X:** इसके जरिए यूजर्स **नियर फील्ड कम्युनिकेशन (NFC)** को सपोर्ट करने वाले किसी भी डिवाइस के माध्यम से ऑफलाइन मोड में धन भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं।
 - **नियर फील्ड कम्युनिकेशन (NFC),** कम दूरी के लिए वायरलेस कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली तकनीक है। यह **दो डिवाइसेज** के बीच संचार स्थापित करने के लिए **विद्युत-चुम्बकीय रेडियो फील्ड्स** के माध्यम से डेटा प्रसारित करती है।
- **UPI टैप एंड पे:** यह व्यापारियों को **NFC-आधारित QR कोड** की मदद से बिना पिन डाले **एक टैप से भुगतान पूरा करने** की सुविधा प्रदान करता है।
- **आवाज-आधारित भुगतान (Conversational Payments):**
 - **हेलो! UPI:** इसकी मदद से यूजर्स केवल वॉयस कमांड देकर और अपना **UPI पिन डालकर** फंड ट्रांसफर कर सकते हैं।
 - **भारत बिलपे कनेक्ट:** ग्राहक केवल **'हाय (Hi)'** बोलकर या **मिस्ड कॉल देकर** अपना बिल प्राप्त कर सकते हैं और भुगतान कर सकते हैं।

3.3.3. भारत में कार्ड नेटवर्क (Card Networks in India)

सुर्खियों में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक कार्ड नेटवर्क को बिजनेस कार्ड का उपयोग करके किए गए "अनधिकृत भुगतान" को रोकने का आदेश दिया है।

⁶⁸ Immediate Payment Service

अन्य संबंधित तथ्य

- अधिकृत कार्ड नेटवर्क्स डेबिट/ क्रेडिट/ प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए बैंकों/ गैर-बैंकों के साथ समझौता करते हैं।
 - डेबिट और क्रेडिट कार्ड लेन-देन की प्रोसेसिंग करने वाली कंपनियां, व्यवसायों से कुछ शुल्क लेती हैं जिसे **मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट (MDR)** के रूप में जाना जाता है।
- आमतौर पर बैंक ही ग्राहकों को जारी किए जाने वाले डेबिट या क्रेडिट कार्ड नेटवर्क का चयन करते हैं।
 - हालांकि, **RBI** ने कार्ड जारीकर्ताओं से **1 अक्टूबर, 2023** से ग्राहकों को कार्ड नेटवर्क्स में से किसी को चुनने का विकल्प प्रदान करने के लिए कहा है।

भारत में कार्ड नेटवर्क बाजार के बारे में

- भारत में अधिकृत कार्ड नेटवर्क: भारत में अभी अधिकृत कार्ड नेटवर्क्स की संख्या 5 है। ये हैं- वीजा, मास्टरकार्ड, रुपे (RuPay), डायनर्स क्लब और अमेरिकन एक्सप्रेस।
 - RuPay भारत का स्वदेशी भुगतान नेटवर्क है। इसे NPCI⁶⁹ द्वारा वैश्विक पेमेंट मार्केट में भारत के प्रवेश में मदद के लिए शुरू किया गया है।
- डेबिट कार्ड सेगमेंट में RuPay कार्ड की हिस्सेदारी काफी ज्यादा है। इसमें लगभग 70 करोड़ कार्ड और 65% बाजार हिस्सेदारी शामिल है।
- गौरतलब है कि क्रेडिट कार्ड बाजार में वीजा और मास्टरकार्ड का दबदबा है। दोनों के पास भारत के 90% क्रेडिट कार्ड बाजार का स्वामित्व है।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payments Corporation of India: NPCI)



NPCI के बारे में: NPCI भारत में **खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली** के संचालन के लिए एक **अम्ब्रेला संगठन** है।

उत्पत्ति: यह **भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007** के तहत **RBI और भारतीय बैंक संघ (IBA)** की एक पहल है।

संरचना: यह कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के तहत **“नॉट फॉर प्रॉफिट (गैर लाभकारी)” कंपनी** के रूप में पंजीकृत है।

→ **NPCI द्वारा शुरू अन्य पहलें/ वित्तीय सेवाएं:** तत्काल भुगतान सेवा (IMPS); नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH); आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS); एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI); आदि

भारत में कार्ड नेटवर्क इकोसिस्टम का विनियमन

- प्राथमिक विनियामक के रूप में **RBI**: भारतीय रिजर्व बैंक **भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007** के तहत कार्ड नेटवर्क्स सहित भारत में भुगतान प्रणालियों की देख-रेख और विनियमन के लिए जिम्मेदार है।
- इन्हें **गवर्न** करने के लिए **कानून: PSS एक्ट, 2007** पेमेंट सिस्टम को एक ऐसी प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है जो भुगतान करने वाले और **लाभार्थी के बीच पेमेंट लेन-देन को संभव बनाती है**, जिसमें क्लियरिंग, भुगतान या निपटान सेवा या ये सभी शामिल होते हैं।
 - “भुगतान प्रणाली” में **क्रेडिट कार्ड लेन-देन, डेबिट कार्ड लेन-देन, स्मार्ट कार्ड लेन-देन, धन हस्तांतरण करना या इसी तरह के लेन-देन का समर्थन** करने वाली प्रणालियां शामिल हैं।
 - हालांकि, इस परिभाषा में **स्टॉक एक्सचेंज शामिल नहीं** है।

⁶⁹ National Payments Corporation of India/ भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (PSS अधिनियम, 2007)

- लागू होने का वर्ष: यह अधिनियम 12 अगस्त, 2008 से लागू हुआ।
- उद्देश्य: यह अधिनियम भारत में भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण का प्रावधान करता है। साथ ही, यह भारतीय रिजर्व बैंक को इससे संबंधित सभी मामलों के विनियमन के लिए अधिकृत करता है।
- PSS अधिनियम, 2007 के तहत बनाए गए विनियम: इसके तहत दो विनियम बनाए गए हैं-
 - भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन, 2008; तथा
 - भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन, 2008 के विनियमन और पर्यवेक्षण लिए बोर्ड;
- अन्य मुख्य प्रावधान:
 - भारतीय रिजर्व बैंक के अलावा कोई भी भुगतान प्रणाली का संचालन या उसकी शुरुआत नहीं कर सकता है, जब तक कि उसे रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत न किया जाए।
 - यह अधिनियम विदेशी संस्थाओं को भारत में भुगतान प्रणाली के संचालन से प्रतिबंधित नहीं करता है। साथ ही यह विदेशी संस्थाओं और घरेलू संस्थाओं के बीच भेदभाव भी नहीं करता है।

3.3.4. भारत में बीमा परिदृश्य (Insurance landscape in India)

सुर्खियों में क्यों?

राष्ट्रीय बीमा अकादमी (NIA)⁷⁰ ने भारतीय बीमा परिदृश्य पर एक रिपोर्ट जारी की है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- स्वास्थ्य बीमा-सुरक्षा अंतराल (HPG)⁷¹: स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा कवरेज में 73% का अंतराल मौजूद है। इसका अर्थ है कि लगभग 40 करोड़ लोगों यानी देश की कुल 31% आबादी को स्वास्थ्य बीमा का कवरेज प्राप्त नहीं है।
 - बीमा उत्पादों के उपभोक्ताओं की स्वास्थ्य देखभाल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने की लागत तथा उन लागतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों के बीच के अंतर को HPG कहा जाता है।
- बीमा-सुरक्षा अंतराल: देश भर में 26-35 वर्ष आयु वर्ग के समूहों में जीवन बीमा सुरक्षा अंतराल (IPG)⁷² 87% और मृत्यु बीमा सुरक्षा अंतराल (MPG)⁷³ 90% से अधिक है।
 - IPG, किसी देश में आवश्यक कवरेज और वास्तविक बीमा कवरेज के बीच का अंतर है। दूसरे शब्दों में, यह उस नुकसान (व्यय) को बताता है जो बीमा कवरेज में शामिल नहीं है।
 - MPG, वास्तव में परिवार के अर्जक सदस्य की आकस्मिक मृत्यु की दशा में उस परिवार की भविष्य की जरूरत और मृत्यु पर मिलने वाली बीमा कवर की राशि के बीच का अंतर होता है।
- प्राकृतिक आपदा बीमा: लगभग 95% आबादी के पास प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा का बीमा कवरेज नहीं है।
- पेंशन और एन्वुटी कवरेज: केवल 24% कर्मी ही कर्मचारी सेवानिवृत्ति योजनाओं में पंजीकृत हैं।
- फसल बीमा: फसल बीमा कवरेज प्राप्त किसानों की संख्या 6.1 करोड़ से घटकर 2023 में 5.2 करोड़ रह गई है।

भारत में बीमा क्षेत्रक

- कुल प्रीमियम राशि के आधार पर भारत 2021 में वैश्विक बीमा बाजार में दसवें स्थान पर था।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार
 - बीमा पहुंच/ पैठ (Insurance penetration): बीमा पैठ 2001-02 में 2.71% थी। यह 2021-22 में बढ़कर 4.2% हो गई।

⁷⁰ National Insurance Academy

⁷¹ Health Protection Gap

⁷² Insurance Protection Gap

⁷³ Mortality Protection Gap

- बीमा पहुंच या पैठ (Insurance Penetration) से आशय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की तुलना में बीमा प्रीमियम के प्रतिशत से है।
- बीमा घनत्व (Insurance Density): बीमा घनत्व 2001-02 में 11.1 अमेरिकी डॉलर था। यह 2021-22 में बढ़कर 91 डॉलर हो गया।
- बीमा घनत्व (Insurance Density), बीमा प्रीमियम और जनसंख्या के बीच का अनुपात है। यह प्रति व्यक्ति प्रीमियम को दर्शाता है।

भारत में बीमा क्षेत्र का विनियमन

- **बीमा अधिनियम, 1938:** इसके तहत बीमा व्यवसायों के काम-काज के लिए विधायी फ्रेमवर्क बनाया गया था।
- **भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI):** यह एक वैधानिक निकाय है। इसे बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है।
 - इसके मुख्य कार्य हैं- बीमा व्यवसाय और पुनर्बीमा व्यवसाय का विनियमन, प्रसार और वृद्धि सुनिश्चित करना।
- **बीमा प्रभाग:** यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत नीति निर्माण और बीमा संबंधी अलग-अलग कानूनों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।
- **राष्ट्रीय बीमा अकादमी:** इसकी स्थापना 1980 में बीमा पेंशन और संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।

3.3.5. रिजर्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना (Reserve Bank - Integrated Ombudsman Scheme: RB-IOS)

सुर्खियों में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक ने लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 जारी की है।

लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **शिकायतें:** वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ORBIOs और CRPC⁷⁴ के पास लगभग 7 लाख शिकायतें दर्ज कराई गईं।
- **शिकायत का तरीका:** कुल प्राप्त शिकायतों में से लगभग 85.64% शिकायतें डिजिटल मोड में प्राप्त हुई हैं।
- **निपटान दर:** वित्त वर्ष 2022-23 में ORBIOs में प्राप्त 98% शिकायतों का निपटारा किया गया।
 - अधिकतर सुनवाई/ विचार योग्य शिकायतों (57.48%) का निपटारा ORBIOs द्वारा आपसी समझौते/ सुलह/ मध्यस्थता के जरिए किया गया।

रिजर्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना (RB-IOS), 2021 के बारे में

- **पृष्ठभूमि:** RB-IOS को RBI के वैकल्पिक शिकायत निवारण (AGR)⁷⁵ फ्रेमवर्क के रूप में 2021 में आरंभ किया गया था। RB-IOS का प्रमुख कार्य RBI के तहत विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में ग्राहकों की शिकायतों का शीघ्र और लागत प्रभावी तरीके से समाधान करना है।
- **मौजूदा योजनाओं का एकीकरण:** इसमें RBI की पहले की निम्नलिखित तीन लोकपाल योजनाओं को एकीकृत किया गया है:
 - बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006;
 - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018; और
 - डिजिटल लेन-देन के लिए लोकपाल योजना, 2019
- **उद्देश्य:** इस योजना का उद्देश्य RBI की विनियमित संस्थाओं (REs) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों का निःशुल्क समाधान प्रदान करना है।
 - यह योजना RBI लोकपाल तंत्र के अधिकार-क्षेत्र को तटस्थ बनाकर 'एक राष्ट्र एक लोकपाल' के विज़न का समर्थन करती है।

क्या आप जानते हैं?

- > यदि आपको किसी बीमा कंपनी अथवा बीमा ब्रोकर के खिलाफ शिकायत करनी है, तो आप **बीमा लोकपाल (Insurance Ombudsman)** के पास शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
 - इसे विनियमित करने वाले प्राथमिक कानून हैं- **बीमा लोकपाल नियम, 2017** और **बीमा लोकपाल (संशोधन) नियम, 2023**
- > इसके अलावा, **PFRDA (सब्सक्राइबर के शिकायत का निवारण) विनियम, 2015** के तहत **पेंशन से जुड़ी सेवाओं की शिकायतों के निवारण हेतु एक लोकपाल का प्रावधान** किया गया है।

⁷⁴ Offices of the RBI Ombudsman & (Centralized Receipt and Processing Centre

⁷⁵ Alternate Grievance Redress

- **कवरेज:** यह योजना निम्नलिखित विनियमित संस्थाओं को कवर करती है:
 - सभी **वाणिज्यिक बैंक**, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक तथा 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक के जमा आकार वाले गैर-अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक।
 - ऐसी सभी **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां** (हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को छोड़कर) जो जमा स्वीकार करने या ग्राहक से लेनदेन के लिए अधिकृत हैं तथा जिनकी परिसंपत्ति का आकार 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक है।
 - भुगतान प्रणाली (पेमेंट सिस्टम्स) के सभी भागीदार।
 - **क्रेडिट इनफार्मेशन कंपनियां (CICs)**।
- **लोकपाल की नियुक्ति:** RBI अपने एक या अधिक अधिकारियों को लोकपाल और उप-लोकपाल के रूप में नियुक्त कर सकता है। इनका कार्यकाल एक बार में अधिकतम तीन वर्ष होता है।
- **शिकायतों का निपटान:** वर्तमान में शिकायतों का निवारण/ निर्णयन RBI लोकपाल के 22 कार्यालयों (ORBIOs) के साथ-साथ केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र (CRPC)⁷⁶ द्वारा किया जाता है।

3.3.6. शहरी सहकारी बैंकों के लिए अम्ब्रेला संगठन (UCBS) {Umbrella Organisation (UO) For Urban Cooperative Banks}

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए एक अम्ब्रेला संगठन राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड (NUCFDC)⁷⁷ का गठन किया है।

NUCFDC के बारे में

- **पृष्ठभूमि:** 2019 में RBI ने NUCFDC के गठन हेतु **नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड (NAFCUB)** को विनियामकीय मंजूरी प्रदान की।
- **NUCFDC की आवश्यकता क्यों है?**
 - UCBs की समस्याओं को हल करने के लिए अम्ब्रेला संगठन एक गेटवे के रूप में कार्य कर सकता है।
 - RBI की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट (2021) के अनुसार, अम्ब्रेला संगठन लघु आकार के UCBs के विलय की जगह एक विकल्प प्रदान करता है।
- **वैधानिक स्थिति:**
 - **NUCFDC** एक अम्ब्रेला संगठन है। यह **RBI** के साथ **टाइप II गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-गैर जमा स्वीकारकर्ता (NBFC-ND)⁷⁸** के रूप में पंजीकृत है।
 - **टाइप II NBFC-ND** लोगों से जमा (पब्लिक फंड्स) स्वीकार करती है या स्वीकार करने का इरादा रखती है और/ या यह ग्राहकों से लेनदेन करती है या लेन-देन करने का इरादा रखती है।



नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड (NAFCUB)



उत्पत्ति: यह एक राष्ट्रीय सहकारी समिति है। इसे 1977 में बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था।

भूमिका: NAFCUB देश में UCBs और क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड के लिए एक शीर्ष स्तरीय प्रोत्साहन संस्था है।

मुख्य गतिविधियां:

- प्रशिक्षण कार्यक्रम,
- अनुसंधान का आयोजन
- कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस (CBS) से संबंधित पहलें

सदस्यता: यह निम्नलिखित को सदस्यता प्रदान करने के लिए एक खुला मंच है:

- UCBs और शहरी क्रेडिट सोसायटी
- स्टेट फेडरेशन्स/ शहरी बैंकों का एसोसिएशन और/ या क्रेडिट सोसायटी
- भारतीय राष्ट्रीय सहकारी यूनियन
- सेन्ट्रल रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव सोसाइटीज की मंजूरी से फेडरेशन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए उपयोगी कोई अन्य संगठन

• कोई भी व्यक्ति फेडरेशन की सदस्यता के लिए पात्र नहीं होगा।

⁷⁶ Centralised Receipt and Processing Centre

⁷⁷ National Urban Cooperative Finance and Development Corporation Limited

⁷⁸ Non- Banking Financial Company-Non deposit

- इसके विपरीत, टाइप I NBFC-ND न तो लोगों से फंड्स स्वीकार करती है न ही ऐसा इरादा रखती है, और न ही ग्राहक से लेन-देन करती है या लेन-देन करने का इरादा रखती है।
- NUCFDC को UCB क्षेत्रक के लिए स्व-विनियामक संगठन के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी।

NUCFDC के प्रमुख कार्य

- तरलता और पूंजी सहायता प्रदान करना: यह पूंजी जुटाकर 300 करोड़ रुपये के पूंजी आधार तक पहुंचने का लक्ष्य रखे हुआ है ताकि जरूरत पड़ने पर UCBs की सहायता की जा सके।
 - NUCFDC, UCBs को फंड प्रबंधन और अन्य परामर्श सेवाएं भी प्रदान कर सकता है।
- विनियामक संबंधी नियमों के पालन को आसान बनाना: यह लघु बैंकों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के नियमों का पालन करने हेतु तैयार करने में मदद करेगा।
- एक साझा प्रौद्योगिकी मंच विकसित करना: NUCFDC, UCBs को अपेक्षाकृत कम लागत पर अपनी सेवाओं का दायरा बढ़ाने में मदद करेगा।

3.3.7. राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त-पोषण और विकास बैंक (National Bank for Financing Infrastructure and Development: NaBFID)

सुर्खियों में क्यों?

केंद्रीय वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में “नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (NaBFID)” के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की।

समीक्षा बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- दीर्घकालिक अवसंरचना वित्त-पोषण: अब तक, NaBFID ने कुल 86,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अवसंरचना परियोजनाओं के वित्त-पोषण की मंजूरी दी है। इनमें से 50% स्वीकृत परियोजनाओं की वित्त-पोषण अवधि 20 से 50 वर्षों की है।
- सहयोग: NaBFID दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने, ज्ञान साझाकरण आदि की सुविधा के लिए कई बहुपक्षीय संस्थानों के साथ सहयोग कर रहा है।
- सलाहकारी सेवाएं: NaBFID ने लेन-देन संबंधी सलाहकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) के साथ सहयोग किया है।

NaBFID के बारे में

- स्थापना: इसकी स्थापना 2021 में ‘राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त-पोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 द्वारा की गई थी।
 - इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है।
- विकास वित्त संस्था (DFI): इसे एक विशेषीकृत विकास वित्त संस्था (DFI) के रूप में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के अवसंरचना क्षेत्रक को बढ़ावा देना है।
- उद्देश्य:
 - भारत में अवसंरचना क्षेत्रक की दीर्घकालिक वित्त-पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने पर विशेष ध्यान देना।
 - भारत में बाँण्ड्स और डेरिवेटिव्स के बाजार के विकास को मजबूत करना।
 - देश की अर्थव्यवस्था को सतत रूप से बढ़ावा देना।



- **विनियमन:** इसका विनियमन और पर्यवेक्षण भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (AIFI) के रूप में क्रमशः RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45L और 45N के तहत किया जाता है।
- **शेयरधारिता:** इस संस्था की संपूर्ण शेयरधारिता वर्तमान में भारत सरकार के पास है।
 - NaBFID अधिनियम के अनुसार, केंद्र सरकार के पास इसकी कम-से-कम 26% शेयरधारिता होनी चाहिए। इसकी शेष शेयरधारिता बहुपक्षीय संस्थानों, सॉवरेन वेल्थ फंड्स, पेंशन फंड, बीमा कंपनियों, वित्तीय संस्थानों, बैंकों और अन्य निर्धारित संस्थानों के पास हो सकती है।

3.3.8. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory and Development Authority: PFRDA)

सुर्खियों में क्यों?

PFRDA ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2023 और पेंशन फंड (संशोधन) विनियम, 2023 को अधिसूचित किया।

मुख्य संशोधनों पर एक नज़र

पेंशन फंड (संशोधन) विनियम 2023	<ul style="list-style-type: none"> • साइबर सुरक्षा नीति, आउटसोर्सिंग नीति जैसे अनुपालन संबंधी प्रावधानों में वृद्धि की गई। • प्रायोजक बैंक का प्रशासन कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप होना चाहिए। • पेंशन फंड के लिए प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर) से जुड़े प्रावधानों में वृद्धि की गई है। • सेंट्रल रेकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA): अंशदाताओं के हितों की रक्षा के लिए CRA "धोखाधड़ी की रोकथाम और शमन नीति" लागू करेगी। • प्रायोजक और पेंशन फंड्स, दोनों के प्रमुख अधिकारियों के लिए 'फिट एंड प्रॉपर' मानदंड सेबी (SEBI) के अंतर्गत प्रचलित मानदंडों के समान किए गए हैं।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट (द्वितीय संशोधन) विनियम 2023	<ul style="list-style-type: none"> • संशोधन के जरिए ट्रस्टीज की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों को सरल बनाया गया है। <ul style="list-style-type: none"> ○ PFRDA, ने भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत NPS ट्रस्ट का गठन किया है। इस ट्रस्ट को NPS फंड की निगरानी और संचालन के लिए जिम्मेदार मध्यवर्ती के रूप में नामित किया है। • ट्रस्टी बैंक: जब ट्रस्टी बैंक अपने दर्जे या नियमावली को बदलने का प्रस्ताव करेगा, तो उसे PFRDA की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। <p>*राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को केंद्र सरकार ने 1 जनवरी, 2004 से लागू किया है। इसे पहले नई पेंशन योजना कहा जाता था। NPS लागू होने के बाद लगभग सभी राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए इसे अपना लिया।</p>

PFRDA के बारे में

- **स्थापना:** भारत सरकार ने पेंशन क्षेत्रक के विस्तार, विकास तथा विनियमन के लिए 2003 में एक संकल्प द्वारा अंतरिम PFRDA की स्थापना की थी। 2013 में PFRDA अधिनियम पारित किया गया।
- **मंत्रालय:** यह एक वैधानिक निकाय है। यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में काम करता है।
- **मुख्यालय:** PFRDA का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- **संरचना:** प्राधिकरण में 1 अध्यक्ष और अधिकतम 6 सदस्य होते हैं। सदस्यों में से कम-से-कम तीन पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। इन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- **PFRDA के कार्य:**
 - पेंशन, सेवानिवृत्ति बचत और संबंधित मुद्दों तथा मध्यवर्तियों के प्रशिक्षण से संबंधित मुद्दों पर सब्सक्राइबर्स और जनता को शिक्षित करने के लिए कदम उठाना।
 - NPS तथा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अनुमोदित ऐसी अन्य योजनाओं के सब्सक्राइबर्स के हितों की रक्षा करना।
 - योजनाओं को मंजूरी देना, और ऐसी योजनाओं के तहत निवेश संबंधी दिशा-निर्देशों के लिए मानदंड निर्धारित करना।
 - NPS ट्रस्ट, पाइंट्स ऑफ प्रजेस, केंद्रीय रिपोर्ट कीपिंग एजेंसी, ट्रस्टी बैंक, पेंशन फंड जैसे मध्यवर्तियों का पंजीकरण और विनियमन करना।
- PFRDA, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तथा अटल पेंशन योजना को विनियमित करता है।

3.3.9. बैंकिंग क्षेत्रक से संबंधित अन्य विकासक्रम (Other Developments in the Banking Sector)

<p>प्रोजेक्ट गैया (Project Gaia)</p>	<ul style="list-style-type: none"> केंद्रीय बैंकों ने जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों का विश्लेषण करने के लिए प्रोजेक्ट गैया का अनावरण किया है। प्रोजेक्ट गैया के बारे में: <ul style="list-style-type: none"> यह बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स इनोवेशन हब यूरोसिस्टम सेंटर, बैंक ऑफ स्पेन आदि के बीच एक सहयोग है। यह वित्तीय प्रणाली में जलवायु संबंधी जोखिमों के विश्लेषण की सुविधा के लिए जेनेरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) विशेष रूप से लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (LLMs) का लाभ उठाता है।
<p>घरेलू-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक (D-SIBs)</p>	<ul style="list-style-type: none"> भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 2023 के "घरेलू-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (D-SIBs)" की सूची जारी की है। D-SIBs का दर्जा अग्रलिखित आधारों पर दिया जाता है- उनका आकार, उनकी अंतर्संबंधता, उनका विकल्प या वित्तीय संस्थान अवसंरचना आसानी से उपलब्ध न होना और जटिलता। <ul style="list-style-type: none"> D-SIBs परस्पर संबद्ध संस्थाएं होती हैं। ये इतनी बड़ी संस्थाएं होती हैं कि इनकी विफलता पूरी वित्तीय प्रणाली को प्रभावित कर सकती है। D-SIBs की घोषणा/ विनियमन: <ul style="list-style-type: none"> RBI ने पहली बार 2014 में D-SIBs के लिए फ्रेमवर्क जारी किया था। <ul style="list-style-type: none"> यह फ्रेमवर्क D-SIBs से संबंधित बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (BCBS) फ्रेमवर्क पर आधारित है। बैंकों को 5 बकेट्स में रखा जाता है। <ul style="list-style-type: none"> नवीनतम सूची के अनुसार, भारत के D-SIBs भारतीय स्टेट बैंक (SBI) (बकेट 4), HDFC बैंक (बकेट 2) और ICICI बैंक (बकेट 1) हैं। इसी प्रकार, यदि किसी विदेशी बैंक की भारत में शाखा है और यदि वह वैश्विक-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक (G-SIB) है, तो उसे G-SIB से संबंधित नियमों के अनुरूप भारत में अतिरिक्त CET-1 पूंजी अधिभार को बनाए रखना होगा। <ul style="list-style-type: none"> वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB) G-SIBs की सूची जारी करता है।
<p>मॉडल आधारित ऋण प्रक्रिया (Model Based Lending)</p>	<ul style="list-style-type: none"> RBI गवर्नर ने बैंकों और NBFCs को मॉडल-आधारित एल्गोरिदमिक लेंडिंग (ऋण देने) के प्रति सचेत किया है। <ul style="list-style-type: none"> यह एक रिमोट और ऑटोमेटेड लेंडिंग प्रक्रिया है। यह मॉडल ग्राहक बनाने, ग्राहक के क्रेडिट आकलन, ऋण मंजूरी, ऋण वितरण, ऋण वसूली और संबंधित ग्राहक सेवा के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है। लाभ: <ul style="list-style-type: none"> वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है, ऋण एप्लिकेशन पर तेजी से कार्रवाई की जाती है, फिनटेक के साथ सहयोग को बढ़ावा मिलता है, नए ऋण उत्पादों को लॉन्च करना आसान होता है। चिंताएं: <ul style="list-style-type: none"> पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में सटीक विश्लेषण कठिन हो जाता है; एल्गोरिदम पूर्वाग्रह युक्त निर्णय दे सकता है, सभी वर्गों को इसका लाभ नहीं मिलता है।

3.4. भुगतान प्रणाली और वित्तीय बाजार (Payment System and Financial Markets)

3.4.1. भारत बिल पेमेंट सिस्टम (Bharat Bill Payment System: BBPS)

सुर्खियों में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने "भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS)" का संशोधित विनियामक फ्रेमवर्क जारी किया। RBI ने "भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007" में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए फ्रेमवर्क में संशोधन किया है।

उद्देश्य

संशोधित फ्रेमवर्क का उद्देश्य बिल भुगतान की प्रक्रिया को व्यवस्थित करना, अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना और ग्राहक के लेनदेन की सुरक्षा बढ़ाना है।

BBPS के बारे में

यह सभी प्रकार के बिल भुगतान के लिए एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने विकसित किया है।

- इसका उद्देश्य एजेंट्स/ रिटेल दुकानों/ बैंक-शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से इंटर-ऑपरेबल सेवा प्रदान करना है। इस पर भुगतान करने के अलग-अलग मोड उपलब्ध हैं। इस पर भुगतान की रिसीप्ट भी तत्काल प्राप्त हो जाती है।
- यह कई स्तरों वाला पेमेंट सिस्टम है। इनमें NPCI-भारत बिल पे लिमिटेड (NBBL) एक सेंट्रल यूनिट (BBPCU) के रूप में कार्य करती है। भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट्स (BBPOUs) ऑपरेशनल यूनिट्स की भूमिका निभाती हैं।
 - एक BBPOU बिलर ऑपरेटिंग यूनिट (BOU) या कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट (COU) या दोनों के रूप में कार्य कर सकती है।

BBPS का विनियामक फ्रेमवर्क

- गैर-बैंकिंग पेमेंट एग्रीगेटर्स को ऑपरेटिंग यूनिट्स के रूप में बिल भुगतान प्रणाली में भाग लेने की अनुमति दी गई है।
- इस प्रणाली से जुड़ने वालों के लिए तकनीकी मानक, भागीदारी मानदंड और इसके संचालन से संबंधित नियम एवं विनियम तय करने की जिम्मेदारी BBPCU पर होगी।
- कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट अपने ग्राहकों को डिजिटल या भौतिक इंटरफेस प्रदान करेगी। बिलर ऑपरेटिंग यूनिट, बिलर्स को BBPS से जोड़ने के लिए जिम्मेदार होगी।

संबंधित सुर्खियां

पेमेंट एग्रीगेटर्स (PA)

- Juspay, Zoho और Decentro को पेमेंट एग्रीगेटर (PA) लाइसेंस के लिए RBI से अनुमति मिल गई है।
 - पेमेंट एग्रीगेटर्स ऐसी संस्थाएं हैं जो ई-कॉमर्स साइट्स और व्यापारियों को ग्राहकों से अलग-अलग प्रकार के भुगतान इंस्ट्रुमेंट्स को स्वीकार करने की सुविधा देती हैं। इससे व्यापारियों को अपनी अलग भुगतान एकीकरण प्रणाली बनाने की आवश्यकता नहीं होती है।
 - इस प्रक्रिया में, पेमेंट एग्रीगेटर्स ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करते हैं, एकत्र करते हैं और उन्हें व्यापारियों को हस्तांतरित करते हैं।
- पेमेंट एग्रीगेटर्स पेमेंट गेटवे से अलग होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पेमेंट गेटवे फंड प्रबंधन में किसी भी भागीदारी के बिना पेमेंट लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए केवल तकनीकी अवसंरचना प्रदान करते हैं।

3.4.2. विनिवेश (Disinvestment)

सुर्खियों में क्यों?

केंद्र सरकार मौजूदा वित्त वर्ष के लिए निर्धारित अपने विनिवेश लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल हो सकती है। अब तक विनिवेश से केवल लगभग 10,000 करोड़ रुपये ही जुटाए जा सके हैं, जबकि वित्त वर्ष 2024 के लिए विनिवेश का लक्ष्य 51,000 करोड़ रुपये था।

विनिवेश

विनिवेश क्या होता है?

विनिवेश उसे कहा जाता है, जब सरकार या कोई संस्था किसी कंपनी की अपनी हिस्सेदारी को बेचती है। इसके लिए मुख्य रूप से तीन अलग-अलग तरीके अपनाए जाते हैं:-

- **माइनॉरिटी विनिवेश:** इसके तहत सरकार कंपनी में 51% या उससे अधिक की हिस्सेदारी अपने पास बनाए रखती है।
- **मेजोरिटी विनिवेश:** इसके तहत विनिवेश के बाद भी सरकार कंपनी में

विनिवेश क्यों किया जाता है?

- ऐसा राजकोषीय बोझ में कमी लाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इससे प्राप्त धन का उपयोग राजकोषीय घाटे के वित्त-पोषण के लिए किया जा सकता है।
- स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे अन्य उत्पादक क्षेत्रों में संसाधनों का आवंटन बढ़ाने के लिए।
- अलग-अलग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का उनकी क्षमता से कम

<p>अपनी माइनॉरिटी हिस्सेदारी को बनाए रखती है।</p> <ul style="list-style-type: none"> पूर्ण निजीकरण: इसके तहत सरकार किसी कंपनी की 100% हिस्सेदारी निजी क्षेत्रक को बेच देती है। इससे सरकार का कंपनी पर कोई परिणामी नियंत्रण और स्वामित्व नहीं रह जाता है। 	<p>उपयोग के चलते भी विनिवेश किया जाता है।</p> <ul style="list-style-type: none"> गैर-रणनीतिक क्षेत्रकों और निष्क्रिय पड़ी सार्वजनिक क्षेत्रक की परिसंपत्तियों में सरकार की संलग्नता को समाप्त करने के लिए। प्रतिस्पर्धात्मकता और बाजार अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए। दीर्घावधि में गैर-आवश्यक सेवाओं को गैर-राजनीतिक बनाने के लिए।
---	--

<p>विनिवेश के तरीके</p> <ul style="list-style-type: none"> प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (Initial Public Offering: IPO): इसके तहत गैर-सूचीबद्ध CPSE⁷⁹ के शेयरों की पहली बार बिक्री की जाती है। <ul style="list-style-type: none"> CPSEs ऐसी कंपनियां हैं, जिनमें केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक होती है। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग (FPO): इसके तहत किसी सूचीबद्ध CPSE के नए शेयरों को जनता के समक्ष बिक्री हेतु प्रस्तुत किया जाता है। ऑफर फॉर सेल (OFS) इसके तहत स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रदान किए गए प्लेटफॉर्म पर शेयरों की नीलामी की अनुमति दी जाती है। उल्लेखनीय है कि 2012 से सरकार द्वारा व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जा रहा है। रणनीतिक बिक्री के तहत सरकारी शेयरधारिता के बड़े हिस्से की बिक्री की जाती है। इसमें प्रबंधन पर नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ-साथ 50% या उससे अधिक हिस्सेदारी निजी क्षेत्रक को हस्तांतरित की जाती है। संस्थागत प्लेसमेंट कार्यक्रम (IPP)⁸⁰: इसके तहत केवल वित्तीय संस्थान ही पेशकश में भाग ले सकते हैं। CPSEs एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF): इसके तहत एकल ETF की पेशकश के जरिए अलग-अलग क्षेत्रकों से संबंधित विविध CPSEs में सरकार अपनी हिस्सेदारी की एक साथ बिक्री करती है।

<p>निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (Department of Investment and Public Asset Management: DIPAM)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1999 में, भारत सरकार ने एक अलग विनिवेश विभाग की स्थापना की थी। इसे 2016 में DIPAM नाम दिया गया था। मंत्रालय: वित्त मंत्रालय <p>उद्देश्य:</p> <ul style="list-style-type: none"> CPSEs में कुशल वित्तीय प्रबंधन और परिचालन दक्षता सुनिश्चित करना। पूर्व CPSEs में बिक्री प्रस्ताव या निजी प्लेसमेंट या किसी अन्य मोड के माध्यम से केंद्र सरकार की इक्विटी की बिक्री से संबंधित मामलों का प्रबंधन करना। CPSEs को स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध करके उनमें लोगों के स्वामित्व को बढ़ावा देना।
--

3.4.3. SEBI से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम (Key Developments Associated with SEBI)

<p>T+0 निपटान</p>	<ul style="list-style-type: none"> सेबी (SEBI) बोर्ड की 204वीं बैठक में कुछ प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। सेबी ने कुछ सीमित शेयरों और ब्रोकर्स के लिए वैकल्पिक T+0 निपटान का बीटा वर्जन शुरू करने की घोषणा की है। T+0 निपटान फंड और प्रतिभूति लेन-देन दोनों को ट्रेड यानी खरीद-बिक्री के दिन ही निपटाने की अनुमति देता है। <ul style="list-style-type: none"> वर्तमान में, भारतीय प्रतिभूति बाजार T+1 निपटान व्यवस्था को अपनाए हुए है। इसमें ट्रेड का निपटान यानी सेटलमेंट खरीद-बिक्री के अगले दिन होता है। T+0 निपटान के लाभ: <ul style="list-style-type: none"> निवेशित धन त्वरित मिल जाने से उसे फिर से शीघ्र निवेश किया जा सकता है। कारोबारी स्टॉक मार्केट के उतार-चढ़ाव से तेजी से अधिक लाभ कमा सकता है। शेयरों की खरीद या बिक्री करने वाले दूसरे पक्ष को जोखिमों से बचाता है। चूंकि ट्रेड का निपटान तुरंत हो जाता है, इसलिए शेयर का कोई खरीदार या विक्रेता अगले दिन अपने दायित्व (खरीद की डिलीवरी लेने या बेची गई शेयर को सौंपने) पर डिफॉल्ट नहीं कर सकता है।
--------------------------	---

⁷⁹ Central Public Sector Enterprises/ सार्वजनिक क्षेत्रक के केंद्रीय उपक्रम

⁸⁰ Institutional Placement Program

<p>सेबी सूचकांक प्रदाता विनियम, 2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> निवेशकों को अधिक सक्रिय और गतिशील ट्रेडिंग रणनीतियां अपनाने के लिए प्रेरित करता है। <p>सेबी सूचकांक प्रदाता विनियम, 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> सेबी ने भारत में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के आधार पर "महत्वपूर्ण सूचकांक" का प्रबंधन करने वाले सूचकांक प्रदाताओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। सेबी ने यह कदम सूचकांक प्रदाता विनियम, 2024 के माध्यम से उठाया है। <ul style="list-style-type: none"> 'सूचकांक प्रदाता' (Index Provider) का अर्थ उस व्यक्ति से है, जो बेंचमार्क या किसी सूचकांक के निर्माण, संचालन और प्रशासन को नियंत्रित करता है। सूचकांक के बारे में: <ul style="list-style-type: none"> एक सूचकांक सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के एक बास्केट के मूल्य में उतार-चढ़ाव को मापता है। इसके लिए मानकीकृत मैट्रिक और पद्धति का उपयोग किया जाता है। निफ्टी 50, निफ्टी PSU बैंक आदि भारतीय शेयर बाजार में कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक हैं।
<p>प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण (SAT)</p>	<ul style="list-style-type: none"> प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण (SAT) में पूर्ण पीठ की अनुपस्थिति से अधिकरण का कामकाज प्रभावित हो रहा है। इससे मामलों के निपटान में देरी और बाधा उत्पन्न हो रही है। प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण (SAT) के बारे में <ul style="list-style-type: none"> यह भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह निम्नलिखित द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई करता है और उनका निपटान करता है- <ul style="list-style-type: none"> सेबी, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA), भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (IRDAI) पीठासीन अधिकारी और न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित व्यक्ति के परामर्श से केंद्र सरकार करती है। तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति खोज-सह-चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है।
<p>शॉर्ट सेलिंग</p>	<ul style="list-style-type: none"> सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और SEBI को इस तथ्य की जांच करने का निर्देश दिया है कि क्या शॉर्ट-सेलिंग पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से निवेशकों को नुकसान हुआ है। "शॉर्ट सेलिंग" के तहत कोई व्यक्ति किसी कंपनी के शेयर नहीं रखने के बावजूद भी स्टॉक मार्केट में उन शेयरों को बेच सकता है। <ul style="list-style-type: none"> इसके तहत, कोई व्यक्ति शेयर के मूल्य में गिरावट की उम्मीद में ब्रोकर से शेयर उधार लेकर उसे बेच देता है। जब उम्मीद के अनुसार उस शेयर के मूल्य में गिरावट होती है, तब वह उसे खरीदकर ब्रोकर को वापस कर देता है। इस तरह वह लाभ कमाता है। सेबी खुदरा और संस्थागत दोनों तरह के निवेशकों को शॉर्ट सेलिंग की अनुमति देता है। हालांकि, शॉर्ट सेलिंग करने वाले निवेशकों को सेटलमेंट के समय शेयरों/ प्रतिभूतियों (Securities) को वापस करना आवश्यक होता है। <ul style="list-style-type: none"> हालांकि, भारत में नेकेड शॉर्ट सेलिंग गैर-कानूनी है। <ul style="list-style-type: none"> नेकेड शॉर्ट सेलिंग में ट्रेडर उन शेयरों को भी बेच देता है, जिन्हें पहले से उधार नहीं लिया गया हो।

CSAT

क्लासेस

2024



सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन

UPSC मुख्य परीक्षा में सबसे ज्यादा उत्तर लेखन का कौशल मायने रखता है। इसका कारण यह है कि उत्तर लिखने की कला ही अभ्यर्थियों के लिए अपने ज्ञान, समझ, विश्लेषणात्मक क्षमता और टाइम मैनेजमेंट के कौशल को प्रदर्शित करने के एक प्राथमिक साधन के रूप में कार्य करती है। मुख्य परीक्षा में प्रभावी उत्तर लेखन, इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से पेश करने, विविध दृष्टिकोणों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने और संतुलित तर्क प्रस्तुत करने की क्षमता प्रदर्शित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कुशलतापूर्वक एवं समग्रता से लिखा गया उत्तर, परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने एवं इस प्रतिस्पर्धी माहौल में अभ्यर्थियों को भीड़ से अलग करने में सहायक होता है, जो अंततः UPSC मुख्य परीक्षा में उनकी सफलता का निर्धारण करता है।

प्रभावशाली उत्तर लेखन के प्रमुख घटक




संदर्भ की पहचान: प्रश्न के थीम या टॉपिक को समझना एवं उस टॉपिक के संदर्भ में ही अपना उत्तर लिखना।



कंटेंट की प्रस्तुती: विषय-वस्तु की व्यापक समझ का प्रदर्शन करना भी जरूरी होता है। इसके लिए प्रश्न से संबंधित सटीक तथ्यों, प्रासंगिक उदाहरणों एवं व्यावहारिक विश्लेषण को उत्तर में शामिल करना चाहिए।



सटीक एवं प्रभावी इंट्रोडक्शन: उत्तर शुरू करने के लिए भूमिका को आकर्षित ढंग से लिखने से, परीक्षक का ध्यान आकर्षित होता है एवं इससे उत्तर के आगे होने वाली चर्चाओं का संक्षिप्त विवरण मिलता है।



संरचना एवं प्रस्तुतीकरण: उत्तर को क्लियर हेडिंग के साथ, सब-हेडिंग या बुलेट पॉइंट के माध्यम से व्यवस्थित तरीके से लिखना आवश्यक होता है। इसके अलावा, आसान समझ के लिए जानकारी को तार्किक ढंग से एवं बेहतर रूप से प्रस्तुत करना जरूरी होता है।



संतुलित निष्कर्ष: मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में लिखने का प्रयास करना चाहिए। यदि प्रश्न में पूछा गया हो तो अंतर्दृष्टि या सिफारिशें प्रस्तुत करनी चाहिए। साथ ही, अपने तर्क या चर्चा को संतोषजनक निष्कर्ष तक पहुंचाना भी आवश्यक होता है।



भाषा: संदर्भ के अनुरूप सटीक और औपचारिक भाषा का उपयोग करना आवश्यक होता है। साथ ही, शब्दजाल, आम बोलचाल की भाषा के इस्तेमाल या अस्पष्टता से बचते हुए अभिव्यक्ति में प्रवाह एवं स्पष्टता का प्रदर्शन करना आवश्यक होता है।

Vision IAS के "ऑल इंडिया GS मेन्स टेस्ट सीरीज और मेंटरिंग प्रोग्राम" से जुड़कर प्रभावशाली उत्तर लेखन की कला एवं रणनीति में महारत हासिल कीजिए। इस प्रोग्राम में शामिल हैं:



उत्तर लेखन पर 'मास्टर क्लासेज'



विस्तृत मूल्यांकन



व्यक्तिगत मेंटरिंग



फ्लेक्सिबल टेस्ट शेड्यूल



व्यापक फीडबैक



पोस्ट-टेस्ट डिस्कशन

यह हमेशा ध्यान रखिए कि सिविल सेवा मुख्य परीक्षा UPSC CSE की यात्रा का एक चरण मात्र नहीं है, बल्कि यह सिविल सेवाओं में प्रतिष्ठित पद तक पहुंचने का एक डायरेक्ट गेटवे है। इस प्रकार, यह परीक्षा आपकी आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदल देता है।



"ऑल इंडिया GS मेन्स टेस्ट सीरीज और मेंटरिंग प्रोग्राम" के लिए रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने हेतु QR कोड को स्कैन कीजिए।



टॉपर्स के एप्रोच और तैयारी की रणनीतियों को जानने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

3.5. बाह्य क्षेत्रक (External Sector)

3.5.1. विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation: WTO)

विश्व व्यापार संगठन (WTO)

WTO के बारे में

WTO एक **अंतर्राष्ट्रीय संगठन** है जिसका प्राथमिक उद्देश्य सभी सदस्य देशों के लाभ के लिए ओपन ट्रेड को सुगम बनाना है। यह राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से संबंधित एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।

<p>स्थापना 1 जनवरी, 1995</p>	<p>WTO का गठन उरुग्वे दौर (1986-1994) की बातों से</p>	<p>मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड</p>	<p>सदस्य ● 166 (कोमोरोस और तिमोर-लेस्ते सहित; फरवरी, 2024) ● भारत WTO का संस्थापक सदस्य है</p>
---	--	---	---

उद्देश्य

इसका उद्देश्य अपने सदस्य देशों की मदद करना है जिससे कि वे व्यापार का इस्तेमाल करके लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठा सकें, रोजगार के अवसर पैदा कर सकें और लोगों का जीवन बेहतर बना सकें।

संगठनात्मक संरचना

<p>मंत्रिस्तरीय सम्मेलन</p> <p>यह WTO का निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है। सामान्य तौर पर इसकी बैठक प्रत्येक दो वर्ष में होती है।</p>	<p>जनरल काउंसिल</p> <ul style="list-style-type: none"> ● यह जिनेवा स्थित WTO का निर्णय लेने वाला निकाय है। यह WTO के कार्यों को पूरा करने के लिए नियमित रूप से बैठक करता है। ● जनरल काउंसिल की बैठक विवाद निपटान निकाय और ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी के रूप में भी होती है।
---	--

कार्य

WTO के व्यापार समझौतों की देख-रेख करना	व्यापार बातों हेतु एक मंच के रूप में कार्य करना	व्यापार संबंधी विवादों का निपटारा करना	देशों की व्यापार संबंधी नीतियों की निगरानी करना	विकासशील देशों को तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना
---	---	---	--	--

WTO द्वारा प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्टें

वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट	वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू	ग्लोबल ट्रेड आउटलुक	WTO ऐन्युअल रिपोर्ट
----------------------	----------------------------------	---------------------	---------------------

WTO की कुछ हालिया प्रमुख उपलब्धियां

1.3 ट्रिलियन डॉलर का ऐतिहासिक **सूचना प्रौद्योगिकी समझौता** सम्पन्न हुआ।

2015:

<p>2014: एग्रीमेंट ऑन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट यानी सरकारी खरीद समझौते (GPA) का संशोधित रूप लागू हुआ।</p>	<p>2017: ● किफायती दवाओं तक गरीब देशों की पहुंच को सुगम बनाने के लिए ट्रिप्स/ TRIPS (बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू) समझौते में संशोधन किया गया। ● WTO का ट्रेड फेसिलिटेशन एग्रीमेंट लागू हुआ।</p>
--	--

पिछले 5 मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC)

MC 9-बाली, 2013	MC 10-नैरोबी, 2015	MC 11-ब्यूनस आयर्स, 2017	MC 12-जिनेवा, 2022	MC 13 अबु धाबी, 2024 (नवीनतम)
-----------------	--------------------	--------------------------	--------------------	-------------------------------

सबसे गंभीर चुनौतियां

- **विकासशील और विकसित देशों के बीच आम सहमति:** WTO के सदस्य देश कृषि उत्पादों पर नए नियमों पर सहमत नहीं हो पाए हैं। यह विकासशील और विकसित देशों के बीच परस्पर विरोधी हितों को उजागर करता है।
- **निष्क्रिय विवाद निपटान प्रणाली (DSS):** अपीलिय निकाय अब सक्रिय नहीं है और विवाद निपटान प्रणाली भी बाधित हो गई है, क्योंकि 2016 में अमेरिका ने नई नियुक्तियों को बाधित करना शुरू कर दिया था।
- **अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध:** विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और WTO के सदस्यों देशों (अमेरिका और चीन) के बीच खराब व्यापार संबंध भी WTO पर दबाव डालते हैं।

PT 365 - अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटीरियल

विश्व व्यापार संगठन से जुड़े ज्वलंत मुद्दों जैसे कि खाद्य सुरक्षा, मत्स्य सब्सिडी और सीमा-पार रेमिटेंस पर आगे के आर्टिकल्स में विस्तार से चर्चा की गई है।

3.5.1.1. कृषि एवं खाद्य सुरक्षा (Agriculture and Food Security)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, विश्व व्यापार संगठन (WTO) का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC13) संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग (PSH) से जुड़े मुद्दे का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। गौरतलब है कि भारत इस मुद्दे के स्थायी समाधान की मांग करता रहा है।

पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग नीति के बारे में

- **उद्देश्य:** पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग के तहत सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)⁸¹ पर अनाज खरीदती है। भारत सरकार भी, पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग के तहत MSP पर किसानों से अनाज खरीदती है, उनका भण्डारण करती है तथा गरीबों को सब्सिडी आधारित मूल्य पर उचित मूल्य की दुकानों के जरिए वितरित करती है।
- **डी मिनिमिस (De Minimis) सीमाएं:** विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के अनुसार, किसी देश का कुल सब्सिडी बिल, उस देश के फसल उत्पादन के मूल्य से विकासशील देशों के मामले में 10% और विकसित देशों के मामले में 5% से अधिक नहीं होना चाहिए।
 - वर्तमान में, इसकी गणना 1986-88 के संदर्भ मूल्य (Reference price) के आधार पर की जाती है।

पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग पर देशों के बीच मतभेद

- **विकासशील देश:** भारत और कई अन्य विकासशील देश सब्सिडी की डी मिनिमिस सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही, वे सरकारी खरीद के लिए किसानों को दी जाने वाली मूल्य समर्थन सब्सिडी की गणना के लिए फॉर्मूले में बदलाव की मांग कर रहे हैं।
- **विकसित देश:** अधिकांश विकसित देशों का मानना है कि पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग की व्यवस्था बाजार को विकृत करती है। ये देश कृषि वस्तुओं के निर्यात पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध के खिलाफ हैं।

पीस क्लॉज और भारत का रुख

- **पीस क्लॉज:** बाली (इंडोनेशिया) में आयोजित नौवें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC9) में WTO ने खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग के अंतरिम समाधान के रूप में "पीस क्लॉज" का प्रावधान किया था।
 - "पीस क्लॉज" को WTO के 11 वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC11) तक जारी रखा जाना था। हालांकि, सदस्य देशों के बीच सर्वसम्मति नहीं बन पाने के कारण इसे अभी तक जारी रखा गया है।
- **भारत की मांग:** भारत पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग की समस्या का स्थायी समाधान चाहता है। स्थायी समाधान के रूप में, भारत ने खाद्य सब्सिडी सीमा की गणना के लिए फॉर्मूले में बदलाव करने जैसे उपाय सुझाए हैं।

अन्य संबंधित सुर्खियां

G-33

- G-33 समूह ने WTO के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC-13) से पहले कृषि व्यापार बढ़ाने का आह्वान किया है।
- **G-33 के बारे में:**
 - इस समूह में 47 देश शामिल हैं। इसे कृषि क्षेत्र के मामले में "फ्रेंड्स ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट्स" भी कहा जाता है।
 - यह विकासशील देशों का एक गठबंधन है, जो कृषि वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार को सीमित तरीके से खोलने का समर्थन करता है। इसमें भारत, चीन, इंडोनेशिया आदि देश शामिल हैं।
 - इसकी मुख्य मांगों पर एक नज़र:
 - विशेष सुरक्षोपाय की व्यवस्था (SSM)⁸² को मान्यता देना,
 - खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग के महत्त्व पर बल देना।

⁸¹ Minimum Support Price

⁸² Special Safeguard Mechanism

3.5.1.2. मात्स्यिकी सब्सिडी समझौता (Fisheries Subsidies Agreement)

सुर्खियों में क्यों?

विश्व व्यापार संगठन (WTO) का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC13) मात्स्यिकी सब्सिडी पर अंकुश लगाने वाले किसी स्थायी समाधान पर पहुंचे बिना ही संपन्न हो गया। गौरतलब है कि मात्स्यिकी सब्सिडी देने से फ्लीट द्वारा क्षमता से अधिक मछली मारने यानी असंधारणीय मत्स्यन (ओवरकैपेसिटी) तथा फिश स्टॉक की उपलब्धता और जनन क्षमता की तुलना में अधिक मत्स्यन (ओवर फिशिंग) जैसी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है।

मात्स्यिकी सब्सिडी पर WTO समझौता

- **जिनेवा पैकेज:** इस समझौते को 2022 में जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में आयोजित WTO के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में 'जिनेवा पैकेज' नाम से अपनाया गया था।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य उन हानिकारक सब्सिडी पर अंकुश लगाना है जिन्हें दुनिया भर में मत्स्य स्टॉक में हुई व्यापक कमी का प्रमुख कारक माना जा रहा है।
- **अभी तक स्वीकृति नहीं:** इस समझौते के लागू होने के लिए WTO के दो-तिहाई सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। मार्च, 2024 तक इसे अभी भी 39 देशों से स्वीकृति नहीं मिली थी।
 - भारत इस समझौते का हिस्सा नहीं है।
- **लाभ:** यह समझौता निम्नलिखित रूप में समुद्री मत्स्य स्टॉक और मात्स्यिकी की संधारणीयता पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा:
 - इसके लागू होने से अवैध, असूचित और अनियंत्रित (IUU)⁸³ मात्स्यिकी सब्सिडी पर अंकुश लग सकता है।
 - मात्स्यिकी सब्सिडी पर रोक लगाने से अत्यधिक दोहन के शिकार मत्स्य स्टॉक को बचाने में मदद मिलेगी।
 - इससे खुले समुद्र (हाई सी) में अनियंत्रित मात्स्यिकी पर दी जाने वाली सब्सिडी पर प्रतिबंध लगेगा।
- **विशेष और विभेदक व्यवहार (S&DT)⁸⁴:** S&DT के तहत, विकासशील देशों और अल्प विकसित देशों (LDCs)⁸⁵ को इस समझौते के लागू होने की तारीख से नई व्यवस्था को अपनाने के लिए 2 साल का समय दिया गया है।

भारत की मांगें

- **PPP और CBDR-RC:** भारत का कहना है कि जिन देशों ने अतीत में भारी मात्स्यिकी सब्सिडी दी है और जो मत्स्य स्टॉक में कमी के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें 'प्रदूषक द्वारा भुगतान सिद्धांत (PPP)⁸⁶' तथा 'सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों एवं संबंधित क्षमताओं (CBDR-RC)⁸⁷' के आधार पर सब्सिडी को कम करने का अधिक दायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए।
- **अपने जलक्षेत्र से अधिक दूर के जलक्षेत्र में मत्स्यन में शामिल देशों पर रोक:** भारत ने सदस्य देशों से आग्रह किया है कि उन्हें अपने अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ)⁸⁸ से बाहर अधिक दूर के जल क्षेत्र में मत्स्यन या मात्स्यिकी गतिविधियों में शामिल देशों द्वारा मात्स्यिकी पर दी जा रही सब्सिडी पर कम-से-कम 25 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिबंध लगा देना चाहिए।
- **विकासशील देशों और लघु अर्थव्यवस्थाओं को छूट:** इन देशों को अपने मात्स्यिकी क्षेत्र को सब्सिडी प्रदान करने की छूट दी जानी चाहिए।

⁸³ Illegal, unreported and unregulated

⁸⁴ Special and Differential Treatment

⁸⁵ Least Developed Countries

⁸⁶ Polluter pay principle

⁸⁷ Common but differentiated responsibilities and respective capabilities

⁸⁸ Exclusive Economic Zone

संबंधित सुर्खियां

“सीमा-पार विप्रेषण (Remittances) पर मंत्रिस्तरीय घोषणा-पत्र” का मसौदा तैयार किया गया

- यह 4 देशों (भारत, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका) का एक संयुक्त घोषणा-पत्र है। इसे विश्व व्यापार संगठन (WTO) की “वित्तीय सेवाओं के व्यापार पर समिति (CTFS)” को प्रस्तुत किया गया है।
- “वित्तीय सेवाओं के व्यापार पर समिति (CTFS)⁸⁹” के बारे में:
 - यह विश्व व्यापार संगठन (WTO) के तहत सेवा व्यापार परिषद (CTS) के अंतर्गत एक सहायक संस्था है।
- CTS पर “सेवाओं के व्यापार पर सामान्य समझौते (GATS)” के संचालन को आसान बनाने और इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने की जिम्मेदारी है।

3.5.2. आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD)

सुर्खियों में क्यों?

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) ने “अनौपचारिक रोजगार और कम-वेतन वाले कार्य के दुष्क्रों की समाप्ति⁹⁰” शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- दुनिया की अधिकांश कार्यरत आबादी अनौपचारिक क्षेत्रक में काम करती है।
- ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्य अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनके बच्चों को कार्यस्थल पर अपने माता-पिता से जुड़ी सुभेद्यता भी विरासत में मिलती है।
- रिपोर्ट में की गई नीतिगत सिफारिशें:
 - दोहरे बोझ को कम करना: इसे कौशल विकास पहलों को शुरू करके, शिक्षा का प्रसार करके, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके और अनिवार्य निम्न आय वाले कार्यों को मान्यता प्रदान करके कम किया जा सकता है।
 - औपचारिक क्षेत्रक को बढ़ावा देना: ऐसा मानक औपचारिकरण नीतियों को अपनाकर तथा विनियमों को ठीक से लागू कर और व्यापक कवरेज सुनिश्चित करके किया जा सकता है।



आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (Organisation for Economic Cooperation and Development: OECD)



उत्पत्ति: इसकी स्थापना 1961 में हुई थी।



सदस्य: 38 देश

क्या भारत इसका सदस्य है? ❌

- ▶ OECD के सदस्य देश स्वयं को **लोकतंत्र और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले देश** कहते हैं।
- ▶ ब्राजील, चीन, भारत, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका **OECD के प्रमुख भागीदार देश** हैं।
- ▶ OECD देश और इसके प्रमुख भागीदार देश मिलकर विश्व व्यापार और निवेश के **लगभग 80% हिस्से का प्रतिनिधित्व** करते हैं।



उद्देश्य:

- ▶ “**बेहतर जीवन के लिए बेहतर नीतियां**” इस संगठन का आदर्श वाक्य है। यह उन नीतियों को आकार देता है जो सभी के लिए **समृद्धि, समानता, अवसर और कल्याण** को बढ़ावा देती हैं।
- ▶ OECD विभिन्न मुद्दों पर **रिपोर्ट** प्रकाशित करता है, जैसे- “Life लेसनस फ्रॉम इंडिया”, “माइग्रेशन इन एशिया - व्हाट स्टिकेन्स फॉर द फ्यूचर?” आदि।

3.6. कृषि (Agriculture)

3.6.1. पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की नीति {Nutrient Based Subsidy (NBS) Policy}

सुर्खियों में क्यों?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS)⁹¹ नीति के तहत फॉस्फेट और पोटाश (P&K) उर्वरकों की MRP⁹² को तर्कसंगत बनाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए।

⁸⁹ Committee on Trade in Financial Services

⁹⁰ Breaking the Vicious Circles of Informal Employment and Low-Paying Work



दिशा-निर्देशों के मुख्य प्रावधान

इन दिशा-निर्देशों के तहत, सरकार P&K उर्वरकों को NBS समर्थन व्यवस्था में शामिल करके, एक तरह से उन्हें उचित मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के तहत लाई है।

- **कार्यान्वयन:** ये दिशा-निर्देश 1 अप्रैल, 2023 से पूर्वव्यापी (Retrospectively) रूप से प्रभावी होंगे।
- **लाभ प्रतिशत:** P&K उर्वरक कंपनियों को उनकी श्रेणी के आधार पर अलग-अलग लाभ प्रतिशत की अनुमति दी जाएगी। इसका तात्पर्य है कि आयातकों, विनिर्माताओं और एकीकृत विनिर्माताओं के लिए अलग-अलग लाभ प्रतिशत तय होंगे।
- **मूल्यांकन का आधार:** MRP कैसे तर्कसंगत हो, इसके लिए मूल्यांकन का आधार उर्वरक बिक्री की कुल लागत को रखा गया है। इसमें उत्पादन/आयात की लागत, प्रशासनिक लागत, बिक्री और वितरण लागत, शुद्ध व्याज और फाइनेंसिंग शुल्क शामिल हैं।
 - MRP को तर्कसंगत बनाने हेतु मूल्यांकन के दायरे में वस्तु एवं सेवा कर को नहीं लाया जाएगा।
- **लागू होना (Applicability):** MRP को तर्कसंगत बनाने के क्रम में उन सभी उर्वरक ग्रेड का मूल्यांकन किया जाएगा जिनके लिए NBS योजना के तहत कंपनियों द्वारा सब्सिडी प्राप्त की जाती है।
- **मूल्यांकन:** कंपनियां अपने द्वारा अर्जित अनुचित लाभ का स्व-मूल्यांकन करेंगी और उर्वरक विभाग को अनुचित लाभ वापस करेंगी।

पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) नीति के बारे में

- **उद्देश्य:** सरकार ने किसानों को रियायती कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2010 में NBS नीति की शुरुआत की थी।
 - इसे वित्त वर्ष 2025-26 तक लागू करने हेतु मंजूरी दी गई है।
- **आधार:** इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी उर्वरक (नियंत्रण) आदेश (FCO)⁹³, 1985 के अंतर्गत तैयार किया गया है।
- **पात्रता:** NBS 25 ग्रेड के P&K उर्वरकों के लिए लागू है, जैसे कि डाय-अमोनियम फॉस्फेट (DAP), म्यूरेट ऑफ पोटाश (MOP), मोनो अमोनियम फॉस्फेट (MAP), ट्रिपल सुपर फॉस्फेट (TSP), आदि।
 - सरकार वार्षिक आधार पर सब्सिडी वाले P&K उर्वरकों के प्रत्येक प्राथमिक पोषक तत्व, जैसे कि नाइट्रोजन (N), फॉस्फेट (P), पोटाश (K) और सल्फर (S) पर सब्सिडी की एक निश्चित दर (रुपये प्रति किलोग्राम के आधार पर) की घोषणा करती है।
- **मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था:** जहां यूरिया उर्वरक की MRP सरकार द्वारा तय की जाती है, वहीं तकनीकी रूप से NBS उर्वरक सरकार से नियंत्रण-मुक्त हैं।
 - NBS योजना के तहत, उर्वरकों की MRP बाजार की मांग-आपूर्ति के आधार पर और उन्हें बेचने वाली व्यक्तिगत कंपनियों द्वारा निर्धारित की जाती है।
 - यूरिया पर सब्सिडी का भुगतान उनके वितरण (Dispatch) के आधार पर किया जाता है जबकि NBS का भुगतान बेची गई उर्वरक की मात्रा के आधार पर किया जाता है।

3.6.2. प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) (Primary Agricultural Credit Societies: PACS)

सुर्खियों में क्यों?

देश भर में पैक्स (PACS) के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए कई पहलें आरंभ की गई हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- पैक्स के विस्तार के लिए पहल: गोदामों और अन्य कृषि-अवसंरचनाओं के निर्माण के लिए 500 नए पैक्स की आधारशिला रखी गई है।
- पैक्स के आधुनिकीकरण के लिए पहलें:
 - श.भर में 18,000 पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के लिए एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है।
 - "पैक्स के कम्प्यूटरीकरण" के लिए एक केंद्र प्रायोजित परियोजना शुरू की गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत, सरकार का लक्ष्य चालू अवस्था वाले 63,000 पैक्स को कम्प्यूटरीकृत करना है।

⁹¹ Nutrient Based Subsidy


⁹² Maximum Retail Price/ अधिकतम खुदरा कीमतों

⁹³ Fertilizer (Control) Order

- सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD)⁹⁴ का उद्घाटन किया है। NCD का मुख्य कार्य सहकारी क्षेत्रक के बारे में सभी तरह की जानकारी, जैसे- राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में सहकारी समितियों की संख्या आदि के बारे में सूचना प्रदान करना है।

पैक्स के बारे में

- परिभाषा: पैक्स सहकारी ऋण संरचना में जमीनी स्तर की शाखाएं हैं। ये मुख्यतः अल्पावधि वाले ऋणों का वितरण करते हैं (इन्फोग्राफिक्स देखें)।
- विनियमन:
 - देश भर के पैक्स सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं। संबंधित राज्य के सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार (RCS)⁹⁵ इनके काम-काज की देख-रेख करता है।
 - SCBs/ DCCBs⁹⁶ भी संबंधित राज्य के राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत होते हैं। इन्हें RBI विनियमित करता है।
 - हालांकि, पैक्स को बैंकिंग विनियमन अधिनियम⁹⁷, 1949 के दायरे से बाहर रखा गया है। इन्हें RBI विनियमित नहीं करता है।
- पुनर्वित्त: इन्हें DCCBs और SCBs के माध्यम से नाबार्ड (NABARD) द्वारा पुनर्वित्त किया जाता है।
- कार्य:
 - ये मुख्य रूप ग्रामीणों को अल्पावधि वाले ऋण प्रदान करते हैं और उनसे ऋण की पुनर्वसूली करते हैं।
 - ये सदस्य किसानों को बीज, उर्वरक और कीटनाशक भी उपलब्ध कराते हैं।
- महत्व: वित्तीय समावेशन में पैक्स की भूमिका महत्वपूर्ण है।
 - देश में सभी संस्थाओं (बैंकों आदि) द्वारा दिए गए KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) ऋणों में पैक्स का हिस्सा 41% है। इसके अलावा, 2022 के डेटा के अनुसार, पैक्स के माध्यम से दिए गए KCC ऋणों में से 95% ऋण लघु और सीमांत किसानों को दिए गए हैं।



3.6.3. भारत की अनाज भंडारण प्रणाली (India's Grain Storage System)

सुर्खियों में क्यों?

प्रधान मंत्री ने 'सहकारी क्षेत्रक में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना' हेतु एक पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इसे 11 राज्यों में 11 पैक्स यानी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACSSs)⁹⁸ के लिए शुरू किया गया है।

सहकारी क्षेत्रक में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के बारे में

- संबंधित मंत्रालय: सहकारिता मंत्रालय (MoC)
- उद्देश्य: इसका उद्देश्य पैक्स (PACSSs) के स्तर पर विकेन्द्रीकृत भंडारण सुविधाएं स्थापित करना है। साथ ही, इसके उद्देश्यों में अन्य कृषि अवसंरचनाओं, जैसे- गोदामों, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, प्रसंस्करण यूनिट्स आदि की स्थापना करना भी शामिल है।

⁹⁴ National Cooperative Database

⁹⁵ Registrar of Cooperative Societies

⁹⁶ राज्य सहकारी बैंक (State Cooperative Banks) / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (District Central Cooperative Banks)

⁹⁷ Banking Regulation Act

⁹⁸ Primary Agricultural Credit Societies

- पैक्स को होने वाले लाभ: पैक्स गोदामों/ भंडारण सुविधाओं के निर्माण और अन्य कृषि अवसंरचनाओं की स्थापना के लिए सब्सिडी तथा ब्याज छूट का लाभ उठा सकते हैं।
- विभिन्न योजनाओं के साथ कन्वर्जेन्स या एकीकरण (इन्फोग्राफिक देखें)।
- योजना को लागू करने वाली प्रमुख एजेंसियां:
 - FCI⁹⁹,
 - CWC¹⁰⁰,
 - नाबार्ड के सहयोग से NCDC¹⁰¹,
 - नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (NABCONS),
 - NBCC¹⁰²।

भारत में अनाज भंडारण प्रणाली

- लघु किसानों द्वारा भंडारण: उत्पादित खाद्यान्न का लगभग 60-70% हिस्सा घरेलू स्तर पर विभिन्न स्वदेशी और पारंपरिक भंडारण संरचनाओं, जैसे- मोराई, मिट्टी की कोठी आदि का उपयोग करके भंडारित किया जाता है।
- सरकारी भंडारण एजेंसियां:
 - भारतीय खाद्य निगम (FCI): इसे 1965 में संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। FCI देश में खाद्यान्न भंडारण के लिए मुख्य एजेंसी है।
 - केंद्रीय भंडारण निगम (CWC): इसे भंडारण निगम अधिनियम, 1962 के तहत कृषि उपज और अन्य अधिसूचित वस्तुओं के भंडारण के लिए स्थापित किया गया था।
 - राज्य भंडारण निगम: इसे राज्यों में संबंधित राज्य भंडारण अधिनियमों के तहत कुछ वस्तुओं के भंडारण को विनियमित करने के लिए स्थापित किया गया है।
- निजी एजेंसियां: FCI निजी स्वामियों से भंडारण क्षमता किराए पर भी लेती है।
- अन्य हितधारक: वेयरहाउस विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (WDRA)¹⁰³, रेलवे और राज्यों के नागरिक आपूर्ति विभाग भी अनाज प्रबंधन में शामिल होते हैं।

3.6.4. कृषि विज्ञान केंद्र (Krishi Vigyan Kendras)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)¹⁰⁴ ने कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) की स्थापना का स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया।

कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) के बारे में

- KVKs का लक्ष्य कृषि और उससे संबद्ध उद्यमों में स्थान विशिष्ट प्रौद्योगिकी माॅड्यूल का मूल्यांकन करना है।

⁹⁹ भारतीय खाद्य निगम/ Food Corporation of India

¹⁰⁰ केंद्रीय भंडारण निगम/ Central Warehousing Corporation

¹⁰¹ राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/ National Cooperative Development Corporation

¹⁰² राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम/ National Buildings Construction Corporation

¹⁰³ Warehouse Development Regulatory Authority

¹⁰⁴ Indian Council of Agricultural Research

कन्वर्जेन्स या एकीकरण के लिए निम्नलिखित योजनाओं की पहचान की गई है:

	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
<ul style="list-style-type: none"> • कृषि अवसंरचना कोष (AIF) • एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना (AMI) • एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) • कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन (SMAM) 	
	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
<ul style="list-style-type: none"> • प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना (PMFME) • प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) 	
	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
<ul style="list-style-type: none"> • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत खाद्यान्न का वितरण • न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की खरीद 	

- KVKs राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (NARS)¹⁰⁵ के अभिन्न अंग हैं।
 - भारत में ICAR राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य कृषि विश्वविद्यालय राज्य स्तर पर कार्य करते हुए NARS का हिस्सा हैं। ये कृषि अनुसंधान और शिक्षा के विकास में प्रमुख भागीदार हैं।
- KVKs कृषि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ज्ञान एवं संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। साथ ही, ये केंद्र राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (NARS) को कृषि विस्तार प्रणाली व किसानों से जोड़ रहे हैं।
- वर्तमान में, भारत में 731 KVKs का नेटवर्क मौजूद है। इन्हें 11 कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान (ATARI)¹⁰⁶ क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित किया गया था।
- वित्त पोषण: KVKs का 100% वित्त-पोषण केंद्र द्वारा किया जाता है।
- अन्य जानकारी:
 - डॉ. मोहन सिंह मेहता समिति को 1973 में ICAR द्वारा नियुक्त किया गया था। इस समिति ने देश में कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) की स्थापना का विचार पेश किया था।
 - 1974 में पहला KVK तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (TNAU), कोयंबटूर के अंतर्गत पुडुचेरी में स्थापित किया गया था।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
(Indian Council of Agricultural Research:ICAR)

उत्पत्ति: इसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में 1929 में स्थापित किया गया था।

- इसे पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के नाम से जाना जाता था।

मंत्रालय: यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है।

कार्य: यह बागवानी, मत्स्य पालन और पशु विज्ञान सहित कृषि क्षेत्र में अनुसंधान एवं शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन के लिए एक शीर्ष निकाय है।

कृषि विस्तार सेवाओं में KVKs की भूमिका

- ऑन-फार्म परीक्षण: विभिन्न कृषि प्रणालियों के तहत नई कृषि प्रौद्योगिकियों की काम करने की क्षमता का आकलन करने के लिए KVKs द्वारा फ़ील्ड परीक्षण किया जाता है।
- फ्रंटलाइन डेमॉन्स्ट्रेशन: इसके तहत किसानों और कृषि विस्तार से जुड़े कर्मचारियों के सामने नवीनतम कृषि तकनीकों की क्षमता का प्रदर्शन किया जाता है, ताकि प्रौद्योगिकी को अपनाने में तेजी लाई जा सके।
- परामर्श सेवाएं: KVKs किसानों को कृषि के विभिन्न पहलुओं जैसे कि फसल पैटर्न, कीट नियंत्रण, फसल कटाई के बाद की तकनीक आदि पर आवश्यक जानकारी और परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं।
- बीज और रोपण सामग्री का उत्पादन: KVKs किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज और रोपण सामग्री वितरित करने के लिए उनका उत्पादन करते हैं।
- संसाधन और ज्ञान केंद्र: कृषि विज्ञान केंद्र कृषि अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक, निजी और स्वयंसेवी क्षेत्रों की पहलों का समर्थन करते हुए कृषि प्रौद्योगिकी संसाधन तथा ज्ञान के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं।

3.6.5. कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड कलिनरी हर्ब्स (Codex Committee on Spices and Culinary Herbs: CCSCH)

सुर्खियों में क्यों?

CCSCH का 7वां सत्र कोच्चि में आयोजित हुआ। इस सत्र में 5 मसालों अर्थात् छोटी इलायची, हल्दी, जुनिपर बेरी, ऑलस्पाइस और स्टार ऐनीज़ (चक्र फूल) के लिए गुणवत्ता संबंधी मानकों को अंतिम रूप दिया गया है।

¹⁰⁵ National Agricultural Research System

¹⁰⁶ Agricultural Technology Application Research Institute

CCSCH के बारे में

- **स्थापना:** CCSCH का गठन वर्ष 2013 में किया गया था। इसका गठन कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन (CAC), रोम के तहत किया गया है। CAC के अंतर्गत इसे कमोडिटी समितियों में से एक के रूप में गठित किया गया है।
- **मेजबान/होस्ट:** भारत इस समिति का मेजबान व अध्यक्ष देश है। भारतीय मसाला बोर्ड इस समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। भारतीय मसाला बोर्ड वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अधीन है।
- **उद्देश्य:**
 - ड्राइड और डी-हाइड्रेटेड अवस्था में मसालों व पाक-कला से संबंधित शाक (herbs) के लिए उनके विश्वव्यापी मानकों को विस्तृत करना।
 - दोहराव से बचने के लिए मानक विकास प्रक्रिया में अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ आवश्यकतानुसार परामर्श करना।

कोडेक्स मानक

- इनके बारे में: ये खाद्य से जुड़े महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रावधान हैं। इनमें अलग-अलग मानक, अभ्यास संहिताएं, स्वच्छता अभ्यास संहिताएं, दिशा-निर्देश और अन्य सिफारिशें शामिल हैं।
- प्रकृति: कोडेक्स मानक स्वैच्छिक हैं और राष्ट्रीय खाद्य कानून पर बाध्यकारी नहीं हैं।
- कोडेक्स और WTO: सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी उपायों (SPS समझौता) तथा व्यापार में तकनीकी बाधाओं (TBT समझौता) पर WTO समझौतों ने WTO के सदस्यों को राष्ट्रीय विनियमों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप रखने के लिए प्रोत्साहित किया है।



कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन (CAC)



उत्पत्ति: यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य मानक के निर्धारण हेतु एक संस्था है। इसकी स्थापना विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने संयुक्त रूप से की है। इसे 1963 में स्थापित किया गया था।



उद्देश्य: इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना और खाद्य पदार्थों के व्यापार में उचित व्यवहार सुनिश्चित करना है।



सदस्य: 189 सदस्य

क्या भारत इसका सदस्य है?



कार्य: CAC अलग-अलग सदस्य देशों में अपनी सल्लेडियरी संस्थाओं या कोडेक्स समितियों (CCSCH सहित) के माध्यम से अपना कार्य करता है।



मानक: कोडेक्स मानक स्वैच्छिक हैं और ये सामान्य व विशेषीकृत हो सकते हैं। साथ ही, WTO समझौतों द्वारा इन्हें संदर्भ मानकों के रूप में भी मान्यता दी गई है।

3.7. सेवा क्षेत्रक (Services Sector)

3.7.1. भारत में फिनटेक (Fintech in India)

सुखियों में क्यों?

हाल ही में, विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने "द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल फिनटेक: टुवर्ड्स रेजिलिएंट एंड इनक्लूसिव ग्रोथ¹⁰⁷" नामक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत में फिनटेक की बेहतर स्थिति और इसे फिनटेक हेडक्वार्टर वाले सबसे महत्वपूर्ण देशों में से एक बताया गया है।

¹⁰⁷ The Future of Global FinTech: Towards Resilient and Inclusive Growth


फिनटेक (वित्तीय प्रौद्योगिकी) के बारे में

- **परिभाषा:** इसमें उपभोक्ताओं तक वित्तीय सेवाएं और उत्पाद पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। फिनटेक का इस्तेमाल बैंकिंग, बीमा, निवेश, और वित्त से जुड़े किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। इसमें मध्यस्थ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और विभिन्न डिजिटल प्रौद्योगिकियों की एक व्यापक श्रेणी शामिल होती है। इस प्रकार फिनटेक में पारंपरिक वित्तीय सेवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए स्वचालित और बेहतर वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
- **वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख फिनटेक उत्पाद और सेवाएं:** पीयर टू पीयर (P2P) ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म, क्राउड फंडिंग, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर तकनीक, बिग डेटा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, रोबो सलाहकार, ई-एग्रीगेटर, आदि।

क्या आप जानते हैं ?

- > **टेकफिन (TechFin), फिनटेक (FinTech) से अलग होता है।**
- **फिनटेक में प्रौद्योगिकी का उपयोग** कर पारंपरिक वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसके विपरीत **टेकफिन** में प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करने वाली संस्था **वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए नए तरीके** प्रस्तुत करती है।
- दूसरे शब्दों में, फिनटेक कंपनियां **मूल वित्तीय प्रणाली** का उपयोग करती हैं और अपनी **प्रौद्योगिकी में सुधार लाती रहती हैं। इसके विपरीत, टेकफिन प्रौद्योगिकी के जरिए वित्तीय प्रणाली को पूरी तरह से नया रूप प्रदान** करती है।


फिनटेक- वित्तीय सेवाओं और प्रौद्योगिकी का कन्वर्जेन्स



भारत में फिनटेक

- भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा फिनटेक इकोसिस्टम है।
- 2022 में दुनिया भर में रियल टाइम में होने वाले सभी ट्रांजैक्शन्स में भारत की हिस्सेदारी 46% थी।

भारत का फिनटेक उद्योग



- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार, भारत में फिनटेक प्रौद्योगिकी को अपनाने की दर 87% है और यह अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। विश्व स्तर पर यह औसत 67% है।
- भारत में DPIIT के तहत 3,000 से अधिक फिनटेक स्टार्ट-अप्स (लगभग 17 यूनिकॉर्न सहित) पंजीकृत हैं।

फिनटेक को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलें

- ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC):** डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान के सभी पहलुओं के लिए ओपन नेटवर्क को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- ट्रेड्स (TReDS) के दायरे का विस्तार:** ट्रेड्स, MSMEs के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह MSMEs को फाइनेंसर्स यानी बैंकों द्वारा ऑनलाइन बोली के जरिए प्रतिस्पर्धी दरों पर अपने व्यापार प्राप्तियों (Trade Receivables) की नीलामी करने के लिए एक डिजिटल मंच प्रदान करता है। RBI ने इसके दायरे का विस्तार कर इसमें बीमा कंपनियों को भी शामिल कर दिया है।
- डिजीधन मिशन:** इसे पूरे देश में डिजिटल भुगतान अवसंरचना को सक्षम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeITY) के तहत स्थापित किया गया है।
- ग्लोबल फिनटेक फेस्ट:** यह भारत का सबसे बड़ा फिनटेक सम्मेलन है। इसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI), पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI), फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल (FCC) के संयुक्त प्रयास से शुरू किया गया है।

3.7.2. यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेज 2024 {Uniform Code for Pharmaceutical Marketing Practices (UCPMP) 2024}

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, 'यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेज (UCPMP) 2024' जारी किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने 'यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेज (UCPMP) 2024' जारी किया।
- UCPMP, 2024 की मुख्य विशेषताएं:
 - दवाओं के बारे में सूचना संतुलित, अप-टू-डेट व सत्यापन योग्य होनी चाहिए। साथ ही, सूचना प्रत्यक्ष तरीके से या प्रभाव के स्तर पर भ्रमित करने वाली नहीं होनी चाहिए।
 - दावे और तुलना: किसी कंपनी की पूर्व सहमति के बिना उसके उत्पादों के ब्रांड नेम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
 - दवाओं की तुलना तथ्यपरक, निष्पक्ष और पुष्टि करने योग्य होनी चाहिए।
 - टेक्चुअल और ऑडियो-विजुअल प्रचार: मेल और मेडिकल जर्नल में विज्ञापन जैसे विज्ञापन माध्यमों का सहारा दवाओं की वास्तविक प्रकृति को छिपाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
 - सतत चिकित्सा शिक्षा: केवल सुस्पष्ट रूप से परिभाषित, पारदर्शी और सत्यापन योग्य दिशा-निर्देशों के माध्यम से ही अनुमति दी जाएगी।
 - स्वास्थ्य देखभाल पेशवरों के साथ संबंध: चिकित्सकों सहित किसी भी स्वास्थ्य देखभाल पेशवर के समक्ष कोई उपहार, मौद्रिक अनुदान, आर्थिक लाभ आदि की पेशकश नहीं की जाएगी।

3.8. उद्योग एवं अवसंरचना (Industry and Infrastructure)

3.8.1. उद्योग एवं अवसंरचना से संबंधित प्रमुख विकासक्रम (Key Developments on Industry and Infrastructure)

<p>उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (Annual Survey of Industries: ASI)</p>	<ul style="list-style-type: none"> सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने 'उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण' (ASI) जारी किया। ASI भारत में औद्योगिक सांख्यिकी को जानने का मुख्य स्रोत है। <ul style="list-style-type: none"> इस सर्वेक्षण का आयोजन सांख्यिकी संग्रहण (COS) अधिनियम, 2008 के तहत किया जाता है। ASI में कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत पंजीकृत सभी कारखानों के आंकड़े शामिल किए जाते हैं। <ul style="list-style-type: none"> इसके अलावा, ASI द्वारा बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 जैसे कानूनों के अधीन काम करने वाली इकाइयों को भी शामिल किया जाता है। हालांकि, रक्षा प्रतिष्ठानों तथा तेल भंडारण और वितरण डिपो यूनिट्स को इस सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया जाता है। सर्वेक्षण के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र: <ul style="list-style-type: none"> सकल मूल्यवर्धन (Gross Value Addition) के मामले में गुजरात शीर्ष राज्य है। उसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश का स्थान है। रोजगार प्रदान के मामले में शीर्ष पांच राज्य तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा हैं। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न बाधाओं के बावजूद भी विनिर्माण क्षेत्रक ने मजबूती (Resilience) का प्रदर्शन किया है।
<p>सबरूम लैंड पोर्ट (Sabroom Land Port: SLP)</p>	<ul style="list-style-type: none"> प्रधान मंत्री ने त्रिपुरा में भारत-बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सबरूम लैंडपोर्ट का उद्घाटन किया। सबरूम लैंडपोर्ट के बारे में: <ul style="list-style-type: none"> यह फेनी नदी पर बने मैत्री पुल के माध्यम से बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह से जुड़ा हुआ है। यह भारत और बांग्लादेश के बीच यात्रियों और कार्गो की आवाजाही को सुविधाजनक बनाएगा। लैंड पोर्ट (भूमि बंदरगाह): <ul style="list-style-type: none"> ये राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों आदि के हिस्सों सहित अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित क्षेत्र हैं। इन्हें लैंड कस्टम्स स्टेशन या इमिग्रेशन चेक पोस्ट के रूप में अधिसूचित किया गया है। ये सीमाओं के पार यात्रियों और सामानों की आवाजाही एवं परिवहन को सुगम बनाते हैं। वर्तमान में, भारत में सबरूम लैंडपोर्ट को छोड़कर 11 लैंड पोर्ट्स चालू अवस्था में हैं।
<p>सुदर्शन सेतु (Sudarshan Setu)</p>	<ul style="list-style-type: none"> प्रधान मंत्री ने कच्छ की खाड़ी में सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। सुदर्शन सेतु (सिग्रेचर ब्रिज) के बारे में: <ul style="list-style-type: none"> यह भारत का सबसे लम्बा केबल-आधारित पुल है। इसके फुटपाथ के ऊपरी हिस्से पर सौर पैनल लगे हुए हैं। इससे एक मेगावाट बिजली पैदा होती है। यह एक चार लेन वाला पुल है। यह गुजरात में ओखा मुख्य भूमि और बेयट द्वारका द्वीप को जोड़ता है।
<p>सेला टनल (Sela Tunnel)</p>	<ul style="list-style-type: none"> प्रधान मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सेला टनल का उद्घाटन किया। सेला टनल के बारे में: <ul style="list-style-type: none"> इस टनल का निर्माण सीमा सड़क संगठन ने किया है। यह टनल अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में तवांग को तेजपुर (असम) से जोड़ने वाली सड़क पर निर्मित है। इसके निर्माण में न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड (NATM) का इस्तेमाल किया गया है। <ul style="list-style-type: none"> NATM फैलाए गए कंक्रीट और अन्य सपोर्ट की मदद से टनल परिधि को स्थिर करने की एक सहायक विधि है। इसके अलावा, NATM विधि टनल की स्थिरता को नियंत्रित करने के लिए नियमित निगरानी का उपयोग करती है। यह दुनिया की सबसे लंबी दो लेन वाली टनल (लगभग 1.5 कि.मी.) है। यह 13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर अवस्थित है। यह टनल हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।

3.9. ऊर्जा (Energy)


3.9.1. पेट्रोलियम अन्वेषण एवं उत्पादन (Petroleum Exploration & Production)

सुर्खियों में क्यों?

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) ने “कृष्णा-गोदावरी (K-G) बेसिन” में अपनी क्लस्टर-2 डीप-सी परियोजना से तेल का उत्पादन शुरू कर दिया है। K-G बेसिन बंगाल की खाड़ी में स्थित है।

भारत में पेट्रोलियम बेसिन

- पेट्रोलियम बेसिन में चट्टानों और तलछट का विविध संग्रह शामिल होता है। हालांकि, इनमें सबसे महत्वपूर्ण पेट्रोलियम स्रोत वाली चट्टानें शामिल होती हैं। स्रोत चट्टानें किसी बेसिन में विशिष्ट शैल संरचनाएं होती हैं जहां तेल और गैस का निर्माण होता है।
- भारत में कुल 26 तलछट बेसिन हैं। इनका कुल क्षेत्रफल 3.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर है।
 - कुल तलछट क्षेत्र का,
 - 49% भाग भूमि पर स्थित है,
 - 12% भाग उथले पानी में (जल में 400 मीटर की गहराई तक) है, और
 - 39% भाग डीपवाटर क्षेत्र में (अनन्य आर्थिक क्षेत्र या EEZ तक) स्थित है।
- तीन श्रेणियों: हाइड्रोकार्बन संसाधनों की परिपक्वता के आधार पर इन बेसिनों को भी तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
- कच्चा तेल निकालने की विधियां:
 - अपतटीय ड्रिलिंग: अरब सागर या बंगाल की खाड़ी जैसे समुद्री क्षेत्र में अपतटीय ड्रिलिंग के जरिए तेल का उत्पादन किया जाता है।
 - तटवर्ती ड्रिलिंग: यह भूमि आधारित बेसिन से कच्चा तेल निकालने की विधि है। इसमें देश भर में अलग-अलग तलछटी घाटियों को कवर किया जाता है।
- ONGC, भारत की सबसे बड़ी तेल और गैस उत्पादक कंपनी है। इसका देश के हाइड्रोकार्बन उत्पादन में 72% का योगदान है।



देश में ही पेट्रोलियम अन्वेषण व उत्पादन का महत्त्व

- आयात बिल में कमी: भारत अपने कच्चे तेल की आवश्यकताओं का लगभग 85% आयात करता है। इस प्रकार, स्वदेशी पेट्रोलियम उत्पादन से व्यापार घाटा काफी कम हो जाएगा।
- सामरिक महत्त्व: भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं, आपूर्ति में व्यवधान और वैश्विक बाजार की कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशीलता में कमी होगी।
 - भारत दुनिया में ऊर्जा और कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है।
- राजस्व सृजन: स्वदेशी पेट्रोलियम उत्पादन कर, रॉयल्टी और लाभ-साझाकरण समझौतों के द्वारा सरकारी कोष में योगदान करेगा।
- रोजगार सृजन: अन्वेषण, उत्पादन, शोधन (Refining) और वितरण सहित कई गतिविधियों में नौकरियों का सृजन होगा।

अपरंपरागत पेट्रोलियम संसाधन

- दुर्गम्य चट्टानों में संचित तेल और प्राकृतिक गैस को अपरंपरागत संसाधन के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें पारंपरिक प्रक्रियाओं द्वारा खोजा, विकसित और उत्पादित नहीं किया जा सकता है।
 - “पारंपरिक संसाधन” शब्दावली का उपयोग चट्टानों में संचित तेल और प्राकृतिक गैस के लिए किया जाता है। इन्हें प्राप्त करना तुलनात्मक रूप से आसान है।
- अपरंपरागत पेट्रोलियम संसाधन में निम्नलिखित भंडार शामिल हैं:
 - कोलबेड मीथेन (CBM) या कोल सीम गैस (CSG): इसका आशय कोयले की परतों में प्राकृतिक रूप से मीथेन समृद्ध गैसों के निक्षेप से है। इनमें 80% से 90% तक मीथेन होता है। वहीं इनमें ईथेन, प्रोपेन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी कम मात्रा में होती है।
 - शेल गैस/ तेल: यह प्राकृतिक गैस/ तेल का एक रूप है। ये अप्रयुक्त, स्थिर और स्रोत चट्टानों (आमतौर पर, शेल) के छिद्रित स्थान और खंडों के भीतर संचित रहते हैं।
 - हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग द्वारा पर्याप्त फ्रैक्चर कंडक्टिविटी के माध्यम से शेल गैस/ तेल का व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है।
 - गैस हाइड्रेट्स: ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बर्फ जैसे ठोस पदार्थ (क्लैथ्रेट) होते हैं। इनमें जल के अणु, गैस के अणुओं को गहरे-समुद्र की तलछट में और ध्रुवीय क्षेत्रों की पर्माफ्रॉस्ट मृदा के अंदर और नीचे संचित कर लेते हैं।

3.9.2. खनिज तेल का आयात (Import of Crude Oil)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (PNG) पर स्थायी समिति ने कच्चे तेल के आयात संबंधी नीति की समीक्षा करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) के बारे में

- कच्चे तेल को अक्सर “काला सोना” भी कहा जाता है। यह प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला और अनरिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद है। यह हाइड्रोकार्बन (मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन) के भंडार और अन्य कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है।
 - क्रूड ऑयल में शामिल कुछ अन्य तत्व हैं- नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। इसमें कुछ धातुएं, जैसे- लोहा, निकल और तांबा भी अल्प मात्रा मौजूद होती हैं।
 - क्रूड ऑयल को तरल कच्चे माल के रूप में पृथ्वी की गहराई से निकाला जाता है। बाद में इसे परिशोधित करके गैसोलीन, केरोसिन, डीजल, जेट ईंधन, मोम, डामर, ल्यूब्रिकेंट तेल जैसी कई अन्य उपभोक्ता वस्तुएं तैयार की जाती हैं।
 - ये उत्पाद रंग, चिपचिपाहट, सापेक्ष वजन और संरचना जैसे भौतिक गुणों के मामले में अलग-अलग हो सकते हैं।
 - कुछ क्रूड ऑयल के मिश्रण को दूसरों से बेहतर माना जाता है। उदाहरण के लिए- सल्फर की अल्प मात्रा वाले क्रूड आयल को स्वीट कहा जाता है, जबकि सल्फर की अधिक मात्रा वाले मिश्रण को सॉर कहा जाता है।
 - क्रूड ऑयल का उपयोग परिवहन, औद्योगिक उत्पादन, आवासीय क्षेत्रक, वाणिज्यिक गतिविधियों और विद्युत उत्पादन में किया जाता है।

क्या आप जानते हैं ?

- 2021 में, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश था।
- डीजल भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला पेट्रोलियम-उत्पाद है। यह 2021 में पेट्रोलियम उत्पाद खपत का 35% था।
- कच्चे तेल के प्रमुख निर्यातक देश हैं: रूस, इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, आदि।

कच्चे तेल के मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक

- तेल की मांग और आपूर्ति
- प्राकृतिक आपदाएं, जैसे- हरिकेन
- आयात-निर्यात नीति में बदलाव
- भू-राजनीतिक तनाव, जैसे कि रूस-यूक्रेन युद्ध
- किसी तेल उत्पादक देश पर आर्थिक प्रतिबंध

कूड ऑयल बेंचमार्क (मानक)

- कूड ऑयल बेंचमार्क बाजार में उपलब्ध अलग-अलग प्रकार के तेल मिश्रणों के लिए मुख्य रूप से मूल्य संकेत के रूप में कार्य करते हैं।
- खनिज तेल के प्रमुख मूल्य बेंचमार्क:
 - ब्रेंट: इसका विश्व स्तर पर सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। वैसे यह मुख्य रूप से यूरोप में प्रचलित है।
 - वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI): इसे मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में उपयोग किया जाता है।
 - दुबई/ ओमान: कूड ऑयल के ये बेंचमार्क मिडिल ईस्ट गल्फ, रूस, यू.एस. गल्फ कोस्ट, मैक्सिको और दुनिया के अन्य हिस्सों से रिफाइनरियों को आपूर्ति किए जाने वाले भौतिक कूड ऑयल के लिए मूल्य निर्धारण हेतु प्राइमरी प्रा रिफरेन्स हैं।
- भारत का कूड ऑयल बास्केट:
 - भारत के कूड ऑयल बास्केट में कई जगह के ऑयल शामिल हैं। इसमें सॉर ग्रेड (ओमान एंड दुबई एवरेज) और स्वीट ग्रेड (ब्रेंट डेटेड), दोनों शामिल हैं। इन्हें भारतीय रिफाइनरियों में प्रोसेस किया जाता है।
 - चूंकि मध्य-पूर्व के देशों द्वारा एशियन प्रीमियम वसूले जाने के कारण मध्य-पूर्व से प्राप्त खनिज तेल की कीमत आम तौर पर अधिक होती है, इसलिए भारतीय खनिज तेल बास्केट की लागत अधिक होती है।
 - पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) द्वारा एशियाई देशों को खनिज तेल की बिक्री पर कुछ अतिरिक्त शुल्क वसूली जाती है। इसे ही एशियन प्रीमियम कहा जाता है।
 - एशियन प्रीमियम मूल्य निर्धारण प्रणाली केवल कच्चे तेल पर ही लागू है।

कूड ऑयल के आयात को कम करने के लिए उठाए गए कदम

- रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कार्यक्रम (SPRs): SPR कार्यक्रम के चरण-1 के तहत, विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश), मंगलुरु और पादुर (कर्नाटक) में तेल भंडारण सुविधाएं स्थापित की गई हैं।
 - चरण-2 के तहत, ओडिशा के चंडीखोल में SPR की स्थापना और पादुर में अतिरिक्त भंडारण क्षमता स्थापित की जाएगी।
 - इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम: इसका उद्देश्य ईंधन के लिए आयात पर निर्भरता को कम करके विदेशी मुद्रा की बचत करना, घरेलू कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना तथा संबंधित पर्यावरणीय लाभ प्रदान करना है।
- राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018: इसे 2022 में संशोधित किया गया था। इसमें 2025-26 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल और 2030 तक डीजल में 5% बायोडीजल मिश्रण का सांकेतिक लक्ष्य रखा गया है।
- खोजे गए लघु क्षेत्रों (DSF)¹⁰⁸ के लिए नीति, 2015: सीमांत क्षेत्र नीति का नाम बदलकर DSF कर दिया गया है। इसका उद्देश्य खनिज तेल और गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए समयबद्ध तरीके से वर्षों से निष्क्रिय पड़े हाइड्रोकार्बन संसाधनों का मुद्रीकरण करना है।
- किरायाती परिवहन की दिशा में संधारणीय विकल्प (SATAT)¹⁰⁹ पहल: इसके तहत, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय वैकल्पिक हरित परिवहन ईंधन के रूप में संपीड़ित बायोगैस के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। यह शुद्ध और संपीड़ित बायोगैस है।

3.9.3. विद्युत (संशोधन) नियम, 2024 अधिसूचित {Electricity (Amendment) Rules, 2024 Notified}

सुर्खियों में क्यों?

विद्युत मंत्रालय ने विद्युत नियम, 2005 में संशोधन के लिए विद्युत (संशोधन) नियम, 2024 अधिसूचित किए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 176 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, सरकार ने निम्नलिखित के लिए नए नियम निर्धारित किए हैं-
 - ग्रीन हाइड्रोजन विनिर्माण जैसे उद्योगों द्वारा ईज ऑफ इइंग बिजनेस को बढ़ावा देना; एनर्जी ट्रांजिशन और ऊर्जा सुरक्षा को सुगम बनाना आदि।

¹⁰⁸ Discovered Small Field

¹⁰⁹ Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation

कुछ संशोधित नियमों के बारे में:

मापदंड	नियम	महत्व
ट्रांसमिशन लाइंस	<ul style="list-style-type: none"> निर्धारित लोड से अधिक उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को समर्पित ट्रांसमिशन लाइंस स्वयं स्थापित करने, संचालित करने और रख-रखाव करने की अनुमति है। इसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। 	<ul style="list-style-type: none"> नए बल्क उपभोक्ताओं (जैसे सरकारी विभाग, संस्था आदि) को वहनीय बिजली और ग्रिड से निरंतर बिजली आपूर्ति से लाभ होगा। तीव्र औद्योगिक संवृद्धि होगी और अधिक रोजगार का सृजन होगा।
ओपन एक्सेस (OA)	<ul style="list-style-type: none"> व्हीलिंग शुल्क, राज्य ट्रांसमिशन शुल्क और अतिरिक्त अधिभार जैसे अलग-अलग OA शुल्क निर्धारित करने के लिए पद्धतियां प्रदान की जाएंगी। OA पर अतिरिक्त अधिभार को वर्ष-दर-वर्ष कम किया जाएगा और यह चार वर्षों के भीतर समाप्त हो जाएगा। 	<ul style="list-style-type: none"> OA शुल्कों को तर्कसंगत बनाने से उद्योग नवीकरणीय ऊर्जा को तेजी से अपनाएंगे। इससे ग्रीन हाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में कमी आएगी। उद्योगों को प्रतिस्पर्धी दरों पर OA के माध्यम से बिजली प्राप्त करने में सुविधा होगी।
विद्युत प्रशुल्क	<ul style="list-style-type: none"> प्रशुल्क, लागत के अनुसार तय होंगे। प्राकृतिक आपदा जैसी स्थितियों को छोड़कर जितना प्रशुल्क वसूला जाना तय किया गया है, उस संदर्भ में अनुमोदित वार्षिक राजस्व और अनुमानित वार्षिक राजस्व वसूली के बीच कोई राजस्व बेमेल नहीं होना चाहिए। 	<ul style="list-style-type: none"> विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होगी।

3.10. नवाचार और उद्यमशीलता (Innovation and Entrepreneurship)

3.10.1. पेटेंट (Patents)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)¹¹⁰ ने पेटेंट (संशोधन) नियम¹¹¹, 2024 अधिसूचित किए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- पेटेंट (संशोधन) नियम, 2024 को पेटेंट अधिनियम, 1970 के तहत अधिसूचित किया गया है।
- पेटेंट (संशोधन) नियम, 2024 के जरिए पेटेंट नियम, 2003 में संशोधन किया गया है।
 - संशोधन का उद्देश्य इवेंटर्स या अन्वेषकों (Inventors) और क्रिएटर्स (रचनात्मक व्यक्तियों) के लिए अनुकूल माहौल बनाकर नवाचार को बढ़ावा देना है।



डेटा बैंक

- भारतीय पेटेंट कार्यालय ने मार्च, 2023 से मार्च, 2024 की अवधि के बीच **1 लाख से अधिक** पेटेंट प्रदान किए हैं।
- WIPO रिपोर्ट 2022 के अनुसार, निवासियों द्वारा पेटेंट फाइलिंग के मामले में भारत का **7वां** स्थान है।

¹¹⁰ Department for Promotion of Industry and Internal Trade

¹¹¹ Patents (Amendment) Rules

पेटेंट (संशोधन) नियम, 2024 के मुख्य प्रावधान

- **सर्टिफिकेट ऑफ इनवेंटरशिप:** नए 'सर्टिफिकेट ऑफ इनवेंटरशिप' की शुरुआत की गई है। इसके द्वारा पेटेंट किए गए आविष्कार में इवेंटर्स के योगदान को चिह्नित किया जाएगा।
- **समय-सीमा:** नए नियमों के जरिए पेटेंट परीक्षण के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने की समय-सीमा घटा दी गई है। पहले यह सीमा 48 माह थी, अब यह घटाकर 31 माह कर दी गई है।
- **नवीनीकरण शुल्क:** पेटेंट नवीनीकरण शुल्क में 10% की कमी की गई है। हालांकि, शुल्क में कमी का यह लाभ इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कम-से-कम 4 वर्ष की अवधि के लिए अग्रिम भुगतान करने पर ही दिया जाएगा।

पेटेंट और पेटेंट संबंधी गवर्नेंस के बारे में

- **परिभाषा:** पेटेंट एक विशेष **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)**¹¹³ होता है। यह किसी ऐसे आविष्कार (एक उत्पाद या प्रक्रिया) के लिए दिया जाता है, जो कुछ करने का एक नया तरीका प्रदान करता है या किसी समस्या का नया तकनीकी समाधान प्रदान करता है।
- **पेटेंट संरक्षण** का मतलब है कि पेटेंट मालिक की सहमति के बिना आविष्कार का व्यावसायिक रूप से उत्पादन, उपयोग, वितरण, आयात या बिक्री दूसरों द्वारा नहीं किया जा सकता है।
- पेटेंट **प्रादेशिक अधिकार** के दायरे में आता है, जो केवल उस देश या क्षेत्र में लागू होता है जहां पेटेंट दायर किया गया है और दिया गया है।
- **किसी आविष्कार के पेटेंट योग्य होने के लिए मानदंड:**
 - यह नया होना चाहिए।
 - इसमें कोई न कोई **इवेंटिव स्टेप** अवश्य शामिल होना चाहिए।
 - **औद्योगिक उपयोग** के लायक होना चाहिए।
 - यह उन आविष्कारों की श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आना चाहिए, जिन्हें संबंधित क्षेत्राधिकार के तहत पेटेंट के दायरे से बाहर रखा गया है।

पेटेंट का विनियमन

वैश्विक स्तर पर

- **विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO)**¹¹⁴ पेटेंट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) को नियंत्रित करता है।
 - WIPO पेटेंट से संबंधित कन्वेंशन और संधियों को लागू करने का काम-काज देखता है (बॉक्स देखें)।
- 1994 में **विश्व व्यापार संगठन (WTO)** के एक समझौते के रूप में **ट्रिप्स** यानी **बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू (TRIPS)**¹¹⁵ पर हस्ताक्षर किए गए थे।

पेटेंट से संबंधित कन्वेंशन/संधियां

- **पेरिस कन्वेंशन (1883):** यह औद्योगिक संपदा अधिकारों (पेटेंट सहित) के संरक्षण से संबंधित **पहला प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौता** है।
- **पेटेंट सहयोग संधि¹¹² (1970):** यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट **फाइलिंग प्रणाली** स्थापित करने वाली एक संधि है।
- **बुडापेस्ट संधि (1977):** यह संधि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय डिपॉजिटरी प्राधिकरण में सूक्ष्मजीवों को जमा करने का प्रावधान करती है, ताकि इससे संबंधित पेटेंट प्रक्रिया को पूरा किया जा सके।
- **भारत उपर्युक्त सभी का हिस्सा है।**

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (World Intellectual Property Organization : WIPO)

उत्पत्ति: इसे **WIPO कन्वेंशन** के तहत **1967** में स्थापित किया गया था।

WIPO के बारे में: यह संयुक्त राष्ट्र की एक स्व-वित्तपोषण एजेंसी है। यह बौद्धिक संपदा (IP) सेवाओं, नीति, सूचना और सहयोग के लिए वैश्विक फोरम है।

सदस्यता: भारत सहित 193 सदस्य देश

अन्य संबंधित तथ्य:

- यह बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) से संबंधित संधियों को प्रशासित करता है। इन संधियों में साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण पर **बर्न कन्वेंशन** भी शामिल हैं।
- यह **कॉर्नेल यूनिवर्सिटी** और **INSEAD** के साथ संयुक्त रूप से **ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII)** जारी करता है।
- यह कई रिपोर्ट्स जारी करता है, उदाहरण के लिए- **विश्व बौद्धिक संपदा रिपोर्ट**।

¹¹² Patent Cooperation Treaty

¹¹³ Intellectual Property Right

¹¹⁴ World Intellectual Property Organization

भारत में

- भारत में, **पेटेंट अधिनियम, 1970** के जरिए पेटेंट का विनियमन किया जाता है। **इंडियन पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट, 1911** को निरस्त करने के लिए यह कानून बना था। WTO के **ट्रिप्स (TRIPS) समझौते** का पालन सुनिश्चित करने के लिए उक्त अधिनियम को 2005 में संशोधित किया गया था।
 - पेटेंट अधिनियम, 1970 के अनुसार, **पेटेंट की अवधि 20 वर्ष** होगी।
 - वहीं, इस कानून के अनुसार, भारत में कुछ चीजों का पेटेंट **नहीं** कराया जा सकता है, जैसे कि-
 - पौधे या जानवर या उनका कोई भी हिस्सा;
 - बीज, उनकी किस्में और प्रजातियां;
 - पौधों और पशुओं के उत्पादन या प्रवर्धन (Propagation) के लिए अनिवार्य जैविक प्रक्रियाएं, आदि।

संबंधित सुर्खियां

अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा (IP) सूचकांक

- **USA चैम्बर ऑफ कॉमर्स** ने अपने अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक का 12वां संस्करण जारी किया है।
 - इस सूचकांक में शीर्ष देश USA, यू.के. और फ्रांस हैं।
 - भारत की स्थिति 55 अर्थव्यवस्थाओं में से **42** पर बनी हुई है, जो अपरिवर्तित है।
- यह सूचकांक **वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII)** से अलग है।
 - वैश्विक नवाचार सूचकांक को **विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO), कॉर्नेल विश्वविद्यालय और INSEAD** द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है।
 - वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं में से **40वें स्थान पर** है।

ट्रेड सीक्रेट्स और आर्थिक जासूसी¹¹⁶

- विधि आयोग ने **व्यापार रहस्य यानी ट्रेड सीक्रेट्स और आर्थिक जासूसी** पर अपनी **289वीं रिपोर्ट** प्रकाशित की है।
- **ट्रेड सीक्रेट्स:** ऐसी **गोपनीय व्यावसायिक जानकारी** जिसे बेचा जा सकता है या जिसका लाइसेंस लिया जा सके, ट्रेड सीक्रेट्स कहलाती है। यह बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) के क्षेत्र में अपेक्षाकृत नया है।
- **आर्थिक जासूसी:** किसी अन्य देश को लाभ पहुंचाने के लिए घरेलू कंपनियों और सरकारी संस्थाओं से गोपनीय जानकारी को जानबूझकर हासिल करने का कार्य **आर्थिक जासूसी** कहलाता है। यह आर्थिक, औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रकृति का हो सकता है।
- **ट्रेड सीक्रेट और आर्थिक जासूसी पर कानून बनाने की आवश्यकता क्यों?**
 - सीमा-पार उद्योगों के बीच **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण** और सहयोग को सक्षम बनाना।
 - MSMEs और स्टार्ट-अप्स के **क्रिएटिव संसाधनों और बौद्धिक पूंजी** की रक्षा करना।
 - रक्षा, परमाणु, दूरसंचार आदि जैसे **महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और क्षेत्रों** को आर्थिक जासूसी से बचाना।

3.10.2. डिजिटल एकाधिकार और डिजिटल इकोसिस्टम का विनियमन (Digital Monopolies And Regulation Of Digital Ecosystem)

सुर्खियों में क्यों?

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने गूगल द्वारा अपने **प्ले स्टोर** से कुछ एप्लिकेशन (ऐप्स) को हटाने पर कड़ा विरोध दर्ज किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक ने **गूगल ऐप मार्केटप्लेस शुल्क** का भुगतान नहीं करने के बहाने, कुछ ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया गया यानी डी-लिस्ट कर दिया गया।


¹¹⁵ Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

¹¹⁶ Trade Secrets and Economic Espionage

- सरकार की प्रतिक्रिया: MeitY ने कहा कि वह ऐप्स की डी-लिस्टिंग की अनुमति नहीं देगी। साथ ही, सरकार ने गूगल द्वारा अपनी वर्चस्व स्थिति के दुरुपयोग एवं डिजिटल एकाधिकार स्थापित करने का मुद्दा भी उठाया।

डिजिटल एकाधिकार क्या है?

- डिजिटल एकाधिकार (Digital Monopoly):** यह वह स्थिति है जब कोई एकल कंपनी या प्लेटफॉर्म अपने उत्पाद से संबंधित डिजिटल इकोसिस्टम और बाजार पर वर्चस्व बनाए रखती है।
 - इस तरह की कंपनियों के उदाहरण हैं: गूगल, अमेजन, फेसबुक, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियां।



डिजिटल एकाधिकार से कौन-से खतरे उत्पन्न हो सकते हैं?

डिजिटल एकाधिकार वाली कंपनियां प्रतिस्पर्धा-रोधी कार्यों¹¹⁷ में शामिल हो सकती हैं। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही, उपभोक्ताओं की पसंद एवं हित भी प्रभावित हो सकते हैं। **प्रतिस्पर्धा-रोधी कुछ प्रमुख गतिविधियां निम्नलिखित हैं:**

- एंटी-स्टीयरिंग:** इसमें कुछ ऐसी विशिष्ट गतिविधियां अपनाई जाती हैं जो व्यावसायिक यूजर्स और उपभोक्ताओं को किसी अन्य यानी थर्ड पार्टी की सेवा का उपयोग करने से रोका जाता है। उदाहरण के लिए- ऐप स्टोर अपने खुद के पेमेंट सिस्टम का उपयोग करना अनिवार्य कर सकता है।
- प्लेटफॉर्म न्यूट्रैलिटी/ सेल्फ-प्रीफेरेंसिंग:** इसके तहत एक डिजिटल एंटरप्राइज अपने प्लेटफॉर्म पर अपने उत्पादों को प्राथमिकता देता है। इससे हित-संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है।
- एडजेंसी/ बंडलिंग और टाइंग:** इसके तहत कोर या आवश्यक सेवाओं के साथ पूरक सेवाएं भी जोड़ दी जाती हैं और यूजर्स को ये पूरक सेवाएं खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है।
- डेटा का उपयोग:** उपभोक्ताओं की पसंद-नापसंद जानने के लिए यानी प्रोफाइलिंग के लिए व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग किया जाता है। इससे व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को टारगेट करने वाली सेवाएं व उत्पाद पेश करने में मदद मिलती है, लेकिन इससे निजता के उल्लंघन का खतरा भी बढ़ जाता है।
- मूल्य निर्धारण/ भारी छूट:** इसके तहत प्रतिस्पर्धियों को बाहर करने के लिए प्रीडेटरी प्राइसिंग की नीति अपनाई जाती है या जानबूझकर कीमतों को लागत मूल्य से कम रखा जाता है।
- विशेष प्रकार का गठजोड़:** व्यावसायिक यूजर्स या विक्रेताओं के साथ विशिष्ट समझौते किए जाते हैं। इस प्रकार, उन्हें अन्य कंपनियों के साथ डील करने से रोका जाता है। उदाहरण के लिए- एप्पल आईफोन पर थर्ड-पार्टी एप्लीकेशन के इंस्टॉलेशन को प्रतिबंधित किया गया है।

भारत में डिजिटल इकोसिस्टम का विनियमन

¹¹⁷ Anti-Competitive Practices - "the ACPs"

- **प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002:** इसके उद्देश्यों में शामिल हैं- बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और इसे बनाए रखना तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। प्रतिस्पर्धा अधिनियम **प्रतिस्पर्धा के विनियमन के लिए दो अप्रोच अपनाता है:**
 - **एक्स-पोस्ट अप्रोच:** इसके तहत प्रतिस्पर्धा-रोधी समझौता संपन्न होने और प्रभुत्व का दुरुपयोग होने के बाद इनकी जांच की जाती है।
 - **एक्स-एंटे अप्रोच:** समझौता करने के इच्छुक पक्षकारों को लेन-देन समझौता को अधिसूचित करना होता है और इसके बारे में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)¹¹⁸ को सूचित करना और उससे मंजूरी लेना आवश्यक होता है।
- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:** यह भारत में डिजिटल इकोसिस्टम के अलग-अलग पहलुओं को प्रशासित करने वाला प्राथमिक कानून है।
 - हालांकि, यह कानून जब बनाया गया था तब इंटरनेट अपने विकास के शुरुआती चरण में था। इसलिए, यह आज की चुनौतियों का समाधान करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है।
 - **क्षेत्रक-विशेष नियम:** केंद्र सरकार अलग-अलग क्षेत्रों में समय-समय पर उत्पन्न होने वाले मुद्दों के समाधान के लिए नियम जारी करती रहती है, जैसे- सोशल मीडिया (आई.टी. नियम) और ई-कॉमर्स (उपभोक्ता संरक्षण नियम) आदि।

3.10.3. स्टार्ट-अप इकोसिस्टम से संबंधित प्रमुख विकासक्रम (Key Developments in the Startup Ecosystem)

फंड ऑफ फंड्स स्कीम (FFS)	<ul style="list-style-type: none"> • भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी/ SIDBI) ने प्रभाव/ PRABHAAV (पॉवरिंग ए रेसिलिएंट एंड एजाइल भारत फॉर द एडवांसमेंट ऑफ विज़नरी स्टार्ट-अप्स) नामक क्रिसिल मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की है। <ul style="list-style-type: none"> ○ इस रिपोर्ट के अनुसार, FFS के तहत 938 स्टार्ट-अप्स में 17,534 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। • FFS के बारे में: <ul style="list-style-type: none"> ○ इसे 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ 2016 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना और घरेलू पूंजी तक उनकी पहुंच को सक्षम करना है। ○ निगरानी एजेंसी: उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। ○ परिचालन एजेंसी: सिडबी ○ यह भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) में पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष को पूंजी प्रदान करती है। यह कोष स्टार्ट-अप्स में धन निवेश करता है।
स्टार्टअपशाला (StartupShala)	<ul style="list-style-type: none"> • उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने 'स्टार्टअपशाला' आरंभ किया है। यह स्टार्ट-अप इंडिया का एक प्रमुख एक्सेलेरेटर कार्यक्रम है। <ul style="list-style-type: none"> ○ DPIIT ने 2016 में स्टार्ट-अप इंडिया की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य उद्यमियों की सहायता करना और भारत में एक मजबूत स्टार्ट-अप इकोसिस्टम का निर्माण करना है। • स्टार्टअपशाला के बारे में: <ul style="list-style-type: none"> ○ यह मौजूदा उद्यमियों के लिए सेक्टर-विशिष्ट पहलू है। इसके तहत उद्यमियों को अपना करोबार बढ़ाने के लिए आवश्यक ज्ञान, नेटवर्क, फंड और मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। ○ यह तीन महीने तक चलने वाला एक्सीलेटर प्रोग्राम है। ○ इसमें 2 समूहों पर बल दिया गया है- "स्वच्छ प्रौद्योगिकी और डीप टेक्नोलॉजी"। <ul style="list-style-type: none"> ○ प्रत्येक समूह से 20 स्टार्ट-अप्स का चयन किया जाएगा।

3.11. शुद्धिपत्र (Errata)

PT 365 अर्थव्यवस्था (अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023)

- **आर्टिकल 2.5. वस्तु एवं सेवा कर (GST),** में यह तथ्य गलत दिया गया था, कि-
 - "CGST से प्राप्त राजस्व केंद्र और राज्यों के बीच समान रूप से साझा किया जाता है" और "SGST से प्राप्त राजस्व केंद्र और राज्य के बीच समान रूप से साझा किया जाता है।"
 - इससे संबंधित सही जानकारी है-

¹¹⁸ Competition Commission of India

- **केंद्रीय GST (CGST):** यह केंद्र सरकार द्वारा राज्यों की सीमाओं के भीतर बिक्री पर एकत्र किया जाता है। राज्यों को, वित्त आयोग की स्वीकृत सिफारिशों के अनुरूप CGST का हिस्सा हस्तांतरित किया जाता है।
 - **राज्य GST (SGST):** यह राज्य सरकारों द्वारा राज्य की सीमा के भीतर बिक्री पर एकत्र किया जाता है। SGST को संबंधित राज्य की संचित निधि में जमा किया जाता है।
 - **अंतर-राज्यीय GST (IGST):** यह केंद्र सरकार द्वारा अंतर-राज्यीय बिक्री पर एकत्र किया जाता है। केंद्र सरकार, वस्तु के गंतव्य के आधार पर राज्यों के साथ IGST के तहत एकत्रित राजस्व साझा करती है।
- **आर्टिकल 4.1 वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात (ICRR),** में यह तथ्य गलत दिया गया था, कि-
- वसूली जाने वाली यह ब्याज दर CRR से अलग होती है। (यहां पर ब्याज दर शब्द का गलत इस्तेमाल किया गया था।)
 - सही जानकारी है:
 - अलग रखा गया हिस्सा CRR से अलग होगा।



फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2025

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
- सीसेट कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसेट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
- करंट अफेयर्स मैगजीन

नोट: ऑनलाइन छात्र हमारे पाठ्यक्रम की लाइव वीडियो कक्षाएं अपने घर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। छात्र लाइव चैट विकल्प के माध्यम से कक्षा के दौरान अपने संदेह और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। वे अपने संदेह और प्रश्न नोट भी कर सकते हैं और दिल्ली केंद्र में हमारे कक्षा सलाहकार को बता सकते हैं और हम फोन/मेल के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देंगे।

DELHI: 14 मई, 9 AM **LUCKNOW: 5 जून**

BHOPAL: 11 जून **JAIPUR: 21 मई** **JODHPUR: 20 मई**

Scan the QR CODE to download VISION IAS app



त्रैमासिक रिवीजन



सिविल सेवा परीक्षा में आपके ज्ञान, एनालिटिकल स्किल और सरकारी नीतियों तथा पहलों की गतिशील प्रकृति के साथ अपडेटेड रहने की क्षमता को जांचा जाता है। इसलिए इस चुनौतीपूर्ण परीक्षा के लिए एक व्यापक और सुनियोजित दृष्टिकोण काफी आवश्यक हो जाता है।

“सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिवीजन” डॉक्यूमेंट के साथ सिविल सेवा परीक्षा में सफलता की अपनी यात्रा शुरू कीजिए। यह विशेष पेशकश आपको परीक्षा की तैयारी में एक परिवर्तनकारी अनुभव प्रदान करेगी। सावधानीपूर्वक तैयार किया गया हमारा यह डॉक्यूमेंट न केवल आपकी सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बल्कि टाइम मैनेजमेंट और याद रखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। इस डॉक्यूमेंट को त्रैमासिक आधार पर तैयार किया जाता है। यह डॉक्यूमेंट फाइनल परीक्षा के लिए निरंतर सुधार और तनाव मुक्त तैयारी हेतु अभ्यर्थियों के लिए एक आधार के रूप में कार्य करेगा।

यह सीखने की प्रक्रिया को बाधारहित और आसान यात्रा में बदल देता है। इसके परिणामस्वरूप, आप परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ सरकारी योजनाओं, नीतियों और उनके निहितार्थों की गहरी समझ विकसित करने में सफल होते हैं।



डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए
QR कोड को स्कैन कीजिए

सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र



1. सुर्खियों में रहीं में योजनाएं: अपडेट रहिए, आगे रहिए!

इस खंड में आपको नवीनतम घटनाक्रमों से अवगत कराया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपकी तैयारी न केवल व्यापक हो, बल्कि हालिया तिमाही के लिए प्रासंगिक भी हो। सुर्खियों में रहीं योजनाओं के रियल टाइम एकीकरण से आप नवीनतम ज्ञान से लैस होकर आत्मविश्वास से परीक्षा देने में सक्षम बन पाएंगे।

2. सुर्खियों में रहीं फ्लैगशिप योजनाएं: परीक्षा में आपकी सफलता की राह!

भारत सरकार की 'फ्लैगशिप योजनाएं' सिविल सेवा परीक्षा के सिलेबस के कोर में देखने को मिलती हैं। हम इस डॉक्यूमेंट में इन महत्वपूर्ण पहलों को गहराई से कवर करते हैं, जिससे सरकारी नीतियों के बारे में आपकी गहरी समझ विकसित हो। इन फ्लैगशिप योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करके, हम आपको उन प्रमुख पहलुओं में महारत हासिल करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, जिन्हें परीक्षक सफल उम्मीदवारों में तलाशते हैं।



3. प्रश्नोत्तरी: पढ़िए, मूल्यांकन कीजिए, याद रखिए!

मटेरियल को समझने और मुख्य तथ्यों को याद रखने में काफी अंतर होता है। इस अंतर को खत्म करने के लिए, हमने इस डॉक्यूमेंट में एक 'प्रश्नोत्तरी' खंड शामिल किया है। इस डॉक्यूमेंट में सावधानी से तैयार किए गए 20 MCQs दिए गए हैं, जो आपकी समझ को मजबूत करने के लिए चेकपॉइंट के रूप में काम करते हैं। ये मूल्यांकन न केवल आपकी प्रगति का आकलन करने में मदद करते हैं बल्कि महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रभावी ढंग से याद रखने में भी सहायक होते हैं।

‘सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिवीजन’ एक डॉक्यूमेंट मात्र नहीं है; बल्कि यह आपकी परीक्षा की तैयारी में एक रणनीतिक साथी भी है। यह आपकी लर्निंग एप्रोच में बदलाव लाता है, जिससे यह एक सतत और कुशल प्रक्रिया बन जाती है। परीक्षा की तैयारी के आखिरी चरणों में आने वाले तनाव को अलविदा कहिए, प्रोएक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस को आपनाइए और आत्मविश्वास के साथ सफलता की ओर आगे बढ़िए।

4. पर्यावरण (Environment)

4.1. जलवायु परिवर्तन (Climate Change)

4.1.1. ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (Green Credit Program)

सुर्खियों में क्यों?

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP), 2023 के नियमों के तहत "वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए ग्रीन क्रेडिट की गणना" हेतु पद्धतियों को अधिसूचित किया है।

ग्रीन क्रेडिट (GC) के बारे में

- ग्रीन क्रेडिट पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली निर्धारित गतिविधियों के लिए प्रदान किए गए प्रोत्साहन की एक यूनिट को कहा जाता है।
- जैसे कार्बन क्रेडिट का कारोबार किया जाता है वैसे ही ग्रीन क्रेडिट का कारोबार निर्धारित एक्सचेंज पर किया जा सकता है।

ग्रीन क्रेडिट नियमों के बारे में

- सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वन विभागों को हरित आवरण को बढ़ाने के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत मौजूद निम्नीकृत/ परती भूखंडों की पहचान करना अनिवार्य है।
- वृक्षारोपण के लिए पहचाने गए भूखंड विवादों से मुक्त होने चाहिए और इनका क्षेत्रफल कम-से-कम 5 हेक्टेयर होना चाहिए।
- भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (ICFRE)¹¹⁹ ने वन विभागों को दो साल के भीतर वृक्षारोपण करने का निर्देश दिया है।
- ग्रीन क्रेडिट (GC) ICFRE द्वारा जारी किए जाते हैं। इसके तहत स्थानीय वृक्ष-जलवायु (Silvi-climatic) और मिट्टी की स्थिति के आधार पर वृक्षारोपण के जरिए उगाए गए प्रति हेक्टेयर कम-से-कम 1,100 वृक्षों के होने पर प्रति वृक्ष के लिए एक ग्रीन क्रेडिट दिया जाता है।

ग्रीन क्रेडिट

- यह ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP) के तहत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत संचालित किया जाता है।
- यह व्यक्तियों एवं समुदायों को लाभ प्रदान करता है।

कार्बन क्रेडिट

- यह ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत स्थापित कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) द्वारा संचालित होता है।
- इससे मुख्य रूप से उद्योगों एवं कार्पोरेशन को लाभ होता है।

ग्रीन क्रेडिट से जुड़ी हुई गतिविधियों को कार्बन क्रेडिट के लिए पात्र माना जा सकता है, क्योंकि इनसे भी कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है। हालांकि, कार्बन क्रेडिट से जुड़ी सभी गतिविधियों को ग्रीन क्रेडिट के लिए पात्र नहीं माना जा सकता है।

ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP) के बारे में

- यह अलग-अलग हितधारकों द्वारा पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाले कार्यों को प्रोत्साहित करने वाला बाजार-आधारित एक अभिनव तंत्र है। इन हितधारकों में उद्योग/ प्रतिष्ठान, राज्य सरकारें एवं अलग-अलग परोपकारी संस्थाएं शामिल हैं।
 - GCP में भागीदारी, स्वैच्छिक भागीदारी पर आधारित होगी।
- उद्देश्य: यह 'LiFE - लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट' पहल के अनुरूप है। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर प्रकृति से जुड़ाव एवं व्यावहारिक बदलावों के माध्यम से संधारणीय जीवन शैली, पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण-अनुकूल विकास को बढ़ावा देना है।
- स्थापना: इसे "पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986" के अंतर्गत स्थापित किया गया है, जिसमें MoEF&CC एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी।

GCP के फोकस क्षेत्र वे क्षेत्र जो क्रेडिट प्रणाली का हिस्सा होंगे

- वृक्षारोपण
- जल
- संधारणीय कृषि
- अपशिष्ट प्रबंधन
- वायु प्रदूषण में कमी
- मैग्नोव संरक्षण एवं पुनरुद्धार
- इकोमार्क
- संधारणीय भवन और अवसंरचना

¹¹⁹ Indian Council of Forestry Research and Education

- प्रशासनिक संरचना:
 - GCP का प्रशासनिक ढांचा, अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति¹²⁰ पर आधारित है।
 - ICFRE, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के प्रशासक के रूप में कार्य करेगी। ICFRE को इस प्रोग्राम के कार्यान्वयन, प्रबंधन, निगरानी और परिचालन की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।
 - GCP ने परियोजना के पंजीकरण, सत्यापन और ग्रीन क्रेडिट जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उपयोगकर्ता-अनुकूल डिजिटल प्लेटफॉर्म भी स्थापित किया है।

4.1.2. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा- छठा सत्र (UN Environment Assembly: UNEA-6)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, केन्या के नैरोबी स्थित UNEP¹²¹ मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का छठा सत्र (UNEA-6) संपन्न हुआ।

UNEA-6 के बारे में

- थीम: “जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण से निपटने के लिए प्रभावी, समावेशी एवं संधारणीय बहुपक्षीय कार्रवाई¹²²”
- UNEA-7 का आयोजन दिसंबर, 2025 में नैरोबी में निर्धारित है।

UNEA-6 के प्रमुख आउटकमस

- UNEA-6 में एक मंत्रिस्तरीय घोषणा-पत्र को अपनाया गया। इसके द्वारा जलवायु परिवर्तन, प्रकृति और जैव विविधता हानि, प्रदूषण एवं अपशिष्ट के ‘ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस (तिहरे ग्रहीय संकट)’ से निपटने की प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की गई है।
 - ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसेस मानवता के लिए खतरा पैदा करने वाले आपस में जुड़े तीन संकटों को संदर्भित करता है। ये हैं- जलवायु परिवर्तन, प्रकृति और जैव विविधता की हानि, तथा प्रदूषण एवं अपशिष्ट।
- प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए समर्पित पहला बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता दिवस (28 फरवरी, 2024) मनाया गया।
- रेत और धूल भरी आंध्रियों से निपटने, रसायनों एवं अपशिष्ट के प्रबंधन, वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सहयोग, संधारणीय जीवन शैली को बढ़ावा देने, आदि पर मसौदा प्रस्ताव पारित किए गए हैं।

UNEA 6 में जारी की गई रिपोर्ट तथा घोषित किए गए पुरस्कार

जारी की गई रिपोर्ट	विवरण
ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक 2024	<ul style="list-style-type: none"> • रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि वैश्विक खपत को कम करने के लिए ठोस कार्रवाई न करने पर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन 2060 तक 2020 के स्तर से 60% तक बढ़ सकता है। • प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जलवायु को नुकसान होगा तथा जैव विविधता और मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम में वृद्धि होगी।
ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024	<ul style="list-style-type: none"> • अनुमान है कि नगरपालिका ठोस अपशिष्ट की मात्रा 2023 के 2.3 बिलियन टन से बढ़कर 2050 तक 3.8 बिलियन टन तक हो सकती है। • अपशिष्ट प्रबंधन की प्रत्यक्ष लागत 2020 के लगभग 252 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2050 तक लगभग दोगुनी हो जाएगी।
यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड	<ul style="list-style-type: none"> • इसे 2017 में शुरू किया गया था। यह UNEP की युवा सहभागिता आधारित एक प्रमुख पहल है। • इसके लिए दुनिया के हर हिस्से से युवाओं (आयु 18-30 वर्ष के बीच) को चुना जाता है और उन्हें UNEP यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया जाता है।

¹²⁰ Inter-ministerial Steering Committee

¹²¹ United Nations Environment Programme/ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम

¹²² Effective, inclusive and sustainable multilateral actions to tackle climate change, biodiversity loss and pollution

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) के बारे में

- इसका गठन 2012 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन¹²³ के दौरान किया गया था।
- UNEP की संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा पर्यावरण से जुड़े मामलों पर निर्णय लेने वाली विश्व का शीर्ष निकाय है।
- भूमिकाएं एवं कार्य:
 - इसके मुख्य कार्य हैं- वैश्विक पर्यावरण एजेंडा निर्धारित करना, दुनिया में उभरती हुई पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान हेतु व्यापक नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करना, और भविष्य में UNEP के लिए नीतिगत कार्रवाइयां निर्धारित करना; पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने और संसाधन जुटाने के लिए साझेदारी को बढ़ावा देना, आदि।
- संगठनात्मक संरचना (UNEA ब्यूरो): इसमें 1 अध्यक्ष और 8 उपाध्यक्ष शामिल होते हैं। इसके अलावा, सदस्य देशों की ओर से एक प्रतिवेदक (Rapporteur) की भी नियुक्ति की जाती है।
 - सदस्यता: इसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य शामिल हैं।

4.1.3. जलवायु और स्वच्छ वायु सम्मेलन 2024 (Climate and Clean Air Conference 2024)

सुर्खियों में क्यों?

जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन (CCAC)¹²⁴ की वार्षिक बैठक केन्या के नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के छठे सत्र (UNEA-6) के दौरान आयोजित की गई थी।

इस सम्मेलन के परिणामों पर नज़र

- इस सम्मेलन का उद्देश्य: ग्लोबल मीथेन प्लेज, क्लीन एयर फ्लैगशिप तथा किगाली अमेंडमेंट के कार्यान्वयन को और अधिक गति के तरीकों पर प्रकाश डालना है।
- क्लीन एयर फ्लैगशिप का शुभारंभ: इसे परस्पर सहयोग को बढ़ावा देकर और प्रदूषक के उत्सर्जन को कम करके जीवन बचाने एवं जलवायु परिवर्तन की रफ़्तार को धीमा करने के लिए शुरू किया गया है।
- 'यूज्ड हेवी ड्यूटी व्हीकल्स एंड एनवायरमेंट' रिपोर्ट: इसे UNEP और CCAC द्वारा लॉन्च किया गया है।
- CCAC का प्रौद्योगिकी और आर्थिक मूल्यांकन पैनल: इसका उद्देश्य जलवायु वित्त को बढ़ाने के लिए बाधाओं को दूर करने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करके प्रौद्योगिकियों और वित्त के बीच अंतर को कम करने में मदद करना है।
- एक प्रमुख निष्क्रियता लागत अध्ययन शुरू किया गया, जो अल्पावधि तक बने रहने वाले जलवायु प्रदूषक (SLCPs) पर कार्रवाई करने के लिए आर्थिक मामले का समर्थन करता है, ताकि खतरनाक ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु आपदाओं को सीमित किया जा सके।

क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन (CCAC) के बारे में

- यह एकमात्र ऐसा वैश्विक गठबंधन है, जो विशेष रूप से अल्पकालिक अवधि (जीवन काल) तक बने रहने वाले जलवायु प्रदूषकों (SLCPs) में कमी लाने के प्रति समर्पित है।
- उत्पत्ति: इसे 2012 में UNEP के नेतृत्व में स्थापित किया गया था।
- सदस्यता: यह 160 से अधिक सरकारों, अंतर-सरकारी संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों की स्वैच्छिक भागीदारी है।

¹²³ United Nations Conference on Sustainable Development

¹²⁴ Climate and Clean Air Coalition

- भारत इसमें 2019 में शामिल हुआ था।
- अन्य महत्वपूर्ण जानकारी: यह ग्लोबल मीथेन प्लेज (GMP) को सचिवालयी सहायता प्रदान करता है। साथ ही, यह लोवरिंग ऑर्गेनिक वेस्ट मीथेन इनिशिएटिव के लिए समन्वयक समूह के रूप में भी कार्य करता है।
 - GMP को COP-26 में यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य 2030 तक वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को 2020 के स्तर की तुलना में कम-से-कम 30% तक कम करना है।

अल्पावधि तक बने रहने वाले जलवायु प्रदूषक (SLCPs) के बारे में

- ये जलवायु को प्रभावित करने वाले काफी शक्तिशाली कारक होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में बहुत कम समय तक वायुमंडल में बने रहते हैं, फिर भी वायुमंडल को गर्म करने की उनकी क्षमता कई गुना अधिक हो सकती है (इन्फोग्राफिक देखें)।
- CO₂ के बाद मानव-जनित जलवायु ग्लोबल वार्मिंग में SLCPs दूसरे सबसे बड़े कारक हैं। ये आज तक ग्लोबल वार्मिंग के 45% तक के लिए उत्तरदायी हैं।
- SLCPs के प्रभाव: ग्लोबल वार्मिंग, फेफड़ों में सूजन, अस्थमा, बादल के निर्माण पर प्रभाव, हिमावरण का तेजी से पिघलना आदि।

अल्पकालिक अवधि तक बने रहने वाले जलवायु प्रदूषक (Short-Lived Climate Pollutants: SLCPs)		
पदार्थ	मानवजनित स्रोत	वायुमंडल में बने रहने की अवधि
ब्लैक कार्बन (कालिख)	जीवाश्म ईंधन, औद्योगिक उत्पादन, कृषि अवशेष और अपशिष्ट को जलाना	4-12 दिन
मीथेन (CH ₄)	कृषि, जीवाश्म ईंधन, लैंडफिल, खुले डंप साइट और अपशिष्ट जल	12 साल
क्षोभमंडलीय (या धरातलीय) ओजोन (O ₃)	वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (VOCs) और नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO _x) के साथ सूर्य के प्रकाश की परस्पर क्रिया से निर्मित द्वितीयक प्रदूषक	कुछ घंटों से लेकर कुछ सप्ताह तक
हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs)	कूलिंग, एयर कंडीशनिंग, इंसुलेशन फोम और एयरोसोल प्रणोदक	15 साल

4.1.4. ग्रीनवाशिंग (Greenwashing)

सुखियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA)¹²⁵ ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम¹²⁶, 2019 के तहत ग्रीनवाशिंग की रोकथाम और विनियमन पर प्रस्तावित मसौदा दिशा-निर्देश¹²⁷ जारी किए हैं। CCPA ने इन मसौदा दिशा-निर्देशों के संबंध लोगों से सुझाव मांगे हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- ग्रीनवाशिंग के तहत कोई कंपनी अपने उत्पादों, गतिविधियों या नीतियों से जुड़े वास्तविक तथ्यों को छिपाकर इन्हें पर्यावरण के अनुकूल या हितैषी दिखाने का प्रयास करती है। इसके लिए बड़ा-चढ़ाकर अस्पष्ट, झूठे या आधारहीन दावे भी किए जाते हैं।
- इस मसौदे में शामिल कुछ मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र:
 - इसमें ग्रीनवाशिंग को परिभाषित किया गया है और उसे प्रतिबंधित भी किया गया है।
 - किस पर लागू होगा: यह विज्ञापन के लिए ली जाने वाली सभी सेवाओं पर लागू होगा। उदाहरण के लिए- सभी प्रकार के विज्ञापन, सेवा प्रदाता (Service providers), विज्ञापनदाता (Advertiser), एंडोर्स करने वाले (Endorsers) आदि।
 - सूचना प्रकटीकरण (Information disclosure): यह जानबूझकर चुनिंदा डेटा को प्रस्तुत करने पर रोक लगाता है। साथ ही, इसमें विज्ञापनों हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले 'हरित (Green)', 'पर्यावरण-अनुकूल (Eco-friendly)', 'पर्यावरण-संवेदनशील (Eco-consciousness)' जैसे आकर्षक शब्दों सहित पर्यावरणीय दावों का पूर्ण रूप से प्रकट करने का प्रावधान किया गया है।

¹²⁵ Central Consumer Protection Authority

¹²⁶ Consumer Protection Act

¹²⁷ Guidelines on Prevention and Regulation of Greenwashing

- दावों का सत्यापन (Verification of claims): विश्वसनीय प्रमाणीकरण, विश्वसनीय वैज्ञानिक साक्ष्य और तृतीय-पक्ष के तटस्थ सत्यापन के जरिए पर्यावरणीय दावों की पुष्टि करना अनिवार्य है।
- भविष्य के लिए पर्यावरणीय दावों हेतु शर्तें: भविष्य के लिए पर्यावरणीय दावा तभी किया जाए, जब उन दावों को हासिल करने के लिए स्पष्ट और कार्रवाई योग्य योजनाएं विकसित की गई हों।

ग्रीनवाशिंग को रोकने के लिए की गई पहलें

- भारत में:
 - भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)¹²⁸: BIS ने उत्पादों और सेवाओं की इको-लेबलिंग के लिए IS/ISO 14024:1999 नामक मानक विकसित किया है।
 - उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019: इसके तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की स्थापना की गई है। यह उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार पद्धतियों और झूठे या भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करता है।
 - भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI)¹²⁹: ASCI के दिशा-निर्देशों के अनुसार पर्यावरण अनुकूल या हरित दावे करने वाले विज्ञापन स्पष्ट, सटीक होने के साथ-साथ भ्रामक नहीं होने चाहिए।
 - ग्रीन रेटिंग प्रोजेक्ट (GRP): सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) का GRP निर्धारित क्षेत्रक के भीतर औद्योगिक इकाइयों को उनकी पर्यावरण अनुकूलता के आधार पर रेटिंग करता है।
 - इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (IGBC): IGBC एक गैर-लाभकारी संगठन है, जिसने हरित इमारतों के लिए रेटिंग प्रणाली विकसित की है।
- वैश्विक स्तर पर:
 - यूनाइटेड नेशन हाई-लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन नेट-जीरो एमिशन कमिटमेंट्स ऑफ नॉन-स्टेट एंटीटी¹³⁰: इसकी स्थापना 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा की गई थी।
 - ग्रीनवाशिंग टेक-स्ट्रिंट: इसका आयोजन वैश्विक वित्तीय नवाचार नेटवर्क द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य विनियामकों को वित्तीय सेवाओं में ग्रीनवाशिंग से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने में मदद करने के लिए एक साधन विकसित करना है।
 - भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इसमें भाग लिया था।

ग्रीनवाशिंग के प्रकार

ग्रीनहशिंग: जांच से बचने के लिए कंपनियां संधारणीय जानकारी की या तो कम रिपोर्टिंग करती हैं या छिपाती हैं।

ग्रीनड्रिफ्टिंग: जब कोई कंपनी अपने ESG (पर्यावरण, सामाजिक, गवर्नेंस) लक्ष्यों को प्राप्त करने से पहले उन्हें नियमित रूप से बदलती है।

ग्रीनलेबलिंग: जब कोई कंपनी अनिवार्य रूप से अस्थिर उत्पाद को हरित या टिकाऊ के रूप में लेबलिंग का काम करती है।

ग्रीनलाइटिंग: किसी व्यवसाय के पर्यावरणीय रूप से हानिकारक कार्यों से ध्यान हटाने के लिए उसके उत्पादों या गतिविधियों की विशेष रूप से हरित विशेषताओं को उजागर करना।

ग्रीनशिफ्टिंग: जब कंपनियां जलवायु संकट को उपभोक्ता व्यवहार तक सीमित कर देती हैं और जिम्मेदारी को व्यक्तियों पर डाल देती हैं।

ग्रीनक्राउडिंग: जब कोई कंपनी स्वयं को एक समूह के भीतर छिपा लेती है और स्थिरता नीतियों को अपनाने में कम कार्य करती है (उदाहरण के लिए- 20 सबसे बड़े सिंगल यूज प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादक एलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट वैश्विक गठबंधन के सदस्य है)।

अन्य संबंधित शब्दावलिियां

- ब्लूवाशिंग: यह मार्केटिंग की एक भ्रामक रणनीति है जो उपभोक्ताओं को यह विश्वास दिलाती है कि कंपनी खराब प्रणालियों और जल संरक्षण में संधारणीयता को बढ़ावा दे रही है।
- ग्रीनवाशिंग: ग्रीनवाशिंग वास्तव में एक प्रकार का भ्रामक और गुमराह करने वाला विज्ञापन है। इसमें कोई कंपनी अपने उत्पादों, गतिविधियों या नीतियों से जुड़े वास्तविक तथ्यों को छिपाकर इन्हें पर्यावरण या समाज के अनुकूल या हितैषी दिखाने का प्रयास करती है। इसके लिए बड़ा चढ़ाकर अस्पष्ट, झूठे या आधारहीन दावे किए जाते हैं।

¹²⁸ Bureau of Indian Standards

¹²⁹ Advertising Standards Council of India

¹³⁰ UN's High-Level Expert Group on Net-Zero Emissions Commitments of Non-State Entities

4.1.5. ग्रीन क्लाइमेट फंड (Green Climate Fund: GCF)

सुर्खियों में क्यों?

ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) ने सिडबी (SIDBI) के “अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड (ASF)” को मंजूरी दी

ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) के बारे में

- यह जलवायु संबंधी उद्देश्यों के प्रति समर्पित विश्व का सबसे बड़ा फंड है। इसे 2010 में कानकून समझौते के तहत स्थापित किया गया था।
- कार्य: विकासशील देशों में कम उत्सर्जन वाले तथा जलवायु-अनुकूल विकास पथ की दिशा में बड़े बदलाव को बढ़ावा देना।
- यह फंड जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के वित्तीय तंत्र की संचालन इकाई है।
 - यह संयुक्त राष्ट्र के प्रति जवाबदेह है।
 - इसका सचिवालय इंचियोन (दक्षिण कोरिया) में स्थित है।
- GCF की मुख्य विशेषताएं:
 - यह ‘देशों द्वारा संचालित’ सिद्धांत पर आधारित है। इसका आशय है कि विकासशील देश GCF का कार्यक्रम तैयार करने और उसे लागू करने का नेतृत्व करते हैं।
 - फंड आवंटन में संतुलन: GCF के लिए अपने संसाधनों का 50% जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के शमन में निवेश करना और 50% अनुदान जलवायु अनुकूलन हेतु देना अनिवार्य है।
 - यह अनुदान, रियायती ऋण, गारंटी या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के लचीले मिश्रण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

ASF के बारे में:

- ASF भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)¹³¹ के नेतृत्व में शुरू किया गया पहला फंड है।
- ASF एक वेंचर कैपिटल फंड है।
- उद्देश्य: यह फंड प्रारंभिक चरण की जलवायु प्रौद्योगिकी कंपनियों में निवेश करेगा।
- परियोजना का मूल्य: 120 मिलियन डॉलर।
- ASF की रणनीतियों में निम्नलिखित शामिल हैं:
 - कम कार्बन उत्सर्जन वाले और जलवायु-अनुकूल व्यवसायों में निवेश करना।
 - जलवायु और सततता में अग्रणी व्यवसायों के लिए मूल्य संवर्धन करना।

जलवायु संबंधी वित्त-पोषण के लिए अन्य महत्वपूर्ण निधियां

- वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF): इसकी स्थापना 1992 के “रियो पृथ्वी सम्मेलन” में की गई थी।
 - GEF ट्रस्ट फंड की स्थापना पृथ्वी की सबसे गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने में मदद के लिए की गई थी।
- अनुकूलन कोष: इसे 2001 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकार विकासशील देशों की ठोस अनुकूलन परियोजनाओं और कार्यक्रमों को वित्त-पोषित करना है।
- जलवायु निवेश कोष (CIFs): इसे 2008 में स्थापित किया गया था। यह एक बहुपक्षीय जलवायु कोष है।

4.1.6. जलवायु से संबंधित अन्य सुर्खियां (Other Climate Related News)

सुर्खियां	विवरण
‘शहर-विशिष्ट ज़ीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान’ (ZCBAP)	<ul style="list-style-type: none"> • भारत का पहला ‘शहर-विशिष्ट ज़ीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान’ (ZCBAP) नागपुर में शुरू किया गया। • नागपुर के ZCBAP का लक्ष्य 2050 तक सभी इमारतों को नेट ज़ीरो कार्बन इमारतें बनाना है।

¹³¹ Small Industries Development Bank of India

- जीरो कार्बन बिल्डिंग्स वे इमारतें हैं, जो निर्माण और सामग्रियों के इस्तेमाल, रख-रखाव और प्रबंधन तथा एंड ऑफ लाइफ चरणों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी करके अपनी पूरी लाइफ-साइकिल के दौरान अपने पर्यावरणीय प्रदर्शन में सुधार करती हैं। इसमें इमारत के विजुअल और थर्मल कम्फर्ट पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है।
- नागपुर में ZCBAP को जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्सेलेरेटर (ZCBA) प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन भागीदारों के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
 - ZCBA प्रोजेक्ट वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (WRI) ने अपने वैश्विक भागीदारों के साथ 2021 में लॉन्च किया था।
 - नागपुर उन छह वैश्विक शहरों में से एक है, जहां ZCBA प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। अन्य शहर केन्या, कोस्टा रिका, तुर्की और कोलंबिया के हैं।

4.1.7. रिपोर्ट्स और सूचकांक (Reports and Indices)

रिपोर्ट	विवरण
“ट्रेड पॉलिसी टूल्स फॉर क्लाइमेट एक्शन” रिपोर्ट	<ul style="list-style-type: none"> ● जारीकर्ता: विश्व व्यापार संगठन (WTO) ● इस रिपोर्ट में दस व्यापार संबंधी नीतिगत क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। इन्हें सरकारें संधारणीयता को बढ़ावा देने और UNFCCC-COP28 के जलवायु शमन प्रयासों का समर्थन करने के लिए अपनी रणनीतियों में शामिल करने पर विचार कर सकती हैं। ● मुख्य निष्कर्ष: <ul style="list-style-type: none"> ○ कुल कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) उत्सर्जन के लगभग 20-30 प्रतिशत उत्सर्जन के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जिम्मेदार है। ○ ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले GHG उत्सर्जन में 75 प्रतिशत से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं।
“स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023” रिपोर्ट	<ul style="list-style-type: none"> ● जारीकर्ता: विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ● मुख्य निष्कर्ष: <ul style="list-style-type: none"> ○ जलवायु संबंधी कार्रवाई के लिए वित्त-पोषण 2021-22 में 1.3 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया था। यह 2019-20 के स्तर की तुलना में लगभग दोगुना है। <ul style="list-style-type: none"> ■ चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, ब्राजील, जापान और भारत को कुल वित्त पोषण में वृद्धि का 90% हिस्सा प्राप्त हुआ है। ○ वैश्विक ताप वृद्धि को 1.5°C तक सीमित रखने के लिए, जलवायु संबंधी कार्रवाई में वित्तीय निवेश बढ़ाने की जरूरत है। इस निवेश में 2030 तक वर्तमान की तुलना में लगभग छह गुना अधिक वृद्धि करने की आवश्यकता है।

4.2. प्रदूषण (Pollution)

4.2.1. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Programme: NCAP)

सुर्खियों में क्यों?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) द्वारा शुरू किए गए NCAP के 5 साल पूरे हो गए हैं।

NCAP के बारे में

- इसका लक्ष्य सभी हितधारकों को शामिल करके 24 राज्यों के 131 शहरों में वायु की गुणवत्ता में सुधार करना है। इन 131 शहरों में नॉन-अटेनमेंट सिटीज और मिलियन प्लस सिटीज शामिल हैं।
 - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यानी CPCB) ने नॉन-अटेनमेंट सिटीज (NAC) को परिभाषित किया है। CPCB के अनुसार, ऐसे शहर जिनकी वायु गुणवत्ता लगातार 5 वर्षों तक राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) के अनुरूप नहीं रही है, उन्हें नॉन-अटेनमेंट सिटीज (NAC) के रूप में चिन्हित किया जाता है।



- **टारगेट:** इस योजना के तहत साल 2017 को आधार वर्ष मानते हुए 2025-26 तक पार्टिकुलेट मैटर (PM-10 और PM-2.5) की सांद्रता में 40% तक की कमी लाने का टारगेट रखा गया है।
- **कार्यान्वयन:** इसे CPCB द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जा रहा है।
 - इसके तहत, राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों द्वारा राज्य तथा शहरी स्तर (नगर निकाय) पर सिटी एक्शन प्लान (CAP) लागू किया जाता है।
- NCAP के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए 'प्राण (PRANA)' नामक एक पोर्टल भी शुरू किया गया है। 'प्राण (PRANA)' 'पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर-पॉल्यूशन इन NAC' का संक्षिप्त रूप है।
- **NCAP के चलते पिछले 5 वर्षों में हुई प्रगति पर एक नज़र:**
 - कुछ अध्ययनों के अनुसार, 49 शहरों में से 27 शहरों के अंदर PM-2.5 की सांद्रता में कमी देखी गई है।
 - इसी तरह, 46 में से 24 शहरों के अंदर PM-10 की सांद्रता में कमी दर्ज की गई है।
 - आगरा, जोधपुर, वाराणसी जैसे कई शहरों में PM-2.5 और PM-10 की सांद्रता में उल्लेखनीय कमी देखी गई है।

4.2.2. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 {The Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act, 2024}

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, संसद ने जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 पारित किया।

जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 के बारे में

- इसके जरिए जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में संशोधन किया गया है।
- **लागू होना:** वर्तमान में, जल संशोधन अधिनियम, 2024 केवल हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा। गौरतलब है कि उपर्युक्त दोनों राज्यों ने अधिनियम में किए गए संशोधन को स्वीकार करने के लिए संकल्प पारित कर दिया है।
- जल 'राज्य सूची' का एक विषय है तथा इसका उचित उपयोग और प्रबंधन मुख्य रूप से राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। हालांकि, संविधान का अनुच्छेद 252 संसद को किसी भी ऐसे मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है जिसके संबंध में उसके पास विधायी शक्ति का अभाव है।
 - अनुच्छेद 252 के अनुसार, दो या दो से अधिक राज्यों के विधान-मंडल एक संकल्प पारित करके संसद से अनुरोध कर सकते हैं कि संसद राज्य सूची के किसी विषय के बारे में विधि बनाएं। ऐसी विधियों का विस्तार अन्य राज्यों पर तभी होगा जब संबंधित राज्य के विधान-मंडल इस आशय से संकल्प पारित करेंगे।
 - साथ ही, ऐसे अधिनियम को केवल संसद द्वारा ही संशोधित या निरस्त किया जा सकता है।

प्रमुख संशोधन {जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024}

- **जल संशोधन अधिनियम, 2024: SPCB के चेयरमैन चेयरमैन के नामांकन के तौर-तरीके और सेवा-शर्तें केंद्र सरकार निर्धारित करेगी।**
 - जल अधिनियम, 1974 अधिनियम में कहा गया है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन को राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।
- इसमें निर्दिष्ट किया गया है कि केंद्र सरकार, CPCB के परामर्श से, कुछ श्रेणियों के औद्योगिक संयंत्रों को ऐसी अनुमति हासिल करने से छूट दे सकती है।
 - पूर्व में राज्य सरकार को "कुछ श्रेणियों के औद्योगिक संयंत्रों को नए आउटलेट और डिस्चार्ज पर प्रतिबंध से छूट" देने का अधिकार दिया था।
 - इसमें यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार SPCB द्वारा दी गई अनुमति को मंजूरी देने, उसे अस्वीकार करने या रद्द करने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर सकती है।
- अधिनियम कई तरह के उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है और इसके बदले ₹10,000 से ₹15 लाख के बीच जुर्माने का प्रावधान करता है।
 - पूर्व में प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थों को बिना ट्रीटमेंट के खुले में छोड़ने पर 6 साल तक की कैद का प्रावधान था।

- अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि यदि कोई सरकारी विभाग अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो **विभाग के प्रमुख को उसके मूल वेतन के एक महीने के बराबर जुर्माना देना होगा।**
 - पूर्व में सरकारी विभागों द्वारा किए गए अपराधों के लिए **विभागाध्यक्ष को दोषी माना जाता था;** बशर्ते कि वे साबित करें कि इस तरह के उल्लंघन से बचने के लिए उसने सभी सार्थक प्रयास किए थे।
- **मॉनिटरिंग उपकरणों से छेड़छाड़:** पानी के मीटर या गेज जैसे मॉनिटरिंग उपकरणों में **जानबूझकर हेरफेर करने या उनमें गड़बड़ी पहुंचाने पर 10,000 रुपये से 15 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।**
- **निर्णय लेने वाला अधिकारी:** संशोधित अधिनियम केंद्र सरकार को अधिनियम के तहत दंड निर्धारित करने के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी (Adjudicating officer) नियुक्त करने की अनुमति देता है। यह अधिकारी केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव या राज्य सरकार के सचिव स्तर का होना चाहिए।
 - न्याय निर्णयन अधिकारी द्वारा लगाया गया जुर्माना **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के तहत स्थापित **पर्यावरण संरक्षण कोष¹³²** में जमा किया जाएगा।
 - **अपील:** लगाए गए जुर्माने का 10% जमा करने के बाद, न्याय निर्णयन अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ **राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)¹³³** के समक्ष अपील की जा सकती है।

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के बारे में

- यह अधिनियम जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण तथा देश में पानी के स्वच्छता को बनाए रखने या उसे रिस्टोर करने का प्रावधान करता है।
- मूल अधिनियम **25 राज्यों में लागू है।**
- इससे पहले मूल अधिनियम में **दो बार (वर्ष 1988 और 2003 में)** संशोधन हो चुका है।
- **विनियामक निकाय:** केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)¹³⁴ और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB)¹³⁵ का गठन किया गया है।
- **अनुमति:** औद्योगिक इकाइयों को फैक्ट्रियां स्थापित करने से पहले अपने संबंधित राज्य बोर्डों से अनुमति लेना अनिवार्य है।

4.2.3. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (National Mission for Clean Ganga: NMCG)

सुर्खियों में क्यों?

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) ने गंगा नदी (पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश¹³⁶, 2016 में संशोधन करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। यह मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अधीन संचालित किया जा रहा है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस संशोधन के जरिए NMCG को निर्धारित मानकों के अनुरूप “उपचारित अपशिष्ट जल को गंगा नदी में प्रवाहित करने की अनुमति” प्रदान की गई है।
 - गौरतलब है कि इससे पहले किसी भी स्थिति में उपचारित या अनुपचारित सीवेज जल को नदी में प्रवाहित करने पर रोक थी।
- इस कदम का उद्देश्य नदी के **अविरल प्रवाह को बनाए रखना है** ताकि नदी की जैव विविधता में सुधार किया जा सके।

NMCG के बारे में:

- इसे **सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860** के तहत 2011 में एक **सोसायटी के रूप में पंजीकृत** किया गया है। यह जल शक्ति मंत्रालय के अधीन में कार्य करती है।
- **NMCG के लक्ष्य एवं उद्देश्य:**
 - **संपूर्ण नदी बेसिन में प्रदूषण को कम करना और गंगा नदी का पुनरुद्धार करना।**
 - **नदी के जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए नदी में आवश्यक इकोलॉजिकल फ्लो को बनाए रखना।**

¹³² Environment Protection Fund

¹³³ National Green Tribunal

¹³⁴ Central Pollution Control Boards

¹³⁵ State Pollution Control Boards

¹³⁶ River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order

- यह राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करती है।
 - गंगा नदी के कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय परिषद (जिसे राष्ट्रीय गंगा परिषद कहा जाता है) के गठन के परिणामस्वरूप, 2016 में NGRBA को भंग कर दिया गया था।
- इसमें दो स्तरीय प्रबंधन संरचना शामिल हैं:
 - गवर्निंग काउंसिल (शासी परिषद्) और कार्यकारी समिति। इन दोनों की अध्यक्षता NMCG के महानिदेशक करते हैं।

नमामि गंगे कार्यक्रम के बारे में

- यह कार्यक्रम 2014 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य 2021 तक गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों का पुनरुद्धार या कायाकल्प करना था।
- हालांकि, वर्तमान में इस कार्यक्रम को 2026 तक बढ़ा दिया गया है।
- इस कार्यक्रम के निम्नलिखित 8 स्तंभ हैं:
 - सीवेज उपचार; रिवर फ्रंट का विकास; नदी की सतह की सफाई; वनीकरण; जैव विविधता; सार्वजनिक जागरूकता; बहिष्कार का प्रबंधन और गंगा ग्राम।

4.2.4. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024 {Plastic Waste Management (Amendment) Rules, 2024}

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, लोक लेखा समिति (PAC) ने संसद में "प्लास्टिक के कारण प्रदूषण¹³⁷" शीर्षक से एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट के मद्देनजर सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024 (PMW नियम, 2024) को अधिसूचित किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- केंद्र सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम¹³⁸, 1986 की धारा 3, 6 और 25 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए PWM नियम, 2016 में संशोधन किया है।

PWM नियम, 2016 (2024 में संशोधित)

- PWM नियम, 2016 (2024 में संशोधित) को भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रभावी और वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए बनाया गया था।
- ये नियम अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत, विनिर्माता, आयातक, उत्पादक और ब्रांड मालिक सभी पर लागू हैं।
- 30 सितंबर, 2021 से प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन कर दी गई थी। इसके बाद 31 दिसंबर, 2022 से इसकी न्यूनतम मोटाई को बढ़ाकर 120 माइक्रोन कर दिया गया है।
- कम उपयोगी और अधिक कचरा फैलाने वाले कुछ सिंगल यूज प्लास्टिक (SUP) पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- इसके तहत 'विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR)¹³⁹' प्रणाली की शुरुआत की गई थी।

PWM नियम, 2024 के प्रमुख प्रावधानों पर एक नज़र

- स्थानीय निकायों की दी गई नई जिम्मेदारियां:
 - मूल्यांकन तंत्र: नए नियमों के अनुसार, डंप साइटों में मौजूद प्लास्टिक कचरे/ अपशिष्ट के साथ-साथ उत्पन्न प्लास्टिक कचरे का वार्षिक आकलन करने का कार्य स्थानीय निकायों को करना होगा। इसके अलावा, स्थानीय निकाय अगले पांच वर्षों की अवधि में उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक कचरे की मात्रा का भी अनुमान लगाएंगे।
 - अब स्थानीय निकायों को स्वयं द्वारा या अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर प्लास्टिक कचरे के पृथक्करण, संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान के लिए आवश्यक अवसंरचना स्थापित करने अथवा उसका विकास करने का दायित्व सौंपा गया है। हालांकि, स्थानीय निकाय ऐसी अवसंरचना का विकास उत्पादक/ हितधारकों के साथ मिलकर नहीं कर सकते हैं।

¹³⁷ Pollution caused by Plastic

¹³⁸ Environment (Protection) Act

¹³⁹ Extended Producers Responsibility

- आयातक, विक्रेता, निर्माता आदि की परिभाषाओं में बदलाव किया गया है।
- बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की सटीक परिभाषा।
- FSSAI¹⁴⁰ से प्रमाण-पत्र: PWM नियम, 2024 में कम्पोस्टेबल या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक (या वस्तुओं) के विनिर्माताओं के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे खाद्य पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के लिए CPCB के अलावा FSSAI से भी प्रमाण-पत्र प्राप्त करें।
- अलग-अलग प्रकार के प्लास्टिक पर लेबल के लिए सटीक दिशा-निर्देश:
 - रीसाइकल्ड प्लास्टिक उत्पाद के लिए: 'रीसाइकल्ड' के लेबल में रीसाइकल्ड प्लास्टिक की मात्रा को दर्शाया जाएगा।
 - कम्पोस्टेबल: कम्पोस्टेबल प्लास्टिक के उत्पाद पर 'केवल औद्योगिक कम्पोस्टिंग के तहत कम्पोस्टेबल¹⁴¹' लेबल लगा होगा।
 - बायोडिग्रेडेबल: बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से बने उत्पाद पर 'बायोडिग्रेडेबल' का लेबल होगा। इसमें यह उल्लेख होगा कि उत्पाद का कितने दिनों में और किन दशाओं (मिट्टी, लैंडफिल, पानी आदि) में बायोडिग्रेडेशन हो सकता है।

4.2.5. बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024 {Battery Waste Management (Amendment) Rules, 2024}

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 में संशोधन किया है।

नए नियमों द्वारा किए गए कुछ प्रमुख बदलावों पर एक नज़र

विवरण	बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022	बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024
अपशिष्ट बैटरी के लिए प्रमाण-पत्र का प्रावधान	<ul style="list-style-type: none"> • 2022 के नियमों के अनुसार, CPCB द्वारा केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के जरिए EPR प्रमाण-पत्र पुनर्चक्रणकर्ता/ नवीनीकरण करने वालों को प्रदान किया जाता है। ये प्रमाण-पत्र पुनर्चक्रित या नवीनीकृत की गई मात्रा के आधार पर तैयार किए जाते हैं। <ul style="list-style-type: none"> ○ पुनर्चक्रणकर्ता/ नवीनीकरण करने वाले अपशिष्ट बैटरियों के बदले में उत्पादकों को EPR प्रमाण-पत्र बेच सकते हैं। 	<ul style="list-style-type: none"> • CPCB द्वारा EPR प्रमाण-पत्र की खरीद-बिक्री हेतु अधिकतम और न्यूनतम मूल्य का निर्धारण किया जाएगा। <ul style="list-style-type: none"> ○ यह राशि EPR के तहत निर्धारित दायित्वों को पूरा न करने वाली संस्थाओं पर लगाए जाने वाले पर्यावरणीय मुआवजे के क्रमशः 100% और 30% के बराबर होगी। • पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत संस्थाओं के बीच EPR प्रमाण-पत्र की खरीद-बिक्री का मूल्य अधिकतम और न्यूनतम मूल्य के बीच ही होना चाहिए।
उल्लंघन होने की स्थिति में उचित कार्रवाई और पर्यावरणीय मुआवजे का प्रावधान	<ul style="list-style-type: none"> • CPCB द्वारा एक कार्यान्वयन समिति¹⁴² का गठन किया गया है। यह समिति इन नियमों के तहत अपशिष्ट बैटरियों के नवीनीकरण और पुनर्चक्रण करने वालों को अपने निर्धारित दायित्वों को पूरा न करने के संबंध में उन पर पर्यावरणीय मुआवजा लगाने और उसे वसूलने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करती है। • समिति के द्वारा सुझाए गए दिशा-निर्देशों को MoEF&CC को सौंप दिया जाता है। 	<ul style="list-style-type: none"> • अब, CPCB इन दिशा-निर्देशों को तैयार करेगा और उनकी सिफारिश करेगा। <ul style="list-style-type: none"> ○ इन दिशा-निर्देशों को तैयार करने के लिए CPCB चाहे तो कार्यान्वयन समिति के साथ परामर्श कर सकता है। • सुझाए गए दिशा-निर्देश MoEF&CC को सौंपे जाएंगे।

¹⁴⁰ Food Safety and Standards Authority of India/ भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

¹⁴¹ Compostable only under industrial composting

¹⁴² Committee for Implementation

बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 के बारे में

- अपशिष्ट बैटरियों का पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए MoEF&CC ने बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 को जारी किया था। गौरतलब है कि MoEF&CC ने ये नियम पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत जारी किए थे।
 - बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 को बैटरी (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2001 के स्थान पर लाया गया था।
 - इन नियमों को पहले 2023 में और अभी हाल ही में 2024 में संशोधित किया गया है।
- बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 के प्रमुख प्रावधानों पर एक नज़र:
 - विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR):** इसके तहत बैटरियों के उत्पादनकर्ताओं (आयातकों सहित) को अपशिष्ट बैटरियों के संग्रहण, पुनर्चक्रण/ नवीनीकरण और बैटरी अपशिष्ट से प्राप्त सामग्रियों का उपयोग नई बैटरियों के विनिर्माण में करने के उत्तरदायित्व को शामिल किया गया है।
 - केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल:** इस पोर्टल के जरिए उत्पादकों और पुनर्चक्रणकर्ता/ नवीनीकरण करने वालों (Recyclers/ Refurbishes) के बीच EPR प्रमाण-पत्रों का आदान-प्रदान किया जाता है।
 - रिकवरी को अनिवार्य करना:** इन नियमों के तहत अपशिष्ट बैटरियों से निश्चित मात्रा में उपयोगी सामग्री को रिकवर करना अनिवार्य किया गया है।
 - प्रदूषक द्वारा भुगतान का सिद्धांत:** EPR के लक्ष्यों को पूरा न करने की स्थिति में पर्यावरणीय मुआवजे का प्रावधान किया गया है।
 - मुआवजे के जरिए जुटाए गए धन का उपयोग अपशिष्ट बैटरियों के संग्रहण या संग्रहित और पुनर्चक्रित नहीं की गई अपशिष्ट बैटरियों के नवीनीकरण में किया जाएगा।

4.2.6. रिपोर्ट्स और सूचकांक (Reports and Indices)

रिपोर्ट	विवरण
वायु गुणवत्ता रिपोर्ट (Air Quality Report), 2023	<ul style="list-style-type: none"> जारीकर्ता: एक स्विस संगठन IQAir ने वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, 2023 जारी की है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र: <ul style="list-style-type: none"> खराब वायु गुणवत्ता के मामले में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद भारत का तीसरा स्थान है। नई दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी माना गया है। बिहार का बेगुसराय, दुनिया के सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र के रूप में सामने आया है। भारत में 1 अरब से अधिक लोग WHO के अनुशंसित स्तर 5 µg/m3 से अधिक PM2.5 सांद्रता से युक्त वायु में रहने के लिए बाध्य हैं। केवल सात देश ऐसे हैं, जिन्होंने WHO के वार्षिक PM 2.5 दिशा-निर्देशों को पूरा किया है।
संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट	<ul style="list-style-type: none"> जारीकर्ता: यह जल के विषय पर संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक फ्लैगशिप रिपोर्ट है। इसे यू.एन.-वाटर की ओर से 'यूनेस्को वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम (WWAP)' द्वारा प्रकाशित किया गया है। <ul style="list-style-type: none"> यू.एन.-वाटर एक 'समन्वय तंत्र' के रूप में कार्य करता है। इसमें संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश तथा जल एवं स्वच्छता संबंधी मुद्दों पर काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं। इसमें जल और स्वच्छता जुड़े विषयों पर काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र संस्थाएं (सदस्य) और अंतर्राष्ट्रीय संगठन (साझेदार) शामिल हैं। यह जल के विषय पर संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक व प्रमुख रिपोर्ट है।
चौथी ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर (GEM), 2024 रिपोर्ट	<ul style="list-style-type: none"> यह रिपोर्ट UNITAR के सस्टेनेबल साइकिल्स (SCYCLE) प्रोग्राम, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) और फोंडेशन कार्मिनेक के साथ साझेदारी में तैयार की गई है। <ul style="list-style-type: none"> संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (UNITAR) उज्वल भविष्य को आकार देने के लिए वैश्विक निर्णय प्रक्रिया को बेहतर करने और देश-स्तरीय कार्रवाई का समर्थन करता है। इसके लिए यह व्यक्तियों, संगठनों और संस्थानों को नवीन लर्निंग समाधान प्रदान करता है।

- रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:
 - रिकॉर्ड ई-अपशिष्ट उत्पादन: 2022 में 62 मिलियन टन ई-अपशिष्ट उत्पन्न हुआ था। यह 2010 में उत्पन्न हुए ई-अपशिष्ट से 82% अधिक था।
 - पुनर्चक्रण में अंतराल: दुर्लभ मृदा तत्वों (Rare earth element) की मांग का केवल 1% ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण से पूरा होता है।

4.3. जैवविविधता (Biodiversity)

4.3.1. प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन (CMS) की COP 14 {COP 14 Conservation of Migratory Species (CMS)}

सुर्खियों में क्यों?

वन्य प्राणियों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन (CMS) के पक्षकारों के सम्मेलन की चौदहवीं बैठक (COP 14) उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित की गई।

COP-14 के मुख्य आउटकम्स:

- नारा (Slogan): “नेचर नोज़ नो बॉर्डर्स (Nature knows no borders)”
- CMS परिशिष्ट में 14 प्रजातियों को शामिल किया गया है, जिनमें यूरेशियाई लिंक्स, पलास कैट और सैंड टाइगर शार्क आदि शामिल हैं।
- नए समन्वित प्रयास¹⁴³: इसके तहत चिंपांजी, स्ट्रॉ-कलर्ड फ्रूट बैट और ब्लू शार्क सहित छह प्रजातियों को शामिल किया गया है।
- एकल प्रजाति कार्य योजना (SSAPs)¹⁴⁴: यह अटलांटिक हंपबैक डॉल्फिन, हॉक्स बिल टर्टल और एंजेल शार्क जैसी जलीय प्रजातियों के लिए शुरू की गई हैं।
- एग्रीमेंट ऑन सेंट्रल एशियन फ्लाईवे (CAF): इसके तहत प्रवासी पक्षियों की 30 रेंज कंट्रीज को शामिल किया गया है। साथ ही, भारत में एक समन्वय इकाई की स्थापना का भी प्रस्ताव है।
- ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी (GPEC) को शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य प्रवासी प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी को बनाए रखना, उसे बेहतर करना और उनका पुनरुद्धार करना है।

वन्य प्राणियों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन (CMS) या बॉन कन्वेंशन के बारे में

- यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के तहत एक अंतर सरकारी संधि है।
- यह प्रवासी प्राणियों और उनके पर्यावासों के संरक्षण एवं संधारणीय उपयोग के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है।
- इसे 1979 में पेश किया गया था और यह 1983 में लागू हुआ।
- सदस्यता: इसमें अफ्रीका, मध्य और दक्षिण अमेरिका, एशिया, यूरोप और ओशिनिया से 133 पक्षकार शामिल हैं।
 - भारत 1983 से इसका सदस्य है।
 - संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, चीन, रूस इस कन्वेंशन के पक्षकार नहीं हैं।

भारत में महत्वपूर्ण प्रवासी प्रजातियां

	अमूर फाल्कन • IUCN: लिस्ट कंसर्न • CMS: परिशिष्ट II
	बार हेड गीज • IUCN: लिस्ट कंसर्न • CMS: परिशिष्ट II
	ब्लैक नेकड क्रेन्स • IUCN: वल्लनरेबल • CMS: परिशिष्ट I
	हम्बैक ढेल • IUCN: लिस्ट कंसर्न • CMS: परिशिष्ट I
	एशियाई हाथी • IUCN: एनडेंजर्ड • CMS: परिशिष्ट I
	ग्रेट इंडियन बस्टर्ड • IUCN: क्रिटिकली एनडेंजर्ड • CMS: परिशिष्ट I
	बंगाल फ्लोरिकन • IUCN: क्रिटिकली एनडेंजर्ड • CMS: परिशिष्ट I
	स्नो लेपर्ड • IUCN: वल्लनरेबल • CMS: परिशिष्ट I

¹⁴³ New Concerted Actions

¹⁴⁴ Single Species Action Plans

CMS परिशिष्ट:

- **परिशिष्ट I:** इसमें एंडेंजर्ड मानी जाने वाली प्रवासी प्रजातियां शामिल हैं। निकट भविष्य में जिस प्रजाति के विलुप्त होने की संभावना बहुत अधिक होती है, उसे एंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा जाता है।
 - उदाहरण- भारतीय हाथी, ईस्टर्न गोरिल्ला, बोहेड व्हेल, ओरिएंटल सारस आदि।
- **परिशिष्ट II:** इसमें ऐसी प्रवासी प्रजातियां शामिल हैं जिनकी संरक्षण स्थिति प्रतिकूल या बहुत अच्छी नहीं है तथा उनके संरक्षण और प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते अनिवार्य हैं।
 - उदाहरण- अफ्रीकी बुश और फॉरेस्ट एलिफेंट, डुगोंग, शेर आदि।

CMS के COP-14 के बारे में

- यह कन्वेंशन का निर्णय लेने वाला प्रमुख निकाय है।
- इसकी बैठक हर 3 साल में होती है। इस बैठक में अगले तीन वर्षों के लिए बजट और प्राथमिकताएं तय की जाती हैं।
- यह परिशिष्टों में संशोधन पर भी निर्णय लेता है और पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करता है।

विश्व की प्रवासी प्रजातियों की स्थिति

- **CMS का COP-14:** इसके तहत पहली बार "विश्व की प्रवासी प्रजातियों की स्थिति¹⁴⁵" रिपोर्ट जारी की गई।
- **इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:**
 - **गिरावट:** CMS के तहत सूचीबद्ध लगभग 44% प्रवासी प्रजातियों की आबादी में गिरावट देखी जा रही है।
 - **विलुप्ति:** CMS के तहत सूचीबद्ध 22% से अधिक प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है।
 - **मछली:** CMS के तहत सूचीबद्ध लगभग 97% मछली प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है।
 - **कवरेज का अभाव:** विश्व स्तर पर 399 प्रवासी प्रजातियां जो थ्रेटेंड (संकटग्रस्त) या नियर थ्रेटेंड (विलुप्त होने के निकट) हैं, वर्तमान में CMS के तहत सूचीबद्ध नहीं हैं।

भारत और CMS

- भारत ने निम्नलिखित के संरक्षण और प्रबंधन पर CMS के साथ एक गैर-कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं:
 - साइबेरियाई क्रेन (1998), समुद्री कछुए (2007), डुगोंग (2008), और रैफ्टर्स (2016)
- भारत ने 2020 में गांधीनगर (गुजरात) में CMS के COP-13 की मेजबानी की थी।
- भारत CMS की 2 विशेष प्रजाति पहलों, यथा- मध्य एशियाई फ्लाईवे और मध्य एशियाई स्तनधारी पहल का हिस्सा है।
- जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI) ने पहली बार CMS के तहत COP-13 से पहले भारत की प्रवासी प्रजातियों की सूची संकलित की थी।

PT 365 - अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटीरियल

PHILOSOPHY/ दर्शनशास्त्र

by

ANOOP KUMAR SINGH

Classroom Features:

- ☑ Comprehensive, Intensive & Interactive Classroom Program
- ☑ Step by Step guidance to aspirants for understanding the concepts
- ☑ Develop Analytical, Logical & Rational Approach
- ☑ Effective Answer Writing
- ☑ Printed Notes
- ☑ Revision Classes
- ☑ All India Test Series Included

Offline Classes @

JAIPUR | PUNE | AHMEDABAD

Answer Writing Program for Philosophy (QIP)
Overall Quality Improvement for Philosophy Optional

हिन्दी माध्यम में भी उपलब्ध


¹⁴⁵ State of the World's Migratory Species

4.3.2. रामसर कन्वेंशन (Ramsar Convention)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की वैश्विक सूची में भारत की 5 आर्द्रभूमियों (Wetlands) को जोड़ा गया है। इससे भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है।

रामसर कन्वेंशन में शामिल नई आर्द्रभूमियाँ



अघनाशिनी ज्वारनदमुख (Estuary)

- यह अघनाशिनी नदी और अरब सागर के संगम पर स्थित है।
- इस ज्वारनदमुख के क्षेत्र में पारंपरिक रूप से चावल के खेतों में मछली पालन किया जाता है। इन खेतों को स्थानीय रूप से गजनी राइस फ़िल्ड्स के रूप में जाना जाता है।

मगदी केरे संरक्षण रिज़र्व

- यह एक मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। इसका निर्माण सिंचाई के लिए वर्षा जल को संग्रहित करने हेतु किया गया था।
- यह दक्षिण भारत में बार-हेडेड गूज़ (हंस) के लिए सबसे बड़े शीतकालीन आश्रय स्थलों में से एक है।

अंकसमुद्र पक्षी संरक्षण रिज़र्व

- यहाँ एक मानव निर्मित ग्राम सिंचाई टैंक है। इसे सदियों पहले बनाया गया था।
- यह पेटेड स्टॉर्क और ब्लैक-हेडेड आइबिस का पर्यावास स्थल है।

कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य

- यह पिन-टेल्ड बत्तख, गार्गेनी, नॉर्दन शॉवेलर, कॉमन पोचार्ड, यूरोशियन विजियन, कॉमन टील और कॉटन टील का पर्यावास स्थल है।

लॉन्गवुड शोला रिज़र्व वन

- यह एक वनाच्छादित आर्द्रभूमि है। यह ब्लैक-चिन्ड नीलगिरी लाफिंग थ्रश, नीलगिरी ब्लू रॉबिन, नीलगिरी वुड-पिजन आदि का पर्यावास स्थल है।

रामसर कन्वेंशन के बारे में

- रामसर कन्वेंशन को 1971 में अपनाया गया था। यह एक अंतर-सरकारी संधि है।
- यह आर्द्रभूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण एवं उनके बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करती है।
- रामसर स्थल घोषित होने के लिए किसी आर्द्रभूमि को 9 मानदंडों में से कम-से-कम 1 को पूरा करना होता है। जैसे कि नियमित रूप से 20,000 या अधिक जल पक्षियों को आश्रय प्रदान करना या जैविक विविधता का संरक्षण करना आदि।
- भारत ने 1982 में इस कन्वेंशन की अभिपुष्टि की थी। दो नए स्थलों के शामिल होने के साथ भारत में तमिलनाडु में रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक हो गई है।

4.3.3. यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप (United Nation World Restoration Flagship)

सुर्खियों में क्यों?

तराई आर्क लैंडस्केप (TAL) को 'यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप' के रूप में मान्यता दी गई।

वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप के बारे में:

- इस कार्यक्रम को 2022 में शुरू किया गया था।
- यह पारिस्थितिकी-तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक (2021-30) के तहत मान्यता प्राप्त है।
- इसका नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP), खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) तथा अन्य भागीदार संगठन कर रहे हैं।
- उद्देश्य: प्रत्येक महाद्वीप और महासागर में पारिस्थितिक-तंत्र के क्षरण को रोकना, नियंत्रित करना और पूर्व की स्थिति बहाल करना।
- चयन संबंधी मानदंड: भौगोलिक और सफलता की संभावना के मानदंड के आधार पर।
- फ्रेमवर्क फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन मॉनिटरिंग के माध्यम से प्रगति की निगरानी की जाती है।
- TAL के साथ 6 अन्य पहलों को भी मान्यता दी गई है (इन्फोग्राफिक देखें)।
 - मान्यता प्राप्त पहले संयुक्त राष्ट्र की ओर से तकनीकी व वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगी।
 - 2022 में नमामि गंगे पहल को भी इसके अंतर्गत मान्यता दी गई थी।

मान्यता प्राप्त अन्य 6 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप इनिशिएटिव



तराई आर्क लैंडस्केप (TAL) के बारे में:

- यह एक ट्रांस-बाउंड्री बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। TAL कार्यक्रम को 2001 में लॉन्च किया गया था।
- TAL बाघों, गैंडों, हाथियों आदि के लिए महत्वपूर्ण पर्यावास (Critical habitats) है।
- इसका लक्ष्य तराई और चुरिया पहाड़ियों के पारिस्थितिकी-तंत्र का संरक्षण करना है।
- इसमें कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व, राजाजी नेशनल पार्क जैसे कई संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं।
- TAL पूर्व में बागमती नदी (नेपाल) से पश्चिम में यमुना नदी (भारत) तक 900 कि.मी. से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है।

4.3.4. वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम (WPA), 2022 के तहत नए नियम अधिसूचित {New Rules Notified under the Wild life (Protection) Amendment Act (WPA), 2022}

सुर्खियों में क्यों?

पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम (WPA), 2022 के तहत कई नए नियम अधिसूचित किए हैं।

नियम	विवरण
वन्यजीव (संरक्षण) लाइसेंसिंग (विचार के लिए अतिरिक्त मामले) नियम, 2024	<ul style="list-style-type: none"> • इन नियमों ने वन्यजीव (संरक्षण) लाइसेंसिंग (विचार के लिए अतिरिक्त मामले) नियम, 1983 की जगह ली है। • नए नियम, 2024 के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र: <ul style="list-style-type: none"> ○ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध किसी वन्यजीव के व्यापार के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। कुछ मामलों में केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से ये लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं। <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1983 के नियमों के तहत वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA), 1972 के अंतर्गत अनुसूची-I या अनुसूची-II के भाग-II के तहत वर्गीकृत वन्यजीवों के व्यापार के लिए लाइसेंस जारी करने पर रोक लगाई गई थी।

	<ul style="list-style-type: none"> मुख्य वन्य-जीव संरक्षक या एक प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा कुछ मापदंडों के आधार पर वन्यजीव व्यापार के लिए लाइसेंस जारी करते हैं। इन मापदंडों में निम्नलिखित शामिल हैं: <ul style="list-style-type: none"> पहले से लाइसेंस होना, तथा लाइसेंस जारी होने से वन्यजीवों के शिकार या व्यापार पर प्रभाव।
<p>जीवित प्राणी प्रजातियां (रिपोर्टिंग और रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> इन नियमों को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम (WPA), 1972 की धारा 63 के तहत अधिसूचित किया गया है। ये WPA, 1972 की धारा 49M के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अधिसूचित किए गए हैं। <ul style="list-style-type: none"> धारा 49M: यह किसी व्यक्ति द्वारा उन जीवित अनुसूचित प्राणी प्रजातियों के अपने कब्जे में रखने, स्थानांतरण करने और जन्म के पंजीकरण एवं मृत्यु की रिपोर्टिंग का प्रावधान करती है, जो CITES के परिशिष्टों या WPA, 1972 की अनुसूची IV में सूचीबद्ध हैं। इस धारा को वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 के माध्यम से जोड़ा गया था। मुख्य नियमों पर एक नज़र: <ul style="list-style-type: none"> किसी प्राणी प्रजाति को अपने कब्जे (Possession) में रखने हेतु पंजीकरण के लिए आवेदन: प्रत्येक व्यक्ति, जिसके कब्जे में कोई प्राणी प्रजाति है, उसे 6 महीने के भीतर अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप में पंजीकरण कराना होगा। जन्म की रिपोर्टिंग और पंजीकरण: प्रत्येक व्यक्ति, जिसके कब्जे में कोई प्राणी प्रजाति है, उसे ऐसी प्राणी प्रजाति की संतान के जन्म की रिपोर्टिंग करनी होगी तथा सात दिनों के भीतर इसके पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। जिस व्यक्ति के पास किसी प्राणी प्रजाति के होने का पंजीकरण है, उसे ऐसे प्राणी के किसी अन्य को हस्तांतरण करने के बारे में 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट करनी होगी। इसमें जानवरों की नियमित स्वास्थ्य जांच के माध्यम से कैप्टिव ब्रीडिंग में शामिल लोगों के लिए स्टॉक का रखरखाव, किसी प्राणी प्रजाति के भागने की सूचना देना आदि शामिल है।
<p>बंदी हाथी (स्थानांतरण या परिवहन) नियम, 2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> बंदी हाथियों (Captive elephants) के स्थानांतरण के लिए आवेदन, हाथी के पंजीकरण वाले अधिकार क्षेत्र के उप वन-संरक्षक (DCF) को करना होगा। आवेदन प्राप्त होने पर, DCF निम्नलिखित कार्य करेगा: <ul style="list-style-type: none"> एक पशु चिकित्सक से प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा; उन जगहों (जहां वर्तमान में हाथी को रखा गया है और जहां उस हाथी को आगे रखे जाने का प्रस्ताव है) की जांच व वहां जाकर सत्यापन करेगा; 15 दिनों के भीतर मुख्य वन्यजीव वार्डन (CWW) को आवेदन/ रिपोर्ट भेजेगा। राज्य के भीतर हाथियों का स्थानांतरण: रिपोर्ट की जांच के बाद, मुख्य वन्यजीव वार्डन 7 दिनों के भीतर बंदी हाथियों के स्थानांतरण की अनुमति देगा या आवेदन नामंजूर कर देगा। राज्यों के बाहर हाथियों का स्थानांतरण: जिस राज्य में हाथी को बंदी अवस्था में रखा गया है, उस राज्य का मुख्य वन्यजीव वार्डन 15 दिनों के भीतर बंदी हाथी प्राप्त करने वाले राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को आवेदन भेज देगा। स्थानांतरण के लिए नियम और शर्तें: <ul style="list-style-type: none"> स्थानांतरण की अनुमति तभी दी जाएगी, जब हाथी का मालिक इसका रखरखाव करने में असमर्थ हो; जब तक हाथी की आनुवंशिक प्रोफाइल MoEF&CC की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी एप्लिकेशन में दर्ज नहीं की जाती तब तक स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी इत्यादि। वैधता: <ul style="list-style-type: none"> हाथी के स्थानांतरण की अनुमति मिलने की तारीख से तीन महीने के भीतर स्थानांतरण करना होगा। ट्रांसपोर्ट परमिट की वैधता अधिकतम एक माह की होगी।

नोट: वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम (WPA), 2022 के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, कृपया PT 365 पर्यावरण (अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023) डॉक्यूमेंट में आर्टिकल 3.2.2. {वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम (WPA), 2022} देखें।

4.3.5. वन की परिभाषा (Definition of Forest)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 1996 में टी.एन. गोदावर्मन तिरुमुलपाद बनाम भारत संघ वाद में दिए गए फैसले में निर्धारित "वन" की परिभाषा का पालन करने का निर्देश दिया है।

पृष्ठभूमि: वन भूमि की परिभाषा से संबंधित इतिहास

- टी.एन. गोदावर्मन वाद (1996) बनाम भारत संघ: "वन" की परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें निम्नलिखित को भी शामिल किया गया:
 - स्वामित्व, मान्यता और वर्गीकरण के निरपेक्ष, किसी भी सरकारी (संघ और राज्य) रिकॉर्ड में 'वन' के रूप में दर्ज सभी क्षेत्र।
 - वे सभी क्षेत्र जो 'शब्दकोश' में वन के अनुरूप हैं।
 - वे क्षेत्र जिन्हें 1996 के आदेश के बाद राज्य सरकारों द्वारा गठित विशेषज्ञ समितियों द्वारा 'वन' के रूप में निर्धारित किया गया है।
- वन संरक्षण (संशोधन) (FCA) अधिनियम, 2023: इसके तहत वन भूमि से आशय है-
 - भारतीय वन अधिनियम, 1927 या अन्य कानूनों के तहत वन के रूप में घोषित/ अधिसूचित भूमि।
 - 1980 या उसके बाद सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज भूमि।
 - इसमें वह भूमि शामिल नहीं है जिसे 1996 में या उससे पहले आधिकारिक तौर पर वन उपयोग से गैर-वन उद्देश्यों के लिए उपयोग में बदल दिया गया है।
- वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023: नियम 16 के अनुसार, राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन को एक वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी भूमियों का एक समेकित रिकॉर्ड तैयार करना होगा, जिस पर वन संरक्षण (संशोधन) (FCA) अधिनियम, 2023 के प्रावधान लागू होते हैं।
 - इसके तहत वन क्षेत्र में शामिल है- इस प्रयोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा चिन्हित क्षेत्र, अवर्गीकृत वन भूमि या सामुदायिक वन भूमि आदि।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

- टी.एन. गोदावर्मन फैसले के सिद्धांतों को बरकरार रखना: वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के नियम 16 के तहत राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा प्रक्रिया पूरी होने तक टी.एन. गोदावर्मन मामले में कोर्ट द्वारा स्पष्ट किए गए सिद्धांतों का पालन जारी रखा जाना चाहिए।
- वन का व्यापक अर्थ: राज्य सरकारों और UT प्रशासन टी.एन. गोदावर्मन निर्णय के अनुसार "वन" के अर्थ के दायरे का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। इसमें वे भूमि भी शामिल हो सकती हैं जो संरक्षण के योग्य हैं।
- अन्य प्रमुख दिशा-निर्देश:
 - डेटाबेस का निर्माण करना: राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों को विशेषज्ञ समितियों (टी.एन. गोदावर्मन निर्णय के अनुसार गठित) द्वारा "वन" के रूप में दर्ज की गई सभी भूमि का एक समेकित रिकॉर्ड केंद्र सरकार को प्रस्तुत करना चाहिए।
 - इन रिकॉर्ड्स को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) द्वारा मंटेन किया जाएगा और उसे डिजिटल रूप प्रदान किया जाएगा। साथ ही, अप्रैल, 2024 तक इस रिकॉर्ड को MoEF&CC की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।
 - चिड़ियाघर के निर्माण में अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपाय: किसी भी सरकार या प्राधिकरण द्वारा चिड़ियाघर या सफारी की स्थापना के लिए अंतिम मंजूरी देने से पहले कोर्ट की पूर्व मंजूरी आवश्यक है।
 - FCA अधिनियम, 2023 ने संरक्षित क्षेत्रों के अलावा अन्य वन क्षेत्रों में चिड़ियाघर या सफारी की स्थापना को गैर-वन उद्देश्यों की परिभाषा से बाहर रखा है।

वन संरक्षण संशोधन अधिनियम (2023) के अन्य प्रमुख प्रावधान

- नया नाम: "वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980"
- प्रस्तावना को जोड़ा गया: इसमें राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान और अन्य राष्ट्रीय लक्ष्य शामिल हैं।

- गैर-वन उद्देश्यों की परिभाषा से बाहर की गई गतिविधियां:
 - संरक्षित क्षेत्रों के अलावा अन्य वन क्षेत्रों में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत चिड़ियाघर और सफारी की स्थापना करना;
 - क्षेत्र की योजनाओं में शामिल इको-पर्यटन सुविधाएं;
 - सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन, जिसमें रिजनरेशन ऑपरेशंस भी शामिल हैं; और
 - केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य उद्देश्य।
- निम्नलिखित कैटेगरी की भूमि को इस अधिनियम के प्रावधान के अधीन नहीं रखा गया है:
 - किसी शहरों या कस्बों को कनेक्टिविटी प्रदान करने वाले प्रोजेक्ट या रेलवे प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय महत्व की और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित परियोजनाएं।
- राज्य सरकारों को सरकारी संस्थाओं (पहले केवल निजी संस्थाओं के लिए आवश्यक) को पट्टे के माध्यम से या अन्य तरीके से वन भूमि आवंटित करने से पहले केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक है।

4.3.6. जैव विविधता विरासत स्थल (Biodiversity Heritage Site)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, ओडिशा के कोरापुट जिले में गुप्तेश्वर वन को राज्य का चौथा जैव विविधता-विरासत स्थल (BHS) घोषित किया गया है।

गुप्तेश्वर वन के बारे में

- यह 350 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह गुप्तेश्वर शिव मंदिर के नजदीक अवस्थित है। मंदिर चूना पत्थर से बनी प्राकृतिक गुफा में है।
- यह ओडिशा के सबसे दक्षिणी भाग और पूर्वी घाट का हिस्सा है।
- अपने पवित्र उपवनों के कारण इसका अत्यधिक सांस्कृतिक महत्व है।
- इस जगह पर कई तरह की वनस्पतियां और जीव पाए जाते हैं।
 - प्रमुख जीव-जंतु प्रजातियां: मगर क्रोकोडाइल, कांगेर घाटी रॉक गेको, साधारण पहाड़ी मैना, सफेद पेट वाला कठफोड़वा, बैंडेड वे कोयल आदि।
 - प्रमुख वनस्पति प्रजातियां: यहां इंडियन ट्रम्पेट, इंडियन स्नैकरूट, कुम्बी गम, गार्लिक पियर जैसे औषधीय पादप पाए जाते हैं। हालांकि ये पादप संकटग्रस्त हैं।

जैव विविधता-विरासत स्थल (BHS)¹⁴⁶ के बारे में

- BHS अपने विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र और समृद्ध जैव-विविधता के लिए जाने जाते हैं। ये स्थल पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील होते हैं, जिसमें स्थलीय, तटीय और अंतर्देशीय जलीय और समुद्री पारितंत्र आदि शामिल होते हैं (इन्फोग्राफिक देखें)।
- जैव-विविधता अधिनियम (BDA)¹⁴⁷, 2002 की धारा 37 के तहत राज्य सरकार स्थानीय निकायों के परामर्श से जैव-विविधता महत्व वाले क्षेत्र को BHS के रूप में अधिसूचित कर सकती है।

BHS के निर्धारण के लिए मानदंड

- प्राकृतिक, अर्ध-प्राकृतिक या मानव निर्मित क्षेत्र, जहां संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण जैव विविधता मौजूद है।
- ऐसे क्षेत्र, जहां की मौजूदा कृषि पद्धतियों में घरेलू जैव विविधता घटक और/ या स्थानीय एग्रो-इकोसिस्टम शामिल है।
- जैव विविधता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सांस्कृतिक क्षेत्र, जैसे- पवित्र उपवन/ पेड़ और स्थल या समुदाय द्वारा संरक्षित अन्य क्षेत्र।
- ऐसे क्षेत्र जो दुर्लभ, संकटापन्न एवं मूल (स्थानिक) जंतुओं और वनस्पतियों के लिए पर्यावास या गलियारा प्रदान करते हैं, जैसे- समुदाय द्वारा संरक्षित क्षेत्र या शहरी हरित क्षेत्र एवं आर्द्रभूमि।
- सभी प्रकार की वैध भूमि, जिसमें सरकारी या निजी भूमि क्षेत्र की कुछ श्रेणियों को सम्मिलित किया जा सकता है।
- ऐसे क्षेत्र जो कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के संशोधन अनुसार संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में सम्मिलित नहीं किए गए हैं।
- आहार और प्रजनन के लिए मौसमी प्रवासी प्रजातियों के पर्यावास वाले क्षेत्र।
- वे क्षेत्र जिन्हें वन विभाग के अनुसंधान डिविजन द्वारा संरक्षित भू-खंड के रूप में बनाए रखा गया है।
- औषधीय पादप संरक्षण क्षेत्र।

¹⁴⁶ Biodiversity-Heritage Site

¹⁴⁷ Biological Diversity Act



- इसके अलावा, राज्य सरकार केंद्र सरकार के परामर्श से BHS के प्रबंधन और संरक्षण के लिए नियम बना सकती है।
- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA)¹⁴⁸ BDA की धारा 37 के तहत विरासत स्थलों के चयन और प्रबंधन में राज्य सरकार को सलाह प्रदान करता है।
 - NBA पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के अधीन एक स्वायत्त तथा सांविधिक निकाय है।
 - NBA की स्थापना केंद्र सरकार ने 2003 में की थी। इसका काम भारत के जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों को लागू करना है। इसका मुख्यालय चेन्नई में है।
- NBA के अनुसार, फरवरी 2024 तक भारत में कुल 45 BHS हैं।
- BHS का प्रबंधन:
 - जैव विविधता प्रबंधन समिति (BMC)¹⁴⁹ की अनुपस्थिति में संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित BMC या अन्य उपयुक्त संस्था, प्रत्येक BHS का प्रबंधन कर सकती है।
 - जहां भी BHS का विस्तार एक से अधिक स्थानीय निकायों में है, वहां BHS के प्रबंधन की जिम्मेदारी BMC द्वारा गठित प्रबंधन समिति या BMC के अस्तित्व में नहीं होने की स्थिति में स्थानीय निकायों से जुड़े अन्य संबंधित स्थानीय संस्थानों की होगी। हालांकि, स्थानीय संस्थानों के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB) से मंजूरी आवश्यक है।
 - BHS के लिए प्रबंधन योजना बनाने और उसे लागू करने की जिम्मेदारी BMC/ BHS प्रबंधन समिति की होती है। इस तरह के योजना की अवधि पांच से दस साल होनी चाहिए।
 - आम तौर पर, प्रस्तावित BHS के चलते प्रचलित पद्धतियों से संसाधनों के उपयोग के लिए समुदाय पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है।

जैव विविधता प्रबंधन समिति (BMC)¹⁵⁰ के बारे में


- जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 41(1) के तहत, राज्य के प्रत्येक स्थानीय निकाय के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर एक जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन करने का उपबंध किया गया है।
- संरचना: BMC में 7 सदस्य होते हैं। इनका चुनाव संबंधित स्थानीय निकाय की आम सभा में किया जाता है।
 - समिति में कम-से-कम 1/3 महिलाएं और कम-से-कम 18% अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लोग होने चाहिए।
- कार्य:
 - स्थानीय लोगों के परामर्श से जन जैव विविधता रजिस्टर (PBR)¹⁵¹ तैयार करना।
 - नागोया प्रोटोकॉल के प्रावधानों के अनुरूप पहुंच और लाभ साझाकरण को सुगम बनाना।
 - यदि कोई व्यक्ति BMCs के अधिकार क्षेत्र में व्यावसायिक उद्देश्यों हेतु जैव संसाधन एक्सेस/ संग्रह करता है तो BMCs के पास संबंधित व्यक्ति से संग्रहण शुल्क के रूप में शुल्क वसूलने का अधिकार है।

¹⁴⁸ National Biodiversity Authority

¹⁴⁹ Biodiversity Management Committee

¹⁵⁰ Biodiversity Management Committee

¹⁵¹ Peoples' Biodiversity Register



4.3.7. भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति (Status of Snow Leopards in India)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने "भारत में तेंदुओं की स्थिति, 2022" रिपोर्ट जारी की।


अन्य संबंधित तथ्य

- यह रिपोर्ट 'भारत में हिम तेंदुए की आबादी का आकलन (SPA)¹⁵² प्रोग्राम' का एक आउटकम है। यह प्रोग्राम 2019 से 2023 तक चलाया गया था।

¹⁵² Snow Leopard Population Assessment in India

- इस प्रोग्राम के तहत हिम तेंदुए की आबादी का वैज्ञानिक तरीके से अनुमान लगाने हेतु पहला प्रयास किया गया है।
- हिम तेंदुए की आबादी का आकलन कार्यक्रम के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) राष्ट्रीय समन्वयक संस्था है। इस कार्यक्रम को प्राकृतिक रूप से हिम तेंदुए वाले सभी देशों और दो संरक्षण भागीदारों, नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, मैसूर और विश्व वन्यजीव कोष (WWF)¹⁵³-इंडिया के सहयोग से किया आयोजित गया था।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र



भारत में हिम तेंदुए की आबादी का आकलन (SPAI) के बारे में


- SPAI प्रोग्राम को MoEF&CC ने 2019 में शुरू किया था। इसे ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम (GSLEP) के तहत पॉपुलेशन असेसमेंट ऑफ वर्ल्ड्स स्नो लेपर्ड (PAWS) प्रोग्राम के हिस्से के रूप में शुरू किया था।
 - इसे 2013 में बिश्केक घोषणा-पत्र के जरिए स्थापित किया गया था। GSLEP वस्तुतः हिम तेंदुआ के प्राकृतिक पर्यावास वाले सभी 12 देशों और कुछ गैर-सरकारी भागीदारों का एक गठबंधन है।
- SPAI ने देश में ट्रांस-हिमालयी क्षेत्र में हिम तेंदुए की 70 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र को कवर किया है। इन क्षेत्रों में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख तथा जम्मू-कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं।

- भारत में हिम तेंदुओं के 70% पर्यावास अभी भी संरक्षित नहीं है।
- हिम तेंदुए की आबादी की गणना के समक्ष चुनौतियां:
 - उनके पर्यावास का अधिकांश भाग (जो 10,500 से 17,000 फीट की ऊंचाई के बीच है) दुर्गम स्थानों पर स्थित है।
 - बाघों, जेब्रा या यहां तक कि तेंदुओं के विपरीत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर के द्वारा भी हिम तेंदुओं की सही जानकारी नहीं मिल पाती है।

हिम तेंदुए के बारे में

- प्रमुख विशेषताएं:
 - इन्हें मध्यम आकार के कैट्स की श्रेणी में रखा गया है और इनका वजन लगभग 30-55 किलोग्राम होता है।
 - ऊबड़-खाबड़ वातावरण में घूमने के लिए उनके अग्रपाद छोटे और पशु पाद लंबे होते हैं।
 - वे अन्य बिग कैट्स की तरह नहीं दहाड़ते हैं और गैर-आक्रामक फुफकारने की ध्वनि निकालते हैं।
 - इनकी त्वचा पर धुएं जैसे रंग से भरे फर होते हैं जिन पर बहुत हल्के क्रीम और पीले रंग भी होते हैं। फर पर काले धब्बे भी होते हैं। इन धब्बों को रोसेट कहा जाता है, जो प्रत्येक हिम तेंदुए में भिन्न-भिन्न होते हैं।
- पर्यावास (Habitat): हिम तेंदुए प्राकृतिक रूप से 12 देशों में पाए जाते हैं। ये हैं- अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान।
- हिम तेंदुए के संरक्षण हेतु पहलें:
 - GSLEP के अंतर्गत तीन भू-भाग: बहुत अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में हिम तेंदुए की प्रजातियों की बहाली के लिए, भारत ने तीन भू-भाग या क्षेत्रों की

हिम तेंदुए के संरक्षण की स्थिति



स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल 22 प्रजातियों में से एक

¹⁵³ World Wildlife Fund

पहचान की है। ये तीन हैं- लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में हेमिस-स्पीति, उत्तराखंड में नंदा देवी-गंगोत्री और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में कंचनजंगा तवांग।

- प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड
- अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस: इसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। हिम तेंदुओं के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु हर साल 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है।
- पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग में शुरू किया गया स्नो लेपर्ड ब्रीडिंग प्रोजेक्ट दक्षिण पूर्व एशिया में हिम तेंदुओं के सबसे सफल प्रजनन कार्यक्रमों में से एक है।
- लद्दाख और हिमाचल प्रदेश ने इसे अपना राजकीय पशु घोषित किया गया है।

4.3.8. भारत में तेंदुओं की स्थिति (Status of Leopards in India)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने "भारत में तेंदुओं की स्थिति¹⁵⁴, 2022" रिपोर्ट जारी की।

रिपोर्ट के बारे में

- यह तेंदुओं की आबादी की गणना का पांचवां चक्र था। इसका आयोजन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) और भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) ने मिलकर किया था।
 - तेंदुओं की आबादी की गणना राज्य वन विभागों के सहयोग से की गई थी। यह गणना प्रत्येक चार वर्ष पर "बाघ, सह-शिकारी, शिकार और उनके पर्यावास की निगरानी" कार्यक्रम के तहत की जाती है। इस गणना में बाघों के पर्यावास वाले 18 राज्यों में तेंदुओं के वन-पर्यावासों को शामिल किया गया था।
- रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र
 - तेंदुओं की आबादी: भारत में तेंदुओं की अनुमानित संख्या 2022 में बढ़कर 13,874 हो गई थी, जो 2018 में 12,852 थी। यह 2018 की तुलना में प्रति वर्ष 1.08% की वृद्धि है।
 - मध्य भारत और पूर्वी घाट में तेंदुओं की आबादी में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई। वहीं शिवालिक और गंगा के मैदानी इलाकों में इनकी संख्या में गिरावट दर्ज की गई है।
 - तेंदुओं की सबसे अधिक आबादी मध्य प्रदेश में है। उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु का स्थान है।
 - तेंदुओं की सबसे अधिक आबादी वाला टाइगर रिज़र्व: नागार्जुनसागर एवं श्रीशैलम (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना) है। इसके बाद पन्ना और सतपुड़ा (मध्य प्रदेश) टाइगर रिज़र्व हैं।

भारतीय तेंदुए¹⁵⁵ के बारे में

- पोषी पिरामिड (Trophic pyramid) में बाघ, शेर एवं ढोल के साथ तेंदुए का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये पर्यावास एवं आहार संबंधी प्राथमिकताओं में अनुकूलन क्षमता प्रदर्शित करते हैं।
- भारतीय तेंदुए के संरक्षण की स्थिति:



<p>VU</p>	<p>वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972</p> <p>अनुसूची I</p>	<p>परिशिष्ट I</p>
------------------	---	--------------------------

विशेषताएं:

- ये आकार में बिग कैट्स में सबसे छोटा हैं। ये विभिन्न प्रकार के पर्यावासों में रहने में सक्षम होते हैं।

¹⁵⁴ Status of Leopards in India

¹⁵⁵ Panthera pardus fusca/ पैंथेरा पार्डस फुस्का

- ये स्वभाव से एकान्तवासी, छुप के रहने वाले और रात्रिचर होते हैं।
- इनमें मेलानिज़्म एक सामान्य घटना है और मेलानिस्टिक तेंदुओं को ब्लैक पैन्थर कहा जाता है।
- पर्यावास का वितरण: ये भारत, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। ये मँग्रोव वनों और मरुस्थलों में नहीं पाए जाते हैं।
- संरक्षण के लिए शुरु की गई पहलें:
 - इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA);
 - सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट: यह एक लैंडस्केप बेस्ड एप्रोच है जिसका उद्देश्य हिमालय के अधिक ऊंचाई वाले पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा और उसका संरक्षण करना है। यह MoEF&CC और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की एक संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना को वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) द्वारा वित्त-पोषित किया जा रहा है।

4.3.9. राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र {India's first National Dolphin Research Centre (NDRC)}

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, पटना (बिहार) में भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र (NDRC)¹⁵⁶ का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य एंडेजर्ड गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण करना है।

राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र (NDRC) के बारे में

- यह केंद्र वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं द्वारा डॉल्फिन प्रजातियों के संबंध में किए जाने वाले गहन अध्ययन को सुविधाजनक बनाएगा।
- इसके अतिरिक्त, यह केंद्र डॉल्फिन संरक्षण के प्रभावी तरीकों पर मछुआरों को प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा।

गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में

- प्रमुख विशेषताएं:
 - गंगा नदी डॉल्फिन (*Platanista gangetica*) भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानिक प्रजाति है। इसे आमतौर पर 'सूंस' के नाम से जाना जाता है।
 - इसे "टाइगर ऑफ द गंगा" भी कहा जाता है।
 - शारीरिक विशेषताएं: लंबा पतला श्थन, गोल पेट, मजबूत शरीर और बड़े-बड़े फ्लिपर्स।
 - इसके सिर के ऊपर ब्लोहोल के समान एक लंबा चीरा (Slit) होता है, जो नाक का काम करता है।
 - मादा डॉल्फिन आमतौर पर नर से बड़ी होती है और हर दो से तीन साल में एक बच्चे को जन्म देती है।
 - जन्म के समय बच्चों की त्वचा चॉकलेटी भूरी होती है, जबकि वयस्कों की त्वचा भूरे रंग की, चिकनी और बाल रहित होती है।
 - गंगा नदी डॉल्फिन केवल मीठे जल में पाई जाती हैं और शिकार करने तथा नेविगेट करने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करती हैं।
 - इनका तैरने का अनोखा तरीका भोजन खोजने में सहायता करता है। सांस लेने के लिए सतह पर आते समय वे 'सूंस' ध्वनि उत्सर्जित करती हैं।
 - इनके लिए कम से कम 5-8 फीट गहरा जल होना जरूरी है।
 - ये आमतौर पर अशांत पानी में पाई जाती हैं, जहां उनके खाने के लिए पर्याप्त मछलियां होती हैं।

गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन की संरक्षण की स्थिति:



WPA, 1972
अनुसूची-I

"स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम" के तहत शामिल
22 प्रजातियों की सूची में शामिल


परिशिष्ट-I

CMS
प्रवासी प्रजातियों पट कन्वेंशन (CMS) में शामिल

¹⁵⁶ National Dolphin Research Centre

गंगा नदी डॉल्फिन का पर्यावास क्षेत्र

- गंगा नदी डॉल्फिन का पर्यावास क्षेत्र
- डॉल्फिन मौसमी आधार पर पाई जाती है
- डॉल्फिन नहीं पाई जाती है



यह भारत, नेपाल और बांग्लादेश की गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना नदी प्रणाली तथा कर्णफुली-सांगू नदी प्रणाली में पाई जाती है।

• प्रमुख खतरे:


- न चाहते हुए भी शिकार, मछली पकड़ने के जाल में फंसने से अत्यधिक दोहन, डॉल्फिन के तेल के लिए अवैध शिकार, आदि।
- जल परियोजनाओं से आवास का ह्रास, प्रदूषण और बांधों कारण आबादी का अलग-थलग हो जाना।

• डॉल्फिन संरक्षण के लिए शुरू की गई पहलें:

- विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य, बिहार: यह भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य है।
- प्रोजेक्ट डॉल्फिन: इसे प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर शुरू किया गया है। यह गंगा नदी डॉल्फिन के लिए विशेष संरक्षण उपायों पर केंद्रित है, क्योंकि ये अम्ब्रेला प्रजातियां हैं।
 - इस परियोजना का उद्देश्य समुद्री और नदी डॉल्फिन के साथ-साथ संबंधित सिटासियन (Cetaceans) का भी संरक्षण करना है।
 - इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वित्त-पोषित किया जा रहा है।
- राष्ट्रीय जलीय जीव¹⁵⁷: इसे 5 अक्टूबर, 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, जिसे अब राष्ट्रीय गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है।

¹⁵⁷ National Aquatic Animal

4.3.10. सुर्खियों में रहे संरक्षित क्षेत्र (Protected Areas in News)





PT 365 - अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटीरियल

संरक्षित क्षेत्र	विवरण
अरुणाचल प्रदेश	
ईगलनेस्ट वन्यजीव अभयारण्य (EWS)	<ul style="list-style-type: none"> हाल ही में, भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) ने ईगलनेस्ट वन्यजीव अभयारण्य में एक शोध अध्ययन किया था। इस अध्ययन के अनुसार, बढ़ते तापमान की वजह से पक्षी ऊंचे स्थानों की ओर प्रवास करने लगे हैं। भौगोलिक अवस्थिति एवं अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं: <ul style="list-style-type: none"> अवस्थिति: <ul style="list-style-type: none"> यह अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित है। यह पूर्वी हिमालयी जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है। यह उत्तर-पूर्व में सेसा ऑर्किड अभयारण्य और पूर्व में पाखुई/पक्के टाइगर रिजर्व को जोड़ता है। नदी: कामेंग और उसकी सहायक नदियां (टिपी और सेसा) इस अभयारण्य से होकर बहती हैं। वनस्पति: इसमें निम्नलिखित शामिल हैं: <ul style="list-style-type: none"> शंकुधारी शीतोष्ण वन, शंकुधारी उपोष्णकटिबंधीय वन, चौड़ी पत्ती वाले उपोष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार और अर्ध-सदाबहार वन। जीव-जंतु: ब्लिथ ट्रेगोपैन, रूफस-नेकड हॉर्नबिल, रस्टी-बेलिड शॉर्टबिलिंग, बुगुन लियोसिचला (क्रिटिकली एंडेजर्ड) आदि।



असम	
पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य (PWS)	<ul style="list-style-type: none"> असम की कैबिनेट ने पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य को डी-नोटिफाई करने का निर्णय लिया है। यह गैंडों का एक महत्वपूर्ण पर्यावास स्थल है। भौगोलिक अवस्थिति एवं अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं: <ul style="list-style-type: none"> अवस्थिति: यह असम में गुवाहाटी के उपनगरीय क्षेत्र में स्थित है। राजमार्गों रिज़र्व फॉरेस्ट और पोबितोरा रिज़र्व फॉरेस्ट इस अभयारण्य का हिस्सा हैं। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसे "महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र" घोषित किया हुआ है। इंडियन राइनो विज़न (IRV) 2020 के तहत पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य से आठ गैंडों को मानस राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया था। नदी: यह ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। वन प्रकार: उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और घास के मैदान। पोबितोरा रिज़र्व फॉरेस्ट में पाई जाने वाली अन्य प्रजातियां: एक सींग वाला गैंडा (उच्चतम घनत्व), वाइल्ड वॉटर बफैलो, जंगली सूअर, तेंदुआ, कैण्ड लंगूर, पॉर्क्यूपाइन, पैंगोलिन आदि।
हिमाचल प्रदेश	
पोंग बांध वन्यजीव अभयारण्य (PDWS)	<ul style="list-style-type: none"> पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इको-सेंसिटिव जोन (ESZ) से संबंधित एक ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की है। इसमें पोंग बांध वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर एक किलोमीटर के क्षेत्र को इको-सेंसिटिव जोन (ESZ) घोषित किया गया है। भौगोलिक अवस्थिति एवं अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं: <ul style="list-style-type: none"> अवस्थिति: यह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में अवस्थित है। पोंग बांध झील को 2002 में रामसर आर्द्रभूमि स्थल का दर्जा दिया गया था। पोंग में एक गिद्ध कैफे भी स्थित है। इसमें मवेशियों के शवों को गिद्धों को खिलाने के लिए डाल दिया जाता है। संबंधी जलनिकाय: पोंग बांध झील एक मानव निर्मित जलाशय है। इस झील को महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1975 में ब्यास नदी पर पोंग बांध बनाकर किया गया था। <ul style="list-style-type: none"> 1983 में इस जलाशय को वन्यजीव अभयारण्य अधिसूचित किया गया था। जीव-जंतु: तेंदुआ, सांभर हिरण, जंगली सूअर, साही (Porcupine) आदि।
मध्य प्रदेश	
कूनो राष्ट्रीय उद्यान (KNP)	<ul style="list-style-type: none"> प्रोजेक्ट चीता के तहत कूनो में नामीबिया से लाई गई मादा चीता ने चार शावकों को जन्म दिया है। भौगोलिक अवस्थिति एवं अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं: <ul style="list-style-type: none"> अवस्थिति: यह मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियों का हिस्सा है। नदी: इस उद्यान के लिए जल का मुख्य स्रोत कूनो नदी है। वन: शुष्क पर्णपाती वन। वनस्पति एवं जीव-जंतु: यहां मुख्य रूप से करधई, सलाई व खैर के वृक्षों सहित घास के विशाल मैदान, चित्तीदार हिरण, चौसिंघा, नीलगाय, ब्लैक बक, तेंदुआ, जंगली कुत्ता (डोल) आदि भी पाए जाते हैं।
राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य (NCS)	<ul style="list-style-type: none"> हाल ही में, लगभग दो दशकों के बाद NCS में इंडियन ग्रे वुल्फ को देखे जाने की पुष्टि की गई है। भौगोलिक अवस्थिति एवं अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं: <ul style="list-style-type: none"> अवस्थिति: इस संरक्षित क्षेत्र का विस्तार तीन राज्यों में है। इन राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इसे 1979 में चंबल नदी पर एक नदी अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है।

	<ul style="list-style-type: none"> ○ यह एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र (IBA) के रूप में सूचीबद्ध है। साथ ही, यह एक प्रस्तावित रामसर स्थल भी है। ● वन प्रकार: शुष्क पर्णपाती ● वनस्पति और जीव-जंतु: इस अभयारण्य में घड़ियाल व रेड क्राउंड रूफ टर्टल (दोनों क्रिटिकली एंडेंजर्ड) और राष्ट्रीय जलीय जीव-गंगा नदी डॉल्फिन (एंडेंजर्ड) के पर्यावास हैं।
<p>पेंच टाइगर रिज़र्व (PTR)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिज़र्व भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय डार्क स्काई पार्क बन गया है। PTR को रात्रिकालीन आकाश को स्पष्ट रूप से देखने लायक बनाने, प्रकाश प्रदूषण को रोकने और खगोल-विज्ञान अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए डार्क स्काई पार्क का दर्जा दिया गया है। ● भौगोलिक अवस्थिति एवं अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं: <ul style="list-style-type: none"> ○ अवस्थिति: यह मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पहाड़ियों में स्थित है। ○ साथ ही, इसका विस्तार महाराष्ट्र में नागपुर जिले तक है, जहां यह एक अलग अभयारण्य है। ○ इसमें मध्य उच्च-भूमि (Central Highlands) के सतपुड़ा-मैकाल पर्वत श्रेणी के मुख्य संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं। ○ इस क्षेत्र का वर्णन आइन-ए-अकवरी और 'द जंगल बुक' में किया गया है। ● नदियां: पेंच नदी इसे दो भागों में विभाजित करती है। ● वन: यहां उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। इस वनस्पति में सागौन के पेड़ों की बहुतायत है। ● जीव-जंतु: बाघ, तेंदुआ, सियार, भेड़िया, हिरण, लकड़बग्घा (Hyena) आदि।
<p>तमिलनाडु</p>	
<p>मुदुमलाई टाइगर रिज़र्व (MTR)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● मुदुमलाई टाइगर रिज़र्व के कोर एरिया में पहली बार हर्पेटोफॉनल (सरीसृप और उभयचर) सर्वेक्षण आयोजित किया गया। ● भौगोलिक अवस्थिति एवं अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं: <ul style="list-style-type: none"> ○ अवस्थिति: यह तमिलनाडु में स्थित है। ○ यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिज़र्व का हिस्सा है। यह भारत का पहला बायोस्फीयर रिज़र्व है। इसे 1986 में अधिसूचित किया गया था। ○ इसकी सीमा पश्चिम में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य (केरल), उत्तर में बांदीपुर टाइगर रिज़र्व (कर्नाटक), और दक्षिण एवं पूर्व में नीलगिरी डिवीजन तथा दक्षिण-पश्चिम में गुडलूर फॉरेस्ट डिवीजन से लगती है। ● नदियां: मोयार नदी मुदुमलाई और बांदीपुर अभयारण्य के बीच सीमा बनाती है। ● वनों के प्रकार: उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र सागौन वन, शुष्क सागौन वन, घास के मैदान और दलदली क्षेत्र (स्वैम्प)। ● जीव-जंतु: बाघ, हाथी, भारतीय गौर, पैंथर, बार्किंग डीयर, माउस डीयर आदि।
<p>तेलंगाना</p>	
<p>कवल टाइगर रिज़र्व</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● तेलंगाना राज्य वन्यजीव बोर्ड (SBWL) ने ताडोबा-अंधारी टाइगर रिज़र्व और कवल टाइगर रिज़र्व के बीच स्थित गलियारा क्षेत्र को कंजर्वेशन रिज़र्व के रूप में मंजूरी प्रदान की है। ● कंजर्वेशन रिज़र्व के बारे में: <ul style="list-style-type: none"> ○ कंजर्वेशन रिज़र्व 'वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (WPA), 1972' के तहत स्थापित एक संरक्षित क्षेत्र होता है। इसकी स्थापना के लिए 'वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम (WPA), 2002' के तहत प्रावधान किए गए हैं। ○ यह राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर बफर जोन या कनेक्टर होता है। साथ ही, वन्य जीवों की आवाजाही के लिए उनके बीच गलियारे के रूप में भी कार्य करता है। ○ इसकी स्थापना की अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा जारी की जाती है। इसके लिए वह केंद्र सरकार और स्थानीय समुदायों से परामर्श करती है।





	<ul style="list-style-type: none"> ○ इसका प्रशासन कंजर्वेशन रिज़र्व प्रबंधन समिति की मदद से किया जाता है। ● भौगोलिक अवस्थिति एवं अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं: <ul style="list-style-type: none"> ○ अवस्थिति: यह सह्याद्रि पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। ○ यह ताडोबा-अंधारी टाइगर रिज़र्व (महाराष्ट्र) और इंद्रावती टाइगर रिज़र्व (छत्तीसगढ़) से जुड़ा हुआ है। ● नदियां: यह गोदावरी नदी तथा पेद्दावागू और कदम जैसी छोटी जलधाराओं का एक प्रमुख जलग्रहण क्षेत्र है। ● वन प्रकार: दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क-पर्णपाती वन। मुख्यतः सागौन और बांस मिलते हैं। ● जीव-जंतु: नीलगाय, चिंकारा, काला हिरण, सांभर, चित्तीदार हिरण, बाघ, तेंदुआ आदि।
उत्तराखंड	
<p>कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● सुप्रीम कोर्ट ने टाइगर सफारी के कारण कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व में हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है। ● भौगोलिक अवस्थिति एवं अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं: <ul style="list-style-type: none"> ○ अवस्थिति: यह उत्तराखंड में हिमालय की तलहटी में स्थित है। यह भाबर और निचले शिवालिक क्षेत्र में फैला हुआ है। ○ यह एशियाई मुख्य भूमि में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ○ वर्डलाइफ इंटरनेशनल ने इसे 'महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र' (IBA) घोषित किया हुआ है। ○ यहां घास के स्थानीय मैदान को चौर के नाम से जाना जाता है। ● नदियां: इससे होकर बहने वाली नदियां हैं: रामगंगा, पल्लेन और सोनानदी। ● वन प्रकार: उष्णकटिबंधीय शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वन। ● जीव: बाघ, हाथी, तेंदुआ, सांभर, हॉग डियर आदि। यह बाघ के सबसे अधिक घनत्व वाला टाइगर रिज़र्व है।
पश्चिम बंगाल	
<p>न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● हाल ही में रॉयल बंगाल टाइगर को न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान (पश्चिम बंगाल) में देखा गया है। इससे समुद्र तल से 10,509 फीट की ऊंचाई पर भी बाघ की उपस्थिति की पुष्टि हुई है। ● भौगोलिक अवस्थिति एवं अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं: <ul style="list-style-type: none"> ○ यह उद्यान पंगोलाखा वन्यजीव अभयारण्य (सिक्किम) और तोरसा स्ट्रिक्ट रिज़र्व (भूटान) को जोड़ता है। ○ यह पूर्वी हिमालय में स्थित वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा भी है। इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया है। ● नदी: न्योरा नदी। ● वन प्रकार: उपोष्णकटिबंधीय मिश्रित चौड़ी पत्ती वाले वन, निचले सम-शीतोष्ण सदाबहार वन, ऊपरी शीतोष्ण मिश्रित चौड़ी पत्ती वाले वन और रोडोडेण्ड्रोन वन। ● मुख्य जीव: लाल पांडा, हिमालयी तहर, हिमालयी काला भालू आदि।

4.3.11. सुर्खियों में रही प्रजातियां (Species in News)

नोट: "वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022" के तहत किए गए संशोधनों के अनुसार, CITES के परिशिष्ट के अंतर्गत आने वाली प्रजातियों को अधिनियम की अनुसूची IV के तहत सूचीबद्ध किया गया है।

प्रजातियां	विवरण
स्थलीय प्रजातियां	
हिमालयन वुल्फ (Himalayan Wolf) 	<ul style="list-style-type: none"> हाल ही में, हिमालयन वुल्फ का पहला IUCN-आकलन प्रकाशित हुआ। IUCN-आकलन के प्रमुख निष्कर्ष: <ul style="list-style-type: none"> पर्यावास यानी आबादी वाले क्षेत्र में कमी आई है; पर्यावास के विस्तार और/या गुणवत्ता में लगातार गिरावट देखी गई है। हिमालयन वुल्फ की कुल आबादी लगभग 2,275 से 3,792 के बीच है। भारत में इनकी आबादी 227 से 378 के बीच दर्ज की गई है। <p>संरक्षण की स्थिति:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <p>वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972</p> <p>अनुसूची I</p> </div>   </div> <p>विशेषताएं</p> <ul style="list-style-type: none"> इनके पीठ और पूंछ पर भूरे रंग वाला मोटा फर होता है। इनके चेहरे, अंगों और निचले हिस्से पर हल्का पीलापन रहता है। ये आकार में भारतीय और यूरोपीय भेड़ियों से भी बड़े होते हैं। हिमालयन वुल्फ घरेलू शिकार की अपेक्षा जंगली शिकार को प्राथमिकता देते हैं। हाइपोक्सिक स्थितियों (यानी ऑक्सीजन की कमी) से निपटने के लिए इनमें आनुवंशिक अनुकूलन बनाए रखने की क्षमता होती है। <p>पर्यावास</p> <ul style="list-style-type: none"> ये मुख्य रूप से हिमालय (नेपाल और भारत) और तिब्बत के पठार के ऊंचाई वाले स्थानों (3,900 मीटर से ऊपर) पर पाए जाते हैं।
भारतीय भेड़िया {Indian Wolf (Canis lupus pallipes)} 	<ul style="list-style-type: none"> हाल ही में, लगभग दो दशकों के बाद राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य (मध्य प्रदेश) में इंडियन ग्रे वुल्फ को देखे जाने की पुष्टि की गई है। <p>संरक्षण की स्थिति</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <p>वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972</p> <p>अनुसूची I</p> </div>   </div> <p>विशेषताएं</p> <ul style="list-style-type: none"> ये झुण्ड में आपसी तालमेल के साथ शिकार करने वाले मांसाहारी जीव हैं, जो सामूहिक व्यवहार को दर्शाते हैं। भेड़िये मुख्य रूप से हाउलिंग (आवाज) के जरिए लंबी दूरी तक आपस में कम्यूनिकेट करते हैं। भारतीय भेड़ियों का इंसान के बच्चों को शिकार बनाने का इतिहास रहा है। इस घटना को "चाइल्ड लिफ्टिंग" कहा जाता है। बायोकंट्रोल एजेंट के रूप में ये नीलगाय और जंगली सूअर जैसे शाकाहारी वन्यजीवों की आबादी को नियंत्रित रखते हैं।

	<p>पर्यावास</p> <ul style="list-style-type: none"> घास के मैदान, झाड़ीदार वन, कांटेदार और शुष्क पर्णपाती वन। ओडिशा, बिहार जैसे पूर्वी राज्यों में, ये नमी व कम घनत्व वाले वनों में पाए जाते हैं। <p>संरक्षणात्मक उपाय</p> <ul style="list-style-type: none"> भेड़ियों की आबादी का पता लगाने के लिए ऑपरेशन भेड़िया चलाया गया। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने भारतीय चिड़ियाघरों में संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए एक संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें भारतीय भेड़िया भी शामिल है।
<p>तिब्बती भूरा भालू (Tibetan Brown Bear)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> भारत में पहली बार दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू (<i>Ursus arctos pruinosus</i>) को सिक्किम में देखा गया है। <p>संरक्षण स्थिति:</p> <div data-bbox="495 556 1421 777">  <p>वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 अनुसूची I</p>  <p>परिशिष्ट I</p> </div> <p>विशेषताएं</p> <ul style="list-style-type: none"> इसे तिब्बती नीले भालू (Tibetan Blue Bear) के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सर्वाहारी पशु है। यह पौधे और जानवरों, दोनों का भक्षण करता है। शारीरिक विशेषता: इसकी छाती पर एक विशिष्ट 'V' आकार का सफेद निशान होता है। जीवनकाल लगभग 20 से 30 वर्ष का होता है। सूंघने की शक्ति सुनने और देखने से भी अधिक होती है। <p>पर्यावास</p> <ul style="list-style-type: none"> पर्यावास: यह अल्पाइन वनों, घास-भूमियों और स्टेपी क्षेत्रों में 2,000 से 4,500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। यह भालू मुख्य रूप से नेपाल, भूटान और तिब्बती पठार में पाया जाता है।
<p>बिंदूरॉन्ग (Binturong)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बिंदूरॉन्ग (Binturong) नामक एक नई स्तनधारी प्रजाति को लाया गया है। <p>संरक्षण स्थिति:</p> <div data-bbox="495 1417 1372 1627">  <p>वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 अनुसूची I</p>  <p>परिशिष्ट III</p> </div> <p>विशेषताएं</p> <ul style="list-style-type: none"> इसे बेयरकैट, एशियन बेयरकैट और एशियन सिवेट भी कहा जाता है। ये एकान्तवासी और रात्रिचर होते हैं। जीवन काल 18 वर्ष और लंबाई 2.8 फीट तक होती है। <p>पर्यावास क्षेत्र:</p> <ul style="list-style-type: none"> भारत (मेघालय और सिक्किम), इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया आदि।

छोटे पंजे वाला ऊदबिलाव (Small-clawed otter)



असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में छोटे पंजे वाला ऊदबिलाव (Small-clawed otter) नामक नई स्तनधारी प्रजाति को लाया गया है।

संरक्षण स्थिति:



विशेषताएं:

- विश्व की सबसे छोटी ऊदबिलाव प्रजाति।
- छोटे पंजों के साथ आंशिक रूप से जालीनुमा पैर इन्हें कुशल जलीय शिकारी बनाते हैं।
- ये अत्यधिक सामाजिक प्राणी होते हैं और पारिवारिक समूहों में रहते हैं।

पर्यावास:

- यह प्रजाति मुख्य रूप से ताजे जल के पर्यावासों में पाई जाती है।
- भारत (पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल); दक्षिण-पूर्व एशिया तथा दक्षिणी चीन।

- हॉग डीयर को पहली बार राजाजी टाइगर रिजर्व (उत्तराखंड) में देखा गया है।

हॉग डीयर (हिरण)



संरक्षण स्थिति:



विशेषताएं:

- यह गोल कानों वाला एक छोटा हिरण है। अधिक आयु वाले हॉग डीयर के चेहरे और गर्दन का रंग हल्का हो जाता है।
- ये शाकाहारी होते हैं और घास खाते हैं।
- मादाएं नर की तुलना में थोड़ी छोटी होती हैं और उनमें सींग नहीं होते हैं।

पर्यावास:

- ये लंबी घास या घनी वनस्पति वाले बाढ़कृत घास के मैदानों (Riverine flooded grasslands) में पाए जाते हैं।
- ये भारत, पाकिस्तान और दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में पाए जाते हैं।

पुंगनूर गाय (Punganur Cow)



- मकर संक्रांति के अवसर पर प्रधान मंत्री ने पुंगनूर गायों को चारा खिलाया।

विशेषताएं:

- आकार: इसका कद 70-90 से.मी. और वजन लगभग 115-200 किलोग्राम होता है।
- इसे बौनी गाय भी कहते हैं और यह दुनिया में कूबड़ वाली सबसे छोटे आकार की मवेशी नस्लों में से एक है।
- इनके छोटे, अर्धचंद्राकार सींग होते हैं जो नर की तुलना में मादाओं में लंबे होते हैं।
- दूध उत्पादन: यह गाय एक बार बछड़े को जन्म देने के बाद (प्रति लैक्टेशन) औसतन 546 किलोग्राम दूध देती है। इस गाय के दूध में औसतन 5 प्रतिशत फैट होता है।

पर्यावास

- पुंगनूर गाय आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के पुंगनूर गांव की स्थानिक नस्ल है।
- अनुकूलनशीलता: गर्म और शुष्क जलवायु

<p>गोल्डन लंगूर (Golden Langur)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में लगभग 7,396 गोल्डन लंगूर हैं। <p>संरक्षण स्थिति:</p>  <p>विशेषताएं:</p> <ul style="list-style-type: none"> यह ओल्ड वर्ल्ड मंकी के एक बड़े समूह से संबंधित है। इन बंदरों को कोलोबाइंस कहा जाता है। कोलोबाइंस पत्ती खाने वाले प्राइमेट होते हैं, जिनका जुगाली करने वाले जानवरों के समान बहु-कोष्ठीय पेट होता है। गोल्डन लंगूर की फर का रंग मौसम के अनुसार बदलता रहता है। गर्मियों में यह क्रीम रंग का और सर्दियों में गहरे सुनहरे रंग का हो जाता है। वे प्रकृति में दिनचर (दिन में सक्रिय) हैं और वृक्षों पर रहते हैं। ये 3-15 सदस्यों के झुंड में रहते हैं। <p>पर्यावास:</p> <ul style="list-style-type: none"> यह असम (ब्रह्मपुत्र नदी घाटी) और भूटान में उपोष्णकटिबंधीय एवं समशीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वनों का स्थानिक जीव है।
<p>पक्षी प्रजातियां</p>	
<p>इंडियन स्कीमर (Indian Skimmers)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> भारत और बांग्लादेश ने 'कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज' (CMS) के तहत इंडियन स्कीमर को सूचीबद्ध करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इंडियन स्कीमर को इंडियन सिजर्स बिल भी कहा जाता है। <p>संरक्षण स्थिति:</p>  <p>विशेषताएं:</p> <ul style="list-style-type: none"> इंडियन स्कीमर को इंडियन सिजर्स बिल भी कहा जाता है। ये बड़े, जल से ऊपर उठे बालू वाले तटों (सैंडबार) और द्वीपों पर कॉलोनी ब्रीडिंग करते हैं। इनका आहार जल की सतह पर तैरने वाली मछलियां, छोटे क्रस्टेशियंस और कीड़ों के लार्वा हैं। इसकी चोंच लंबी और मोटी होती है, जो पीले सिर के साथ चमकीले नारंगी रंग की होती है। <p>पर्यावास</p> <ul style="list-style-type: none"> इंडियन स्कीमर पश्चिमी और पूर्वी भारत के तटीय इलाकों में नदी मुहाने पर पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से बड़ी, रेतीली, समुद्र के निकटवर्ती नदियों, झीलों और उनके निकटवर्ती दलदली क्षेत्रों, मुहानों और तटों के आसपास देखे जाते हैं।
<p>आक्रामक प्रजातियां</p>	
<p>लैंटाना कैमारा (लैंटाना) {Lantana Camara (Lantana)}</p>	<ul style="list-style-type: none"> लैंटाना झाड़ियां भारत में बाघ के पर्यावास वाले 40% क्षेत्र में फैल गई हैं। लैंटाना झाड़ियां दुनिया की सबसे खतरनाक आक्रामक प्रजातियों में से एक है। लैंटाना, एक प्रकार की उष्णकटिबंधीय अमेरिकी झाड़ी (Shrub) है। इसे 1800 के दशक में अंग्रेज भारत में

	<p>एक सजावटी पौधे के रूप में लेकर आए थे।</p> <ul style="list-style-type: none"> लैंटाना झाड़ियों को पूरी तरह से हटाना मुश्किल है। इसकी निम्नलिखित वजहें हैं; <ul style="list-style-type: none"> ये तेजी से फैलती हैं, ये किसी पौधे पर फैलकर बहुत सघन हो जाती हैं, एलीलोपैथी गुण; इसे काटकर और जलाकर भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। ये घनी झाड़ियों का रूप ले लेती हैं जो पर्यावासों की संरचना और माइक्रो-हैबिटेट स्थितियों को बदल देते हैं और वन्यजीवों की आवाजाही को भी बाधित करती है। इनका उपयोग घाव को ठीक करने, बुखार के इलाज, पेट दर्द आदि में भी किया जा सकता है।
<p>हाल ही में खोजी गई प्रजातियां</p>	
<p>मेलानोक्लामिस द्रौपदी (एम.द्रौपदी) {<i>Melanochlamys droupadi</i> (M. droupadi)}</p> 	<ul style="list-style-type: none"> हेड-शील्ड सी स्लग की एक नई समुद्री प्रजाति की पश्चिम बंगाल व ओडिशा के तटों से खोज की गई है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका नाम देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के नाम पर "मेलानोक्लामिस द्रौपदी (एम. द्रौपदी)" रखा है। यह प्रजाति अपना पर्यावास मेलानोक्लैमिस बेंगालेंसिस के साथ साझा करती है। मेलानोक्लैमिस बेंगालेंसिस की खोज 2022 में की गई थी। हालांकि, यह आकृति विज्ञान की दृष्टि से एम.द्रौपदी से अलग है। <ul style="list-style-type: none"> एम.द्रौपदी बेंगालेंसिस से आकार में छोटी है। इसका रंग धब्बेदार भूरा व काला है। इसके पश्च कवच (posterior shield) पर रुबि लाल रंग का धब्बा है। सी स्लग तेज शिकारी होते हैं। <ul style="list-style-type: none"> वे अन्य विचरण करने वाले जीवों को अपना शिकार बनाते हैं। इन जीवों में खोलयुक्त व बिना खोल वाले स्लग, गोलकृमि (Roundworms), समुद्री कृमि, छोटी मछलियां आदि शामिल हैं। सी स्लग समुद्री गैस्ट्रोपोड्स का एक सामान्य नाम है जिसमें बाहरी आवरण नहीं होता है।
<p>परह्याले' ओडियन (<i>Parhyale' odian</i>)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> शोधकर्ताओं ने ओडिशा की चिल्का झील में समुद्री एम्फिपोड की एक नई प्रजाति की खोज की है। चिल्का, एशिया में खारे पानी (Brackish water) का सबसे बड़ा लैगून है। <ul style="list-style-type: none"> इस एम्फिपोड प्रजाति का नाम 'परह्याले' ओडियन (<i>Parhyale odian</i>) है। यह भूरे रंग का है। इसके 13 जोड़े पैर हैं। अपने शिकार को पकड़ने के लिए यह प्रथम जोड़े पैर का उपयोग करती है। एम्फिपोड क्रस्टेशिया वर्ग से संबंधित है। क्रस्टेशियंस आर्थ्रोपोडा संघ के अकशेरुकी (Invertebrate) प्राणी हैं। क्रस्टेशियंस के उदाहरण हैं- केकड़ा, लॉबस्टर, क्रेफिश, झींगा (श्रिम्प), क्रिल आदि। <ul style="list-style-type: none"> इनका शरीर कठोर बाहरी कंकाल से ढका होता है। इनका शरीर खंडित होता है। ये दो समान हिस्सों में विभाजित होते हैं। ये ज्यादातर स्वतंत्र रूप से ताजे जल के स्रोतों में या समुद्र में प्राप्त होते हैं। हालांकि, इस समूह के कुछ जीव स्थलों पर भी प्राप्त होते हैं, जैसे-बुडलाइस

4.3.12. अन्य संबंधित सुर्खियां (Other Related News)

सुर्खियां	विवरण
इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (International	<ul style="list-style-type: none"> केंद्रीय मंत्रिमंडल ने "इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA)" की स्थापना को मंजूरी दी है। IBCA का

<p>Big Cat Alliance: IBCA)</p>	<p>मुख्यालय भारत में स्थापित होगा।</p> <ul style="list-style-type: none"> • भारत पांच वर्षों (2023-24 से 2027-28) के लिए 150 करोड़ रुपये की प्रारंभिक सहायता प्रदान कर रहा है। • ब्राजील, नेपाल, बांग्लादेश और मलेशिया सहित 16 देश आधिकारिक तौर पर भारत के नेतृत्व वाले IBCA में शामिल हो गए हैं। <ul style="list-style-type: none"> ○ इसके अतिरिक्त, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) और वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड (WWF) इंटरनेशनल सहित नौ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी IBCA में शामिल होने के लिए सहमति दे दी है। <p><i>नोट: इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, कृपया VisionIAS की पर्यावरण PT 365 (अप्रैल-दिसंबर) में आर्टिकल 3.2.2. {वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम (WPA), 2022} देखें।</i></p>
<p>ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) के पर्यावासों से गुजरने वाली ट्रांसमिशन लाइन {Transmission Lines Through Great Indian Bustard (GIB) Habitats}</p>	<ul style="list-style-type: none"> • सुप्रीम कोर्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के गैर-कोर पर्यावासों से गुजरने वाली ट्रांसमिशन लाइनों पर लगे प्रतिबंध को हटाने पर विचार कर रहा है। • सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। यह समिति बस्टर्ड के पर्यावासों में जमीन से ऊपर और भूमिगत ट्रांसमिशन (बिजली) लाइनें लगाने की व्यवहार्यता और सीमा की जांच करेगी। <ul style="list-style-type: none"> ○ अप्रैल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और गुजरात राज्यों की बिजली कंपनियों को हाई टेंशन बिजली की तारों को भूमिगत करने का आदेश दिया था। इससे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बिजली की तारों में फंसने से बच जाते। • समिति की अध्यक्षता भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII), देहरादून के निदेशक द्वारा की जाएगी। समिति को 31 जुलाई, 2024 को या उससे पहले अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करनी होगी। • अपने पहले के दिशा-निर्देशों पर पुनर्विचार करने के कारण <ul style="list-style-type: none"> ○ बस्टर्ड की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र: ○ बस्टर्ड के पर्यावास में आने वाला क्षेत्र सौर ऊर्जा क्षेत्रक के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, बिजली लाइनों को भूमिगत करना काफी मुश्किल कार्य है। <p><i>नोट: ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, कृपया VisionIAS की पर्यावरण PT 365 (अप्रैल-दिसंबर) में आर्टिकल 3.2.13. (सुर्खियों में रही प्रजातियां) देखें।</i></p>
<p>राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की जैव विविधता पर संधि (Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction: BBNJ Treaty)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • BBNJ पर ब्लू लीडर्स हाई लेवल इवेंट ने राष्ट्रों से BBNJ संधि की अभिपुष्टि करने का आग्रह किया। • भारत ने अभी इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। <p><i>नोट: BBNJ संधि के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, कृपया VisionIAS की पर्यावरण PT 365 (अप्रैल-दिसंबर) में आर्टिकल 3.4.1. (पर्यावरण में खुले समुद्र की सुरक्षा के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि) देखें।</i></p>
<p>स्पीशीज ग्रेट अबेटमेंट एंड रेस्टोरेशन (STAR) मेट्रिक</p>	<ul style="list-style-type: none"> • STAR मेट्रिक कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) ने शुरू किया है। इसे अन्य संगठनों व विशेषज्ञों की भागीदारी में आरंभ किया गया था। इसका अब समुद्री क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए विस्तार किया गया है। इसे स्थलीय क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए पहली बार 2021 में प्रस्तुत किया गया था। • STAR मेट्रिक प्रजातियों द्वारा सामना किए जाने वाले विलुप्ति के जोखिम व खतरों को परिमाणित करता है। इसके लिए यह संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN लाल सूची से मौजूदा डेटा का उपयोग करता है। <ul style="list-style-type: none"> ○ STAR अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण लक्ष्यों में योगदान करने हेतु विशेष अवस्थितियों पर विशिष्ट कार्रवाई की क्षमता का आकलन करता है। ○ STAR निम्नलिखित दो प्रकार की कार्रवाइयों के योगदान का आकलन करता है-

	<ul style="list-style-type: none"> खतरा उन्मूलन और पर्यावास पुनर्स्थापन
बायोडायवर्सिटी क्रेडिट एलायंस (BCA)	<ul style="list-style-type: none"> BCA वस्तुतः कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (KMGBF) के तहत वित्त-पोषण संबंधी लक्ष्यों के लिए बायोक्रेडिट्स (जैव विविधता क्रेडिट) के उपयोग में तेजी लाने पर बल दे रहा है। <ul style="list-style-type: none"> बायोक्रेडिट्स जैव विविधता को नुकसान (जैसे- पर्यावास का क्षरण) पहुंचाने वाले कारकों से निपटने हेतु एक संभावित तंत्र प्रदान करता है। यह जैव विविधता से संबंधित संरक्षण, पुनर्बहाली और प्रभावी उपायों के वित्त-पोषण में मदद करेगा। BCA एक स्वैच्छिक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है। यह KMGBF का समर्थन करने के लिए विविध हितधारकों को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है। <ul style="list-style-type: none"> इसे 2022 में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता कन्वेंशन (CBD) के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन (COP-15) में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य उच्च-स्तरीय, विज्ञान-आधारित सिद्धांतों का एक फ्रेमवर्क तैयार करके स्वैच्छिक बायोक्रेडिट बाजार विकसित करना है।
वेटलैंड सिटी प्रमाणन (Wetland City Accreditation: WCA)	<ul style="list-style-type: none"> पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी प्रमाणन (WCA) के लिए शहरों को नॉमिनेट किया। MoEF&CC ने वेटलैंड सिटी प्रमाणन (WCA) प्राप्त करने के लिए पहली बार शहरों की सूची सौंपी है। <ul style="list-style-type: none"> ये शहर हैं; इंदौर, भोपाल और उदयपुर। यह एक स्वैच्छिक प्रमाणन प्रणाली है, जिसके तहत शहरी एवं उप-शहरी (Peri-urban) क्षेत्रों में आर्द्रभूमि के महत्व को स्वीकारा जाता है। इसे वर्ष 2015 में रामसर कन्वेंशन के COP12 के दौरान अपनाया गया था। उद्देश्य: आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय आबादी के लिए संधारणीय सामाजिक-आर्थिक लाभ सुनिश्चित करना। मानदंड: यह प्रमाणन 6 मानदंडों पर आधारित है। इन मानदंडों में शहर में रामसर स्थल होना या अन्य आर्द्रभूमि संरक्षण स्थल होना, आदि शामिल हैं। एक बार प्रमाणन मिलने के बाद यह 6 वर्षों के लिए वैध होता है।
प्रवाल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग (Coral Bleaching)	<ul style="list-style-type: none"> आठ वर्षों (2016-2024) में ग्रेट बैरियर रीफ (GBR) में पांचवीं बार "सामूहिक कोरल ब्लीचिंग" की घटना दर्ज की गई। ग्रेट बैरियर रीफ (GBR) के बारे में <ul style="list-style-type: none"> यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर-पूर्वी तट के साथ 2,300 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में विस्तृत है। यह विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ (मूंगा चट्टान) कॉम्प्लेक्स है। यह प्रशांत महासागर में स्थित है। इसे 1981 में यूनेस्को-विश्व धरोहर क्षेत्र घोषित किया गया था। कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजन की घटना तब घटित होती है, जब स्वस्थ कोरल समुद्र के तापमान में वृद्धि की वजह से संवेदनशील हो जाते हैं। इससे वे अपने ऊतकों में रहने वाले जूँथिले (zooxanthellae) नामक शैवाल को बाहर निकाल देते हैं। इस वजह से रंग-बिरंगे कोरल रंगहीन हो जाते हैं। सामूहिक कोरल ब्लीचिंग की घटना के लिए जिम्मेदार कारक: जलवायु परिवर्तन के कारण महासागरीय जल के तापमान में वृद्धि, अल नीनो परिघटना बार-बार उत्पन्न होना, पवनों के वेग और महासागरीय धाराओं के कमजोर पड़ जाना और अन्य कारक, जैसे- चरम निम्न ज्वार, प्रदूषण, सूर्य के प्रकाश के अत्यधिक प्रभाव में आना आदि।
गहरे समुद्र में प्रवाल-भित्ति (Coral reef Deep-Sea Coral Reef)	<ul style="list-style-type: none"> वैज्ञानिकों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अटलांटिक तट से दूर गहरे समुद्र में सबसे बड़ी प्रवाल-भित्ति (Coral reef) की मैपिंग की।

	<ul style="list-style-type: none"> गहरे समुद्र में प्रवाल छोटे जीवों के पर्यावास हैं, जो परस्पर जुड़े हुए अस्थिपंजरों का निर्माण करते हैं। ये विविध आकृतियों और रंगों में विकसित होते हैं। वे शार्क, स्वॉर्डफिश, झींगा, मछली आदि के लिए पर्यावास प्रदान करते हैं। <p>गहरे समुद्र के प्रवालों और उथले जल के प्रवालों के बीच अंतर</p>															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>विवरण</th> <th>गहरे समुद्री जल के प्रवाल</th> <th>उथले समुद्री जल के प्रवाल</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>प्रवालों की विविधता</td> <td>कम विविधता</td> <td>अधिक विविधता</td> </tr> <tr> <td>भोजन/पोषण</td> <td>या तो सतह से प्राप्त होने वाले जैविक पदार्थों या छोटे प्लवकों से प्राप्त पोषण पर निर्भर रहते हैं।</td> <td>प्रकाश संश्लेषक शैवाल पर निर्भर करते हैं, जो प्रवाल के भीतर पाए जाते हैं और अपने होस्ट को पोषण प्रदान करते हैं। <ul style="list-style-type: none"> प्रकाश संश्लेषक शैवाल: छोटे एक-कोशिकीय पादप होते हैं, जिन्हें जूजैथले के नाम से जाना जाता है। </td> </tr> <tr> <td>स्वरूप</td> <td>सफेद रंग के होते हैं</td> <td>प्रवाल में शैवाल मौजूद होने के कारण भूरे व हरे रंग के होते हैं।</td> </tr> <tr> <td>निर्मित संरचनाएं</td> <td>वृक्ष, पंख, स्तंभ या पंखे आदि के आकार में पाए जाते हैं।</td> <td>भित्तियां चट्टान जैसी होती हैं।</td> </tr> </tbody> </table>	विवरण	गहरे समुद्री जल के प्रवाल	उथले समुद्री जल के प्रवाल	प्रवालों की विविधता	कम विविधता	अधिक विविधता	भोजन/पोषण	या तो सतह से प्राप्त होने वाले जैविक पदार्थों या छोटे प्लवकों से प्राप्त पोषण पर निर्भर रहते हैं।	प्रकाश संश्लेषक शैवाल पर निर्भर करते हैं, जो प्रवाल के भीतर पाए जाते हैं और अपने होस्ट को पोषण प्रदान करते हैं। <ul style="list-style-type: none"> प्रकाश संश्लेषक शैवाल: छोटे एक-कोशिकीय पादप होते हैं, जिन्हें जूजैथले के नाम से जाना जाता है। 	स्वरूप	सफेद रंग के होते हैं	प्रवाल में शैवाल मौजूद होने के कारण भूरे व हरे रंग के होते हैं।	निर्मित संरचनाएं	वृक्ष, पंख, स्तंभ या पंखे आदि के आकार में पाए जाते हैं।	भित्तियां चट्टान जैसी होती हैं।
	विवरण	गहरे समुद्री जल के प्रवाल	उथले समुद्री जल के प्रवाल													
	प्रवालों की विविधता	कम विविधता	अधिक विविधता													
	भोजन/पोषण	या तो सतह से प्राप्त होने वाले जैविक पदार्थों या छोटे प्लवकों से प्राप्त पोषण पर निर्भर रहते हैं।	प्रकाश संश्लेषक शैवाल पर निर्भर करते हैं, जो प्रवाल के भीतर पाए जाते हैं और अपने होस्ट को पोषण प्रदान करते हैं। <ul style="list-style-type: none"> प्रकाश संश्लेषक शैवाल: छोटे एक-कोशिकीय पादप होते हैं, जिन्हें जूजैथले के नाम से जाना जाता है। 													
स्वरूप	सफेद रंग के होते हैं	प्रवाल में शैवाल मौजूद होने के कारण भूरे व हरे रंग के होते हैं।														
निर्मित संरचनाएं	वृक्ष, पंख, स्तंभ या पंखे आदि के आकार में पाए जाते हैं।	भित्तियां चट्टान जैसी होती हैं।														
कुमकी हाथी (Kumki Elephants)	<ul style="list-style-type: none"> ओडिशा सरकार ने राज्य में बढ़ते मानव-हाथी संघर्ष की समस्या से निपटने के लिए तमिलनाडु से कुमकी हाथी भेजने का अनुरोध किया है। कुमकी प्रशिक्षित कैप्टिव हाथी होते हैं। इन्हें उत्पाती जंगली हाथियों को काबू में करने, बचाने और शांत करने में इस्तेमाल किया जाता है। <ul style="list-style-type: none"> इन्हें उन जगहों पर तैनात किया जाता है, जहां जंगली हाथी उत्पात करते हैं। इससे फसलों और मानव बस्तियों को नुकसान से बचाने में मदद मिलती है। साथ ही, इससे मानव और हाथी, दोनों के जीवन पर खतरे को कम किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कुमकी हाथी का उपयोग वन गश्ती और बचाव कार्यों में भी किया जाता है। तमिलनाडु ने कुमकी हाथियों का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। <p>नोट: हाथियों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, कृपया VisionIAS की पर्यावरण PT 365 (अप्रैल-दिसंबर) में आर्टिकल 3.2.5. (प्रोजेक्ट एलिफेंट) देखें।</p>															

4.4. संधारणीय विकास (Sustainable Development)

4.4.1. सोलर रूफटॉप पावर (Solar Rooftop Power)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए पी.एम. सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी प्रदान की।

पी.एम. सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में

- योजना के प्रमुख बिंदुओं पर एक नज़र:
 - संबंधित मंत्रालय: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
 - उद्देश्य: इसके तहत एक करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी।
 - सब्सिडी संरचना: आवासीय रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए केंद्र सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

उपयुक्त रूफटॉप सोलर प्लांट क्षमता	सब्सिडी सहायता
1 – 2 kW	30,000 से 60,000 रुपये तक
2 – 3 kW	60,000 से 78,000 रुपये तक
3kW से अधिक	78,000 रुपये

- आवासीय रूफटॉप सोलर पैनल को स्थापित करने के लिए ऋण: आवासीय परिसरों में 3 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर पैनल को स्थापित करने के लिए लगभग 7% की ब्याज दर पर और बिना किसी जमानत के ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
- योजना की अन्य विशेषताएं:
 - मॉडल सोलर विलेज: ग्रामीण क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर पैनल क्षमता को बढ़ावा देने के लिए इसे देश के प्रत्येक जिले में एक रोल मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा।
 - स्थानीय निकायों को प्रोत्साहन: शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों को अपने क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर पैनल को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
 - राष्ट्रीय पोर्टल: यह परिवारों को सब्सिडी के लिए आवेदन करने और रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करने के लिए एक उपयुक्त विक्रेता का चयन करने की सुविधा प्रदान करेगा।
 - नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (RESCO) आधारित मॉडल के लिए भुगतान संबंधी सुरक्षा घटकों के साथ-साथ RTS में नवीन परियोजनाओं के लिए भी फंड का प्रावधान किया गया है।

सोलर रूफटॉप सिस्टम के बारे में

- रूफटॉप सोलर पैनल किसी इमारत की छत पर स्थापित फोटोवोल्टिक पैनल होते हैं। ये मुख्य बिजली आपूर्ति इकाई से जुड़े हुए होते हैं।
- एक रूफटॉप सोलर प्रणाली में आमतौर पर सौर मॉड्यूल, सौर इन्वर्टर और अन्य विद्युत घटक जैसे कि मीटर, केबल आदि शामिल होते हैं।
- सोलर रूफटॉप पैनल सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे उपयोगी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं।
- भारत की वर्तमान रूफटॉप सोलर क्षमता:
 - वर्तमान में, भारत ने 11 गीगावाट की सोलर रूफटॉप क्षमता स्थापित कर ली की है। इसमें से 2.7 गीगावाट आवासीय क्षेत्र से संबंधित है।
 - गुजरात, देश में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन (82%) में अग्रणी है। इसके बाद महाराष्ट्र और राजस्थान का स्थान आता है।
- सोलर रूफटॉप सिस्टम को बढ़ावा देने में आने वाली चुनौतियां: ग्रिड एकीकरण, उच्च लागत, डिस्कॉम (DISCOM) की भागीदारी में कमी, कम नेट मीटरिंग, जागरूकता की कमी।

4.4.2. सुर्खियों में रहे वैकल्पिक ऊर्जा के अन्य स्रोत (Other Alternative Energy Sources in News)

वैकल्पिक ऊर्जा के अन्य स्रोत	विवरण
तरलीकृत प्राकृतिक गैस (Liquefied Natural Gas: LNG)	<ul style="list-style-type: none"> ● नीति आयोग ने “मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों (M&HCV) के लिए परिवहन ईंधन के रूप में LNG” शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। <ul style="list-style-type: none"> ○ यह रिपोर्ट एनर्जी ट्रांजिशन और डीकार्बोनाइजिंग एजेंडा पर नीति आयोग व नीदरलैंड दूतावास के बीच द्विपक्षीय सहयोग पर आधारित है। ● तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) वास्तव में प्राकृतिक गैस का साफ, रंगहीन और गैर-विषाक्त तरल रूप है। प्राकृतिक गैस को शिपिंग और भंडारण उद्देश्यों से लगभग -162 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठंडा करके तरल अवस्था में लाया जाता है। प्राकृतिक गैस की यही तरल अवस्था LNG है। ● LNG को अपनाने में चुनौतियां: <ul style="list-style-type: none"> ○ प्रारंभ में पारंपरिक डीजल ट्रकों की तुलना में LNG अपनाने में अधिक लागत आती है, ○ LNG रिटेल आउटलेट्स की कमी है, ○ इसे अपनाने को लेकर बाजार में दुविधा है आदि।
जैव ईंधन या बायोफ्यूल	<ul style="list-style-type: none"> ● अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की “रिन्यूएबल 2023” रिपोर्ट में जैव ईंधन की मांग में वृद्धि को रेखांकित किया गया

	<p>है।</p> <ul style="list-style-type: none"> रिपोर्ट के अनुसार, जैव ईंधन की मांग 2023-2028 में 38 बिलियन लीटर तक बढ़ने वाली है। यह पिछले पांच वर्षों की अवधि से लगभग 30% अधिक है। मांग में यह वृद्धि मुख्य रूप से ब्राजील, इंडोनेशिया और भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं द्वारा प्रेरित है। जैव ईंधन नवीकरणीय ऊर्जा ईंधन है। यह ईंधन फसल अवशेष/ टूठ (Stubble), पादप अपशिष्ट और नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट जैसे बायोमास से प्राप्त होता है। <ul style="list-style-type: none"> जैव ईंधन का उपयोग परिवहन क्षेत्रक आदि में डीजल व पेट्रोल के स्थान पर या उनके साथ मिश्रण में किया जाता है। ऐसे जैव ईंधनों में इथेनॉल, संपीडित बायोगैस (CBG) आदि शामिल हैं। जैव ईंधन का महत्व: परिवहन क्षेत्रक के विकारबनीकरण (Decarbonising) में; कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को कम करने में। जैव ईंधन अपनाने में चुनौतियां: उत्पादन की अधिक लागत; खाद्य सुरक्षा और पानी की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव; आदि।
इथेनॉल 100	<ul style="list-style-type: none"> पेट्रोलियम मंत्रालय ने इथेनॉल 100 फ्यूल लॉन्च किया है। यह गैसोलीन का एक स्वच्छ और हरित विकल्प है। यह 92-94 प्रतिशत इथेनॉल, 4-5 प्रतिशत मोटर स्पिरिट (फ्लेम को रंग प्रदान करने के लिए) और 1.5 प्रतिशत सह-विलायक हायर सैचुरेटेड अल्कोहल का मिश्रण है। महत्व: काफी कम मात्रा में ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन करता है। इसकी हाई-ऑक्टेन रेटिंग इसे उच्च-प्रदर्शन वाले इंजनों के लिए उपयुक्त बनाती है।
ई-फ्यूल (E- fuel)	<ul style="list-style-type: none"> अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने "द रोल ऑफ ई-फ्यूल इन डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट" शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। ई-फ्यूल के उदाहरण हैं- ई-मीथेन, ई-केरोसिन और ई-मेथनॉल। ये सभी गैस या तरल रूप में उपयोग किए जा रहे ईंधन हैं। इनका उत्पादन नवीकरणीय या डीकार्बोनाइज्ड (कार्बन मुक्त) विद्युत के उपयोग से किया जाता है। ई-फ्यूल कम उत्सर्जन वाले ईंधन होते हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि इनके लिए आवश्यक हाइड्रोजन का उत्पादन कम उत्सर्जन वाले विद्युत स्रोतों से किया जाता है। इसके अलावा, इन फ्यूल के कार्बन इनपुट्स कुछ इस तरह प्राप्त किए जाते हैं कि इनकी संपूर्ण उपयोग अवधि में ग्रीनहाउस गैस का कम उत्सर्जन होता है। ई-फ्यूल के संभावित लाभ: <ul style="list-style-type: none"> उत्सर्जन में कमी आती है; डीकार्बोनाइजेशन के कई विकल्प उपलब्ध होते हैं; क्रिटिकल मिनरल्स की मांग में कमी आती है। गौरतलब है कि बैटरी निर्माण के लिए क्रिटिकल मिनरल्स बहुत महत्वपूर्ण हैं।
मृदा-आधारित माइक्रोबियल फ्यूल सेल (Soil-based microbial fuel cell)	<ul style="list-style-type: none"> शोधकर्ताओं ने एक अत्याधुनिक "मृदा-आधारित माइक्रोबियल फ्यूल सेल (MFC)" विकसित किया है। <ul style="list-style-type: none"> शोधकर्ताओं ने फ्यूल सेल के डिजाइन में सुधार किया है, ताकि यह शुष्क परिस्थितियों में दक्षतापूर्वक काम कर सके। मृदा आधारित MFC रसायनों की बजाय सूक्ष्मजीवों (जैसे बैक्टीरिया) की मदद से बायोइलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है। इसमें एक एनोड, एक कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट लगा होता है। सूक्ष्मजीव प्राकृतिक रूप से पास स्थित कंडक्टर्स को इलेक्ट्रॉन्स संचारित करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड तक एक विद्युत परिपथ (Electric circuit) का निर्माण करते हैं। उपयोग: इसका उपयोग हरित अवसंरचना और परिशुद्ध कृषि (Precision agriculture) में उपयोग किए जाने वाले भूमिगत सेंसर को फ्यूल देने के लिए किया जा सकता है।

4.4.3. इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (Scheme to Promote Manufacturing of Electric Passenger Cars in India)

सुर्खियों में क्यों?

सरकार ने भारत में "इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना" को मंजूरी दी।

योजना की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र:

- **मंत्रालय:** भारी उद्योग मंत्रालय (MHI)।
- **कार्यान्वयन:** एक परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA) सचिवीय, प्रबंधकीय और कार्यान्वयन संबंधी सहायता प्रदान करेगी। साथ ही, यह भारत सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य दायित्वों को पूरा करने के लिए भी जिम्मेदार होगी।
- **पात्रता मानदंड:**
 - मंजूरी प्राप्त आवेदक इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों के विनिर्माण के लिए 4150 करोड़ रुपये (500 मिलियन डॉलर) के न्यूनतम निवेश के साथ भारत में विनिर्माण इकाइयां स्थापित कर सकेंगे। अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। विनिर्माण इकाई भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुमोदन-पत्र जारी करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के भीतर चालू करनी होगी।
 - विनिर्माण के दौरान घरेलू मूल्य वर्धन संबंधी मानदंड: आवेदक को भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुमोदन-पत्र जारी करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के भीतर ही 25 प्रतिशत का न्यूनतम घरेलू मूल्य वर्धन (DVA) प्राप्त करना होगा। आवेदक को भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुमोदन-पत्र जारी करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के भीतर 50 प्रतिशत का न्यूनतम घरेलू मूल्य वर्धन (DVA) प्राप्त करना होगा।
- बैंक गारंटी केवल तभी लौटाई जाएगी जब 50% DVA प्राप्त कर लिया गया हो और कम-से-कम 4,150 करोड़ रुपये या 5 वर्षों में शुल्क छूट (Duty foregone) के बराबर का निवेश (जो भी अधिक हो) किया गया हो।
- प्रदर्शन संबंधी मानदंड: सभी इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI)-ऑटो योजना के प्रदर्शन मानदंडों को पूरा करेंगे।
- इस योजना की अवधि 5 वर्ष या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अवधि तक होगी।

4.4.4. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS), 2024 {Electric Mobility Promotion Scheme (EMPS), 2024}

सुर्खियों में क्यों?

केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS), 2024 शुरू की। मंत्रालय ने हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (FAME) योजना-II (FAME-II) की योजनावधि समाप्त होने के बाद EMPS 2024 को लागू करने का प्रस्ताव किया है। FAME-II की अवधि 31 मार्च, 2024 को समाप्त हो रही है।

EMPS, 2024 की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

- **नोडल मंत्रालय:** भारी उद्योग मंत्रालय
- **उद्देश्य:** देश में ग्रीन मोबिलिटी को गति प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (e-2W) और इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर (e-3W) वाहनों को तेजी से अपनाने को प्रोत्साहित करना तथा इलेक्ट्रिक वाहन (EV) विनिर्माण इकोसिस्टम का विकास करना।
- **योजनावधि:** 4 महीने (1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2024 तक)।
- **योजना के घटक**
 - **सब्सिडी:** e-2W और e-3W के लिए मांग आधारित प्रोत्साहन उपलब्ध कराना।
 - **सूचना, शिक्षा और संचार (IEC)** गतिविधियों तथा परियोजना प्रबंधन एजेंसी के लिए शुल्क सहित योजना का प्रशासन करना।
- **मांग आधारित प्रोत्साहन का लाभ उठाने की शर्तें:**
 - **मूल उपकरण निर्माता (OEM)** को भारी उद्योग मंत्रालय में पंजीकृत होना आवश्यक है। साथ ही, उनके प्रत्येक EV मॉडल को मंत्रालय से मंजूरी लेना जरूरी होगा।
 - प्रत्येक वाहन मॉडल को वाहन दक्षता के मामले में न्यूनतम तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।
- **पात्रता:**
 - वे वाहन जो केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार मोटर वाहन के रूप में पंजीकृत हैं और
 - वे वाहन जो केवल उन्नत बैटरी से युक्त हैं।
- भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में परियोजना कार्यान्वयन और अनुशंसा समिति का गठन किया गया है। यह समिति EMPS की समग्र निगरानी, मंजूरी और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगी।

4.4.5. यूरिया गोल्ड (Urea Gold)

सुर्खियों में क्यों?

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने “यूरिया गोल्ड” को बाजार में लाने की मंजूरी दी है।

यूरिया गोल्ड के बारे में

- यूरिया गोल्ड सल्फर-लेपित यूरिया (Sulphur-Coated Urea: SCU) उर्वरक है।
- यह जैविक उर्वरक नहीं है। इसे सामान्यतः पहले से गर्म किए गए यूरिया के दानों को पिघले हुए सल्फर के साथ कोटिंग करके तैयार किया जाता है।
- लाभ
 - सल्फर कोटिंग, खेतों में नाइट्रोजन की अधिक दक्षता से आपूर्ति सुनिश्चित करती है।
 - इसमें अधिक समय तक पौधों को पोषक तत्व प्राप्त होते रहते हैं। इससे पौधों को लंबे समय तक हरा-भरा रखने में मदद मिलती है।
 - इससे उर्वरकों की दक्षता में वृद्धि होगी और बार-बार उर्वरकों का छिड़काव नहीं करना होगा। इससे मृदा को उपजाऊ बनाए रखने में मदद मिलेगी।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के अध्ययन के अनुसार, SCU के उपयोग से यूरिया की खपत में 25% की कमी आएगी।
- यह पर्यावरण अनुकूल उर्वरकों (EFFs)¹⁵⁸ के क्षेत्र में सरकार की अन्य पहल का समर्थन करेगा।
 - पर्यावरण अनुकूल उर्वरक (EFFs) ऐसे उर्वरक होते हैं, जो मृदा में पोषक तत्वों की आपूर्ति को धीमा करके या नियंत्रित करके पोषक तत्वों के नुकसान और रिसाव को कम करते हैं। इससे उर्वरकों से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सकता है।
 - EFFs में बायो-कम्पोस्ट, वर्मी-कम्पोस्ट जैसे जैविक उर्वरक भी शामिल हैं।
- भारत में EFFs के लिए शुरू की गई अन्य मुख्य पहलें:
 - प्रणाम/ PM PRANAM (पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन, अवेयरनेस, नौरिश्मेंट एंड एमेलियरेशन ऑफ मदर अर्थ) योजना की घोषणा की गई है।
 - नैनो यूरिया और नीम लेपित यूरिया के उपयोग को मंजूरी दी गई है।
 - प्रधान मंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK) स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर किसानों को उपर्युक्त उर्वरक उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
 - गोबरधन/ GOBARdhan (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन), योजना जैविक खाद तैयार करने में मदद करती है।



4.4.6. पृथ्वी विज्ञान योजना {PRITHvi VIgyan (PRITHVI) Scheme}

सुर्खियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत व्यापक योजना "पृथ्वी विज्ञान (PRITHvi VIgyan: PRITHVI)" को मंजूरी दी।

योजना के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:

- योजना अवधि: 2021-26 तक
- उद्देश्य: पृथ्वी प्रणाली विज्ञान से संबंधित सभी पहलुओं को समग्र रूप से समझना और वैज्ञानिक ज्ञान को समाज के लाभ में उपयोग करना।
 - पृथ्वी प्रणाली विज्ञान, पृथ्वी प्रणाली के सभी पांच घटकों (वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल, क्रायोस्फीयर और जीवमंडल) तथा उनकी जटिल अंतःक्रियाओं से संबंधित है।

¹⁵⁸ Environmentally Friendly Fertilizers

- घटक: इसमें वर्तमान में जारी पांच उप-योजनाएं शामिल हैं:
 - एटमॉस्फियर एंड क्लाइमेट रिसर्च-मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम्स एंड सर्विसेज (ACROSS): यह उप-योजना सतत पर्यवेक्षणों, गहन अनुसंधान एवं विकास, डायनामिक मॉडल्स तथा सूचना के प्रसार व संचार की प्रभावी रणनीतियों को अपनाकर जलवायु व मौसम पूर्वानुमान पद्धति में सुधार करती है।
 - ओशन सर्विसेज, मॉडलिंग एप्लीकेशंस, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी (O-SMART): इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
 - ✓ महासागर क्षेत्रक में उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकियों का विकास;
 - ✓ महासागर क्षेत्रक से संबंधित सेवाओं (पूर्वानुमान एवं सलाह) के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास; तथा
 - ✓ समुद्री और तटीय परिवेश में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना,
 - पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च (PACER): इसमें अंटार्कटिक कार्यक्रम, भारतीय आर्कटिक कार्यक्रम, दक्षिणी महासागर कार्यक्रम तथा क्रायोस्फीयर व जलवायु कार्यक्रम शामिल हैं।
 - सिस्मोलॉजी एंड जियोसाइंस (SAGE): इसमें भूकंपीय निगरानी एवं माइक्रोजोनेशन और जियोक्रोनोलॉजी (भू-कालानुक्रम) के लिए एक इकाई स्थापित करने सहित 6 गतिविधियां शामिल हैं।
 - रिसर्च, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड आउटरीच (REACHOUT): पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में अनुसंधान एवं विकास (RDESS) को शामिल करना, पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में कुशल कार्यबल विकसित करना आदि शामिल हैं।

4.4.7. अन्य संबंधित सुर्खियां (Other Related News)

सुर्खियां	विवरण
अल्जियर्स घोषणा-पत्र (Algiers Declaration)	<ul style="list-style-type: none"> • GECF का 7वां शिखर सम्मेलन अल्जियर्स घोषणा-पत्र अपनाने के साथ संपन्न हुआ। <ul style="list-style-type: none"> ○ इस घोषणा-पत्र का लक्ष्य “प्राकृतिक गैस का एक वहनीय एवं विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत के रूप में इस्तेमाल करना तथा सतत प्राकृतिक गैस प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना है।” • GECF के बारे में <ul style="list-style-type: none"> ○ इसका मुख्यालय दोहा (कतर) में स्थित है। यह एक अंतर-सरकारी संगठन है। इसमें विश्व के प्रमुख गैस निर्यातक देश शामिल हैं। ○ सदस्य: अल्जीरिया, बोलीविया, मिस्र, इक्वेटोरियल गिनी, ईरान, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, रूस, त्रिनिदाद, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला। <ul style="list-style-type: none"> ▪ भारत न तो इसका सदस्य है और न ही इसका पर्यवेक्षक है। • यह मंच गैस के उत्पादकों व उपभोक्ताओं के बीच सार्थक संवाद के लिए एक तंत्र का निर्माण करता है। इसके माध्यम से विश्व में गैस बाजार की स्थिरता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
फाइनेंसिंग एग्रो-केमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट (FARM) कार्यक्रम	<ul style="list-style-type: none"> • वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) द्वारा वित्त-पोषित “फाइनेंसिंग एग्रो-केमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट (FARM)” कार्यक्रम की शुरुआत की गई। • FARM के बारे में: यह 379 मिलियन डॉलर के वित्त-पोषण वाली एक पहल है। इस कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे: <ul style="list-style-type: none"> ○ खाद्य उत्पादन में हानिकारक इनपुट्स के उपयोग पर रोक लगाना; ○ कम या बिना रासायनिक इनपुट्स वाले विकल्प अपनाने को बढ़ावा देना आदि। • कार्यक्रम की अवधि: 5 वर्ष। <ul style="list-style-type: none"> ○ यह कार्यक्रम निम्नलिखित का समर्थन करेगा: <ul style="list-style-type: none"> ▪ स्थायी जैविक प्रदूषकों (POPs) से युक्त एग्रो-केमिकल्स और एग्रो-प्लास्टिक के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने वाले सरकारी नियमों को तथा बेहतर प्रबंधन मानकों को अपनाना। ▪ प्रभावी कीट नियंत्रण; उत्पादन संबंधी विकल्पों की उपलब्धता में सुधार तथा संधारणीय उत्पाद के व्यापार को बढ़ावा देने हेतु बैंकिंग, बीमा और निवेश मानदंडों को मजबूत करना। • FARM के सदस्य: भारत, इक्वाडोर, केन्या, लाओ पीडीआर, फिलीपींस, उरुग्वे और वियतनाम।

	<ul style="list-style-type: none"> लागू करने वाली एजेंसियां: इस कार्यक्रम का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) कर रहा है। वहीं इसे एशियाई विकास बैंक (ADB), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) तथा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) द्वारा लागू किया जाएगा। देशों में इस कार्यक्रम को लागू करने की जिम्मेदारी कृषि एवं खाद्य संगठन (FAO) की होगी।
<p>एनर्जी चार्टर ट्रीटी</p>	<ul style="list-style-type: none"> यूनाइटेड किंगडम ने जीवाश्म ईंधन को बढ़ावा देने वाली एक पुरानी संधि अर्थात् 'एनर्जी चार्टर ट्रीटी' को त्यागने का निर्णय लिया है। एनर्जी चार्टर ट्रीटी ऊर्जा सहयोग के लिए एक ऐसा बहुपक्षीय फ्रेमवर्क प्रदान करती है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत विशिष्ट है। यह संधि कानूनी रूप से अप्रैल 1998 में लागू हुई थी। इस संधि का उद्देश्य खुले व प्रतिस्पर्धी ऊर्जा बाजारों के संचालन के जरिए ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देना है। साथ ही इसमें, ऊर्जा संसाधनों पर सतत विकास और संप्रभुता के सिद्धांतों का भी सम्मान किया जाता है। वर्तमान में, संधि के 53 हस्ताक्षरकर्ता और अनुबंधकर्ता पक्षकार हैं <ul style="list-style-type: none"> भारत इसका पक्षकार नहीं है।
<p>ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया (GFAI)</p>	<ul style="list-style-type: none"> डेनमार्क ने ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया (GFAI) पहल की घोषणा की। यह अलायंस भारत और डेनमार्क के बीच 2020 में हस्ताक्षर किए गए "हरित रणनीतिक साझेदारी या ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप (GSP)" का हिस्सा है। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत में संधारणीय ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देना है। इसके लिए दोनों देशों के उद्योगों, सरकारी संस्थाओं, अनुसंधान संस्थानों आदि के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। GFAI पहल भारत-डेनमार्क एनर्जी पार्टनरशिप से प्रेरित है और हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान एवं विकास जैसे प्रयासों का अगला चरण है। <div data-bbox="998 745 1518 1333" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>भारत द्वारा अन्य देशों के साथ की गई इसी तरह की अन्य साझेदारी</p> <ul style="list-style-type: none"> यू.एस.ए.—भारत रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी ग्रीन/स्वच्छ हाइड्रोजन को लेकर भारत और सऊदी अरब के बीच समझौता ज्ञापन भारत-ऑस्ट्रेलिया ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स ब्राजील, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गठित ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस स्वच्छ ऊर्जा के लिए क्वाड का "क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप" </div>
<p>भारत में जलवायु-अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए निवेश फोरम</p>	<ul style="list-style-type: none"> भारत में जलवायु-अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए निवेश फोरम" लॉन्च किया गया। यह नीति आयोग, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र-खाद्य व कृषि संगठन (FAO) की एक संयुक्त पहल है। उद्देश्य: भारत में सरकारी व निजी क्षेत्रों, किसान संगठनों और वित्तीय संस्थानों के बीच जलवायु-अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए एक निवेश व साझेदारी रणनीति विकसित करना। निवेश फोरम का महत्त्व: निवेश के स्रोत में विविधता लाना, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां, खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना, किसानों को सशक्त बनाना।
<p>राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (State Energy Efficiency Index: SEEI)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने "राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (SEEI) 2023" जारी किया। BEE ने एलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी (AEEE) के सहयोग से राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (SEEI) को विकसित किया है। इस सूचकांक के जरिए ऊर्जा दक्षता (Energy Efficiency) संबंधी पहलों को लागू करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वार्षिक प्रगति का आकलन किया जाता है। <ul style="list-style-type: none"> यह सूचकांक देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऊर्जा दक्षता पहलों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए

	<p>सात "मांग आधारित क्षेत्रों" और इसके 65 संकेतकों का उपयोग करता है।</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ये सात क्षेत्रक हैं- भवन, उद्योग, नगरपालिका सेवाएं, परिवहन, कृषि, विद्युत वितरण कंपनी (DISCOM)¹⁵⁹ और क्रॉस-सेक्टर पहले। ○ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके कुल स्कोर के आधार पर फ्रंट रनर, अचीवर, कंटेडर और एस्पिरेंट में वर्गीकृत किया जाता है। • SEEI-2023 के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र: <ul style="list-style-type: none"> ○ शीर्ष प्रदर्शनकर्ता: कर्नाटक पहले स्थान पर है और इसके बाद आंध्र प्रदेश है। <ul style="list-style-type: none"> ▪ कर्नाटक एकमात्र ऐसा राज्य है, जो "ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता नीति" को अपना रहा है। ○ SEEI 2021-22 की तुलना में SEEI-2023 में 15 राज्यों के स्कोर में सुधार हुआ है। महाराष्ट्र और हरियाणा में सबसे अधिक सुधार देखा गया है।
<p>स्वच्छ और हरित गांव (Clean & Green Villages)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने के लिए 'स्वच्छ और हरित गांव' को प्राथमिकता देगा। • केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) में 9 थीम (विषय) अपनाए हैं। इनमें "स्वच्छ और हरित गांव" पांचवीं थीम है। • स्वच्छ और हरित गांव के निम्नलिखित लक्ष्य हैं: <ul style="list-style-type: none"> ○ ग्रामीण क्षेत्रों में चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular economy) के लाभों को अपनाना, ○ संधारणीय गांवों का विकास करना, तथा ○ संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के उद्देश्यों को प्राप्त करना, जैसे- <ul style="list-style-type: none"> ▪ SDG-7: वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा को अपनाना, तथा ▪ SDG-13: जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। • "स्वच्छ और हरित गांव" के तहत कार्रवाई हेतु 10 क्षेत्रों की पहचान की गई है। इनमें कुछ मुख्य क्षेत्रक निम्नलिखित हैं: <ul style="list-style-type: none"> ○ खुले में शौच मुक्त गांव, ○ स्वच्छ एवं हरित विद्यालय, ○ स्वच्छ एवं हरित आंगनवाड़ी, ○ जैविक खेती (ऑर्गेनिक फार्मिंग) को बढ़ावा देना एवं रसायनों के उपयोग में व्यापक कमी लाना, ○ स्थानीय समितियों को मजबूत करना और उनकी व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करना। • जल शक्ति मंत्रालय; कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय; मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय आदि भी इस पहल में शामिल हो गए हैं।
<p>लघु पैमाने की तरलीकृत प्राकृतिक गैस (Small Scale Liquefied Natural Gas: SSLNG) इकाई</p>	<ul style="list-style-type: none"> • गेल (इंडिया) लिमिटेड ने देश की पहली "लघु पैमाने की तरलीकृत प्राकृतिक गैस (SSLNG) इकाई" स्थापित की। • SSLNG आम तौर पर औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को LNG के तरल या सुपर-कूल्ड स्वरूप में उसकी आपूर्ति करता है। जिन क्षेत्रों में पाइपलाइन कनेक्टिविटी नहीं होती है, उन क्षेत्रों में इसकी आपूर्ति विशेष ट्रकों और छोटे जलयानों के माध्यम से की जाती है। <ul style="list-style-type: none"> ○ परंपरागत रूप से, LNG को पुनः गैसीकृत किया जाता है और इसकी आपूर्ति गैस-पाइपलाइनों के माध्यम से की जाती है। • SSLNG को मुख्यतः समुद्री पोत ईंधन, ऑफ-ग्रिड स्थानों में बिजली उत्पादन, परिवहन ईंधन आदि के लिए उपयोग किया जाता है।
<p>हरित नौका पहल</p>	<ul style="list-style-type: none"> • प्रधान मंत्री ने स्वदेशी ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाला भारत का पहला अंतर्देशीय जलमार्ग पोत लॉन्च किया। इसे हरित नौका पहल के तहत लॉन्च किया गया है। • इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड ने किया है।

¹⁵⁹ Distribution Companies

- हरित नौका पहल का उद्देश्य हरित जहाजों को अपनाकर समुद्री परिदृश्य को बदलना और हरित इकोसिस्टम को अपनाना है।
 - इसका लक्ष्य ईंधन के कम/ शून्य उत्सर्जन वाले स्रोतों को अपनाना और 2047 तक भारतीय जल क्षेत्र में 100% हरित जहाज संचालन सुनिश्चित करना है।

4.5. आपदा प्रबंधन (Disaster Management)

4.5.1. भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department: IMD)

सुर्खियों में क्यों ?

हाल ही में, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अपनी स्थापना की 150वीं वर्षगांठ मनायी।

IMD के बारे में

- इसे 1875 में स्थापित किया गया था। यह देश की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा है।
 - साथ ही, यह WMO के छह क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है।
- यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके 6 क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र हैं।
- मौसम पूर्वानुमान में उपलब्धियां: हाल के समय में डॉप्लर वेदर रडार (DWR) की संख्या में वृद्धि के साथ इसके पूर्वानुमान की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
 - संयुक्त राष्ट्र ने 2020 में आए सुपर चक्रवात 'अम्फान' और 2023 में चक्रवात 'मोचा' के दौरान IMD द्वारा प्रदान की गई प्रारंभिक चेतावनी सेवाओं के लिए सराहना की थी।

IMD द्वारा हाल ही में शुरू की गई पहलें

- नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज (NFCS): यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO)¹⁶⁰ द्वारा शुरू की गई ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज (GFCS) की अवधारणा पर आधारित है।
 - NFCS का लक्ष्य एक ऐसा प्लेटफॉर्म स्थापित करना है जो कृषि, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य एवं जल जैसे क्षेत्रों के लिए उपयोगी जलवायु संबंधी जानकारी और सेवाएं प्रदान करेगा।
- स्वदेशी रूप से विकसित निर्णय समर्थन प्रणाली (DSS)¹⁶¹: IMD ने वेब-GIS-आधारित एकीकृत DSS तैयार की है। इसे मौसम विश्लेषण और पूर्वानुमान सक्षम प्रणाली (WAFES)¹⁶² के रूप में जाना जाता है।
 - लक्षित क्षेत्र: यह "UPHHEATT" पहल के अंतर्गत शहरी (Urban), विद्युत (Power), जल विज्ञान (Hydrology), स्वास्थ्य (Health), ऊर्जा (Energy), कृषि (Agriculture), परिवहन (Transport) और पर्यटन (Tourism) जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए रियल-टाइम जानकारी प्रदान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोक कल्याण को बढ़ावा देना है।
- शुरू की गई अन्य पहलें:
 - पंचायत मौसम सेवा पोर्टल: किसानों को उनकी कृषि संबंधी गतिविधियों की योजना बनाने में मदद करना।
 - IMD का मोबाइल ऐप: IMD ने अपनी सभी तरह की मौसम संबंधी सेवाओं के लिए एक एकीकृत GIS-आधारित इंटरैक्टिव मोबाइल ऐप 'मौसम (MAUSAM)' लॉन्च किया है।

¹⁶⁰ World Meteorological Organization

¹⁶¹ Decision Support System

¹⁶² Weather Analysis and Forecast Enabling System


4.5.2. भारतीय भूस्खलन संवेदनशील मानचित्र (Indian Landslide Susceptibility Map)

सुर्खियों में क्यों?

IIT दिल्ली ने भारत के लिए हाई-रिज़ॉल्यूशन वाला पहला “भारतीय भूस्खलन संवेदनशील मानचित्र (ILSM)¹⁶³” बनाया है।

भारतीय भूस्खलन संवेदनशील मानचित्र (ILSM) के बारे में

- भूस्खलन संवेदनशील मानचित्र के तहत भविष्य में भूस्खलन के घटनाओं की संभावना के आधार पर भौगोलिक क्षेत्रों को अलग-अलग जोन (भाग) में बांटा गया है।
- **मुख्य विशेषता:**
 - इस मानचित्र के मॉडल में भूस्खलन की घटना के लिए उत्तरदायी 16 कारक शामिल किए गए हैं। इनमें ऊंचाई, ढलान, मृदा की संरचना, सड़क की दूरी, नदी से निकटता, वनस्पति आवरण, वर्षण, आदि शामिल हैं।
- **हाई स्पेशियल रिज़ॉल्यूशन मैपिंग:** यह मानचित्र 95% से अधिक सटीकता के साथ 100 मीटर का स्पेशियल रिज़ॉल्यूशन प्रदान करता है।
- इस मानचित्र में देश को भूस्खलन की संभावना के आधार पर पांच भागों में बांटा गया है (मानचित्र देखें)।
- भारत के भूस्खलन संवेदनशील मानचित्र से उजागर हुए मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र
 - भारत का 13.17% भौगोलिक क्षेत्र भूस्खलन के प्रति संवेदनशील है।
 - इसमें 4.75% भौगोलिक क्षेत्र को भूस्खलन के प्रति “अति उच्च संवेदनशील¹⁶⁴” के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
 - हालांकि, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI)¹⁶⁵ का अनुमान भारत में भूस्खलन के प्रति संवेदनशील क्षेत्र 12.6% के बराबर है।
 - प्रतिशत के आधार पर सिक्किम का 57.6 प्रतिशत भू-भाग भूस्खलन के प्रति संवेदनशील है, जो कि सबसे अधिक है।
 - क्षेत्रफल के आधार पर भूस्खलन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील राज्य अरुणाचल प्रदेश है।
 - गैर-हिमालयी क्षेत्रों में से केरल भूस्खलन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र है।



¹⁶³ Indian Landslide Susceptibility Map

¹⁶⁴ Very highly susceptible

¹⁶⁵ Geological Survey of India

4.5.3. अन्य संबंधित सुर्खियां (Other Related News)

सुर्खियां	विवरण
मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा सिस्टम (Weather Information Network and Data System: WINDS)	<ul style="list-style-type: none"> कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने दीर्घकालिक, हाइपरलोकल मौसम डेटा सृजित करने के लिए मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा सिस्टम (WINDS)¹⁶⁶ शुरू किया है। विंड्स/ WINDS के बारे में: <ul style="list-style-type: none"> इसके तहत देश के विभिन्न मौसम अवलोकन प्रणालियों से एकत्र किए गए मौसम संबंधी डेटा को राष्ट्रीय स्तर के WINDS पोर्टल पर एकीकृत किया जाएगा। <ul style="list-style-type: none"> इस कार्यक्रम के तहत 2 लाख से अधिक ग्राउंड स्टेशन स्थापित किये जाएंगे। हाइपरलोकल मौसम पूर्वानुमानों से मौसम से संबंधित विस्तृत और स्थानीयकृत जानकारी प्राप्त होती है। <ul style="list-style-type: none"> इससे किसानों को उनकी लोकेशन के अनुसार और रियल टाइम मौसम संबंधी डेटा से रोपण, सिंचाई एवं कटाई संबंधी निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। इस मॉडल में उन्नत तकनीक का उपयोग किया जाता है, जैसे- उच्च रिज़ॉल्यूशन वाले मौसम आधारित मॉडल, वेदर सेंसर और डेटा एनालिटिक्स।
बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (Flood Management and Border Areas Programme: FMBAP)	<ul style="list-style-type: none"> केंद्रीय मंत्रिमंडल ने “बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (FMBAP)” को जारी रखने की मंजूरी प्रदान कर दी है। मंत्रिमंडल ने 2021-22 से 2025-26 तक अर्थात् पांच वर्ष की अवधि के लिए FMBAP को मंजूरी प्रदान की है। <ul style="list-style-type: none"> इस योजना की शुरुआत 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के दौरान की गई थी। योजना की मुख्य विशेषताएं: <ul style="list-style-type: none"> योजना का प्रकार: यह एक “केंद्र प्रायोजित योजना” है। मंत्रालय: जल शक्ति मंत्रालय। उप-घटक: <ul style="list-style-type: none"> बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (FMP) <ul style="list-style-type: none"> इसमें बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी, जल निकासी विकास, समुद्री अपरदन-रोधी आदि से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। फंडिंग पैटर्न: केंद्र और 8 पूर्वोत्तर राज्यों एवं पहाड़ी राज्यों के बीच 90:10 के अनुपात में वित्त-पोषण साझा किया जाता है। शेष राज्यों के लिए यह अनुपात 60:40 है। इस योजना के तहत अब तक 427 परियोजनाएं पूरी की गई हैं। इससे 4.99 मिलियन हेक्टेयर भूमि को लाभ हुआ है और 53.57 मिलियन लोगों को सुरक्षा मिली है। <ul style="list-style-type: none"> नदी प्रबंधन और सीमा क्षेत्र (RMBA): <ul style="list-style-type: none"> इसके तहत पड़ोसी देशों के साथ साझा सीमा करने वाली नदियों पर बाढ़ नियंत्रण और कटाव-रोधी कार्य किए जाते हैं। जल विज्ञान संबंधी पर्यवेक्षण किए जाते हैं और बाढ़ का पूर्वानुमान लगाया जाता है। इसमें पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं को साझा करने वाली नदियों पर संयुक्त जल संसाधन परियोजनाओं की जांच और निर्माण-पूर्व गतिविधियां शामिल हैं। फंडिंग पैटर्न: 100% केंद्रीय सहायता।

¹⁶⁶ Weather Information Network and Data System

करेंट अफेयर्स की बेहतर तैयारी कैसे करें?



करेंट अफेयर्स सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की आधारशिला है, जो प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू तीनों चरणों में जरूरी होता है। परीक्षा के प्रश्न डायनेमिक स्रोतों से तैयार किए जा रहे हैं। ये प्रश्न सीधे वर्तमान की घटनाओं से जुड़े होते हैं या स्टैटिक कंटेंट तथा वर्तमान की घटनाओं, दोनों से जुड़े होते हैं। इस संदर्भ में, करेंट अफेयर्स से अपडेट रहना अभ्यर्थी को सिविल सेवा परीक्षा के नए ट्रेंड को समझने में सक्षम बनाता है। सही रिसोर्सिंग और एक रणनीतिक दृष्टिकोण के जरिए अभ्यर्थी इस विशाल सेक्शन को अपना सकारात्मक पक्ष बना सकते हैं।



करेंट अफेयर्स के लिए
दोहरी स्तर वाली रणनीति

करेंट अफेयर्स के लिए दोहरी स्तर वाली रणनीति



अपनी फाउंडेशन को मजबूत करना



न्यूज़पेपर पढ़ना: फाउंडेशन

वैश्विक और राष्ट्रीय घटनाओं की व्यापक समझ हेतु न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए प्रतिदिन एक घंटा समर्पित करना चाहिए।



न्यूज़ टुडे: संदर्भ की सरल प्रस्तुति

न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ-साथ, न्यूज़ टुडे भी पढ़िए, जिसमें लगभग 200 या 90 शब्दों में करेंट अफेयर्स का सारांश प्रस्तुत किया जाता है। यह रिसोर्स अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण न्यूज़ की पहचान करने, तकनीकी शब्दों और घटनाओं को समझने में मदद करता है।



मासिक समसामयिकी मैगजीन: गहन विश्लेषण

व्यापक कवरेज और घटनाओं के विस्तृत विश्लेषण के लिए मासिक समसामयिकी मैगजीन आपकी जरूरत पूरी कर सकती है। इससे अलग-अलग क्षेत्रों में विभिन्न घटनाओं के संदर्भ, महत्व और निहितार्थ को समझने में सुविधा होती है।

तैयारी और रिविजन में महारत हासिल करना



वीकली फोकस: फाउंडेशन को मजबूत करना

किसी टॉपिक के बारे में अपनी समझ को मजबूत करने के लिए वीकली फोकस का संदर्भ लीजिए। इसमें किसी प्रमुख मुद्दे के विभिन्न पहलुओं और आयामों के साथ-साथ स्टैटिक तथा डायनेमिक घटकों को शामिल किया जाता है।



आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के हाईलाइट्स तथा सारांश

इसमें आसानी से समझ के लिए जटिल जानकारी को एक कॉम्पैक्ट प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट के सारांश डाक्यूमेंट्स से आप महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।



PT 365 और Mains 365: परीक्षा में प्रदर्शन बढ़ाना

पूरे वर्ष के करेंट अफेयर्स की तैयारी के लिए PT 365 और Mains 365 का उपयोग कीजिए। इससे प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों के लिए रिविजन में भी मदद मिलेगी।



बोशर पढ़ने के लिए दिए गए
QR कोड को स्कैन कीजिए

Vision IAS का त्रैमासिक रिविजन डॉक्यूमेंट उन छात्रों के लिए उपयोगी रिसोर्स है, जो 2-3 महीनों से मंथली अपडेट पढ़ने से चूक गए हैं। यह प्रमुख घटनाक्रमों का सारांश प्रदान करके लर्निंग में निरंतर सहायता प्रदान करता है।

“याद रखिए, करेंट अफेयर्स को केवल याद ही नहीं रखना होता है, बल्कि घटनाओं के व्यापक निहितार्थों और अंतर्संबंधों को समझना भी होता है। जिज्ञासा के साथ आगे बढ़िए; समय के साथ, यह बोझ कम होता जाएगा और यह एक ज्ञानवर्धक अनुभव बन जाएगा।”

4.6. भूगोल (Geography)

4.6.1. ट्रिपल डिप ला-नीना (Triple Dip La-Nina)

सुर्खियों में क्यों?

एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि दुर्लभ परिघटना "ट्रिपल डिप ला-नीना" से भारतीय प्रायद्वीपीय और उत्तर भारत की वायु गुणवत्ता असामान्य रूप से प्रभावित हुई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- 2022-23 की सर्दियों में ट्रिपल डिप ला-नीना अंतिम चरण के दौरान भारत की वायु गुणवत्ता में एक नयी प्रवृत्ति देखने को मिली है:
 - प्रायद्वीपीय भारत में खराब वायु गुणवत्ता
 - उत्तर भारत की वायु गुणवत्ता में सुधार

ट्रिपल डिप ला-नीना के बारे में

- ट्रिपल-डिप ला नीना एक दुर्लभ परिघटना है यह तब घटित होती है जब ला-नीना का प्रभाव लगातार तीन वर्षों तक बना रहता है।
- ला-नीना वस्तुतः अल-नीनो दक्षिणी दोलन (ENSO)¹⁶⁷ का ही एक चरण है।
- 2020-2023 के ट्रिपल-डिप ला नीना की विशिष्टता के लिए उत्तरदायी कारक:
 - 2020-2023 के दौरान का ट्रिपल-डिप ला नीना कुछ अलग था क्योंकि इसके साथ मजबूत अल नीनो की घटना देखने को नहीं मिली थी।
 - अब तक, यह माना जाता था कि मजबूत अल नीनो के चलते विपुवतरेखीय प्रशांत महासागर से वायुमंडल और उच्चतर अक्षांशों तक ऊष्मा की काफी मात्रा स्थानांतरित होती है।
 - इससे महासागर में ऊष्मा की काफी कमी हो जाती है जिसे सामान्य होने में कई साल लग सकते हैं।
- 2020-23 ट्रिपल डिप ला नीना के लिए संभावित स्पष्टीकरण
 - हिन्द महासागर और अटलांटिक महासागर से जुड़ी ENSO की इंटर-बेसिन इंटरैक्शन।
 - उत्तर और दक्षिण प्रशांत महासागर का प्रभाव।
 - ऑस्ट्रेलिया में बुशफायर की घटना।
 - जलवायु परिवर्तन।

नोट: अल नीनो दक्षिणी दोलन (ENSO) के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, कृपया VisionIAS की पर्यावरण PT 365 (अप्रैल-दिसंबर) में आर्टिकल 6.1. (अल नीनो दक्षिणी दोलन) देखें।

4.6.2. क्षेपण मंडल (Subduction Zone)

सुर्खियों में क्यों?

पुर्तगाली वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान लगाया है कि जिब्राल्टर जलडमरूमध्य के नीचे क्षेपण मंडल (सबडक्शन जोन) के कारण लगभग 20 मिलियन वर्षों में अटलांटिक महासागर बेसिन धीरे-धीरे सिकुड़ते हुए विलुप्त हो सकता है। इससे पृथ्वी की भौगोलिक स्थलाकृति में काफी बदलाव हो सकता है।

अन्य संबंधित तथ्य


- अटलांटिक महासागर में पहले से ही दो पूर्ण विकसित सबडक्शन ज़ोन्स मौजूद हैं- लेसर एंटीलिज और स्कोटिया आर्क्स।
 - इसके तीसरे सबडक्शन जोन, जिब्राल्टर आर्क के विकास की गति पिछले कुछ वर्षों में काफी धीमी हो गई थी। इससे इस दुविधा को बढ़ावा मिला था कि यह सक्रिय है अथवा नहीं।



¹⁶⁷ El Niño Southern Oscillation


इस अध्ययन से संबंधित प्रमुख बिंदुओं पर एक नज़र

- नवीनतम अध्ययन के अनुसार, जिब्राल्टर सबडक्शन अभी भी सक्रिय है और यह पश्चिम की ओर अटलांटिक महासागर की तरफ गति करेगा।
- जिब्राल्टर जलडमरूमध्य के नीचे सबडक्शन जोन या क्षेपण मंडल की धीमी गति के बावजूद, विशेषज्ञों का मानना है कि यह बढ़ते हुए अटलांटिक महासागर के अन्य हिस्सों में फैल सकता है। इस परिघटना को 'सबडक्शन इन्वैजन (Subduction invasion)' के रूप में जाना जाता है।
- सबडक्शन जोन जिब्राल्टर जलडमरूमध्य से पश्चिम की ओर गति करेगा। इसे एक नए अटलांटिक सबडक्शन सिस्टम का निर्माण होगा, जिसे 'रिंग ऑफ फायर' कहा जा सकता है।
 - यह प्रक्रिया विल्सन चक्र की मूलभूत विशेषता है। विल्सन चक्र के अनुसार, समुद्र नितल के प्रसार व क्षेपण संबंधी गतिविधियों के कारण महासागरीय बेसिन क्रमशः फैलता और सिकुड़ते हुए बंद होता है।



सबडक्शन जोन या क्षेपण मंडल के बारे में

- 'प्लेट विवर्तनिकी (Plate tectonics) सिद्धांत' के अनुसार, पृथ्वी लगभग 100 किलोमीटर मोटी कई महाद्वीपीय व महासागरीय स्थलमंडलीय प्लेटों (Lithospheric plates) से मिलकर बनी है। ये प्लेटें गर्म और तन्य दुर्बलतामंडल (Asthenosphere) पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज रूप से गति करती हैं।
 - इन प्लेटों की गति की दिशा के आधार पर क्रमशः तीन प्रकार की प्लेट सीमाएं बनती हैं (इन्फोग्राफिक देखें)।
- सबडक्शन जोन:
 - जब दो प्लेटें एक-दूसरे की ओर अभिसरित होती हैं तो अधिक घनत्व वाली और भारी प्लेट, कम घनत्व वाली व हल्की प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाती है। इसके बाद भारी प्लेट मेंल में पहुंचकर नष्ट हो जाती है या पिघलने लगती है।
 - वह क्षेत्र जहां सबडक्शन होता है उसे बेनिऑफ जोन कहा जाता है।
 - उदाहरण के लिए- प्रशांत महासागर के किनारे पर घोड़े की नाल के आकार में सबडक्शन जोन मौजूद है।
- इसे "पैसिफिक रिंग ऑफ फायर" कहा जाता है। इन सबडक्शन जोन्स में "दुनिया के सबसे अधिक भूकंपीय और ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय क्षेत्र" मौजूद हैं। विश्व के सबसे अधिक तीव्रता वाले 80% से अधिक भूकंप यहीं आते हैं और अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी भी इसी क्षेत्र में मौजूद हैं।



4.6.3. अन्य संबंधित सुर्खियां (Other Related News)

सुर्खियां	विवरण
हम्बोल्ट एनिग्मा (Humboldt's enigma)	<ul style="list-style-type: none"> यह तथ्य अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इस तथ्य के अनुसार, सामान्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक जैव विविधता पाई जाती है। हालांकि, पारंपरिक मान्यता यह है कि दुनिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक उत्पादकता और जैव विविधता पाई जाती है। हम्बोल्ट एनिग्मा के समर्थकों का मानना है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बाहर के कई क्षेत्रों में भी अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है, उदाहरण के लिए- पर्वतीय क्षेत्र।
अंटार्कटिक सर्कम्पोलर करंट (ACC)	<ul style="list-style-type: none"> वैज्ञानिकों ने "समुद्र नितल से ऊपर उठी व जलमग्न पर्वत श्रेणी" की खोज की है। यह पर्वत श्रेणी अंटार्कटिक सर्कम्पोलर करंट (ACC) के अंदर छिपी हुई मिली हैं। गौरतलब है ACC विश्व की सबसे प्रबल समुद्री धारा है। इसे दक्षिणी महासागर (Southern Ocean) के क्षेत्र में खोजा गया है। ACC एकमात्र धारा है, जो संपूर्ण विश्व में प्रवाहित होती है। यह अंटार्कटिक महाद्वीप को घेरे हुए है तथा अटलांटिक, हिंद और प्रशांत महासागरों के दक्षिणी भागों से होकर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। बेहतर खनिज के स्रोत: जस्ता, सोना, चांदी, तांबा, डोलोमाइट, संगमरमर आदि।
रिप करंट्स (Rip currents)	<ul style="list-style-type: none"> भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा रिप करंट्स की निगरानी करने एवं इसके बारे में पूर्वानुमान अलर्ट जारी करने का कार्य किया जाएगा। रिप करंट्स वस्तुतः तट (Beach) से वापस खुले महासागर, समुद्र या झील की ओर प्रवाहित होने वाला जल का तीव्र प्रवाह है। इन करंट्स की चौड़ाई 10 या 20 फीट तक संकरी हो सकती हैं। हालांकि, वे चौड़ाई में दस गुना तक बड़ी हो सकती हैं। वे संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग, खाड़ी और पश्चिमी तटों के साथ-साथ ग्रेट लेक्स के तटों पर भी प्रवाहित होती है। रिप करंट्स का प्रवाह जल निकाय में मौजूद लोगों को जल के अंदर नहीं खींचता, बल्कि लोगों को किनारे से दूर धकेलता है।
प्लैनेटरी बाउंड्रीज़ (ग्रहीय सीमाएं) फ्रेमवर्क	<ul style="list-style-type: none"> पर्यावरणीय उपलब्धि के लिए जोहान रॉकस्ट्रॉम को 2024 का टायलर पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार उन्हें प्लैनेटरी बाउंड्रीज़ फ्रेमवर्क पर उनके प्रयासों के लिए दिया जाएगा। पहली बार 2009 में प्रकाशित, प्लैनेटरी बाउंड्रीज़ नौ प्रणालियों को एकीकृत करती है। ये प्रणालियां पृथ्वी ग्रह की कार्य-प्रणाली और स्थिति को निर्धारित करती हैं। इन नौ प्लैनेटरी बाउंड्रीज़ में जलवायु परिवर्तन, जीवमंडल की अखंडता, भूमि-प्रणाली परिवर्तन, ताजे जल में परिवर्तन, जैव-भू-रासायनिक प्रवाह, नवीन घटक, समतापमंडलीय ओज़ोन परत का क्षरण, वायुमंडलीय एयरोसोल लोडिंग और महासागर अम्लीकरण शामिल हैं। ये प्लैनेटरी बाउंड्रीज़ मानवों और मानवता को जीवन-सहायता प्रदान करती हैं। इनकी सीमा में रहते हुए मानव और उसकी आने वाली पीढ़ियां विकसित हो सकती हैं व फल-फूल सकती हैं। एक हालिया अध्ययन के अनुसार, 9 में से 6 प्लैनेटरी बाउंड्रीज़ का मानव-जनित गतिविधियों के कारण उल्लंघन हुआ है।

<p>स्टार ड्यून्स</p>	<ul style="list-style-type: none"> वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर मौजूद विशाल मरुस्थलीय स्टार ड्यून्स का पहला गहन अध्ययन करके उनकी आंतरिक संरचना का खुलासा किया है। <ul style="list-style-type: none"> यह अध्ययन एर्ग चेम्बी (पूर्वी मोरक्को) में लाला ललिया नामक एक स्टार ड्यून्स पर केंद्रित है। लाला ललिया का अर्थ "सर्वोच्च पवित्र बिंदु" होता है। इनका निर्माण जटिल पवन तंत्र वाले क्षेत्रों में होता है। जटिल पवन तंत्र का आशय है कि उस क्षेत्र में पवनों का प्रवाह सभी दिशाओं से होता है। पृथ्वी के मरुस्थलों में बनने वाले सभी ड्यून्स में स्टार ड्यून्स का हिस्सा केवल 10% है। सभी ड्यून्स में इनकी ऊंचाई सर्वाधिक होती है। पृथ्वी के सबसे विशाल स्टार ड्यून्स बदैन जारन मरुस्थल (चीन) में पाए जाते हैं। इन्हें मंगल ग्रह पर और शनि के चंद्रमा टाइटन पर भी देखा गया है।
<p>एंथ्रोपोसीन युग (मानव युग)</p>	<ul style="list-style-type: none"> इंटरनेशनल स्ट्रेटीग्राफी कमीशन ने भूगर्भिक टाइम स्केल में 'एंथ्रोपोसीन युग की शुरुआत' की घोषणा करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। एंथ्रोपोसीन युग भूगर्भिक कालखंड की एक अनौपचारिक अवधि है। यह पृथ्वी के इतिहास की सबसे हालिया अवधि का वर्णन करता है। इस दौरान विशेष रूप से औद्योगीकरण के बाद से मानव गतिविधियों ने पृथ्वी की जलवायु और पारिस्थितिकी-तंत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालना शुरू कर दिया था। वर्तमान युग को होलोसीन कहा जाता है, जो अंतिम प्रमुख हिमयुग के बाद 11,700 वर्ष पहले शुरू हुआ था। <ul style="list-style-type: none"> वर्तमान में, भूवैज्ञानिक टाइम स्केल पर हम फैनरोजोइक इयोन, सेनोजोइक महाकल्प, चतुर्थ कल्प, होलोसीन युग और मेघालयन काल में हैं।
<p>एटमोस्फियरिक रिसर्च टेस्टबेड इन सेंट्रल इंडिया (ART-CI)</p>	<ul style="list-style-type: none"> पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) ने मध्य प्रदेश में ART-CI के पहले चरण का उद्घाटन किया। उद्देश्य: इसका उद्देश्य मानसूनी वर्षा वाले मुख्य क्षेत्रों में मानसून संवहन तथा भूमि और वायुमंडल के बीच अंतर्क्रिया को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं पर अच्छी समझ विकसित करने के लिए मौसम अनुसंधान को बेहतर करना है। यह पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) द्वारा संचालित अपनी तरह की पहली परीक्षण सुविधा है। इसकी स्थापना MoES की एटमोस्फियर एंड क्लाइमेट रिसर्च-मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम्स एंड सर्विसेज (ACROSS/ अक्रोस) नामक अम्ब्रेला स्कीम के तहत की गई है। ART-CI में रिमोट-सेंसिंग और इन-सीटू उपकरण होंगे। ये संवहन, बादल, वर्षा, मृदा की नमी, विकिरण आदि का निरंतर पर्यवेक्षण कर डेटा प्रदान करेंगे।
<p>आयनमंडल (Ionosphere)</p>	<ul style="list-style-type: none"> अंटार्कटिका में भारती स्टेशन के शोधकर्ताओं ने आयनमंडल का पर्यवेक्षण किया है। इसमें यह पता चला है कि आयनमंडल के घनत्व में मौसम के आधार पर काफी भिन्नता पाई जाती है। यह पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल का एक हिस्सा है। इसका विस्तार 100-1,000 कि.मी. के बीच है। यह आंशिक रूप से आयनित (Ionized) होता है। इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन्स की एक परत पाई जाती है। इसका निर्माण एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट (EUV) और एक्स-रे सौर विकिरण द्वारा परमाणुओं व अणुओं को आयनित करने से हुआ है। यह रेडियो तरंगों को परावर्तित और संशोधित करता है। रेडियो तरंगें संचार और नेविगेशन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में यह काफी गतिशील होता है और अंतरिक्ष के मौसम की घटनाओं (जैसे कि भू-चुंबकीय तूफान, सौर ज्वालामुखी आदि) के लिए एक प्रमुख ऊर्जा सिंक के रूप में कार्य करता है।

4.6.4. सुर्खियों में रहे स्थल (Places in News)

4.6.4.1. भौगोलिक विशेषताएं (भारत) {(Geographical features (India))}

सुर्खियों में रहे स्थल और नदियां: भारत

चिनाब नदी

- जम्मू और कश्मीर में रतले जल-विद्युत परियोजना के लिए चिनाब नदी के जल को मोड़ने में सफलता मिली है।
- चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में केलोंग के पास चंद्रा और भागा नामक दो जल-धाराओं के संगम से बनती है।
- इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है।
- आगे यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है।
- यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है।

शिंकुन ला दर्रा

- सीमा सड़क संगठन (BRO) ने कारगिल-लेह राजमार्ग पर दारचा और निम्नू होते हुए मनाली (हिमाचल प्रदेश) से लेह (लद्दाख) तक सड़क संपर्क स्थापित किया है। यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क मार्ग है।
- यह हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति को कारगिल की जांस्कर घाटी (लद्दाख) से जोड़ता है।

'चार (Char)' क्षेत्र

- असम के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि मिशन बसुंधरा 4.0 के तहत "चार" क्षेत्र के भीतर स्थित भूमि का सर्वेक्षण किया जाएगा।
- चार-चपोरी ब्रह्मपुत्र नदी के तटवर्ती क्षेत्रों (द्वीप) का स्थानीय नाम है।

क्षिप्रा नदी

- CAG ने अपने परफॉर्मेंस ऑडिट में उल्लेख किया है कि सरकारी एजेंसियों की कार्रवाइयों के बावजूद क्षिप्रा नदी अभी भी प्रदूषित बनी हुई है।
- यह विंध्य रेंज (कोकरी बर्डी पहाड़ी) से निकलती है।
- मालवा के पठार से होकर बहती हुई चंबल नदी में मिल जाती है।
- इसके तट पर उज्जैन अवस्थित है।
- मुख्य सहायक नदियां: काह्न और गंभीर

दिबांग नदी

- प्रधान मंत्री ने दिबांग बहुउद्देशीय जलविद्युत परियोजना की आधारशिला रखी।
- उद्गम: यह अरुणाचल प्रदेश में एडजोनछू (AdzonChhu) चोटी के दक्षिणी ढलान से निकलती है।
- यह आगे दिहांग और लोहित नदी से मिलती है।
- यह ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है।
- सहायक नदियां: दरी, मथून, तलोन, एमे, अहि, एमरा और आवा

अरावली पहाड़ियां

- सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला (राजस्थान) में खनन गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश जारी किए हैं।
- यह विश्व के सबसे प्राचीन वलित पर्वतों में से एक है।
- इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट आबू में गुरु शिखर (राजस्थान) है।
- नदियां: अरावली से बनास व साहिबी (यमुना की सहायक नदियां), लूनी आदि नदियां निकलती है।
- अरावली सिंधु और गंगा बेसिन के बीच जल विभाजन का कार्य करती है।

इंफाल नदी

- मणिपुर के लीमाखोंग पावर स्टेशन से हैवी फ्यूल लीक होने के बाद एक जलधारा में मिल गया है। चिंता का विषय यह है कि यह जलधारा इंफाल नदी में जाकर मिलती है।
- यह नदी राज्य के सेनापति जिले में करोंग की उत्तरी पहाड़ियों से निकलती है।
- यह नदी लिलोंग नामक स्थान पर इरिल नदी से मिलती है।
- इंफाल और अन्य नदियां कई दलदली क्षेत्र व झीलों का निर्माण करती हैं। प्रसिद्ध लोकटक झील इन्हीं झीलों में से एक है।

वैज बैंक इकोसिस्टम

- एक रिपोर्ट के अनुसार, तेल और गैस ब्लॉक्स के प्रस्तावित अन्वेषण व विकास से "वैज बैंक इकोसिस्टम" पर प्रभाव पड़ सकता है।
- यह भारतीय महाद्वीपीय मग्नतट का हिस्सा है और यह दुनिया के सर्वाधिक उत्पादक तटीय क्षेत्रों में से एक है।

कोडरमा जिला (झारखंड)


- कोडरमा जिले में एक 'वल्वर रेस्टोरेंट' स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य बीमार मवेशियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले डाइक्लोफेनेक जैसी दवाओं के प्रतिकूल प्रभाव से गिद्धों को बचाना है।
- * इस तरह के रेस्टोरेंट महाराष्ट्र के रायगढ़, गढ़चिरोली और नासिक जिले में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पहले से स्थापित हैं।

4.6.4.2. भौगोलिक विशेषताएं (अंतर्राष्ट्रीय) {Geographical features (International)}

सुर्खियों में रहे स्थल: अंतर्राष्ट्रीय

ग्रेट लेक्स

- उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक्स में लगातार दूसरे वर्ष औसत से काफी कम हिम आवरण दर्ज किया गया है।
- ग्रेट लेक्स में सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, एरी और ओंटारियो झीलें शामिल हैं। ये झीलें मिलकर पृथ्वी पर सबसे बड़ी ताजा सतही जल प्रणाली बनाती हैं।
- मिशिगन झील को छोड़कर, शेष झीलें कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती हैं।



पनामा नहर

- पनामा नहर भीषण सूखे का सामना कर रही है।
- यह नहर अटलांटिक महासागर (कैरिबियन सागर) को प्रशांत महासागर से जोड़ती है।
- इसका निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका ने कराया था। आरंभ में, इसके उद्घाटन (1914) के बाद से इस पर संयुक्त राज्य अमेरिका का ही नियंत्रण था। हालांकि 1999 में अमेरिका ने यह नियंत्रण पनामा को सौंप दिया था।

रेटबा झील/ लेक रोज/ पिंक लेक, सेनेगल (राजधानी: डैकार)

- नाइट्रेट के स्तर में अचानक वृद्धि के कारण यह झील सूखने की कगार पर पहुंच गई है।
- शैवाल की उपस्थिति के कारण इसका रंग पिंक हो गया है।

CSAT

क्वासेस

2024



4.6.4.3. सुर्खियों में रहे देश (Countries in News)

सुर्खियों में रहे देश

कंबोडिया (राजधानी: नोम पेन्ह)

- भारत कंबोडिया में बाघों को पुनः बसाने की योजना बना रहा है। इसी पर विशेष ध्यान देते हुए उसने जैव विविधता संरक्षण पर कंबोडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।



मेक्सिको (राजधानी: मेक्सिको सिटी)

- मेक्सिको सिटी में भी डे जीरो की स्थिति बन गई है।



कैमरून

- इसने नागोया प्रोटोकॉल अपनाया है। यह प्रोटोकॉल आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से उत्पन्न लाभों के उचित व न्यायसंगत तरीके से साझाकरण पर केंद्रित है।



बेल्जियम

- बेल्जियम 'इकोसाइड' को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में स्वीकार करने वाला यूरोप का पहला देश बन गया है।
- इकोसाइड: पर्यावरण संबंधी व्यापक व दीर्घकालिक नुकसान
- इस शब्दावली का पहली बार अमेरिकी जीवविज्ञानी आर्थर गैलस्टन ने 1970 में किया था।



4.7. शुद्धिपत्र (Errata)

PT 365 पर्यावरण (अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023)

- 3.2.6. स्टेट ऑफ़ द राइनो 2023 रिपोर्ट: पृष्ठ संख्या 79 पर दिए गए इन्फोग्राफिक में, व्हाइट राइनो की IUCN स्थिति का उल्लेख "नियर थ्रेटेंड" के रूप में किया गया है। सही जानकारी यह है कि सर्द व्हाइट राइनो की उप-प्रजाति को IUCN की लाल सूची के तहत "नियर थ्रेटेंड" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि नॉर्दर्न व्हाइट राइनो की उप-प्रजाति को "क्रिटिकली एंडेंजर्ड" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- 3.4.3. सुर्खियों में रही झीलें और आर्द्रभूमियां:
 - पृष्ठ संख्या 110 पर दिए गए टेबल में-
 - पुलिकट झील को गलत तरीके से रामसर स्थल के रूप में उल्लेखित किया गया है। सही जानकारी यह है कि यह रामसर स्थल नहीं है।
 - पृष्ठ संख्या 110 पर दिए गए टेबल में-
 - सुंदरवन (पश्चिम बंगाल) को गलत तरीके से "सांस्कृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल" के रूप में उल्लेखित किया गया है। सही जानकारी यह है कि सुंदरवन "प्राकृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल" है।

ऑल इंडिया मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज़

देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव
असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं

- ✓ सामान्य अध्ययन
- ✓ निबंध
- ✓ दर्शनशास्त्र

ENGLISH MEDIUM 2024: 5 MAY

हिन्दी माध्यम 2024: 5 मई

ENGLISH MEDIUM 2025: 5 MAY

हिन्दी माध्यम 2025: 5 मई



Scan the QR CODE to
download VISION IAS app



5. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

5.1. भारत में कुल प्रजनन दर में गिरावट {Declining Total Fertility Rate (TFR) in India}

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, लैंसेट में प्रकाशित ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2021 में इस बात को रेखांकित किया गया है, कि भारत में कुल प्रजनन दर (TFR)¹⁶⁸ घट कर 2050 तक 1.29 और 2100 तक 1.04 हो जाने की संभावना है।

कुल प्रजनन दर (TFR) क्या है?

- कुल प्रजनन दर को एक महिला द्वारा 15-49 वर्ष के पूरे प्रजनन काल के दौरान पैदा होने वाले बच्चों की औसत संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यदि उसके पूरे प्रजनन काल में एक समान जनन-क्षमता और पैटर्न बना रहता है।
 - 2.1 की कुल प्रजनन दर यानी प्रत्येक महिला द्वारा दो बच्चों को जन्म देने की स्थिति को जनसंख्या प्रतिस्थापन दर (Replacement rate) माना जाता है। यह जनसंख्या में सापेक्षिक स्थिरता को दर्शाता है।
 - 2021 में भारत की TFR 1.91 थी, जो 2.1 की प्रतिस्थापन दर से काफी कम है।
 - भारत में 2050 में 1.3 करोड़ बच्चों के पैदा होने का अनुमान है।

कुल प्रजनन दर में गिरावट के कारण



महिलाओं में शिक्षा के स्तर में वृद्धि और गर्भनिरोधक दवाओं का बढ़ता उपयोग



परिवार नियोजन हेतु शुरू की गई पहलों से दंपत्ति को बच्चों की संख्या निर्धारित करने और बच्चों के जन्म के बीच अंतर रखने संबंधी निर्णय लेने में मदद मिली है



देरी से विवाह करने के कारण **गर्भधारण की औसत आयु में वृद्धि हुई है**



जीवनशैली से जुड़े कटक, जैसे- मोटापा, तनाव, धूम्रपान और प्रदूषण का बढ़ना



बाल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण **बाल मृत्यु दर में आई गिरावट**

कुल प्रजनन दर में गिरावट का प्रभाव सकारात्मक प्रभाव:

- संसाधनों का बेहतर उपयोग: प्रजनन दर में कमी आने से भूमि, जल और अन्य संसाधनों पर दबाव कम होगा और इससे पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी।
- शैक्षिक दक्षता: TFR में गिरावट आने से स्कूलों में बच्चों की संख्या भी कमी होगी। इससे बच्चों पर बेहतर ध्यान दिया जा सकता है और इसके अच्छे शैक्षिक परिणाम प्राप्त होंगे। इसके लिए सरकार को प्रति व्यक्ति अतिरिक्त संसाधन भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

नकारात्मक प्रभाव:

- आश्रित आबादी के अनुपात (Dependency Ratio) में वृद्धि: साधारण भाषा में यह प्रति 100 व्यक्तियों में 'आर्थिक रूप से उत्पादक आयु समूह' (15-64 वर्ष) और 'आश्रित आयु समूह' (15 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष व उससे अधिक) के बीच अनुपात है।
- वित्तीय चुनौतियां: कामकाजी आबादी में कमी और सामाजिक सुरक्षा पर व्यय में वृद्धि होगी। इससे देश के राजकोषीय संसाधनों पर बोझ बढ़ेगा।
- प्रवासन पैटर्न: प्रजनन दर के घटने से प्रवास पैटर्न भी प्रभावित हो सकता है। ऐसे देश, जहां वृद्ध लोगों की आबादी अधिक है, वे कार्यबल की कमी को दूर करने के लिए अपने यहां प्रवासियों को आकर्षित कर सकते हैं। इससे जनसांख्यिकीय विविधता को बढ़ावा मिलेगा।

¹⁶⁸ Total Fertility Rate


5.2. भारत में महिलाओं का आंतरिक प्रवासन (Internal Female Migration in India)

सुर्खियों में क्यों?

भारत में प्रवासन पर रिपोर्ट, 2020-21 जारी की गई। यह रिपोर्ट आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)¹⁶⁹ पर आधारित है। इस रिपोर्ट के अनुसार पुरुषों की प्रवासन दर 10.7 प्रतिशत है जबकि महिला प्रवासन दर 47.9 प्रतिशत है।

भारत में महिलाओं के आंतरिक प्रवासन की स्थिति

- **प्रवासी अनुमान:** भारत में प्रवासन दर (कुल जनसंख्या में प्रवासियों का प्रतिशत) के 28.9 प्रतिशत होने का अनुमान है।
- **राज्यों के भीतर और अंतरराज्यीय रुझान:** राज्य के भीतर प्रवासन करने वाली ज्यादातर आबादी महिलाओं की है, जबकि एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवासन करने वालों में ज्यादातर आबादी पुरुषों की है।
 - राज्य के भीतर प्रवासन आबादी का लगभग 33 प्रतिशत विवाह के कारण प्रवासन से संबंधित है, वहीं राज्यों के भीतर होने वाले महिला प्रवासन के मामले में विवाह की वजह से होने वाले प्रवासन का अनुपात 51 प्रतिशत है।
- **ग्रामीण और शहरी रुझान:** ग्रामीण से शहरी अंतर-राज्यीय प्रवासन में पुरुषों की संख्या अधिक है, जबकि ग्रामीण से ग्रामीण प्रवासन में महिला प्रवासियों की संख्या अधिक है।



5.3. भारत में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल में सुधार (Senior Care Reforms in India)

सुर्खियों में क्यों?


नीति आयोग ने "भारत में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल में सुधार करना: वरिष्ठ नागरिक देखभाल प्रतिमान की पुनर्कल्पना¹⁷⁰" नामक अध्ययन-पत्र जारी किया है।

वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल- एक नज़र में

- **जनसांख्यिकीय विशेषताएं:** भारत में वरिष्ठ नागरिक उन्हें कहा जाता है, जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है। उनकी आबादी वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या के 10% से थोड़ा अधिक अर्थात् लगभग 104 मिलियन है।
- **स्वास्थ्य:** 75 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिक एक या अधिक क्रॉनिक बीमारियों से पीड़ित हैं।
- **पेंशन:** 78% वृद्ध आबादी बिना पेंशन कवर के जीवन व्यतीत करती है।
- **आहार:** भारत में वृद्धि आबादी में खाद्य असुरक्षा बढ़ रही है।

भारत में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सहायता फ्रेमवर्क

- **संवैधानिक प्रावधान:**
 - **अनुच्छेद 41:** राज्य बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता आदि की दशाओं में कार्य, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपबंध करेगा।



¹⁶⁹ Periodic Labour Force Survey

¹⁷⁰ Senior Care Reforms in India: Reimagining the Senior Care Paradigm

- भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची: राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 9 और समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20, 23 व 24 वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा तथा आर्थिक और सामाजिक नियोजन से संबंधित है।
- कानूनी उपाय:
 - हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 20 संतान के लिए अपने वृद्ध माता-पिता को भरण-पोषण प्रदान करना अनिवार्य बनाती है।
 - आयकर अधिनियम वरिष्ठ नागरिकों को कर में छूट प्राप्त करने का दावा करने की अनुमति देता है।
 - वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 बनाया गया है।
 - राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) (वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सेवाएं) योजना, 2016 कानूनी सहायता की आवश्यकता वाले बुजुर्ग नागरिकों को सहायता प्रदान करती है।
- कल्याणकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम:
 - सक्षम वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानपूर्वक पुनः रोजगार¹⁷¹ पोर्टल: इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को निजी क्षेत्र के नियोजकों से जोड़ना है।
 - सीनियर एजिंग ग्रोथ इंजन (SAGE) पहल: इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए देखभाल संबंधी उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने तथा प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च किया है।
 - अन्य कल्याणकारी उपाय: अन्य उपायों में वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष; वयोश्रेष्ठ सम्मान; सुगम्य भारत अभियान; राष्ट्रीय वयोश्री योजना आदि शामिल हैं।

वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल हेतु नीतिगत समर्थन

- **वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति (NPOP);**
- **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP):** इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना (IGNDPS)
- **अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY):** यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम है।

5.4. स्ट्रीट वेंडर्स (जीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग विनियमन) अधिनियम, 2014 {Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014}

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, आवासन और शहरी कार्य मंत्री ने स्ट्रीट वेंडर्स (जीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग विनियमन) अधिनियम, 2014 के प्रावधानों के कार्यान्वयन की धीमी गति का उल्लेख किया है।

भारत में स्ट्रीट वेंडर्स

- किसी सड़क या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान या निजी जगह पर अस्थायी रूप से निर्मित संरचना (जैसे- दूकान, ठेला, रेहड़ी-पटरी आदि) से या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर वस्तुओं/ सामानों की बिक्री करने वालों को स्ट्रीट वेंडर कहा जाता है।

स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम, 2014 की मुख्य विशेषताएं

- **स्ट्रीट वेंडर्स के अधिकार:** प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर (पथ विक्रेता) को वेंडिंग (विक्रय) प्रमाण-पत्र में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार, स्ट्रीट वेंडिंग गतिविधियां संचालित करने का अधिकार है।
- **टाउन वेंडिंग समितियां (TVCs)¹⁷²:** अधिनियम में प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण में इनका गठन किए जाने का प्रावधान किया गया है। ये समितियां किसी शहर में वेंडिंग जोन की गणना, पहचान और आवंटन का काम करेंगी।
 - **TVCs को मिश्रित रूप से गठित किया जाने का प्रावधान किया गया है। इनमें कम-से-कम 40% निर्वाचित सदस्य स्ट्रीट वेंडर्स होंगे, जिनमें से एक-तिहाई महिलाएं होंगी।**
- **स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वेक्षण:** यह कार्य चिन्हित किए गए वेंडर्स को वेंडिंग प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्रत्येक पांच साल में कम-से-कम एक बार किए जाने का प्रावधान किया गया है।

¹⁷¹ Senior Able Citizens for Re-Employment in Dignity: SACRED

¹⁷² Town Vending Committees

- **वेंडर्स की संख्या पर अधिकतम सीमा:** यह संबंधित वेंडिंग जोन में वेंडर्स को समायोजित करने के लिए **वार्ड या जोन या कस्बे या शहर की आबादी का 2.5% निर्धारित** की गई है।
- **शिकायत निवारण समितियां:** इनका गठन राज्यों द्वारा किया जाना है। समितियों की अध्यक्षता एक **सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी** करेगा। इनका काम स्ट्रीट वेंडर्स की शिकायतों की निष्पक्ष जांच करना है।
- **जब्त किए गए माल को वापस करने की अवधि:** **देरी से खराब होने वाले माल** के मामले में, माल दावे के दो कार्य दिवसों के भीतर वापस दिया जाना है। वहीं, **जल्दी खराब होने वाले माल** के मामले में, माल दावे के उसी दिन वापस किया जाएगा।

नोट: यह अधिनियम रेलवे के स्वामित्व और नियंत्रण वाली किसी भी भूमि, परिसर और ट्रेनों पर लागू नहीं होता है।

5.5. क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा देना (Education in Regional Languages)

सुर्खियों में क्यों?

शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों और उच्चतर शिक्षण संस्थाओं को अगले तीन वर्षों के भीतर **संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं में अध्ययन सामग्री डिजिटल रूप में उपलब्ध** कराने का निर्देश दिया गया है।

क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा के लिए नीतिगत फ्रेमवर्क

- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020:** इसमें शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर बहुभाषी लर्निंग की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
 - इसमें प्रावधान है कि जहां भी संभव हो, कम-से-कम कक्षा 5 तक **शिक्षा का माध्यम मातृभाषा/ क्षेत्रीय भाषा** होनी चाहिए। प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि कक्षा 8 तक और उससे ऊपर की कक्षा तक भी **शिक्षा का माध्यम मातृभाषा/ क्षेत्रीय भाषा** हो।
 - इसमें **त्रिभाषा फार्मूला** को लागू रखने का प्रावधान किया गया है।
 - इसमें **परिवार में बोली जाने वाली भाषा/ मातृभाषा में उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकें** उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, यह शिक्षकों को पढ़ाते समय द्विभाषी दृष्टिकोण का उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है।
- **शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009:** जहां तक संभव हो **शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही** होनी चाहिए।
- **संविधान का अनुच्छेद 350A:** इसमें प्रावधान किया गया है कि सरकार **भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध** कराने की व्यवस्था करेगी।

क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने से संबंधित मुख्य पहलें



अनुवादिनी (AI आधारित ऐप): इस ऐप के जरिए **इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, अंडर-ग्रेजुएट, पोस्ट-ग्रेजुएट और कौशल विकास से संबंधित पुस्तकों का अनुवाद** किया जाता है।



ई-कुंभ (e-KUMBH) पोर्टल: इसे AICTE ने अलग-अलग भारतीय भाषाओं में **तकनीकी शिक्षा से जुड़ी पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध** कराने के लिए शुरू किया है।



दीक्षा पोर्टल: यह पोर्टल **30 से अधिक भारतीय भाषाओं में स्कूली शिक्षा के लिए अध्ययन सामग्री उपलब्ध** कराता है।



प्राकृतिक भाषा अनुवाद मिशन: इसे **सभी क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षण और अनुसंधान सामग्री प्राप्त करने की सुविधा** प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया है।



JEE, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET), CUET जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं 13 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जा रही हैं।

5.6. शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER) 2023 {Annual Status of Education Report (ASER) 2023}

सुर्खियों में क्यों?

NGO प्रथम ने अपनी 'शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER) 2023: बियॉन्ड बेसिक्स' जारी की।

ASER रिपोर्ट के बारे में

- ASER रिपोर्ट को 2005 में शुरू किया गया था। यह सर्वेक्षण स्थानीय नागरिक और समूह द्वारा किया जाता है। यह ग्रामीण भारत के बच्चों की शिक्षा की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
- 'बेसिक' ASER सर्वेक्षण 3 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के संदर्भ में प्री-स्कूल और स्कूल में नामांकन के बारे में जानकारी एकत्र करता है।
- 'बियॉन्ड बेसिक्स' सर्वेक्षण, 14 से 18 वर्ष की आयु के युवाओं की गतिविधियों, जागरूकता, क्षमताओं और आकांक्षाओं पर केंद्रित है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:

- 14-18 वर्ष के ग्रामीण युवाओं के लिए:**
 - नामांकन पैटर्न:** 86.8% ग्रामीण युवा या तो स्कूल या कॉलेज में नामांकित हैं। 84% युवाओं ने स्कूली शिक्षा के 8 या अधिक वर्ष पूरे कर लिए हैं, जबकि 2017 में यह आंकड़ा 81% था।
 - 56.4% और 31.3% युवा दसवीं कक्षा से आगे क्रमशः मानविकी और विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। केवल 0.7% ने ही कृषि विषय का अध्ययन करने की सूचना दी है।
 - सीखने का स्तर:** इस आयु वर्ग के लगभग 25% युवा अपनी क्षेत्रीय भाषा में कक्षा-2 स्तर के पाठ बिना अटके नहीं पढ़ सकते हैं।
 - क्षेत्रीय भाषा में बिना अटके पाठ पढ़ने में लड़कियां लड़कों से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, जबकि लड़के अंकगणित और अंग्रेजी पढ़ने में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।
 - अन्य गतिविधियां:** वर्तमान में केवल 5.6% युवा व्यावसायिक प्रशिक्षण या अन्य संबंधित पाठ्यक्रम (Courses) में शामिल हो रहे हैं।
 - अधिकांश युवा जो घरेलू काम के अलावा अन्य गतिविधियों में कार्य कर रहे हैं, वे परिवार की कृषि संबंधी गतिविधियों में ही संलग्न हैं।
 - डिजिटल पहुंच:** 95% पुरुष और 90% महिलाएं स्मार्टफोन का उपयोग करना जानते हैं।

उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-2022

- शिक्षा मंत्रालय ने उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE)¹⁷³ 2021-2022 जारी किया है।
 - शिक्षा मंत्रालय 2010-11 से प्रतिवर्ष उच्चतर शिक्षा की स्थिति दर्शाने के लिए एक वार्षिक वेब-आधारित AISHE का आयोजन करता रहा है।
 - AISHE के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा से शैक्षणिक विकास के संकेतक जैसे संस्थान घनत्व, सकल नामांकन अनुपात, छात्र-शिक्षक अनुपात, लैंगिक समानता सूचकांक (जेंडर पैरिटी इंडेक्स) और प्रति छात्र व्यय की गणना की जाती है।
- रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:
 - उच्चतर शिक्षा में कुल नामांकन 2020-21 में 4.14 करोड़ था। यह 2021-22 में बढ़कर लगभग 4.33 करोड़ हो गया।
 - उच्चतर शिक्षा में महिलाओं का नामांकन बढ़कर 2.07 करोड़ हो गया है। वर्ष 2014-15 से यह 32 प्रतिशत की वृद्धि है।
 - छात्र नामांकन वाले शीर्ष 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान शामिल हैं।
 - भारत में 18-23 वर्ष के आयु वर्ग के लिए उच्चतर शिक्षा में अनुमानित सकल नामांकन अनुपात (GER)¹⁷⁴ 28.4 है।
 - AISHE 2021-22 के अनुसार, लगातार पांचवें साल महिला GER, पुरुष GER की तुलना में अधिक बना हुआ है।
 - ✓ GER किसी दी गई आबादी समूह के भीतर उच्चतर शिक्षा में भागीदारी के स्तर का एक प्रमुख संकेतक है। GER का उच्च मान निर्धारित आयु समूहों के बीच उच्चतर शिक्षा में अधिक नामांकन का संकेत देते हैं।
 - रेगुलर मोड के लिए, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR)¹⁷⁵ 24 है।
 - नियमित और दूरस्थ शिक्षा, दोनों मोड के लिए PTR 28 है।
 - अखिल भारतीय स्तर पर लैंगिक समानता सूचकांक (GPI)¹⁷⁶ 1.01 है। हालांकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए GPI क्रमशः 1.01 और 0.98 है।
 - GPI महिलाओं के सकल नामांकन अनुपात (GER) और पुरुष के सकल नामांकन अनुपात (GER) का अनुपात है।
 - GPI का मान 1 होने का अर्थ यह है कि पुरुष और महिला दोनों के बीच समानता है; GPI का मान 0 से 1 के बीच मुख्यतः पुरुषों के पक्ष में असमानता का दर्शाता है; जबकि GPI का मान 1 से अधिक है तो वह महिलाओं के पक्ष में असमानता को इंगित करता है।

¹⁷³ All India Survey on Higher Education

¹⁷⁴ Gross Enrolment Ratio

¹⁷⁵ Pupil Teacher Ratio

¹⁷⁶ Gender Parity Index

राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (National Achievement Survey: NAS)

- यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर किया जाने वाला आकलन है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, निजी गैर-सहायता प्राप्त और केंद्र सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 3, 5, 8 और 10 के छात्रों की सीखने की उपलब्धि के बारे में जानकारी एकत्र करना है।
 - यह व्यक्तिगत छात्र या व्यक्तिगत स्कूल की उपलब्धि के लिए अंक प्रदान नहीं करता है। वास्तव में यह स्कूली शिक्षा की प्रभावशीलता पर व्यवस्थागत तस्वीर या स्थिति प्रदान करता है।
 - इसका आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के तत्वावधान में NAS सेल, NCERT और CBSE के नेतृत्व में किया जाता है।

5.7. समग्र प्रगति कार्ड (Holistic Progress Card: HPC)

सुर्खियों में क्यों?

'परख/ PARAKH' राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) के तहत मानक-निर्धारण निकाय है। PARAKH/ परख ने निम्नलिखित के लिए समग्र प्रगति कार्ड (HPC) तैयार किया है:

- बुनियादी चरण (कक्षा 1 और 2), प्रारंभिक चरण (कक्षा 3 से 5) और मिडिल चरण (कक्षा 6 से 8)
- PARAKH का पूरा नाम "समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण¹⁷⁷" है।

HPC के बारे में

- HPC एक बहुआयामी रिपोर्ट है जो शिक्षार्थी की प्रगति का 360-डिग्री विवरण प्रदान करती है। इसमें बच्चे के विकास के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक-भावनात्मक और साइकोमोटर डोमेन शामिल हैं।
 - यह रिपोर्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है।
 - यह तीन विकासात्मक लक्ष्यों पर आधारित है:
 - स्वास्थ्य और कल्याण,
 - संचार के प्रभावी साधन,
 - सम्मिलित शिक्षार्थी

HPC के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- प्रत्येक छात्र की बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल का आकलन करना और उनकी प्रगति की एक विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करना,
- प्रत्येक शिक्षार्थी की विशिष्टता पर ध्यान केंद्रित करना,
- बच्चे की आत्म-अभिव्यक्ति और उनकी दक्षताओं के आधार पर शिक्षक द्वारा बच्चों के आकलन का दस्तावेजीकरण करना,
- घर और स्कूल के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित करना, जिससे माता-पिता अपने बच्चे की सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन सकें।

परख (PARAKH) के बारे में

- परख एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है।
- इसे 2023 में NCERT में एक स्वतंत्र घटक इकाई के रूप में स्थापित किया गया था।
- उद्देश्य: यह NEP, 2020 द्वारा अनिवार्य अन्य कार्यों के साथ-साथ छात्र मूल्यांकन से संबंधित मानदंड, मानक, दिशा-निर्देश और कार्यान्वयन गतिविधियां निर्धारित करता है।

समग्र प्रगति कार्ड (HPC) के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:

- परियोजना-आधारित और पूछताछ-आधारित शिक्षा, क्विज़, रोल प्ले, समूह कार्य, पोर्टफोलियो आदि के माध्यम से आकलन करना।
- यह छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए स्व-मूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन के साथ-साथ माता-पिता की प्रतिक्रिया को भी शामिल करता है।
- यह कार्यक्रम छात्रों की शक्तियों और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करके उनकी आत्म-जागरूकता और आत्म-सम्मान का निर्माण करता है।

¹⁷⁷ Performance Assessment, Review and Analysis of Knowledge for Holistic Development

5.8. इच्छामृत्यु (Euthanasia)

सुर्खियों में क्यों?


हाल ही में, फ्रांस के राष्ट्रपति ने “गरिमापूर्ण मृत्यु में सहायता (Aid in dying)” को वैध बनाने के लिए नए कानून बनाने की घोषणा की है। यह कानून बीमारी की वजह से मरणासन्न वयस्कों को प्राणघातक दवा लेने की अनुमति देगा।

About Euthanasia

- इच्छामृत्यु को मर्सी किलिंग भी कहा जाता है। यह रोगी की पीड़ा को समाप्त करने के लिए उसके जीवन का अंत करने का एक तरीका है। यह किसी व्यक्ति की धीमी, दर्दनाक या असम्मानजनक मृत्यु होने देने के बजाय, 'सम्मान के साथ मरने' में उसकी सहायता करती है।
 - यह शब्दावली ग्रीक शब्दों 'eu' और 'thanatos' से ली गई है जिसका अर्थ होता है- 'अच्छी (Good) या आसान (Easy) मृत्यु'।

भारत में इच्छामृत्यु

- भारत सक्रिय (एक्टिव) इच्छामृत्यु भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 302 (हत्या के लिए दंड) और धारा 304 (हत्या की श्रेणी में न आने वाली गैर इरादतन हत्या के लिए दण्ड) के तहत एक अपराध है।
- महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय:
 - अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ (2011) वाद: इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (SC) ने पहली बार निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति प्रदान की थी।
 - कॉमन कॉज बनाम भारत संघ (2018) वाद: इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि यदि कोई व्यक्ति चिरस्थायी जड़ता (Persistent vegetative state) से ग्रसित है, तो वह व्यक्ति निष्क्रिय इच्छामृत्यु का विकल्प चुन सकता है। साथ ही, कोर्ट ने यह भी कहा कि गरिमा के साथ मरना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है।
 - इलाज करवाने से इंकार करने की लिविंग विल को लागू करना किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है।
 - लिविंग विल: यह एक कानूनी दस्तावेज है। यदि कोई व्यक्ति देखभाल की आवश्यकता होने पर निर्णय लेने में असमर्थ रहता है या अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने में अक्षम होता है, तो वह किस प्रकार की और किस स्तर की चिकित्सकीय देखभाल चाहता है, उसका विवरण इस दस्तावेज में वर्णित होता है।



5.9. मिताक्षरा कानून (Mitakshara Law)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि शून्य या अमान्य विवाह¹⁷⁸ से पैदा हुए बच्चों को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत माता-पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 “मिताक्षरा कानून” को मान्यता देता है।


अन्य संबंधित तथ्य

- न्यायालय ने कहा कि ऐसे बच्चों को एक ही पूर्वज (Common ancestor) के विस्तारित परिवार के सदस्य के रूप में मान्यता देनी चाहिए। इस प्रकार, वे एक ही पूर्वज की संपत्ति में वैध हिस्सेदार होंगे।

¹⁷⁸ Void/ voidable marriage

मिताक्षरा कानून के बारे में

- हिंदू अविभाजित परिवार में उत्तराधिकार संबंधी कानून दो प्राचीन विधियों या मान्यताओं पर आधारित है: **मिताक्षरा और दायभाग**।
- मिताक्षरा कानून याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है। ऋषि याज्ञवल्क्य ने याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना की थी। विज्ञानेश्वर 11वीं सदी के उत्तरार्द्ध और 12वीं सदी के पूर्वार्द्ध में सक्रिय थे।
- यह **सहदायिक या हमवारिश या समुत्तराधिकारी (Coparcenary)** की अवधारणा को मान्यता देता है। इस अवधारणा में **पैतृक संपत्ति को परिवार के सभी पुरुष सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से रखा जाता है और उन्हें संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त होता है।** इसका मतलब है कि इस पर संयुक्त अधिकार होता है और कोई वंशज ही इस पर दावा कर सकता है।
- कोपासेनरी को **अपने हिस्से को हस्तांतरित करने का पूर्ण अधिकार नहीं है, क्योंकि उसका हिस्सा निश्चित या निर्धारित नहीं होता है।** इसका कारण यह है कि कोपासेनरी के जन्म और मृत्यु के साथ उसके हिस्से में बदलाव होता रहता है।
- मिताक्षरा विधि के अनुसार, **बेटी पैतृक संपत्ति में कोपासेनरी नहीं बन सकती है।** अर्थात् कोपासेनरी संपत्ति में **बेटी को अधिकार नहीं मिलता है।**
 - हालांकि, **हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005** ने बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में पुरुषों के समान कोपासेनरी बनने का अधिकार प्रदान किया है।
- मिताक्षरा कानून देश के **कुछ पूर्वी हिस्सों को छोड़कर पूरे भारत में लागू है।** देश के कुछ पूर्वी हिस्सों में **दायभाग विधि** के अनुसार पैतृक संपत्ति में संतानों के अधिकार का निर्धारण किया जाता है।



दायभाग विधि

- यह मुख्यतः याज्ञवल्क्य स्मृति पर जीमूतवाहन की टीका पर आधारित है। (दायभाग की रचना **जीमूतवाहन** ने की थी।)
- इसमें **उत्तराधिकार संबंधी नियम आध्यात्मिक लाभ के सिद्धांत पर आधारित हैं।** यह **पिंड अर्पण**, यानी मृत पूर्वजों को चावल का गोला अर्पित करने से संबंधित माना जाता है।
- इसका केवल **बंगाल और असम के कुछ हिस्सों में ही** अनुसरण किया जाता है।
- इसकी कोई **उप-विधि नहीं है।**

मिताक्षरा विधि और दायभाग विधि में अंतर

मिताक्षरा विधि	दायभाग विधि
मिताक्षरा एक रूढ़िवादी विधि है।	दायभाग एक सुधारवादी विधि है।
पुत्र का जन्म होते ही पैतृक संपत्ति में उसका अधिकार उसके पिता के हिस्से के समान होता है।	पुत्र को पैतृक संपत्ति का अधिकार केवल अपने पिता की मृत्यु के बाद ही प्राप्त होता है।
पुत्र अपने जन्म के साथ ही सहदायिक बन जाता है।	पुत्र, पिता की मृत्यु के बाद सहदायिक बन जाता है।
सहदायिक अधिकार दादा और परदादा की संपत्ति पर लागू होता है।	पिता अपने जीवनकाल में अपनी संपत्ति का पूर्ण स्वामी होता है।
कोई भी सदस्य अपना हिस्सा तीसरे पक्ष को हस्तांतरित नहीं कर सकता, क्योंकि उसका हिस्सा निश्चित या निर्धारित नहीं होता है।	कोई भी सदस्य अपना हिस्सा हस्तांतरित कर सकता है, क्योंकि उसका हिस्सा निर्धारित होता है।

5.10. सपिंड विवाह (Sapinda Marriages)

सुर्खियों में क्यों?

दिल्ली हाई कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम (HMA), 1955 के तहत 'सपिंडों' के बीच विवाह पर प्रतिबंध की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है।

अन्य संबंधित तथ्य

- न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि विवाह में जीवन साथी के चयन को विनियमित नहीं किया जाता है, तो कौटुंबिक संबंधों (Incestuous relationship) को वैधता मिल सकती है।
- HMA, 1955 की धारा 5(v) सपिंड विवाह को प्रतिबंधित करती है। इस धारा के अनुसार किसी समुदाय में सपिंड विवाह की प्रथा होने या इसका रिवाज होने पर ही इसकी अनुमति दी जा सकती है।

सपिंड के बारे में:

- HMA, 1955 के तहत, किसी भी व्यक्ति के साथ सपिंड नातेदारी निम्नलिखित के तहत मानी जाती है-
 - मातृ पक्ष में तीन पीढ़ियों के भीतर के सदस्य, और
 - पतृक पक्ष की ओर से पांचवीं पीढ़ी तक के सदस्य।
 - संबंधित व्यक्ति के मातृ और पतृक पक्ष में ऊपर की पीढ़ियों के पूर्वजों की पहचान की जाएगी, और वह व्यक्ति पहली पीढ़ी का गिना जाएगा।
- दो व्यक्तियों को एक-दूसरे का सपिंड तब कहा जाता है, यदि-
 - उनमें से एक निर्धारित पीढ़ियों (तीन या पांच) के सपिंड नातेदारी के वंशज हों, या
 - दोनों का एक साझा वंशानुगत पूर्वज हों और यह पूर्वज सपिंड नातेदारी की निर्धारित सीमा (तीन या पांच पीढ़ियों तक) में हो।

5.11. एलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी (Alliance for Global Good-Gender Equity and Equality)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, विश्व आर्थिक मंच (WEF) की वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की गई थी। इस बैठक में भारत ने "एलायंस फॉर ग्लोबल गुड- जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी" की घोषणा की।

"एलायंस फॉर ग्लोबल गुड- जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी" के बारे में

- यह एलायंस सरकारों, उद्योग और विकास संगठनों का एक समूह है।
- यह पहल/ एलायंस G-20 लीडर्स घोषणा-पत्र में की गई प्रतिबद्धताओं और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के प्रति भारत के समर्पण पर आधारित है।
- उद्देश्य: वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों को एक साथ लाना; ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देना तथा महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यम जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना।
- एलायंस/ गठबंधन के मुख्य भागीदार:
 - नेटवर्क भागीदार: विश्व आर्थिक मंच
 - संस्थागत भागीदार: इन्वेस्ट इंडिया
 - समर्थन: बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन
 - एंकर/ संचालन: कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) सेंटर फॉर वीमेन लीडरशिप
 - कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सेंटर फॉर वीमेन लीडरशिप की शुरुआत 2023 में भारत सरकार ने नई दिल्ली में CII की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में की थी। इसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ साझेदारी में बनाया गया था।

**यह गठबंधन निम्नलिखित
SDGs के साथ जुड़ा है**

	SDG 3 - अच्छा स्वास्थ्य और आरोग्यता		SDG 5 - लैंगिक समानता और सशक्तीकरण
	SDG 4 - गुणवत्तापूर्ण शिक्षा		SDG 17 - विकास के लिए वैश्विक भागीदारी

- यह गठबंधन एंगेजमेंट ग्रुप की गतिविधियों और G-20 फ्रेमवर्क की पहलों का अनुसरण करेगा-
 - बिजनेस 20 (B20): B-20 की स्थापना 2010 में वैश्विक व्यापार समुदाय के साथ आधिकारिक G-20 संवाद मंच के रूप में की गई थी। 2023 में बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की थी।
 - वीमेन 20: यह लैंगिक समानता पर केंद्रित G-20 का आधिकारिक एंगेजमेंट ग्रुप है।
 - महिलाओं के आर्थिक प्रतिनिधित्व के सशक्तीकरण और प्रगति के लिए G-20 गठबंधन¹⁷⁹: यह G-20 बिजनेस लीडर्स और सरकारों का गठबंधन है, जिसे 2019 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व और सशक्तीकरण को बढ़ाना है।

संबंधित सुर्खियां

स्वाति (SWATI) पोर्टल

- भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने "साइंस फॉर वीमेन-ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन (SWATI)" पोर्टल शुरू किया है।
 - यह STEM¹⁸⁰ विषयों से जुड़ी भारतीय महिलाओं व लड़कियों के लिए एकल ऑनलाइन पोर्टल के रूप में कार्य करेगा।
 - उद्देश्य: प्रत्येक भारतीय महिला वैज्ञानिक को इससे जोड़ने के कार्य में तेजी लाना। साथ ही समानता, विविधता और समावेशिता पर आधारित दीर्घकालिक अनुसंधान को बढ़ावा देना।
 - इसका विकास, होस्टिंग और रख-रखाव नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च (NIPGR), नई दिल्ली करेगा।

संयुक्त राष्ट्र की लैंगिक समानता पर प्रणाली-व्यापी रणनीति (UN System-Wide Gender Equality Acceleration Plan)

- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (IWD) पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने 'संयुक्त राष्ट्र की लैंगिक समानता पर प्रणाली-व्यापी रणनीति' योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों के सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है।
 - 2018 में UN-SWAP 2.0 जारी किया गया था। इसका उद्देश्य मौजूदा संकेतकों और सतत विकास के लिए एजेंडा, 2030 के अंतर्गत फ्रेमवर्क को मजबूत बनाकर जवाबदेही में सुधार करना था।
- संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने "बैकड-इन बायस" और समानता प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए लक्षित कार्यक्रमों और कोटा की आवश्यकता पर जोर दिया है।
 - "बैकड-इन बायस" का तात्पर्य समाज में किसी विशेष लिंग, जाति या समुदाय के प्रति निरंतर चले आ रहे पूर्वाग्रह से है जो इसके मूल में अंतर्निहित है।

5.11.1. लैंगिक असमानता सूचकांक (GII) 2022 {Gender Inequality Index (GII) 2022}

सुर्खियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने "लैंगिक असमानता सूचकांक (GII) 2022" जारी किया। मानव विकास रिपोर्ट 2023/2024" को "ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक री-इमेजनिंग को-ऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड" शीर्षक से जारी किया गया है। GII 2022 को UNDP की "मानव विकास रिपोर्ट 2023/2024" में शामिल किया गया है।

लैंगिक असमानता सूचकांक (GII) के बारे में

- लैंगिक असमानता सूचकांक (GII) वास्तव में महिलाओं और पुरुषों के बीच उपलब्धियों में असमानता को दर्शाने वाला एक समग्र मापन है। यह असमानता निम्नलिखित तीन आयामों या मानदंडों पर मापी जाती है:
 - प्रजनन स्वास्थ्य (Reproductive Health): इसके तहत मातृत्व मृत्यु अनुपात और किशोर प्रजनन दर जैसे संकेतकों का उपयोग किया जाता है।
 - सशक्तीकरण (Empowerment): इसके तहत संसद में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात तथा कम-से-कम माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाली महिला एवं पुरुष आबादी संकेतकों का इस्तेमाल किया जाता है।
 - श्रम बाजार (Labour market): इसके तहत महिला एवं पुरुषों की श्रम बल भागीदारी दर को मापा जाता है।

¹⁷⁹ G-20 Alliance for the Empowerment and Progression of Women's Economic Representation: G-20 EMPOWER

¹⁸⁰ Science, Technology, Engineering, Mathematics, and Medicine/ विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा

- GII स्कोर 0 से 1 के बीच दिया जाता है। 0 स्कोर से आशय है कि महिला और पुरुष के बीच समानता की स्थिति है। वहीं, 1 स्कोर का अर्थ है कि पुरुष और महिला के बीच सभी आयामों या संकेतकों में व्यापक असमानता मौजूद है।
- GII 2022 के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र
 - सूचकांक में डेनमार्क को सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त हुई है। उसके बाद नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का स्थान है।
 - सूचकांक में शामिल विश्व के 193 देशों में से भारत 108वें स्थान पर है। भारत का GII स्कोर 0.437 है।
 - GII 2021 में भारत 191 देशों में से 122वें स्थान पर था।
 - भूटान (रैंक-80); श्रीलंका (90); और मालदीव (76) जैसे भारत के पड़ोसियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है।

5.12. स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 (Swachh Survekshan Awards 2023)

सुर्खियों में क्यों ?

हाल ही में, भारत के राष्ट्रपति ने 2023 के लिए 'स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार' प्रदान किए।


अन्य संबंधित तथ्य

- इस अवसर पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 डैशबोर्ड भी आरंभ किया गया।
- वर्ष 2023 की थीम "वेस्ट टू वेल्थ" थी।

स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों के बारे में

- स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार क्या है: स्वच्छता सर्वेक्षण देश भर के शहरों और कस्बों में सफाई, स्वास्थ्य और स्वच्छता की स्थिति का पता करने से जुड़ा एक सर्वेक्षण है।
- शुरुआत: इसकी शुरुआत 2016 में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत की गई थी।
- यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है।
- उद्देश्य: कार्यक्रम का उद्देश्य स्वच्छता के बारे में नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना एवं लोगों के बीच जागरूकता का प्रसार करना है ताकि कस्बों और शहरों को रहने के लिए बेहतर जगह बनाई जा सके।
- 2023 का मूल्यांकन: पहली बार यह सर्वेक्षण चार चरणों में आयोजित किया गया।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के तहत रैंकिंग फ्रेमवर्क



2023 पुरस्कारों के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- सर्वाधिक स्वच्छ शहर: इस वर्ष शीर्ष स्थान संयुक्त रूप से इंदौर (मध्य प्रदेश) और सूरत (गुजरात) ने प्राप्त किया है। इसके बाद रैंकिंग में तीसरा स्थान नवी मुंबई (महाराष्ट्र) का रहा है।
 - इंदौर को लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है।
- 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में, सासवड (महाराष्ट्र), पाटन (गुजरात) और लोनावाला (महाराष्ट्र) ने शीर्ष तीन स्थान हासिल किया है।
- स्वच्छ राज्य: महाराष्ट्र को देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का स्थान रहा।
- स्वच्छ छावनी बोर्ड: महु (मध्य प्रदेश) को सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड के रूप में चुना गया। इसके बाद देवलासी (महाराष्ट्र) और अहमदाबाद (गुजरात) का स्थान रहा।
- स्वच्छ गंगा शहर: वाराणसी (उत्तर प्रदेश) को सबसे स्वच्छ गंगा शहर घोषित किया गया। इसके बाद प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) का स्थान रहा।
- चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाईमित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया।

5.13. अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां (Other Important News)

<p>भारत में मासिक धर्म अवकाश नीति (Menstrual Leave policy in India)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • भारत में सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश यानी पेड मेंस्ट्रुअल लीव प्रदान करने की नीति के संबंध में कई चर्चाएं हुईं। • भारत में मासिक धर्म अवकाश नीति की स्थिति <ul style="list-style-type: none"> ○ भारत में मासिक धर्म अवकाश को विनियमित करने वाला कोई कानून नहीं है और भारत में 'सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश' के लिए कोई केंद्रीकृत दिशा-निर्देश भी नहीं है। ○ मासिक धर्म स्वच्छता नीति-2023 का मसौदा: यह लैंगिक भेदभाव के मुद्दे को संबोधित करने और कार्य के लिए एक अनुकूल माहौल बनाने की आवश्यकता को पहचानती है, साथ ही यह मासिक धर्म के दौरान छुट्टियों और घर से काम करने के विकल्पों का समर्थन करती है। ○ राज्य स्तर पर: <ul style="list-style-type: none"> ▪ बिहार और केरल सरकार ने क्रमशः 1992 और 2023 में एक नीति पेश की, जिसमें मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने का प्रावधान किया। ○ निजी कंपनियों जैसे ज़ोमैटो, स्विगी, बायजूज और कई अन्य कंपनियों ने सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश प्रदान किया है, इस प्रकार उन्होंने बेहतर औद्योगिक उदाहरणों के लिए मानक स्थापित किए हैं।
<p>भारत में लिव-इन रिलेशनशिप (Live in Relationship in India)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • उत्तराखंड विधान सभा में पारित समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने से यह कानून बन गया है। इस कानून में यह प्रावधान किया गया है, कि राज्य में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले सभी व्यक्तियों को (उत्तराखंड के निवासी या किसी अन्य राज्य के निवासी), रजिस्ट्रार के समक्ष पंजीकरण कराना होगा। • भारत में, लिव-इन रिलेशनशिप संबंधों को स्पष्ट रूप से किसी कानून या रीति-रिवाज के तहत शासित नहीं किया जाता है। • लिव-इन रिलेशनशिप से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के निर्णय: <ul style="list-style-type: none"> ○ ललिता टोप्यो बनाम झारखंड राज्य (2018) वाद: इस मामले में सुप्रीम कोर्ट निर्णय दिया था कि, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत लिव-इन-पार्टनर को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत प्रदान की गई राहत से अधिक राहत प्रदान की जाएगी। ○ इंद्रा सरमा बनाम वी.के.वी. सरमा वाद (2013): इस मामले में न्यायालय ने कहा कि, यदि दो अविवाहित पार्टनर्स आपसी सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो यह न ही अवैध है और न ही इसे अपराध माना जाएगा।



<p>घर/ GHAR (गो होम एंड रि-यूनाइट) पोर्टल</p>	<ul style="list-style-type: none"> • घर/ GHAR (गो होम एंड रि-यूनाइट) पोर्टल को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने लॉन्च किया था। <ul style="list-style-type: none"> ○ यह पोर्टल किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत जारी प्रोटोकॉल के अनुसार बालकों के पुनर्वास और घर-वापसी की डिजिटल माध्यम से निगरानी करता है। • NCPCR के बारे में: <ul style="list-style-type: none"> ○ यह एक सांविधिक संस्था है। यह 0-18 वर्ष की आयु के बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च संस्था है। ○ इसे बाल अधिकार संरक्षण आयोग (CPCR) अधिनियम, 2005 के तहत गठित किया गया है। ○ इसमें 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। ○ यह अपने कार्यों की रिपोर्ट प्रति वर्ष केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है। ○ NCPCR को POC SO अधिनियम (2012) तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) के तहत भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
<p>भारतीय आदिम जनजाति सेवा संगठन (BAJSS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली के BAJSS में नवीनीकृत राष्ट्रीय विशिष्ट जनजातीय संग्रहालय और ई-लाइब्रेरी का भी उद्घाटन किया। • BAJSS की स्थापना 1948 में श्री अमृतलाल विठ्ठलदास ठक्कर (ठक्कर बापा) ने की थी। यह संगठन जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए कार्य करता है।
<p>प्रेरणा प्रोग्राम (Prerna Program)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • हाल ही में, शिक्षा मंत्रालय ने "प्रेरणा: अनुभव पर आधारित एक शिक्षा कार्यक्रम" आरंभ किया है। इसके तहत प्रतिभागियों में नेतृत्व क्षमता का विकास करने का प्रयास किया जाएगा। • प्रेरणा प्रोग्राम के बारे में <ul style="list-style-type: none"> ○ यह कक्षा IX-XII तक के चयनित छात्रों के लिए एक सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम है। <ul style="list-style-type: none"> ▪ प्रत्येक बैच के लिए 20 छात्रों (10 लड़के और 10 लड़कियों) का चयन किया जाएगा। यह हर सप्ताह देश के विभिन्न भागों को शामिल करते हुए आयोजित किया जाता है। ○ इस कार्यक्रम को वडनगर (गुजरात) में 1888 में स्थापित वर्नाक्यूलर स्कूल से शुरू किया जाएगा। ○ IIT गांधीनगर ने इस कार्यक्रम के पाठ्यक्रम को मूल्य-आधारित 9 थीम्स पर तैयार किया है। ○ इसका उद्देश्य "वसुधैव कुटुंबकम" की भावना को मूर्त रूप देना और "विविधता में एकता" को बढ़ावा देना है।
<p>शिक्षा मंत्रालय (MoE) - AICTE निवेशक नेटवर्क</p>	<ul style="list-style-type: none"> • शिक्षा मंत्रालय ने MoE-AICTE इन्वेस्टर नेटवर्क लॉन्च किया है। इसे AICTE और MoE के इनोवेशन सेल (MIC) ने संयुक्त रूप से स्थापित किया है। <ul style="list-style-type: none"> ○ AICTE: अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। • इसका उद्देश्य नवाचार की संस्कृति को मजबूत करने और स्टार्ट-अप फंडिंग के मुद्दे के समाधान के लिए छात्रों, शिक्षकों, निवेशकों और बाजार को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। • यह छात्रों या शिक्षकों के नेतृत्व वाले प्रारंभिक चरण के स्टार्ट-अप को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता, सलाह और रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करेगा।



<p>विदेश में प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए छात्रों को सहायता (Support To Students for Participating In Competitions Abroad: SSPCA)</p>	<ul style="list-style-type: none"> SSPA को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य भारतीय छात्रों को तकनीकी शिक्षा में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने हेतु सक्षम बनाना है। उद्देश्य: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक कार्यक्रमों से जुड़ी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए न्यूनतम 2 से 10 बैचलर छात्रों की एक टीम को यात्रा सहायता पंजीकरण शुल्क प्रदान करना। पात्रता: <ul style="list-style-type: none"> तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों की एक टीम जो AICTE द्वारा मंजूरी प्राप्त तकनीकी संस्थान में AICTE द्वारा अधिसूचित तकनीकी कोर्स में दाखिला लिए हुए है। AICTE से प्रमाणित डिप्लोमा, B.Tech., इंटीग्रेटेड M.Tech., M.Tech. MBA, MCA और होटल मैनेजमेंट के छात्र विदेश में प्रतिस्पर्धा के लिए पात्र हैं। अनुदान: पात्र विद्यार्थियों को सभी संबंधित खर्चों सहित प्रति विद्यार्थी 2 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी।
<p>SWAYAM प्लस प्लेटफॉर्म (SWAYAM Plus platform)</p>	<ul style="list-style-type: none"> केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय (MoE) ने SWAYAM प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। SWAYAM एक व्यापक ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म शिक्षार्थियों के लिए शैक्षिक अवसर उत्पन्न करता है। SWAYAM प्लस प्लेटफॉर्म के बारे में <ul style="list-style-type: none"> यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप है। इसमें इंडस्ट्री लीडर्स के सहयोग से ऐसे कोर्स शामिल किए जाएंगे, जो उद्योग जगत की जरूरतों को पूरा कर सकें। इससे प्रशिक्षुओं को रोजगार प्राप्ति योग्य बनाया जा सकेगा। यह दुनिया भर के शिक्षार्थियों के लिए भारतीय ज्ञान प्रणालियों तक पहुंच सुनिश्चित करता है, साथ ही उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रमों आदि पर ध्यान केंद्रित करता है। यह इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी विनिर्माण, ऊर्जा, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा, लॉजिस्टिक्स जैसे विविध क्षेत्रों में पाठ्यक्रम (कोर्स) उपलब्ध कराएगा। यह उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों, दोनों से शिक्षार्थियों द्वारा लिए जा रहे पाठ्यक्रमों (कोर्स) की क्रेडिट मान्यता की सुविधा प्रदान करता है। इसे लागू करने के लिए IIT, मद्रास को नोडल एजेंसी बनाया गया है। इसका वित्त-पोषण MoE के उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। स्वयम प्लस (SWAYAM Plus) अलग-अलग रणनीतिक साझेदारों यानी शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग जगत, एडटेक प्लेटफॉर्मों और व्यक्तिगत योगदानकर्ताओं के साथ समन्वय में एक इकोसिस्टम अप्रोच अपनाएगा वहीं स्वयम (SWAYAM) वर्तमान में शैक्षणिक संस्थान के साथ साझेदारी पर ध्यान केंद्रित करता है।
<p>वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक (WPC)</p>	<ul style="list-style-type: none"> वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक पर नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत ने 'चरम निर्धनता' को अपनी आबादी के 3% से नीचे लाने में सफलता प्राप्त की है। इसका तात्पर्य है कि अब भारत की केवल 3% से कम आबादी चरम निर्धनता में जीवन यापन कर रही है। WPC के बारे में <ul style="list-style-type: none"> इसे एक वैश्विक डेटा कंपनी, वर्ल्ड डेटा लैब ने विकसित किया है। यह विश्व के लगभग प्रत्येक देश के लिए 2030 तक के लिए रियल-टाइम आधारित अनुमान प्रदान करता है। यह चरम निर्धनता को समाप्त करने की दिशा में वैश्विक प्रगति पर नज़र रखती है।

	<ul style="list-style-type: none"> ○ यह अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD) तथा जर्मनी के फ़ेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा वित्त-पोषित है।
<p>स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग (SGLR) पहल</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग (SGLR) पहल शुरू की है। इस पहल को पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से आरंभ किया गया है। <ul style="list-style-type: none"> ○ इसे पर्यटन उद्योग के लिए शुरू किया गया है। ● SGLR का पहला "फाइव रेटिंग" सर्टिफिकेट ऑफ रिकग्निशन मध्य प्रदेश के बाइसन रिसॉर्ट्स को प्राप्त हुआ है। ● SGLR के बारे में <ul style="list-style-type: none"> ○ यह एक प्रकार की रेटिंग प्रणाली है। इसके तहत साफ-सफाई और स्वच्छता के विशिष्ट मानकों के पालन के आधार पर अलग-अलग पर्यटक सुविधाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। ○ उद्देश्य: देश के समृद्ध पर्यटन उद्योग में स्वच्छता संबंधी व्यवहारों में व्यापक बदलाव लाना है। ○ यह मिशन LiFE के तहत ट्रेवल फॉर LiFE (TFL) कार्यक्रम के अनुरूप है।
<p>विश्व खुशहाली रिपोर्ट (World Happiness Report: WHR) 2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● WHR 2024 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क (UNSDSN) ने जारी किया है। ● WHR के बारे में <ul style="list-style-type: none"> ○ इसमें निम्नलिखित 6 प्रमुख मानकों के आधार पर खुशहाली के स्तर का आकलन किया जाता है: स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक सहायता, कम भ्रष्टाचार, उदारता और स्वतंत्रता। ○ इसमें प्रदर्शन का आकलन व्यक्तियों के अपने जीवन के अनुभव पर आधारित होता है। ○ WHR 2024 के मुख्य बिंदु <ul style="list-style-type: none"> ■ भारत को 143 देशों की सूची में 126वां स्थान दिया गया है। ■ शीर्ष 3 देश क्रमशः फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड हैं। ■ इस सूची में शीर्ष स्थान पाने वाले देश फिनलैंड और सबसे निचले स्थान पर रहने वाले देश अफगानिस्तान के बीच 6 अंकों का बड़ा अंतर है। <ul style="list-style-type: none"> ✓ इसमें 0 न्यूनतम स्कोर है जबकि 10 अधिकतम स्कोर होता है। ● UNSDSN के बारे में: <ul style="list-style-type: none"> ○ इसे संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव महासचिव बान की मून ने 2012 में स्थापित किया था। ○ यह शिक्षा, अनुसंधान, नीति विश्लेषण और वैश्विक सहयोग के जरिए सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते को लागू करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने को बढ़ावा देता है। ○ SDSN का सचिवालय पेरिस (फ्रांस); कुआलालंपुर (मलेशिया) और न्यूयॉर्क (USA) में स्थित है।
<p>डिजिटल डिटॉक्स (Digital Detox)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● कर्नाटक सरकार ने ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम (AIGDF) और NIMHANS के सहयोग से "डिजिटल डिटॉक्स पहल" का शुभारंभ किया है। ● डिजिटल डिटॉक्स उस समय-अवधि को कहते हैं, जिसके दौरान कोई व्यक्ति मोबाइल, लैपटॉप जैसे ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर जानबूझकर कम समय बिताता है। ● इस पहल का उद्देश्य निम्नलिखित के माध्यम से रिस्पॉन्सिबल गेमिंग सुनिश्चित करना है: <ul style="list-style-type: none"> ○ जागरूकता बढ़ाकर, ○ व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए डिजिटल डिटॉक्स केंद्रों की स्थापना करके, ○ कार्यशालाओं के माध्यम से सामुदायिक कनेक्शन आदि।

- डिजिटल डिटॉक्स की आवश्यकता क्यों है?
 - मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए,
 - किसी कार्य पर सही से फोकस न कर पाने की समस्या के समाधान के लिए, और
 - प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भरता के कारण वास्तविक दुनिया के संबंधों में आए तनाव को दूर करने के लिए आदि।

प्रवेश प्रारंभ

मासिक समसामयिकी रिवीजन 2024

सामान्य अध्ययन (प्रारंभिक + मुख्य परीक्षा)

Scan the QR CODE to download **VISION IAS** app

इस कक्षाओं का उद्देश्य जटिल समसामयिकी मुद्दों, जिन्हें कवर करने की अपेक्षा उम्मीदवारों से की जाती है, की एक विस्तृत विषय-वार समझ विकसित करना है।

तमाम समसामयिक मुद्दों की सर्वाधिक अपडेटेड प्रासंगिक समझ, जिसमें भारतीय राजव्यवस्था और संविधान, शासन (गवर्नेंस), अर्थव्यवस्था, समाज, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, संस्कृति, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा विविध विषयों के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ सम्मिलित हैं।

इस कोर्स (35-40 कक्षाएं) में विभिन्न मानक स्रोतों, जैसे— द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, PIB, PRS, AIR, राज्य सभा/लोक सभा टीवी, योजना आदि से महत्वपूर्ण सामायिक मुद्दों को शामिल किया जाएगा।


प्रत्येक टॉपिक के बाद MCQ तथा मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्नों के माध्यम से आपकी समझ का आकलन किया जाएगा।

“टॉक टू एक्सपर्ट” के माध्यम से और कक्षा में ऑफलाइन व्याख्यान के दौरान चर्चा और विचार-विमर्श हेतु अवसर।

प्रत्येक पंद्रह दिनों में दो से तीन कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। समय-समय पर मेल के माध्यम से शेड्यूल साझा किया जाएगा।

ENGLISH MEDIUM also Available

OUR ACHIEVEMENTS



LIVE/ONLINE
Classes Available
www.visionias.in



Foundation Course
GENERAL STUDIES
PRELIMS cum MAINS 2025

DELHI: 9 MAY, 9 AM | 17 MAY, 1 PM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 21 MAY, 5:30 PM

AHMEDABAD: 20 JUNE

BENGALURU: 15 MAY

BHOPAL: 21 MAY

CHANDIGARH: 5 APR

HYDERABAD: 10 MAY

JAIPUR: 23 APR

JODHPUR: 22 APR

LUCKNOW: 17 MAY

PUNE: 5 MAY

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2025

► प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI: 14 मई, 9 AM | 10 अप्रैल, 9 AM

BHOPAL: 11 जून

LUCKNOW: 5 जून

JAIPUR: 23 अप्रैल

JODHPUR: 22 अप्रैल



Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

[/visionias.upsc](https://www.facebook.com/visionias.upsc)

[/c/VisionIASdelhi](https://www.youtube.com/c/VisionIASdelhi)

[/c/VisionIASdelhi](https://www.instagram.com/c/VisionIASdelhi)

[/t.me/s/VisionIAS_UPSC](https://t.me/s/VisionIAS_UPSC)

6. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology)

6.1. जैव प्रौद्योगिकी (Biotechnology)

6.1.1. जीन थेरेपी (Gene Therapy)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, भारत में हीमोफिलिया- A (FVIII की कमी) के उपचार हेतु जीन थेरेपी का पहला ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल किया गया। यह ट्रायल तमिलनाडु (वेल्लोर) के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज (CMC) में किया गया।

जर्मलाइन कोशिकाएं और सोमेटिक कोशिकाएं

जर्मलाइन (जर्म कोशिकाएं)


अगुणित (Haploid)

मनुष्य में 23 गुणसूत्र (n)

जीनोम को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है



शुक्राणु



डिंब (अंडाणु)


सोमेटिक कोशिकाएं

द्विगुणित (Diploid)

मानव में 46 गुणसूत्र (2n)


सोमेटिक कोशिकाओं में परिवर्तन बच्चों तक नहीं पहुँचते हैं

कंकाल और मांसपेशी कोशिकाएं



रक्त कोशिकाएं

निषेचित अंडाणु



स्टेम कोशिका



अन्य सभी कोशिकाएं



अंग और ऊतक कोशिकाएं



वसा कोशिकाएं



न्यूरोन कोशिकाएं

अन्य संबंधित तथ्य

- इस परीक्षण में रोगी के हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल (HSC) में FVIII ट्रांसजीन को सक्रिय करने के लिए **लेंटीवायरल वेक्टर** का उपयोग करने की एक नवीन तकनीक को अपनाया गया था।
 - HSCs में **स्व-नवीकरण की क्षमता** होती है। इनमें सभी परिपक्व रक्त कोशिका प्रकारों में अंतर करने की भी क्षमता होती है।
 - मरीज की कोशिकाओं तक इलाज करने वाले जीन (Therapeutic gene) को पहुंचाने वाले वाहक को **वेक्टर** कहा जाता है।
 - लेंटीवायरस निम्नलिखित वजहों से विशेष रूप से जाना जाता है:

- विभाजित होने वाली और मंद गति से विभाजित होने वाली या गैर-विभाजित कोशिकाओं (जैसे- स्टेम कोशिकाएं, न्यूरोन्स, मांसपेशी कोशिकाएं), दोनों को संक्रमित करने की क्षमता के चलते।
- होस्ट कोशिका जीनोम में ट्रांसजीन को स्थायी रूप से एकीकृत करने की क्षमता (जिससे लम्बे समय या जीवन पर्यन्त अपेक्षित ट्रांसजीन बनता रहता है); और इसकी कम-प्रतिरक्षाजन्य विशेषताओं के चलते।


जीन थेरेपी के बारे में

- परिभाषा:** यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें बीमारी या विकार का इलाज, बचाव या इन्हें ठीक करने के लिए जीन (एक या कई) का इस्तेमाल किया जाता है।
 - ज्यादातर जीन थेरेपी में, बीमारी पैदा करने वाले असामान्य जीन के प्रभाव को कम करने के लिए एक सामान्य जीन को शरीर के DNA में डाला जाता है। इससे लक्षित कोशिका को दोबारा स्वस्थ बनाया जा सकता है।
- उपयोग:** विरासत में मिली आनुवांशिक बीमारियों (जैसे- हीमोफिलिया और सिकल सेल रोग) एवं जन्म के बाद होने वाले असाध्य रोगों (जैसे- ल्यूकेमिया) का इलाज जीन थेरेपी से किया जा सकता है।

जीन थेरेपी के प्रकार

- जर्मलाइन जीन थेरेपी:** जर्मलाइन जीन थेरेपी के तहत जर्मलाइन सेल या प्रजनन कोशिकाओं (अंडाणु या शुक्राणु) में कार्यात्मक जीन इंजेक्ट करके इन्हें संशोधित किया जाता है। ये बाद में जीनोम में एकीकृत हो जाते हैं।
- सोमेटिक सेल जीन थेरेपी:** इसमें चिकित्सीय रूप से संशोधित जीन को रोगी की सोमैटिक सेल या कायिक कोशिकाओं (जर्मलाइन कोशिकाओं के अलावा अन्य कोशिकाओं) में स्थानांतरित किया जाता है। किसी भी प्रकार का संशोधन और उसका कोई भी प्रभाव केवल उस रोगी तक ही सीमित रहता है। यह संशोधित जीन भावी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होता है।

नोट: जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) और ICMR ने जीन थेरेपी उत्पाद (GTP) विकास और नैदानिक परीक्षणों के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देश (2019) जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश भारत में जीन थेरेपी उत्पादों (GTP)¹⁸¹ पर नैदानिक परीक्षण करने के लिए नैतिक, वैज्ञानिक, विनियामकीय प्रक्रियाओं को व्यापक रूप से निर्धारित करते हैं।




¹⁸¹ Gene therapy products

हीमोफीलिया के बारे में

- परिभाषा: हीमोफीलिया आमतौर पर पुरुषों में होने वाला एक वंशानुगत रक्तस्राव संबंधी विकार है। यह बीमारी रोगी में जीवन भर रहती है।
- कारण: यह उन जींस में से किसी एक में उत्परिवर्तन के कारण होता है, जो रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीन बनाने हेतु निर्देश देता है।
 - रक्त में प्रोटीन फैक्टर VIII (8) या फैक्टर IX (9) होता है जो थक्के जमने के लिए आवश्यक होता है। इससे रक्तस्राव रोकने में मदद मिलती है।
- प्रकार: निम्नलिखित दो सबसे सामान्य प्रकार हैं:
 - हीमोफीलिया A (क्लासिक हीमोफीलिया): यह क्लॉटिंग फैक्टर VIII की कमी या अभाव के कारण होता है।
 - हीमोफीलिया B (क्रिसमस रोग): यह क्लॉटिंग फैक्टर IX की कमी या अभाव के कारण होता है।
- वंशानुक्रम:
 - हीमोफीलिया X गुणसूत्र के जरिए भावी पीढ़ियों में पहुंचता है।
 - पुरुष हीमोफीलिया के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, क्योंकि पुरुषों में X गुणसूत्र (XY) की केवल एक प्रति पाई जाती है।
 - महिलाएं दुर्लभ मामलों में ही हीमोफीलिक होती हैं क्योंकि उनके पास एक्स क्रोमोसोम (XX) की दो प्रतियां होती हैं।

वाहक माता से आनुवंशिक रूप से हीमोफीलिया होना



6.1.2. जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट (Genome India Project)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT)¹⁸² ने जीनोम इंडिया परियोजना¹⁸³ के पूरा होने की घोषणा की है।

जीनोम इंडिया परियोजना के बारे में

- परियोजना की शुरुआत: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आने वाले जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 2020 में इसकी शुरुआत की थी।
 - भारत ने 2009 में अपने पहले पूर्ण मानव जीनोम की घोषणा की थी।
- उद्देश्य: इस परियोजना का उद्देश्य पूरे भारत में अलग-अलग क्षेत्रों के नागरिकों से 10,000 आनुवंशिक नमूने एकत्र करना तथा भारतीय नागरिकों के लिए एक रेफरेंस जीनोम तैयार करना था।
 - मानव जीनोम रेफरेंस अनुक्रम मानव जीनोम अनुक्रम का एक स्वीकृत डेटाबेस होता है। इसे कई लोगों के DNA के संयोजन (Combination) से तैयार किया जाता है।
- परियोजना/ मिशन के बारे में:
 - इस मिशन में बेंगलुरु के सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च के नेतृत्व में 20 राष्ट्रीय संस्थानों के शोधकर्ता ने भाग लिया था।

जीनोम अनुक्रमण के लिए की गई अन्य पहलें

- इंडिजेन (IndiGen) कार्यक्रम: इसमें भारत के विभिन्न नृजातीय समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले हजारों व्यक्तियों के संपूर्ण जीनोम अनुक्रम को शामिल किया गया है।
 - वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) ने इसका वित्त पोषण किया था।
- ग्लोबल अलायंस फॉर जीनोमिक्स एंड हेल्थ (GA4GH): इसे 2013 में गठित किया गया था। यह एक गैर-लाभकारी गठबंधन है। यह मानवाधिकार फ्रेमवर्क के दायरे में रहकर जीनोमिक डेटा के उपयोग का विस्तार करने के लिए मानक निर्धारित करता है।

¹⁸² Department of Biotechnology

¹⁸³ Genome India project



- तैयार किए गए इस डेटासेट को फरीदाबाद में स्थित इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर में भंडारित किया जाएगा।
- यह मानव जीनोम परियोजना (HGP) से प्रेरित थी। यह शोध का ऐसा पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रयास था, जिसे पूरे मानव जीनोम के DNA अनुक्रम को निर्धारित करने के लिए किया गया था।
 - मानव जीनोम प्रोजेक्ट को 1990 में शुरू किया गया था, जो 2003 में पूर्ण हुआ था। इसमें कुल मानव जीनोम अनुक्रम का 92% हिस्सा कवर किया गया था।
 - इस परियोजना को 'इंटरनेशनल ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्टियम' के नेतृत्व में पूरा किया गया था। इसमें छह देशों- फ्रांस, जर्मनी, जापान, चीन, U.K. और USA के 20 संस्थानों के वैज्ञानिक शामिल थे।

नोट: जीनोम अनुक्रमण के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, कृपया PT-365 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, 2024 का आर्टिकल 1.1.2. (जीनोम अनुक्रमण) देखें।

6.2. आई.टी. और कंप्यूटर (IT and Computer)

6.2.1. इंडिया AI मिशन (India AI Mission)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने हेतु इंडिया AI मिशन के लिए 10,300 करोड़ रुपये से अधिक के वित्त को मंजूरी दी है।

इंडिया AI (AI)¹⁸⁴ मिशन के बारे में

- **उद्देश्य:**
 - इसका उद्देश्य AI नवाचार के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी¹⁸⁵ के जरिए इकोसिस्टम तैयार करना है।
 - इसके तहत एडवांस AI कंप्यूटिंग अवसंरचना तैयार करने के लिए 10,000 से अधिक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (GPUs) की स्थापना की जाएगी।
 - लोकतंत्रीकरण, डेटा की गुणवत्ता में सुधार तथा स्वदेशी AI क्षमताओं का विकास करके भारत के AI इकोसिस्टम का उत्तरदायित्वपूर्ण व समावेशी विकास किया जाएगा।
- **मंत्रालय:** यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत शुरू किया गया एक अंब्रेला कार्यक्रम है।
- **वित्त-पोषण:** इस योजना के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के जरिए 5 वर्षों की अवधि में वित्त उपलब्ध कराया जाएगा।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** इस योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी 'इंडिया AI' एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग है, जिसे डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के तहत गठित किया गया है।
- **नए निकाय:** इंडिया AI इनोवेशन सेंटर (IAIC) और इंडिया AI डेटासेट प्लेटफॉर्म।
- **मुख्य घटक:**
 - **कम्प्यूटेशन कैपेसिटी:** AI नवाचार के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों का एकल बिंदु समाधान।
 - **नवाचार केंद्र:** यह स्वदेशी लार्ज मल्टीमॉडल मॉडल (LLMs) के विकास और उपयोग की दिशा में कार्य करेगा।
 - LMM एडवांसड AI मॉडल है जो टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो आदि जैसे कई प्रकार के डेटा को प्रोसेस कर सकता है और समझ सकता है।
 - LMMs, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (LLMs) के बेहतर व एडवांसड वर्जन हैं। LLMs टेक्स्ट के अलावा अन्य प्रकार के डेटा पर भी काम कर सकता है।

¹⁸⁴ Artificial Intelligence

¹⁸⁵ Public-Private Partnerships

- **डेटासेट प्लेटफॉर्म:** यह भारतीय स्टार्ट-अप और शोधकर्ताओं को गैर-व्यक्तिगत डेटासेट तक निर्बाध पहुंच हेतु वन-स्टॉप समाधान प्रदान करेगा।
- **एप्लिकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव:** इसके तहत बड़े पैमाने पर सामाजिक-आर्थिक बदलाव को प्रेरित करने के लिए प्रभावशाली AI समाधानों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- **फ्यूचर-स्किल्स:** इंडिया AI फ्यूचर-स्किल्स की कल्पना AI प्रोग्राम्स में प्रवेश संबंधी बाधाओं को कम करने के लिए की गई है।
- **स्टार्ट-अप फाइनेंसिंग:** डीप-टेक AI स्टार्ट-अप को समर्थन और गति प्रदान करना एवं उन्हें भविष्य की AI परियोजनाओं को सक्षम करने के लिए फंडिंग तक व्यवस्थित पहुंच प्रदान करना।
- **सुरक्षित और विश्वसनीय AI:** AI के जिम्मेदारी भरे विकास, उपयोग और उसे अपनाए जाने के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सजगता बरतना।

इंडिया AI और संबंधित योजनाओं के स्तंभ

प्रशासन में AI	AI कम्प्यूट एवं सिस्टम	AI के लिए डेटा
<ul style="list-style-type: none"> ● भाषिणी¹⁸⁶: यह भारतीय भाषाओं के अनुवाद हेतु AI आधारित एक लैंग्वेज टूल है। ● डिजिटल इंडिया ● इंडिया स्टैक और AI 	<ul style="list-style-type: none"> ● ऐरावत: भारत का AI सुपर कंप्यूटर C-DAC, पुणे में स्थापित किया गया है। ● राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन ● MeitY क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब 	<ul style="list-style-type: none"> ● डेटा प्रबंधन कार्यालय: यह डेटा प्रबंधन के मानकीकरण में मदद करता है। ● भारत डेटासेट प्रोग्राम और भारत डेटा प्लेटफॉर्म: यह स्टार्ट-अप और शोधकर्ताओं के लिए गैर-व्यक्तिगत डेटासेट तक पहुंच प्रदान करता है।
AI, बौद्धिक संपदा (IP) और इनोवेशन	AI में कौशल उन्नयन	AI नैतिकता और शासन
<ul style="list-style-type: none"> ● आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र ● MeitY स्टार्ट-अप हब ● प्रस्तावित 'AI पर राष्ट्रीय केंद्र (NCAI)' 	<ul style="list-style-type: none"> ● फ्यूचर स्किल्स प्राइम: AI प्रमाणन कार्यक्रमों के लिए नैसकॉम और MeitY की संयुक्त पहल। ● युवाओं के लिए रिस्पॉसिबल AI: स्कूली छात्रों को AI के लिए तैयार करने हेतु सरकार का कार्यक्रम। 	<ul style="list-style-type: none"> ● RAISE¹⁸⁷: सामाजिक सशक्तीकरण के लिए उत्तरदायी AI

संबंधित विकासक्रम

हनुमान (Hanooman)

- IIT बॉम्बे के नेतृत्व वाला भारत-GPT ग्रुप 'हनुमान' नामक चैट-GPT जैसी सेवा लॉन्च करेगा
- हनुमान लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (LLMs) की एक श्रृंखला है। यह हिंदी, तमिल और मराठी जैसी अलग-अलग भारतीय भाषाओं में प्रतिक्रिया दे सकता है।

डेविन: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

- संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित एप्लाइड AI लैब ने दुनिया का पहला ऑटोनोमस AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर पेश किया है।
- यह एंड-टू-एंड ऐप्स बना सकता है और उन्हें उपयोग में भी ला सकता है। इसके अलावा, यह अपने AI मॉडल्स को प्रशिक्षित और फाइन-ट्यून भी कर सकता है।

यूरोपीय संघ (EU) का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अधिनियम

- यूरोपीय संघ ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिनियम लागू किया है।
- EU-AI अधिनियम में AI-जोखिम के 4 स्तरों का उल्लेख किया गया है: अस्वीकार्य जोखिम; उच्च जोखिम; विशेषीकृत पारदर्शिता जोखिम; न्यूनतम जोखिम।

¹⁸⁶ BHASHa INterface for India/ भारत के लिए भाषा इंटरफ़ेस

¹⁸⁷ Responsible AI for Social Empowerment

- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिकार, कानून का शासन और पर्यावरण उच्च जोखिम वाले AI से सुरक्षित हैं।

AI गवर्नेंस एलायंस (AIGA)

- विश्व आर्थिक मंच के "AI गवर्नेंस एलायंस (AIGA)" ने अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तक समावेशी पहुंच के लिए वैश्विक प्रयास करने की सिफारिश की है।
- AIGA का गठन 2023 में किया गया था। इसका लक्ष्य जेनेरेटिव AI के लिए नैतिकता संबंधी दिशा-निर्देश और गवर्नेंस फ्रेमवर्क विकसित करने में तेजी लाना है।

AI के लिए अंतर्राष्ट्रीय विनियामकीय फ्रेमवर्क

- संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने "सुरक्षित, संरक्षित और भरोसेमंद" कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रणालियों को बढ़ावा देने पर एक ऐतिहासिक संकल्प अपनाया।
- इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन, दोनों स्तरों पर समान अधिकारों की वकालत की गई है। साथ ही, इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया है कि हमें प्रौद्योगिकी का हम पर नियंत्रण होने के बजाय हमें प्रौद्योगिकी को नियंत्रण में रखना चाहिए।
- इसमें देशों के बीच और देश के भीतर कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं अन्य डिजिटल विभाजन से जुड़े पिछड़ेपन का समाधान करने का संकल्प लिया गया है।
- यह विनियामकीय और गवर्नेंस संबंधी दृष्टिकोण का समर्थन करता है, जो सभी क्षेत्रों के सदस्य देशों और हितधारकों को सुरक्षित, संरक्षित एवं भरोसेमंद कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करे।

नोट: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, कृपया PT 365 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, 2024 में आर्टिकल 2.2. (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) देखें।

6.2.2. चौथी औद्योगिक क्रांति (Fourth Industrial Revolution)

सुर्खियों में क्यों?

तेलंगाना ने हैदराबाद में सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवाॅल्यूशन (C4IR)¹⁸⁸ की स्थापना हेतु विश्व आर्थिक मंच (WEF)¹⁸⁹ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- C4IR विश्व आर्थिक मंच की पहल है। इसका उद्देश्य उद्योगों, अर्थव्यवस्थाओं और समाजों में न्यायसंगत एवं मानव-केंद्रित बदलाव लाने के लिए तकनीकी प्रगति की क्षमता का उपयोग करना है।
- इसका उद्घाटन बायो एशिया-2025 के दौरान किया जाना है।

4IR के बारे में

- 4IR से आशय है चौथी औद्योगिक क्रांति। इसे इंडस्ट्री 4.0 भी कहा जाता है।
- इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) जैसी प्रौद्योगिकियों के जरिये विनिर्माण उद्योग के डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- कभी-कभी इसे "स्मार्ट फैक्टरीज" भी कहा जाता है। ये वास्तव में ऐसी फैक्टरीज हैं, जहां साइबर-फिजिकल सिस्टम पूरी तरह से जुड़े हुए होते हैं। यहां भौतिक विश्व और डिजिटल वर्ल्ड के बीच की दूरियों को कम या समाप्त कर दिया जाता है।
- यह शब्द 2016 में विश्व आर्थिक मंच (WEF) के संस्थापक क्लॉस श्वाब द्वारा प्रयुक्त किया गया था।

भारत के लिए 4IR के लाभ

- निम्नलिखित के कारण बेहतर डिजिटल अवसरंचना और बड़े पैमाने पर उत्पादकता में उछाल:
 - डिजिटल संचार: अरबों लोगों और चीजों/ वस्तुओं को जोड़ने से संचार के नए रास्ते खुलना।

¹⁸⁸ Centre for Fourth Industrial Revolution

¹⁸⁹ World Economic Forum

- **डिजिटल ऊर्जा:** ऊर्जा उत्पादन और मांग से मेल खाने वाले गतिशील स्मार्ट पावर ग्रिड का एकीकरण।
- **डिजिटल स्वास्थ्य:** कहीं से भी कनेक्टेड स्वास्थ्य देखभाल को दूरस्थ रूप से सक्षम बनाना।
- 3D प्रिंटिंग, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स और IoT के क्षेत्र में जनसांख्यिकी, मांग व निर्णायक प्रशासन जैसे कारकों का उपयोग करके **भारत** स्वयं को 'वैश्विक विनिर्माण केंद्र' के रूप में विकसित कर सकता है।
- **भविष्य के लिए कार्यबल सृजन** कर भारत स्किलिंग, री-स्किलिंग और अप-स्किलिंग के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं का उपयोग कर सकता है।
- **स्पिल-ओवर प्रभाव:** उद्योगों के डिजिटलीकरण में प्रगति आने से स्वास्थ्य देखभाल से लेकर परिवहन, ऊर्जा आदि तक अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में अवसर पैदा होंगे।

औद्योगिक क्रांति के चरण



पहला (1784)

मशीनीकरण, जल विद्युत और भाप से चलने वाले इंजनों का उपयोग किया गया।



दूसरा (1870 का दशक)

बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ, असेंबली लाइन और बिजली का उपयोग किया गया।



तीसरा (1969)

उत्पादन प्रक्रिया में **कंप्यूटर और ऑटोमेशन** को शामिल किया गया। शारीरिक श्रम की जगह ऑटोमेशन या स्वचालन ने ले ली।



चौथा

यह **साइबर फिजिकल सिस्टम** पर आधारित है। ऑटोमेशन के जरिए बौद्धिक कार्य किया जाता है।

इस दिशा में भारत द्वारा उठाए गए कदम

- **द सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन (भारत):** यह WEF और महाराष्ट्र सरकार के बीच एक सहयोग है, जो नीति (NITI) आयोग द्वारा समन्वित है।
- UNICEF के साथ साझेदारी में **एजुकेशन 4.0 लॉन्च किया गया है।**
- मेघालय में **FIRST हेल्थकेयर¹⁹⁰** की तर्ज पर **FIRST कैंसर केयर** विकसित किया गया है।
- **स्मार्ट एडवांस्ड मैनुफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब (SAMARTH) - उद्योग भारत 4.0** भारी उद्योग मंत्रालय की एक पहल है।

6.2.3. एंड-टू-एंड क्वांटम कम्युनिकेशन लिंक (End-To-End Quantum Communication Link)

सुर्खियों में क्यों?

भारत में पहली बार सी-डॉट (C-DOT) और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (PRL) ने सी-डॉट की स्वदेशी फाइबर-आधारित क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन (QKD) प्रणाली के साथ PRL के फ्री स्पेस QKD के एकीकरण का प्रदर्शन किया है।

¹⁹⁰ Fourth Industrial Revolution for Sustainable Transformation of Healthcare/ स्वास्थ्य देखभाल के सतत परिवर्तन के लिए चौथी औद्योगिक क्रांति

क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन (QKD) के बारे में

- QKD क्वांटम संचार की एक सुरक्षित तकनीक है। इसके तहत संचार नेटवर्क की फ्यूचर-प्रूफ (भविष्य में भी उपयोगी) सुरक्षा के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के घटकों को शामिल करने वाले क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है।
- यह संचार प्रक्रिया में शामिल दो पक्षों को एक साझा रैंडम सीक्रेट-की उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है। इस रैंडम सीक्रेट-की का पता केवल इन दोनों पक्षों को ही होता है। इस की (Key) का उपयोग दोनों पक्ष संदेशों को एन्क्रिप्ट और डिक्लिप्ट करने के लिए कर सकते हैं।
- इससे क्वांटम चैनल में किसी भी हस्तक्षेप या गड़बड़ी का पता चल जाता है और की डिस्ट्रीब्यूशन को निरस्त किया जा सकता है।
- संचार नेटवर्क पर एंड-टू-एंड सुरक्षा प्रदान करने के लिए QKD को विभिन्न माध्यमों, जैसे- ऑप्टिकल फाइबर, फ्री स्पेस और उपग्रह के जरिए उपयोग में लाया जा सकता है।

नोट: क्वांटम प्रौद्योगिकी के बारे में अधिक जानकारी के लिए, PT- 365 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (2024) देखें

भारत में क्वांटम तकनीक के लिए शुरू की गई मुख्य पहलों पर एक नज़र

- राष्ट्रीय क्वांटम प्रौद्योगिकी और उपयोग मिशन (NM-QTA)
- क्वांटम-इनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी (QuEST)
- प्रधान मंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद का क्वांटम फ्रंटियर मिशन (PM-STIAC)
- नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर-फिजिकल सिस्टम्स (NM-ICPS)


6.2.4. उपग्रह आधारित टोल संग्रहण प्रणाली (Satellite-Based Toll Collection System)

सुर्खियों में क्यों ?

भारत सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ETC) प्रणाली का पायलट-टेस्ट करने की योजना बना रही है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इसे फास्टैग (FASTag) के साथ एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में लागू किया जाएगा। गौरतलब है कि जनवरी, 2021 से देश में सभी वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया था।



GNSS-आधारित टोल संग्रहण के बारे में

- **कार्यप्रणाली:** यह किसी वाहन की स्थिति को ट्रैक करने और तय की गई दूरी के आधार पर टोल एकत्र करने के लिए उपग्रह-आधारित इमेजिंग का उपयोग करता है।
- **मुख्य घटक:**
 - **ऑनलाइन बोर्ड यूनिट (OBU):** वाहनों द्वारा राजमार्गों पर तय की गई दूरी को मापने के लिए एवं टोल की गणना करने के लिए वाहन में GNSS-आधारित डिवाइस लगाया जाता है।
 - **ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर (ANPR) कैमरे:** इन कैमरों को वाहनों की नंबर प्लेट को पहचानने और टोल के पैसे काटने के लिए राजमार्गों पर लगाया जाएगा।
 - ANPR एक ऐसी तकनीक है, जो वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर को पहचानने के लिए रजिस्ट्रेशन प्लेट की इमेज पर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन का उपयोग करती है। इससे वाहन की लोकेशन का भी पता चल जाता है।
- **लाभ:**
 - यह राजमार्ग पर टोल बूथ/प्लाजा बनाने की जरूरत को कम करता है।
 - इससे ट्रैफिक जाम कम होता है।
 - यह टोल वसूली की प्रभावशीलता को बढ़ाता है।

- चुनौतियां:
 - सिग्नल में व्यवधान या गलत रीडिंग;
 - गोपनीयता संबंधी चिंताएं;
 - पुराने वाहनों को GNSS तकनीक से लैस करने की जरूरत होगी; आदि।
- जर्मनी और सिंगापुर जैसे देशों में पहले ही GNSS-आधारित टोल सिस्टम लागू किया जा चुका है।
- भारत के पास अपना स्वयं का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है:
 - GAGAN (GPS-एडेड GEO ऑगमेंटेड नेविगेशन), और NavIC (नेविगेशन विद इंडियन कांस्टेलेशन)।

फास्टैग (FASTags) और सैटेलाइट-आधारित टोल संग्रहण के बीच अंतर

मापदंड	FASTags	सैटेलाइट-आधारित टोल संग्रहण
तकनीक	रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID)	सैटेलाइट-बेस्ड इमेजिंग और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर (ANPR) कैमरे
वाहनों के लिए आवश्यक उपकरण	फास्टैग (RFID टैग) विंडस्क्रीन पर चिपकाया जाता है	GNSS कनेक्टिविटी के साथ OBU
टोल टैक्स की गणना	टोल की दरें पहले से ही निर्धारित होती हैं	राजमार्ग पर तय की गई वास्तविक दूरी के हिसाब से टोल का भुगतान होगा
टोल प्लाजा की आवश्यकता	FASTag को स्कैन करने के लिए राजमार्ग पर टोल प्लाजा का होना आवश्यक है	इसकी जरूरत नहीं होती है

6.2.5. नियर-फील्ड कम्युनिकेशन (NFC) तकनीक {Near-Field Communication (NFC) Technology}

सुर्खियों में क्यों?

‘यूपीआई टैप एंड पे’ सुविधा के तहत **क्यूआर कोड के बिना** भुगतानकर्ता की यूपीआई आईडी के बारे में विवरण प्राप्त किया जा सकता है। इसमें **नियर-फील्ड कम्युनिकेशन (NFC)** तकनीक का उपयोग किया जाता है।

NFC के बारे में

- NFC तकनीक के जरिए दो कम्पेटिबल डिवाइस **कम दूरी (4-5 सेंटीमीटर) के भीतर** जानकारी साझा कर सकते हैं। इस तकनीक में **इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड्स** का उपयोग किया जाता है।
 - RFID (रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन) और ब्लूटूथ भी रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करते हैं, लेकिन उनकी रेंज बहुत अधिक होती है।
 - RFID की संचार रेंज 100 मीटर या इससे अधिक होती है, जबकि ब्लूटूथ की रेंज 10-100 मीटर के बीच ही होती है।
- NFC तकनीक की कार्य प्रणाली:
 - इस तकनीक के अंतर्गत NFC-कम्पेटिबल डिवाइस **रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल** देता है। ये सिग्नल **NFC टैग के साथ इंटरैक्ट** करते हैं, जिससे **दोनों डिवाइस के बीच संचार स्थापित** हो जाता है।
 - इसमें **टैग निष्क्रिय** होता है अर्थात् यह केवल सूचना भेज सकता है। वहीं **स्मार्टफोन जैसा उपकरण सक्रिय** होता है, जो सूचना भेजने के साथ-साथ प्राप्त करने में भी सक्षम होता है।

NFC के लाभ



यह **संपर्क-रहित भुगतान** की सुविधा प्रदान करता है।



यह तकनीक **लेन-देन की सुरक्षा और निजता की गारंटी के लिए एन्क्रिप्शन** का उपयोग करती है।



इसमें पीयर-टू-पीयर शेयरिंग के तहत NFC से **लैस डिवाइस के साथ तेजी से जानकारी साझा** की जा सकती है।



इसकी मदद से **अस्पताल मरीजों से संबंधित जानकारी को बेहतर ढंग से ट्रैक** कर सकते हैं।

6.2.6. सबमरीन केबल सिस्टम (Submarine Cable System: SMC)

सुर्खियों में क्यों?


हाल ही में, लाल सागर में घटित एक घटना के परिणामस्वरूप तीन पनडुब्बी केबल्स- 'एशिया-अफ्रीका-यूरोप-1', 'यूरोप इंडिया गेटवे' और 'टाटा ग्लोबल नेटवर्क' को नुकसान हुआ है।

SMC के बारे में

- SMCs समुद्र के तल पर बिछाई गई **फाइबर ऑप्टिक केबल** हैं जो दुनिया भर के देशों को इंटरनेट और दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए जोड़ती हैं।
- महत्व:**
 - दुनिया के लगभग **99%** इंटरनेट ट्रैफिक अंतर्राष्ट्रीय केबल्स से गुजरते हैं।
 - संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 2010 में SMCs को "महत्वपूर्ण संचार बुनियादी ढांचा" बताया था।
- SMC के लिए अन्य खतरे: मछली पकड़ना और लंगर डालना; पर्यावरणीय कारक जैसे कि भूकंप, समुद्री जानवरों द्वारा क्षति आदि।

भारत में SMCs कनेक्टिविटी


- भारत में **17 अंतर्राष्ट्रीय SMCs** हैं, जो समुद्र तट के पास 5 शहरों में 14 केबल लैंडिंग स्टेशनों (CLS) तक पहुंचती हैं।
- मुंबई और चेन्नई में SMCs की अधिकतम संख्या है।
- भारत में घरेलू सबमरीन केबल भी हैं, जैसे:
 - चेन्नई-अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केबल (CANI) पोर्ट ब्लेयर को अंडमान और निकोबार के सात अन्य द्वीपों के साथ जोड़ता है।
 - कोच्चि-लक्षद्वीप द्वीप (KLI) केबल प्रणाली: यह कोच्चि और लक्षद्वीप के 11 द्वीपों के बीच सीधे संचार लिंक स्थापित करता है।
- विनियमन: दूरसंचार विभाग (DoT) इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस (ILD) लाइसेंस जारी करता है।
 - DoT की पूर्व स्वीकृति से ILD लाइसेंसधारियों को अपना CLS स्थापित करने और भारत में सबमरीन केबल बिछाने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।



- यूनिफाइड लाइसेंस के तहत लाइसेंस प्राप्त कर चुके इंटरनेट सेवा प्रदाता को भी पनडुब्बी केबल के जरिए इंटरनेशनल इंटरनेट गेटवे स्थापित करने, संचालित करने और चालू करने की अनुमति होती है।

ऑप्टिकल फाइबर के बारे में

- ऑप्टिकल फाइबर कांच या प्लास्टिक से बने तार होते हैं। इनका उपयोग सूचना को प्रकाश की तरंगों के रूप में भेजने के लिए किया जाता है।
- यह 'पूर्ण आंतरिक परावर्तन' (TIR)¹⁹¹ के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सिद्धांत के तहत प्रकाश फाइबर-ऑप्टिक केबल में क्लैडिंग (Mirror-lined walls) से परावर्तित होते हुए कोर (Hallway) से होकर आगे बढ़ता है।
 - जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम के पृष्ठ पर आपतित हो रही हों और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, तब प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापिस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं।
- ये केबल डाटा की भारी मात्रा को तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने में सक्षम बनाती हैं। इसमें ऑप्टिकल पॉवर का मामूली ह्रास होता है।
- यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिक डॉ. नरिंदर सिंह कपानी (भारत में जन्म) को प्रकाशिकी (Optics) के जनक के रूप में जाना जाता है।



6.2.7. इलेक्ट्रॉनिक स्याही (ई-इंक) {Electronic Ink (E-INK)}

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, मिनिमल कंपनी ने मिनिमल फोन नामक एक नया क्राउडफंडेड फोन तैयार किया है। इस फोन में पावर-फ्रेंडली मोनोक्रोम ई-इंक डिस्प्ले का प्रयोग किया गया है।

ई-इंक डिस्प्ले के बारे में

- इसमें, प्रिंटिंग उद्योग में उपयोग की जाने वाली स्याही का ही इस्तेमाल किया जाता है, ताकि यह साधारण स्याही जैसी ही लग सके।
- मूल रूप से, ई-इंक केवल मोनोक्रोम (केवल सफेद और काला) में ही उपलब्ध थी। हालांकि, 2010 से यह रंगीन ई-इंक में भी उपलब्ध हो गया है।
- ये स्क्रीन डिस्प्ले के अंदर तरल पदार्थ में सस्पेंड किए गए धनात्मक रूप से आवेशित सफेद कणों और नकारात्मक रूप से आवेशित काले कणों से भरे छोटे माइक्रोकैप्सूल का उपयोग करके काम करती हैं।
- स्क्रीन के विभिन्न भागों में धनात्मक या नकारात्मक विद्युत आवेश का प्रयोग करके, सफेद या काले कणों को सतह पर लाया जाता है। इन कणों से डिस्प्ले पर टेक्स्ट और छवियां दिखाई देती हैं।
- इसे मूल रूप से 1990 के दशक में MIT में विकसित किया गया था। अब इसका स्वामित्व ई-इंक कॉर्पोरेशन के पास है।
- उपयोग: इसका उपयोग सेल फोन, साइन और अमेजन किंडल जैसे ई-रीडर में किया जाता है।
- ई-इंक डिस्प्ले के लाभ
 - आंखों के लिए आरामदायक: बैकलाइट का उपयोग करने वाले LCD और LED डिस्प्ले के विपरीत, ई-इंक डिस्प्ले कागज की तरह ही दिखाई पड़ता है। इससे लंबे समय तक पढ़ने पर यह आंखों के लिए आरामदायक होता है।
 - बाहरी क्षेत्रों में दृश्यता: इसमें बैकलाइटिंग की कमी होती है, जिसका मतलब यह है कि इसे तेज रोशनी में भी पढ़ना आसान होगा। गौरतलब है कि LCD/ LED डिस्प्ले के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, जिनमें तेज धूप में पढ़ना वास्तव में आसान नहीं होता है।
 - लंबी बैटरी लाइफ: इसे बहुत कम बिजली का उपयोग करके चलाया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके लिए बैकलाइट की आवश्यकता नहीं होती है और केवल पेज बदलने पर ही ऊर्जा का उपयोग होता है।
- ई-इंक डिस्प्ले की सीमाएं: निम्न रिफ्रेश रेट, महंगा, सीमित बाजार, रंगों की सीमा आदि।

¹⁹¹ Total internal reflection

6.2.8. संगम: डिजिटल ट्विन पहल (SANGAM: Digital Twin' Initiative)

सुर्खियों में क्यों?

दूरसंचार विभाग (DoT) ने 'संगम: डिजिटल ट्विन' पहल शुरूआत की।

संगम: डिजिटल ट्विन पहल के बारे में

- यह पहल एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। यह दूरसंचार अवसंरचना की योजना बनाने और उसके डिजाइन में क्रांति लाने पर केंद्रित है।
- इसका उद्देश्य डिजिटल ट्विन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस; इंटरनेट ऑफ थिंग्स; 5G व 6G; तथा अगली पीढ़ी की कम्प्यूटेशनल प्रौद्योगिकियों की क्षमताओं का संयोजन करना है।
- यह पहल अवसंरचना से संबंधित सभी हितधारकों को एक प्लेटफॉर्म पर लाती है। यहां वे नवाचारी अवसंरचना योजना-निर्माण समाधानों को व्यावहारिक रूप से लागू करने को प्रदर्शित कर सकते हैं।

डिजिटल ट्विन के बारे में

- डिजिटल ट्विन एक वर्चुअल मॉडल है। डिजिटल ट्विन वास्तविक जगत की किसी वस्तु/ ऑब्जेक्ट, व्यक्ति या प्रक्रिया की डिजिटल रूप में प्रस्तुति है।
- यह किसी संगठन को वास्तविक स्थितियों और उनके परिणामों को सिमुलेट करने में मदद कर सकता है, जिसके आधार पर संगठन बेहतर निर्णय ले सकता है।
- यह ऑब्जेक्ट के व्यवहार की सटीक रूप से नकल करने (सिमुलेशन) तथा उसकी कार्यप्रणाली की निगरानी के लिए सेंसर से भेजे गए रियल टाइम डेटा का उपयोग करती है।
- यह व्यापक पैमाने और दो-तरफा सूचना प्रवाह के चलते सिमुलेशन से अलग है।
- Google मैप परिवहन प्रणालियों का एक डिजिटल ट्विन है।

डिजिटल ट्विन्स का महत्त्व



इससे **सुदूर निगरानी** संभव है। यह गुण इसे खतरनाक कार्यों में इस्तेमाल के लिए उपयोगी बनाता है।



यह किसी घटना के बारे में **बेहतर पूर्वानुमान** करने में सहायक है।



कार्य-प्रणाली की दक्षता में सुधार होता है। इससे आउटपुट की गुणवत्ता बनी रहती है।



अलग-अलग सिमुलेशन तैयार करके और पूर्वानुमानों के जरिए **शहरी योजना निर्माण में सहायता** मिलती है।

6.3. अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी (Space Technology)

6.3.1. एक्स-रे पोलैरीमीटर सैटेलाइट {X-Ray Polarimeter Satellite (XPoSat)}


सुर्खियों में क्यों?

ISRO (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) ने पोलर सैटेलाइट लांच व्हीकल (PSLV)-C58 से एक्स-रे पोलैरीमीटर सैटेलाइट (XPoSat) को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- PSLV-C58, पोलर सैटेलाइट लांच व्हीकल (PSLV) की 60वीं उड़ान थी।

- PSLV चार ईंधन-चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। इसमें पहले और तीसरे चरण में ठोस ईंधन तथा दूसरे और चौथे चरण में तरल ईंधन होता है।
- यह एक साथ कई उपग्रहों को प्रक्षेपित करने तथा इन उपग्रहों को कई कक्षाओं (Orbit) में स्थापित करने की क्षमता से युक्त है।
- PSLV-C58 ने सबसे पहले XPoSAT को पृथ्वी से लगभग 650 कि.मी. की ऊंचाई पर स्थित कक्षा में स्थापित किया। इसके बाद PSLV ऑर्बिट एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल-3 (POEM-3) मिशन को संचालित करने के लिए प्रक्षेपण यान के चौथे चरण को निम्न ऊंचाई (पृथ्वी से लगभग 350 किमी. ऊपर) पर लाया गया।
- इसरो और IN-SPACe द्वारा भेजे गए 10 अन्य पेलोड्स के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए POEM-3 मिशन को संचालित किया जाएगा।
- पेलोड्स में रुद्र (RUDRA), अर्का (ARKA)-200, ग्रीन इम्पल्स ट्रांसमीटर (GITA), डस्ट एक्सपेरिमेंट (DEX), आदि शामिल हैं।



इसरो के PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल-3 (POEM-3) प्रयोग के बारे में

- PSLV (PS4-OP) मिशन में कक्षीय प्लेटफॉर्म संबंधी प्रयोग एक नयी पहल है। PSLV चार चरणों वाला रॉकेट है। इसके पहले तीन चरण उपयोग होने के बाद वापस समुद्र में गिर जाते हैं, जबकि अंतिम चरण (PS4 चरण) उपग्रह स्थापित करने के बाद अंतरिक्ष कचरे (Space Junk) में बदल जाते हैं। इस मिशन में इसी PS4 चरण का उपयोग लघु अवधि के वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए 3-अक्षीय स्थिर माइक्रोग्रैविटी परिवेश के रूप में किया जाएगा।
- POEM प्लेटफॉर्म की मदद से वैज्ञानिक कक्षा में ही लघु पैमाने पर 4-6 महीने की विस्तारित अवधि के लिए वैज्ञानिक प्रयोग कर सकेंगे। इसमें PS4 को प्रयोग हेतु स्थिर प्लेटफॉर्म (Stabilised Platform) के रूप में उपयोग किया जाएगा। वास्तव में, PS4 को एक वहनीय व बिना मानव वाला भारतीय स्पेस स्टेशन कहा जा सकता है।
- इस प्लेटफॉर्म का लाभ यह है कि यह चरण बिजली उत्पादन, टेलीमेटरी, टेली-कमांड, स्टेबिलाइजेशन, कक्षा में बने रहना और कक्षा में बदलाव हेतु मानक इंटरफ़ेस और पैकेज से युक्त हैं।
- यह तीसरी बार है जब इसरो ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करने के लिए POEM प्लेटफॉर्म का उपयोग किया है। इससे पहले POEM 1 और POEM 2 क्रमशः जून 2022 और अप्रैल 2023 में लॉन्च किए गए थे।

पोलराइजेशन और एक्स-रे पोलेरीमीटर क्या हैं?

- सामान्य प्रकाश (अनपोलराइज्ड प्रकाश) में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के वेक्टर शामिल होते हैं जो एक-दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं (इन्फोग्राफिक देखें)।
- वास्तव में पोलराइजेशन तरंगों की एक विशेषता होती है। इसमें एक्स-रे जैसी विद्युत चुंबकीय तरंगें भी शामिल होती हैं। पोलराइजेशन के तहत तरंग के दोलनों के लिए एक निश्चित दिशा में उन्मुख होने (Orientation) का वर्णन किया जाता है।
- दूसरे शब्दों में, अन-पोलराइज्ड प्रकाश को पोलराइज्ड प्रकाश में बदलने की प्रक्रिया को पोलराइजेशन कहते हैं। इसे प्रकीर्णन, परावर्तन, अपवर्तन या पोलराइजिंग/पोलराइजिंग फिल्टर के उपयोग के माध्यम से किया जा सकता है।
- एक्स-रे के पोलराइजेशन का अध्ययन/मापन करना एक्स-रे पोलेरीमीटर कहलाता है।
 - एक्स-रे, उच्च-ऊर्जा उत्सर्जित करने वाली विद्युत-चुंबकीय तरंगें होती हैं।
- इसके अध्ययन में शामिल है:-
 - पोलराइजेशन कोण का मापन: संदर्भ दिशा के सापेक्ष विद्युत तरंग की दिशा।
 - पोलराइजेशन डिग्री: प्रकाश स्रोत से विद्युत चुंबकीय तरंग का वह भाग, जो पोलराइज्ड होता है।

एक्स-रे पोलेरीमीटर सैटेलाइट (XPoSat) के बारे में:-

- XPoSat ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों जैसे खगोलीय पिंडों से एक्स-रे उत्सर्जन के अध्ययन और मापन को समर्पित इसरो का पहला उपग्रह है।
- यह एक्स-रे पोलराइजेशन का अध्ययन करने वाला दुनिया का दूसरा उपग्रह है। ऐसा पहला उपग्रह नासा का इमेजिंग एक्स-रे पोलेरीमीटरी एक्सप्लोरर (IXPE) है जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था।

- **XPoSat के पेलोड्स:**
 - **POLIX (पोलेरीमीटर इंस्ट्रूमेंट्स इन एक्स-रे):** यह ऊर्जा बैंड 8-30keV में एक्स-रे के पोलराइजेशन को मापेगा।
 - **XSPECT (एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग):** यह सॉफ्ट एक्स-रे में फास्ट टाइमिंग और उच्च स्पेक्ट्रोस्कोपिक रिजॉल्यूशन प्रदान कर सकता है।
 - यह ब्रह्मांडीय एक्स-रे स्रोतों का दीर्घकालिक वर्णक्रमीय (स्पेक्ट्रल) और सामयिक (टेम्पोरल) अध्ययन करेगा। इन स्रोतों में, पल्सर, ब्लैक होल बाइनरी, मैग्नेट आदि शामिल हैं।
 - स्पेक्ट्रोस्कोपी वस्तुतः विद्युत चुम्बकीय (Electromagnetic) विकिरण और पदार्थ के बीच परस्पर क्रिया का अध्ययन है।

मिशन का महत्व

- **विकिरण की प्रकृति को समझना:** पोलराइजेशन के मापन से खगोलीय स्रोतों से उत्सर्जित प्रक्रियाओं को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी।
- **उन्नत डेटा संग्रह में मदद:** इससे पहले, खगोलीय पिंडों के पोलराइजेशन का अध्ययन या तो ऑप्टिकल या रेडियो बैंड में किया जाता था। पहली बार मीडियम एनर्जी बैंड में एक्स-रे पोलराइजेशन का मापन (पोलेरीमेट्री) किया जा रहा है।
- **खगोलीय पिंडों की रासायनिक संरचना:** एक्स रे पोलरीमेटरी पल्सर, मैग्नेटर्स जैसे खगोलीय पिंडों की भौतिक और तत्व संबंधी संरचना का वर्णन करती है तथा चुंबकीय क्षेत्रों के साथ पदार्थों की अंतर्क्रिया के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।
- **ब्रह्मांड की बेहतर समझ:** विशेष रूप से ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे और सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक जैसे खगोलीय पिंड स्रोतों के एक्स-रे पोलराइजेशन के मापन से उनके भौतिक की हमारी समझ बढ़ेगी।

6.3.2. अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (International Space Stations: ISS)

सुर्खियों में क्यों?

रूस ने नासा के साथ अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) भेजने के अपने क्रॉस-फ्लाइट कार्यक्रम को 2025 तक बढ़ा दिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **ISS ऑपरेशन की प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए** क्रॉस-फ्लाइट कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। इससे जुड़े प्रयोग रूसी और अमेरिकी अंतरिक्ष यान पर किए जाएंगे।
 - क्रॉस-फ्लाइट कार्यक्रम के तहत एक रूसी कॉस्मोनॉट (अंतरिक्ष यात्री) को अमेरिकी एस्ट्रोनॉट कू के साथ अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा जाता है, फिर रूसी कॉस्मोनॉट कू के साथ एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन(ISS) के बारे में

- यह अंतरिक्ष में शोध हेतु अंतरिक्ष यात्रियों के रहने हेतु एक कृत्रिम उपग्रह है। यह पृथ्वी की निचली कक्षा में (पृथ्वी से 370-460 किमी. के बीच की ऊंचाई पर) स्थापित है।
- **ISS के प्रमुख भागीदार**
 - यूरोपीय देश (यूरोपीय स्पेस एजेंसी के माध्यम से)
 - संयुक्त राज्य अमेरिका (नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन: NASA के माध्यम से)
 - जापान (जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी-JAXA के माध्यम से)
 - कनाडा (कनाडाई स्पेस एजेंसी के माध्यम से) और
 - रूस (रोस्कोस्मोस के माध्यम से)
- इस स्टेशन के निर्माण के लिए पहला घटक 1998 में कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था। इसमें 2021 में एक नया मॉड्यूल जोड़ा गया था।

ISS से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य

- यह 5 मील / सेकंड की गति से और लगभग प्रत्येक 90 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है।
- ISS का वजन लगभग 400 टन है।
- आकार के हिसाब से यह एक फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है।
- यह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित सबसे बड़ा कृत्रिम पिंड है।
- 2000 में शुरू हुए पहले अभियान (Expedition 1) के बाद से ही ISS पर लगातार 20 से अधिक वर्षों से वैज्ञानिक रह रहे हैं।
- इसका कक्षीय झुकाव (ऑर्बिटल इन्क्लिनेशन) 51.6° है, जिससे यह धरती के 90% आबादी वाले इलाकों के ऊपर से गुजरता है।





- यह स्टेशन कम-से-कम वर्ष 2030 तक कक्षा में एक कार्यशील प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता रहेगा।
- ISS के निर्माण के लिए इसके अलग-अलग घटकों को बारी-बारी से अंतरिक्ष में ले जाया गया था। धीरे-धीरे इसे कक्षा में ISS का रूप दिया गया। इसके निर्माण के लिए 40 से अधिक मिशन प्रक्षेपित किए गए।
- ISS का महत्त्व
 - अनुसंधान और विज्ञान: यह माइक्रोग्रैविटी परिवेश में डी.एन.ए. अनुक्रमण (सिक्वेंसिंग), रोबोटिक्स और उपग्रहों जैसे विषयों पर ऐसे सार्थक अध्ययन करने का अवसर प्रदान करता है जो कि पृथ्वी पर संभव नहीं है।
 - इस पर किए जाने वाले अनुसंधान में दीर्घकालिक अंतरिक्ष विकिरण का मानव शरीर पर पड़ने वाले जोखिम के प्रभावों का अध्ययन भी शामिल है।
 - अन्य: अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, मानव स्वास्थ्य से संबंधित अनुसंधान को आगे बढ़ाना, पृथ्वी की निचली-कक्षा आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना।

अन्य स्पेस स्टेशन

- रूस का स्पेस स्टेशन: सैल्यूट 1 दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन था। इसे 19 अप्रैल, 1971 को पूर्व सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया था। फिर रूस ने सैल्यूट 2 से सैल्यूट 7 सीरीज और मीर जैसे स्पेस स्टेशन लॉन्च किए।
- चीन का स्पेस स्टेशन: 2011 में लॉन्च किए गए तियांगोंग-1 तथा 2016 में लॉन्च किए गए तियांगोंग -2 परीक्षण अंतरिक्ष-प्रयोगशालाएं थीं। तियांगोंग स्पेस स्टेशन 2021 में लॉन्च किया गया था। यह 2022 के उत्तरार्ध से पूरी तरह से कार्य करना शुरू कर दिया है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) का स्पेस स्टेशन: स्काईलेब यूएसए का पहला स्पेस स्टेशन था। इसे 1973 में नासा द्वारा लॉन्च किया गया था।
- भविष्य के मिशन:
 - चंद्रमा की सतह पर स्थापित करने हेतु नासा का आर्टेमिस बेस कैंप और चंद्रमा की कक्षा में गेटवे।
 - भारत का "भारतीय अन्तरिक्ष स्टेशन"।

6.3.3. स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट {Square Kilometre Array Observatory (SKAO) Project}

सुर्खियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी (SKAO) परियोजना में भारत के सहयोग के लिए 1,250 करोड़ रुपये के व्यय को मंजूरी दी।

SKAO के बारे में

- SKAO रेडियो एस्ट्रोनॉमी को समर्पित एक अंतर-सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में है।
 - SKAO के तहत 1 ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी तथा 2 टेलीस्कॉप स्थापित किए जाने हैं। ये तीन जगहों पर स्थित होंगे।
 - दो SKA टेलीस्कॉप दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में रेडियो ट्रांसमिशन निषिद्ध स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे।
 - सुदूर क्षेत्रों (जहां जमीन-आधारित रेडियो प्रसारण निषिद्ध हो) में रेडियो शांत क्षेत्र¹⁹² विकसित किए जा सकते हैं। यह संवेदनशील रेडियो खगोल विज्ञान अवलोकनों को संभव बनाते हैं।
 - वे दोनों एक बड़ी इकाई के रूप में काम करेंगे।
 - इनके 2029 तक चालू होने की उम्मीद है।
- SKAO के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
 - ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता लगाना;
 - गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना;
 - गुरुत्वाकर्षण तरंगों स्पेस-टाइम में एक अदृश्य लहर (Ripple in space) हैं। ये ब्रह्मांड में कुछ सबसे विशाल और ऊर्जावान परिघटनाओं के कारण उत्पन्न होती हैं।

¹⁹² Radio Quiet Zone

- आकाशगंगाओं, डार्क मैटर और ब्रह्मांडीय चुंबकत्व के विकास को समझना आदि।
- भारत 2012 में एसोसिएट मेंबर के रूप में SKAO में शामिल हुआ था। इसने SKA टेलीस्कॉप के पूर्व-निर्माण चरण में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था।
 - 2022 में, नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी, पुणे और SKAO ने सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
 - भारत में स्थापित जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप (GMRT) SKAO में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
- SKAO परियोजना का भारत के लिए महत्त्व: भविष्य में भारतीय खगोलविदों को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ रेडियो खगोल विज्ञान सुविधा तक सीधी पहुंच प्राप्त होगी।
 - इसके अलावा, यह एंटेना और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर डेटा व सॉफ्टवेयर तक कई प्रमुख क्षेत्रों में प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देगा। इन क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) भी शामिल हैं।

6.3.4. पुष्पक नामक रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल (RLV) LEX 02 {Pushpak Reusable Landing Vehicle (RLV) LEX 02}

सुर्खियों में क्यों?

इसरो ने पुष्पक नामक रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल (RLV) LEX 02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया।

RLV-LEX 02 के बारे में

- RLV-LEX 02 इसरो द्वारा RLV-TD कार्यक्रम के तहत किए जाने वाले प्रयोगों की श्रृंखलाओं का दूसरा प्रयोग है। RLV-TD से आशय है, "फिर से उपयोग में लाए जाने योग्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी प्रदर्शन (Reusable Launch Vehicle Technology Demonstration)"।
 - RLV-LEX 02 के इस परीक्षण ने अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर लौटने वाले प्रक्षेपण यान की उच्च गति युक्त ऑटोनोमस लैंडिंग के लिए स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकियों की पुनर्पुष्टि की है।
 - इस परीक्षण में RLV-LEX-01 में प्रयोग किए जा चुके विंगड बॉडी और ऑल फ्लाइट सिस्टम्स का पुनः उपयोग किया गया था।
 - इसके पहले 2023 में RLV-LEX-01 मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था।
- RLV-TD कार्यक्रम का उद्देश्य पूरी तरह से दोबारा उपयोग होने वाले प्रक्षेपण यान के लिए आवश्यक तकनीकों का विकास करना है। यह कम लागत पर अंतरिक्ष में उपग्रहों का प्रक्षेपण संभव बनाएगा।
 - RLV वास्तव में 'लो-लिफ्ट टू ड्रैग' अनुपात वाला एक अंतरिक्ष विमान है। यह पेलोड को निम्न-भू कक्षाओं में स्थापित कर वापस पृथ्वी पर लौट आता है। इससे भविष्य में भी इस यान का इस्तेमाल किया जा सकता है।
 - इस यान को उन्नत बनाकर भारत के दोबारा उपयोग होने वाले दो-चरणीय कक्षीय (Two-Stage-to-Orbit: TSTO) प्रक्षेपण यान के पहले चरण के रूप में विकसित किया जाएगा।
 - नासा लंबे समय से RLV का उपयोग कर रहा है। यहां तक कि स्पेस-एक्स जैसी निजी अंतरिक्ष एजेंसियां भी आंशिक रूप से दोबारा उपयोग होने वाली प्रक्षेपण प्रणाली का प्रदर्शन कर रही हैं।
- लाभ: अंतरिक्ष तक पहुंच स्थापित करने के लिए RLV को एक वहनीय, विश्वसनीय और मांग पर उपलब्ध साधन माना जाता है।
- प्रमुख चुनौतियां:
 - विशेष मिश्र धातु, कंपोजिट और इन्सुलेशन जैसी सामग्रियों का चयन चुनौतीपूर्ण है।
 - इसके अलग-अलग भागों की क्राफ्टिंग करना बहुत जटिल है।
 - इस प्रणाली के लिए अत्यधिक कुशल कार्यबल की आवश्यकता होती है।

6.3.5. जीसैट 20 (GSAT-20)

सुर्खियों में क्यों?

भारत की ओर से NSIL इस वर्ष (2024) संचार उपग्रह GSAT-20 को लॉन्च करने के लिए स्पेसएक्स के फाल्कन-9 रॉकेट का उपयोग करेगा। ऐसा पहली बार है, जब न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) अपने किसी संचार उपग्रह को लॉन्च करने के लिए स्पेसएक्स के रॉकेट की मदद लेगा।

GSAT-20 के बारे में: इसे **GSAT-N2** के नाम से भी जाना जाता है।

- GSAT-20 एक **हाई-थ्रूपुट Ka-बैंड** संचार उपग्रह है। यह NSIL के पूर्ण स्वामित्व में है तथा इसका संचालन व वित्त-पोषण भी NSIL ही करेगा।
- इस उपग्रह का वजन **4,700 किलोग्राम** है।
- इस उपग्रह को विशेष रूप से **दूरस्थ और ऐसे क्षेत्र जो संचार संपर्क से बाहर हैं** की मांग आधारित सेवा जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है।
 - इसरो (ISRO) का सबसे शक्तिशाली रॉकेट **LVM-3** है। यह **4000 किलोग्राम तक के वजन वाले अंतरिक्ष यान को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में भेज सकता है**। इसी कारण से इसरो GSAT-20 को अपने रॉकेट से लॉन्च करने में सक्षम नहीं है।
- **GSAT-20, NSIL द्वारा संचालित एवं वित्त-पोषित दूसरा "मांग आधारित" (Demand driven) उपग्रह होगा।**
 - इससे पहले, NSIL ने अपना **पहला मांग-आधारित उपग्रह मिशन GSAT-24** को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। TataPlay ने डायरेक्ट-टू-होम प्रसारण के लिए इस उपग्रह की पूरी क्षमता को खरीद लिया था।

न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) के बारे में

- इसे **मार्च 2019 में भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। यह अंतरिक्ष विभाग के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है।**
- NSIL इसरो की वाणिज्यिक शाखा है।
- NSIL के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:
 - भू-पर्यवेक्षण और संचार उपयोगों के लिए **उपग्रहों का स्वामित्व;**
 - उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए **सेवाएं प्रदान करना;**
 - भारतीय उद्योग के माध्यम से **उपग्रह निर्माण;**
 - भारतीय उद्योग को **प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण** आदि।

6.3.6. मौसम पूर्वानुमान उपग्रह INSAT-3DS (INSAT-3DS Weather Forecasting Satellite)

सुर्खियों में क्यों?

इसरो ने मौसम पूर्वानुमान उपग्रह INSAT-3DS को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह मिशन **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES)** द्वारा वित्त-पोषित है।

अन्य संबंधित तथ्य


- INSAT-3DS को **GSLV-F14 प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया।** इस यान ने INSAT-3DS को पहले **जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में और फिर भू-स्थिर कक्षा (Geo-stationary Orbit) में स्थापित किया (बॉक्स देखिए)।**
 - इसे **श्रीहरिकोटा (आंध्र प्रदेश) के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया।**

INSAT-3DS उपग्रह के बारे में

- यह तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह की अगली कड़ी का मिशन है।
- यह उपग्रह पहले से सेवा प्रदान कर रहे **INSAT-3D और INSAT-3DR** की सहायता करेगा। ये उपग्रह **मौसम अवलोकन संबंधी भूस्थैतिक उपग्रह** हैं।
- **उपग्रह के पेलोड्स हैं:** इमेजर पेलोड, साउंडर पेलोड, डेटा रिले ट्रांसपोंडर और SA&SR ट्रांसपोंडर।
- **उद्देश्य**
 - यह **पृथ्वी की सतह की निगरानी करेगा तथा महासागर और उसके पर्यावरण का अवलोकन करेगा।**
 - यह वायुमंडल के मौसम संबंधी अलग-अलग मापदंडों की **विशेषताएं प्रदान करेगा।**
 - यह **डेटा संग्रह और डेटा प्रसार क्षमताओं को मजबूत करेगा।**
 - यह उपग्रह **खोज और बचाव सेवाओं (SA&SR) में मदद करेगा।**

GSLV-F14 के बारे में

- GSLV-F14 भारत के भू-तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान (Geosynchronous Satellite Launch Vehicle: GSLV) की 16वीं उड़ान थी। साथ ही, यह स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण के साथ 10वीं उड़ान थी।
 - GSLV तीन चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। इसका भार 420 टन है।
 - पहले चरण में एक ठोस प्रणोदक मोटर लगा होता है।
 - दूसरे चरण में पृथ्वी पर भंडारण योग्य प्रणोदक (लिक्विड) लगा होता है।
 - तीसरा चरण क्रायोजेनिक चरण है।
 - GSLV से संचार, नेविगेशन, पृथ्वी संसाधन सर्वेक्षण और किसी अन्य प्रकार की सेवा प्रदान करने वाले अंतरिक्ष उपग्रह को प्रक्षेपित किया जा सकता है।



जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (GTO) और भू-स्थैतिक कक्षा (GEO)

- जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (GTO): ट्रांसफर ऑर्बिट अंतरिक्ष में एक विशेष प्रकार की कक्षा है। इसका उपयोग एक कक्षा से दूसरी कक्षा में उपग्रह को ले जाने के लिए किया जाता है।
 - जियोसिंक्रोनस (और भू-स्थैतिक) भू-कक्षाओं में पहुँचने के लिए, एक अंतरिक्ष यान को लगभग 37,000 कि.मी. की एपोप्सिस ऊंचाई वाले एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में लॉन्च किया जाता है। इसे GTO कहा जाता है।
 - एपोप्सिस वह बिंदु है जिस पर परिक्रमा करने वाली वस्तु उस पिंड से सबसे अधिक दूर होती है जिसकी वह परिक्रमा कर रही है।
- भू-स्थैतिक कक्षा (GEO): GEO में उपग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर भूमध्य रेखा के ऊपर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इन उपग्रहों की गति पृथ्वी की गति के समान होती है।
 - इस वजह से GEO में उपग्रह एक निश्चित स्थान पर 'स्थिर' दिखाई देते हैं।

6.3.7. सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन

6.3.7.1. कार्टोसैट-2 (Cartosat-2)

- इसरो ने कार्टोसैट-2 उपग्रह की सफल डी-ऑर्बिटिंग और वायुमंडल में पुनः प्रवेश की पुष्टि की है। कार्टोसैट-2 की संचालन अवधि समाप्त हो जाने के बाद ऐसा किया गया है।
- कार्टोसैट-2 के बारे में:
 - इसे 2007 में लॉन्च किया गया था।
 - इसे सूर्य-तुल्यकालिक (Sun synchronous) कक्षा में स्थापित किया गया।
 - सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा (SSO)¹⁹³ उपग्रहों को स्थापित करने वाली एक विशेष प्रकार की ध्रुवीय कक्षा है। SSO में स्थापित उपग्रह, ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सूर्य के साथ समकालिक होते हैं।
 - इसका मतलब है कि वे हमेशा सूर्य के सापेक्ष एक ही 'निश्चित' स्थिति में रहने के लिए सिंक्रनाइज़ हैं।
 - यह एक अत्याधुनिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह था। यह दृश्य-विशिष्ट स्पॉट इमेजरी प्रदान करने में सक्षम था।

¹⁹³ Sun-synchronous orbit

- कार्टोसैट-2 की डी-ऑर्बिटिंग: अंतरिक्ष मलबे की रोकथाम पर अंतर्राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए इसरो इसमें बचे हुए ईंधन का उपयोग करके इसकी पेरिजी (Perigee) को नीचे लाया था। पेरिजी उपग्रह की कक्षा में वह बिंदु है, जहां यह पृथ्वी के सबसे करीब होता है।
 - कार्टोसैट-2 की डी-ऑर्बिटिंग के द्वारा इसरो ने बाह्य अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों को लंबे समय तक जारी रखने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

6.3.7.2. प्रोबा-3 मिशन (PROBA-3 MISSION)

- इसरो 2024 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के महत्वाकांक्षी प्रोबा-3 मिशन को लॉन्च करेगा।
- प्रोबा-3 मिशन के बारे में:
 - यह विश्व का पहला प्रिसिज़न फॉर्मेशन फ्लाईंग मिशन है।
 - इसमें दो उपग्रह अंतरिक्ष में एक-दूसरे से निश्चित दूरी बनाते हुए संयुक्त संरचना के रूप में मूवमेंट करेंगे। यह संयुक्त संरचना फ्लाईंग प्रौद्योगिकियों की क्षमता को प्रदर्शित करेगी।
 - उद्देश्य: यह 144 मीटर लंबे सौर कोरोनाग्राफ का निर्माण करेगा। यह एक ऐसा उपकरण होगा, जो वैज्ञानिकों को सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने में सक्षम बनाएगा।
 - यह अंतरिक्ष में एक कृत्रिम सूर्य ग्रहण बनाएगा। इससे कोरोना के नए दृश्य सामने आएंगे।



6.3.7.3. इंजीन्यूटी (मार्स हेलीकॉप्टर) {Ingenuity (Mars Helicopter)}

- नासा ने इंजीन्यूटी से दोबारा संपर्क स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है।
- इंजीन्यूटी के बारे में:
 - यह किसी अन्य ग्रह (मंगल) पर संचालित और नियंत्रित उड़ान भरने वाला पहला एयरक्राफ्ट है।
 - यह सौर ऊर्जा से संचालित है तथा इसमें स्वयं को चार्ज करने की क्षमता है।
 - इसे पर्सीवेंस रोवर के साथ मंगल ग्रह पर भेजा गया है। इसे मंगल 2020 मिशन के तहत लॉन्च किया गया था।
 - उड़ान भरने के लिए अनुकूल वातावरण: पतली परत (पृथ्वी के वायुमंडलीय घनत्व से 1% से भी कम) वाला वायुमंडल।

6.3.7.4. वॉयजर-1 (Voyager-1)

- वॉयजर-1 से संचार टूट जाने की समस्या का समाधान करने के दौरान नासा इस समस्या को भी जानने के निकट पहुंच गया है कि क्यों वॉयजर-1 पृथ्वी पर उपयोगी डेटा भेजने में असमर्थ हो रहा था।
- वॉयजर-1 के बारे में
 - यह एक फ्लाइंग बाई मिशन है। इसे 1977 में बृहस्पति और शनि के लिए लॉन्च किया गया था। यह अंतरिक्ष यान 2012 में इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच गया था।
 - यह पहला अंतरिक्ष यान था, जिसने हेलियोस्फीयर सीमा को पार किया था। हेलियोस्फीयर वह सीमा है, जहां सौर मंडल के बाहर के प्रभाव सूर्य के प्रभावों से ज्यादा मजबूत होते हैं।
 - इसने बृहस्पति के चारों ओर एक पतले वलय तथा बृहस्पति के दो नए चंद्रमाओं (थेबे और मेटिस) की खोज की थी।

6.3.7.5. इंट्यूटिव मशीन्स (IM) मिशन {Intuitive Machines (IM) Mission}

- स्पेसएक्स ने पिछले अपोलो चंद्र मिशन के 52 साल बाद इस निजी क्षेत्र के अमेरिकी चंद्र मिशन को लॉन्च किया है।
- IM-1 फ्लाइट चंद्रमा के पर्यावरण के बारे में डेटा इकट्ठा करने के लिए लैंडर नोवा-C (ओडीसियस) और नासा द्वारा डिज़ाइन किए गए उपकरणों के छह पेलोड ले जा रही है।
- यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास मालापर्ट ए क्रेटर पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा।
- निजी क्षेत्र के पिछले असफल प्रयास:
 - 2019 में, बेयरशीट (इजरायल);



- 2023 में, हकूतो-R मिशन (जापान); तथा
- 2024 में, द पेरेग्रीन लैंडर (USA)
 - यह मिशन नासा की कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस पहल का हिस्सा है। इस पहल के तहत चंद्रमा पर पेलोड ले जाने के लिए वाणिज्यिक संस्थाओं के साथ साझेदारी की जाती है।
 - चंद्रमा पर मौजूद स्टिकनेस की खाड़ी को साइनस विस्कॉसिटैटिस क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। यह खाड़ी ओशनस प्रोसेलरम या ओशन ऑफ़ स्टॉर्म के पास गुथीसेन डोम्स के निकट अवस्थित है।
- केवल अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, चीन, भारत और जापान ही ऐसे देश हैं, जिन्होंने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता पाई है।

6.3.7.6. अनकवर कार्यक्रम (Uncover Program)

- जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) से जुड़े 'अनकवर कार्यक्रम' के तहत शोधकर्ताओं ने प्रारंभिक ब्रह्मांड में 'डार्क एज' के अंत के बारे में एक प्रमाण खोजा है।
 - डार्क एज उस अवधि को कहा जाता है, जब प्रकाश के स्रोत न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस के घने कोहरे में ढके हुए थे।
 - इसके बाद 'री-आयोजनाइजेशन का युग' आया। यह युग 'प्रथम तारों' और आकाशगंगाओं की उत्पत्ति के कारण उत्पन्न हुआ था।
- UNCOVER से आशय है- अल्ट्रा-डीप निरकैम एंड निरस्पेक ऑब्सेर्वेशन्स बिफोर द एपोक ऑफ़ री-आयोजनाइजेशन¹⁹⁴ है। इसका उद्देश्य JWST के दो निम्नलिखित मुख्य विज्ञान-लक्ष्यों को प्राप्त करना है:
 - डार्क एज के दौरान प्रथम प्रकाश (फर्स्ट-लाइट) बिखेरने वाली आकाशगंगाओं की पहचान करना, तथा
 - अत्यंत कम आभा वाली आकाशगंगाओं का अध्ययन करना, जो री-आयोजनाइजेशन के लिए जिम्मेदार थी।

6.3.8. अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां (Other Important News)

6.3.8.1. हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट (High Altitude Pseudo Satellites: HAPS)

- बेंगलुरु स्थित नेशनल एयरोस्पेस लैबोरेट्रीज़ ने सौर ऊर्जा से संचालित "स्यूडो सैटेलाइट" का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया।
- स्यूडो सैटेलाइट (HAPS) मानव रहित हवाई यान है। यह जमीन से 18-20 कि.मी. की ऊंचाई पर उड़ सकता है और अपनी निश्चित पॉजिशन बनाए रख सकता है।
 - यह हवाई जहाज, एयरशिप, गुब्बारे आदि के रूप में हो सकता है।
- HAPS के दो प्रकार हैं
 - लाइटर दैन एयर (LTA) HAPS जो ऊपर उठने और तैरते रहने के लिए उछाल पर निर्भर करती है।
 - हैवियर दैन एयर (HTA) HAPS अधिक पारंपरिक टेक-ऑफ़ विधि वाली है।
- उपयोग: खोज और बचाव मिशन, आपदा राहत, सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी आदि।

6.3.8.2. डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर (Distress Alert Transmitter: DAT)

- इसरो ने दूसरी पीढ़ी का DAT (DAT-SG) विकसित किया है। यह उन्नत उपग्रह संचार और नेविगेशन क्षमताओं से लैस है।
- DAT एक स्वदेशी तकनीकी समाधान (DAT) है। इसके माध्यम से समुद्र में मछुआरे मत्स्यन नौकाओं से आपातकालीन संदेश भेज सकेंगे।
 - इसके तहत संदेश संचार उपग्रह के माध्यम से भेजे जाते हैं और भारतीय मिशन नियंत्रण केंद्र (INMCC) पर प्राप्त किए जाते हैं।
 - INMCC के पास "सागरमित्र/ SAGARMITRA" नामक एक वेब आधारित नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली है। यह प्रणाली पंजीकृत DAT-SGs का डेटाबेस बनाए रखेगी।

¹⁹⁴ Ultra-deep NIRCам and NIRSpec Observations Before the Epoch of Reionization

6.3.8.3. कुलशेखरपट्टिनम स्पेसपोर्ट {Kulasekarapattinam Spaceport (KS)}

- हाल ही में, प्रधान मंत्री ने तमिलनाडु के तूतुकुडि में कुलशेखरपट्टिनम स्पेसपोर्ट की आधारशिला रखी है।
- कुलशेखरपट्टिनम स्पेसपोर्ट के बारे में
 - इसका उपयोग लघु उपग्रह प्रक्षेपण यानों (SSLVs) के प्रक्षेपण के लिए किया जाएगा।
 - आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से तुलना करने पर यह उससे ज्यादा विशेषताओं से युक्त है। उदाहरण के लिए-
 - कुलशेखरपट्टिनम, तुलनात्मक रूप से विषुवत रेखा के अधिक निकट अवस्थित है।
 - रोकेट्स को दक्षिण दिशा की ओर सीधा लॉन्च किया जा सकेगा।
 - श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से रॉकेट को पहले पूर्व दिशा की ओर लॉन्च किया जाता है। फिर बाद वह में दक्षिण दिशा की ओर मुड़ता है। ऐसा, श्रीलंका के एयरस्पेस से बचने के लिए किया जाता है।
 - साथ ही, यह इसरो के महेंद्रगिरि स्थित प्रोपल्शन रिसर्च कॉम्प्लेक्स के निकट स्थित है। इससे रॉकेट के घटकों का कम समय में व सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित होगा।

6.3.8.4. स्टेटियो शिव शक्ति (Statio Shiv Shakti)

- इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन (IAU) ने चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर के लैंडिंग साइट के लिए "स्टेटियो शिव शक्ति" नाम को मंजूरी प्रदान की है।
- इस नाम को ग्रहों के नामकरण के गजेटियर में शामिल कर लिया गया है। यह गजेटियर उन ग्रहों के नामों का दस्तावेजीकरण करता है जिन्हें IAU ने अनुमोदित किया है।
 - ग्रहों के नामकरण का उपयोग किसी ग्रह या उपग्रह की सतह पर स्थलाकृतिक विशेषता को विशिष्ट पहचान प्रदान करने के लिए किया जाता है।
- IAU की स्थापना 1919 में की गई थी। इसका सचिवालय पेरिस, फ्रांस में है।
 - इसका मिशन खगोल विज्ञान के सभी पहलुओं को बढ़ावा देना और उसकी सुरक्षा करना है।
 - यह खगोलीय पिंडों और उनकी सतह पर मौजूद विशेषताओं के लिए नाम निर्दिष्ट करने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।
 - भारत सहित 92 देश इसके सदस्य हैं।

6.3.8.5. शिव और शक्ति: मिल्की-वे आकाशगंगा के निर्माण खंड {Shiva And Shakti: Building Blocks Of Milky Way}

- यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एस्ट्रोमेट्री सैटेलाइट गैया (Gaia) ने मिल्की-वे के सबसे पुराने निर्माण खंडों की खोज की है। उन्हें शिव और शक्ति नाम दिया गया है।
- ऐसा अनुमान है कि शिव और शक्ति दो आकाशगंगाओं के अवशेष हैं। 12 से 13 बिलियन वर्ष पहले इन दोनों के आपस में विलय होने से संभवतः मिल्की-वे का निर्माण हुआ था।
 - शक्ति स्टार्स मिल्की-वे के केंद्र से थोड़ा दूर और "शिव" स्टार्स की तुलना में अधिक गोलाकार कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं।

6.4. स्वास्थ्य (Health)

6.4.1. भारत में खाद्य विनियमों को सुव्यवस्थित करना (Streamlining Food Regulations in India)

सुखियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य सुरक्षा नियमों को सरल बनाने की दिशा में कई संशोधनों को मंजूरी दी है।

FSSAI द्वारा मंजूर किए गए संशोधन

- एक से अधिक प्रमाण-पत्रों की आवश्यकता को समाप्त करना: इससे खाद्य व्यवसायों को अनिवार्य प्रमाणीकरण के लिए विभिन्न प्राधिकरणों के पास नहीं जाना पड़ेगा।
 - खाद्य उत्पादों के लिए केवल FSSAI के प्रमाणीकरण को अनिवार्य बनाया गया है।

- खाद्य उत्पादों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) या एगमार्क प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।
 - वर्तमान में, खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध) विनियम 2011 ने BIS अधिनियम और एगमार्क योजना के तहत अनिवार्य प्रमाणीकरण निर्धारित किया है।
 - वर्तमान में, कुछ खाद्य उत्पादों के लिए BIS प्रमाणीकरण अनिवार्य है। जैसे कि शिशुओं के लिए फार्मूला उत्पाद (फॉर्मूला मिल्क), पैकड पेयजल, मिल्क पाउडर आदि।
 - कुछ उत्पादों के लिए एगमार्क अनिवार्य है, जैसे- मिश्रित खाद्य वनस्पति तेल और फैट स्प्रेड्स।
- FSSAI ने खाद्य उत्पादों के लिए पहले एक व्यापक मैनुअल भी जारी किया था। इसमें उन तरीकों का विश्लेषण किया गया है, जिससे खाद्य उत्पादों के लिए विनियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
- मानकों का विस्तार: मानकों का विस्तार: जैसे मीड (हनी वाइन) और अल्कोहलिक रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) पेय पदार्थों के मानक, दूध वसा उत्पादों के मानकों में संशोधन, हलीम के लिए मानक आदि।

एगमार्क (AGMARK) के बारे में

- एगमार्क कृषि उपज को दिया जाने वाला एक प्रमाणन चिह्न है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रमाणित कृषि उपज (ग्रेडिंग मार्किंग) अधिनियम, 1937 के तहत विपणन और निरीक्षण निदेशालय (DMI) द्वारा अधिसूचित ग्रेड मानकों के अनुरूप हों।
- प्रकृति: FSSAI द्वारा अनिवार्य बनाए गए कुछ वस्तुओं को छोड़कर, एगमार्क प्रमाणन योजना स्वैच्छिक है।
- संबंधित मंत्रालय: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

भारत में खाद्य सुरक्षा नियमों के बारे में:

- खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006: यह खाद्य संरक्षा पर व्यापक कानून है। इसके तहत FSSAI को खाद्य संरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्राथमिक संस्था के रूप में स्थापित किया गया है।
- खाद्य संरक्षा और मानक विनियम, 2011: इसमें पैकेज्ड फूड, मंजूरी प्राप्त फूड एडिटिव्स, माइक्रोबायोलॉजिकल घटकों आदि के लिए लेबलिंग आवश्यकताएं व मानक शामिल हैं।
- FSSAI के अलग-अलग खाद्य संरक्षा मानक: ये मानक वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल्स द्वारा विकसित किए गए हैं। समिति और पैनल्स खाद्य संरक्षा मानकों के विकास के लिए FSSAI की प्रमुख शाखाएं हैं।

भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के बारे में

- FSSAI के बारे में: FSSAI एक वैधानिक निकाय है। इसका गठन खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत किया गया है।
- कार्य: FSSAI के निम्नलिखित कार्य हैं:
 - खाद्य उत्पादों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करना, तथा
 - खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करना।
- मंत्रालय: यह केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
- संगठनात्मक संरचना: इसमें केंद्र द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष सहित 22 सदस्य शामिल होते हैं। इसमें एक-तिहाई सदस्य महिलाएं होती हैं।
- प्रमुख पहलें:
 - खाद्य सुरक्षा के पांच महत्वपूर्ण मापदंडों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक शुरू किया गया है।
 - सभी के लिए सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने के लिए ईट राइट इंडिया मूवमेंट।
 - ट्रांस फैट के उन्मूलन के लिए हार्ट अटैक रिवाइंड अभियान शुरू किया गया है।
 - रिपर्स यूज्ड कुकिंग ऑयल (RUCO)।
- मुख्यालय: नई दिल्ली

6.4.2. हैविश्योर (Havisure)

सुर्खियों में क्यों?

भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस-A वैक्सीन "हैविश्योर" लॉन्च किया गया



हैविशयोर के बारे में

- हैविशयोर को इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड (IIL) ने विकसित किया है। IIL राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
- हैविशयोर दो खुराक वाली वैक्सीन है। इसमें पहली खुराक 12 महीने से अधिक आयु के बच्चों को दी जाती है। दूसरी खुराक, पहली खुराक से कम-से-कम 6 महीने बाद दी जाती है।
 - यह वैक्सीन उन व्यक्तियों को भी दी जा सकती है, जिन्हें हेपेटाइटिस-A के संक्रमण का अधिक खतरा है या जो हेपेटाइटिस A के अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों की यात्रा करते हैं।

हेपेटाइटिस के बारे में

- हेपेटाइटिस एक बीमारी है, जो लिवर की सूजन का कारण बनती है। यह बीमारी अलग-अलग प्रकार के संक्रामक वायरस और गैर-संक्रामक अभिकारकों के कारण होती है।
 - हेपेटाइटिस वायरस के पांच मुख्य स्ट्रेन हैं- हेपेटाइटिस-A, हेपेटाइटिस-B, हेपेटाइटिस-C हेपेटाइटिस-D और हेपेटाइटिस-E.

हेपेटाइटिस	संक्रमण कैसे फैलता है?	उपचार
A	<ul style="list-style-type: none"> • दूषित भोजन या पानी का सेवन करने से। 	वैक्सीन
B	<ul style="list-style-type: none"> • संक्रमित व्यक्ति के तरल स्रावों (जैसे- रक्त, लार, वीर्य आदि) के संपर्क में आने से। • प्रसव के दौरान और जन्म से माता से बच्चे में संक्रमण। • असुरक्षित इंजेक्शन या संक्रमित तेज धार या नुकीले उपकरणों के संपर्क में आने से। 	वैक्सीन
C	<ul style="list-style-type: none"> • एक ही नीडल या सिरिंजों का एक से अधिक व्यक्तियों पर उपयोग करने के कारण संक्रमित रक्त के संपर्क में आने से, या बिना जांच किए असुरक्षित रक्त को किसी व्यक्ति में चढ़ाने जैसी असुरक्षित चिकित्सा प्रक्रियाओं से। 	वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में इसके उपचार के लिए केवल एंटीवायरल दवा दी जाती है।
D	<ul style="list-style-type: none"> • इसका संक्रमण केवल उन व्यक्तियों में होता है, जो पहले से हेपेटाइटिस-B (HBV) से संक्रमित हैं। 	वैक्सीन
E	<ul style="list-style-type: none"> • फेकल-ओरल रूट (Fecal-oral route) के जरिए संक्रमण, मुख्यतः दूषित जल के संपर्क में आने से। 	वैक्सीन

- हेपेटाइटिस की रोकथाम के लिए शुरू की गई पहलें
 - भारत में 2030 तक हेपेटाइटिस-C का उन्मूलन करने के लिए "राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम, 2019" शुरू किया गया है।
 - मिशन इंद्रधनुष, 2014 के तहत हेपेटाइटिस-B के साथ-साथ 7 अन्य संक्रमणों के के खिलाफ वैक्सीन को टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया है।
 - हेपेटाइटिस संक्रमण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है

6.4.3. सर्वाइकल कैंसर (Cervical Cancer)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, पहले वैश्विक सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन फोरम का कोलंबिया में आयोजन किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- इसका आयोजन WHO, विश्व बैंक, यूनिसेफ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और अन्य संगठनों द्वारा किया गया था।
- इस फोरम का लक्ष्य सरकारों, दानदाताओं, नागरिक समाज और विभिन्न हितधारकों को सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन के लिए प्रतिबद्धता जाहिर करने और वैश्विक समुदाय को एकजुट करने के लिए प्रेरित करना है।

सर्वाइकल कैंसर के बारे में

- कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं। जब कैंसर का विकास ग्रीवा/ सर्विक्स (Cervix) में शुरू होता है, तो इसे सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है।
 - सर्विक्स योनि (Birth canal) को गर्भाशय के ऊपरी हिस्से या गर्भ (जहां गर्भावस्था के दौरान बच्चे का विकास होता है) से जोड़ती है।
- यह अक्सर 30 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में होता है और वैश्विक स्तर पर महिलाओं में चौथा सबसे आम कैंसर है।
 - यह भारत में महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है।
- सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV) से बार-बार होने वाला संक्रमण है।

HPV के बारे में

- HPV एक सामान्य यौन संचारित संक्रमण (Sexually transmitted infection) है, जो त्वचा, जननांग और गले को प्रभावित कर सकता है।
- ज्यादातर मामलों में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता HPV को शरीर से बाहर निकाल देती है।
- उच्च जोखिम वाले HPV से बार-बार संक्रमण की स्थिति में असामान्य कोशिकाएं विकसित हो सकती हैं, जो बाद में कैंसर में बदल सकती हैं।
 - वर्तमान में HPV से होने वाले संक्रमण का कोई इलाज नहीं है।
- HPV के प्रकार
 - उच्च जोखिम वाले HPV के 12 प्रकार हैं।
 - इनमें से दो (HPV 16 और HPV 18) के कारण अधिकांश HPV कैंसर उत्पन्न होते हैं।
- HPV टीकाकरण और बचाव के अन्य उपाय
 - दुनिया भर में HPV के 6 टीके उपलब्ध हैं। सभी टीके उच्च जोखिम वाले HPV 16 और HPV 18 से सुरक्षा प्रदान करते हैं। गौरतलब है कि HPV 16 और HPV 18 के कारण ही अधिकांश सर्वाइकल कैंसर उत्पन्न होते हैं।
 - सभी लड़कियों को 9-14 साल की उम्र में HPV का टीका (1 या 2 खुराक) लगवाना चाहिए।
 - इसके अलावा, Cervavac (सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ पहला स्वदेशी टीका) को भी सीरम इंस्टिट्यूट ने ही विकसित किया है।

रोकथाम के लिए पहलें

- सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन पहल (विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा): WHO ने 2030 तक प्रत्येक देश के लिए "90-70-90" लक्ष्य निर्धारित किए हैं:
 - टीकाकरण: 15 साल की उम्र तक 90% लड़कियों को HPV वैक्सीन की पूरी खुराक दी जाए।
 - स्क्रीनिंग: 35 साल की उम्र तक 70% महिलाओं की जांच हो और फिर 45 साल की उम्र तक दोबारा जांच हो।
 - उपचार: कैंसर की संभावना वाली 90% महिलाओं का इलाज हो और इनवैसिव कैंसर से ग्रस्त 90% महिलाओं के लिए इलाज का प्रबंध किया जाए।
- भारत में लड़कियों के लिए HPV टीकाकरण: भारत सरकार ने 2024-25 के अंतरिम बजट में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 साल की उम्र की लड़कियों को HPV का टीका लगाने का प्रस्ताव दिया है।

6.4.4. कुष्ठ रोग (Leprosy)

सुर्खियों में क्यों?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कुष्ठ रोग (Leprosy) के लिए नई उपचार विधि की घोषणा की है।

कुष्ठ रोग (हैनसेन रोग) के बारे में:

- यह एक दीर्घकालिक (Chronic) संक्रामक रोग है। यह माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के कारण होता है।
- प्रभावित अंग: यह रोग मुख्य रूप से त्वचा, परिधीय तंत्रिकाओं, ऊपरी श्वसन पथ और आंखों के म्यूकोसा को प्रभावित करता है।

- फैलने का तरीका: अनुपचारित रोगी के निकट और लगातार संपर्क में रहने पर उस रोगी के नाक और मुंह से निकली बूंदों के माध्यम से इस रोग का संक्रमण फैलता है।
- इलाज: बहु-औषधीय (multidrug) उपचार से इसका इलाज किया जा सकता है।
- वर्गीकरण: उपचार की दृष्टि से कुष्ठ रोग के मामलों को दो श्रेणियों में बांटा गया है:
 - पाँसी-बैसिलरी (PB) मामलों में रोगी के शरीर में लेप्री जीवाणुओं की संख्या काफी कम होती है। ऐसे मामलों में बायोप्सी में आगे विकसित होने वाली बीमारी का स्पष्ट पता नहीं चलता है।
 - मल्टी-बैसिलरी (MB) मामलों में रोगी के शरीर में लेप्री जीवाणुओं की संख्या काफी अधिक होती है। इसके कारण बायोप्सी में विकसित होने वाली बीमारी के पर्याप्त लक्षण दिखाई पड़ जाते हैं।
- घोषित नई उपचार विधि के बारे में:
 - स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुष्ठ रोग के पाँसी-बैसिलरी (PB) मामलों के लिए छह माह हेतु दो-दवा के स्थान पर तीन-दवा की व्यवस्था शुरू करने का निर्णय लिया है।
 - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा अनुशंसित मल्टी-ड्रग थेरेपी (MDT) में तीन दवाएं (डैपसोन, रिफैम्पिसिन और क्लोफ़ाज़िमिन) शामिल हैं।
- कुष्ठ रोग के निवारण के लिए हाल ही में उठाए गए कदम:
 - कुष्ठ रोग के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (NSP) और रोडमैप (2023-27): इनका उद्देश्य 2027 तक कुष्ठ रोग के शून्य संचरण का लक्ष्य प्राप्त करना है।
 - कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम: यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
 - निकुष्ठ 2.0 पोर्टल: यह कुष्ठ रोग के मामलों के प्रबंधन के लिए एक एकीकृत पोर्टल है।

6.4.5. अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां (Other Important News)

6.4.5.1. पेनिसिलिन-G (Penicillin-G)

- केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री के अनुसार, भारत 30 वर्षों के बाद पेनिसिलिन-G का फिर से उत्पादन शुरू करेगा।
- पेनिसिलिन-G एक सक्रिय औषध सामग्री (Active Pharmaceutical Ingredient: API) है। इसका उपयोग निमोनिया, मैनिंजाइटिस (मस्तिष्कावरण शोथ), गोनोरिया और सिफलिस के इलाज के लिए एंटी-बैक्टीरियल दवाओं के उत्पादन में किया जाता है।
 - इसे बेंजाइलपेनिसिलिन या बेंजाइलपेनिसिलिनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है।
 - 1928 में स्कॉटिश जीवविज्ञानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली बार पेनिसिलियम कवक से पेनिसिलिन को अलग किया था।
 - इस खोज के लिए उन्हें 1945 में संयुक्त रूप से फिजियोलॉजी/ मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
 - इस दवा को मुख्य रूप से वैक्सिन की तरह सिरिंज के माध्यम से शरीर की नसों में या मांसपेशियों के जरिए शरीर में पहुंचाई जाती है। यह दवा ओरल रूप में लेने (खाने) से अधिक असरदार नहीं रह जाती है।
 - वैश्वीकरण के बाद भारत ने कई अन्य APIs की तरह पेनिसिलिन-G का भी चरणबद्ध तरीके से उत्पादन बंद कर दिया था। यह कदम चीन से इसके सस्ते आयात के चलते उठाया गया था।

6.4.5.2. रोडामाइन-B (Rhodamine-B)

- तमिलनाडु में कॉटन कैंडी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाल ही में, कैंडी के सैम्पल्स में कृत्रिम कलरिंग एजेंट के रूप में विषाक्त औद्योगिक डाय "रोडामाइन-B" के उपयोग का पता चला था। इसके बाद इसे प्रतिबंधित किया गया है।
 - भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य उद्योग में इस रसायन के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है।
- रोडामाइन-B के बारे में
 - रोडामाइन-B एक प्रकार का कार्बनिक क्लोराइड साल्ट है। इसका उपयोग वस्त्र, पेपर, चमड़ा और पेंट उद्योग में डाय के लिए कलरिंग एजेंट के रूप में किया जाता है।
 - मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव
 - तत्काल प्रभाव: पेट भरा-भरा लगना, खुजली और सांस लेने में समस्या।



- संभावित दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव: लीवर में विकार, आंत का कैंसर, न्यूरोटॉक्सिसिटी और किडनी फेल होना।
- अन्य रासायनिक रंग:
 - टार्ट्राज़िन (Tartrazine) और सनसेट येलो के चलते एलर्जी या स्यूडो-एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है।
 - कार्मोइसिन (Carmoisine) से त्वचा पर चकत्ते और श्वसन संबंधी एलर्जी हो सकती है।

6.4.5.3. मॉसक्विरिक्स (Mosquirix)

- कैमरून विश्व का ऐसा पहला देश है, जिसने अपने नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में मॉसक्विरिक्स को शामिल किया है। मॉसक्विरिक्स, बच्चों के लिए दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन है।
- मॉसक्विरिक्स के बारे में
 - इसे RTS, S/ AS01 के नाम से भी जाना जाता है।
 - यह टीका बच्चों को 5 माह की उम्र से दिया जाता है।
 - रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन-आधारित मलेरिया वैक्सीन।
 - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी इस टीके को मंजूरी दे दी है।
 - यह टीका प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम परजीवी और हेपेटाइटिस-B वायरस के प्रोटीन से निर्मित है।
 - प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम परजीवी से मलेरिया का रोग होता है।
 - विश्व में प्लाज्मोडियम विवैक्स (P. vivax) मलेरिया से पीड़ित लोगों की सर्वाधिक संख्या भारत में है।

6.4.5.4. कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रेपरेडनेस इनोवेशंस (Coalition For Epidemic Preparedness Innovations: CEPI)

- सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) वैक्सीन्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए CEPI के वैश्विक नेटवर्क में शामिल हुआ है।
- CEPI के बारे में
 - इसका मुख्यालय ओस्लो (नॉर्वे) में स्थित है।
 - यह सार्वजनिक, निजी, परोपकारी और नागरिक समाज संगठनों के बीच एक अभिनव वैश्विक साझेदारी है।
 - इसकी स्थापना 2017 में दावोस (स्विट्ज़रलैंड) में हुई थी। इसे नॉर्वे सरकार, भारत सरकार, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वेलकम ट्रस्ट और विश्व आर्थिक मंच ने संयुक्त रूप से स्थापित किया था।
 - यह संगठन एपिडेमिक और पेंडेमिक के खतरों के खिलाफ वैक्सीन्स तथा अन्य जैविक समाधानों के विकास में तेजी लाने के लिए वित्त प्रदान करता है, ताकि ये समाधान सभी जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सकें।
 - CEPI के वित्त-पोषण से निपाह वायरस व लासा बुखार के खिलाफ वैक्सीन्स विकसित की गई हैं आदि।

6.4.5.5. वैक्सीन सेफ्टी नेट (Vaccine Safety Net: VSN)

- द हेल्दी इंडियन प्रोजेक्ट (THIP) विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के नेतृत्व वाली परियोजना VSN में शामिल हो गई है।
 - THIP एक निजी कंपनी है। यह स्वास्थ्य संबंधी सूचना और फैक्ट चेकिंग प्लेटफॉर्म है। इसका विशेष ध्यान वैक्सीन सुरक्षा पर सत्यापित जानकारी प्रदान करना है।
- VSN को 2003 में WHO ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य इंटरनेट यूजर्स को वैक्सीन सुरक्षा पर विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने में मदद करना है।
- 1999 में स्थापित ग्लोबल एड्वाइजरी कमेटी ऑन वैक्सीन सेफ्टी (GACVS), वेबसाइट की गुणवत्ता और कंटेंट के लिए सलाह एवं मानदंड प्रदान करके VSN का समर्थन करती है।

6.4.5.6. ANAGRANINF परियोजना (Project Anagraninf)

- प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ANAGRANINF परियोजना के लिए फंड प्रदान करता है। ANAGRANINF से तात्पर्य है "डेवलपमेंट ऑफ ए नॉवेल क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट ग्राम-नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शंस।"

- परियोजना के बारे में:
 - यह भारतीय और स्पेनिश कंपनियों के बीच एक सहयोगात्मक पहल है।
 - उद्देश्य:
 - एक नवीन सीसा यौगिक (विशेष रूप से एक एंटीबायोटिक) विकसित करना। साथ ही, अति हानिकारक ग्राम-नेगेटिव रोगजनकों से निपटना।
 - यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला का उत्पादन करना है, जो न केवल बढ़ी हुई प्रभावकारिता प्रदर्शित करेंगे, बल्कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) संक्रमण से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा निर्धारित कठोर मानदंडों के अनुरूप भी होंगे।
- ग्राम-नेगेटिव बैक्टीरिया कई दवाओं के प्रतिरोधी होते हैं और अधिकांश उपलब्ध एंटीबायोटिक दवाओं के भी प्रतिरोधी होते जा रहे हैं।

6.5. रक्षा (Defence)


6.5.1. मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल (MIRV) तकनीक {Multiple Independently Targetable Re-Entry Vehicle (MIRV) Technology}

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, DRDO (रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन) ने मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल (MIRV) तकनीक से लैस अग्नि-5 मिसाइल का सफलतापूर्वक फ्लाइट टेस्ट किया है। इस संपूर्ण टेस्ट ऑपरेशन को 'मिशन दिव्यास्त्र' (Mission Divyashtra) नाम दिया गया है।

MIRV तकनीक के बारे में

- उत्पत्ति: यह तकनीक मूल रूप से 1960 के दशक की शुरुआत में विकसित हुई थी। इस तकनीक के जरिए एक ही मिसाइल कई परमाणु हथियारों को ले जा सकती थी। इन परमाणु हथियार को अलग-अलग लक्ष्यों पर दागा जा सकता था।
 - इस तकनीक के जरिए मिसाइल से अलग-अलग गति के साथ अलग-अलग दिशाओं में हथियार दागे जा सकते हैं।
- पहला देश: संयुक्त राज्य अमेरिका MIRV तकनीक विकसित करने वाला पहला देश था।
 - यह तकनीक रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन के पास भी है।
 - पाकिस्तान ने 2017 में कथित तौर पर MIRV तकनीक से लैस अबाबील नामक एक मिसाइल का परीक्षण किया था।
- लाभ:
 - यह एक्सो-एटमोस्फेरिक डिप्लॉयमेंट में सक्षम है और MIRV पारंपरिक मिसाइल्स के विपरीत एक साथ कई वॉरहेड्स ले जा सकता है। इनमें से प्रत्येक वॉरहेड अलग-अलग लक्ष्यों पर स्वतंत्र रूप से हमला करने में सक्षम है। ज्ञातव्य है कि पारंपरिक मिसाइल्स केवल एक वारहेड ले जा सकती है।
 - इन वारहेड्स को जमीन से या पनडुब्बी के जरिए समुद्र से लॉन्च किया जा सकता है।
 - हालांकि, MIRVs का उद्देश्य शुरू में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD) प्रणाली को मात देना नहीं था। फिर भी, पारंपरिक मिसाइलों की तुलना में MIRVs से लैस मिसाइल से अपना बचाव करना कहीं अधिक कठिन होता है। इसलिए, इन्हें BMD को निष्प्रभावी करने वाले कारगर जवाबी उपायों के रूप में देखा जाता है।



MIRV तकनीक से जुड़ी चुनौतियां

- **कमजोर पक्ष:** खास तौर से जमीन पर तैनात की गई MIRV मिसाइलें **सुभेद्य** हो सकती हैं, क्योंकि मिसाइलों पर लगे कई वारहेड दुश्मन द्वारा हमले की स्थिति में असुरक्षित होते हैं। साथ ही, ये संकट के समय किसी दुश्मन देश को पहले हमला करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।
- **अन्य चुनौतियां:** इसके विकास ने और भी कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, जिनमें शामिल हैं:
 - छोटे आकार के हथियारों का विकास,
 - उन्नत मार्गदर्शन प्रणालियों का विकास,
 - अतिरिक्त विखंडनीय पदार्थ (जैसे- प्लूटोनियम) की आवश्यकता आदि।

अग्नि-5 मिसाइल

- **इसके बारे में:** यह DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित **सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल** है।
 - बैलिस्टिक मिसाइल, प्रोजेक्टाइल मोशन के जरिए हथियार को लक्ष्य तक पहुंचाती है।
- **रेंज:** अत्यधिक सटीकता के साथ 5,000 कि.मी. से अधिक दूरी तक मारक क्षमता।
- **ईंधन:** इसमें ठोस ईंधन युक्त **तीन चरणों वाले इंजन** का उपयोग किया जाता है।
- इसे एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP)¹⁹⁵ के तहत विकसित किया गया है।
- डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में IGMDP को 1983 में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य भारत को मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना था।
 - **IGMDP के तहत विकसित की गई मिसाइलें:**
 - **पृथ्वी:** यह कम दूरी की **सतह-से-सतह** पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है।
 - **अग्नि:** यह मध्यम दूरी की **सतह-से-सतह** पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है।
 - **त्रिशूल:** यह कम दूरी की **सतह से हवा** में मार करने वाली मिसाइल है। इसे कम ऊंचाई के लक्ष्यों पर वार करने हेतु उपयोग में लाया जाता है।
 - **आकाश:** यह मध्यम दूरी की **सतह-से-हवा** में मार करने वाली मिसाइल है।
 - **नाग:** यह तीसरी पीढ़ी की **एंटी टैंक** मिसाइल है।

6.5.2. ठोस-ईंधन प्रौद्योगिकी (Solid-Fuel Technology)

सुर्खियों में क्यों?

उत्तर कोरिया ने ठोस ईंधन से संचालित अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया

अन्य संबंधित तथ्य

- यह मिसाइल **हाइपरसोनिक हथियारों** को लॉन्च करने में सक्षम है।
 - एक **हाइपरसोनिक मिसाइल** की गति ध्वनि की गति से पांच गुना अधिक होती है। इस तरह की मिसाइल की गति **मैक-5 से अधिक** होती है।
- मिसाइलें तरल और क्रायोजेनिक ईंधन के साथ-साथ ठोस ईंधन प्रौद्योगिकी द्वारा भी संचालित होती हैं।

ठोस ईंधन और तरल ईंधन प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित मिसाइलों की तुलना नीचे की गई है

डोमेन	ठोस ईंधन प्रौद्योगिकी	तरल ईंधन प्रौद्योगिकी
फ्यूल और ऑक्सीडाइजर	<ul style="list-style-type: none"> ● ठोस प्रणोदक, ईंधन और ऑक्सीडाइजर का मिश्रण होता है। ● ईंधन- धात्विक पाउडर (एल्यूमीनियम)। ● ऑक्सीडाइजर: अमोनियम नाइट्रेट व पोटैशियम क्लोरेट। 	<ul style="list-style-type: none"> ● तरल-ईंधन संचालित मिसाइल में तरल अवस्था में ईंधन और ऑक्सीजन (या अन्य ऑक्सीडाइजर) होते हैं। ● ईंधन: केरोसिन, अल्कोहल, हाइड्राज़ीन और इसके डेरिवेटिव्स, तथा तरल हाइड्रोजन। ● ऑक्सीडाइजर: नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, तरल ऑक्सीजन और तरल फ्लोरीन।

¹⁹⁵ Integrated Guided Missile Development Programme

मैकेनिज्म	<ul style="list-style-type: none"> ईंधन और ऑक्सीडाइजर सख्त रबड़ जैसी सामग्री से संयुक्त रूप से बंधे होते हैं और एक धात्विक आवरण में पैक किए जाते हैं। 	<ul style="list-style-type: none"> इन्हें एक कंबस्टन चैम्बर में मिश्रित किया जाता है और दहन किया जाता है।
लाभ	<ul style="list-style-type: none"> इन्हें अधिक रखरखाव की जरूरत नहीं पड़ती है और इस ईंधन पर आधारित मिसाइल को तुरंत दागा जा सकता है। इसके अलावा, ईंधन को लंबे समय तक भंडारित किया जा सकता है। 	<ul style="list-style-type: none"> इसमें ईंधन के उपयोग को नियंत्रित किया जा सकता है और इंजन को बंद किया जा सकता है। यह प्रौद्योगिकी अधिक थ्रस्ट और पावर उत्पन्न करती है।
कमियां	<ul style="list-style-type: none"> इसमें उत्पन्न थ्रस्ट को नियंत्रित या बंद नहीं किया जा सकता है। 	<ul style="list-style-type: none"> इसमें ईंधन और ऑक्सीडेंट को अलग-अलग भंडारित करना होता है। यह जटिल प्रौद्योगिकी है। इस तकनीक पर आधारित मिसाइलों का भार अधिक होता है।

क्रायोजेनिक ईंधन प्रौद्योगिकी के बारे में:

- क्रायोजेनिक ईंधन वास्तव में बहुत कम तापमान पर भंडारित तरलीकृत गैस होती हैं। इस ईंधन को अधिक दक्ष माना जाता है।
 - उच्च घनत्व सुनिश्चित करने के लिए गैसीय प्रणोदकों को बहुत उच्च दाब तक संपीड़ित करना पड़ता है या बहुत कम तापमान तक ठंडा करना पड़ता है।
- इस तकनीक में प्रणोदक के रूप में तरल ऑक्सीजन (LOX) और तरल हाइड्रोजन (LH2) का उपयोग किया जाता है।
- यह ठोस और तरल ईंधन की तुलना में जलने वाले प्रत्येक किलोग्राम प्रणोदक पर अधिक थ्रस्ट प्रदान करता है।

6.5.3. भू-स्थानिक आसूचना या खुफिया जानकारी (Geospatial Intelligence)

सुर्खियों में क्यों


इसरो आसूचना या खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए अगले 5 वर्षों में 50 उपग्रह लॉन्च करने की योजना बना रहा है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस योजना के तहत पृथ्वी की अलग-अलग कक्षाओं में उपग्रहों के एक समूह को स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य सैनिकों की गतिविधियों की निगरानी करना और हजारों किलोमीटर क्षेत्र की इमेज लेना है।
- इससे भू-स्थानिक परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए उपग्रहों की क्षमता में सुधार होगा। साथ ही, भू-स्थानिक डेटा का विश्लेषण करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से संबंधित और डेटा-संचालित दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा।

भू-स्थानिक आसूचना या खुफिया जानकारी के बारे में

- भू-स्थानिक आसूचना या खुफिया जानकारी एक इंटेलिजेंस संबंधी विषय क्षेत्र है। इसके तहत विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों को बेहतर ढंग से वर्णित करने और इमेज प्राप्त करने के लिए भू-स्थानिक डेटा का विश्लेषण किया जाता है।
- इसमें पृथ्वी पर कहीं भी मानवीय गतिविधियों और भौतिक भूगोल का सर्वेक्षण व आकलन करने के लिए इमेजरी का उपयोग किया जाता है।
- भू-स्थानिक आसूचना या खुफिया जानकारी में आमतौर पर विविध प्रौद्योगिकियों से मिलकर बने नेटवर्क से डेटा एकत्रित व समेकित किया जाता है। इन प्रौद्योगिकियों में अलग-अलग उपग्रहों, मोबाइल सेंसर, ग्राउंड-कंट्रोल स्टेशन, हवाई छवियों आदि को शामिल किया जाता है।
- भू-स्थानिक आसूचना अंतिम छोर तक के उपकरण के क्रियाकलाप की जानकारी जुटाने में मदद करेगी और अंततः निर्णय निर्माण संबंधी श्रेष्ठता बनाए रखने में सहायता करेगी।
- समुद्री डोमेन जागरूकता (MDA):** भू-स्थानिक आसूचना के क्षेत्रीय कवरेज का विस्तार करके समुद्री क्षेत्र की अधिक व्यापक निगरानी क्षमता प्राप्त हो सकती है। इससे हिंद महासागर क्षेत्र को सुरक्षित रखने में सहायता मिलेगी।



PT 365 - अपडेटेड क्वेस्टियनरूम स्टडी मटीरियल

भू-स्थानिक आसूचना को मजबूत बनाने की दिशा में भारत के प्रयास

- **भू-पर्यवेक्षण उपग्रह:** भारत में रिमोट सेंसिंग उपग्रहों का सबसे बड़ा समूह संचालन में है। जैसे, EOS-07 फरवरी 2023 में पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था।
- **'नाविक' (नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन: NavIC):** यह सटीकता के साथ लोकेशन संबंधी सूचना सेवा प्रदान करने के लिए भारत द्वारा संचालित स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली है।
- **भुवन पोर्टल:** यह इसरो द्वारा विकसित और संचालित किया जा रहा राष्ट्रीय भू-पोर्टल है। यह सैटेलाइट इमेजरी और मानचित्र प्रदान करता है।

6.5.4. ड्रोन और सुरक्षा (Drones and Security)

सुर्खियों में क्यों

हाल ही में, अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने भारतीय नौसेना के लिए **दृष्टि 10 स्टारलाइनर मानवरहित हवाई वाहन (UAV)**¹⁹⁶ शुरू किया है।

दृष्टि 10 स्टारलाइनर के बारे में

- यह पहला स्वदेशी रूप से निर्मित UAV है, जो भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ है। इसमें 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल हुआ है।
 - यह नौसेना के समुद्री डोमेन जागरूकता (MDA) को बढ़ावा देगा। साथ ही, उनके समुद्री डकैती को रोकने संबंधी अभियानों और अन्य समुद्री मिशनों की प्रभावशीलता को बढ़ाएगा।
- इस UAV की मुख्य विशेषताएं:
 - यह एडवांस इंटेलिजेंस, निगरानी और टोही क्षमताओं (ISR) से युक्त है।
 - मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंज्योरेंस (MALE) UAV है। इसका अर्थ है मध्यम ऊंचाई पर अधिक देर तक रह सकता है।
 - इसकी पेलोड क्षमता 450 किलोग्राम है।
 - इसे STANAG 4671 प्रमाणन प्राप्त हुआ है, जो नाटो (NATO) समझौते के तहत स्थापित मानक है।

रक्षा क्षेत्र में ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए भारत द्वारा शुरू की गई पहलें

- **विदेशी ड्रॉन्स का अधिग्रहण:** भारत ने अलग-अलग देशों से ड्रोन तकनीक का आयात किया है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल से ड्रोन की खरीद की जाती है।
 - **हेरॉन मार्क-II ड्रोन (Heron Mark-II drone):** यह एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंज्योरेंस (MALE) ड्रोन है। इसे भारतीय वायु सेना द्वारा पाकिस्तान और चीन के साथ लगती उत्तरी सीमाओं पर सर्वांगीण के लिए शामिल किया गया है।
 - **सर्चर एमके II ड्रोन (Searcher Mk II drone):** इसे इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने विकसित किया है। यह भारतीय थल सेना और नौसेना द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक टोही ड्रोन है।
 - **MQ-9B स्काईगार्डियन ड्रॉन्स:** भारत इन्हें अमेरिका से खरीद कर रहा है।
- **ड्रोन डिटेक्ट, डेटर एंड डेस्ट्रॉय सिस्टम (D4 सिस्टम):** यह DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी एंटी-ड्रोन सिस्टम है। इसे भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल किया गया है।

भारत में ड्रोन विनियमन

- **ड्रोन (संशोधन) नियम, 2023** रिमोट पायलट सर्टिफिकेट (RPC) जारी करने के लिए आवेदक के पास भारतीय पासपोर्ट की अनुपलब्धता की स्थिति में एक वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान करता है।
- **राष्ट्रीय काउंटर रोग ड्रोन दिशा-निर्देश (National Counter Rogue Drone Guidelines):** वर्ष 2019 में, नागर विमानन मंत्रालय ने यह दस्तावेज जारी किया था। इसका उद्देश्य ड्रोन से संबंधित खतरों का आकलन करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना था।
- **ड्रोन नियम 2021:** ये भारतीय हवाई क्षेत्र को तीन जोन (ग्रीन, येलो और रेड) में विभाजित करते हैं। ये ड्रोन उड़ाने की स्वीकार्यता के आधार पर निर्धारित है।
 - **रेड जोन में ड्रोन नहीं जा सकता (no go zones) है।** यहां केंद्र सरकार द्वारा दी गई अनुमति के अलावा किसी भी ड्रोन का संचालन नहीं किया जा सकता है।

¹⁹⁶ Unmanned Aerial Vehicle

- यह 4 कि.मी. की सीमा के भीतर ड्रोन का पता लगा सकता है, उसे ट्रैक कर सकता है और उसकी पहचान कर सकता है।
- यह संदिग्ध ड्रोन की आवृत्ति का पता लगाने के लिए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) का उपयोग करता है। पता लगाने के बाद उस ड्रोन के सिग्नल जाम कर दिए जाते हैं।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित स्वदेशी ड्रोन	
DRDO लक्ष्य	<ul style="list-style-type: none"> • इस ड्रोन का उपयोग वायु में संभावित खतरे की सावधानीपूर्ण पहचान और उसे समाप्त करने के लिए किया जाता है। • इसे एक सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर द्वारा लॉन्च किया जाता है और एक टर्बोजेट इंजन द्वारा उड़ान की गति बनाई रखी जाती है।
DRDO निशांत	<ul style="list-style-type: none"> • यह एक मल्टी-मिशन UAV है। यह दिन व रात दोनों समय कार्य करने में सक्षम है। इसे मोबाइल हाइड्रो न्यूमेटिक लॉन्चर का उपयोग करके लॉन्च किया जाता है।
रुस्तम-1	<ul style="list-style-type: none"> • यह एक कम्पोजिट व 800 किलोग्राम श्रेणी की शॉर्ट रेंज रेमांटली पायलेटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (SR-RPAS) है।
तपस/ रुस्तम-2	<ul style="list-style-type: none"> • यह मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस (MALE) UAV है। • यह खुफिया, निगरानी, लक्ष्य की खोज, ट्रैकिंग और टोही (ISTAR) सेवाएं प्रदान कर सकता है। यह अपने विकासात्मक परीक्षणों के अग्रिम चरण में है।
आर्चर (Archer)	<ul style="list-style-type: none"> • इसे शार्ट रेंज अनमैन्ड एरियल व्हीकल-वेपनाइज्ड (SR-UAV-W) के नाम से जाना जाता है।
DRDO नेत्र	<ul style="list-style-type: none"> • यह निगरानी और टोही कार्यों के लिए विकसित हल्के वजन वाला ऑटोनोमस UAV है।
अभ्यास-हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट (हीट/ HEAT)	<ul style="list-style-type: none"> • इस यान को ऑटो-पायलट की सहायता से स्वायत्त उड़ान के लिए डिजाइन किया गया है। • यह हथियार चलाने के लिए आवश्यक रडार क्रॉस सेक्शन, विजुअल और इन्फ्रारेड ऑग्मेंटेशन सिस्टम से लैस है। • इसमें लैपटॉप आधारित ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम भी है। • अभ्यास के लिए न्यूनतम लॉजिस्टिक्स की आवश्यकता होती है। साथ ही, यह आयात किए जा रहे अन्य यानों की तुलना में लागत प्रभावी भी है।
वज्र प्रहरी प्रणाली (Vajra sentinel system)	<ul style="list-style-type: none"> • यह रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (iDEX) पहल के तहत विनिर्मित एंटी-ड्रोन (वज्र प्रहरी प्रणाली) है।

6.5.5. अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां (Other Important News)

6.5.5.1. भारत की पांचवीं पीढ़ी का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट {India's Fifth-Generation Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA)}

- हाल ही में, सुरक्षा मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (Cabinet Committee on Security: CCS) ने भारत के पांचवीं पीढ़ी के मल्टी-रोल लड़ाकू विमान, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) के डिजाइन और विकास से संबंधित प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की है।
- विश्व स्तर पर पांचवीं पीढ़ी के चार एयरक्राफ्ट हैं- संयुक्त राज्य अमेरिका का F-22 रैप्टर और F-35A लाइटनिंग-II; चीन का J-20 और रूस का Su-57
- AMCA के बारे में:
 - यह मध्यम वजन का, मल्टी-रोल में माहिर और दो इंजनों वाला एक लड़ाकू विमान है।





- कार्यक्रम को अंतिम रूप देने और डिजाइन करने के लिए नोडल एजेंसी: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के तहत वैमानिकी विकास एजेंसी (ADA)¹⁹⁷ को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
 - ADA रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के अंतर्गत एक सोसायटी के रूप में स्थापित एजेंसी है।
- विनिर्माण करने वाली एजेंसी: हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) इसका विनिर्माण करेगी।
- प्रमुख विशेषताएं:
 - यह विमान एडवांस स्टील्थ सुविधा से लैस है। यह सुविधा इसे शत्रु के रडार की पकड़ में आने से बचाती है।
 - स्टील्थ सुविधा विमान को मिशन के दौरान शत्रु के एयर डिफेंस को तोड़ने (SEAD)¹⁹⁸, शत्रु के एयर डिफेंस को खत्म करने (DEAD)¹⁹⁹ और सटीक हमला करने में सक्षम बनाती है।
 - विमान में हथियारों का जखीरा: यह 1,500 किलोग्राम के पेलोड सहित हवा-से-हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की चार मिसाइलों और सटीक हमला करने में सक्षम कई युद्ध सामग्री²⁰⁰ ले जा सकता है।
 - भूमिका बदलने में सक्षम: यह हवा-से-हवा के साथ-साथ हवा-से-जमीन पर निशाना लगाने में सक्षम है।

6.5.5.2. ब्रह्मोस मिसाइल (Brahmos Missiles)

- सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति ने नौसेना के लिए 200 से अधिक ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।
- ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में
 - इसे भारत और रूस के बीच संयुक्त उपक्रम समझौते के तहत विकसित किया गया है। इसका नाम ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदियों के नाम पर रखा गया है।
 - यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह लगभग 2-3 मैक की गति से गमन करती है।
 - क्रूज मिसाइल जेट इंजन द्वारा संचालित होती है।
 - मुख्य विशेषताएं:
 - यह 'दागो और भूल जाओ सिद्धांत' पर आधारित है।
 - अलग-अलग प्रकार की फ्लाइंग ट्रैजेक्टरी के साथ लंबी फ्लाइंग रेंज (290 कि.मी.) है।
 - भारत ने इसकी रेंज को 450 कि.मी. और 600 कि.मी. तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
 - यह रडार की पहुंच में बहुत कम आती है।
 - टकराने पर बड़ी मात्रा में गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह प्रबल घातक शक्ति के साथ सूक्ष्म सटीकता से युक्त है।

6.5.5.3. हाई पावर्ड माइक्रोवेव हथियार {High Powered Microwave (HPM) Weapons}

- चीनी वैज्ञानिकों ने स्टर्लिंग इंजन द्वारा संचालित एक नवीन HPM हथियार बनाया है।
 - स्टर्लिंग इंजन एक बाह्य दहन इंजन है। यह इंजन तापीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए संपीड़न (Compression) और प्रसरण (Expansion) के सिद्धांत पर काम करता है।
- HPM हथियार एक प्रकार की डायरेक्टेड एनर्जी वेपन (DEW) प्रणाली है।
 - DEWs विद्युत चुम्बकीय प्रणालियां हैं। वे रासायनिक या विद्युत ऊर्जा को विकिरणित ऊर्जा में बदल सकते हैं। साथ ही, इसका लक्ष्य को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
- HPM हथियार रेडियो और माइक्रोवेव आवृत्तियों के ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा के किरण पुंज उत्पन्न करते हैं।
 - ये किरण पुंज लक्षित प्रणालियों में इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ अंतर्क्रिया करते हैं और संभावित रूप से उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं या बाधित करते हैं।

¹⁹⁷ Aeronautical Development Agency

¹⁹⁸ Suppression of Enemy Air Defense

¹⁹⁹ Destruction of enemy air defence

²⁰⁰ Precision-guided munitions

6.5.5.4. आकाश-NG (न्यू जनरेशन) मिसाइल {Akash-NG (New Generation) Missile }

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने आकाश-NG मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
- आकाश-NG वस्तुतः सतह-से-हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह अत्यधिक तीव्र गति से आने वाले हवाई खतरों को नष्ट करने में सक्षम है।
- इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे (AESA) मल्टी-फंक्शन रडार लगा हुआ है। इसलिए यह सर्च, ट्रैक और फायर कंट्रोल जैसे तीन कार्यों करने में सक्षम है।
- आकाश हथियार प्रणाली कम दूरी की सतह-से-हवा में मार करने वाली मिसाइल (SRSAM) वायु रक्षा प्रणाली है। इसे DRDO ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया है।

6.6. विविध (Miscellaneous)

6.6.1. फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (Fast Breeder Reactor)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, तमिलनाडु के कलपक्कम में मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र में भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) में कोर-लोडिंग प्रक्रिया शुरू की गई थी।

अन्य संबंधित तथ्य

- PFBR को भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड या भाविनी (BHAVINI) द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसमें 200 से अधिक भारतीय उद्योगों की सहायता ली गई थी।
- परमाणु रिएक्टर के कोर में परमाणु ईंधन डालने को ही कोर लोडिंग कहा जाता है।
- कोर लोडिंग प्रक्रिया का पूरा होना 'क्रिटिकलिटी (Criticality)' हासिल करने की दिशा में पहला चरण होता है।

फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या है?

- फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स (FBR) एक प्रकार के परमाणु रिएक्टर ही होते हैं। इन रिएक्टर्स में बिजली पैदा करने के दौरान अत्यंत तीव्र गति वाले न्यूट्रॉन की मदद से खपत की तुलना में अधिक परमाणु ईंधन का उत्पादन किया जाता है।
- FBR में ईंधन के रूप में यूरेनियम-प्लूटोनियम मिश्रित ऑक्साइड (MOX) का उपयोग किया जाएगा।
- इस रिएक्टर में फ्यूल कोर के आस-पास का यूरेनियम-238 'ब्लैकेट' न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन की प्रक्रिया से गुजरने पर अतिरिक्त ईंधन का उत्पादन करता है। यही कारण है कि इसे "ब्रीडर" कहा जाता है।

FBR का महत्त्व

- परमाणु कार्यक्रम के चरण 2 की शुरुआत: PFBR का परिचालन भारत के तीन-चरणों वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के चरण 2 की शुरुआत का प्रतीक होगा।
- तीसरे चरण के लिए मार्ग प्रशस्त: FBR में, थोरियम-232 (Th-232) का उपयोग ब्लैकेट के रूप में किया जाएगा।
 - ट्रांसम्यूटेशन (एक तत्व का दूसरे तत्व में रूपांतरण) द्वारा थोरियम-232 को विखंडनीय U-233 में बदल दिया जाता है, जिसका उपयोग तीसरे चरण में ईंधन के रूप में किया जाता है।

भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड या भाविनी

- भाविनी के बारे में: यह परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सरकारी कंपनी है।
- उत्पत्ति: इसे 2003 में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था।
- उद्देश्य:
 - तमिलनाडु के कलपक्कम में पहले 500 मेगावाट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBR) का निर्माण करना और उसे चालू करना; और
 - परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत विद्युत उत्पादन के लिए आगे भी FBR का निर्माण, कमीशनिंग, संचालन और रख-रखाव करना।

- इस प्रकार, FBR परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तीसरे चरण पर पहुंचने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अंततः देश के थोरियम भंडार के पूर्ण उपयोग का मार्ग प्रशस्त करता है।
- तकनीकी उन्नति: एक बार इस संयंत्र के चालू होने के बाद, रूस के बाद FBR का वाणिज्यिक परिचालन करने वाला भारत दूसरा देश होगा।
 - चीन ने फास्ट ब्रीडर्स के संबंध में एक लघु स्तर का कार्यक्रम शुरू किया है। दूसरी ओर, सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण जापान, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों ने अपने FBR कार्यक्रम बंद कर दिए हैं।
- अपशिष्ट में कमी: FBR में पहले चरण में उपयोग किए गए ईंधन का ही उपयोग किया जाता है। इससे परमाणु अपशिष्ट की मात्रा में भी काफी कमी आएगी। साथ ही, इससे ऐसे अपशिष्ट के निवारण के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को झेलना नहीं पड़ेगा।


भारत में थोरियम के भंडार

- परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) ने अब तक 11 मिलियन टन से अधिक इन सीटू मोनाजाइट (थोरियम युक्त खनिज) संसाधन का पता लगाया है।
- विश्व के लगभग 25% थोरियम का भंडार भारत में है।
- भारत के परमाणु कार्यक्रम के तीसरे चरण के लिए थोरियम अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- ये भंडार केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड आदि राज्यों के समुद्र तट और नदी की रेत में पाए गए हैं।

भारत में परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन

- वर्तमान में, देश में कुल स्थापित परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन क्षमता लगभग 7.5 गीगावॉट है। इसका उत्पादन 23 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से किया जाता है। इन संयंत्रों में 19 PHWR, 2 बाइलिंग वाटर रिएक्टर (BWR) और 2 प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर (PWRs) शामिल हैं।
 - हाल ही में, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र में दो स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए 700 मेगावाट के PHWR शामिल किए गए हैं।
- देश में कुल विद्युत उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी 2022-23 में लगभग 2.8% थी।
- लक्ष्य: भारत का लक्ष्य 2030 तक परमाणु ऊर्जा द्वारा बिजली उत्पादन क्षमता को तीन गुना करना है।
- अन्य प्रमुख पहलें:
 - भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMR) का विकास करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।
 - SMR, एडवांस परमाणु रिएक्टर्स होते हैं जिनकी प्रति रिएक्टर विद्युत उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट तक होती है।
 - भारत में क्लोज्ड फ्यूल साइकल प्रणाली को अपनाया गया है। इसका उद्देश्य उपयोग किए गए ईंधन को पुनः प्रसंस्कृत करके यूरेनियम और प्लूटोनियम को प्राप्त करना एवं इसे रिसाइकिल करके पुनः ईंधन के रूप में रिएक्टर में उपयोग करना है। इसके चलते परमाणु अपशिष्ट की मात्रा में कमी आती है।

भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र



संबंधित सुर्खियां:

परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन (Nuclear Energy Summit)

- पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन ब्रुसेल्स (बेल्जियम) में आयोजित किया गया था।
- आयोजन: इसका आयोजन संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) और बेल्जियम सरकार द्वारा किया गया था।
- उत्पत्ति: इसका आयोजन ग्लोबल स्टॉकटेक में परमाणु ऊर्जा को शामिल किए जाने के ऐतिहासिक निर्णय के मद्देनजर किया गया था। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP-28), 2023 में ग्लोबल स्टॉकटेक पर सहमति बनी थी।
 - इस शिखर सम्मेलन में अन्य निम्न कार्बन ऊर्जा स्रोतों के साथ-साथ परमाणु ऊर्जा को अपनाते में तेजी लाने का आह्वान किया गया है।
- उद्देश्य: निम्नलिखित के मामले में सामना की जाने वाली वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में परमाणु ऊर्जा की भूमिका को उजागर करना:
 - जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने में,
 - ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने में, और
 - आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में।
- भागीदार: इसमें भारत सहित 32 देशों के लीडर्स और प्रतिनिधि शामिल हुए थे।

विखंडनीय पदार्थ (Fissile materials) और फर्टाइल मटेरियल (Fertile material)

- विखंडन अभिक्रिया से गुजरने वाले पदार्थ को **विखंडनीय पदार्थ (Fissile materials)** कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ, **फर्टाइल मटेरियल (Fertile material)** ऐसे पदार्थ होते हैं, जो खुद तो विखंडनीय नहीं होते, लेकिन रिएक्टर में विकिरण के द्वारा इन्हें विखंडनीय पदार्थ में बदला जा सकता है।
 - उदाहरण के लिए- यूरेनियम-238 (U238) और थोरियम-232 (Th-232) फर्टाइल मटेरियल हैं, जिन्हें क्रमशः विखंडनीय प्लूटोनियम-239 (Pu-239) एवं यूरेनियम-233 (U233) में बदला जा सकता है।
- तीन चरणों वाला परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम इसी सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें फर्टाइल मटेरियल को विखंडनीय पदार्थ में बदला जाता है।

6.6.2. लिथियम (Lithium)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, भारत और अर्जेंटीना ने अर्जेंटीना में लिथियम अन्वेषण तथा खनन परियोजना²⁰¹ के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस समझौते पर **खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL)** और अर्जेंटीना की सरकारी स्वामित्व वाली खनन तथा ऊर्जा कंपनी 'CAMYEN' के बीच हस्ताक्षर किए गए।
- इस समझौते के तहत भारत को **लवणीय** (या खारे जल का सान्द्र विलयन) प्रकार के लिथियम अन्वेषण हेतु तकनीकी और परिचालन अनुभव प्राप्त होगा।

लिथियम के बारे में

- विशेषताएं
 - यह एक नरम, चांदी जैसी सफेद क्षारीय धातु है और इसका घनत्व सभी धातुओं की तुलना में सबसे कम है।
 - यह जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है।
 - एल्यूमीनियम और मैग्नीशियम के साथ लिथियम धातु से मिश्रधातु बनाई जाती है, जिससे इसकी मजबूती में सुधार होता है और इसका वजन भी कम हो जाता है।

भारत में लिथियम की आपूर्ति के लिए अन्य महत्वपूर्ण पहलें

- **खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL)** को 2019 में स्थापित किया गया था। यह नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड (NALCO), हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) और मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड की संयुक्त उद्यम कंपनी है।
 - यह विदेशों में लिथियम के साथ-साथ अन्य रणनीतिक खनिजों की पहचान, अधिग्रहण, विकास, प्रसंस्करण और व्यावसायिक दृष्टि से उपयोग करता है, ताकि भारत में इनकी आपूर्ति की जा सके।
- **ऑस्ट्रेलिया-इंडिया क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप** के तहत ऑस्ट्रेलिया में और अधिक अन्वेषण के लिए पांच टारगेट प्रोजेक्ट्स (दो लिथियम और तीन कोबाल्ट) की पहचान की गई है।
- **भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI)** देश के विभिन्न हिस्सों में लिथियम भंडार की खोज कर रहा है।


²⁰¹ Lithium exploration & mining Project

वितरण

- वर्तमान में, अधिकांश लिथियम का उत्पादन चिली, बोलीविया, अर्जेंटीना (लिथियम ट्राइएंगल), ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है।
- भारत में लिथियम:**
 - खान और खनिज (विकास और विनियमन) (संशोधन) अधिनियम 2022 के तहत लिथियम को क्रिटिकल तथा रणनीतिक खनिज के रूप में चिन्हित किया गया है।
 - क्रिटिकल खनिज ऐसे तत्व होते हैं जिनका अत्यावश्यक आधुनिक प्रौद्योगिकियों के निर्माण में आधार के तौर पर उपयोग होता है। साथ ही, इनकी आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान का भी खतरा होता है।
 - वर्तमान में, भारत 100% आयात के जरिए अपनी लिथियम की मांग को पूरा करता है। यह आयात ज्यादातर चीन और हांगकांग से किया जाता है।

लिथियम का दोहन

- लिथियम प्रकृति में धातु के रूप में नहीं पाया जाता है, लेकिन लगभग सभी आग्नेय चट्टानों और खनिज वाले कई झरनों के जल में मामूली मात्रा में संयुक्त रूप से पाया जाता है।
 - लिथियम युक्त कुछ महत्वपूर्ण खनिज स्पोड्यूमिन, पेटालाइड, लेपीडोलाइट और एंब्लीगोनाइट हैं।
- इस धातु को पिघले हुए लिथियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा प्राप्त किया जाता है।



लिथियम के उपयोग

- इसका मोबाइल फोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरे और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिचार्जबल बैटरी के निर्माण में उपयोग किया जाता है।
- इसे हार्ट पेसमेकर, खिलौनों और घड़ियों आदि के लिए नॉन-रिचार्जबल बैटरी बनाने में उपयोग किया जाता है।
- मैग्नीशियम-लिथियम मिश्र धातु का उपयोग युद्धपोत, टैंक, हवाई जहाज आदि के लिए कवच प्लेट बनाने में किया जाता है।
- एल्यूमीनियम-लिथियम मिश्र धातु का उपयोग विमान, साइकिल फ्रेम और उच्च गति वाली ट्रेनों में किया जाता है।
- लिथियम ऑक्साइड का उपयोग विशेष प्रकार के ग्लास और ग्लास सिरेमिक के निर्माण में किया जाता है।
- लिथियम क्लोराइड अभी तक ज्ञात सर्वाधिक हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल में से एक है। इसका उपयोग एयर कंडीशनिंग तथा इंडस्ट्रियल ड्राइंग सिस्टम (औद्योगिक स्तर पर चीजों को सुखाना) में किया जाता है।
- लिथियम स्टीयरेंट का उपयोग लुब्रिकेंट के निर्माण में किया जाता है। इससे निर्मित लुब्रिकेंट हर जगह तथा उच्च तापमान वाली जगहों पर भी बेहतर ढंग से कार्य करता है।

PT 365 - अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटीरियल


6.6.3. इंडक्शन चार्जिंग (Induction Charging: IC)

सुर्खियों में क्यों?

भारत ने स्वर्णिम चतुर्भुज के तहत आने वाले राजमार्गों पर इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के चलने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु इंडक्शन चार्जिंग तकनीक को अपनाने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देना है।

इंडक्शन/ वायरलेस चार्जिंग क्या है?

- इंडक्शन चार्जिंग (IC) को वायरलेस चार्जिंग के रूप में भी जाना जाता है। इंडक्शन चार्जिंग, चार्जिंग की एक ऐसी तकनीक है जिसमें चार्जिंग डिवाइस को वाहन के भौतिक संपर्क में लाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें दो कॉइल्स के बीच ऊर्जा स्थानांतरित करने के लिए विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है।
- प्रक्रिया/ कार्य
 - विद्युत का संचरण सामान्यतः दो में से किसी एक तरीके से होता है:
 - विद्युत क्षेत्र द्वारा धातु के इलेक्ट्रोड (कैपेसिटिव चार्जिंग) के बीच कैपेसिटिव कपलिंग का उपयोग करके, या
 - चुंबकीय क्षेत्र द्वारा तार के कॉइल्स (इंडक्शन चार्जिंग) के बीच इंडक्टिव कपलिंग का उपयोग करके।
 - इंडक्टिव चार्जिंग बड़े पैमाने पर उपयोग की जाने वाली एक वायरलेस तकनीक है।
 - यह चुंबकीय प्रेरण (मैग्नेटिक इंडक्शन) के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफॉर्मर भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है।
 - इसमें एक कॉइल चार्जिंग स्टेशन में और दूसरी कॉइल EV में होती है। ऊर्जा ट्रांसमिटिंग कॉइल से रिसीविंग कॉइल में स्थानांतरित होती है।
 - प्राथमिक सर्किट को ट्रांसमीटर भी कहा जाता है। इस सर्किट के चुंबकीय क्षेत्र में समय के साथ बदलाव होता रहता है।
 - द्वितीयक सर्किट इस चुंबकीय क्षेत्र को प्राप्त करता है। इसे रिसीवर कहा जाता है। यह उस उपकरण से जुड़ा होता है जिसे पावर सप्लाई देकर चार्ज करना होता है।
 - चार्जिंग शुरू करने के लिए, ड्राइवरों को अपने EVs को केवल चार्जिंग पैड पर रोकना (पार्क करना) होता है।



इंडक्शन चार्जिंग के लाभ



समय में कमी एवं सरल प्रक्रिया

यह तकनीक वाहन मालिकों को अपने EVs को चार्जिंग पैड पर पार्क करके चार्ज करने की सुविधा प्रदान करती है।



कम रख-रखाव की आवश्यकता

इसमें कोई भौतिक कनेक्टर नहीं होता है। इससे चार्जिंग उपकरणों में टूट-फूट कम होती है और लंबे समय तक इसके रख-रखाव की लागत में भी कमी आती है।



हर मौसम में चार्जिंग की सुविधा

वायरलेस चार्जिंग सभी मौसम के लिए अनुकूल होता है, जिससे बिना रुकावट के चार्जिंग की सुविधा प्राप्त होती है।



अन्य

पर्यावरण अनुकूल (CO₂ उत्सर्जन में कमी), स्व-चालित ड्राइविंग तकनीक के विकास में मददगार, आदि।

इंडक्टिव चार्जिंग (IC) के प्रकार

IC को मुख्यतः 3 अलग-अलग प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:


- स्थैतिक या स्थिर चार्जिंग (घरों, कार्यालयों में प्रयुक्त):
 - चार्जिंग की इस विधि में, चार्ज होने तक EVs को एक जगह पर स्थिर रखना पड़ता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब EVs को लंबे समय तक एक जगह पार्क करना होता है।

- अर्ध-गतिशील (क्वासी-डायनामिक) या अवसर मिलने पर चार्जिंग:
 - चार्जिंग की इस विधि में, यात्रा के दौरान EVs को कम गति पर चलाकर तथा कुछ देर तक रुक कर चार्ज किया जा सकता है।
- गतिशील (डायनामिक) EV चार्जिंग (सड़के और राजमार्ग):
 - इस विधि में, वाहन मालिक अपने EVs को चलाते समय लगातार चार्ज कर सकते हैं। इसमें चार्जिंग के लिए बार बार रुकने की जरूरत नहीं होती है। अतः इसमें चार्जिंग खत्म होने की चिंता के बिना लंबी दूरी तक यात्रा की जा सकती है।

6.6.4. एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (Advanced Driver Assistance Systems: ADAS)

सुर्खियों में क्यों?

विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) की मांग में बढोतरी हुई है। साथ ही, यह भारत के लिए एक उभरते हुए बाजार के रूप में सामने आ रहा है।



ADAS क्या है?

- ADAS इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का एक सेट है जो ड्राइवरों की सुरक्षा बढाने, वाहन के प्रदर्शन में सुधार करने तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए वाहनों में लगाया जाता है।
- यह वाहन के आस-पास के परिवेश की निगरानी करने और संभावित खतरों का पता लगाने के लिए सेंसर, कैमरे, रडार और अन्य एडवांस प्रौद्योगिकियों के उपयोग से संभव हुआ है।
- ग्राहकों की मांग के अनुसार बाजार में विभिन्न स्तर के ADAS मौजूद हैं।
- ADAS दो प्रकार के होते हैं:
 - **सक्रिय ADAS:** ये प्रणालियां ड्राइविंग की गंभीर परिस्थितियों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करती हैं और ड्राइवर को सहायता प्रदान करती हैं।

- साथ ही, ये स्वचालित सुधारात्मक कार्रवाई में भी मदद कर सकती हैं।
 - उदाहरण के लिए- वाहनों को टकराने से बचाने के लिए प्रणालियां, लेन कीप असिस्ट सिस्टम और स्वचालित आपातकालीन ब्रेकिंग सिस्टम आदि।
- निष्क्रिय ADAS: यह सिस्टम मुख्य रूप से ड्राइविंग प्रक्रिया में सीधे हस्तक्षेप किए बिना ड्राइवर को जानकारी और अलर्ट प्रदान करने तक ही सीमित होता है।
 - उदाहरण के लिए- ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, लेन डिपार्चर चेतावनी प्रणाली, यातायात संकेत पहचानना, आदि।

● ADAS में प्रयुक्त उपकरण

- रडार (RADAR): इसमें आस-पास की वस्तुओं/ वाहनों का पता लगाने और उनकी दूरी, गति और दिशा को मापने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है।
- लिडार (LIDAR): इसमें वाहन के आस-पास के परिवेश का 3D मानचित्र बनाने के लिए लेजर लाइट का उपयोग किया जाता है।
- कैमरा: यह तस्वीरें प्राप्त करने और लेन मार्किंग, ट्रैफिक संकेतों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इनबिल्ट ऑप्टिकल सेंसर का उपयोग करता है।
- अल्ट्रासोनिक: यह आस-पास की वस्तुओं का पता लगाने और उनकी दूरी मापने के लिए उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है।
- इन्फ्रारेड: इसके तहत कम रोशनी में भी आस-पास की वस्तुओं का पता लगाने के लिए हीट-सेंसिटिव सेंसर का उपयोग किया जाता है।
- GPS: यह वाहन की स्थिति व गति का पता लगाता है तथा यातायात प्रबंधन के बारे में सूचना प्रदान करता है।

ऑटोनोमस ड्राइविंग के विभिन्न स्तर

- स्तर 0 (कोई स्वचालन नहीं)²⁰³: इसमें ड्राइवर के पास ड्राइविंग का पूरा नियंत्रण होता है।
- स्तर 1 (चालक सहायता): वाहन में एकल स्वचालित प्रणाली की सुविधा होती है।
- स्तर 2 (आंशिक स्वचालन): इसमें वाहन के स्टीयरिंग और एक्सिलरेशन को स्वचालित रूप से नियंत्रित किया जाता है।
- स्तर 3 (सशर्त स्वचालन): इसमें वाहन के ड्राइविंग से संबंधित अधिकांश कार्य स्वचालित रूप से नियंत्रित होते हैं।
- स्तर 4 (उच्च स्वचालन): इसमें वाहन कुछ स्थितियों में ड्राइविंग से संबंधित सभी कार्य स्वचालित रूप से संचालित करता है।
- स्तर 5 (पूर्ण स्वचालन): इसमें वाहन सभी परिस्थितियों में ड्राइविंग से संबंधित सभी कार्य स्वचालित रूप से संचालित करता है।

6.6.5. क्रिटिकल टेक क्षेत्रक (Critical Tech Sectors)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने क्रिटिकल टेक क्षेत्रक के लिए ड्राफ्ट रोडमैप्स जारी किए हैं।

क्रिटिकल टेक क्षेत्रक के लिए ड्राफ्ट रोडमैप्स के बारे में

- ये ड्राफ्ट रोडमैप्स सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) द्वारा तैयार किए गए हैं। इसके तहत क्रिटिकल क्षेत्रकों में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के स्वदेशीकरण पर जोर दिया गया है।
 - C-DAC इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत एक प्रमुख अनुसंधान और विकास संगठन है।
- इनका लक्ष्य भारत की स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ यानी 2047 तक कई मुद्दों को हल करना है। साथ ही, इसमें विशिष्ट घरेलू शोध लक्ष्यों को भी रेखांकित किया गया है।
- रोडमैप के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:

क्रिटिकल टेक्नोलॉजी क्षेत्रक	रोडमैप
क्वांटम टेक्नोलॉजीज	<ul style="list-style-type: none"> ● सुपरकंडक्टिंग सामग्री विकसित करने पर ध्यान देना ● मुख्य सार्वजनिक अवसंरचना

²⁰³ No Automation

क्रिप्टोग्राफी	<ul style="list-style-type: none"> क्रिप्टोग्राफी के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाना क्वांटम-प्रतिरोधी क्रिप्टोग्राफी, नवीन नॉन-लीनियरिटी योजनाओं आदि पर ध्यान देना
मोबाइल सुरक्षा	<ul style="list-style-type: none"> सुरक्षित OS और मोबाइल हार्डवेयर के लिए स्वदेशी इकोसिस्टम बनाना मोबाइल सिस्टम के लिए "आत्म-रक्षा सुरक्षा" और "क्वांटम-समर्थित सुरक्षा" तैनात करना
इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) सुरक्षा	<ul style="list-style-type: none"> एक IoT सैंडबॉक्स, IoT नेटवर्क सिक्योरिटी ऑर्केस्ट्रेशन, और स्वचालन विकसित करना जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, नई चिप डिजाइन और मानकों पर काम करना
साइबर फोरेंसिक	<ul style="list-style-type: none"> 'सोशल मीडिया एनालिटिक्स' विकसित करना डीप फेक्स, UPI ऐप्स जैसे क्षेत्रों के लिए 'डार्क वेब फोरेंसिक' तथा 'फोरेंसिक टूल' बनाना। साथ ही, CCTV फुटेज से घटनाओं को फिर से तैयार करने के लिए टूल विकसित करना

क्रिटिकल टेक क्षेत्रक क्या हैं?

- क्रिटिकल टेक ऐसी प्रौद्योगिकियां हैं जिन्हें सरकार द्वारा देश की-
 - भावी आर्थिक संवृद्धि,
 - राष्ट्रीय सुरक्षा, और
 - तकनीकी उन्नति के लिए 'महत्वपूर्ण' के रूप में चिन्हित किया जाता है।
- इनमें अक्सर शामिल होते हैं:
 - अत्याधुनिक अनुसंधान,
 - नवाचार, और
 - सामरिक महत्व
- आम तौर पर सरकार इन क्षेत्रों की अधिक निगरानी करती है। साथ ही इनसे संबंधित प्रौद्योगिकी में निवेश के माहौल में सुधार होता है।
- क्रिटिकल टेक राज्य के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में शामिल होते हैं।
 - ऐसा इसलिए है, क्योंकि ये सुरक्षित, लागत प्रभावी और विश्वसनीय सेवा प्रदान करते हैं। साथ ही, ये संभावित विफलताओं की भविष्यवाणी के लिए एक पूर्वानुमान उपकरण के रूप में कार्य कर सकते हैं।
- क्रिटिकल टेक क्षेत्रों के उदाहरणों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्वांटम कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ब्लॉकचेन शामिल हैं।

क्रिटिकल टेक्नोलॉजी क्षेत्रक में अन्य देशों के साथ सहयोग:

- संयुक्त राज्य अमेरिका-भारत क्रिटिकल और उभरती प्रौद्योगिकी पहल (ICET) में शामिल किए गए प्राथमिकता वाले छह क्षेत्रक हैं-
 - रक्षा, अंतरिक्ष, क्वांटम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर और दूरसंचार।
- भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जून 2020 में साइबर और साइबर-सक्षम क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सहयोग पर फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- भारत और यूरोपीय संघ ने भी 2022 में हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के क्षेत्र में इंटेड ऑफ कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- 2023 में, भारत और जापान सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी पर एक सहयोग ज्ञापन (MoC) में भागीदार बने।

भारत द्वारा की गई पहलें:

- INDIAai-नॅशनल AI पोर्टल ऑफ इंडिया
- नेशनल क्वांटम मिशन
- डिजिटल इंडिया फ्यूचर LABS

6.6.6. सत्येंद्र नाथ बोस (Satyendra Nath Bose)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, प्रख्यात भौतिक विज्ञानी एस.एन. बोस को उनकी 50वीं पुण्यतिथि पर याद किया गया।

एस.एन. बोस (1894-1974) के बारे में

- वह पश्चिम बंगाल के नादिया जिले से थे।
- उन्होंने कोलकाता के प्रेसीडेंसी कॉलेज से अध्ययन किया।
 - उनके शिक्षकों में प्रफुल्ल चंद्र रे और जगदीश चंद्र बोस शामिल थे।
- उन्हें "फादर ऑफ गॉड पार्टिकल" के रूप में जाना जाता है।
 - मूलभूत कण 'बोसोन' का नाम उनके नाम पर रखा गया था।
- रवीन्द्रनाथ टैगोर ने विज्ञान पर अपनी एकमात्र रचना 'विश्व परिचय' एस.एन. बोस को समर्पित की थी।
- उनकी याद में 1986 में एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज (कोलकाता) की स्थापना की गई।

सत्येंद्र नाथ बोस
(एस.एन. बोस)




एस.एन. बोस का वैज्ञानिक योगदान

- उन्होंने मेघनाद साहा के साथ मिलकर भारत में आधुनिक "सैद्धांतिक भौतिकी" में शोध कार्यों की आधारशिला रखी थी। बोस के शोध अध्ययन का शीर्षक है: 'प्लैक्स लॉ एंड लाइट क्वांटम हाइपोथिसिस'। इसका आइंस्टीन ने जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। इसे ज़िट्सक्रिफ्ट फर फिजिक में प्रकाशित किया गया था।
 - इस शोध अध्ययन के प्रकाशन से क्वांटम स्टैटिस्टिक्स का उदय हुआ था।
- बोस-आइंस्टीन कंडेन्सेट्स (BEC): यह क्वांटम दुनिया की एक अद्भुत घटना है जिसकी भविष्यवाणी सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1925 में की थी। यह पदार्थ की एक विशेष अवस्था है, जो तब बनती है जब परमाण्विक या उप-परमाण्विक कणों को लगभग परम शून्य तापमान (लगभग - 273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन) तक ठंडा कर दिया जाता है।
 - इस बिंदु पर सभी परमाणु एक इकाई बन जाते हैं और क्वांटम गुण प्रदर्शित करने लगते हैं। इस स्थिति में प्रत्येक कण मिलकर पदार्थ की एक तरंग की तरह कार्य करता है।
 - BEC को 'पदार्थ की पांचवीं अवस्था' के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। वीमैन, कॉर्नेल और केटरले ने इसे प्रायोगिक तौर पर सिद्ध किया था जिसके लिए उन्हें 2001 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
 - BEC के गुणों में शामिल हैं:
 - सुपर फ्लुइडिटी (Super fluidity): BEC की श्यानता जीरो होती है और यह बिना प्रतिरोध के प्रवाहित हो सकता है।
 - सुपर कंडक्टिविटी (Super conductivity): शून्य प्रतिरोध से अधिकतम चालकता प्राप्त होती है।
 - कोहेरेंस (Coherence): BEC में सभी कण एक ही क्वांटम अवस्था में होते हैं और एक इकाई के रूप में व्यवहार करते हैं।
 - मैक्रोस्कोपिक ऑक्यूपेशन: BEC में कई कण एक ही क्वांटम स्थिति में पहुंच जाते हैं, जिससे मैक्रोस्कोपिक वेव फंक्शन उत्पन्न होता है।

BEC के उपयोग



0 K पर परमाणु सिंगल यूनिट के रूप में कार्य करते हैं



PT 365 - अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटीरियल

- **बोस-आइंस्टीन स्टेटिस्टिक्स:** यह एक सांख्यिकीय विधि है जिसका उपयोग समान कणों (पूर्णांक चक्रण वाले) से बनी क्वांटम प्रणाली की संभावित अवस्थाओं को गिनने के लिए किया जाता है। सन 1924 में वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने इसे प्रकाश कणों (फोटॉन) के लिए सबसे पहले प्रस्तावित किया था।
 - बाद में आइंस्टीन द्वारा इस सांख्यिकी को गैस के अणुओं के लिए उपयोग किया गया था।
 - जो कण बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी सिद्धांत का पालन करते हैं उन्हें "बोसोन" कहा जाता है।
 - बोसॉन पूर्णांक स्पिन वाले कण होते हैं, जिनमें प्रकाश (फोटॉन), ग्लुऑन्स (नाभिक में बलवाहक कण), हिग्स बोसॉन और W तथा Z बोसॉन शामिल हैं।
- **एक्स-रे विवर्तन कैमरा:** एस.एन. बोस ने रोटेशन और पाउडर फोटोग्राफी के लिए इसे डिजाइन और निर्मित किया था।

6.6.7. प्रोटॉन इंप्रूवमेंट प्लान (PIP-II) परियोजना {Proton Improvement Plan (PIP-II) Project}

सुर्खियों में क्यों?

भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) ने "प्रोटॉन इंप्रूवमेंट प्लान (PIP-II)" परियोजना में योगदान के लिए निर्माण चरण शुरू किया।

प्रोटॉन इंप्रूवमेंट प्लान (PIP-II) परियोजना के बारे में

- PIP-II संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला पार्टिकल एक्सेलेरेटर है। यह फर्मिलैब में स्थित है। इसे अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के महत्वपूर्ण योगदान से बनाया गया है।
- भारत, फ्रांस, इटली, पोलैंड और यूनाइटेड किंगडम के संस्थान इसमें सहयोग कर रहे हैं। भारत अपने योगदान के तहत 140 मिलियन डॉलर मूल्य के उपकरण प्रदान करेगा।
- यह लॉन्ग-बेसलाइन न्यूट्रिनो फैसिलिटी (LBNF) में निर्माणाधीन डीप अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट (DUNE) के लिए दुनिया की सबसे उच्च-ऊर्जा युक्त न्यूट्रिनो बीम को पावर प्रदान करेगा।

पार्टिकल एक्सेलेरेटर के बारे में

- पार्टिकल एक्सेलेरेटर प्रकाश की गति के बराबर उच्च गति पर आवेशित कणों (प्रोटॉन, परमाणु नाभिक, इलेक्ट्रॉन आदि) को धकेलेगा।
 - एक्सेलेरेटर में निम्नलिखित चार प्रमुख घटक हैं-
 - पार्टिकल्स के उत्पादन के लिए स्रोत,
 - उन्हें गति देने के लिए कंपोजिट ड्रिफ्टिंग,
 - मुक्त गति प्रदान करने के लिए निर्वात वाली मेटल-ट्यूब, और
 - बीम पार्टिकल्स को चलाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट।
- कुछ बड़े पार्टिकल एक्सेलेरेटर
 - लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (LHC): यह सबसे शक्तिशाली एक्सेलेरेटर है। यह जिनेवा में सर्न/CERN में स्थित है।
 - महत्वपूर्ण उपलब्धियां: इसने हिग्स बोसोन, अज्ञात हैड्रोन आदि की खोज की है।
 - स्टेनफोर्ड लीनियर एक्सेलेरेटर सेंटर (SLAC), संयुक्त राज्य अमेरिका: यह दुनिया का सबसे लंबा लीनियर पार्टिकल एक्सेलेरेटर है।
 - महत्वपूर्ण उपलब्धियां: इसने क्वार्क एवं टाउ लेप्टॉन की खोज की है।
 - यूरोपियन सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन फैसिलिटी (ESRF): यह ग्रेनोबल (फ्रांस) में स्थित है। यह दुनिया में सबसे तीव्र हार्ड एक्स-रे स्रोत है।

पार्टिकल एक्सेलेरेटर का महत्त्व

मौलिक अनुसंधान: लगभग प्रकाश की गति से गतिमान उप-परमाण्विक कणों के बीच टक्कर से नए पार्टिकल्स और बलों की खोज करने तथा ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने में मदद मिलेगी।

स्वास्थ्य: यह कैंसर के निदान और उपचार के लिए चिकित्सा उपकरणों को स्टरलाइज़ (रोगाणुमुक्त) करने तथा रेडियोफार्मास्यूटिकल्स को संश्लेषित करने में सहायक है।

पर्यावरण: इससे हवा, पानी या मिट्टी में रासायनिक तत्वों के अंशों का पता लगाया जा सकता है।

उद्योग: इससे मटेरियल की उपयोग-अवधि बढ़ाने में मदद मिल सकती है।


6.6.8. पॉज़िट्रोनियम (Positronium)

सुर्खियों में क्यों?

पहली बार सर्न (CERN) के वैज्ञानिकों ने पॉज़िट्रोनियम की लेजर कूलिंग में सफलता प्राप्त की।

अन्य संबंधित तथ्य

- “एंटी-हाइड्रोजन एक्सपेरिमेंट: ग्रेविटी, इंटरफेरोमेट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी (AEGIS)” कॉलेबोरेशन के भौतिकविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने यह सफलता हासिल की है।
 - AEGIS, सर्न की एंटीमैटर फैक्ट्री में जारी कई प्रयोगों में से एक है। इसका लक्ष्य एंटी-हाइड्रोजन पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण (g) को प्रत्यक्ष रूप से मापना है।
 - AEGIS यूरोप के कुछ देशों और भारत के भौतिकविदों का एक सहयोग-मंच है।



पॉज़िट्रोनियम (Ps) के बारे में:

- इसे 1951 में खोजा गया था। यह सबसे हल्का ज्ञात परमाणु है। इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन (e⁻) और एक पॉज़िट्रॉन (e⁺) शामिल हैं।
 - पॉज़िट्रोनियम का जीवनकाल बहुत छोटा होता है। इसके इलेक्ट्रॉन और एंटीमैटर (यहां पॉज़िट्रॉन) आपस में टकराकर एक-दूसरे को नष्ट कर देते हैं और गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। यह पूरी घटना एक सेकंड के 142 अरबवें हिस्से में घटित होती है।
 - इसमें पॉइंट जैसे केवल दो पार्टिकल्स (इलेक्ट्रॉन और इसका एंटीमैटर) शामिल होते हैं। इसलिए, यह AEGIS के तहत प्रयोग करने के लिए एक आदर्श प्रणाली है। हालांकि, इसे उच्च सटीकता से मापने के लिए इसकी पर्याप्त कूलिंग जरूरी है।

मैटर-एंटीमैटर:

- गौरतलब है कि मैटर कई रूपों में मौजूद है, जैसे- ठोस, तरल, गैस और प्लाज्मा। इनमें सब-एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जो उन्हें द्रव्यमान (Mass) और आयतन (Volume) प्रदान करते हैं।
 - सब-एटॉमिक पार्टिकल्स में निम्नलिखित शामिल हैं:
 - प्रोटॉन और न्यूट्रॉन: इन्हें बेरिऑन भी कहा जाता है;
 - इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो: इन्हें लेप्टॉन भी कहा जाता है तथा
 - अन्य पार्टिकल्स।
- सभी सब-एटॉमिक पार्टिकल्स में या तो उनके स्वयं के एंटी-ट्विन (एंटीक्वार्क, एंटीप्रोटॉन, एंटीन्यूट्रॉन और एंटीलेप्टॉन जैसे एंटीइलेक्ट्रॉन) होते हैं या ये मैटर और एंटीमैटर की सीमा के बीच फैले होते हैं।
 - एंटी-पार्टिकल्स मिलकर एंटी-एटम बना सकते हैं। साथ ही, ये सैद्धांतिक रूप से एंटी-मैटर से युक्त क्षेत्र भी बना सकते हैं।

6.6.9. स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी (Steel Slag Road Technology: SSRT)

सुर्खियों में क्यों?

JSW स्टील ने मुंबई को गोवा से जोड़ने वाले NH-66 के 1 कि.मी. लंबे हिस्से पर फोर-लेन स्टील स्लैग रोड का निर्माण किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह प्रोजेक्ट वेस्ट-टू-वेल्थ और स्वच्छ भारत अभियान पहल के अंतर्गत शुरू किया गया है।

स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी के बारे में:

- स्टील स्लैग स्टील भट्टी से पिघले हुए अशुद्ध फ्लक्स सामग्री के जलने से प्राप्त होता है।

- स्टील स्लैग एक गैर-धात्विक, कांच जैसा पदार्थ होता है। इसमें अलग-अलग मात्र में कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, एल्यूमीनियम सिलिकेट और ऑक्साइड मौजूद होते हैं।
- सड़क निर्माण में इसका उपयोग करने के लिए, इसमें से अशुद्धियों और धात्विक सामग्रियों को अलग किया जाता है। इसके लिए स्टील स्लैग को प्रसंस्कृत किया जाता है।
- यह प्रसंस्कृत स्टील स्लैग प्राकृतिक सामग्रियों से बनी सड़क की परतों की तुलना में बेहतर यांत्रिक गुण प्रदर्शित करते हैं।
- बिटुमिनस और सीमेंट कंक्रीट से निर्मित सड़कों में दाएं और बाएं दोनों ओर के कैरिजवे में स्टील स्लैग का उपयोग किया जाता है।



- लाभ:**
- **लागत दक्षता:** पारंपरिक सड़क निर्माण सामग्रियों की तुलना में स्टील स्लैग से सड़कों का निर्माण करने पर लागत में लगभग 30% की कमी आती है।
 - **मजबूती:** स्टील स्लैग अधिक मजबूत होते हैं, अतः इससे बनने वाली सड़कें पारंपरिक सड़कों की तुलना में अधिक टिकाऊ होती हैं।
 - **पर्याप्त उपलब्धता:** भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है। अतः इसके पास स्टील स्लैग की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है। इसका उपयोग अवसंरचना परियोजनाओं में व्यापक रूप से किया जा सकता है।
 - **पर्यावरण अनुकूल:** यह नवाचारी प्रक्रिया ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में व्यापक कमी ला सकती है। इससे सड़क निर्माण में हरित दृष्टिकोण को अपनाया जा सकता है।
 - **तापमान के अनुकूल:** स्टील स्लैग 200 डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान पर पिघलता है। इस प्रकार यह तापमान में भिन्नता के प्रति भी अधिक अनुकूल है, जिससे विभिन्न जलवायु स्थितियों में इसका उपयोग किया जा सकता है।

6.6.10. अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां (Other Important News)

6.6.10.1. C-बॉट (C-Bot)

- गोवा स्थित राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने C-बॉट नामक एक स्वायत्त अंडरवाटर व्हीकल लॉन्च किया है।
- C-बॉट उन्नत सुविधाओं वाला एक रोबोट है। इसका उपयोग प्रवाल भित्तियों की निगरानी बढ़ाने के लिए किया जाएगा।
 - यह जल के भीतर 200 मीटर की गहराई तक यात्रा कर सकता है।
 - इससे भारतीय नौसेना को बेथीमेट्री अध्ययन (समुद्र नितल का मानचित्रण) करने में मदद मिलेगी। इस अध्ययन से नेविगेशन चैनल्स की योजना बनाने में सहायता प्राप्त होगी।
 - यह सक्रिय हाइड्रोथर्मल वेंट्स खोजने में मदद करेगा। हाइड्रोथर्मल वेंट्स से समुद्र नितल के नीचे से भू-तापीय रूप से गर्म जल का रिसाव होता है।

6.6.10.2. कार्बन नैनोट्यूब्स (Carbon Nanotubes: CNTs)

- कार्बन नैनोट्यूब्स (CNTs) बनाने के लिए एक नई विधि विकसित की गई है। इसके जरिए 750 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ग्लास सबस्ट्रेट्स पर सीधे CNTs बनाई जा सकती हैं।
 - इसमें 'प्लाज्मा एन्हांस्ड केमिकल वेपर डेपोजिशन (PECVD)' तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है।
- कार्बन नैनोट्यूब्स (CNTs) के बारे में
 - कार्बन नैनोट्यूब्स, टेबुलर नैनोस्ट्रक्चर हैं। इन नैनोस्ट्रक्चर्स को पूरी तरह से ग्राफीन शीट को रोल करके बनाए गए होते हैं।
 - वे एकल-दीवार या परत वाली (SWCNT) या बहु-दीवार या परत वाली (MWCNT) संरचना हो सकती हैं।
 - **गुण:** हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, बड़ी हुई चालकता, अधिक मजबूती, जैव-अनुकूलता आदि।
 - **उपयोग:**
 - रिचार्जबल बैटरियों में,


- लचीले इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में,
- एयरोस्पेस,
- पारदर्शी इलेक्ट्रोड्स,
- टच स्क्रीन,
- सुपरकैपेसिटर और दवा निर्माण में।

6.6.10.3. निकट अवरक्त किरणें (Near Infrared Light)

- शोधकर्ताओं ने पाया है कि निकट-अवरक्त किरणें उच्च प्रभावशीलता से कैंसर कोशिकाएं तोड़ सकती हैं।
 - निकट-अवरक्त किरणें अपनी उच्च भेदन शक्ति के लिए जानी जाती हैं। यही कारण है कि वे विज़िबल (दृश्य) किरणों की तुलना में अधिक प्रभावी होती हैं।
 - हालांकि, शोधकर्ताओं ने चिंता जताई है कि इसकी उच्च भेदन शक्ति शरीर के महत्वपूर्ण ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकती है।
- निकट अवरक्त किरणों के बारे में:
 - विकिरण का वह हिस्सा जो विज़िबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक (EM) स्पेक्ट्रम से ठीक परे होता है, उसे निकट-अवरक्त कहा जाता है।
 - ये अवरक्त प्रकाश (IR) का हिस्सा होती हैं।
 - इनका अन्य क्षेत्रकों में उपयोग: वनस्पति और मृदा की संरचना का निरीक्षण करने के लिए उपग्रहों द्वारा उपयोग किया जाता है।
- EM स्पेक्ट्रम में रेडियो तरंगें, माइक्रोवेव्स, विज़िबल व पराबैंगनी किरणें, एक्स-रे और गामा-किरणें भी शामिल होती हैं। ये सभी निम्न से उच्च ऊर्जा या आवृत्ति में व्यवस्थित हैं।

6.6.10.4. मैग्लेव (मैग्नेटिक लेविटेशन) {Maglev (Magnetic Levitation)}

- हाल ही में, चीन की मैग्लेव ट्रेन ने 623 km/h के अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।
- मैग्लेव एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें वाहन या ट्रेन गाइडवे से हवा में थोड़ा ऊपर गमन करती है। गाइडवे पारंपरिक रेलगाड़ियों की पटरियों के समान होता है।
 - मैग्लेव प्रणाली में सुपरकंडक्टिंग चुंबक ट्रेन को U आकार के कंक्रीट के गाइडवे से थोड़ा ऊपर हवा में बनाए रखते हैं।
 - साधारण चुंबक की तरह ही ये चुंबक भी एक-दूसरे को प्रतिकर्षित (एक-दूसरे से चिपकने की बजाये हटना) करते हैं। इसके लिए इनके समान ध्रुवों को आमने-सामने कर दिया जाता है।
- मैग्लेव प्रणाली के लाभ:
 - इंजन न होने के कारण इनसे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है।
 - गाइडवे व ट्रेन के बीच घर्षण न होने की वजह से ट्रेन अधिक गति से गमन करती है।
 - एक ही रूट पर चलने वाली ट्रेनें एक-दूसरे से नहीं टकरा पाती हैं।



6.6.10.5. शुष्क बर्फ (Dry Ice)

- हाल ही में, गुरुग्राम के एक रेस्तरां में खाना खाने के बाद लोगों को गलती से माउथ फ्रेशनर की जगह शुष्क बर्फ खाने को दे दी गई। इसके बाद लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
- शुष्क बर्फ के बारे में
 - ठोस कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) को ही आम बोलचाल की भाषा में शुष्क बर्फ कहते हैं।
 - इसे "शुष्क बर्फ" इसलिए कहा जाता है, क्योंकि गर्म करने पर यह पिघलकर तरल रूप में नहीं बल्कि सीधे गैस में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को सब्लिमेशन कहा जाता है।

- इसका निर्माण गैसीय CO₂ को संपीडित और ठंडा करके किया जाता है।
- इसे मानव स्वास्थ्य के लिए घातक माना जाता है।
- शुष्क बर्फ का निम्नलिखित में इस्तेमाल किया जाता है:
 - अस्पताल और क्लिनिक्स में,
 - खाद्य प्रसंस्करण और वितरण में,
 - औद्योगिक सफाई और तकनीकी प्रक्रियाओं में,
 - थिएटरिकल और स्पेशल इफेक्ट्स में।

6.6.10.6. पार्थेनोजेनेसिस (Parthenogenesis)

- वैज्ञानिकों ने पार्थेनोजेनेसिस के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन करने हेतु एक फ्रूट फ्लाई को आनुवंशिक रूप से संशोधित किया है।
- पार्थेनोजेनेसिस
 - यह अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया है। इसमें एक मादा अपने अंडाणु को शुक्राणु के साथ निषेचित किए बिना भ्रूण विकसित कर सकती है।
 - प्राकृतिक पार्थेनोजेनेसिस के दो रूप हैं:
 - ऑटोमिक्सिस: यह रूप ज्यादातर शार्क में देखा जाता है। इसके तहत माता का DNA थोड़ा बदल जाता है, ताकि ऐसी संतान पैदा हो सके जो लगभग माता के क्लोन जैसी हो, परंतु एकदम माता के समान न हो।
 - एपोमिक्सिस: यह एक प्रकार का आनुवंशिक कॉपी-एंड-पेस्ट रूप है। इसके तहत पैदा हुई संतान आनुवंशिक रूप से मूल प्रजाति का सटीक क्लोन होती है। पादपों में इस प्रकार के पार्थेनोजेनेसिस अधिक देखे जाते हैं।

HEARTIEST

Congratulations

TO ALL THE SELECTED CANDIDATES

7 IN TOP 10

79 IN TOP 100

Selections in CSE 2023

from various programs of

VisionIAS

AIR

1



ADITYA SRIVASTAVA

AIR

2



ANIMESH PRADHAN

AIR

5



RUHANI

AIR

6



SRISHTI DABAS

हिंदी माध्यम टॉपर

AIR

53



मोहन लाल

AIR

7



ANMOL RATHORE

AIR

9



NAUSHEEN

AIR

10



AISHWARYAM PRAJAPATI

संधान के जरिए परसनलाइज्ड तरीके से UPSC प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए

(ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत परसनलाइज्ड टेस्ट सीरीज)

UPSC प्रीलिम्स की तैयारी के लिए सिर्फ मॉक टेस्ट देना ही काफी नहीं होता है; बल्कि इसके लिए स्मार्ट तरीके से टेस्ट की प्रैक्टिस भी जरूरी होती है।

अभ्यर्थियों की तैयारी के अलग-अलग स्तरों और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, हमने संधान टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है। यह ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत ही एक परसनलाइज्ड टेस्ट सीरीज है।

संधान की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

- 
प्रश्नों का विशाल संग्रह: इसमें UPSC द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों (PYQs) के साथ-साथ VisionIAS द्वारा तैयार किए गए 15,000 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले प्रश्न उपलब्ध हैं।
- 
प्रश्नों के चयन में फ्लेक्सिबिलिटी: अभ्यर्थी टेस्ट के लिए Vision IAS द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों या UPSC के विगत वर्षों के प्रश्नों में से चयन कर सकते हैं।
- 
प्रदर्शन में सुधार: टेस्ट में अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर, सुधार की गुंजाइश वाले क्षेत्रों पर परसनलाइज्ड फीडबैक दिया जाएगा।
- 
परसनलाइज्ड टेस्ट: अभ्यर्थी अपनी जरूरत के अनुसार विषयों और टॉपिक्स का चयन करके परसनलाइज्ड टेस्ट तैयार कर सकते हैं।
- 
समयबद्ध मूल्यांकन: अभ्यर्थी परीक्षा जैसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तय समय-सीमा में टेस्ट के जरिए अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल का मूल्यांकन कर उसे बेहतर बना सकते हैं।
- 
स्टूडेंट डैशबोर्ड: स्टूडेंट डैशबोर्ड की सहायता से अभ्यर्थी हर विषय में अपने प्रदर्शन और ओवरऑल प्रगति को ट्रैक कर सकेंगे।

संधान के मुख्य लाभ

- 
अपनी तैयारी के अनुरूप प्रैक्टिस: अभ्यर्थी अपनी जरूरतों के हिसाब से विषयों और टॉपिक्स का चयन कर सकते हैं। इससे अपने मजबूत पक्षों के अनुरूप तैयारी करने में मदद मिलेगी।
- 
कॉम्प्लिहेंसिव कवरेज: प्रश्नों के विशाल भंडार की उपलब्धता से सिलेबस की संपूर्ण तैयारी सुनिश्चित होगी।
- 
प्रभावी समय प्रबंधन: तय समय सीमा में प्रश्नों को हल करने से टाइम मैनेजमेंट के लिए कौशल विकसित करने में मदद मिलेगी।
- 
परसनलाइज्ड असेसमेंट: अभ्यर्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार टेस्ट तैयार करने के लिए Vision IAS द्वारा तैयार प्रश्नों या UPSC में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का चयन कर सकते हैं।
- 
लक्षित तरीके से सुधार: टेस्ट के बाद मिलने वाले फीडबैक से अभ्यर्थियों को यह पता लग सकेगा कि उन्हें किन विषयों (या टॉपिक्स) में सुधार करना है। इससे उन्हें तैयारी के लिए बेहतर रणनीति बनाने में सहायता मिलेगी।
- 
आत्मविश्वास में वृद्धि: कस्टमाइज्ड सेशन और फीडबैक से परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की तैयारी का स्तर तथा उनका आत्मविश्वास बढ़ता है।

यह अपनी तरह की एक इनोवेटिव टेस्ट सीरीज है। संधान के जरिए, अभ्यर्थी तैयारी की अपनी रणनीति के अनुरूप टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे उन्हें UPSC प्रीलिम्स पास करने के लिए एक समग्र तथा टारगेटेड अप्रोच अपनाने में मदद मिलेगी।



रजिस्ट्रेशन करने और "ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज" का ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए



संधान परसनलाइज्ड टेस्ट कैसे एक परिवर्तनकारी प्लेटफॉर्म बन सकता है, यह जानने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

7. संस्कृति (Culture)

7.1. मूर्तिकला एवं स्थापत्य कला (Sculpture and Architecture)


7.1.1. मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स (Maratha Military Landscapes)

सुर्खियों में क्यों?

यूनेस्को (UNESCO) की विश्व विरासत सूची, 2024-25 के लिए भारत "मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स" का नामांकन करेगा।

मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स के बारे में

- गौरतलब है कि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स 2021 से विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल हैं।
- ये मराठा शासकों की असाधारण किलेबंदी और सैन्य व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स को सांस्कृतिक मानदंडों की श्रेणी में नामांकित किया गया है।
- मराठा सैन्य व्यवस्था और सिद्धांत की शुरुआत 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान हुई थी।
 - आगे यह व्यवस्था अलग-अलग शासकों के दौरान विकसित होती हुई 1818 ई. तक पेशवाओं के शासन तक जारी रही।
- मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स में महाराष्ट्र और तमिलनाडु के कुछ किले शामिल हैं।
- इसके अंतर्गत निम्नलिखित विशिष्ट लैंडस्केप्स, भू-भाग और भौगोलिक विशेषताएं सम्मिलित हैं-
 - सह्याद्री पर्वत श्रृंखला,
 - कोंकण तट,
 - दक्कन का पठार, और
 - भारतीय प्रायद्वीप में पूर्वी घाट



सुवर्णदुर्ग किला

मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स के किलों की मुख्य विशेषताएं

पहाड़ी किले

साल्हेर	• इस जगह 1672 में मराठों और मुगलों के बीच एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था।
शिवनेरी किला	• महाराज छत्रपति शिवाजी का जन्म इसी किले में हुआ था।
लोहागढ़	• यह किला भज (Bhaje) में बौद्ध गुफाओं के नजदीक स्थित है।
रायगढ़	• छत्रपति शिवाजी ने इसे अपनी स्थायी राजधानी बनाया।
राजगढ़	<ul style="list-style-type: none"> • यह 'हिन्द स्वराज' के प्रथम राजनीतिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। यह किला मुरुम्बदेव नामक पर्वत पर बना है, इसलिए इसे पहले मुरुम्बदेव के नाम से जाना जाता था। • यह मराठा साम्राज्य की राजधानी थी। • यह उन 17 किलों में से एक था जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करते समय अपने पास रखा था।
जिंजी किला (तमिलनाडु)	• इसमें तीन अलग-अलग पहाड़ी किले तथा मोटी दीवारों और चट्टानों की एक विशाल चारदीवारी है।



द्वीपीय किले	
सिंधुदुर्ग	<ul style="list-style-type: none"> यह अरब सागर में एक द्वीप पर स्थित है।
सुवर्णदुर्ग	<ul style="list-style-type: none"> इसका निर्माण संभवतः 16वीं शताब्दी में बीजापुर के शासकों ने कराया था।
खंडेरी किला	<ul style="list-style-type: none"> इसका निर्माण मुरुद-जंजीरा किले में सिद्धियों पर नजर रखने के लिए 1679 ई. में मराठा राजा शिवाजी के शासनकाल के दौरान करवाया गया था।
पहाड़ी-वन किले	
प्रतापगढ़	<ul style="list-style-type: none"> यह किला शिवाजी और अफजल खान के बीच हुई लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है।
पहाड़ी-पठार किले	
पन्हाला किला	<ul style="list-style-type: none"> ताराबाई के समय यह मराठा साम्राज्य की राजधानी थी।
तटीय किले	
विजय दुर्ग	<ul style="list-style-type: none"> शिवाजी ने यह किला बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से छीना था और बाद में इसका नाम बदलकर "विजय दुर्ग" कर दिया। इसे "पूर्व का जिब्राल्टर" भी कहा जाता था।

7.1.1.1. मध्य प्रदेश के छह सांस्कृतिक धरोहर स्थल यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किए गए (Six Heritage Sites of Madhya Pradesh Included in UNESCO's Tentative List)

यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किए गए स्थल	विवरण
ग्वालियर का किला	<ul style="list-style-type: none"> इस किले का निर्माण कार्य राजा सूर्य सेन ने 8वीं शताब्दी ईस्वी में पूरा कराया था। किले के अंदर निर्मित संरचनाओं में मान मंदिर महल, गुजरी महल, सास बहू मंदिर आदि शामिल हैं।
खूनी भंडारा, बुरहानपुर	<ul style="list-style-type: none"> यह भूमिगत जल प्रबंधन प्रणाली है। इसका निर्माण जहांगीर के शासनकाल में अब्दुरहीम खान-ए-खाना ने कराया था। यह फारसी कनात प्रणाली पर आधारित है। इसे भौम जल स्रोत से पानी प्राप्त होता है।
चंबल घाटी का शैल-चित्रकला स्थल	<ul style="list-style-type: none"> यह विंध्य, सतपुड़ा और कैमूर पर्वतमाला के पहाड़ी क्षेत्रों में उत्कीर्ण शैल-चित्रकला है।
भोजेश्वर महादेव मंदिर, भोजपुर	<ul style="list-style-type: none"> यह भगवान शिव का मंदिर है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा भोज के शासनकाल में कराया गया था। यह मंदिर भूमिजा शैली में निर्मित है। <ul style="list-style-type: none"> भूमिजा शैली नागर शैली का एक विकसित रूप है। इस शैली का विकास परमार वंश के दौरान हुआ था।
रामनगर के गोंड स्मारक, मंडला	<ul style="list-style-type: none"> इन स्मारकों का निर्माण गोंड शासकों ने कराया था। यहां निर्मित स्मारकों में मोती महल, रायभगत की कोठी, बेगम महल आदि शामिल हैं। इस पर मुगल स्थापत्य और राजपूत स्थापत्य शैलियों, दोनों का प्रभाव देखा जा सकता है।
धमनार का ऐतिहासिक स्थापत्य कला समूह	<ul style="list-style-type: none"> यह एक रॉक-कट स्थल है। यहां 51 एकात्मक बौद्ध गुफाएं (5वीं-7वीं शताब्दी ईस्वी) और हिंदू मंदिर परिसर (धर्मराजेश्वर मंदिर) शामिल हैं।

7.1.2. माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर (Maa Kamakhya Access Corridor)

सुर्खियों में क्यों?


हाल ही में, प्रधान मंत्री ने असम में माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर की आधारशिला रखी।

माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर के बारे में

- यह कॉरिडोर मंदिर तक श्रद्धालुओं के लिए सुगम पहुंच और सुविधा प्रदान करने तथा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है।
- इसे काशी (उत्तर प्रदेश) और महाकाल (मध्य प्रदेश) कॉरिडोर की तर्ज पर डिजाइन किया गया है।
- इस परियोजना को “प्रधान मंत्री-पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विकास पहल²⁰⁴” योजना के तहत मंजूरी दी गई है।
 - पी.एम.-डिवाइन (PM-DevINE) “केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना” है। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी।
 - पी.एम.-डिवाइन योजना के उद्देश्य हैं:
 - अवसंरचना परियोजनाओं को वित्त-पोषित करना,
 - पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामाजिक विकास को बढ़ावा देना,
 - युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर सृजित करना, तथा
 - विकास संबंधी कमियों को दूर करना।
 - मंत्रालय: केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय।

माँ कामाख्या मंदिर के बारे में

- माँ कामाख्या मंदिर भारत में स्थित महाशक्ति पीठों में से एक है।
- यहां की अधिष्ठात्री देवी माँ कामाख्या/ कामेश्वरी हैं। इन्हें मातृत्व शक्ति और इच्छा की देवी माना जाता है।
- भौगोलिक अवस्थिति: यह मंदिर असम में गुवाहाटी के बाहरी इलाके में नीलाचल पहाड़ियों पर स्थित है और इसके पास ब्रह्मपुत्र नदी बहती है।
- इतिहास:
 - हमलावर काला पहाड़ द्वारा मूल मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। इसके बाद 1562 में कोच राजवंश के राजा नर नारायण के आदेश पर इसका पुनर्निर्माण किया गया था।
 - इस मंदिर का उल्लेख समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ लेख में भी मिलता है।
 - यह मंदिर मां शक्ति के अलग-अलग रूपों, जैसे- सुंदरी, त्रिपुरा, तारा, भुवनेश्वरी, बगलामुखी और छिन्नमस्ता को समर्पित है।



²⁰⁴ Prime Minister's Development Initiative for North Eastern Region: PM-DevINE

शक्ति पीठ के बारे में

- शक्ति पीठ सती या शक्ति को समर्पित उपासना स्थल हैं।
- कुल 51 शक्ति पीठ हैं और ये भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन और श्रीलंका में स्थित हैं। इनमें से 18 को महाशक्ति पीठ कहा जाता है।
- भारत के बाहर स्थित कुछ मुख्य शक्ति पीठ हैं-
 - गुह्येश्वरी शक्ति पीठ (नेपाल),
 - कोट्टारी देवी शक्ति पीठ (पाकिस्तान),
 - इंद्राक्षी शक्ति पीठ (श्रीलंका),
 - दक्षिणायनी देवी शक्ति पीठ (तिब्बत, चीन), और
 - मां भवानी शक्ति पीठ (बांग्लादेश)



वास्तुकला:

- इस मंदिर का पुनर्निर्माण वास्तुकला की नीलाचल शैली में किया गया है।
 - यह दो अलग-अलग शैलियों- नागर शैली (उत्तर भारतीय) और सारासेनिक शैली (मुगल) का संयोजन है।
- ईंटों से बना इसका गुंबद सोलह भुजाओं वाला एक बहुभुज है। इसे क्षैतिज पट्टियों से सजाया गया है।
- मंदिर की दीवारें अनेक उभरी हुई मूर्तियों से अलंकृत हैं।
- मंदिर परिसर में तीन प्रमुख कक्ष हैं।

उत्सव:

- मंदिर परिसर में हर साल जून में एक सप्ताह तक चलने वाला 'अंबुबाची मेला' लगता है। प्रतिवर्ष यह मेला उस वक्त लगता है जब मां कामाख्या ऋतुमती (रजस्वला) रहती हैं।

तंत्र विद्या का केंद्र: इस मंदिर को देश में तांत्रिक शक्ति का प्रमुख केंद्र माना जाता है।

- इसे तीन प्रमुख धाराओं में विभाजित किया गया है; आगम, निगम और यामल।
 - आगम: इस ज्ञान को भगवान शिव की उक्ति माना जाता है,
 - निगम: वह ज्ञान जो शक्ति से आता है,
 - यामल: वह ज्ञान जो न तो भगवान शिव और न ही शक्ति से आता है।

तंत्रवाद के बारे में

- तंत्रवाद एक आध्यात्मिक साधना है जिसमें आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान प्राप्त करने के लिए मंत्रों (पवित्र शब्दों का जाप), मंडल (प्रतीकात्मक चित्र) और करघा (तांत्रिक ग्रंथों में वर्णित गूढ़ अनुष्ठान) का उपयोग किया जाता है।
- तांत्रिक परंपरा हिंदू और बौद्ध, दोनों में मौजूद है।
 - हिंदू धर्म में तंत्रवाद को शैववाद और शाक्त में विभाजित किया गया है, जहां क्रमशः भगवान बैरवा और काली या योगिनियों की उपासना की जाती है।
 - बौद्ध धर्म में वज्रयान अपने तांत्रिक झुकाव के लिए जाना जाता है। इसमें तारा, महाकाल, यमंतका आदि की उपासना की जाती है।

नीलाचल पहाड़ियों में अन्य प्रसिद्ध मंदिर

- नीलाचल पहाड़ियों में स्थित कामाख्या मंदिर परिसर कई अन्य मंदिरों से घिरा हुआ है। इन मंदिरों में भुवनेश्वरी, काली, तारा, छिन्नमस्ता, बगला, भैरवी, धूमावती, मातंगी और कमला शामिल हैं।
 - कामाख्या मंदिर सहित इन सभी मंदिरों को सामूहिक रूप से दस-महाविद्या के रूप में जाना जाता है।
- इन मंदिरों के अलावा, नीलाचल पहाड़ियों के साथ भगवान शिव के पांच मंदिर मौजूद हैं। ये मंदिर हैं - कामेश्वर, सिद्धेश्वर, केदारेश्वर, अमरतोकेश्वर, अघोरा और कौटिलिंग मंदिर।
 - ये सभी मंदिर मिलकर कामाख्या मंदिर परिसर बनाते हैं।

7.1.3. अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां (Other Important News)

7.1.3.1. श्री वीरभद्र मंदिर (लेपाक्षी मंदिर) {Sri Veerabhadra Temple (or Lepakshi Temple)}

- यह मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है। इसे 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के दौरान बनाया गया था।
- यह तीन मंदिरों के साथ त्रिकुट शैली में निर्मित है। ये तीन मंदिर हैं- वीरभद्र (अधिष्ठाता देव भगवान शिव हैं), पापनासेश्वर और रघुनाथ।
- यह मंदिर नंदी (भगवान शिव का बैल) की सबसे बड़ी एकात्म मूर्ति तथा सात फनों वाले सर्प के साथ नाग-शिव लिंग के लिए प्रसिद्ध है।
- मंडप व प्रदक्षिणा पथ की दीवारों व छतों पर फ्रेस्को पद्धति से चित्रकारी की गई है। इन चित्रकारियों में रामायण व महाभारत के आख्यानों, देवी-देवताओं, पौराणिक कथाओं जैसे देवी पार्वती का विवाह आदि को चित्रित किया गया है।
- यह मंदिर यूनेस्को (UNESCO) की विश्व विरासत स्थलों की संभावित सूची में शामिल है।

7.1.3.2. गुरुवायूर मंदिर (Guruvayur Temple)

- गुरुवायूर मंदिर को "दक्षिण भारत के द्वारका" के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के आराध्य देव भगवान विष्णु हैं।
 - मंदिर के अधिष्ठात्री देवता को खड़ी मुद्रा में स्थापित किया गया है। उनके चार हाथ शंख, सुदर्शन चक्र, कमल और गदा धारण किए हुए हैं। इस मूर्ति को पाताल अंजना नामक पत्थर से बनाया गया है।
 - मंदिर इस तरह बनाया गया है कि सूर्य की पहली किरणें सीधे भगवान विष्णु के चरणों पर पड़ती हैं।
 - 1931-32 में, अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों को मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए केलप्पन (केरल गांधी) के नेतृत्व में "गुरुवायूर सत्याग्रह" शुरू किया गया था।
 - इस सत्याग्रह के परिणामस्वरूप 1936 में त्रावणकोर मंदिर में अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के प्रवेश की उद्घोषणा जारी की गई थी।
 - यह मंदिर हाथियों की दौड़ के लिए भी जाना जाता है, जिसे अनायोत्तम कहा जाता है।

7.1.3.3. श्री कालाराम मंदिर (Shree Kalaram Mandir)

- प्रधान मंत्री ने महाराष्ट्र के नासिक जिले में गोदावरी नदी के तट पर स्थित कालाराम मंदिर के दर्शन किए।
- कालाराम मंदिर के बारे में:
 - इसका निर्माण 1782 में सरदार रंगराव ओधेकर द्वारा एक पुराने लकड़ी के मंदिर के स्थान पर किया गया था।
 - ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर उस स्थान पर है जहां भगवान राम अज्ञातवास के दौरान रहे थे।
 - इस मंदिर का नाम भगवान राम की काले रंग की एक मूर्ति पर रखा गया है।
- 90 वर्ष पहले दलितों के लिए मंदिर में प्रवेश के अधिकार की मांग को लेकर इस स्थान पर बाबासाहेब अंबेडकर ने एक ऐतिहासिक आंदोलन का नेतृत्व किया था।


7.1.3.4. श्रीरंगनाथस्वामी मंदिर (Sri Ranganathaswamy Temple)

- इस मंदिर को तिरुवरंग तिरुपति के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के अधिष्ठात्री देवता भगवान रंगनाथ (भगवान विष्णु) हैं। इन्हें शयन मुद्रा में दर्शाया गया है।
- इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है। मंदिर परिसर में मूर्तियुक्त 21 गोपुरम, 50 छोटे-छोटे देवालय और 9 पवित्र कुंड हैं।

- यह केवल एक मंदिर भर नहीं है, बल्कि एक मंदिर-नगरी भी है। यह अपने सप्त-प्राकारम (गर्भगृह के चारों ओर का घेरा) के लिए प्रख्यात है। यह भगवान विष्णु के 108 दिव्यदेशमों (मंदिरों) में से एक है।
- यह मंदिर कावेरी और कोलिदम नदियों से घिरे श्रीरंगम द्वीप पर स्थित है।
 - कोलिदम कावेरी की सहायक नदी है।

7.1.3.5. शंकराचार्य मंदिर (Shankaracharya Temple)

- प्रधान मंत्री ने अपने हालिया कश्मीर दौरे पर शंकराचार्य पहाड़ी को नमन किया।
 - यह पहाड़ी जबरवान रेंज में अवस्थित है। इस पर शंकराचार्य मंदिर बना हुआ है।
- शंकराचार्य मंदिर के बारे में:
 - यह भगवान शिव का मंदिर है। यह 1100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है।
 - इसे कश्मीर घाटी में पूजा के लिए सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है।
 - इस मंदिर का नाम प्रसिद्ध दार्शनिक और संत आदि शंकराचार्य के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने यहां की यात्रा की थी।
 - शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था।
 - उन्होंने शारदा (द्वारका), ज्योतिर्मठ (बद्रीनाथ), गोवर्धन (पुरी) और श्रृंगेरी (रामेश्वरम) नामक चार मठ स्थापित किए थे।



7.1.3.6. स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस (Statue of Social Justice)

- आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 'स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस' का अनावरण किया गया।
 - यह डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की 206 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा है। यह वर्तमान में डॉ. अम्बेडकर की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा है।

7.2. सुर्खियों में रहे कला के रूप (Art Forms in News)

7.2.1. ग्रंथम अभिलेख (Grantham Inscriptions)

सुर्खियों में क्यों?

तमिलनाडु में कंगायम के नजदीक 11वीं सदी के ग्रंथम अभिलेख और 16वीं सदी के तमिल अभिलेखों की खोज की गई है।

ग्रंथम अभिलेख के बारे में

- 'ग्रंथ' एक लिपि है। तमिलनाडु में संस्कृत भाषाओं को इसी लिपि में लिखा जाता है।
- ग्रंथ लिपि की उत्पत्ति पल्लव शासक महेंद्रवर्मन के तिरुचिरापल्ली शैलकृत गुफा और अन्य गुफा मंदिर अभिलेखों से जुड़ी है।
- केरल की मलयालम लिपि का विकास भी इसी ग्रंथ लिपि से हुआ है।
- ग्रंथ लिपि के अन्य अभिलेखों में निम्नलिखित शामिल हैं:
 - नरसिंहवर्मन के मामल्लपुरम और कांची कैलाशनाथ मंदिर के अभिलेख,
 - पांड्य वंश के शासक नेदुनजादैन के अनैमलाई अभिलेख, और तंजावुर के चोलों के अभिलेख आदि।

7.2.2. ढोकरा शिल्प कला (Dhokra Shilpkala)

सुर्खियों में क्यों?

छत्तीसगढ़ का ओचर स्टूडियो ढोकरा शिल्प कला के संरक्षण में मदद कर रहा है।

- ढोकरा शिल्प कला के बारे में:
 - यह धातु की ढलाई की 4000 साल पुरानी जटिल प्रक्रिया है। इसमें लॉस्ट वैक्स तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसे मोम-सांचा विधि (cire perdue) भी कहा जाता है।

- ऐसा माना जाता है कि इस कला की उत्पत्ति छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में रहने वाले आदिवासी समुदायों से हुई है।
- ऐसा माना जाता है कि "ढोकरा" शब्द ढोकरा डामर जनजातियों से लिया गया है। यह जनजाति मध्य भारत की पारंपरिक धातु-शिल्पी है।
- यह कला प्रकृति, पौराणिक कथाओं और रोजमर्रा के जीवन से प्रेरित है।
- खतरा: तेजी से हो रहा शहरीकरण, कुशल कारीगरों की घटती संख्या तथा आधुनिक सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों का आना।

7.3. सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण स्थल (Important Sites In News)

7.3.1. जियो-हेरिटेज साइट्स (Geo-Heritage Sites)

सुर्खियों में क्यों?


पांडवुला गुफा और रामगढ़ क्रेटर को जियो-हेरिटेज साइट्स के रूप में मान्यता दी गई है।

जियो-हेरिटेज साइट्स के बारे में

- जियो-हेरिटेज साइट्स वास्तव में भूवैज्ञानिक, भू-आकृतिक विज्ञान (Geomorphological), जीवाश्म विज्ञान (Paleontological) और स्तरित शैल-विज्ञान (Stratigraphic) की महत्ता वाले दुर्लभ तथा विशिष्ट स्थल होते हैं।
 - इनमें गुफाएं, प्राकृतिक शैल-आकृतियां, तलछट, चट्टानें, खनिज, उल्का-पिंड, जीवाश्म आदि शामिल होते हैं।
- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI)²⁰⁵, भारत में जियो-हेरिटेज साइट्स को मान्यता प्रदान करता है, दर्जा प्रदान करता है तथा उनका रख-रखाव करता है (मानचित्र देखें)।

पांडवुला गुफा के बारे में

- यह तेलंगाना के जयशंकर भूपालपल्ली जिले में स्थित है। यह स्थल हिमालय पर्वत श्रेणियों से भी पुराना है।
- इसकी खोज वर्ष 1990 में हुई थी।
- इसमें पुरापाषाण कालीन चित्रकला के साक्ष्य पाए गए हैं। इन चित्रों के विषय-वस्तु में शामिल हैं-
 - वन्य-जीव (बाइसन, मृग, बाघ, तेंदुआ, आदि),
 - ज्यामितीय आकृतियां (स्वस्तिक चिन्ह, वृत्त और वर्ग), तथा
 - अस्त्र-शस्त्र (धनुष, तीर, तलवार, भाला इत्यादि)।
- ये गुफा चित्र प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा बनाई गई चित्रकला की एक दुर्लभ झलक प्रस्तुत करते हैं। इन्हें गुफाओं की दीवारों और छतों, शैल आश्रयों और पृथक शैलखंडों पर देखा जा सकता है।




रामगढ़ क्रेटर (रामगढ़ एस्ट्रोब्लेम) के बारे में

- 'एस्ट्रोब्लेम' शब्दावली का प्रयोग उल्कापिंडों के पृथ्वी पर गिरने से निर्मित भू-वैज्ञानिक संरचनाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है।
- यह राजस्थान के बारां जिले में पार्वती नदी के पुराने अपवाह मार्ग पर अवस्थित है।
- पहली बार 1869 में GSI ने इसकी खोज की थी। इसे लंदन के भूवैज्ञानिक सोसायटी ने 'क्रेटर' के रूप में मान्यता दी थी।
 - विंध्य सुपरग्रुप की अवसादी चट्टानों में वर्तमान में अपक्षयित हो चुके इस क्रेटर को मेसोप्रोटेरोजोइक एज²⁰⁶ (लगभग 1600 से 1000 मिलियन वर्ष पहले) का बताया गया है।

²⁰⁵ Geological Survey of India

²⁰⁶ Mesoproterozoic age

- प्रमुख विशेषताएं:
 - रामगढ़ क्रेटर, भारत में उल्कापिंडों के गिरने से बने तीन इम्पैक्ट क्रेटर्स में से एक है।
 - अन्य दो क्रेटर्स हैं: लोनार (महाराष्ट्र) और ढाला (मध्य प्रदेश)।
 - इस क्रेटर में कोसाइट (Coesite) की मौजूदगी दर्शाती है कि यह एक इम्पैक्ट क्रेटर है और यहाँ उल्कापिंड के गिरने की पुष्टि होती है।
 - इस क्रेटर का व्यास लगभग 3.2 किलोमीटर है और यह 200 मीटर गहरा है।
 - इस क्रेटर के मध्य में भगवान शिव का 'भांड देवरा मंदिर' अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में खजुराहो शैली में करवाया गया था।
 - क्रेटर हिल में स्थानीय देवी किसनाई और अन्नपूर्णा को समर्पित गुफा मंदिर भी हैं।



- **संरक्षण/सम्मान:** यह क्रेटर वर्तमान में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षित है। इसकी क्रेटर झील (पुष्कर तालाब) को आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के तहत 'वेटलैंड' के रूप में अधिसूचित किया गया है।
 - कनाडा के प्लैनेटरी एंड स्पेस साइंस सेंटर (PASSC) ने इस क्रेटर को मान्यता प्रदान की है और इसे "अर्थ इम्पैक्ट डेटाबेस" में शामिल किया है।
 - PASSC की स्थापना कनाडा (2001) में की गई थी। अर्थ इम्पैक्ट डेटाबेस विश्व भर में उल्कापिंडों के गिरने से से बनी सत्यापित इम्पैक्ट संरचनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

7.3.2. सुर्खियों में रहे अन्य महत्वपूर्ण स्थल (Other Important Sites in News)

7.3.2.1. वडनगर (Vadnagar)

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (खड़गपुर) के एक संयुक्त अध्ययन में वडनगर में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के प्रमाण मिले हैं।
 - यह बस्ती उत्तर-वैदिक/ पूर्व-बौद्ध महाजनपदों या कुलीन गणराज्यों के युग की प्रतीत होती है। इससे इस शहर की प्राचीनता का पता चलता है।
- वडनगर के बारे में:
 - यह UNESCO-विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल है।
 - यहां खुदाई से कई चरणों के इतिहास का पता चलता है। इससे यह भी पता चलता है कि यह एक बहु-सांस्कृतिक और बहु-धार्मिक (बौद्ध, हिंदू, जैन व इस्लाम) केंद्र था।
 - यह मोढेरा के निकट है, जो सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है।
 - ऐतिहासिक स्थल:
 - हाटकेश्वर मंदिर;
 - शर्मिष्ठा झील आदि

7.3.2.2. कोचरब आश्रम (Kochrab Ashram)

- प्रधान मंत्री ने 12 मार्च को साबरमती आश्रम का दौरा किया और फिर से विकसित किए गए कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया।
 - गौरतलब है की 12 मार्च 1930 को गांधीजी ने गुजरात में साबरमती आश्रम से तटीय शहर दांडी तक नमक सत्याग्रह कूच या दांडी मार्च शुरू किया था।
 - दांडी में गांधीजी ने समुद्र तट पर प्राकृतिक नमक मुट्टी में लेकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का उल्लंघन किया था।
- कोचरब आश्रम गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है। यह पहला आश्रम था, जिसे 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने निर्मित करवाया था।
 - जीवनलाल देसाई (एक साथी वकील) ने गांधीजी की आश्रम बनवाने में सहायता की थी।

7.4. व्यक्तित्व (Personalities)

7.4.1. लचित बोरफुकन (Lachit Borphukan)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने असम के जोरहाट में लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा "स्टैच्यू ऑफ वेलर" (वीरता की प्रतिमा) का अनावरण किया। लचित बोरफुकन, अहोम साम्राज्य की शाही सेना के प्रसिद्ध सेनापति थे।

लचित बोरफुकन (1622-1672) के बारे में

- **जन्म स्थान:** उनका जन्म असम के चराइदेव जिले में हुआ था।
 - उनके पिता अहोम साम्राज्य के प्रथम बोरबरुआ (सैन्य और न्यायिक प्रमुख) थे।
 - उन्होंने अहोम सेना के बोरफुकन (सेनापति) के रूप में, मुगल बादशाह जहांगीर और शाहजहां की



लचित बोरफुकन

सेनाओं के खिलाफ अदम्य साहस के साथ लड़ाई लड़ी।

- वे पाइक प्रथा के संस्थापक भी थे। पाइक प्रथा अहोम साम्राज्य में जबरन श्रम यानी बेगार की एक प्रथा थी।
- **कबीला:** अहोम समुदाय में कई कबीले/ कुल थे। लचित बोरफुकन लुखुराखुन कबीले से थे।
- **सेनापति के रूप में भूमिका:** राजा स्वर्गदेव चक्रध्वज सिंह ने लचित बोरफुकन को सेनापति नियुक्त किया था।
- **राष्ट्रीय रक्षा अकादमी²⁰⁷** के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लचित बोरफुकन स्वर्ण पदक दिया जाता है। वर्ष 1999 से यह पदक दिया जा रहा है।

सराईघाट का युद्ध (1671)

- **युद्ध का परिणाम:** लचित बोरफुकन के नेतृत्व में अहोम सेना ने अपने से बड़ी मुगल सेना को निर्णायक रूप से पराजित किया।
- **युद्ध मैदान:** यह युद्ध सराईघाट में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर लड़ा गया था।
- **युद्ध में शामिल पक्ष:** यह युद्ध काफी हद तक एक नौसैनिक युद्ध था।
- **युद्ध का महत्त्व:** इस युद्ध ने मुगलों को असम और मौजूदा पूर्वोत्तर भारत के शेष क्षेत्रों की ओर बढ़ने से रोक दिया।

अहोम साम्राज्य (1228 से 1826) के बारे में

<p>साम्राज्य</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● संस्थापक: इस साम्राज्य का संस्थापक मोंग माओ का एक शान राजकुमार, सुकाफा था। ● स्थापना: अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से 13वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। ● क्षेत्र का विस्तार: 16वीं शताब्दी में, सुहंगमुंग के शासनकाल में अहोम ने चुटियों और कोच-हाजो के शासन वाले क्षेत्रों को अपने राज्य में मिला लिया था। ● राजधानी: चराइदेव अहोम राजवंश की पहली राजधानी थी। यह मौजूदा गुवाहाटी के पूर्व में स्थित था। 	
<p>समाज</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● कबीला: अहोम समाज, कुलों/ कबीलों में विभाजित था, जिन्हें "खेल" कहा जाता था। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। <ul style="list-style-type: none"> ○ किसान को अपने ग्राम समुदाय द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा इसे वापस नहीं ले सकता था। 	



PT 365 - अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटीरियल

²⁰⁷ National Defence Academy

राजनीतिक विशेषताएं	<ul style="list-style-type: none"> पुरानी राजनीतिक-व्यवस्था की समाप्ति: अहोम ने भुइयां (भू-स्वामी) लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को समाप्त करके नए राज्य की स्थापना की।
प्रशासन	<ul style="list-style-type: none"> केंद्रीकृत प्रशासन: सत्रहवीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध के पूरा होते-होते अधिकांश प्रशासन केंद्रीकृत हो चुका था। मंत्रिपरिषद: <ul style="list-style-type: none"> राजा की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद थी। इसे पात्र मंत्री के नाम से जाना जाता था। सबसे प्रमुख पात्र मंत्री महान गोहेन (बुरागोहेन, बोरगोहेन और बरपात्रागोहेन) थे। महत्वपूर्ण पदाधिकारी: बोरबरुआ (सैन्य और न्यायिक प्रमुख) और बोरफुकन (सेनापति और नागरिक प्रमुख) <ul style="list-style-type: none"> बोरफुकन का पद वायसराय के समान था।
अर्थव्यवस्था	<ul style="list-style-type: none"> कारीगर: अहोम साम्राज्य में कारीगरों की बहुत कम जातियां थीं। इसलिए, अहोम क्षेत्र में कारीगर निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। नई कृषि पद्धतियां: अहोम लोगों ने धान की खेती की नई विधि भी शुरू की।
सैन्य रणनीति	<ul style="list-style-type: none"> अनिवार्य सैन्य सेवा: लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में शामिल होते थे। सैन्य रणनीति: <ul style="list-style-type: none"> शत्रुओं की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए जासूसों की नियुक्ति की जाती थी। इसके अलावा, गुरिल्ला युद्ध रणनीति भी अपनाई जाती थी। कटकी नामक अधिकारी शत्रुओं के शिविर में संदेशवाहक के रूप में कार्य करते थे। नौसेना शक्ति: अहोम सैन्य प्रणाली में नौसेना सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली बल था। सैन्य प्रभाग: सैन्य प्रभाग में एक हस्ती (हाथी) सेना भी शामिल थी। हतिबरुआ नामक अधिकारी हस्ती सेना का सेनापति था।
धर्म	<ul style="list-style-type: none"> शुरुआत में अहोम लोग, अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे। हालांकि, सिब सिंह (1714-1744) के शासनकाल में हिंदू धर्म वहां का प्रमुख धर्म बन गया था।
शवाधान की पद्धति (चराइदेव मैदाम या मोइदम्स)	<ul style="list-style-type: none"> शवाधान पद्धति के बारे में: चराइदेव मैदाम या मोइदम्स टीलेनुमा संरचनाएं होती थीं। इनमें अहोम राजपरिवार के सदस्यों को दफनाया जाता था। ये टीले पटकाई पर्वत श्रृंखला की तलहटी में पाए गए हैं। लचित मैदाम: इसमें लचित बोरफुकन को दफनाया गया था। इस मैदाम का निर्माण 1772 में स्वर्गदेव उदयादित्य सिंह ने जोरहाट के पास हुलुंगापारा में करवाया था। वैश्विक मान्यता: <ul style="list-style-type: none"> चराइदेव मैदाम या मोइदम्स को आमतौर पर असम के पिरामिड के नाम से जाना जाता है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल हैं।
कला और संस्कृति	<ul style="list-style-type: none"> कारीगर: कवियों और विद्वानों को अनुदान के रूप में भूमि दी जाती थी। बुरंजी: यह असमिया भाषा में लिखी हुई ऐतिहासिक कृतियाँ हैं। अहोम राज्य सभा के पुरातत्व लेखों का संकलन बुरंजी में हुआ है। <ul style="list-style-type: none"> इनकी रचना शुरुआत में ताई-अहोम भाषा में की गई थी, लेकिन बाद में अहोम लोगों के हिंदू धर्म में धर्मान्तरित होने के बाद इन्हें असमिया भाषा में लिखा गया।
शासन का अंत	<ul style="list-style-type: none"> अहोम राजवंश का शासन असम पर बर्मी आक्रमण और फिर याण्डबू की संधि (1826) के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिकार कर लेने के साथ ही समाप्त हो गया।

7.4.2. रानी चन्नम्मा (Rani Chennamma)


सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, रानी चन्नम्मा के नेतृत्व में हुए किचूर या किचुरु विद्रोह की 200वीं वर्षगांठ मनाई गई।

रानी चन्नम्मा के बारे में

- उनका जन्म 1778 में काकती गांव (वर्तमान कर्नाटक) में हुआ था।

- उन्होंने किन्नूर के राजा मल्लसर्ज से शादी की थी जिन्होंने 1816 तक प्रांत पर शासन किया।
- 1816 में मल्लसर्ज की मृत्यु के बाद, उनके सबसे बड़े बेटे शिवलिंगरुद्र सर्ज सिंहासन पर बैठे थे। हालांकि, कुछ ही समय के बाद उनकी भी मृत्यु हो गई।
- इसके बाद रानी चन्नम्मा ने एक बच्चे शिवलिंगप्पा को गोद लिया और उसे राजगद्दी का उत्तराधिकारी बनाया।
- छत्रपति शिवाजी के दूसरे पुत्र राजाराम जब मुगल सेना से बचने के लिए भटक रहे थे तब रानी चन्नम्मा ने उन्हें शरण दी थी।



ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी (EIC) के साथ संघर्ष

- ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यपगत का सिद्धांत के तहत, उनके दत्तक पुत्र को कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं किया।
 - यह लॉर्ड डलहौजी द्वारा आधिकारिक रूप से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत की घोषणा किए जाने से भी पहले, 1824 में इस सिद्धांत को लागू करने का पहला मामला था।
- इसके बाद रानी चन्नम्मा ने अपने गोद लिए हुए बच्चे को निर्वासित करने के EIC's के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने किन्नूर के मामले से जुड़े इस आदेश के खिलाफ बॉम्बे के तत्कालीन लेफ्टिनेंट-गवर्नर लॉर्ड एलफिंस्टन को पत्र लिखा, लेकिन उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया।
- फिर उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह कर दिया जो किन्नूर विद्रोह के नाम से जाना जाता है।

विलय या हड़प की नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स

- यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विलय की प्रमुख नीतियों में से एक थी।
 - विलय या हड़प संबंधी अन्य नीतियां थीं- रिंग ऑफ फेंस की नीति और सहायक संधि।
- इस नीति के तहत, यदि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्च-सत्ता के अधीन आने वाला किसी देशी राज्य या क्षेत्र का शासक यदि "शासन करने में अक्षम हो या स्पष्ट पुरुष उत्तराधिकारी के बिना ही मर जाए" तो उसकी रियासत या क्षेत्र पर ब्रिटिश शासन का स्वतः कब्जा हो जाता था।
- इस सिद्धांत के तहत बिना उत्तराधिकारी वाले भारतीय शासकों के उत्तराधिकारी चुनने के लंबे समय से स्थापित अधिकार को समाप्त कर दिया गया।
- सतारा (1848), जैतपुर (1849), संबलपुर (1849), बघाट (1850), उदयपुर (1852), झाँसी (1853) और नागपुर (1854) जैसी रियासतों को इसी सिद्धांत के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया।
- 1857 के विद्रोह के बाद इस सिद्धांत को त्याग दिया गया।

किन्नूर विद्रोह (1824) के बारे में

- इसे ब्रिटिश EIC के खिलाफ पहला भारतीय सशस्त्र विद्रोह माना जाता है। साथ ही, यह महिलाओं के नेतृत्व में किए गए आरंभिक उपनिवेशवाद-विरोधी संघर्षों में से एक था।
- अक्टूबर 1824 में हुई पहली लड़ाई में ब्रिटिश सेना की करारी हार हुई थी।
 - इस युद्ध में ब्रिटिश अधिकारियों को भी बंधक बना लिया था।
 - अंग्रेजों द्वारा युद्ध समाप्त किए जाने का वादा करने के बाद उन्होंने युद्ध-बंदियों को रिहा कर दिया।
 - लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें धोखा दिया और युद्ध-बंदियों को रिहा होने के बाद युद्ध फिर से शुरू कर दिया।
- ब्रिटिश सेना ने किन्नूर के किले पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया। साथ ही रानी चन्नम्मा और उनके परिवार वालों को बैलहोंगल के किले में कैद कर दिया गया, जहां 1829 में उनकी मृत्यु हो गई।
- उनके लेफ्टिनेंट, सांगोली रायन्ना ने युद्ध में मुख्य भूमिका निभाई थी।

7.4.3. नाना जगन्नाथ शंकरसेठ (Nana Jagannath Shankarseth)

सुर्खियों में क्यों?

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय से मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर नाना जगन्नाथ शंकरसेठ करने का आग्रह करने का फैसला किया है।

नाना जगन्नाथ शंकरसेठ (1803-1865) का प्रारंभिक जीवन

- प्रमुख योगदान
 - मुंबई के वास्तुकार: उन्होंने बॉम्बे में इमारतों, सड़कों और मार्गों की योजना बनाने के लिए प्रमुख परियोजनाओं का नेतृत्व किया। उनके कार्यों की वजह से उन्हें मुंबई (तब बॉम्बे) का वास्तुकार कहा जाता है।
 - शिक्षा संरक्षण: वह शिक्षा के संरक्षक थे और उन्होंने स्कूल स्थापित करने के लिए परिवार के स्वामित्व वाली भूमि दान की थी। उन्होंने विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा के लिए काम किया था।
 - उन्होंने बॉम्बे नेटिव स्कूल की स्थापना की थी। कालांतर में यही स्कूल एलफिंस्टन कॉलेज के रूप में विकसित हुआ।
 - रेलवे परियोजना: वे उस समिति का हिस्सा थे, जो 1853 में बोरीबंदर और ठाणे के बीच चली भारत की पहली ट्रेन परियोजना के विकास से संबंधित थी।
 - राजनीतिक योगदान:
 - वे बॉम्बे विधान परिषद में मनोनीत होने वाले पहले भारतीय थे, और
 - उन्होंने बॉम्बे एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
 - वह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई के एक भारतीय सदस्य भी थे।
- विरासत और प्रभाव:
 - अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान गंगाधर गाडगिल ने उन्हें "आधुनिक भारत का वास्तुकार" कहा था।
 - आर्थिक राष्ट्रवाद के उनके दृष्टिकोण ने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में दादाभाई नौरोजी और जस्टिस रानाडे जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को प्रभावित किया।

नाना जगन्नाथ शंकर सेठ



7.4.4. अय्या वैकुंड स्वामीकल (Ayya Vaikunda Swamikal)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री अय्या वैकुंड स्वामीकल को उनकी जयंती पर याद किया।

- अय्या वैकुंड स्वामीकल का प्रमुख योगदान:
 - अय्या वैकुंड स्वामीकल भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूतों में से एक थे। उनका प्रसिद्ध नारा: "एक जाति, एक धर्म, एक कुल, एक विश्व, एक ईश्वर" था। इससे सभी जाति के लोगों के बीच समानता को बढ़ावा मिलता है।
 - उन्होंने अय्यावाज़ी संप्रदाय की स्थापना की और लोगों को अहिंसा, दान, सहिष्णुता और प्रेम के मार्ग पर चलना सिखाया।
 - मंदिर सुधार:
 - उन व्यक्तियों के लिए नए मंदिर (पाथिस और निज़ल थैंकल्स) बनाए गए थे, जिन्हें पहले मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी।
 - थोट्ट नामम की शुरुआत की गई। इसमें पुजारियों को जाति की परवाह किए बिना भक्तों के माथे पर पवित्र लेप लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
 - सामाजिक पहल:
 - शाकाहार को बढ़ावा देने के लिए शुवायल पंथी कार्यक्रम की शुरुआत की थी।
 - सामपंथी-भोजन (सामुदायिक भोजनालय) का आयोजन किया गया।
 - सामान्य कुओं की खुदाई का कार्य किया गया, जिसे 'मुथिरिकिनारस' के नाम से जाना जाता है। इनका निर्माण निचली जातियों तक जल की पहुंच प्रदान करने के लिए किया गया था, जिन्हें पहले उच्च जाति के कुओं का उपयोग करने से रोक दिया गया था।
 - पुस्तकें: उन्होंने अकिला थिरुट्टु; अरुलनूल; अम्मानई जैसी पुस्तकों की रचना की।


अय्या वैकुंड स्वामीकल



7.4.5. सुर्खियों में रहे अन्य व्यक्तित्व (Other Personalities in News)

7.4.5.1. संभुधन फोंगलो (Sambhudhan Phonglo)

- सरकार ने जनजातीय नायक संभुधन फोंगलो को श्रद्धांजलि अर्पित की।
- संभुधन फोंगलो के बारे में:
 - वे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका संबंध असम के वर्तमान दिमा हसाओ जिले के उत्तरी कछार पहाड़ियों के लोंगखोर से था।
- योगदान:
 - 1832 में कछार पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने के परिणामस्वरूप उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का निर्णय लिया।
 - उन्होंने अंग्रेजों की 'फूट डालो और राज करो' की नीति को समझा और उससे निपटने के लिए दमसी युवाओं को संगठित किया।
 - उन्होंने अपनी सेना गठित की और मेजर बोयाद के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना पर हमला करके मेजर बोयाद को मार डाला।



7.5. सुर्खियों में रहे पुरस्कार (Awards in News)

7.5.1. भारत रत्न (Bharat Ratna)

सुर्खियों में क्यों?

पी.वी. नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एम.एस. स्वामीनाथन, लालकृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान “भारत रत्न” से सम्मानित किया गया है।

भारत रत्न के बारे में

- यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा व्यक्तियों को किसी भी क्षेत्र में 'उत्कृष्ट सेवा के लिए' दिया जाता है, भले ही वह व्यक्ति किसी भी जाति, व्यवसाय, पद या जेंडर से संबंधित हो।
- नाम की सिफारिश: किसी व्यक्ति को यह सम्मान देने की सिफारिश भारत के प्रधान मंत्री द्वारा राष्ट्रपति से की जाती है।
 - गौरतलब है कि इसके लिए कोई औपचारिक सिफारिश करने की जरूरत नहीं होती है।
- स्थापना: भारत रत्न सम्मान की स्थापना 2 जनवरी, 1954 को पूर्व राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने की थी।
- विनियमन: संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार, इस सम्मान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे या उपाधि के रूप में भारत रत्न शब्दावली नहीं जोड़ सकते।
 - हालांकि, सम्मान प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने बायोडाटा, विजिटिंग कार्ड, लेटरहेड आदि में “राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित” या “भारत रत्न सम्मान प्राप्तकर्ता” शब्दावली का इस्तेमाल कर सकता है।
- भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाले आरंभिक व्यक्ति: पहली बार यह सम्मान 1954 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉ. सी.वी. रमन को दिया गया था।
 - यह सम्मान दूसरे देशों के नागरिकों को भी दिया जाता है। मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला जैसे विदेशियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है।
- अन्य संबंधित तथ्य:
 - आरंभ में यह सम्मान व्यक्ति के मरणोपरांत नहीं दिया जाता था। हालांकि, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को यह सम्मान उनकी मृत्यु के उपरांत दिया गया, तब से मरणोपरांत व्यक्तियों को भी यह सम्मान दिया जाने लगा।
 - 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न सम्मान दिया गया था। वे यह सम्मान प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति और प्रथम खिलाड़ी (स्पोर्ट्सपर्सन) थे।

- प्रत्येक वर्ष अधिकतम तीन पुरस्कार दिए जा सकते हैं। हालांकि, अपवाद-स्वरूप 2024 और 1999 में क्रमशः पांच और चार व्यक्तियों को भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ।

भारत रत्न पदक का डिजाइन

- **आकार और लेख:** इस पदक का डिजाइन पीपल के पत्ते जैसा है। इसमें एक तरफ सूर्य की चमकदार आकृति के नीचे देवनागरी लिपि में 'भारत रत्न' अंकित है।
- **दूसरा भाग:** पदक के दूसरे भाग पर भारत का राजचिन्ह (अशोक स्तम्भ) उत्कीर्ण है तथा इसके नीचे देवनागरी लिपि में 'सत्यमेव जयते' लिखा हुआ है।
- **सामग्री:** भारत रत्न पदक पर लगा प्रतीक, सूर्य और किनारा प्लैटिनम से बने हैं, जबकि लेख चमकदार कांस्य से तैयार किया जाता है।
- **निर्माण:** इस पदक का निर्माण कोलकाता की अलीपुर टकसाल में किया जाता है।



पी.वी. नरसिम्हा राव के बारे में

- **पी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा किए गए सुधार:**
 - **आर्थिक सुधार:** उन्होंने भारत में आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपनाया।
 - **संवैधानिक सुधार:** उनके कार्यकाल में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम सहित कई महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन किए गए। 73वें और 74वें संशोधनों ने शासन का विकेंद्रीकरण किया और स्थानीय निकायों को सशक्त बनाया।
 - **राजनयिक पहलें:** नरसिम्हा राव ने 1983 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सातवें शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इसके अलावा, फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समस्या का समाधान करने के लिए पश्चिम एशिया में एक विशेष गुटनिरपेक्ष मिशन का नेतृत्व किया। पी.वी. नरसिम्हा राव ने ही इजरायल के साथ राजनयिक संबंध भी स्थापित किए। उन्होंने 'लुक ईस्ट पॉलिसी' की शुरुआत की।

चौधरी चरण सिंह के बारे में

- **चौधरी चरण सिंह द्वारा किए गए सुधार:**
 - उन्होंने ऋण मुक्ति विधेयक (1939) को तैयार किया
 - उन्होंने अप्रैल 1939 में भूमि उपयोग विधेयक का मसौदा तैयार किया
 - उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन में भूमिका
 - उत्तर प्रदेश जोत चक्रबंदी अधिनियम, 1953
 - उत्तर प्रदेश मृदा संरक्षण अधिनियम, 1954
 - भू धारण अधिनियम, 1960

चौधरी चरण सिंह की रचनाएं और साहित्यिक कृतियां

	अबोलिशन ऑफ जमींदारी: टू अल्टरनेटिव (1947)
	अग्रेटियन रेवोल्यूशन इन उत्तर प्रदेश (1957)
	जॉइंट फार्मिंग एक्स-रयेद: द पॉब्लेम एंड इट्स सोल्यूशन (1959)
	इंडियास पावर्टी एंड इट्स सोल्यूशन (1964)
	इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी: द गांधियन ब्लूप्रिंट (1978)
	इकनोमिक नाईटमेयर ऑफ इंडिया: इट्स कॉजेज एंड क्योर (1981)

डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन (1925 - 2023) के बारे में

- **प्रमुख योगदान:**
 - उन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी।



- उन्होंने नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्में विकसित की थीं।
- उन्होंने कृषि में महिलाओं के ज्ञान, कौशल और तकनीकी सशक्तीकरण को बढ़ावा दिया था।
- वे राष्ट्रीय किसान आयोग (2004-06) के अध्यक्ष भी रहे थे। इस आयोग ने उत्पादन की व्यापक लागतों को जोड़कर किसानों को फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की सिफारिश की थी।
- पुरस्कार और सम्मान: प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता (1987), एस.एस. भटनागर पुरस्कार (1961) आदि।

7.5.2. पद्म पुरस्कार (Padma Awards)

सुर्खियों में क्यों?

राष्ट्रपति ने 2024 के लिए 132 पद्म पुरस्कार प्रदान किए।

पद्म पुरस्कारों के बारे में

- पद्म पुरस्कारों की स्थापना 1954 में की गई थी। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। हालांकि, 1978 और 1979 में और फिर 1993 से 1997 के बीच ये नहीं प्रदान किए गए थे। ये पुरस्कार गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं।
- पद्म पुरस्कारों की तीन श्रेणियां हैं:
 - पद्म विभूषण: असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए,
 - पद्म भूषण: उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए, और
 - पद्म श्री: विशिष्ट सेवा के लिए।
- लक्ष्य: इसका लक्ष्य है विशिष्ट कार्यों को सम्मानित करना। ये पुरस्कार सभी क्षेत्रों की गतिविधियों/ विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/ सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं।
- ये पुरस्कार पद्म पुरस्कार समिति की अनुशंसा पर प्रदान किए जाते हैं।
 - इस समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। समिति के सदस्यों में केंद्रीय गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव और चार से छह प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हैं।
 - पुरस्कार के लिए अनुशंसित नामों को अनुमोदन के लिए प्रधान मंत्री और फिर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
- अन्य संबंधित प्रमुख तथ्य:
 - सभी व्यक्ति पद्म पुरस्कारों के लिए पात्र हैं, भले ही उनकी जाति, व्यवसाय, पद या जेंडर कुछ भी हो।
 - हालांकि, सरकारी कर्मचारियों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्य करने वाले व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं हैं। वैसे सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत डॉक्टर्स और वैज्ञानिक पद्म पुरस्कार के लिए पात्र हैं।
 - किसी व्यक्ति को उच्चतर श्रेणी का पद्म पुरस्कार विगत पद्म पुरस्कार प्राप्ति के पांच वर्ष के अंतराल के बाद ही प्रदान किया जा सकता है। हालांकि, इसका अपवाद हो सकता है, यदि पुरस्कार समिति के समक्ष कोई योग्य मामला आता है।
 - ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कार के तौर पर एक सनद (प्रमाण पत्र) और एक पदक प्रदान किए जाते हैं।
 - आमतौर पर, एक वर्ष में पद्म पुरस्कारों की कुल संख्या (मरणोपरांत और विदेशी नागरिकों को छोड़कर) 120 तक सीमित है।
 - यह पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत "उपाधि नहीं" है।

7.5.3. अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार (Other Important Awards)

7.5.3.1. कुदावोलाई प्रणाली (Kudavolai System)

- तमिलनाडु ने गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए तीसरा सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार जीता है। राज्य ने प्राचीन तमिलनाडु में प्रचलित कुदावोलाई प्रणाली पर आधारित झांकी निकाली थी। इस प्रणाली को लोकतंत्र की जननी माना जाता है।
- कुदावोलाई प्रणाली के बारे में:
 - कुदावोलाई प्राचीन तमिलनाडु में प्रचलित चुनाव की एक प्रणाली थी। इसका विकास 10वीं शताब्दी में चोल काल में हुआ था। इस प्रणाली का उल्लेख उत्तरमेरु अभिलेख में है।
 - इस प्रणाली का इस्तेमाल ग्राम प्रशासन का संचालन करने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव करने में किया जाता था।
 - इसके तहत गांवों को वार्डों में बांटा जाता था और फिर प्रत्येक वार्ड के निवासियों द्वारा कुदावोलाई प्रणाली के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता था।



- प्रतिभागियों का नाम ताड़ के पत्ते से बने टिकटों (वोलाई) पर लिखा जाता था, जिन्हें एक बर्तन (कुदा) में डाला जाता था। इसके बाद एक छोटे बच्चे द्वारा निर्वाचित नेताओं की घोषणा करने के लिए टिकट चुना जाता था।

7.5.3.2. प्रधान मंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar: PMRBP)

- राष्ट्रपति ने 19 बच्चों को PMRBP प्रदान किया है।
- PMRBP हर साल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिया जाता है।
 - यह पुरस्कार 5-18 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 6 श्रेणियों अर्थात् वीरता, कला और संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा एवं खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है।
 - पुरस्कार के तहत एक पदक, प्रमाण-पत्र और प्रशस्ति पुस्तिका दी जाती है। यह पुरस्कार गणतंत्र दिवस से एक सप्ताह पहले दिया जाता है।
 - पुरस्कार विजेताओं को व्यक्तिगत रूप से पुरस्कार प्राप्त करना होता है। हालांकि, बहादुरी के लिए मरणोपरांत बाल शक्ति पुरस्कार दिए जा सकते हैं।
 - पात्रता: ये पुरस्कार केवल भारत के नागरिक बच्चों (जो देश में ही रह रहे हैं) को दिए जाते हैं।

7.5.3.3. ज्ञानपीठ पुरस्कार (Jnanpith Award)

- 58वें ज्ञानपीठ (2023) पुरस्कार की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी (संस्कृत) और गुलजार (उर्दू) को दिया जाएगा।
- ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में:
 - इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। यह पुरस्कार 1965 से हर साल भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिया जाता है। भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है।
 - भारतीय ज्ञानपीठ की औपचारिक स्थापना 1944 में की गई थी। यह भारत के प्रमुख साहित्यिक संगठनों और प्रकाशकों में से एक है।
 - इसे भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार के रूप में मान्यता प्राप्त है।
 - यह पुरस्कार भारतीय भाषाओं (आठवीं अनुसूची) और अंग्रेजी भाषा में साहित्य लेखन के लिए प्रदान किया जाता है।
 - यह पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान किया जाता है।

7.5.3.4. संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार {Sangeet Natak Academy (SNA) Awards}

- भारत की राष्ट्रपति ने 2022 और 2023 के लिए SNA फैलोशिप व पुरस्कार प्रदान किए।
- संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों के बारे में
 - ये अकादमी पुरस्कार 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं।
 - ये पुरस्कार संगीत, नृत्य और नाटक में सर्वोच्च उपलब्धि के प्रतीक हैं।
 - हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत में पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी की स्थापना से पहले ही यानी 1951 में शुरू कर दिए गए थे। उस समय उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार के रूप में जाना जाता था।
 - अकादमी फेलो में ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के अलावा 3 लाख रुपये की राशि इनाम स्वरूप दी जाती है, जबकि अकादमी पुरस्कार में ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के अलावा 1 लाख रुपये की राशि दी जाती है।
 - संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में की गई थी। यह भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रदर्शन कला के क्षेत्र में गठित शीर्ष निकाय है।

7.5.3.5. राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, 2023 {National Sports Awards (NSA) 2023}

- भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया है।
- युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की जाती है।
- इसमें निम्नलिखित छह प्रमुख पुरस्कार शामिल हैं:
 - मेजर ध्यानचंद खेल रत्न: यह देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है।
 - अर्जुन पुरस्कार: यह किसी खिलाड़ी को लगातार 4 वर्षों से अधिक अवधि तक अच्छा प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है।
 - द्रोणाचार्य पुरस्कार: यह प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान है।
 - मेजर ध्यानचंद पुरस्कार: यह खिलाड़ी को उसकी जीवनभर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है।

- मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी: यह ट्रॉफी अंतर-विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीम को दी जाती है।
- राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार: यह पुरस्कार उन संगठनों या कॉर्पोरेट्स को दिया जाता है जो खेलों को प्रोत्साहन प्रदान करते हैं।

7.6. विविध (Miscellaneous)

7.6.1. सुर्खियों में रही जनजातियां (TRIBES IN NEWS)

7.6.1.1. वारली जनजाति (Warli Tribe)

- वारली जनजाति ने महाराष्ट्र के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नजदीक तेंदुओं के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व में रहने की एक मिसाल कायम की है।
 - यह जनजाति तेंदुए या वाघोबा को देवता मानकर उसका संरक्षण करती है।
- वारली जनजाति के बारे में:
 - यह महाराष्ट्र क्षेत्र की सबसे बड़ी जनजातीय आबादी में से एक है।
 - यह मुंबई के बाहरी इलाके में उत्तरी सह्याद्री क्षेत्र में रहती है।
 - यह जनजाति वारली भित्ति चित्रण (Warli wall paintings) के लिए प्रसिद्ध है।
 - इस चित्रकला शैली का उद्भव 10वीं शताब्दी ई. में माना जाता है।
 - इस चित्रकला के विषय आमतौर पर आम जन-जीवन की दिनचर्या और आस-पास के परिवेश से प्रेरित होते हैं।
 - चित्र बनाने के लिए प्राकृतिक सामग्री और रंगों का उपयोग किया जाता है। ये चित्र बांस की लकड़ी से बने ब्रश से बनाए जाते हैं।

7.6.1.2. ब्रू जनजाति (Bru Tribe)

- मिजोरम के ब्रू शरणार्थियों का अंतिम समूह स्थायी रूप से त्रिपुरा में बस गया है। इस समुदाय को त्रिपुरा में बसाने का निर्णय 2020 में केंद्रीय गृह मंत्रालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बीच हस्ताक्षरित एक समझौते के अनुसार लिया गया है।
- ब्रू जनजाति के बारे में:
 - इसे रियांग के नाम से भी जाना जाता है।
 - यह पूर्वोत्तर भारत की स्थानिक जनजाति है। इनकी अधिकांश संख्या त्रिपुरा, मिजोरम और असम में निवास करती है। इसे त्रिपुरा में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के रूप में मान्यता प्राप्त है।
 - ब्रू लोग काबरू भाषा बोलते हैं, जिसका संबंध तिब्बती-बर्मी भाषा परिवार से है।
 - यह समुदाय झूम कृषि और खाद्य-संग्रह गतिविधियों पर निर्भर है।
 - यह जनजाति होजागिरी नृत्य करती है।

7.6.1.3. मधिका भाषा (Madhika Language)

- वर्तमान में, मधिका भाषा को बोलने वाले केवल 2 व्यक्ति हैं। इसलिए, यह भाषा विलुप्त होने की कगार पर है।
- मधिका भाषा के बारे में:
 - यह भाषा चकलिया समुदाय द्वारा बोली जाती है। इस भाषा की अपनी कोई लिपि नहीं है।
 - इस भाषा में बहुत हद तक हव्यक कन्नड़ के तत्व मौजूद हैं।
 - हव्यक कन्नड़, कन्नड़ भाषा का प्राचीन रूप है।
 - यह भाषा तेलुगु, तुलु, कन्नड़ और मलयालम का मिश्रित रूप है।

लुप्तप्राय भाषाओं की रक्षा के लिए शुरु की गई पहलें



लुप्तप्राय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए योजना (SPPEL)



केंद्रीय विश्वविद्यालयों में "लुप्तप्राय भाषाओं के लिए केंद्र" की स्थापना

7.6.1.4. कुटिया कोंध जनजाति (Kutia Kondh Tribe)

- कुटिया कोंध जनजाति के दो व्यक्ति विशेष अतिथि के रूप में नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए थे।
- कुटिया कोंध (कुटिया कंध) जनजाति बारे में:
 - यह ओडिशा का विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) है।



- वर्तमान में, भारत में 75 जनजातियों को PVTGs का दर्जा दिया गया है। ओडिशा में सबसे अधिक (13) PVTGs हैं।
- समाज और संस्कृति:
 - इस जनजाति में परिवार अधिकतर एकल और पितृसत्तात्मक होते हैं।
 - कोंध जनजाति प्रकृति की पूजा करती है।
 - यह जनजाति भैंस बलि अनुष्ठान के लिए प्रसिद्ध है। इस अनुष्ठान को "केडु" कहा जाता है। धरती माता को प्रसन्न करने के लिए यह पशु बलि दी जाती है।
- कृषि:
 - इनमें स्थानांतरित कृषि या स्लैश एंड बर्न कृषि प्रचलित है।
 - कोंध इस कृषि पद्धति को डोंगर चास या पोडु चास कहते हैं।

7.6.1.5. परुवेता उत्सव (Paruveta Utsavam)

- आंध्र प्रदेश के 'परुवेता उत्सव' को यूनेस्को की 'अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची' में शामिल कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।
 - परुवेता, शिकार करने की नकल का उत्सव है।
- इस उत्सव की शुरुआत हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर अहोबिलम (आंध्र प्रदेश) में श्री नरसिम्हा स्वामी मंदिर से होती है। यह उत्सव लगभग 40 से 45 दिनों तक चलता है।
- उत्साह के दौरान, मंदिर के गर्भगृह में अधिष्ठापित देवता को चेंचू आदिवासी गांवों में ले जाया जाता है।
- अहोबिलम पूर्वी घाट में नल्लामाला वन के बीच में अवस्थित है। यहां भगवान विष्णु के "नरसिंह अवतार" नरसिम्हा की पूजा की जाती है।
- यह 108 दिव्य देशम (श्री विष्णु के मंदिर) में से एक है।

7.6.1.6. पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल (Pakke Paga Hornbill Festival: PPHF)

- अरुणाचल प्रदेश में तीन दिवसीय PPHF का शुभारंभ हो गया है।
- यह महोत्सव वन्यजीव संरक्षण पर जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। इसमें हॉर्नबिल के संरक्षण पर विशेष बल दिया जाता है।
 - यह महोत्सव पहली बार 2015 में मनाया गया था। इसका आयोजन पक्के टाइगर रिज़र्व (PTR) में हॉर्नबिल के संरक्षण में न्यीशी जनजाति की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के लिए शुरू किया गया था। न्यीशी अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है।
 - PTR में हॉर्नबिल की चार प्रजातियां पाई जाती हैं-
 - रीथड,
 - ग्रेट इंडियन,
 - ओरिएंटल पाइड, और
 - रूफस-नेकड (IUCN में वल्नरेबल)।
 - न्यीशी जनजाति पहले हॉर्नबिल का शिकार करती थी, परन्तु बाद में इसके संरक्षण कार्यों में लग गई।

7.6.1.7. चंदुबी महोत्सव (Chandubi Festival)

- असम के कामरूप जिले में चंदुबी झील के तट पर हर साल 1 से 5 जनवरी के बीच चंदुबी महोत्सव आयोजित किया जाता है।
 - यह मुख्य रूप से राभा हासोंग ऑटोनोमस काउंसिल (RHAC) के राभा और हाजोंग समुदायों द्वारा मनाया जाता है।
 - इसमें असम की संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन किया जाता है, उदाहरण के लिए- लोक संगीत का प्रदर्शन, पारंपरिक नृत्य शो, स्थानीय हस्तशिल्प से जुड़ी प्रदर्शनियां आदि।
 - ऐसा कहा जाता है कि चंदुबी झील की उत्पत्ति 1897 में आए एक विनाशकारी भूकंप के बाद हुई थी।

7.6.2. कई उत्पादों को मिला GI टैग (GI Tags for new products)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, कई उत्पादों को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्रदान किया गया। ये हैं:

राज्य	उत्पाद और उनका विवरण
ओडिशा	<ul style="list-style-type: none"> कटक रूपा तारकशी (सिल्वर फिलीग्री) <ul style="list-style-type: none"> इसका उपयोग लगभग 3500 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया (वर्तमान इराक) में आभूषण निर्माण में किया जाता था। आज भी यह इराक, मिस्त्र में तेलकारी काम के रूप में प्रचलित है। यह कलाकारी फारस से इंडोनेशिया होते हुए कटक पहुंची थी। लांजिया साओरा पेंटिंग, डोंगरिया कोंध शॉल, खजूरी गुड, डेंकनाल मगजी (खाद्य पदार्थ), सिमिलिपाल काई चटनी, नयागढ़ कांतिमुंडी बैंगन और कोरापुट कालाजीरा चावल।
पश्चिम बंगाल	<ul style="list-style-type: none"> बांग्लार मलमल <ul style="list-style-type: none"> यह कपास से बना एक पारंपरिक हथकरघा शिल्प है।
आंध्र प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> नरसापुर क्रोशै लेस उत्पाद <ul style="list-style-type: none"> इन्हें नरसापुर में धर्म-प्रचारकों द्वारा लाया गया था।
मध्य प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> रतलाम रियावन लहसुन
असम	<ul style="list-style-type: none"> माजुली मास्क और माजुली पांडुलिपि चित्रकला
त्रिपुरा	<ul style="list-style-type: none"> रिसा वस्त्र
तेलंगाना	<ul style="list-style-type: none"> हैदराबाद की लाख चूड़ियां
गुजरात	<ul style="list-style-type: none"> कच्छ रोगन शिल्प अम्बाजी सफेद संगमरमर <ul style="list-style-type: none"> इसका निर्माण तब होता है, जब चूना पत्थर पृथ्वी के क्रस्ट (भूपर्पटी) के नीचे पुनः क्रिस्टलीकृत हो जाता है। कच्छ का खारेक
अरुणाचल प्रदेश	हस्तनिर्मित कालीन, वांचो काष्ठ शिल्प, आदि केकिर (अदरक)।
पश्चिम बंगाल	तंगेल साड़ी, गरद साड़ी, कोरियल साड़ी, काला नूनिया चावल, सुंदरबन शहद।
जम्मू और कश्मीर	रामबन अनारदाना

7.6.3. अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां (Other Important News)

7.6.3.1. कदंब राजवंश (Kadamba Dynasty)


- हाल ही में, गोवा में कदंब काल का एक अभिलेख मिला है।
 - यह कन्नड़ और संस्कृत भाषा में लिखा गया एक द्विभाषी अभिलेख है।
- कदंब राजवंश के बारे में:
 - मयूरशर्मा ने 345 ई. में कदंब राजवंश की स्थापना की थी।
 - आगे चलकर कदंब शासकों ने विभिन्न स्थानों पर अन्य साम्राज्यों के सामंतों के रूप में शासन किया था। इन साम्राज्यों में चालुक्य और राष्ट्रकूट प्रमुख हैं।
 - क्षेत्र: इनके शासन का विस्तार वर्तमान कर्नाटक और कोंकण क्षेत्र तक था।
 - राजधानी: बनवासी।
 - प्रशासन: कदंब साम्राज्य मंडल या देश - विषय - महाग्राम - देशग्राम जैसी प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित था।
 - वास्तुकला: कदंब शिखर (मंदिर का हिस्सा) इनकी स्थापत्य शैली की सबसे प्रमुख विशेषता है।
 - यह पिरामिड आकार की संरचना है जो बिना किसी सजावट के सीढ़ीनुमा बनाई गई है और शीर्ष पर स्तूपिका या कलश बनाया गया है।

7.6.3.2. पश्चिम बंगाल ने राज्य दिवस और राज्य गीत अधिसूचित किए (West Bengal Notified State Day & State Song)

- पश्चिम बंगाल सरकार ने **पोइला बोइसाख (पहला वैशाख)** को राज्य दिवस और **बांग्लार माटी बांग्लार जोल (जल)** को राज्य गीत के रूप में अधिसूचित किया है।
- **पोइला बोइसाख** बंगाली कैलेंडर वर्ष के वैशाख माह का पहला दिन है। इसे **बांग्ला दिवस** का नाम दिया गया है।
 - पोइला बोइसाख पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड और असम में बंगाली समुदायों द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है।
 - **2023** में यह **15 अप्रैल** को मनाया गया था।
- **बांग्लार माटी बांग्लार जोल** गीत रवीन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था।

7.6.3.3. देश में फसल कटाई से संबंधित उत्सवों का आयोजन (Nation Celebrates Various Harvest Festivals)

- **मकर संक्रांति** पूरे भारत में **फसल-कटाई** का एक प्रमुख त्यौहार है। इसे अलग-अलग राज्यों में **अलग-अलग नामों**, परंपराओं और उत्सवों के रूप में मनाया जाता है।
 - यह त्यौहार **सूर्यदेव** को समर्पित है। यह **मकर राशि** में **सूर्य** के प्रवेश का पहला दिन भी है।
 - **मकर संक्रांति** सर्दियों के मौसम की समाप्ति और **सूर्य** के उत्तरायण होने के साथ ही लंबे दिनों की शुरुआत का भी सूचक है।
 - खगोलीय दृष्टि से, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के अक्षीय झुकाव और पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के कारण होता है।



7.6.3.4. होरी हब्बा (Hori Habba)

- **कर्नाटक** में होरी हब्बा खेल के दौरान रिपोर्ट की गई हताहतों की संख्या खेलों में **जानवरों और मनुष्यों की सुरक्षा के बारे में चिंताएं** पैदा करती है।
- होरी हब्बा को **हट्टी हब्बा** के नाम से भी जाना जाता है। यह **कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित** होता है। इसमें सजे हुए बैलों को भीड़ के बीच दौड़ाया जाता है और लोग उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं।

- भारत में पशुओं को शामिल किए जाने वाले अन्य खेल
 - जल्लीकट्टू: यह तमिलनाडु में पोंगल के दिन आयोजित होने वाला बैल-दौड़ खेल है। इसमें बैल को पकड़कर उस पर काबू पाया जाता है।
 - कंबाला: यह तटीय कर्नाटक में आयोजित होने वाली पारंपरिक भैंसा दौड़ है।
 - मुर्गों की लड़ाई: यह खेल आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में सट्टेबाजी से जुड़ा हुआ है।
 - बुलबुल की लड़ाई: माघ बिहू के दौरान असम में आयोजित की जाती है।
 - बैलगाड़ी दौड़: महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि।

7.6.3.5. विक्रमादित्य वैदिक घड़ी (Vikramaditya Vedic Clock)

- उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी 'विक्रमादित्य वैदिक घड़ी' का उद्घाटन किया गया। यह भारतीय 'पंचांग' गणना पर आधारित है।
- यह घड़ी उज्जैन (मध्य प्रदेश) में जंतर-मंतर परिसर में स्थित है। जंतर-मंतर एक वेधशाला है। इसका निर्माण 18वीं शताब्दी की शुरुआत में जयपुर के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने कराया था।
 - उन्होंने भारत के पांच शहरों में जंतर-मंतर का निर्माण कराया था। ये हैं: उज्जैन, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी और जयपुर।
 - जयपुर स्थित जंतर-मंतर यूनेस्को-विश्व धरोहर स्थल है।
- उज्जैन जीरो मेरिडियन लाइन और कर्क रेखा (Tropic of Cancer) के सटीक मिलन बिंदु पर अवस्थित है।
- हिंदू ज्योतिष-शास्त्र के अनुसार, उज्जैन को कभी भारत का सेंट्रल मेरिडियन माना जाता था। यह शहर भारत के टाइम जोन और समय में अंतर का निर्धारण करता था।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 में चयनित सभी उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई

7 in Top 10 | 79 in Top 100 Selections in CSE 2023

from various programs of VISIONIAS

हिन्दी माध्यम में 35+ चयन

53 AIR		136 AIR		238 AIR		257 AIR		313 AIR		517 AIR		541 AIR		551 AIR		555 AIR	
<p>मोहन लाल अर्पित कुमार विपिन दुबे मनीषा चव्हे मयंक दुबे देवेश पाराशर शिवम अग्रवाल मोहन मंगवा ईश्वर लाल गुर्जर</p>																	
556 AIR		563 AIR		596 AIR		616 AIR		619 AIR		633 AIR		642 AIR		697 AIR		747 AIR	
<p>शुभम रघुवंशी अजित सिंह खदा के परीक्षित रवि गंगवार भानु प्रताप सिंह मैत्रेय कुमार शुक्ला शशांक चौहान प्रीतेरा सिंह राजपूत नीरज घाकड़</p>																	
758 AIR		776 AIR		793 AIR		798 AIR		816 AIR		850 AIR		854 AIR		856 AIR		885 AIR	
<p>सोफिया सिद्दीकी पटेल दीप राजेशकुमार अशोक सोनी विनोद कुमार मीणा पवन कुमार भारती साहू सचिन गुर्जर रजनीश पटेल पूरन प्रकाश</p>																	
913 AIR		916 AIR		929 AIR		941 AIR		952 AIR		954 AIR		961 AIR		962 AIR		964 AIR	
<p>पायल 'वालवशी नीलेश प्रेम सिंह मीणा प्रद्युमन कुमार संदीप कुमार मीणा कर्मवीर नरवदिया अभिषेक मीणा सचिन कुमार नीरज सांगार</p>																	

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स 2025 प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों



दिल्ली

14 मई | 9 AM

अवधि

12-14 महीने



VisionIAS ऐप को डाउनलोड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए



निःशुल्क काउंसिलिंग के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए



डेली MCQs और अन्य अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए



- ▶ सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स में GS मेन्स के सभी चारों पेपर, GS प्रीलिम्स, CSAT और निबंध के सिलेबस को विस्तार से कवर किया जाता है।
- ▶ अभ्यर्थियों के ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल पर लाइव एवं ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि वे किसी भी समय, कहीं से भी लेक्चर और स्टडी मटेरियल तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकें।
- ▶ इस कोर्स में पर्सनललिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शामिल है।
- ▶ 2025 के प्रोग्राम की अवधि: 12-14 महीने
- ▶ प्रत्येक कक्षा की अवधि: 3-4 घंटे, सप्ताह में 5-6 दिन (आवश्यकता पड़ने पर रविवार को भी कक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं)

नोट: अभ्यर्थी फाउंडेशन कोर्स की लाइव वीडियो कक्षाएं घर बैठे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। साथ ही, अभ्यर्थी लाइव चैट के जरिए कक्षा के दौरान अपने डाउट्स और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा, वे अपने डाउट्स और प्रश्न को नोट कर दिल्ली सेंटर पर हमारे क्लासरूम मेंटर को बता सकते हैं, जिसके बाद फोन/ मेल के जरिए अभ्यर्थियों के प्रश्नों का समाधान किया जाता है।

GS फाउंडेशन कोर्स की अन्य मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र



नियमित तौर पर व्यक्तिगत मूल्यांकन

अभ्यर्थियों को नियमित ट्यूटोरियल, मिनी टेस्ट एवं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के माध्यम से व्यक्तिगत व अभ्यर्थी के अनुरूप और टोस फीडबैक दिया जाता है



सभी द्वारा पढ़ी जाने वाली एवं सभी द्वारा अनुशंसित

विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम द्वारा तैयार की गई मासिक समसामयिकी मैगजीन, PT 365 और Mains 365 डॉक्यूमेंट्स तथा न्यूज़ टुडे जैसी प्रासंगिक एवं अपडेटेड अध्ययन सामग्री



नियमित तौर पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन

इस कोर्स के तहत अभ्यर्थियों के डाउट्स दूर करने और उन्हें प्रेरित रखने के लिए नियमित रूप से फोन/ ईमेल/ लाइव चैट के माध्यम से "वन-टू-वन" मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।



ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज

प्रत्येक 3 सफल उम्मीदवारों में से 2 Vision IAS की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को चुनते हैं। Vision IAS के पोस्ट टेस्ट एनालिसिस के तहत टेस्ट पेपर में स्टूडेंट्स के प्रदर्शन का विस्तार से विश्लेषण एवं समीक्षा की जाती है। यह अपनी गलतियों को जानने एवं उसमें सुधार करने हेतु काफी महत्वपूर्ण है।



कोई क्लास मिस ना करें

प्रत्येक अभ्यर्थी को एक व्यक्तिगत "स्टूडेंट पोर्टल" उपलब्ध कराया जाता है। इस पोर्टल के जरिए अभ्यर्थी किसी भी पुराने क्लास या छूटे हुए सेशन और विभिन्न रिसोर्सिज़ को एक्सेस कर सकते हैं एवं अपने प्रदर्शन का सापेक्ष एवं निरपेक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं।



बाधा रहित तैयारी

अभ्यर्थी VisionIAS के क्लासरूम लेक्चर्स एवं विभिन्न रिसोर्सिज़ को कहीं से भी तथा कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और वे इन्हें अपनी जरूरत के अनुसार ऑर्गनाईज कर सकते हैं।

Heartiest Congratulations

to all Successful Candidates



1
AIR

Aditya Srivastava

79

in **TOP 100** Selections in **CSE 2023**

from various programs of **Vision IAS**



2
AIR

**Animesh
Pradhan**



5
AIR

Ruhani



6
AIR

**Srishti
Dabas**



7
AIR

**Anmol
Rathore**



9
AIR

Nausheen



10
AIR

**Aishwaryam
Prajapati**

हिंदी माध्यम में 35+ चयन CSE 2023 में

= हिंदी माध्यम टॉपर =



53
AIR

मोहन लाल



136
AIR

**अर्पित
कुमार**



238
AIR

**विपिन
दुबे**



257
AIR

**मनीषा
धार्वे**



313
AIR

**मयंक
दुबे**



517
AIR

**देवेश
पाराशर**

39
Selections

in **TOP 50**

in **CSE 2022**



1
AIR

**Ishita
Kishore**



2
AIR

**Garima
Lohia**



3
AIR

**Uma
Harathi N**



HEAD OFFICE

Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor,
Near Gate-6 Karol Bagh
Metro Station

DELHI

MUKHERJEE NAGAR CENTER

Plot No. 857, Ground Floor,
Mukherjee Nagar, Opposite Punjab
& Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER

Classroom & Enquiry Office,
above Gate No. 2, GTB Nagar
Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY

Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066

enquiry@visionias.in

[/c/VisionIASdelhi](https://www.youtube.com/c/VisionIASdelhi)

[/visionias.upsc](https://www.facebook.com/visionias.upsc)

[/vision_ias](https://www.instagram.com/vision_ias)

[VisionIAS_UPSC](https://www.tiktok.com/@visionias_upsc)

